इंडियन बैंक Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD

निवेशक सेवाएँ कक्ष
INVESTOR SERVICES CELL
वेबसाइट / website: www.indianbank.in
ई-मेल / e-mail :ibinvestorrelations@indianbank.co.in

कॉर्पोरेट कार्यालय
254-260, अव्वै षण्मुगम सालै,
रायपेट्टा, चेन्नै – 600 014
Corporate Office
254-260, Avvai Shanmugam Salai,
Royapettah, Chennai - 600 014
दूरभाष/Phone: 044-28134076/28134698/28134484

Ref No.:ISC/59/2022-23

Date: 31.05.2022

The Vice President National Stock Exchange of India Limited "Exchange Plaza", Bandra Kurla Complex, Bandra East Mumbai - 400 051. **NSE Symbol : INDIANB**	The Vice President BSE Limited Phiroze Jeejibhai Towers Dalal Street Mumbai - 400 001. **Scrip Code: 532814**

Dear Sir/Madam,

Subject: Copy of Annual Report of the Bank for FY 2021-22

In terms of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing a copy of Annual Report of the Bank for FY 2021-22.

Further, we submit that the Business Responsibility Report forms part of the said Annual Report.

This is for your information, records and dissemination please.

Yours faithfully,

For Indian Bank

(Dina Nath Kumar)
AGM & Company Secretary

Encl: A/a

इंडियन बैंक Indian Bank

इलाहाबाद ALLAHABAD

आपका अपना बैंक, हर कदम आपके साथ
YOUR OWN BANK, ALWAYS WITH YOU

Azadi Ka Amrit Mahotsav



Growth, glory and soaring trust

वार्षिक रिपोर्ट | Annual Report
2021-22

Delivering values...
Realizing the dreams of every Indian



विज़न

''ग्राहक केंद्रित सेवाओं, कर्मचारियों की सहभागिता व सतत् विकास के माध्यम से उत्कृष्ट वित्तीय सेवाएँ प्रदान करना''

Vision

"Delivering excellence in financial services through customer focus, employee engagement and sustainable growth"

मिशन

- हमारी सेवाओं में सर्वोत्तम नवोन्मेष एवं प्रौद्योगिकी का समावेश करना
- सभी चैनलों के माध्यम से प्रत्येक ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करना
- हितधारकों की आवश्यकताओं एवं हितों का उचित ध्यान रखना
- कर्मचारियों को सशक्त एवं भागीदार बनाना

Mission

- Bring the best of innovation and technology in our offerings
- Be responsive to the unique needs of every customer through all channels of choice
- To provide value to stake holders
- Empower and engage our employees

31.03.2022 को निदेशक मंडल
BOARD OF DIRECTORS AS ON 31.03.2022



श्री एस एल जैन
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Shri S L Jain
Managing Director & Chief Executive Officer



श्री शेणॉय विश्वनाथ वी
कार्यपालक निदेशक
Shri Shenoy Vishwanath V
Executive Director



श्री इमरान अमीन सिद्दीकी
कार्यपालक निदेशक
Shri Imran Amin Siddiqui
Executive Director



श्री अश्वनी कुमार
कार्यपालक निदेशक
Shri Ashwani Kumar
Executive Director



श्री संजीव कौशिक
सरकार द्वारा नामित निदेशक
Shri. Sanjeev Kaushik
Government Nominee Director



डॉ आदित्य गेहा
आरबीआई द्वारा नामित निदेशक
Dr. Aditya Gaiha
RBI Nominee Director



डॉ. भरत कृष्ण शंकर
शेयरधारक निदेशक
Dr. Bharath Krishna Sankar
Shareholder Director



सुश्री पापिया सेनगुप्ता
शेयरधारक निदेशक
Ms. Papia Sengupta
Shareholder Director



श्री बालमुकुंद सहाय
अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक
Shri Balmukund Sahay
Part-time Non-Official Director



श्री विश्वेश कुमार गोयल
अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक
Shri Vishvesh Kumar Goel
Part-time Non-Official Director

मुख्य सतर्कता अधिकारी / CHIEF VIGILANCE OFFICER



श्री सुधाकर आर अय्यर
Shri Sudhakar R Iyer

31.03.2022 को महाप्रबंधकगण / GENERAL MANAGERS AS ON 31.03.2022



श्री विकास कुमार
Shri Vikas Kumar



श्री वेंकटेश पेरुमाल पी
Shri Venkatesa Perumal P



श्री सुधांशु गौड़
Shri Sudhanshu Gaur



श्री कामिरेड्डी चंद्रा रेड्डी
Shri Kamireddy Chandra Reddy



श्री मुक्ति नाथ पटेल
Shri Mukti Nath Patel



श्री रविंदर सिंह
Shri Ravinder Singh



श्री अभय कुमार महापात्रा
Shri Avaya Kumar Mohapatra



श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया
Shri Hardeep Singh Ahluwalia



सुश्री दीप्ति श्रीवास्तव
Ms. Dipti Shrivastava



श्री बिजय कुमार सारंगी
Shri Bijay Kumar Sarangi



श्री सतीश कुमार
Shri Satish Kumar



सुश्री जफिया फरीद तोट्टत्तु कुडियिल
Ms. Zaphia Fareed Thottathikudiyil



श्री सुधाकर राव के एस
Shri Sudhakara Rao K S



श्री बिनय कुमार सिंह
Shri Binoy Kumar Singh



श्री भारती सी
Shri Bharathi C



श्री महेश कुमार बजाज
Shri Mahesh Kumar Bajaj

महाप्रबंधकगण / GENERAL MANAGERS


श्री सुजीत कुमार डे
Shri Sujit Kumar Dey


श्री गोपी कृष्णन सी आर
Shri Gopi Krishnan C R


श्री शशि भूषण दाश
Shri Sashi Bhusan Dash


श्री रोहित ऋषि
Shri Rohit Rishi


श्री अरुण कुमार बंसल
Shri Arun Kumar Bansal


सुश्री माया नागराजन वी
Ms. Maya Nagarajan V


श्री भक्तुला सूरिबाबू
Shri Bhaktula Suribabu


श्री अशोक पटनायक
Shri Ashok Patnaik


श्री गणेशरामन ए
Shri Ganesaraman A


श्री अमरेन्द्र कुमार साही
Shri Amarendra Kumar Shahi


श्री धनराज टी
Shri Dhanaraj T


श्री दीपक सारड़ा
Shri Deepak Sarda


श्री सुजय मलिक
Shri Sujay Mallik


सुश्री वैलरी रथ
Ms. Vallery Rath


श्री सुधीर कुमार गुप्ता
Shri Sudhir Kumar Gupta


श्री सुरेश कुमार एस
Shri Suresh Kumar S


श्री सुख सागर प्रसाद राय
Shri Sukh Sagar Prasad Roy


श्री जी. राजेश्वर रेड्डी
Shri G. Rajeswara Reddy


सुश्री गायत्री एस
Ms. Gayathri S


श्री मनोज कुमार दास
Shri Manoj Kumar Das


श्री पंकज त्रिपाठी
Shri Pankaj Tripathi


श्री मुल्लपुडि बालाजी सुरेश कुमार
Shri Mullapudi Balaji Suresh Kumar


श्री वेंकटेशन एम
Shri Venkatesan M


श्री दीपक गुप्ता
Shri Deepak Gupta



वी. कृष्णस्वामी अय्यर
इंडियन बैंक के संस्थापक

V. Krishnaswamy Iyer
Founder of Indian Bank

बैंक की स्थापना से लेकर अब तक का संक्षिप्त इतिहास
A BRIEF HISTORY OF THE BANK SINCE ITS INCORPORATION

1907

- बैंक को 5 मार्च, 1907 को 20 लाख की अधिकृत पूंजी के साथ स्थापित किया गया और 15 अगस्त, 1907 को बैंक ने अपना व्यवसाय शुरू किया।
- वर्ष 1907 में, इंडियन बैंक लिमिटेड ने अपने प्रतीक के हिस्से के रूप में 'बरगद' वृक्ष को अपनाया था जो प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति, सर्वत्र विकास और निरंतर बढ़ती हुई समृद्धि का द्योतक था।

Bank was incorporated on March 5, 1907 with an Authorized Capital of ₹20 lakhs and commenced its business on August 15, 1907.

In the year 1907, the Indian Bank Ltd. had the tree **'Banyan'** as a part of its emblem denoting an all around progress, growth (far and wide) and an ever increasing prosperity.

1921

बैंक की पूंजी रु. 20 लाख से बढ़कर रु.60 लाख हो गई।

Bank's capital was raised to ₹60 lakhs from ₹ 20 lakhs.

1932

बैंक ने रजत जयंती मनाई।

बैंक ने कोलंबो में पहली विदेशी शाखा खोली।

- **Bank celebrated its Silver Jubilee**
- Bank opened its first overseas operations in Colombo

1941

सिंगापुर शाखा खोली गई।

- Singapore branch was opened

1957

बैंक ने स्वर्ण जयंती मनाई।

- **Bank celebrated its Golden Jubilee**

1967

बैंक ने हीरक जयंती मनाई।

- **Bank celebrated its Diamond Jubilee**

1978

एक केंद्रीय बिंदु बनाते हुए तीन चक्करदार तीर के रूप में बैंक के लोगो को स्वीकृति मिली।

- Bank's logo comprising of three circling arrows arranged around a central point was approved.

1982

बैंक ने प्लेटिनम जुबली मनाई।

- **Bank celebrated its Platinum Jubilee.**

1990

- **157 शाखाओं वाले बैंक ऑफ तंजावुर लिमिटेड (बीओटी) को बैंक के साथ समामेलित किया गया।**
- **Bank of Thanjavur Ltd. (BoT) with 157 branches was amalgamated with the Bank.**

2006

महामहिम राष्ट्रपति श्री ए पी जे अब्दुल कलाम द्वारा 4 सितंबर को शताब्दी वर्ष समारोह का उद्घाटन किया गया।

- The centenary year celebration was inaugurated by His Excellency the President of India Shri. A P J Abdul Kalam on 4th September.

2007

बैंक फरवरी, 2007 में प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव लाया।

- **Bank went in for Initial Public Offer in February, 2007.**

2008

100 प्रतिशत कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस (सीबीएस) का अनुपालन किया गया।

- Achieved 100 per cent Core Banking Solutions (CBS) compliant

2019

इंडियन बैंक द्वारा प्रायोजित पल्लवन ग्राम बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा प्रायोजित पांडियन ग्राम बैंक के सफल समामेलन के बाद 1 अप्रैल 2019 को 'तमिलनाडु ग्राम बैंक' का परिचालन शुरू हुआ।

- Tamil Nadu Grama Bank' commenced operations on 1st April 2019 after a successful amalgamation of Pandyan Grama Bank of Indian Overseas Bank with Bank's Pallavan Grama Bank.

भारत सरकार ने इंडियन बैंक में 155 वर्षों की विरासतवाले इलाहाबाद बैंक के समामेलन की घोषणा की।

- Government of India announced Amalgamation of Allahabad Bank – a bank with 155 years legacy into Indian Bank.

2020

बैंक ने 1 अप्रैल, 2020 को समामेलित इकाई के रूप में परिचालन शुरू किया। दोनों बैंकों के सीबीएस सिस्टम का एकीकरण 14.02.2021 को पूरा किया गया।

- Bank commenced its operation as an amalgamated entity from 1st April 2020. The integration of CBS systems of both the Banks was completed on 14.02.2021.

2022

बैंक ने ₹ 10 लाख करोड़ से अधिक का वैश्विक कारोबार प्राप्त किया।

- Bank's Global Business surpassed ₹10 lakh Cr.

कॉर्पोरेट कार्यालय : 254-260, अव्वै षण्मुगम सालै
चेन्नै - 600 014

वार्षिक रिपोर्ट 2021–22

विषयवस्तु

	पृष्ठ सं.
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश	1
निदेशकों की रिपोर्ट	7
प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण	10
कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट	30
कॉर्पोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट	41
कॉर्पोरेट अभिशासन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	71
सीईओ एवं सीएफओ द्वारा अनुपालन प्रमाणपत्र	72
सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट	73
स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण :	
• तुलन पत्र, लाभ एवं हानि लेखा और अनुसूचियाँ	77
• मुख्य लेखांकन नीतियां	89
• लेखों पर टिप्पणियां	94
• लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	135
समेकित वित्तीय विवरण :	
• तुलन पत्र, लाभ एवं हानि लेखा और अनुसूचियाँ	143
• मुख्य लेखांकन नीतियां	153
• लेखों पर टिप्पणियां	161
• लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	178
बेसल – III प्रकटीकरण	183

इंडियन बैंक
निवेशक सेवाएं कक्ष
संख्या. 254-260, अव्वै षण्मुगम सालै
रायपेट्टा
चेन्नै – 600 014
दूरभाष सं. 044 2813 4698; फैक्स सं. 044 28134075
ई–मेल : investors@indianbank.co.in

शेयर अंतरण एजेंट
केमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज़ लिमिटेड
यूनिटः : इंडियन बैंक
सुब्रमणियन बिल्डिंग, 1, क्लब हाउस रोड
चेन्नै – 600 002
दूरभाष सं. 044 28460718; फैक्स सं. 044 28460129
ई–मेल : investor@cameoindia.com

लेखापरीक्षक

कृते मे. श्री राममूर्ति एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

कृते मे. रविरंजन एण्ड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार

कृते मे. पी के एफ श्रीधर एण्ड संथानम एलएलपी
सनदी लेखाकार

कृते मे. जी. नटेसन एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

कृते मे. एसएआरसी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

सचिवीय लेखा परीक्षक

वी. सुरेश एसोसिएट्स
व्यावसायिक कंपनी सचिव

Corporate Office : 254-260, Avvai Shanumugam Salai
Chennai - 600 014

Annual Report 2021-22

CONTENTS

	Page No.
MD & CEO's Message	1
Directors' Report	233
Management Discussion and Analysis	236
Business Responsibility Report	256
Report on Corporate Governance	267
Auditors' Certificate on Corporate Governance	297
Compliance Certificate by CEO and CFO	298
Secretarial Audit Report	299
Standalone Financial Statements :	
• Balance Sheet, Profit and Loss Account and Schedules	303
• Significant Accounting Policies	315
• Notes on Accounts	320
• Auditors' Report	361
Consolidated Financial Statements :	
• Balance Sheet, Profit and Loss Account and Schedules	369
• Significant Accounting Policies	379
• Notes on Accounts	386
• Auditors' Report	403
Basel - III Disclosures	409

Indian Bank
Investor Services Cell
No.254-260, Avvai Shanmugam Salai
Royapettah
Chennai - 600 014
Tel No. 044 2813 4698; Fax No. 044 28134075
E-Mail : investors@indianbank.co.in

Share Transfer Agent
Cameo Corporate Services Limited
Unit : Indian Bank
Subramanian Building, 1, Club House Road
Chennai - 600 002
Tel No. 044 28460718; Fax No. 044 28460129
E-Mail : investor@cameoindia.com

Auditors

For M/s Sriramamurthy & Co.
Chartered Accountants

For M/s Ravi Rajan & Co. LLP
Chartered Accountants

For M/s PKF Sridhar & Santhanam LLP
Chartered Accountants

For M/s G. Natesan & Co.
Chartered Accountants

For M/s SARC & Associates
Chartered Accountants

Secretarial Auditor

V. SURESH ASSOCIATES
Practising Company Secretary

कॉर्पोरेट कार्यालय : 254 - 260 अव्वै षण्मुगम सालै
Corporate Office : 254-260, Avvai Shanmugam Salai
चेन्नै Chennai - 600 014

वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 2021-22

निष्पादन की प्रमुख बातें PERFORMANCE HIGHLIGHTS

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

विवरण Particulars	31.03.18*	31.03.19*	31.03.20*	31.03.21	31.03.22
कुल कारोबार Total Business	371020	429972	466116	928388	1009243
जमाएं (ग्लोबल) Deposits (Global)	208294	242076	260226	538071	593618
अग्रिम (ग्लोबल) Advances (Global)	162726	187896	205890	390317	415625
निवेश (सकल) Investments (Gross)	71232	66117	82622	181991	180235
ब्याज आय Interest Income	17113	19185	21405	39106	38856
गैर ब्याज आय Non Interest Income	2406	1883	3312	5650**	6915
कुल आय Total Income	19519	21068	24717	44756**	45771
ब्याज व्यय Interest Expenses	10850	12167	13798	23440	22128
परिचालनगत व्यय Operating Expenses	3668	4020	4421	10349	10926
कुल व्यय Total Expenditure	14518	16187	18219	33789	33054
परिचालनगत लाभ Operating Profit	5001	4881	6498	10967**	12717
निवल लाभ Net Profit	1259	322	753	3005	3945
जमा लागत (%) Cost of Deposits (%)	5.40	5.28	5.34	4.44	3.97
अग्रिमों पर प्रतिफल (%) Yield on Advances (%)	8.50	8.45	8.46	7.45	7.21
निवल ब्याज मार्जिन (%) Net Interest Margin (%)	2.90	2.96	2.87	2.81	2.93
आस्तियों पर प्रतिफल (%) Return on Assets (%)	0.53	0.12	0.26	0.50	0.63
ईक्विटी शेयर पूंजी Equity Share Capital	480	480	609	1129	1245
रिज़र्व एवं अधिशेष (पुनर्मूल्यन रिज़र्व को छोड़कर) Reserves & Surplus (excluding Revaluation Reserve)	15347	15813	18493	31528	36252
निवल संपत्ति Net Worth	15827	15785	18357	29812	33625
सकल एनपीए (%) Gross NPA (%)	7.37	7.11	6.87	9.85	8.47
निवल एनपीए (%) Net NPA (%)	3.81	3.75	3.13	3.37	2.27
पूंजी पर्याप्तता अनुपात - बेसल III Capital Adequacy Ratio - Basel III	12.55	13.21	14.12	15.71	16.53
प्रति शेयर अर्जन (₹) Earnings Per Share (₹)	26.21	6.70	14.33	26.61	32.38
प्रति शेयर बही मूल्य (₹) Book Value per Share (₹)	329.53	328.64	301.53	263.98	269.98
प्रति ईक्विटी शेयर लाभांश (₹) Dividend per Equity Share (₹)	---	--	--	2.00	6.50
शाखाओं की संख्या (नंबर) No. of branches (Nos.)	2823	2875	2890	6007	5735
कर्मचारियों की संख्या (नंबर) No. of employees (Nos.)	19843	19604	18758	41629	39803
प्रति कर्मचारी कारोबार (₹ लाखों में) Business per employee (₹ in lacs)	1856	2174	2462	2217	2520

*आंकड़े पूर्व–समामेलन अवधि के स्टैंडअलोन इंडियन बैंक के वित्तीय परिणामों से संबंधित हैं, अतः इनकी तुलना समामेलन पश्चात वित्तीय परिणामों के साथ न की जाए।

*Figures are related to standalone Indian Bank financial results for pre-amalgamation period, hence not comparable with post amalgamation financial results.

** जहां भी आवश्यक हो, चालू वर्ष के आंकडों के अनुरूप बनाने के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः वर्गीकृत किया गया है – वित्तीय विवरणों पर आरबीआई के मास्टर निदेशों के आलोक में – प्रस्तुतिकरण एवं प्रकटीकरण दिनांकित 30.08.2021।

** Figures of earlier period have been regrouped wherever necessary to confirm the current year classification - In the light of RBI Master Direction on Financial Statements – Presentation and Disclosures dated 30.08.21



प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश
MD & CEO's Message

एस एल जैन
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

S L Jain
MANAGING DIRECTOR & CEO

प्रिय शेयरधारको,

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान आपके बैंक के निष्पादन की प्रमुख विशेषताओं को आपके सामने प्रस्तुत करते हुए मुझे अति प्रसन्नता हो रही है। आपका बैंक विकास पथ पर गतिशील है और इस वर्ष के दौरान बैंक की उपलब्धियों और पहलों का विवरण वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है।

आपके बैंक ने यह उपलब्धि ऐसे आर्थिक माहौल के दौरान प्राप्त की है जब भारतीय अर्थव्यवस्था ने कई बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से जूझते हुए अच्छा निष्पादन किया है। मैं मौजूदा वित्तीय तंत्र और वैश्विक व भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति को संक्षेप में प्रस्तुत करना चाहता हूँ।

वैश्विक अर्थव्यवस्था :

यूक्रेन में युद्ध और वस्तुओं की कीमतों पर इसके परिणामी प्रभाव ने विश्व स्तर पर विकास को बाधित किया है। यह कच्चे तेल की अस्थिर कीमतों, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ती ब्याज दरों, दुनिया के कुछ हिस्सों में बढ़े हुए व्यापारिक तनाव और भू–राजनीतिक अनिश्चितताओं से प्रभावित था। अति मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए, यूएस–संघ ने पहले ही नीतिगत दरों को मार्च'22 में 25 बीपीएस और मई'22 में 50 बीपीएस बढ़ा दिया है और आगामी महीनों में इसमें बढ़ोतरी की संभावना है। चीन के सख्त और व्यापक कोविड–19 प्रतिबंधों ने कारखानों में उत्पादन को रोक दिया और घरेलू मांग को संकुचित कर दिया, जिससे व्यापक आर्थिक संकट पैदा हो गया।

बाधित आपूर्ति और तीव्र आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण वस्तुओं की अधिक कीमतों ने मुद्रास्फीति के दबाव को बढ़ा दिया है, जिससे परिवारों की वास्तविक आय कम हो गई। परिणामस्वरूप, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2022 और 2023 के लिए वैश्विक विकास अनुमानों को घटाकर 3.6% कर दिया है।

भारतीय अर्थव्यवस्था :

यद्यपि भारतीय अर्थव्यवस्था धीमी खपत मांग और बढ़ते राजकोषीय घाटे के कारण प्रभावित हुई थी फिर भी, यह विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा वित्त वर्ष 22 के लिए जारी द्वितीय पूर्व अनुमान के तहत वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि को

Dear Shareholders,

It is my privilege to present before you the highlights of your Bank's performance during the financial year 2021-22. Your Bank continued to be on the growth trajectory and the details of achievements and initiatives of the Bank are provided in the Annual Report for the year.

The performance of your Bank came in an economic environment where the Indian economy did well despite multiple challenges faced externally as well as internally. Let me begin with a short glimpse of the prevailing financial eco-system and the outlook for global and Indian economy.

Global Economy:

The war in Ukraine and its consequent impact on commodity prices cast a cloud on the growth outlook globally. It was buffeted by volatile crude prices, rising interest rates in the Advanced Economies, heightened trade tensions and geopolitical uncertainties in some parts of the world. To curb runaway inflations, the US-Fed has already increased the policy rates by 25bps in Mar'22, 50bps in May'22 and more hikes are expected in coming months. China's tighter and wider COVID-19 curbs halted factory production and crimped domestic demand, adding to wider economic woes.

Higher commodity prices due to disrupted supplies and intensified economic uncertainties have fuelled inflationary pressures, squeezing real incomes of households. Consequently, the International Monetary Fund has scaled down the global growth projections for 2022 and 2023 to 3.6%.

Indian Economy:

Although, Indian economy was affected by slowing consumption demand and concerns on widening fiscal deficit, it continues to be one of the fastest growing economies in the world. The second advance estimates for FY22 released by

8.9% रखा गया जो महामारी (2019–20) के पूर्व अनुमानित स्तर से 1.8% अधिक है।

भू–राजनीतिक संघर्षों के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बाधा पड़ रही है और वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो रही हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था का नकारात्मक वैश्विक प्रतिक्रियाओं से मुक्त रहना संभव नहीं है। आरबीआई को आशा है कि वित्त वर्ष 2023 में वास्तविक जीडीपी 7.2% की दर से बढ़ेगी और अनुमानित मुद्रास्फीति 5.7% रहेगी। अनुकूल मानसून के कारण रबी के अच्छे उत्पादन की संभावनाएं ग्रामीण मांग के शुभ संकेत देती हैं। तीसरी लहर की धीमी गति और टीकाकरण कवरेज के विस्तार के साथ, निकट भविष्य में संपर्क–गहन सेवाओं और शहरी मांग में तेजी आने की आशा है।

महामारी के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में समग्र रूप से वृद्धि देखी गई है और आशा है कि यह वैश्विक अस्थिरता का भी सामना कर सकेगी।

बैंकिंग क्षेत्र :

आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022 के दौरान उदार रुख बनाए रखा, प्रणाली में पर्याप्त तरलता सुनिश्चित की और अर्थव्यवस्था में निरंतर विकास के लिए कई उपायों की घोषणा की। फिर भी, वैश्विक संघर्ष के कारण, अप्रैल 22 में मुद्रास्फीति 8 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, आरबीआई ने एक ऑफ–साइकिल एमपीसी बैठक आयोजित की और लगभग 2 वर्षों के बाद नीतिगत दरों में 40 बीपीएस की वृद्धि की गई।

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र पर्याप्त रूप से पूंजीकृत है और लगभग सभी प्रमुख श्रेणियों के उधारकर्ताओं से ऋण की मांग में उत्साहजनक वृद्धि आई है। वित्त वर्ष 2022 के दौरान भारत में एससीबी ने सभी व्यावसायिक मापदंडों में निरंतर वृद्धि दर्ज की है। वित्त वर्ष 2022 के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा ऋण वितरण में धीरे–धीरे वृद्धि हुई है।

बैंक का निष्पादन – वित्त वर्ष 2022

इस पृष्ठभूमि में, मैं वित्त वर्ष 22 के दौरान बैंक के निष्पादन का एक स्नैपशॉट प्रस्तुत करना चाहता हूं।

बैंक नेटवर्क :

वर्तमान में, बैंक का भारत भर में एक व्यापक शाखा नेटवर्क है, जिसमें 5732 शाखाएँ, 4925 एटीएम और बीएनए के साथ–साथ 9657 व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) शामिल हैं। इस वर्ष, बैंक के समग्र विकास हेतु गुणवत्तापूर्ण व्यवसाय अर्जन के लिए बैंक संभावित केंद्रों की पहचान कर रही है। ये केंद्र नए और विकासशील क्षेत्रों में स्थित होंगे, विशेष रूप से टियर–I और टियर–II शहरों और बैंक रहित ग्रामीण केन्द्रों में जो बहुत तेजी से विस्तार कर रहे हैं।

लैंडमार्क कारोबार आंकड़ा :

वित्त वर्ष 2022 की सभी चार तिमाहियों में बैंक ने सभी प्रमुख व्यावसायिक मापदंडों में अच्छा निष्पादन किया। मार्च 22 में बैंक के निष्पादन की मुख्य विशेषता यह रही कि इसने ₹10 लाख करोड़ सकल व्यवसाय प्राप्त कर लिया और इसमें

the National Statistical Office (NSO) placed the real Gross Domestic Product (GDP) growth at 8.9%, 1.8% above the pre-pandemic (2019-20) level.

As the Geopolitical conflicts continues to disrupt the global supply chain and inflate prices of goods and commodities, the Indian economy is not expected to remain immune from the negative global reactions. RBI expects the real GDP to grow at 7.2% and projected inflation at around 5.7% in FY23. Good prospects of rabi output on the back of favourable monsoon augur well for rural demand. With the ebbing of the third wave and expanding vaccination coverage, pick-up in contact-intensive services and urban demand is expected to be sustained in the near future.

Indian economy overall showed resilience during pandemic years and is also expected to weather the present global turbulence.

Banking Sector

RBI maintained its accommodative stance throughout FY22, ensured adequate liquidity in the system and announced several measures for the continuous growth in the economy. However, due to global conflict, inflation surged to near 8-year high in Apr'22, RBI conducted an off-cycle MPC meeting and hiked the Policy rates by 40bps after almost 2 years.

The Indian Banking sector is sufficiently capitalised and the demand for credit from almost all the major categories of borrowers is encouraging. The SCBs in India posted continuous growth across all the business parameters in FY22. Demand for credit disbursed by Scheduled Commercial Banks (SCBs) has improved gradually through FY22.

Bank's Performance - FY22

Against this backdrop, I would like to present a snapshot of the Bank's performance during FY22.

Bank's Footprint:

Currently, the Bank has an extensive branch network across India, comprising 5732 branches, 4925 ATMs and BNAs as well as over 9657 Business Correspondents (BCs). This year, Bank is in the process of identifying potential centres to tap quality business to support the overall growth of the Bank. These centres would be located in the new and developing areas across centres, especially in Tier-I and Tier-II cities and Unbanked Rural Centres which are expanding very fast.

Landmark Business Figure:

Bank performed well in all key Business parameters in all the four quarters of FY22. The highlight of the Bank's performance was achieving landmark of ₹10 Lakh Cr in Gross Business in

वर्ष–दर–वर्ष 9% की वृद्धि हुई। इस वृद्धि में जमाराशियों में 10% की वृद्धि और सकल अग्रिमों में 6% की वृद्धि शामिल है। मार्च 22 में बैंक की जमाराशि और अग्रिम क्रमश: ₹593618 करोड़ और ₹415625 करोड़ थी।

मजबूत कासा :

बैंक ने अपनी कम लागत की जमाओं का आधार बनाए रखा है, जिससे मार्जिन में सुधार हुआ है। वित्त वर्ष 2022 में बैंक का कासा अनुपात 42% पर बना रहा। मूल्य के संदर्भ में, कासा जमा वित्त वर्ष 2021 में ₹227595 करोड़ से 9% वर्ष–दर–वर्ष बढ़कर वित्त वर्ष 2022 में ₹247926 करोड़ हो गया।

रैम (रिटेल, कृषि और एमएसएमई) और कॉर्पोरेट अग्रिम :

बैंक ने विभिन्न क्षेत्रों में ऋण दिया है जिसमें रैम का हिस्सा वित्तीय वर्ष'21 के 58% के सापेक्ष 61% रहा। ₹395698 करोड़ के कुल देशी ऋण पोर्टफोलियो में वित्तीय वर्ष'22 में आरएएम क्षेत्र का हिस्सा ₹242700 करोड़ रहा। रिटेल, कृषि और एमएसएमई क्षेत्रों में क्रमशः 15%, 12% और 6% की वृद्धि हुई है। पिछले दो वर्षों से आर्थिक मंदी के कारण वित्त वर्ष 2022 में कॉर्पोरेट ऋण में 5% की कमी के साथ ₹152998 करोड़ रहा।

कोविड–19 की दूसरी और तीसरी लहर के दौरान, बैंक ने महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को जीवन प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) सहित अति आवश्यक ऋण सुविधाएं प्रदान करके ग्राहकों का सहयोग करना जारी रखा।

आय और लाभप्रदता :

बैंक की निवल ब्याज आय पिछले वर्ष के ₹15666 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2022 में ₹16728 करोड़ हो गई, जिसमें वर्ष–दर–वर्ष 7% की वृद्धि हुई है। फलस्वरूप, परिचालन लाभ में 16% की वृद्धि दर्ज की गई, जो पिछले वर्ष के ₹10967 करोड़े की तुलना में ₹12717 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। वित्त वर्ष 2022 में बैंक का निवल लाभ 31% बढ़कर ₹3945 करोड़ हो गया, जो वित्त वर्ष 2021 में ₹3005 करोड़ था।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र :

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम ₹148806 करोड़ था और यह तिमाही औसत प्रतिशत के रूप में आरबीआई द्वारा निर्धारित समायोजित निवल बैंक ऋण के 40.00% के अनिवार्य लक्ष्य के सापेक्ष 43.83% था। मार्च'22 की समाप्ति पर कृषि ऋण ₹68936 करोड़ था और यह तिमाही औसत प्रतिशत के रूप में आरबीआई द्वारा निर्धारित एएनबीसी के 18.00% के अनिवार्य लक्ष्य के सापेक्ष 20.10% था।

स्वयं सहायता समूह ऋण :

वित्तीय वर्ष'22 के दौरान, बैंक का एसएचजी पोर्टफोलियो पिछले वर्ष ₹7785 करोड़ के सापेक्ष 22% वर्ष–दर–वर्ष बढ़कर ₹9524 करोड़ तक पहुंच गया, जिसमें 31 मार्च'22 को 3.30 लाख एसएचजी शामिल थे।

Mar'22 and grew by 9% YoY. The growth was aided by 10% growth in deposit and 6% in Gross advances. The deposit and advances of the Bank stood at ₹593618 Cr and ₹415625 Cr in Mar'22 respectively.

Strong CASA:

Bank has maintained its low cost deposit base, which aided in improving the margins. Bank's CASA ratio was maintained at 42% in FY22. In value terms, CASA deposits increased by 9% YoY from ₹227595 Cr in FY21 to ₹247926 Cr in FY22.

RAM (Retail, Agriculture and MSME) and Corporate Advances:

Bank has a well-diversified credit book constituting 61% share of RAM increasing from 58% in FY21. Out of total domestic credit portfolio of ₹395698 Cr, RAM constitutes ₹242700 Cr in FY22. The Retail, Agriculture and MSME sectors grew by 15%, 12% and 6% respectively. The Corporate loan book moderated by 5% at ₹152998 Cr in FY22 due to economic slowdown for last couple of years.

During the second and the third wave of covid-19, the Bank continued to extend support to the customers by providing much needed credit facilities including Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS) to bring lifeline in the pandemic hit economy.

Earnings and Profitability:

Net Interest Income of the Bank increased to ₹16728 Cr in FY22 from ₹15666 Cr in the previous year, registering a growth of 7% YoY. Consequently, Operating Profit recorded a growth of 16% to reach ₹12717 Cr as compared to ₹10967 Cr in the previous year. Net Profit of the Bank grew substantially by 31% to ₹3945 Cr in FY22 as against ₹3005 Cr in FY21.

Priority Sector:

Priority Sector Advances were at ₹148806 Cr for the year ended March 31, 2022 and as a percentage to quarterly average Adjusted Net Bank Credit (ANBC) stood at 43.83% as against the RBI mandatory target of 40.00%. Agriculture Credit stood at ₹68936 Cr at the end of Mar'22 and the percentage to quarterly average ANBC was 20.10% as against the RBI mandatory target of 18.00%.

Self Help Group (SHG) Lending:

During the FY22, SHG portfolio of the bank grew at 22% YoY to reach ₹9524 Cr involving 3.30 lakh SHGs as on 31 Mar'22 as against ₹7785 Cr previous year.

Bank has been awarded the Best Performing Bank – SHG Bank Linkage for FY21 by Government of India. It has also

बैंक को भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष, 21 के लिए सर्वश्रेष्ठ निष्पादन करने वाले बैंक – एसएचजी बैंक लिंकेज से सम्मानित किया गया है। इसे वित्तीय वर्ष 2021 के लिए "तमिलनाडु में एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम" के तहत निष्पादन में उत्कृष्टता के लिए नाबार्ड द्वारा पीएसबी वर्ग में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

आस्ति गुणवत्ता :

सकल गैर–निष्पादित परिसंपत्तियां (जीएनपीए) पिछले वित्त वर्ष में 9.85% के सापेक्ष घटकर वित्तीय वर्ष 22 में ₹35214 करोड़ पर 8.47% हो गई। इसी अवधि के दौरान निवल एनपीए भी 110 बीपीएस की गिरावट के साथ ₹8849 करोड़ हो गई और यह वित्तीय वर्ष 21 में 3.37% के सापेक्ष, 31 मार्च, 2022 को 2.27% थी।

मजबूत पूंजी संरचना :

बेसल III दिशानिर्देशों के अनुसार परिकलित बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) मार्च 22 को 16.53% के अच्छे स्तर पर था, जिसमें टियर– I पूंजी 13.17% थी। कुल मिलाकर, 31 मार्च, 2022 तक कुल जोखिम भारित संपत्ति ₹308938 करोड़ थी। वर्ष के दौरान, बैंक ने अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) के माध्यम से ₹1650 करोड़ की इक्विटी पूंजी जुटाई। 31 मार्च, 2021 को सरकार की धारिता 88.06% से घटकर 31 मार्च, 2022 को 79.86% हो गई है।

वित्तीय समावेशन पहल :

वित्तीय समावेशन के तहत बैंक का निष्पादन उल्लेखनीय रहा। मार्च 22 की स्थिति के अनुसार, बैंक ने 185.06 लाख पीएमजेडीवाई खाते खोले जिसमें बकाया राशि ₹7609 करोड़ थी और इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 12.24% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा, बैंक ने 7.05 लाख पात्र खाताधारकों को ओवरड्राफ्ट स्वीकृत किया है और लगभग 60% खातों को रूपे कार्ड जारी किए हैं। पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के तहत दावा निपटान अनुपात क्रमशः 94.80% और 97.90% था।

प्रौद्योगिकी का उपयोग :

ग्राहक की सुविधा के लिए उत्पाद/सेवाएं प्रदान करने में डिजिटल बैंकिंग का महत्वपूर्ण स्थान है। डिजिटल क्षेत्र में ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ाने के लिए, बैंक उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। वित्तीय वर्ष 22 की चौथी तिमाही के दौरान, बैंक के 77% लेनदेन डिजिटल/एटीएम/बीएनए चैनलों के माध्यम से किए गए, जो वित्तीय वर्ष 21 की चौथी तिमाही में 60% था। एटीएम, वेबसाइट, मोबाइल बैंकिंग, चैटबॉट, सोशल मीडिया जैसे विभिन्न चैनलों के माध्यम से उत्पन्न लीड को व्यापार में उनके प्रभावी रूपांतरण के लिए लीड मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) से एकीकृत किया गया है। वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने बिजनेस लीड, रिटेल और एमएसएमई ऋण उत्पादों की क्रॉस सेलिंग आदि के लिए पूर्ण डेटा एनालिटिक्स समाधान लागू किया है।

been awarded First Prize among PSBs by NABARD for Excellence in performance under "SHG Bank Linkage Programme in Tamil Nadu" for FY21.

Asset Quality:

Gross Non-Performing Assets (GNPA) reduced to 8.47% at ₹35214 Cr in FY22 as against 9.85% in the previous financial year. Net NPA also declined by 110 bps to ₹8849 Cr during the same period and was at 2.27% as on March 31, 2022 as against 3.37% in FY21.

Sound Capital Structure:

Capital Adequacy Ratio (CRAR) of the Bank computed as per Basel III guidelines, stood at comfortable level of 16.53% as on Mar'22 with Tier-I Capital at 13.17%. In absolute term, the total risk weighted asset as on March 31, 2022 was at ₹308938 Cr. During the year, Bank raised Equity Capital of ₹1650 Cr through Qualified Institutional Placement (QIP). Government holding has come down from 88.06% as on March 31, 2021 to 79.86% as on March 31, 2022.

Financial Inclusion Initiatives:

Bank's performance under financial inclusion was noteworthy. As on Mar'22, the Bank opened 185.06 lakhs PMJDY accounts and the outstanding balance stood at ₹7609 Cr which is 12.24% growth over previous year. Further, the Bank has sanctioned overdraft to 7.05 lakhs eligible account holders and issued RuPay cards to around 60% of the accounts. The claim settlement ratio under PMJJBY and PMSBY was 94.80% and 97.90% respectively.

Leveraging Technology

Digital Banking has become a great enabler in providing products/services to the convenience of the customer. Bank has embarked upon promoting products and services to enhance customer satisfaction in the digital space. During Q4FY22, 77% of the Bank's transactions were carried out through Digital/ATM/BNA Channels as against 60% during Q4FY21. Leads generated through various channels like ATM, Website, Mobile Banking, Chatbot, Social Media are integrated with Lead Management System (LMS) for their effective conversion into business. During the financial year, Bank has implemented full-fledged Data Analytics solution for generation of business leads, cross selling of Retail & MSME loan products etc.

मानव संसाधन पहल :

व्यवसाय और कर्मचारियों की अपेक्षाओं को पूरा करने में मानव संसाधन की सक्रिय भूमिका संस्था को विशिष्ट और कर्मचारी अनुकूल बनाती है। सेवारत और सेवानिवृत्त स्टाफ सदस्यों के लिए मुफ्त ऑनलाइन डॉक्टर परामर्श के लिए बैंक का मैसर्स प्रैक्टो के साथ टाई–अप है। बैंक ने कर्मचारियों के लिए इंटरैक्टिव डैशबोर्ड और प्रभावी व्यक्तिगत विकास योजना के साथ, निष्पादन के आवधिक मूल्यांकन के उद्देश्य से न्यू एज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम (पीएमएस) भी विकसित किया है। बैंक ने "इंड परामर्श" की शुरुआत की है जो गंभीर बीमारी से पीड़ित कर्मचारियों द्वारा स्थानांतरण अनुरोधों को पंजीकृत करने के लिए एक विशेष पोर्टल है।

नई पहल :

24X7 डिजिटल सॉल्यूशन प्रदान करने के लिए, बैंक ने 3 क्लिक में तत्काल संवितरण और एंड टू एंड डिजिटलीकरण के साथ पूर्व स्वीकृत व्यक्तिगत ऋण उत्पाद लॉन्च किया है।

डिजिटल मोड के माध्यम से केसीसी नवीकरण, मुद्रा और गोल्ड लोन से संबंधित हामीदारी प्रस्तावों को शीघ्र ही लाइव किया जाएगा।

एमएसएमई उद्यमियों के लिए एमएसएमई प्रेरणा नामक व्यावसायिक परामर्श कार्यक्रम को 10 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में 7 भाषाओं में सफलतापूर्वक शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत 1191 उद्यमियों को प्रशिक्षित किया गया जिनमें से 342 महिलाएं थीं।

'इंड स्प्रिंग बोर्ड' योजना के तहत चिन्हित किए गए स्टार्ट–अप को वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करने के लिए बैंक ने तीन आईआईटी, दो आईआईएम के साथ–साथ आईआईएस बेंगलुरु, वीआईटी वेल्लोर और चेन्नै एंजल्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

आगामी रणनीति :

इंडियन बैंक ने ग्राहकों को जोड़ने और उनकी आवश्यकतानुसार उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने के लिए व्यापक डिजिटल परिवर्तन किया है। यह गुणवत्तापूर्ण ग्राहक सेवा के लिए सबसे बड़ा माध्यम होगा और हमारा मिशन है कि अपनी सेवाओं में सर्वोत्तम नवाचार और प्रौद्योगिकी लाएं और चयनित सभी चैनलों के माध्यम से प्रत्येक ग्राहक की विशेष जरूरतों को पूरा करें।

डिजिटल परिवर्तन के हिस्से के रूप में, बैंक ने "प्रोजेक्ट–वेव" (वर्ल्ड ऑफ एड्वान्स्ड वर्चुअल एक्सपीरियंस) लॉन्च किया है और प्रमुख डिजिटलीकरण पहल के लिए एक विशेष डिजिटलीकरण कक्ष बनाया है। मैसर्स बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप को डिजिटल परिवर्तन सलाहकार के रूप में शामिल किया गया है। पूर्व–स्वीकृत व्यक्तिगत ऋण उत्पाद (पीएपीएल) की कड़ी में, भविष्य में स्वचालित ऋण देने के लिए कई डिजिटल पहलें शुरू करने की योजना है।

बैंक का सामूहिक उद्देश्य अथक कार्रवाई कर गुणवत्तापूर्ण रणनीतिक योजनाओं को निष्पादित करने के लिए प्रतिबद्ध प्रयासों के माध्यम से व्यवस्थित रूप से बैंक का विकास करना है।

HR Initiatives:

The proactive role of HR in foreseeing the necessities of business and employees make the institution special and an employee friendly one. Bank has tied -up with M/s. Practo for free online Doctor consultation for serving and retired staff members. Bank has also developed New Age Performance Management System (PMS) aimed at periodical assessment of performance with interactive dashboard and robust individual development plan for employees. Bank has also introduced "*Ind Paramarsh* "- an exclusive portal for employees suffering from critical illness to register their transfer requests.

New Initiatives:

To provide 24x7 digital solution, Bank has launched Pre approved Personal Loan product with an end to end digitisation with instant disbursement in 3 Clicks.

Underwriting proposals related to KCC Renewal, Mudra & Gold Loan through digital mode would be made live shortly.

MSME Prerana, a business mentorship programme for MSMEs has been successfully rolled out in 10 states/ UTs in 7 languages. Under this programme 1191 entrepreneurs were trained of which 342 were women.

To facilitate funding for identified start-ups under 'Ind Spring Board' scheme, the Bank has signed MOUs with three IITs, two IIMs along with IISc Bangalore, VIT Vellore and Chennai Angels.

Way Forward:

At Indian Bank we have taken up comprehensive digital transformation for customer engagement and personalised offerings of our products and services. This will be the biggest enabler for quality customer service and our mission is to bring the best of innovation and technology in our offerings and be responsive to the unique needs of every customer through all channels of choice.

As a part of digital transformation, the Bank has launched **"Project-WAVE"** (World of Advanced Virtual Experience) and created an exclusive digitisation cell for undertaking key digitisation initiatives. M/s Boston Consultancy Group has been on boarded as digital transformation consultant. In continuation to Pre-Approved Personal Loan product (PAPL), several digital journeys for automated lending are planned to be launched in future.

The collective objective of the Bank is to grow organically through committed efforts to execute strategic plans by achieving scale and quality, driven by relentless action.

बार–बार कर्मचारी–ग्राहक संपर्क के साथ कुशल और उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करने और उन्हें अधिक आसान सुविधा देने के लिए डिजिटल बैंकिंग के उपयोग के बारे में शिक्षित करने पर जोर दिया जाएगा। बैंक में नवोन्मेषी बिक्री संस्कृति को बढ़ावा देने और सभी ग्राहकों द्वारा डिजिटल बैंकिंग अपनाने में तेजी लाने के लिए लीड को व्यवसाय में बदलने पर पर्याप्त ध्यान दिया जाएगा।

आभार

मैं इस अवसर पर बोर्ड के सभी सदस्यों को वर्ष भर के कार्य के दौरान उनके बहुमूल्य समर्थन, मार्गदर्शन और इनपुट के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं बैंक की विकास गाथा में हमारे निष्ठावान ग्राहकों के निरंतर समर्थन को भी स्वीकार करना चाहता हूं। मैं चुनौतीपूर्ण समय में हमारे समर्पित और कर्तव्यनिष्ठ कार्यबल के अथक प्रयासों और उत्कृष्ट निष्पादन के लिए उनकी सराहना करता हूं।

मैं बैंक के सभी प्रयासों में भारत सरकार, आरबीआई, हमारे सभी मूल्यवान शेयरधारकों और अन्य हितधारकों को भी उनके निरंतर विश्वास और समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

हम आगे भी आपके समर्थन, सद्भावना और संरक्षण के आकांक्षी हैं।

शुभकामनाओं सहित,

सादर,

एस एल जैन
एमडी एवं सीईओ

Emphasis would be on offering efficient and excellent customer service with frequent employee-customer connects and educating them about the usage of digital banking for ease and convenience. Adequate focus would be given on conversion of leads into business, to promote innovative sales culture in the Bank and to accelerate digital adaptation by all the customers.

Acknowledgement

I would like to take this opportunity to thank all the members of the Board for their valuable support, guidance and inputs during the course of journey throughout the year. I would also like to acknowledge the unstinted support of our loyal customers in the growth story of the Bank. I appreciate our dedicated and devoted work force for their untiring efforts and outstanding performance in challenging times.

I also wish to sincerely thank the Government of India, RBI, all our valuable shareholders and other stakeholders for their continued confidence and support to the Bank in all its endeavours.

We would continue to look forward for your support, goodwill and patronage.

With best wishes,

Yours sincerely,

S L Jain
MD & CEO

निदेशकों की रिपोर्ट 2021–22

सेवा में

सदस्यगण...

आपके निदेशकों को बैंक के **31 मार्च 2022** को समाप्त वर्ष के लेखा परीक्षित लेखों का विवरण और नकदी प्रवाह विवरण के साथ बैंक की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में अत्यधिक हर्ष हो रहा है।

प्रमुख वित्तीय विवरणियाँ

वित्तीय वर्ष **2021–22 के दौरान आपके बैंक के निष्पादन** की **प्रमुख विवरणियाँ** निम्नानुसार हैं

ए) संसाधन जुटाना और अग्रिम (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.21	31.03.22	वर्ष–दर–वर्ष (%)
देशी जमाएं	529264	584661	10.47
जिसमें से चालू	31861	35969	12.89
बचत	195166	211120	8.17
कासा	227027	247089	8.84
कासा मिश्रण (%)	42.89	42.26	-63 बीपीएस
विदेशी जमाएं	8807	8957	1.70
वैश्विक जमाएं	538071	593618	10.32
देशी अग्रिम(निवल)	379537	395698	4.26
विदेशी अग्रिम(निवल)	10780	19927	84.85
कुल अग्रिम(निवल)	390317	415625	6.48
कुल कारोबार	928388	1009242	8.71
कुल आस्तियां	626005	671668	7.29

1. मार्च 2022 में वैश्विक जमा राशि में 10.32% की वर्ष दर वर्ष वृद्धि हुई और यह ₹ 5,93,618 करोड़ हो गया है।
2. घरेलू कासा 8.84% की वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 2,47,089 करोड़ हुआ। कासा पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए, बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 22 के दौरान 40,87,902 नए कासा खाते खोले गए हैं।
3. बैंक की घरेलू मीयादी जमाओं में वित्तीय वर्ष 21 के 6.92% की तुलना में वित्तीय वर्ष 22 में 11.69% की वृद्धि दर्ज की।
4. बैंक का सकल अग्रिम 31 मार्च, 2022 को वर्ष दर वर्ष आधार पर 6.48% बढ़कर 4,15,625 करोड़ रुपये हो गया, जो 31 मार्च 2021 को 3,90,317 करोड़ रुपये था।
5. 31.03.2022 को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिए गए अग्रिम की राशि **रुपए 1,48,806 करोड़** थी। वित्तीय वर्ष 2022 में समायोजित शुद्ध बैंक ऋण(एएनबीसी) के प्रतिशत के रूप में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के 40.00% अनिवार्य लक्ष्य की तुलना में 45.47% रहा।
6. कृषि ऋण (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र) रुपए **68936 करोड़** रहे और त्रैमासिक औसत समायोजित शुद्ध बैंक ऋण (एएनबीसी) के प्रतिशत के रूप में 18.00% के अनिवार्य लक्ष्य की तुलना में 21% रहा।
7. वित्तीय वर्ष 22 के दौरान आरबीआई द्वारा निर्धारित सभी अनिवार्य लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है।
8. 31 मार्च, 2022 को सकल एनपीए और निवल एनपीए क्रमशः ₹ 35,214 करोड़ (8.47%) और ₹ 8,849 करोड़ (2.27%) था, जबकि 31 मार्च, 2021 में यह क्रमशः ₹38,455 करोड़ (9.85%) और ₹ 12,271 करोड़ (3.37%) था।
9. वित्त वर्ष 22 के दौरान एनपीए की कुल वसूली पिछले वर्ष के ₹ 4,477 करोड़ की तुलना में ₹5,087 करोड़ (एयूसी खातों में वसूली सहित) रही।
10. एयूसी खातों में वित्तीय वर्ष 21 के दौरान ₹618 करोड़ की वसूली की तुलना में वित्तीय वर्ष 22 के दौरान ₹1,612 करोड़ की वसूली हुई।
11. वित्त वर्ष 2022 में बैंक का प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) 526 बीपीएस बढ़कर 87.38% हो गया, जबकि वित्त वर्ष 2021 में यह 82.12% था।
12. 31 मार्च, 2022 तक बैंक की 5,732 घरेलू शाखाओं और 3 विदेशी शाखाओं का नेटवर्क है, जिससे कुल शाखा नेटवर्क 5,735 हो गया है।
13. कुल एटीएम एवं बीएनए की संख्या 4925 रहा, जिसमें 624 ऑफसाइट एटीएम / बीएनए व 3 मोबाइल एटीएम शामिल हैं।
14. 31 मार्च, 2022 तक 1969 स्थानों पर पासबुक कियोस्क स्थापित किए गए।

बी) आय एवं व्यय (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.21	31.03.22	वर्ष–दर–वर्ष (%)
अर्जित ब्याज	39106	38856	-0.64
व्यय किया गया ब्याज	23440	22128	-5.60
निवल ब्याज आय(एनआईआई)	15666	16728	6.78
अन्य आय	5650	6915	22.39
जिसमें से – शुल्क आय	2368	2555	7.90
निवेश के विक्रय पर लाभ	2124	1626	-23.45
डूबंत कर्ज की वसूली	618	1612	160.84
परिचालन राजस्व (एनआईआई. अन्य आय)	21316	23643	10.92
परिचालन व्यय	10349	10926	5.58
जिसमें से कर्मचारी व्यय	6378	6695	4.97
अन्य परिचालनगत व्यय	3971	4231	6.55
परिचालनगत लाभ	10967	12717	15.96
प्रावधान	7962	8772	10.17
जिसमें से एनपीए के लिए प्रावधान (एनपीआई सहित)	7318	8557	16.93
मानक अग्रिमों के लिए प्रावधान	469	962	105.12
कर के लिए प्रावधान	(99)	(741)	-
निवल लाभ	3005	3945	31.28

31 मार्च, 2022 तक

1. बैंक की कुल आय में 2% की वृद्धि हुई और यह ₹ 45,771 करोड़ रही, जिसमें ब्याज आय ₹38,856 करोड़ और अन्य आय ₹ 6,915 करोड़ थी।
2. बैंक का कुल व्यय 2.17% कम हुआ और 33,054 करोड़ रुपये रहा, जिसमें ब्याज व्यय 22,128 करोड़ रुपये और परिचालन व्यय 10,926 करोड़ रुपये था।
3. बैंक के परिचालन लाभ और निवल लाभ में क्रमशः 16% और 31% की वृद्धि देखी गई और यह क्रमशः ₹12,717 करोड़ और ₹3,945 करोड़ रहा। (वित्त वर्ष 2021 के लिए यह क्रमशः ₹10,967 करोड़ और ₹3,005 करोड़ था)।

सी) मार्च, 2022 के लिए महत्वपूर्ण अनुपात निम्नानुसार हैं:–

(प्रतिशत में)

मापदंड	मार्च – 21	मार्च – 22
अग्रिमों पर प्रतिलाभ	7.45	7.21
जमा लागत	4.44	3.97
आस्तियों पर प्रतिलाभ	0.50	0.63
इक्विटी पर प्रतिलाभ	10.63	12.13
निवल ब्याज मार्जिन	2.81	2.93
लागत आय अनुपात	48.55	46.21
प्रति कर्मचारी औसत कारोबार (लाख में)	2077	2252
प्रति कर्मचारी लाभ (₹ लाख में)	7.22	9.91

डी) निवल मालियत एवं सीआरएआर

1. 31.03.2022 को बैंक की निवल मालियत रुपए 33625 करोड़ रही जबकि 31 मार्च, 2021 में यह रुपए 29812 करोड़ रही।

2. बेसल III मानदंडों के अनुसार, जोखिम भारित संपत्ति अनुपात (सीआरएआर) पूंजी 11.50% की नियामक आवश्यकता के सापेक्ष में 31 मार्च, 2022 को 16.53% रही, जबकि मार्च 31,2021 में यह 15.71% थी। सीईटी–I अनुपात 8.00% की न्यूनतम आवश्यकता की तुलना में 12.53% रहा जबकि मार्च 31, 2021 में यह 11.27% थी। 31 मार्च 2022 को टीयर–I पूंजी सीआरएआर 13.17% रहा।

3. वर्ष के दौरान, बैंक ने अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) के माध्यम से ₹1,650 करोड़ की इक्विटी पूंजी जुटाई। सरकारी की धारिता 31 मार्च, 2021 को 88.06% से घटकर 31 मार्च, 2022 तक 79.86% हो गई है।

(प्रतिशत में)

बेसल III	निम्न तारीख को	
	मार्च 2021	मार्च 2022
सीईटी – I	11.27	12.53
टियर I – पूँजी	11.93	13.17
टियर II – पूँजी	3.78	3.36
कुल	**15.71**	**16.53**

ई) भर्ती / प्रशिक्षण

सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, सीधी भर्ती और आंतरिक पदोन्नति की प्रक्रिया के दौरान, अजा / अजजा कर्मचारियों को भर्ती पूर्व और पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

एफ) वर्ष के दौरान बोर्ड में परिवर्तन :

शेयर धारक निदेशकों के अलावा सभी निदेशक भारत सरकार द्वारा नियुक्त / नामांकित किए गए।

1. श्री शांति लाल जैन ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, अधिसूचना दिनांक 26.08.2021 के तहत 01.09.2021 से बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

2. श्री अश्वनी कुमार ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, अधिसूचना दिनांक 21.10.2021 के तहत 21.10.2021 से बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

3. सुश्री पापिया सेनगुप्ता को 29.10.2021 से तीन वर्षों की अवधि के लिए बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में चुना गया था।

4. श्री बालमुकुंद सहाय को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, अधिसूचना दिनांक 21.12.2021 के तहत तीन साल की अवधि के लिए बैंक के अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक के रूप में नामित किया गया था।

5. श्री विश्वेश कुमार गोयल को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, अधिसूचना दिनांक 21.12.2021 के तहत तीन साल की अवधि के लिए बैंक के अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक के रूप में नामित किया गया था।

6. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, अधिसूचना दिनांक 08.03.2022 ने डॉ आदित्य गैहा को श्री एस के पाणिग्रही के स्थान पर आरबीआई द्वारा नामित निदेशक के रूप में नामित किया। श्री एस. के. पाणिग्रही 07.03.2022 तक आरबीआई द्वारा नामित निदेशक थे।

7. श्री के रामचंद्रन 30.06.2021 तक बैंक के कार्यपालक निदेशक थे।

8. सुश्री पद्मजा चुन्दूरू का बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में तीन साल का कार्यकाल 31.08.2021 को समाप्त हो गया।

9. बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री वी वी शेणॉय का कार्यकाल उनकी सेवानिवृत्ति पर 31.03.2022 को समाप्त हो गया।

जी) निदेशकों के उत्तरदायित्व से संबंधित कथन

निदेशक संपुष्ट करते हैं कि मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तैयार करते समय :

1. महत्वपूर्ण विचलन, यदि हों, के संबंध में उचित स्पष्टीकरण सहित प्रयोज्य लेखा मानकों का पालन किया गया है।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार गठित लेखांकन नीतियों को लगातार लागू किया गया।

3. वित्तीय वर्ष के अंत तक बैंक के कार्यकलाप व स्थिति पर सही एवं न्यायोचित दृष्टि तथा 31 मार्च, 2022 तक बैंक के लाभ का सटीक चित्र देने के लिए उचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय एवं आकलन किए गए।

4. भारत में बैंकों को अधिशासित करनेवाले प्रयोज्य कानूनों के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्डों को बनाए रखने के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती गई; और

5. लेखों को मौजूदा स्थितियाँ के संज्ञान के आधार पर तैयार किया गया है।

एच) आभारोक्ति

बोर्ड, भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड का उनके मूल्यवान मार्गदर्शन और सहायता के लिए आभार व्यक्त करता है। बोर्ड वित्तीय संस्थानों और संपर्की बैंकों को भी उनके सहयोग व समर्थन के लिए धन्यवाद देता है। बोर्ड अपने ग्राहकों व शेयरधारकों से मिले अनवरत समर्थन के प्रति आभार व्यक्त करता है।

बोर्ड सुश्री पद्मजा चुन्डूरू, श्री के रामचंद्रन, श्री एस के पाणिग्रही, और श्री वी वी शेणॉय जिन्होंने इस वर्ष सदस्यता छोड़ी, के द्वारा दिये गये मूल्यवान योगदान के लिए अपनी सराहना व्यक्त करता है।

बैंक के समग्र निष्पादन के लिए स्टाफ सदस्यों द्वारा प्रदत्त निष्ठावान सेवाएं तथा योगदान के प्रति बैंक अपनी सराहना व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल के लिए व उनकी ओर से

शांति लाल जैन
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

1. वैश्विक अर्थव्यवस्था

- वर्ष 2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 6.1% की वृद्धि हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2022 में इसके 3.6% बढ़ने की संभावना है।

- वित्त वर्ष 22 की पहली तीन तिमाहियों के दौरान महामारी की दूसरी लहर से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद, कोविड –19 महामारी के विनाशकारी परिणामों से प्रभावित वैश्विक अर्थव्यवस्था का धीरे–धीरे पुनरुद्धार हुआ।

- सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान ने महामारी के प्रभाव का मुकाबला करने में मदद की। फिर भी, ओमिक्रोन संस्करण के अल्पकालिक प्रभाव, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध, चीन में लगाए गए लॉकडाउन के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करने के कारण इस वर्ष के लिए वैश्विक आर्थिक संभावनाएं काफी खराब हो गई हैं।

- लगातार और व्यापक मुद्रास्फीति के कारण, प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) ने अपनी अल्ट्रा–समायोज्य मौद्रिक नीतियों को वापस ले लिया। कई उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं (ईएमई) सीमित मोड में रही हैं और आगे भी रहने की उम्मीद है। आर्थिक संभावनाओं के लिए समग्र जोखिम तेजी से बढ़े हैं और नीतिगत व्यापार अब और अधिक चुनौतीपूर्ण हो गए हैं।

- इस घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए, आईएमएफ ने अप्रैल 22 में जारी अपने "वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक" में वर्ष 2022 और 2023 दोनों के लिए वैश्विक विकास 3.6% रहने का अनुमान लगाया है, जो कि जनवरी'22 के पूर्वानुमान से क्रमशः 0.8% और 0.2% कम है।

2. भारतीय अर्थव्यवस्था

- भारतीय अर्थव्यवस्था 2021 में 8.9% बढ़ी है और आईएमएफ द्वारा नवीनतम विश्व आर्थिक दृष्टिकोण के अनुसार 2022 में 8.2% बढ़ने का अनुमान है।

- भारतीय रिज़र्व बैंक ने टिकाऊ आधार पर विकास को बनाए रखने के लिए पूरे वित्तीय वर्ष–22 में नीतिगत दरों पर यथास्थिति बनाए रखी और अर्थव्यवस्था पर कोविड–19 के प्रभाव को कम करना जारी रखा, जबकि यह सुनिश्चित किया कि मुद्रास्फीति आगे बढ़ने वाले लक्ष्य के भीतर बनी रहे।

- भू–राजनीतिक तनाव के परिणामस्वरूप वस्तुओं की कीमतों, कच्चे तेल की कीमतों आदि में तेज उछाल आया है, जिसके परिणामस्वरूप फरवरी 2022 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति में 6.07% की वृद्धि हुई है एवं आरबीआई के ऊपरी टोलेरेंस बैंड को पार कर यह मार्च 2022 में सत्रह महीने का उच्चतम 6.95% है।

- ग्राहक सुविधा के हित में और वर्ष के सभी दिनों में आरटीजीएस की उपलब्धता का लाभ उठाने के लिए, आरबीआई ने 1 अगस्त'21 से प्रभावी, पूरे वर्ष के सभी दिनों में एनएसीएच उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा।

- कृषि, एमएसएमई और आवास को ऋण देने के लिए पंजीकृत एनबीएफसी (एमएफआई के अलावा) को बैंक ऋण को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) के रूप में वर्गीकृत करने की अनुमति दी गई थी। यह सुविधा 30 सितंबर, 21 की पूर्व वैधता अवधि से 31 मार्च, 22 तक बढ़ा दी गई थी।

- कच्चे तेल की कीमतों सहित उच्च वस्तुओं की कीमतें विकास और मुद्रास्फीति को प्रभावित कर सकती हैं, आरबीआई ने सीपीआई मुद्रास्फीति को वित्त वर्ष 2023 में औसतन 5.7% और वित्त वर्ष 2023 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.2% रहने का अनुमान लगाया है।

- आरबीआई ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए (स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (वीआरआर) के तहत निवेश सीमा को 1 अप्रैल–22 से ₹1,00,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹2,50,000 करोड़ कर दिया है।

- दुनिया भर में उभरती व्यापक आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर, आरबीआई ने 04 मई 22 से नीतिगत रेपो दर को 40 आधार अंकों से बढ़ाकर 4.40% कर दिया।

- आरबीआई ने लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी (एलएएफ) कॉरिडोर के लिए स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी (एसडीएफ) को फ्लोर के रूप में पेश किया। मुद्रास्फीति में निरंतर वृद्धि को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने बाजार से अतिरिक्त तरलता हटाने के लिए एक अतिरिक्त उपकरण के रूप में एसडीएफ को फिर से सक्रिय किया है।

- रिजॉल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 के तहत एक्सपोजर थ्रेसहोल्ड में वृद्धि–आरबीआई ने एमएसएमई के साथ–साथ गैर–एमएसएमई छोटे व्यवसायों और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत ऋण के लिए एक्सपोजर सीमा को ₹25 करोड़ से बढ़ाकर ₹50 करोड़ करने का निर्णय लिया है।

- तरलता की क्रमिक निकासी के रुख के अनुरूप, आरबीआई ने 21 मई, 2022 से शुरू होने वाले पखवाड़े से प्रभावी नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) को निवल मांग और ससमय देनदारियों (एनडीटीएल) के 50 आधार अंकों से बढ़ाकर 4.5% करने का भी निर्णय लिया।

- सरकारों द्वारा जारी किए गए ई–आरयूपीआई वाउचर के लिए राशि की सीमा को बढ़ाकर ₹1,00,000/– प्रति वाउचर करने और ई–रूपी वाउचर को कई बार उपयोग करने की अनुमति देने का भी प्रस्ताव है (जब तक वाउचर की राशि पूरी तरह से भुनाई नहीं जाती)।

- आरबीआई ने मार्च–23 तक स्वीकृत सभी नए आवास ऋणों के लिए पूर्वोक्त परिपत्र में निर्धारित जोखिम जारी रखने का निर्णय लिया है।

- भारतीय रिजर्व बैंक ने एचटीएम श्रेणी में एसएलआर पात्र प्रतिभूतियों को शामिल करने की सीमा को एनडीटीएल के 23% तक बढ़ाने का निर्णय लिया है और बैंकों को 1 अप्रैल, 2022 और 31 मार्च, 2023 के बीच 23% अधिग्रहीत प्रतिभूतियों को बढ़ी हुई सीमा के तहत शामिल करने की अनुमति दी है।

- भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को ऋण का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित करके नवीन विकास को पोषित करने और सहायता देने के उद्देश्य से प्रणाली में पर्याप्त अधिशेष तरलता बनाए रखी।

- आरबीआई ने वीआरआरआर नीलामियों के माध्यम से क्रमिक, अंशांकित और गैर–विघटनकारी तरीके से निष्क्रिय नियत दर ओवरनाइट रिवर्स रेपो विंडो से चलनिधि को लंबी अवधि की ओर पुनर्संतुलित करना जारी रखा।

- आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना और एकीकृत लोकपाल योजना शुरू की हैं जिनका उद्देश्य वित्तीय समावेशन को और बेहतर करना और जन केंद्रित पहल करना है।

- केंद्रीय बैंक ने निवेशकों को अनुमति दिया है कि वे प्राथमिक नीलामी में बोली लगाने के साथ–साथ सरकारी प्रतिभूतियों के लिए केंद्रीय बैंक के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तक पहुंच होगी, जिसे नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम–ऑर्डर मैचिंग सेगमेंट या एनडीएस–ओएम कहा जाता है।

- आरबीआई ने वित्तीय पैठ को बेहतर करने के लिए फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के लिए भी एक यूपीआई–आधारित भुगतान उत्पाद लॉन्च करने का प्रस्ताव दिया है।

केंद्रीय बजट वित्तीय वर्ष – 23

- वित्तीय वर्ष 22 के लिए भारत सरकार के संशोधित अनुमान (आरई) के अनुसार राजकोषीय घाटा ₹1.51 लाख करोड़ (जीडीपी का 6.8%) के बजट लक्ष्य की तुलना में ₹1.59 लाख करोड़ (जीडीपी का 6.9%) है, जो पहले से कुछ अधिक है।

- वित्तीय वर्ष–23 में केंद्र सरकार का बकाया कर्ज 12% बढ़कर ₹152 लाख करोड़ होने का अनुमान है। यह सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 59%, वित्त वर्ष 2021 की तुलना में 2.1% कम और वित्त वर्ष 2022 की तुलना में 0.5% अधिक होगा।

- आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) को मार्च–23 तक बढ़ाया गया है और गारंटी कवर को ₹50,000 करोड़ बढ़ाकर कुल कवर ₹5 लाख करोड़ किया गया है, जिसमें अतिरिक्त राशि विशेष रूप से आतिथ्य और संबंधित उद्यमों के लिए निर्धारित की गई थी।

- 5 वर्षों में ₹6,000 करोड़ के परिव्यय के साथ एमएसएमई निष्पादन (आरएएमपी) कार्यक्रम को बढ़ाने और तेज करने की घोषणा की गई थी, जिसका उद्देश्य एमएसएमई की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के उद्देश्य से एमएसएमई क्षेत्र को पुनर्जीवित करना था।

- पूंजीगत परिव्यय को 35.4% बढ़ाकर ₹7.50 लाख करोड़ करने की घोषणा की गई, जिससे पूंजीगत उपकरण और निर्माण मशीनरी की मांग बढ़ सकती है। उच्च दक्षता वाले मॉड्यूल के निर्माण के लिए पीएलआई के लिए ₹19,500 करोड़ का अतिरिक्त आबंटन, पूरी तरह से एकीकृत विनिर्माण इकाइयों को प्राथमिकता के साथ, सौर मॉड्यूल के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता कम करना है।

- वित्तीय वर्ष–23 में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) लॉन्च करने की घोषणा की है।

- डिजिटलीकरण पहल को बढ़ावा देने के लिए एससीबी 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित करेंगे।

3. बैंकिंग क्षेत्र :

- बैंक जमाओं में अधिकतम वृद्धि बनाम ऋण वृद्धि के कारण जमाराशियों में बढ़ोत्तरी से बैंकिंग प्रणाली जून 19 से चलनिधि अधिशेष बनाए हुए है। मार्च, 2022 को समाप्त पखवाड़े में जमा राशि 170.16 लाख करोड़ रुपये रही, जिसमें वार्षिक आधार पर 10.21% की स्थिर वृद्धि दर्ज की गई।

- सभी प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों द्वारा संचालित कोविड–19 की मंदी के बाद वित्तीय वर्ष 22 के दौरान ऋण में तेजी आई। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के लिए ऋण वृद्धि मार्च 22 में वार्षिक आधार पर 10.82% बढ़ी, जो एक साल पहले 5.61% थी।

4. विस्तृत कारोबार अवलोकन

- कुल कारोबार में वार्षिक आधार पर 9% की वृद्धि दर्ज की गई, जो मार्च,22 में ₹1009242 करोड़ के स्तर पर पहुंच गई, जबकि मार्च, 21 में यह ₹928388 करोड़ थी। घरेलू कारोबार ने 8% की वृद्धि दर्ज की और मार्च 2021 में ₹908801 करोड़ की तुलना में ₹980358 करोड़ तक पहुंच गया।

- मार्च 22 में कुल जमा 10% वार्षिक बढ़कर ₹593618 करोड़ हो गया, जबकि पिछले वर्ष यह ₹538071 करोड़ था।

- कासा (चालू खाता व बचत खाता) जमाराशियां मार्च 2021 में ₹227595 करोड़ की तुलना में ₹247926 करोड़ तक पहुंच गईं और इसमें 9% की वृद्धि दर्ज की गई।

- मार्च 22 में अग्रिम 6% बढ़कर ₹415625 करोड़ हो गया, जो एक साल पहले ₹390317 करोड़ था। घरेलू ऋण ₹395698 करोड़ तक पहुंच गया (31 मार्च, 2021 को 379537 करोड़ था)।

- वैश्विक ऋण–जमा अनुपात 70.02% रहा।

(ए) जमाएं

वित्तीय वर्ष 22 में घरेलू जमाओं के तहत निष्पादनः

(₹ करोड़ में)

जमाएं	मार्च' 21	मार्च'22	वर्ष दर वर्ष (%)
चालू खाता	31861	35969	12.89
बचत बैंक	195166	211120	8.17
कासा	227027	247089	8.84
कासा : कुल जमाराशि का	42.89	42.26	-63 बीपीएस
मीयादी जमा	302237	337571	11.69
घरेलू जमाएं	529264	584661	10.47

- बचत बैंक जमाराशियां बढ़त दर्ज करते हुए मार्च 2021 में ₹195166 करोड़ की तुलना में 8% की वार्षिक वृद्धि के साथ मार्च 2022 में ₹211120 करोड़ तक पहुंच गईं।
- मार्च, 2021 में ₹31861 करोड़ की तुलना में मार्च, 2022 में चालू जमाएं 12. 89% (वर्ष–दर–वर्ष) की बढ़ोत्तरी के साथ ₹35969 करोड़ हुई है।
- सावधि जमा मार्च, 2021 में ₹302237 करोड़ की तुलना में मार्च'2022 को 11. 69% (वर्ष–दर–वर्ष) की वृद्धि के साथ ₹337571 करोड़ हो गया।
- वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान, बैंक ने 39.95 लाख नए बचत बैंक खाते और 0.93 लाख नए चालू खाते खोले हैं।
- मार्च 2021 में विदेशी जमा 2% (वर्ष दर वर्ष) बढ़कर ₹8957 करोड़ हो गया, जबकि मार्च 2021 में यह ₹8807 करोड़ था।
- एफसीएनआर/एनआरई जमाराशियां : अनिवासी भारतीय (एनआरआई) जमाराशियां 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार ₹12086 करोड़ के मुकाबले 31.03.2022 को ₹12270 करोड़ के स्तर पर पहुंच गईं।
- बैंक ने दिनांक 08 मार्च 22 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के लिए "इंड महिला शक्ति–555 दिन" नामक विशेष योजना 5.15% की विशेष ब्याज दर के साथ शुरूआत की।

(बी) खुदरा ऋण

- 31 मार्च, 2022 को बैंक का खुदरा ऋण 15% वार्षिक की दर से ₹69987 करोड़ से बढ़कर ₹80433 करोड़ हो गया, जिसका विवरण नीचे दिया गया है :

(रुपये करोड़ में)

मापदंड	मार्च –21	मार्च –22	वृद्धि वर्ष दर वर्ष
बंधक ऋण सहित आवास ऋण	47682	53852	13%
वाहन ऋण	3649	4198	15%
वेतन ऋण	2944	4422	50%
पेंशन ऋण	801	884	10%
शिक्षा ऋण	4684	4626	–1%
समूह सहित गैर प्राथमिकता आभूषण ऋण	3832	4787	25%
जमा के सापेक्ष ऋण (एलएडी) / अन्य	6395	7665	20%
कुल खुदरा ऋण	**69987**	**80433**	**15%**

- वित्तीय वर्ष 21–22 के दौरान 467974 खातों में कुल ₹31062 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।
- दिनांक 31.03.2022 को डीएसए की संख्या बढ़कर 8137 हो गई है।
- वर्ष के दौरान विभिन्न उत्पाद अर्थात् इंड कवच (कोविड –19 संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत ऋण योजना), गृह ऋण प्रीमियम, पुरानी कारें और दोपहिया वाहन को लांच किया गया।
- बैंक के 79 खुदरा परिसंपत्ति प्रसंस्करण केंद्र (आरएपीसी) हैं जो विशेष रूप से खुदरा ऋणों को संसाधित करते हैं।

सह ऋण प्रणाली (सीएलएम)

- बैंक ने इंडिया बुल एचएफएल, इंडिया बुल्स सीसीएल, आईआईएफएल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, अवांस फाइनेंशियल सर्विसेज, एडलवाइस एचएफएल, ईसीएल फाइनेंस लिमिटेड, आईआईएफएल फाइनेंस, एसके फिन–कॉर्प लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया है। तंत्र के तहत कुल ₹500 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है।

(सी) कृषि

- बैंक का कृषि ऋण 31 मार्च, 2022 को 12% सालाना की दर से रुपए 78775 करोड़ से बढकर रुपए 88100 करोड़ हो गया, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

कृषि	31.03.2021	31.03.2022	वर्ष दर वर्ष (%)
फसल ऋण	64898	69051	6%
निवेश ऋण	6327	9241	46%
कृषि अनुषंगी	1702	3192	88%
बुनियादी ढांचा और सहायक	5848	6616	13%
कुल कृषि	78775	88100	12%

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022 में ₹34830 करोड़ की पीएसएलसी बेचकर तथा ₹571 करोड़ की आय अर्जित की

कृषि संवितरण :

- कृषि के लिए ग्राउंड लेवल क्रेडिट फ्लो (जीएलसी) के तहत, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान ₹45000 करोड़ के वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले ₹58120 करोड़ के कृषि ऋण वितरित किए।
- वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, बैंक ने 28.39 लाख छोटे/सीमांत किसानों को ₹36309 करोड़ की राशि वितरित की।

वित्तीय वर्ष 2022 में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों के तहत भारतीय रिजर्व बैंक अनिवार्य लक्ष्य के तहत निष्पादन

- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम 31.03.2022 को ₹148806 करोड़ था। 2021-22 के लिए तिमाही औसत समायोजित नेट बैंक क्रेडिट (एएनबीसी) के प्रतिशत के रूप में प्राथमिकता क्षेत्र 40.00% के अनिवार्य लक्ष्य के मुकाबले 43.83% था।
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत कृषि ऋण 31.03.2022 को ₹68936 करोड़ था और 2021-22 के लिए तिमाही औसत एएनबीसी का प्रतिशत 18.00% के अनिवार्य लक्ष्य के मुकाबले 20.10% था।
- एसएफ/एमएफ को ऋण 31.03.2022 को ₹34255 करोड़ था और यह वर्ष 2021-22 के लिए तिमाही औसत आधार पर 9.00% के अनिवार्य लक्ष्य के मुकाबले समायोजित नेट बैंक क्रेडिट (एएनबीसी) का 9.94% था।
- कमजोर वर्गों को ऋण 31.03.2022 को ₹41458 करोड़ था और वर्ष 2021-22 के लिए तिमाही औसत आधार पर 11% के अनिवार्य लक्ष्य के मुकाबले समायोजित शुद्ध बैंक ऋण (एएनबीसी) का 12.82% था।
- एमएसई–सूक्ष्म उद्यमों को ऋण 31.03.2022 को ₹30599 करोड़ था और वर्ष 2021-22 के लिए तिमाही औसत आधार पर 7.50% के अनिवार्य लक्ष्य के मुकाबले समायोजित नेट बैंक क्रेडिट (एएनबीसी) का 8.87% था।
- गैर–कॉर्पोरेट किसानों को ऋण 31.03.2022 को ₹66776 करोड़ था और वर्ष 2021-22 के लिए तिमाही औसत आधार पर समायोजित शुद्ध बैंक ऋण (एएनबीसी) का 19.08% था, जबकि अनिवार्य लक्ष्य 12.73% था।

स्वयं सहायता समूहों के लिए ऋण प्रवाह:

स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव का वाहक बन गए हैं, सीमांत समुदाय के जीवन को बदल रहे हैं और मुख्य रूप से ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए आजीविका के अवसरों के क्षितिज का विस्तार कर रहे हैं। तेजी से, अधिक समावेशी और सतत विकास के नियोजित लक्ष्य को प्राप्त करने में इन समूहों का समर्थन करने की दृष्टि से, बैंक ने एसएचजी बैंक लिंकेज को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया है।

मार्च 2022 तक 3.30 लाख एसएचजी को कवर करते हुए एसएचजी को बकाया ऋण ₹9524 करोड़ था। चालू वित्त वर्ष के दौरान, बैंक ने ₹7035 करोड़ से 1.87 लाख एसएचजी को वितरित किया था।

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए संवितरण (₹7035 करोड़) और बकाया (₹9524 करोड़) दोनों के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा निर्धारित लक्ष्य को पार कर लिया है, जबकि लक्ष्य क्रमशः ₹6748 करोड़ और ₹8588 करोड़ था।

माइक्रोसेट शाखाएं : शहरी स्थानों में एसएचजी के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें 44 विशेष एसएचजी फाइनेंसिंग शाखाएं 'वन स्टॉप शॉप' के रूप में कार्यरत हैं – क्रेडिट के साथ–साथ क्रेडिट प्लस सेवाएं जैसे प्रशिक्षण, खातों / पुस्तकों का रखरखाव आदि। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, सितंबर को माइक्रोसेट शाखाओं के माध्यम से ₹1416 करोड़ की राशि को 26652 एसएचजी तक बढ़ा दिया गया है। इन माइक्रोसेट शाखाओं की कुल बकाया राशि मार्च 2022 तक 43422 एसएचजी को कवर करते हुए ₹1738 करोड़ थी।

संयुक्त देयता समूह: बैंक संयुक्त देयता समूहों के माध्यम से वित्त पोषण को प्रोत्साहित कर रहा है, ताकि उन श्रेणी के किसानों को ऋण सहायता प्रदान की जा सके जिनके पास उचित भूमि रिकॉर्ड नहीं है / जिनके पास अपनी भूमि नहीं है। 31.03.2022 तक जेएलजी को बकाया ऋण ₹287 करोड़ था जिसमें 15210 जेएलजी शामिल थे।

कमजोर वर्गों को अग्रिम :

बैंक लगातार कमजोर वर्गों के लिए निर्धारित अनिवार्य अग्रिम लक्ष्य को पार कर रहा है जिसमें छोटे और सीमांत किसान, कारीगर, ग्राम और कुटीर उद्योग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, स्वयं सहायता समूह आदि शामिल हैं।

- कमजोर वर्गों के लिए बकाया ऋण मार्च 2022 के अंत तक ₹41458 करोड़

था, जो 11% के निर्धारित मानदंड के मुकाबले तिमाही औसत एएनबीसी का 12.82% है।

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को बकाया ऋण 31.03.2022 को ₹5634 करोड़ था।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक ऋण अभियानों का पालन

- अल्पसंख्यकों और अजा/अजजा को ऋण देने के लिए विशेष अभियान चलाए गए। मार्च 2022 तक अल्पसंख्यकों को अग्रिमों की बकाया स्थिति ₹22650 करोड़ थी जो मार्च 2022 तक बैंक की कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों की स्थिति का 15.22% है।

(डी) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)

- 31 मार्च, 2022 को बैंक का एमएसएमई क्रेडिट 6: सालाना की दर से ₹70180 करोड़ से बढ़कर ₹74167 करोड़ हो गया।

- बैंक ने सूक्ष्म उद्यमों को ऋण देने के उप लक्ष्य को 10 प्रतिशत के लक्ष्य के मुकाबले 11.22% पार कर लिया है।

- बैंक TReDS के सभी तीन प्लेटफार्मों आरएक्सआईएल, इनवॉयसमार्ट और एम1एक्सचेंज में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान, ₹1904 करोड़ के 18,886 बिलों में छूट दी गई।

- बैंक के 79 एमएसएमई प्रसंस्करण केंद्र हैं जिन्होंने टर्न अराउंड टाइम (टीएटी) में सुधार करने और गुणवत्तापूर्ण ऋण सुनिश्चित करने में मदद की है।

आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस)

- ईसीएलजीएस के तहत, बैंक ने ₹10596 करोड़ की राशि के 2,73,756 उधारकर्ताओं को सहायता प्रदान की है। बैंक ने ईसीएलजीएस 4.0 के तहत आईएनडी संजीवनी, आईएनडी आरोग्यम, कोविड प्रभावित क्षेत्र के लिए ऋण गारंटी योजना (एलजीएससीएएस) और कोविड प्रभावित पर्यटन सेवा क्षेत्र (एलजीएससीएटीएसएस) के लिए ऋण गारंटी योजना शुरू की है।

संकल्प ढांचा

एमएसएमई उधारकर्ताओं द्वारा ऋण ब्याज/किस्त की अदायगी में आने वाले तनाव को कम करने के लिए, आरपी 1.0 और आरपी 2.0 के तहत ₹8897 करोड़ की राशि की 77014 एमएसएमई इकाइयों को पुनर्गठन की अनुमति दी गई है।

पीएम स्व–निधि योजना – स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण

पीएम स्व–निधि योजना के तहत बैंक ने 212050 आवेदनों पर ₹218 करोड़ की राशि स्वीकृत की है।

एमएसएमई क्लस्टर:

बैंक ने आकर्षक शर्तों के तहत वित्त पोषण के लिए 59 एमएसएमई समूहों को मंजूरी दी है। दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार, इन क्लस्टरों के तहत ₹4871 करोड़ का वित्त पोषण किया गया है। बैंक अधिक समूहों की पहचान करने की प्रक्रिया में है।

मुद्रा योजना

बैंक ने वित्त वर्ष 22 में ₹4575 करोड़ की मंजूरी देकर मुद्रा ऋण के ₹4550 करोड़ के लक्ष्य को पार कर लिया है।

बैंक के तीनों आरआरबी ने बैंक और आरआरबी के ₹6800 करोड़ का संचयी लक्ष्य के सापेक्ष संचयी रूप से ₹2274 करोड़ स्वीकृत किए। बैंक और आरआरबी ने सामूहिक रूप से ₹6849 करोड़ ऋण स्वीकृत किए हैं ।

एमएसएमई प्रेरणा

बैंक, महिलाओं/एससी/एसटी पर ध्यान केन्द्रित करते हुए एमएसएमई उद्यमियों को वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम प्रदान कर रहा है। वर्ष के दौरान, 1191 उद्यमियों को प्रशिक्षित किया गया जिसमें 342 महिला उद्यमी शामिल हैं।

(ई) कॉर्पोरेट ऋण और मिड कॉर्पोरेट ऋण

बैंक का कॉर्पोरेट ऋण मार्च, 2022 में ₹.152998 करोड़ था, जो बैंक के समग्र ऋण का 39% था। वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान बैंक ने कई नए ग्राहकों को जोड़ा।

9 एलसीबी कॉर्पोरेट ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कार्य कर रहे हैं और सीधे कॉर्पोरेट कार्यालय को रिपोर्ट कर रहे हैं।

₹ 25 करोड़ से अधिक व ₹ 150 करोड़ से कम के व्यक्तिगत एक्सपोजर वाले उधारकर्ताओं के साथ संव्यवहार के लिए वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान मिड कॉर्पोरेट क्रेडिट वर्टिकल का गठन किया गया था। वर्टिकल की शुरुआत 17 पहचानी गई शाखाओं के साथ हुई, जिन्हें मिड कॉर्पोरेट शाखाएं (एमसीबी) नाम दिया गया है, जो उच्च व्यावसायिक क्षमता वाले केंद्रों पर स्थित हैं।

(एफ़) विदेशी ऋण

- बैंक की 3 विदेशी शाखाएं सिंगापुर, कोलंबो और जाफना में हैं एवं एक आईएफ़एससी बैंकिंग यूनिट (आईबीयू), गांधी नगर, गुजरात में है। 31 मार्च 2022 को विदेशी शाखाओं (आईबीयू सहित) का कुल बकाया अग्रिम (सकल), 85% की वर्ष दर वर्ष की वृद्धि के साथ ₹19927 करोड़ था, जबकि विगत वर्ष यह ₹10780 करोड़ था।

(जी) विदेशी मुद्रा कारोबार

- वित्तीय वर्ष 22 के दौरान बैंक के विदेशी मुद्रा कारोबार में टर्नओवर ₹60,667 करोड़ रहा, जबकि वित्त वर्ष 21 में यह ₹40,980 करोड़ था।
- वित्तीय वर्ष 22 के दौरान, अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार का कुल टर्नओवर ₹26,02,961 करोड़ हुआ जबकि वित्त वर्ष 21 में यह ₹18,23,026 करोड़ था।
- ग्राहकों की एफएक्स जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंक ने देश के सभी प्रमुख स्थानों/कारोबार केंद्रों को कवर करने वाली 208 शाखाओं की पहचान की है। ये शाखाएं चेन्नै और मुंबई स्थित दो एफएक्ससीपीसी में से किसी एक एफएक्ससीपीसी के साथ सीधे जोड़ी गई हैं। एफएक्ससीपीसी सभी प्रकार के विदेशी मुद्रा लेनदेन को संसाधित करने के लिए बैंक का केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र है। बैंक की दुनिया भर में प्रतिनिधि व्यवस्था है। बैंक की यह व्यवस्था विश्व भर में उपलब्ध है।

विप्रेषण

- सिंगापुर की उद्यम विप्रेषण योजना भारत में ग्राहक के खाते में विदेशी विप्रेषण के समान रूप को तत्काल जमा करती है। यह सुविधा सप्ताह के सभी दिनों पर उपलब्ध है।
- बैंक प्रदत्त अन्य आवक विप्रेषण सुविधाओं में, विश्व की सामान्य स्विफ्ट आधारित मनी ट्रांसफर के अलावा, आरबीआई की एमटीएसएस योजना के तहत वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर और रिया मनी ट्रांसफर शामिल है।
- एक्सचेंज हाउस जैसे यूएई एक्सचेंज सेंटर डब्लूएलएल–कुवैत, अल ज़मान एक्सचेंज डब्ल्यूएलएल–कतर, जीसीसी एक्सचेंज–दुबई, अल डार फॉर एक्सचेंज–कतर के माध्यम से इलेक्ट्रोनिक फ़ंड ट्रान्सफर किया जा रहा है और मेसर्स अल राजी बैंक, सऊदी अरब के साथ यह आरबीआई की रुपी ड्राइंग अरेंजमेंट योजना के तहत किया जा रहा है।

(एच) वित्तीय समावेशन

प्रधानमंत्री जन–धन योजना (पीएमजेडीवाई):

दिनांक 31 मार्च 2022 तक बैंक ने 185 लाख पीएमजेडीवाई खाते खोले हैं।

31 मार्च, 2022 को पीएमजेडीवाई खातों में शेष राशि 12% की वृद्धि के साथ ₹7609 करोड़ थी, जो विगत वर्ष ₹6779 करोड़ थी।

पीएमजेडीवाई के तहत 109.76 लाख (60%) खाताधारकों को रुपे कार्ड जारी किए गए हैं। बैंक ने 7.05 लाख पात्र पीएमजेडीवाई खाताधारकों को ओवरड्राफ्ट स्वीकृत किया है।

सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

नामांकन संख्या लाख में	**मार्च 21**	**मार्च 22**	**वर्ष –दर–वर्ष वृद्धि**
एपीवाई	19.31	24.96	29.26%
पीएमजेजेबीवाई	26.59	30.24	13.73%
पीएमएसबीवाई	72.97	80.14	9.83%

- पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत 16672 दावों और पीएमएसबीवाई के अंतर्गत 3947 दावों का निपटान किया गया। पीएमजेजेबीवाई तथा पीएमएसबीवाई का निपटान अनुपात क्रमशः 94.80% और 97.90% है।

(आई) बैंकएश्योरेंस और म्यूच्युअल फंड

बैंक ने वित्त वर्ष 2022 में बैंकएश्योरेंस व्यवसाय के माध्यम से 85 करोड़ रुपये की आय अर्जित की , जबकि वित्त वर्ष 2021 में 64 करोड़ रुपये की आय हुई थी ।

कॉर्पोरेट एजेन्सी व्यवस्था के अंतर्गत बैंक ने 7 बीमा साझेदारों के साथ साझेदारी समझौता किया है, जिनमें से 3 जीवन के अंतर्गत, 3 गैर जीवन के अंतर्गत एवं 1स्वास्थ्य के अंतर्गत का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्टिकल	**साझेदार**
जीवन बीमा	भारतीय जीवन बीमा निगम एसबीआई जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड आदित्य बिरला सन लाईफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
गैर – जीवन बीमा	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (यूआईआईसी)
	चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड*
	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड*
स्वास्थ्य बीमा*	निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

***बैंक निम्नलिखित भागीदारों के माध्यम से ऋण जीवन बीमा एवं ऋण कवर भी प्रदान कर रहा है :**

साझेदार	पोर्टफोलियों हेतु
कोटक महिन्द्रा लाइफ	गृह ऋण एवं शिक्षा ऋण
टाटा एआईए (बन्द होने की तिथि से) केवल पूर्व के ऋणों हेतु दावा निपटान	गृह ऋण
पीएनबी मेटलाइफ	शिक्षा ऋण
आदित्य बिरला सन लाईफ	गृह ऋण एवं गैर जमानती ऋण
एलआईसी गृह जीवन एवं जीवन विद्या (बन्द होने की तिथि से) केवल पूर्व के कवरेज हेतु दावा निपटान	गृह ऋण एवं शिक्षा ऋण

म्यूच्युअल फंड वितरण

नौ (9) आस्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसीज) के साथ स्वतंत्र टाइ–अप व्यवस्था

मैसर्स यूटीआई एएमसी कं. लि.	रिलायंस निप्पोन एएमसी	एसबीआई म्यूच्युअल फंड
डीएसपी म्यूच्युअल फंड	टाटा म्यूच्युअल फंड	प्रिंसिपल पीएनबी एएमसी
कोटक महिन्द्रा एएमसी	फ्रेंकलिन टेम्पलटन एएमसी	एसेल फाइनेंस एएमसी

बैंक के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से म्यूच्युअल फंड वितरण हेतु – मैसर्स फिसडम के साथ टाइ– अप

5. शाखा नेटवर्क व विस्तार

31.03.2022 को बैंक का शाखाओं का नेटवर्क 5732 रहा, जिसमें 1938 ग्रामीण, 1498 अर्ध शहरी, 1159 शहरी और 1137 महानगर शाखाएँ शामिल थीं। उपर्युक्त के अलावा, बैंक की 3 विदेशी शाखाएं सिंगापुर, कोलंबो और जाफना में हैं एवं एक आईएफएससी बैंकिंग यूनिट (आईबीयू) गिफ्ट सिटी, गांधी नगर, अहमदाबाद में है।

वित्तीय वर्ष 22 के दौरान, खोली गई 21 शाखाओं में से 6 बैंकिंग सुविधा रहित ग्रामीण केंद्रों (यूआरसी) में थीं, जिनमें से 1 लेफ्ट विंग एक्स्ट्रीमिस्ट (एलडब्ल्यूई) जिले में और 1 उत्तर–पूर्वी (एनई) मणिपुर राज्य में थी। इसके अलावा, बैंकिंग आउटलेट्स के समेकन की दिशा में, वित्तीय वर्ष 22 के दौरान 88 शाखाओं को रेशनलाइज किया गया, जिससे समामेलन के पश्चात यह संख्या 291 हो गई।

वर्ष 2021–22 के अंत तक, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पहचाने गए 90 लेफ्ट विंग एक्स्ट्रीमिस्ट (एलडब्ल्यूई) जिलों की सूची में बैंक की 555 शाखाएँ हैं।

6. परिवर्तन

डिजिटलीकरण पहल

बैंक, गुणवत्तापूर्ण ग्राहक सेवा हेतु व अपने प्रस्तावों में सर्वोत्तम नवाचार और प्रौद्योगिकी लाने तथा ग्राहकों की पसंद के सभी चैनलों के माध्यम से प्रत्येक ग्राहक की अनूठी जरूरतों के प्रति उत्तरदायी होने के मिशन के साथ सबसे बड़े प्रवर्तक के रूप में डिजिटल परिवर्तन को बनाए हुए है ।

बैंक ने 10.01.2022 को प्रोजेक्ट डब्ल्यूएवीई (वर्ल्ड ऑफ एडवांस्ड वर्चुअल एक्सपीरियंस) नामक एक डिजिटल परिवर्तन यात्रा शुरू की है, जिसमें ट्रांसफ़ॉर्मेशन एनेबलर्स के एक पहलू को सम्मिलित किया गया है। इस परिवर्तन यात्रा में बैंक ने मैसर्स बूस्टोन कंसल्टिंग ग्रुप को नॉलेज पार्टनर के रूप में शामिल किया है।

बैंक ने अप्रैल 2022 में अपने पहले एंड–टू–एंड डिजिटल प्री–अप्रूव्ड पर्सनल लोन (पीएपीएल) उत्पाद की शुरुआत की है, जो अपने मौजूदा ग्राहकों को डिजिटल चैनलों के माध्यम से ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। ग्राहकों की सुविधा के मद्देनजर बैंक ऐसी और अधिक निर्बाध डिजिटल यात्रा (स्वचालित व स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस) उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में है।





पूर्व–अनुमोदित व्यक्तिगत ऋण की पहली डिजिटल ऋण यात्रा 28.04.2022 को 3 क्लिक में तत्काल संवितरण के साथ शुरू की गई। उत्पाद को ग्राहकों से अपार

प्रतिक्रिया और प्रशंसा मिली है।

7. ऋण निगरानी

- ऋण की निगरानी पूरे ऋण जीवनचक्र को कवर करने वाले प्रतिबंधों की जांच से शुरू होती है। यह संवितरण के तुरंत बाद शुरू होता है और संवितरण के बाद एसएमएस करता है और प्री–डिफॉल्ट ग्राहक (ग्राहकों) को एक सौम्य अनुस्मारक के रूप में भेजा जाता है। कॉल सेंटर का अनुवर्तन और एसआई/एनएसीएच आदेश का कार्यान्वयन किया जाता है। दैनिक अर्ली वार्निंग सिग्नल, मासिक सीआरएम (क्रेडिट रिलेशनशिप मैनेजर) रिपोर्ट और एसएमए–0 चरण से शुरू होने वाले एसएमए खातों की अनुवर्ती आस्ति गुणवत्ता को सशक्त रखता है। उत्पन्न लगभग 12000 से 15000 ईडब्ल्यूएस अलर्ट का विश्लेषण किया जाता है और तत्काल सुधार के उपाय किए जाते हैं।

- संग्रह दक्षता पिछले वर्ष (मार्च–21) के 88 प्रतिशत से बढ़कर मार्च–22 तक 95 प्रतिशत हो गई है।

8. आस्ति गुणवत्ता प्रबंधन

- बैंक की आस्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ है, सकल एनपीए मार्च 22 को 8.47 प्रतिशत रहा, जबकि मार्च 21 को यह 9.85 प्रतिशत था और शुद्ध एनपीए अनुपात जो मार्च 21 के 3.37 प्रतिशत था वह सुधार कर मार्च 22 को 2.27 प्रतिशत रहा।

- 31 मार्च 22 को बैंक का प्रावधान कवरेज अनुपात, जो 31 मार्च, 21 को 82.12 प्रतिशत था, सुधर कर 87.38 प्रतिशत हुआ है।

- बैंक ने एनसीएलटी में भर्ती खातों से वित्त वर्ष 22 के दौरान 1087 करोड़ रुपये की वसूली की है।

- वर्ष के दौरान, रुपए 4920.41 करोड़ के रिजर्व मूल्य की 4024 संपतियों को विक्रय के लिए सरफेसी अधिनियम के अधीन लाया गया एवं रूपए 492 करोड़ विक्रय मूल्य की 601 संपत्तियों को बेचा गया।

- बैंक ने सभी राष्ट्रीय लोक अदालतों में सक्रिय रूप से भाग लिया और अंचल स्तर पर विभिन्न लोक अदालतों का भी आयोजन किया। ₹547 करोड़ की निपटान राशि के साथ 33891 खातों का निपटारा किया गया।

- अशोध्य ऋण बट्टे खाते में डाले गए खातों में वर्ष के दौरान ₹1610.63 करोड़ की राशि वसूल की गई।

9. जोखिम प्रबंधन

ऋण जोखिम :

प्राथमिक स्तर पर जोखिम की पहचान व विश्लेषण के लिए और विवेकी सीमाओं के स्थापन व निगरानी के साथ साथ बदलते जोखिम माहौल का सामना करने के लिए अन्य सुधारात्मक उपाय किए जाने के लिए जोखिम प्रबंधन प्रणाली मौजूद हैं। यह ऋण जोखिम प्रबंधन रुपरेखा द्वारा किया जाता है, जो ऋण जोखिम के ट्रैक, प्रबंधन व ससमय पर्यवेक्षण को प्रभावी बनाता है। क्रेडिट जोखिम फ्रेमवर्क में ऋण जोखिम प्रबंधन नीति और ऋण नीति शामिल हैं।

ऋण समीक्षा फ्रेमवर्क

बैंक ने ऋण समीक्षा फ्रेमवर्क को अपनाया है, जिसमें ऋण प्रस्तावों का ऋण जोखिम मूल्यांकन और उसका कम जोखिम/मध्यम जोखिम/उच्च जोखिम/नो–गो के रूप में जोखिम वर्गीकरण शामिल है जिसका आधार सात व्यापक मानदंड यथा उधारकर्ता, प्रमोटर और समूह संस्थाएं, गतिविधि/उद्योग, प्रतिभूति कवरेज, सुविधाओं का संचालन, रेटिंग और अनुपालन की स्थिति के साथ–साथ व्यक्तिपरक जोखिम मापदंडों में अंतर्निहित जोखिम कारकों के विश्लेषण पर मात्रात्मक जोखिम स्कोरिंग मैट्रिक्स है।

आस्ति देयता प्रबंधनः

आस्ति देयता प्रबंधन बैंक को जोखिम एक्सपोजर, जोकि चलनिधि जोखिम और ब्याज दर जोखिम से बैंक के तुलन पत्र पर उभर सकते हैं, को मापने व जाँचने हेतु सहायता करता है।

बैंक की आस्ति देयता समिति (एएलसीओ) समय–समय पर बैंक की आस्ति और देनदारियों की समीक्षा करती है।

बाजार जोखिम प्रबंधनः

बाजार में होने वाले विविध परिवर्तनों के परिणामस्वरूप संभावित नुकसान, बाजार जोखिम है। बाजार जोखिम प्रबंधन का लक्ष्य है, बाजार जोखिम एक्सपोजर से संबन्धित वैश्लेषिकी संचालित आदानों, पोर्टफोलियो निष्पादन की तुलना में जोखिम एक्सपोजर और तुलनात्मक मापदण्डों को उपलब्ध कराकर जोखिम समायोजित प्रतिलाभ दर को अधिकतम बढ़ाने में व्यापार इकाइयों की सहायता करना।

परिचालन जोखिम :

वर्तमान में परिचालन जोखिम उद्योग प्रतिभागियों, विनियामकों एवं अन्य स्टेकधारकों के बीच गहन रुचि का विषय बन गया है। प्रभावी संचालन, जोखिम पर पकड़ और परिचालन जोखिम के एक्सपोजर के मूल्यांकन व मात्रा निर्धारण को सुनिश्चित करने हेतु बैंक में परिचालन जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क (ओआरएमएफ) व परिचालन जोखिम प्रबंधन प्रणाली (ओआरएमएस) विद्यमान है। दैनिक प्रबंधन प्रक्रियाओं में गुणात्मक व मात्रात्मक उपायों के प्रयोग व आंतरिक नियंत्रण प्रणाली स्थापन के द्वारा तथा विविध जोखिम न्यूनीकरण रणनीति को अंगीकार कर परिचालन जोखिम का सुप्रबंधन किया जाता है। विविध उत्पादों/प्रक्रियाओं में जोखिम बोध का आलोचनात्मक विश्लेषण एवं सुधारात्मक कदम, यदि आवश्यक हों तो, उठाए जाते हैं।

बैंक ने जोखिम नियंत्रण और स्व मूल्यांकन (आरसीएस) तथा मुख्य जोखिम सूचकांक (के आर आई) के लिए वांछित फ्रेमवर्क तैयार किया है। जोखिम एवं नियंत्रण स्वमूल्यांकन को मुख्य परिचालनात्मक जोखिमों का पता लगाने और आंतरिक नियंत्रण की प्रभावात्मकता की तीव्रता का मूल्यांकन करने हेतु प्रयोग किया जाता है।

व्यावसायिक इकाइयों से उत्पन्न होने वाली विभिन्न प्रकार के जोखिमों को कम करने और प्रबंधन करने के लिए जोखिम अधिकारियों को प्रत्येक अंचल और क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालय में जोखिम प्रबंधन विभाग के साथ समन्वय करने के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नामित किया गया है।

बेसल III पूंजी विनियमन

बेसल III पूंजी विनियमन, भारत में 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी हो गया और 1 अक्टूबर, 2021से पूरी तरह से कार्यान्वित हो गया। बैंक का सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी स्तर काफी अच्छा है और बैंक आवश्यकतानुसार सभी प्रकार की पूँजी बढाने की पर्याप्त क्षमता भी रखता है।

बेसल III पूंजी नियमों को पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) के घटकों पर प्रकटीकरणों के वर्धित सेट की आवश्यकता भी है जिन्हें त्रैमासिक आधार पर बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है। बैंक लीवरेज अनुपात चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) एव ंनिवल स्थिर निधियन अनुपात (एनएसएफआर) भी दर्शा रहा है।

पूंजी संरक्षण की दिशा में निगरानी और सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए बैंक द्वारा एक समग्र पूंजी संरक्षण मॉड्यूल विकसित किया गया है।

10. मानव संसाधन प्रबंधन

श्रमशक्ति की स्थिति

31.03.2022 को बैंक की श्रमशक्ति स्थिति निम्नानुसार है :

संवर्ग	कुल	अपिव	अजा	अजजा	पुरुष	महिला
अधिकारी	24246	6693	4731	1994	17565	6681
लिपिक	12577	3724	2746	650	8093	4484
सब स्टाफ	2616	537	1286	144	2249	367
पूर्णकालिक सफ़ाई कर्मचारी*	295	33	223	15	225	70
कुल*	**39734**	**10987**	**8986**	**2803**	**28132**	**11602**

(*घरेलू अंशकालिक सफ़ाई कर्मचारी को छोड़कर)

भर्ती अभियान

वर्ष 2021–22 के दौरान, बैंक ने 308 कर्मचारियों की भर्ती की है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडे वर्गों/दिव्यांग कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी उपाय:

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति (अजा), अनुसूचित जनजाति (अजजा), अन्य पिछडे वर्गों (ओबीसी) और शारीरिक रूप से विकलांग (पीडब्ल्यूडी) उम्मीदवारों को आरक्षण प्रदान किए जाते हैं। सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति (अजा)/अनुसूचित जनजाति (अजजा) को पदोन्नतियों में आरक्षण दिए जाते हैं।

कॉका/मासंप्र में अ.जा/अ ज.जा कल्याण कक्ष/ आरक्षण कक्ष, अ.जा/अ.जजा कर्मचारियों से प्राप्त शिकायतों/अभ्यावेदनों (अगर कुछ हों तो) उसके तुरन्त निपटान को सुनिश्चित करता है। अ.जा/अ.ज.जा वर्ग के कर्मचारियों के हितों की देखभाल हेतुएक महाप्रबन्धक, मुख्य समन्वय अधिकारी (सीएलओ) के रूप में तथा दूसरे महाप्रबन्धक अ.पि.व कर्मचारियों के हितार्थ सीएलओ के रूप में कार्यरत हैं।

वर्ष के दौरान मानव संसाधन पहलें

- नए एचआरएमएस पोर्टल, चरण I का दिसंबर, 21 में 18 मॉड्यूल के साथ शुभारंभ किया गया, चरण II शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। चरण I में प्रमुख मॉड्यूल जैसे कोर एचआर, उपस्थिति, पेरोल, पीएफ, पेंशन और निपटान आदि शामिल हैं।
- न्यू एज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम (पीएमएस): परस्पर सक्रिय डैशबोर्ड और सुदृढ़ व्यक्तिगत विकास योजना के साथ कार्यनिष्पादन के आवधिक मूल्यांकन के उद्देश्य से शुरू की गई।
- **स्वास्थ्य देखभाल टाई अप** – सेवारत और सेवानिवृत्त स्टाफ सदस्यों हेतु मुफ्त ऑनलाइन डॉक्टर परामर्शके लिए मेसर्स प्रेक्टो के साथ टाइ–अप: 41108 नामांकित

11. मानव संसाधन विकास

अप्रैल 2021 से मार्च 2022 की अवधि के दौरान आयोजित आंतरिक प्रशिक्षण का विवरण:

क्रं. सं.	प्रशिक्षण का प्रकार	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1	सेल्फ लर्निंग पोर्टल 'ई–पाठशाला' के माध्यम से प्रदत्त प्रशिक्षण	54	7136
2	घर से ऑनलाइन प्रशिक्षण	398	18188
3	कार्यस्थल से ऑनलाइन प्रशिक्षण	414	11605
4	क्लास रुम / भौतिक प्रशिक्षण	76	2069
5	कैप्सूल कार्यक्रम / वेबिनार्स	713	20835

- वित्तीय वर्ष 22 की अवधि के दौरान, सीएबी, आईडीआरबीटी, सीएएफआरएएल, एनआईबीएम, एफईडीएआई, आईएसएसीए, आईआईएम और एसबीआईएल जैसे बाह्य संस्थानों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण / वेबिनार में 1443 कार्यपालकों / अधिकारियों ने भाग लिया है।
- वित्तीय वर्ष 22 के दौरान बैंक बोर्ड ब्यूरो (बीबीबी)/आईआईएम बैंगलोर के जरिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम में आठ कार्यपालकों ने भाग लिया है।

- एसबीआईएल, कोलकाता के जरिए शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 173 सहायक महाप्रबंधकों और 83 उप महाप्रबंधकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया था।
- उप महाप्रबंधक और सहायक महाप्रबंधक स्तर के 123 कार्यपालकों के लिए मैसर्स डेलॉइट के माध्यम से व्यवहार योग्यता प्रस्तुतीकरण द्वारा योग्यता मूल्यांकन आयोजित किया गया था और सभी अधिकारियों के साथ व्यक्तिगत विकास योजना (आईडीपी) साझा की गई थी।
- 5272 अधिकारियों को शामिल करते हुए एएसबीए संचालन पर केंद्रित कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- कर्मचारियों को स्थानीय भाषा से परिचित कराने हेतु (तमिलनाडु में तैनात) 160 वरिष्ठ कार्यपालकों / अधिकारियों के लिए मद्रास विश्वविद्यालय के सहयोग से अभिव्यक्ति योग्य तमिल पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कॉर्पोरेट कार्यालय / शाखाओं के कार्यपालकों / अधिकारियों के लिए आंतरिक कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- आठ अधिकारियों ने 10 महीनों तक 275 घंटे के गहन कार्यक्रम में भाग लिया। यह कार्यक्रम आईआईबीएफ द्वारा भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM), कलकत्ता के सहयोग से आयोजित किया गया था।

12. ग्राहक सेवा

बैंक, ग्राहकों की संतुष्टि के स्तर में सुधार के लिए विभिन्न उपाय और लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में अपने ग्राहकों को नए उत्पाद पेश करने के प्रयास में है।

शिकायत निवारण के तरीके

- 24X7 टोल फ्री नंबर 180042500000 पर सुव्यवस्थित कॉल सेंटर उपलब्ध है।
- ग्राहक **customercomplaints@indianbank.co.in** मेल आईडी पर ई–मेल के जरिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
- शाखाओं / अंचलों / कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा सभी माध्यमों से प्राप्त सभी शिकायतों का निपटान यदि 24 घंटे के अन्दर नहीं किया जाता है तो यह ग्राहक शिकायत निवारण प्रणाली (सीजीआरएस), जो कि कई अनूठी विशेषताओं के साथ विकसित एक इन–हाउस सॉफ्टवेयर है, में दर्ज हो जाएंगे।

आंतरिक लोकपाल की नियुक्ति

- आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ करने और ग्राहकों के विश्वास को मजबूत करने के लिए शिकायतों का निपटान सुनिश्चित करने के लिए एक आंतरिक लोकपाल की नियुक्ति की गई है।
- सभी शिकायतें जहां समाधान या तो नकारात्मक या आंशिक है, योजना के अनुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए आंतरिक रूप से बैंक के आंतरिक लोकपाल के पास भेज दी जाती है।

ग्राहक सेवा में सुधार के लिए की गई पहल

- 24x7 ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए विभिन्न केंद्रों पर ई–लाउंज खोले गए हैं।
- जहां पेंशनभोगियों की संख्या अधिक है, वहाँ वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष काउंटर खोले गए हैं।
- बैंक प्रदत्त उत्पादों पर अल्प अवधि की वीडियो तैयार की गई है और ग्राहकों के हितार्थ इसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया है।
- ग्राहक सेवा में सुधार और ग्राहकों की शिकायतों से निपटने के लिए बैंक के प्रशिक्षण केंद्रों में आयोजित सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों / कार्यशालाओं में ग्राहक सेवा पर एक विशेष सत्र शामिल किया गया। ग्राहकों के साथ सहृदयतापूर्वक व्यवहार करने के लिए फ्रॉन्टलाइन स्टाफ सदस्यों के लिए नवीन सॉफ्ट स्किल कार्यक्रम तैयार किया गया है।

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम 2005

कॉर्पोरेट कार्यालय में ग्राहक सेवा विभाग के तहत आरटीआई सेल आवेदनों, पहली अपीलों और दूसरी अपीलों को संभाल रहा है। आरटीआई आवेदन दाखिल करने के लिए केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) लिंक बैंकों की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। सभी आवेदनों को निर्धारित समय अवधि के भीतर निपटाया जाता है।

13. डिजिटल यात्रा

- 31.03.22 को बैंक के नेटवर्क रूप में देश भर में 3180 एटीएम, 1745 बीएनए, 1969 पासबुक कियॉस्क है।
- डिजिटल चैनलों के माध्यम से लेनदेन में वर्ष–दर–वर्ष 17% की वृद्धि हुई है।

डिजिटल प्रस्ताव

- बैंक ने कारोबार सृजन, खुदरा और एमएसएमई ऋण उत्पादों की क्रॉस–सेलिंग के लिए पूर्णडेटा एनालिटिक्स सॉल्यूशन लागू किया है।
- विभिन्न चैनलों यथा एटीएम, वेबसाइट, एमबी, चैटबॉट, सोशल मीडिया के माध्यम से सृजित लीड की प्रभावी निगरानी और लीड को कारोबार में बदलने के लिए इसे लीड मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) के साथ एकीकृत किया गया है।
- ऑन लाइन प्राप्त ऋण आवेदनों के प्रसंस्करण के लिए क्रेडिट लिंक्ट सरकारी योजनाओ के लिए राष्ट्रीय पोर्टल के साथ एकीकृत
- तत्काल खाता खोलने और ग्राहक अधिग्रहण को आसान बनाने के लिए टैब बैंकिंग और वीडियो केवाईसी का लांच किया गया।
- पेंशनभोगी के लिए वीडियो केवाईसी के माध्यम से वीडियो जीवन प्रमाण पत्र।

इंटरनेट बैंकिंग

- बैंक ने बिल प्रेजेंटेशन मॉड्यूल के तहत इंटरनेट बैंकिंग चैनल में बीबीपीएस को एकीकृत किया है। बिलर के पंजीकरण के बिना ग्राहक बिलों का भुगतान कर सकता है।
- इंटरनेट बैंकिंग में डेबिट कार्ड की हॉटलिस्टिंग और कार्ड को पुनः जारी करने हेतु अनुरोध की सुविधा को सक्षम किया गया है।
- वित्तीय डेटा रिपोर्टिंग सिस्टम की गुणवत्ता और यथार्थता में सुधार और बेहतर जोखिम प्रबंधन के लिए बड़े कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं के लिए इंटरनेट बैंकिंग में एनईएफटी / आरटीजीएस लेनदेन में एलईआई (विधिक संस्था आइडेंटिफाइर) को सक्षम किया गया है।
- नेट बैंकिंग के माध्यम से आयकर विभाग की नई ई–फाइलिंग वेबसाइट (आईटीआर ई–फाइलिंग 2.0) को एकीकृत किया गया है।
- खाता के होम शाखा परिवर्तन की सुविधा को सक्षम किया गया है।
- कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए आईएमपीएस सुविधा शुरू की गई।

मोबाइल बैंकिंग

- एसबी खाते के लिए गृह शाखा का परिवर्तन, एटीएम कार्ड हॉट लिस्टिंग,

इंडओएसिस में ईमेल आईडी बदलना/अपडेट करना शुरू की गई।

- इंडओएसिस में पॉज़िटिव पे सिस्टम – चेक विवरण की पुष्टि करने के लिए ताकि उच्च मूल्य के चेकों को संसाधित किया जा सके जब इसे बैंक को प्रस्तुत किया जाता है जैसे कि आरबीआई द्वारा अनिवार्य किया गया है। यह चेक के माध्यम से धोखाधड़ी गतिविधियों को रोकने के लिए संचालित किया गया है।
- ग्राहक को मोबाइल प्लेटफॉर्म पर तुरंत ऑनबोर्ड करने की सुविधा के लिए शाखा के माध्यम से एमपिन का जनरेशन सक्षम किया गया है।

डिजिलॉकर सेवाएं

- ग्राहक के डिजिलॉकर खाते में शाखा विवरण के साथ ई–पासबुक फ्रंट पेज, व्यक्तिगत विवरण और क्यूआर कोड जनरेट और जारी किया जा सकता है।
- मीयादी जमा खातों के लिए डिजिलॉकर के माध्यम से ब्याज प्रमाणपत्र जनरेट किया जा सकता है।
- बचत और ऋण खातों के लिए डिजिलॉकर के माध्यम से खाता विवरण जनरेट किया जा सकता है। इंडियन बैंक डिजि लॉकर के माध्यम से खाता विवरण सेवाएं प्रदान करने वाला एकमात्र बैंक है।

एटीएम एवं बीएनए

- बीएनए में इंटरऑपरेबिलिटी नकद जमा सुविधा लागू किया गया है ।
- बैंक ने एटीएम से जुड़े जोखिम को कम करने के लिए एटीएम में मैन इन मिडल अटैक का पता लगाने के लिए एटीएम स्विच को अनुकूलित किया है।
- बैंक के एटीएम/कैश रिसाइकल में लेन–देन सक्षम होने से पहले नकद और मूल्यवर्ग की उपलब्धता एटीएम स्क्रीन में प्रदर्शित होती है।

डेबिट/क्रेडिट कार्ड

- ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड आवेदन पोर्टल की शुरुआत की गई, जहां ग्राहक /गैर–ग्राहक क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- भुगतान निपटान प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए क्रेडिट कार्ड देय भुगतान में वी–कलेक्ट की शुरुआत।
- नई हेल्थ कार्ड उत्पाद "आईबी–सुरक्षा" लॉन्च किया गया।
- ग्राहकों को कॉन्टैक्टलेस (एनएफसी) वीज़ा क्रेडिट कार्ड जारी करना।
- डेबिट कार्ड लेनदेन के लिए ईएफ़आरएम एकीकरण लागू किया गया।
- एनपीसीआई और मास्टरकार्ड के लिए कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन को लाइव कर दिया गया है।

व्यापारी अधिग्रहण

- यूपीआई प्रीपेड वाउचर रिडेम्पशन मॉड्यूल मोबाइल ऐप (ई–रुपी) लॉन्च किया गया ।
- सॉफ्टपीओएस की शुरुआत – मोबाइल एप्लिकेशन–आधारित जो व्यापारियों को अपने मोबाइल फोन पर नकद, कार्ड, क्यूआर और यूपीआई लेनदेन स्वीकार करने में सक्षम बनाता है।
- पीओएस भुगतान कियोस्क सॉल्युशन की शुरुआत – ग्राहकों को पूरी तरह से संपर्क रहित भुगतान सेवा का अनुभव करने की अनुमति देता है। कियोस्क संस्थानों को कम समय में अधिक लोगों तक पहुंचने की अनुमति देता है, जिससे पैसे और श्रम शक्ति की बचत होती है।
- ऐन्ड्रॉइड पीओएसएलएन (।दकतवपक च्वैसद) ऐप बिलिंग सॉल्युशन की शुरुआत
- बैंक ने एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) ओडिशा ट्रेजरी और तमिलनाडु के आईएफएचआरएमएस के तहत ट्रेजरी संग्रह को एकीकृत किया है।

फास्टैग

- खुदरा ग्राहकों के लिए फास्टैग रिचार्ज मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया ।
- कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए फास्टैग लॉन्च किया गया ।

पीएफएमएस

पीएफएमएस मॉड्यूल के तहत , निम्नलिखित ऑनबोर्ड किया गया :

- टीएन एग्री डीबीटी ट्रांसफर – टीएन कृषि विभाग के लिए एनपीसीआई के माध्यम से राहत राशि के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए विकसित पोर्टल ।
- पीएफएमएस ईपीए (इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सलाह) – कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान सक्षम
- केंद्र प्रायोजित योजनाओं के प्रबंधन के लिए नया सॉफ्टवेयर लागू किया गया है – एकल नोडल खाता (सीएसएस–एसएनए)
- सीपीएमएस (गैर पीएफएमएस थोक भुगतान प्रणाली) में सक्षम इंट्रा फंड ट्रांसफर सुविधा।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

- आरआरबी के डेबिट कार्ड के लिए ग्रीन पिन सुविधा लागू की गई है।
- आरआरबी के लिए पीओएस का परिचय

14. सूचना प्रणाली सुरक्षा

- बैंक की सूचना प्रणाली और सुरक्षा प्रक्रियाओं को मानक आईएसओ 27001:2013 प्रमाणित किया गया है ।
- बैंक ने पहले से ही एक साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र (सी–एसओसी) स्थापित किया है जिसमें विभिन्न प्रमुख सुरक्षा समाधान शामिल हैं और सी–एसओसी की 24*7 निगरानी की जाती है।
- बैंक के पास मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) के अधीन एक समर्पित टीम है जो सुरक्षा कार्यों की 24/7 निगरानी करती है।
- आईटी विभाग के तहत एक समर्पित टीम भी बनाई गई है जो विभिन्न साइबर सुरक्षा समाधानों के कार्यान्वयन को देखती है। समाधान सक्रिय रूप से डेटा, नेटवर्क और सर्वर की सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
- कर्मचारियों को साइबर सुरक्षा पर प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है ताकि उन्हें हालिया साइबर हमले की रणनीतियों से अवगत कराया जा सके और ऐसी घटनाओं को कम किया जा सके।
- नवीनतम साइबर खतरों पर ग्राहकों को एसएमएस भेजकर ग्राहक जागरूकता को मजबूत किया गया है। सोशल मीडिया पर भी जागरूकता संदेश प्रकाशित किए जाते हैं।
- बैंक ने "फोरेंसिक विशेषज्ञों" को भी सूचीबद्ध किया है, ताकि किसी साइबर सुरक्षा घटना के कारण होने वाली फोरेंसिक जांच, यदि कोई हो, का संचालन किया जा सके।
- बैंक आरबीआई द्वारा जारी दिशा–निर्देशों/सलाहकारों को उच्च प्राथमिकता दे रहा है और आरबीआई द्वारा किए गए नियामक ऑडिट पर की गई

टिप्पणियों के अनुपालन का पालन कर रहा है।

15. परिसर

- हरित पहल के हिस्से के रूप में, विक्रेताओं, आपूर्तिकर्ताओं आदि को अधिकांश भुगतान इलेक्ट्रॉनिक चैनल, जैसे प्रत्यक्ष क्रेडिट / एनईएफटी / आरटीजीएस के माध्यम से किए जाते हैं।
- चेन्नई में बैंक का कॉर्पोरेट कार्यालय ग्रीन बिल्डिंग (गोल्ड रेटिंग स्थिति) के अंतर्गत है।
- बैंक ने इमेज ऑडिटोरियम के लिए 93 केडबल्यूपी सोलर पावर प्लांट, हेड ऑफिस/क्रेस्ट बिल्डिंग/कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए 106 केडबल्यूपी सोलर पावर प्लांट और चेन्नई शहर में 11 शाखाओं के लिए 115 केडबल्यूपी सोलर पावर प्लांट लागू किया है।
- सभी नए शाखाओं में एलईडी लैम्प इन्सटॉल किए गए हैं। मौजूदा शाखाओं में चरणबद्ध तरीके से बदला जा रहा है।
- शाखाओं एवं कार्यालयों के लिए एनर्जी ऑडिट आवधिक किया जाता है।

16. आंतरिक नियंत्रण

निरीक्षण

- जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा अब सभी शाखाओं और सभी व्यावसायिक इकाइयों को कवर कर रही है।
- 969 शाखाओं को समवर्ती ऑडिट के तहत कवर किया गया है, जिसमें 70.09: घरेलू अग्रिमों और सभी व्यावसायिक इकाइयों और कॉकाः के चयनित विभागों को शामिल किया गया है।
- आय के लिकेज की पहचान करने के लिए सभी शाखाओं में अर्धवार्षिक आधार पर राजस्व लेखा परीक्षा की गई।
- वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान 78 अंचल कार्यालयों, 14 क्षेत्र महा प्रबंधक कार्यालयों, कॉर्पोरेट कार्यालय के 34 विभागों, 14 निरीक्षण केन्द्रों और 2 आरआईसी में प्रबंधन लेखा परीक्षा की गई।
- समीक्षा अवधि के दौरान बाहरी ऑडिट फर्म द्वारा भेद्यता मूल्यांकन और एकीकरण के बाद आईटी अवसंरचना का भेदन परीक्षण किया गया था।
- शाखाओं को 30 प्रकार के अलर्ट देने के लिए ऑफसाइट मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर लागू किया गया है।
- निरीक्षकों के कौशल विकास हेतु उनके लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधनः

- बैंक के धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन कक्ष (एफआरएमसी) ने क्षेत्रीय स्तर के पदाधिकारियों को जानकार बनाने और धोखाधड़ी की घटनाओं को रोकने के लिए वर्ष के दौरान विभिन्न पहल की हैं।
- धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर जागरूकता पैदा करने के लिए ई–पाठशाला पोर्टल पर ई–प्रशिक्षण कार्यक्रम अपलोड किया गया।

अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/धन शोधन (एएमएल) दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन :

- बैंक की एक सुपरिभाषित केवाईसी–एएमएल–सीएफ़टी (आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला) नीति बनाई है, यह वह आधार है जिस बैंक ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के तहत बैंक के केवाईसीमानदंडों, एएमएलमानकों, सीएफ़टी उपायों और बैंक के दायित्व को लागू किया है।
- प्रमुख वॉच लिस्ट के सापेक्ष प्रभावी ग्राहक नाम स्क्रीनिंग के लिए, बैंक ने अपने एएमएलएप्लिकेशन के साथ मेसर्स लेक्सिस नेक्सिस द्वारा प्रदान की गई वर्ल्ड कम्प्लाइंस डेटा फीड को एकीकृत किया है।
- बैंक ने एएमएलएप्लिकेशन में एफआईयू–आईएनडी द्वारा निर्धारित अलर्ट परिदृश्यों को अनुकूलित और युक्तिसंगत प्रारंभिक मूल्यों के साथ शामिल किया है।
- ग्राहक जोखिम वर्गीकरण प्रक्रिया को सीबीएस के साथ एकीकृत कर एक गतिशील और अधिक कुशल मॉडल में बदल दिया गया है।

17. अनुपालन

बैंक की अनुपालन नीति को बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक में महाप्रबंधक और मुख्य अनुपालन अधिकारी की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र अनुपालन विभाग स्थापित किया गया है। विभाग बैंक के कामकाज को नियंत्रित करने वाले विभिन्न वैधानिक और नियामक दिशानिर्देशों के पालन की निगरानी करता है।

18. सतर्कता

सतर्कता विभाग बैंक में सतर्कता प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। विभाग केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा जारी सतर्कता नियमावली और सीवीसी द्वारा समय–समय पर जारी सतर्कता प्रशासन के दिशा–निर्देशों द्वारा निर्देशित होता है। सतर्कता मामलों पर सीवीसी के साथ परामर्श करने के लिए विभाग संपर्क का एकमात्र स्थल है। सतर्कता विभाग का प्रमुख मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) होता है, जिसे सीवीसी की सिफारिशों पर भारत सरकार द्वारा इस पद पर नियुक्त किया जाता है। सीवीओ बैंक के सतर्कता संबंधी मामलों के संबंध में सीवीसी, भारत सरकार, आरबीआई, सीबीआई जैसी बाहरी जांच एजेंसियों के साथ संपर्क करने वाला नोडल अधिकारी है।

बैंक में सतर्कता विभाग अतिसक्रिय रूप से कार्य कर रहा है, जिसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित पर ध्यान दिया गया है–

- निवारक सतर्कता पहल,
- बैंक के प्रशासन में व्यवस्थितसुधार का सुझाव देना,
- सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुरूप संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारियों द्वारा सतर्कता संबंधी अनुशासनिक मामलों के संचालन और समापन को सुनिश्चित करने के लिए सूक्ष्म निगरानी
- वित्तीय वर्ष के लिए चयन की गई शाखाओं का सतर्कता निरीक्षण करना और
- क्षेत्रीय सतर्कता इकाइयों/ अंचल कार्यालयों के माध्यम से सतर्कता संबंधी आशंका एवं धोखाधड़ी वाली शिकायतों की जांच करना।

वर्ष के दौरान सतर्कता निवारक पहलः

आयोजित अभियान :

- **वाहन ऋण पोर्टफोलियो की संवीक्षा** के लिए अक्टूबर 2021 में एक विशेष अभियान आयोजित किया गया।
- **आभूषण ऋण और मुद्रा ऋण पोर्टफोलियो** की संवीक्षा के लिए दिनांक 31.01.2022 से 05.02.2022 के बीच एक विशेष अभियान चलाया गया।

- इन अभियानों से प्राप्त निष्कर्षों को जागरुकता और सुधार के लिए सभी शाखाओं के साथ साझा किया गया।

महत्वपूर्ण घटनाक्रम:

- उन 14 स्थानों पर क्षेत्रीय सतर्कता इकाइयां (एफवीयू) स्थापित की गई हैं, जहां निरीक्षण केंद्र कार्यरत हैं। ये क्षेत्रीय सतर्कता इकाइयां (एफवीयू) सीधे बैंक के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) को रिपोर्ट करते हैं। एफवीयू की प्रमुख जिम्मेदारियों में सतर्कता संबंधी शिकायतों की जांच तथा धोखाधड़ी के मामले, बड़े मूल्य के खातों का पुनरू अध्ययन, शाखाओं में औचक सतर्कता निरीक्षण, सीबीआई / स्थानीय पुलिस के साथ संपर्क स्थापित करना आदि शामिल है।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021:

सतर्कता जागरूकता सप्ताह (वीएडब्ल्यू 2021) का आयोजन दिनांक 26/10/2021 से 01/11/2021 तक सीवीसी द्वारा निर्धारित विषय "Independent India @ 75] Self-reliance with Integrity- स्वतंत्र भारत @75, सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता"¼Swatantra Bhaarat @ 75, Satya nishtha Se Athma nirbharata) पर किया गया।

19. सुरक्षा

- सभी बैंक शाखाओं को अब अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक –श्बर्गलर और फायर अलार्म सिस्टम, हाई डेफिनिशन डीवीआर / एनवीआर आधारित सीसीटीवी सोलूशन्सश से लैस किया गया है।
- सर्वर रूम, डीआर साइटों जैसे सभी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में स्वचालित (मॉड्यूलर) क्लीन एजेंट आधारित अग्निशामक / गैस आधारित अग्नि शमन प्रणाली तथा शाखाओं / एटीएम को आग के खतरों को कम करने के लिए पर्याप्त अग्निशामकों से सुसज्जित किया गया है।
- कैश वैन में जीपीएस आधारित ट्रैकिंग डिवाइस लगाए गए हैं।
- एटीएम केंद्रों की भेद्यता को ध्यान में रखते हुए, देश भर में बैंक के स्वामित्व वाले एटीएम में केंद्रीकृत निगरानी के साथ 24x7 इलेक्ट्रॉनिक निगरानी (ई–निगरानी) की व्यवस्था की गई है।

20. विपणन:

सोशल मीडिया पर ब्रांड निर्माण गतिविधियां

- बैंक के आधिकारिक फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन चैनलों का प्रबंधन किया गया और सोशल मीडिया चैनलों पर उत्पाद प्रचार और सूचना प्रसार किया गया। क्षेत्र स्तर की गतिविधियों, स्मारक दिवसों, अवसरों और बैंक की उपलब्धियों से संबंधित सोशल मीडिया चैनलों पर विशिष्ट सामग्री विकसित, प्रचारित की गई। इंस्टाग्राम, फेसबुक स्टोरी पोस्ट और फेस्टिवल विश के लिए आकर्षक जीआईएफ और वीडियो पोस्ट बनाए गए।

डिजिटल साइनेज

- बैंक ने ग्राहकों को बैंक के उत्पादों के बारे में जानकारी प्रदान करने और चुनिंदा शाखाओं में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले करने के लिए डिजिटल साइनेज खरीदे हैं। डिस्प्ले इकाइयाँ, बैंक के उत्पादों, उपलब्ध ऑफ़र, सुरक्षा युक्तियों, नई शुरूआत आदि पर सामग्री प्रदर्शित करती हैं, जो ग्राहक–उन्मुख और साथ ही कर्मचारी–उन्मुख दोनों हैं। डिजिटल साइनेज का लाभ हाल ही के वास्तविक समय के आधार पर अद्यतन जानकारी को रिले करने की क्षमता है। वर्तमान में, पूरे भारत में चुनिंदा शाखाओं/कार्यालयों में 943 साइनेज लगाए गए हैं।

एआई–चैटबोट

आद्या एक वेब आधारित चैटबोट है जो बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर ग्राहकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एक अतिरिक्त मोबाइल–अनुकूल ग्राहक इंटरफ़ेस के रूप में इंडियन बैंक की वेबसाइट में एकीकृत है। ग्राहक द्वारा सामान्य संवादी भाषा (वर्तमान में अंग्रेजी) में बैंकिंग प्रश्नों को समझने के लिए चौटबॉट उन्नत प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण एल्गोरिदम पर बनाया गया है।

कार्यक्रम प्रबंधन/अभियान:

टोक्यो पैरालंपिक 2020 विजेताओं का अभिनंदन :

बैंक ने पैरालंपिक खेल, टोक्यो 2020 से बैंकिंग भागीदारों में से एक बनने के लिए भारत की पैरालंपिक समिति के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। खेलों के बाद, बैंक ने 23.10.2021 को इमेज, चेन्नई में विजेताओं के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया।

21. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) :

- बैंकिंग गतिविधियों के अतिरिक्त बैंक ने सीएसआर पहल की है और नैतिक मूल्यों का सम्मान करने और लोगों, समुदायों और प्राकृतिक पर्यावरण का सम्मान किया है।
- एक मजबूत जिम्मेदार कॉर्पोरेट के रूप में, बैंक भारत के लोगों की सेवा करने की प्रतिबद्धता के साथ समाज के लाभ के लिए विभिन्न पहल कर रहा है और सीएसआर स्तंभों के माध्यम से जरूरतमंद और हाशिए की आबादी तक पहुंचने के लिए निम्नानुसार काम कर रहा है :
- लैंगिक समानता और महिला अधिकारिता
- समावेशी विकास
- हरित पहल और पर्यावरणीय स्थिरता
- वित्तीय साक्षरता और व्यावसायिक कौशल में वृद्धि
- वरिष्ठ नागरिकों की विशिष्ट आवश्यकताएं

सीएसआर गतिविधियाँ :

वित्त वर्ष 2022 के दौरान, भारत के विभिन्न भागों में अस्पतालों को कोविड चुनौती से निपटने के लिए एवं उनकी भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग सहित कई सीएसआर गतिविधियां की गई।



श्री एस एल जैन, एमडी एवं सीईओ ने डॉ मनोज कुमार एच वी डीन और निदेशक, श्री अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, बेंगलुरु को एम्बुलेंस की चाबी सौंपी।



श्री एस एल जैन, एमडी एवं सीईओ, गुजरात मेडिकल एजुकेशन रिसर्च सोसाइटी को एम्बुलेंस की चाबी सौंपते हुए



आजादी का अमृत महोत्सव के एंकर माह के हिस्से के रूप में वीएचएस, चेन्नै के सहयोग से कॉर्पोरेट कार्यालय में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया।.



चेन्नै पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, आलवारपेट, चेन्नै को टेबल और कुर्सियां, नोटबुक और स्टेशनरी आइटम देकर सहयोग प्रदान किया गया।



होप साइकियाट्रिक रिहैबिलिटेशन शेल्टर फॉर वुमन, एग्मोर, चेन्नै को आवश्यक वस्तुओं का वितरण।



इंडियन बैंक द्वारा चेन्नै पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, आलवारपेट,चेन्नै के बगीचे में पौधे लगाए गए। इस उद्यान का रखरखाव बैंक द्वारा किया जा रहाहै।



श्री इमरान अमीन सिद्दीकी, कार्यपालक निदेशक ने इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना के लिए एम्बुलेंस को झंडी दिखाकर रवाना किया।



उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने सीएसआर के तहत बैंक द्वारा प्रदान की गई तीन एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया



श्री सुजय मलिक, एफजीएम, मेरठ ने सेंट ल्यूक अस्पताल, साकेत, मेरठ को एम्बुलेंस की चाबियां सौंपी।



सीएसआर गतिविधि के तहत जेड पी स्कूल, नासिक जिले के मेधावी छात्रों को टैब्स प्रदान किए गए



सुश्री पद्मजा चुन्डूरू, तत्कालीन एमडी एवं सीईओ, इंडियन बैंक ने श्री एम के स्टालिन, माननीय मुख्यमंत्री, तमिलनाडु सरकार को कोविड –19 राहत उपायों के लिए मुख्यमंत्री जन राहत कोष हेतु चेक सौंपा।



श्री. एच.एस. अहलूवालिया, क्षेत्र महाप्रबंधक, कोलकाता ने मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार को कोविड–19राहत उपायों के लिए मुख्यमंत्री जन राहत कोष हेतु चेकसौंपा



अंचल कार्यालय, पुदुचेरी के अधिकारियों ने स्वास्थ्य सचिव, डॉ अरुण, आईएएस की उपस्थिति में पुदुचेरी के माननीय मुख्यमंत्री श्री रंगासामी को चेक सौंपा।



अंचल कार्यालय गुवाहाटी के अधिकारियों ने 29.06.2021 को सीएमओ, असम सचिवालय में असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉ हिमंता बिस्वा सरमा को एक चेकसौंपा।



विशाखापत्तनम अंचल ने जिला परिषद ईएम राजकीय विद्यालय, गजुवाका में पौधारोपण किया।



एर्णाकुलम अंचल ने राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, एर्णाकुलम में पौधारोपण किया



श्री महेश कुमार बजाज, महाप्रबंधक (टीएमओ बीपीआर/सीसीडी/एमकेटीजी), कॉर्पोरेट कार्यालय, चेन्नै और श्री अशोक पटनायक, एफजीएम चंडीगढ़ ने टाटा विंगर स्कॉल 18 सीटर एससीवी की चाबियां तपन पुनर्वास सोसायटी निलोखेड़ी, करनाल के संस्थापक निदेशक डॉ. सुजाता को सौंपी।



पटना अंचल कार्यालय द्वारा इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना को चिकित्सा उपकरण वितरित किया गया



अंचल कार्यालय गुवाहाटी ने सेक्रेड हार्ट पेलिएटिव केयर सेंटर, गुवाहाटी के मरीजों के लिए मेडिकल उपकरण वितरण किया



अंचल कार्यालय उदयपुर ने जनजाति विभाग, उदयपुर को सीलिंग फैन प्रदान किया

22. खेल

पैराशूटिंग :





सुश्री पूजा अग्रवाल (वरिष्ठ प्रबंधक) ने दिल्ली में आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय पैराशूटिंग चैंपियनशिप 2022में भाग लिया।

हॉकी :





दिनांक 7–12 फरवरी 2022 तक तिरुनगर, मदुरै तमिलनाडु में आयोजित राज्य स्तरीय हॉकी टूर्नामेंट में बैंक की हॉकी टीम उपविजेता रही

बैडमिंटन और क्रिकेट :



दिनांक 06.03.2022 को एमडी और सीईओ श्री एस एल जैन द्वारा इमेज चेन्नै में नए सिंथेटिक बैडमिंटन कोर्ट का उद्घाटन किया गया



विजेता – बैंक की क्रिकेट टीम ने वाईएसआरआर–एसीए क्रिकेट स्टेडियम, कडपा में 17–21 फरवरी 2022 तक आयोजित सीएम टी–20 कप, अखिल भारतीय टी–20 क्रिकेट टूर्नामेंट जीता।



दिनांक 23.10.2021 कोएम ए चिदंबरम स्टेडियम, चेपक, चेन्नै में इंडियन बैंक कार्यपालक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन



विजेता – इंडियन बैंक कार्यपालक क्रिकेट टूर्नामेंट

23. राजभाषा विभाग :

राजभाषा के कुशल और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बैंक प्रतिबद्ध है। राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में बैंक ने हमेशा ही उत्तम कार्य निष्पादन किया है।

24. पुरस्कार एवं प्रशस्तियां

ए) एसएचजी

Best Performing Bank under SHG-Bank Linkage Program	State level NABARD Award in SHG Credit Linkage	Tamil Nadu State level NABARD Award
		
MORD, GoI awarded Indian Bank , 'Best Performing Bank-SHG Bank Linkage for FY 21 on 08.03.22 at New Delhi	Best Bank under NABARD's "SHG Bank Linkage Program" for FY 21 received on 14.12.21	Best Financial Performance and Developmental Initiatives in the State of Tamil Nadu - received during July'21

(बी) वित्तीय समावेशन :

- एपीवाई में, बैंक ने वार्षिक एपीवाई निष्पादन के मामले में औसत 96 खाता प्रति शाखा (एएपीबी) के साथ पीएफआरडीए में दूसरा स्थान प्राप्त किया और वित्त वर्ष 2021–22 के लिए "उत्कृष्टता के लिए वार्षिक एपीवाई पुरस्कार" से सम्मानित किया गया, जिसने लक्ष्य का 137% हासिल किया।

- दिनांक 03.01.2022 से 17.02.2022 तक बैंकों के एमडी और सीईओ के लिए एपीवाई लीडरशिप अभियान में, बैंक ने लक्ष्य का 271% प्राप्त किया और पीएफआरडीए द्वारा "एक्जेमप्लरी डायमंड अवार्ड" और "न्यूमेरो यूएनओ अवार्ड" के लिए अर्हता प्राप्त की।

- वित्त वर्ष 2021–22 के लिए पीएफआरडीए के एपीवाई 2.0 अभियान के अमेजिंग अचीवर्स के लिए बैंक नंबर 1 स्थान पर रहा और उसे "उत्कृष्टता" से सम्मानित किया गया। सभी पीएसबी शाखाओं में, उद्योग में पहला तीन स्थान हमारी बैंक शाखाओं यथा गोला गोकर्ण नाथ, बबेरू और मनकापुर ने जीता था।

सी) राजभाषा

- चालू वित्तीय वर्ष बैंक के लिए बैंक को हिंदी गृह पत्रिका "इंड छवि" और पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक को भारत सरकार द्वारा "राजभाषा कीर्ति" पुरस्कार से सम्मानित किया गया।





इंडियन बैंक की हिंदी गृह पत्रिका "इंड छवि" के लिए **"राजभाषा कीर्ति"** पुरस्कार प्राप्त करते हुए हमारे कार्यपालक निदेशक

25. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक :

- बैंक के तीन प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, यथा तमिलनाडु ग्राम बैंक (टीएनजीबी) का मुख्यालय सेलम (तमिलनाडु), सप्तगिरी ग्रामीण बैंक का मुख्यालय चित्तूर (आंध्र प्रदेश), और पुदुवै भारतियार ग्राम बैंक का मुख्यालय पुदुचेरी (केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी) में है।
- तीनों आरआरबी के संबंध में, शाखा नेटवर्क 909 (मार्च 2021) से 8 बढ़कर 917 शाखाएं (मार्च 2022) हो गया है। तीनों आरआरबी का कुल कारोबार मार्च 2021 तक ₹47744 करोड़ (13.36% की वार्षिक वृद्धि) की तुलना में मार्च 2022 तक ₹54121 करोड़ था।
- तीनों लाभ कमाने वाले आरआरबी हैं।

31.03.2022	शाखाओं की संख्या	जमाराशि	अग्रिम	व्यवसाय	निवल लाभ	निवल एनपीए%	सीआरएआर%
तमिलनाडु ग्राम बैंक (अलेखापरीक्षित)	644	17093	17618	34711	232	0.11	12.74
सप्तगिरी ग्रामीण बैंक	229	9107	8346	17453	201	0	15.19
पुदुवै भारतियार ग्राम बैंक	44	1024	933	1957	10	0	10.57
कुल	**917**	**27224**	**26897**	**54121**	**443**	**--**	**--**

- आरआरबी सक्रिय रूप से पीएमजेडीवाई, पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और सरकार के एपीवाई कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। तीनों आरआरबी पीएमजेडीवाई के तहत 1210 एसएसए गांवों को कवर कर रहे हैं और इस योजना के तहत 10.05 लाख खाते खोले हैं। आरआरबी ने पीएमएसबीवाई के तहत 9.63 लाख लाभार्थियों, पीएमजेजेबीवाई के तहत 4.93 लाख लाभार्थियों और एपीवाई योजना के तहत 1.59 लाख लाभार्थियों को भी कवर किया है।

कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट –2021–22

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 का विनियमन 34

खण्ड एः कंपनी का सामान्य परिचय

1. कंपनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	लागू नहीं
2. कंपनी का नाम	इंडियन बैंक
3. पंजीकृत पता	66, राजाजी सालै, चेन्नै– 600 001
4. वेबसाइट	www.indianbank.in
5. ई–मेल	ibinvestorrelations@indianbank.co.in, investors@indianbank.co.in
6. रिपोर्ट का वित्तीय वर्ष	2021–22
7. कंपनी के व्यावसायिक क्षेत्र (औद्योगिक गतिविधि कोड–वार)	बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं
8. 3 प्रमुख उत्पाद/सेवाएँ जो निर्माता देता है (तुलन पत्र के अनुसार)	जमा उत्पाद, ऋण उत्पाद एवं प्रेषण आदि
9. स्थानों की कुल संख्या जहां कंपनी द्वारा व्यापार गतिविधियां की जाती है। **स्थानों की कुल संख्या** I. राष्ट्रीय II. अंतर्राष्ट्रीय	 दिनांक 31.03.2022 को 5732 घरेलू शाखाएँ सिंगापुर, कोलंबो और जाफना में स्थित 3 अंतर्राष्ट्रीय शाखाएँ एवं गिफ्ट सिटी, गांधी नगर, अहमदाबाद में एक आईएफएससी बैंकिंग यूनिट (आईबीयू)
10. कंपनी द्वारा जिन बाज़ारों में सेवा प्रदान की जाती है – स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय	29 राज्यों एवं 6 संघ राज्य क्षेत्रों में बैंक की शाखाएँ है और सिंगापुर एवं श्रीलंका में बैंक की अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति है।

खंड बीः कंपनी के वित्तीय ब्यौरे

1) प्रदत्त पूंजी (भारतीय रुपये)	**रु. 1245.44 करोड**
2) कुल कारोबार (भारतीय रुपये)/राजस्व	**रु. 45,771.67 करोड़**
3) कर चुकौती के बाद कुल लाभ (भारतीय रुपये)	**रु. 3944.82 करोड़**
4) कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर कर चुकाने के बाद लाभ के प्रतिशत के रूप में कुल व्यय	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए सीएसआर पर व्यय अनिवार्य नहीं है। तथापि बैंक ने रुपए 493.54 लाख खर्च किया है।

5) गतिविधियों की सूची जिसमें उक्त (4) पर व्यय हुआ है।

क्रम सं	सीएसआर गतिविधियाँ	राशि (रुपए लाख में)
1.	समावेशी प्रगति	117.28
2.	व्यावसायिक कौशल और वित्तीय कौशल बढाना	66.86
3.	कार्बन फुट–प्रिंट को कम करते हुए हरित पहल और पर्यावरण धारणीयता	21.03
4.	लिंग समानता और महिलाओं का सशक्तिकरण	1.73
5.	वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य और कल्याण, विशिष्ट आवश्यकताएं	286.64
	कुल	**493.54**

नोटः इंडसेटी/ आरसेटी द्वारा वित्तीय समावेशन/ आरबीडी द्वारा खर्च की गई राशि, इस रिपोर्ट में शामिल नहीं है।

खंड सी : अन्य विवरण

1. क्या कंपनी की कोई अनुषंगी कंपनी/कंपनियां है ?	हाँ 1. इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड 2. इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड
2. क्या अनुषंगियां: मूल कंपनी की बीआर पहल को कार्यान्वित करती है, यदि हाँ, तो ऐसी अनुषंगियों की संख्या प्रस्तुत करें।	नहीं, बैंक की दोनों अनुषंगियां सूचीबद्ध संस्थाएं हैं।
3. क्या कोई अन्य संस्था/संस्थाएं जिनके साथ कंपनी कारोबार करती है, (जैसे प्रदायक, वितरक आदि) कंपनी की बीआर पहलों में भागीदारी निभाते हैं? यदि हाँ, तो यह दर्शाएँ कि ऐसी संस्था/संस्थाओं का प्रतिशत कितना है (30 प्रतिशत से कम, 30 से 60 प्रतिशत, 60 प्रतिशत से अधिक)	नहीं

खंड डी: बीआर जानकारी

1. निदेशकों के विवरण/बीआर के प्रति उत्तरदायी निदेशक

2. बीआर नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों के विवरण।

डीआईएन संख्या	**लागू नहीं**
नाम	**श्री अश्वनी कुमार**
पदनाम	**कार्यपालक निदेशक**

II. **बीआर प्रमुख का विवरण निम्न प्रकार है**

क्रम सं	विवरण	ब्यौरा
1	डीआईएन सं (अगर लागू हो तो)	लागू नहीं
2	नाम	श्री सुजीत कुमार डे
3	पदनाम	महाप्रबंधक – आरएमडी/सीआरओ
4	टेलीफोन संख्या	044 – 28134449
5	ईमेल आईडी	deysujitkumar@indianbank.co.in

2. सिद्धांत–वार (एनवीजी के अनुसार) बीआर नीति /नीतियाँ

(ए) अनुपालन के विवरण (हाँ/नहीं में जवाब दें)

क्रम सं	प्रश्न	कारोबारी आचार	उत्पाद जिम्मेदारी	कर्मचारियों का कल्याण	स्टेक धारक की नियुक्ति	मानव अधिकार	पर्यावरण	जन नीति	समावेशी विकास	ग्राहक संबंध
		पृ1	पृ2	पृ3	पृ4	पृ5	पृ6	पृ7	पृ8	पृ9
1	क्या आपके पास इनके लिए नीति / नीतियां हैं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
2	क्या यह नीति संबन्धित स्टेकधारकों से परामर्श के बाद बनाई गई हैं ?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
3	क्या यह नीति किसी भी राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप है ? यदि हाँ, तो (50 शब्दों में बताएं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
4	क्या नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित है ? यदि हाँ, तो क्या वह सक्षम प्रनि / स्वामी/ मुकाअ /उपयुक्त बोर्ड के निदशक द्वारा हस्ताक्षरित है ?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
5	क्या कंपनी की नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए बोर्ड / निदेशक/ अधिकारी की एक निर्दिष्ट समिति है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
6	नीति को ऑनलाइन देखे जाने के लिए लिंक दें	**www.indianbank.in**								
7	क्या नीति के बारे में औपचारिक रूप से सभी प्रासंगिक आंतरिक और बाहरी स्टेक धारकों को सूचित किया गया है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
8	क्या कंपनी की नीति / नीतियों को लागू करने के लिए आंतरिक संरचना है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
9	क्या कंपनी की नीति / नीतियों से संबंधित, संबंधित हितधारकों के पते "शिकायत निवारण" पते उपलब्ध हैं ?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
10	क्या आंतरिक या बाहरी एजेंसियों द्वारा कंपनी की इस नीति की कार्यप्रणाली की स्वतंत्र लेखा परीक्षा /मूल्यांकन किया गया है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ

(बी) यदि क्र.सं. 1 से किसी भी सिद्धांत के आगे जवाब 'नहीं' है, तो ऐसा क्यों है कृपया समझाएं (2 विकल्पों पर टिक लगाएँ)

क्रम सं	प्रश्न	पृ1	पृ2	पृ3	पृ4	पृ5	पृ6	पृ7	पृ8	पृ9
1	कंपनी ने सिद्धांतों को नहीं समझा है।									
2	कंपनी ऐसी स्थितियों में निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियां तैयार करने और लागू करने की स्थिति में नहीं है ।									
3	कंपनी के पास कार्य के लिए वित्तीय या मानव शक्ति संसाधन उपलब्ध नहीं हैं ।					लागू नहीं				
4	इसे अगले 6 महीनों के भीतर किए जाने की योजना बनाई गई है।									
5	इसे अगले 1 साल के भीतर किए जाने की योजना बनाई गई है ।									
6	कोई अन्य कारण (कृपया बताएं)									

3. बीआर से संबन्धित अभिशासन

• उस बारंबारता को दर्शाएं जिसके साथ निदेशक मण्डल, मण्डल की समिति या सीईओ, कंपनी के बीआर निष्पादन का मूल्यांकन करते है।	चूँकि कारोबार का दायित्व सम्पूर्ण बैंकिंग को शामिल करता है, अतः विभाग की संबन्धित नीतियां पृथक रूप से तैयार/नवीकृत की जाती है और बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है।
• क्या कंपनी बीआर या धारणीयता रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने के लिए कौनसी हायपरलिंक है ? कितनी बारंबारता से इसे प्रकाशित किया गया है।	कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट का एक हिस्सा है और इसे बैंक की www.indianbank.in पर उपलब्ध कराया गया है। यह वार्षिक रिपोर्ट के हिस्से के रूप में वार्षिक रूप से प्रकाशित की जाती है।

खंड ई : सिद्धांत–वार निष्पादन

सिद्धांत 1: कारोबार को आचार नीति, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के साथ अपना व्यवहार एवं संचालन करना चाहिए।

1. क्या आचार नीति, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से संबन्धित नीति केवल कंपनी को कवर करती है? क्या यह समूह/ संयुक्त उद्यम/ संपूर्तिकर्ता/ ठेकेदारों/ एनजीओ/ अन्य को भी कवर करती है?	● "इंडियन बैंक का सिटिजन्स चार्टर" बैंक की शाखाओं में ग्राहकों हेतु उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं/सेवाओं पर महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। ● सिटिजन्स चार्टर के साथ संहिता, बैंक में ग्राहकों के साथ किए जाने वाले लेन–देनों में उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी और पारदर्शिता के उच्च मानकों को सुनिश्चित करेगा। ● ग्राहकों को बैंक के साथ किए जाने वाले अपने लेनदेनों में संतोषजनक सेवा की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी 2006 में भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) की एक स्वतंत्र स्वायिक पर्यवेक्षक के रूप में स्थापना की। ● बीसीएसबीआई ने ''ग्राहकों के प्रति बैंक प्रतिबद्धता संहिता – जनवरी 2018'' में तथा ''सूक्ष्म और लघु उद्यमों के प्रति प्रतिबद्धता संहिता–अगस्त 2015'' में प्रकाशित किया है, जो बैंकों के लिए अनुकरण हेतु बैंकिंग कार्य–प्रणाली के न्यूनतम मानकों और ग्राहक सेवा के बेंचमार्क को निर्दिष्ट करता है। ● बैंक बीसीएसबीआई का सदस्य है और इसलिए इसने उपर्युक्त संहिताओं को अपने ग्राहकों के साथ लेनदेन करने में न्यायोचित व्यवहार कोड के रूप में स्वेच्छा से अपनाया है। ● बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति के समक्ष ग्राहकों के प्रति प्रतिबद्धता संहिता को अंगीकृत किए जाने हेतु रखा गया है। संहिता की पूर्ण प्रति www.indianbank.in पर उपलब्ध है।

2. पिछले वित्तीय वर्ष में स्टेकधारकों से कितनी शिकायतें प्राप्त की गईं और कितने प्रतिशत शिकायतों का प्रबंधन द्वारा संतोषजनक समाधान किया गया? यदि ऐसा हुआ है तो लगभग 50 शब्दों में उनका विवरण उपलब्ध कराएं।	• कॉ काः ग्राहक सेवा कक्ष, ग्राहक शिकायत निवारण से संबंधित है। • केंद्रीकृत शिकायत निवारण प्रणाली (सीजीआरएस) बैंक का एक इन–हाउस पोर्टल है। ग्राहक, पोर्टल के माध्यम से, अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। अन्य माध्यमों से प्राप्त सभी शिकायत और 24 घंटे से अधिक समय से लंबित अनसुलझी शिकायतों को समाधान के लिए सीजीआरएस में दर्ज किया जाता है। • ग्राहक शिकायत निवारण और सेवाओं के अभाव के कारण, ग्राहकों को मुआवजे की नीति के अनुसार, बैंक ने ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए अधिकतम 21 दिनों की समय सीमा को अपनाया है। हालांकि, अधिकांश शिकायतों का निवारण औसतन 5–7 दिनों के भीतर किया जाता है। **शिकायतों का विवरण इस प्रकार है:**

विवरण	ग्राहक	शेयरधारक
वर्ष के प्रारम्भ में लंबित शिकायतों की संख्या	11834	0
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	254183	77
वर्ष के दौरान निपटायी गई शिकायतों की संख्या	264429	76
वर्ष के दौरान लंबित शिकायतों की संख्या	1588	1
निपटायी गई शिकायतों का प्रतिशत	99.40%	98.70%

सिद्धांत–2 : कारोबार को ऐसी वस्तुएँ और सेवाएँ प्रदान करनी चाहिए जो सुरक्षित हों और अपने पूर्ण जीवन–काल तक धारणीयता बनाए रखने में योगदान दें।

1 अपने तीन उत्पादों या सेवाओं को सूचीबद्ध करें जिसकी रूपरेखा ने सामाजिक या पर्यावरण संबंधी व्यवसाय, जोखिम/ और/या सुअवसर को शामिल किया है।	बैंक निम्नलिखित वित्तीय सेवाएँ प्रस्तुत करता है जो सामाजिक कारोबारों और सुअवसरों को सम्मिलित करती हैं। ➢ स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) ➢ वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) ➢ इंडियन बैंक स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (इंडसेटी) बैंक का मानना है कि सतत विकास में पर्यावरण संरक्षण शामिल है। इस दिशा में, बैंक ने हमेशा उन पहलों पर जोर दिया है जो पर्यावरण की प्रदूषण मुक्त बनाने में योगदान करती हैं जैसे: i. एनर्जी एफिशियंट कुशल एलईडी फिक्चर्स का प्रावधान ii. बैंक के अपने निजी भवन की छत पर सौर पैनलों का प्रावधान iii. कॉर्पोरेट कार्यालय में सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट गंदा पानी प्रक्रिया संयंत्र
2. प्रत्येक ऐसे उत्पाद के संबंध में प्रति इकाई (वैकल्पिक) संसाधन (ऊर्जा, जल, कच्चा माल) के प्रयोग के संबंध में ब्यौरे दें। i. क्या पिछले वर्ष के प्रारम्भ से अंत तक मूल्य श्रृंखला के दरमियान स्रोत/ उत्पाद/ वितरण में कटौती प्राप्त की गई है? ii. क्या पिछले वर्ष से उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग में (ऊर्जा, जल) कटौती हुई है?	• कार्पोरेट कार्यालय में सौर ऊर्जा का उपयोग, यह पहले से ही ग्रीन बिल्डिंग (स्वर्ण रेटिंग स्तर) के तहत उपलब्ध है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होने के नाते ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को अपनाकर, बैंक ने ग्रीन इंडिया बनाने के लिए अन्य उपक्रमों के साथ मिलकर सहयोग दिया है। • ऊर्जा खपत पर वार्षिक कुल व्यय को लगभग 4 से 5 प्रतिशत तक कम करने के लिए, बैंक अपने भवन में जहां कहीं तकनीकी रूप से व्यवहार्य हो, सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित करने हेतु नेटवर्क का विस्तार कर रहा है। • आंतरिक प्रकाश व्यवस्था में एलईडी लैंप का उपयोग करके लाइटिंग प्रणालियों में नए तकनीकी उत्पादों को अपनाना • नई शाखाएं केवल एलईडी लाइटिंग से प्रकाशित हैं। • मौजूदा शाखाओं में प्रकाश व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से बदला जा रहा है। वर्तमान में 4975 शाखाओं और 202 कार्यालयों में एलईडी लाइटिंग की व्यवस्था है। • एसटीपी के माध्यम से, गंदे पानी को सर्कुलेट किया गया तथा प्रतिदिन लगभग 17,000 लीटर पानी को रीसाईकिल किया जाता है, इस प्रकार पानी पर होने वाले खर्च से प्रति वर्ष रु. 5.60 लाख की बचत हुई।
3 क्या कंपनी धारणीय सोर्सिंग (परिवहन को मिलाकर) के लिए कोई प्रक्रिया विधि अपना रही है? i. यदि हाँ, तो आपके इनपुट स्रोत का क्या प्रतिशत धारणीय रूप से प्राप्त किया गया था? लगभग 50 शब्दों में इसका ब्यौरा प्रस्तुत करें।	लागू नहीं लागू नहीं सभी वित्तीय उत्पाद हैं जिनका लक्ष्य पूरे परिचालन क्षेत्र तक पहुंच बनाना है।
4 क्या कंपनी ने अपने कार्य स्थल के आसपास के समाज सहित सूक्ष्म एवं लघु उत्पादकों से वस्तुएँ और सेवाएँ प्राप्त करने के लिए कोई कदम उठाया है? यदि हाँ, तो स्थानीय और लघु विक्रेताओं की क्षमता और योग्यता को उन्नत करने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं?	हाँ परिवहन कीमत और समय अंतराल को कम करने के उद्देश्य से नजदीकी विक्रेताओं से अधिमान्य रूप से वस्तुएं प्राप्त की जाती हैं।
5. क्या कंपनी के पास उत्पादों और बेकार वस्तुओं को रीसाइकिल करने की व्यवस्था है? यदि हाँ, तो उत्पादों और बेकार वस्तुओं के पुनर्चक्रण का प्रतिशत क्या है? (पृथक रूप से, जैसे 5% से कम, 5% से 10% आदि)। लगभग 50 शब्दों में इसका ब्यौरा प्रस्तुत करें।	हाँ, कार्पोरेट कार्यालय रायपेट्टा में 5% से कम कॉर्पोरेट कार्यालय रायपेट्टा में गन्दे पानी के शुद्धिकरण हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट संयंत्र उपलब्ध कराया गया है जोकि प्रतिदिन 17,000 लीटर पानी का आऊटपुट देता है।

सिद्धांत–3 : कारोबार से सभी कर्मचारियों की सुख समृद्धि में वृद्धि होनी चाहिए।

1. कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या दें	39734*
2. कृपया अस्थायी संविदात्मक/अनौपचारिक आधार पर काम पर लगाये गए कर्मचारियों की पूर्ण संख्या दें :	01 (आंतरिक लोकपाल)
3. कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या दर्शाएं	11602*
4. कृपया स्थायी विकलांगता वाले स्थायी कर्मचारियों की संख्या दर्शाएँ:	1029
5. क्या आपका कोई कर्मचारी संगठन है जो प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त है ?	अखिल भारतीय इंडियन बैंक अधिकारी संघ फेडरेशन ऑफ इंडियन बैंक एम्प्लाइज यूनियन
6. आपके कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन के सदस्य हैं?	**अधिकारी**: 78 % **अवार्ड स्टाफ**: 73 %
7. कृपया पिछले वित्तीय वर्ष में और वित्तीय वर्ष के अंत में बाल मज़दूरी, बंधुआ मज़दूरी, अनिच्छा मज़दूरी, यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों एवं वित्तीय वर्ष के समापन पर लंबित शिकायतों की संख्या दर्शाएँ।	

शिकायतें	बाल मज़दूर	बंधुआ मज़दूर	अनिच्छा मज़दूर	यौन उत्पीड़न
प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
लंबित शिकायतों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

8. अधोलिखित आपके कर्मचारियों को पिछले वर्ष में दी गई सुरक्षा और कुशलता उन्नयन प्रशिक्षण का प्रतिशत क्या है ?

क्रं. सं.	प्रशिक्षण के प्रकार	प्रतिभागियों की सं.
1.	ई–पाठशाला के माध्यम से दिया जा रहा प्रशिक्षण	7136
2.	घर से ऑनलाइन प्रशिक्षण	18188
3.	कार्यस्थल से ऑनलाइन प्रशिक्षण	11605
4.	वेबिनार	20835
5.	बाहरी संस्थान से प्रशिक्षण	1443
	कुल	59207

*अल्पकालिक घरेलू सफाई कर्मियों से भिन्न

सिद्धांत 4 : कारोबारों को सभी स्टेकधारकों, खासकर वंचित, पिछड़े हुए, मामूली स्टेकधारकों के हितों का सम्मान और रक्षा करनी चाहिए।

1. क्या कंपनी ने अपने आंतरिक एवं बाह्य स्टेकधारकों का वर्गीकरण किया है ? हाँ / नहीं	हां, बैंक ने अपने प्रमुख स्टेकधारकों, आंतरिक और बाहरी, की पहचान की है । आगे शेयरधारकों को विविध वर्गों में वर्गीकृत किया गया है अर्थात : सरकारी, विदेशी संस्थागत निवेशक, वित्तीय संस्थाएं, बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड्स, बैंक और वैयक्तिक।
2. उपरोक्त में से, क्या कंपनी ने वंचित, पिछड़े हुए और मामूली स्टेकधारकों की पहचान की है?	हां, सरकार और आरबीआई ने वित्तीय समावेशन, प्राथमिकता क्षेत्र और समाज के वंचित वर्गों को ऋण देने के लिए कुछ दिशानिर्देश और लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इंडियन बैंक ने वंचित, पिछड़े और मामूली स्टेकधारकों की पहचान की है, जिनमें छोटे और मामूली किसान, किरायेदार व पट्टेदार किसान, भूमिरहित मजदूर एवं ग्रामीण महिलाओं को शामिल किया गया है। उनको किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि जेवर ऋण, स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह, मुद्रा ऋण आदि विशेष ऋण सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

3.	क्या कंपनी द्वारा वंचित, पिछड़े हुए और मामूली स्टेकधारकों के हित में विशेष पहल की गई है? यदि ऐसा है तो उसका विवरण 50 शब्दों में दें।	● इंडियन बैंक पीएमजेडीवाई के तहत बचत बैंक खाते वाले आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करता है। उन्हें खाता खोलने के समय पीएमजेडीवाई कार्यक्रम के लिए बीमा इन–बिल्ट कवरेज के साथ रुपे कार्ड प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा, पात्र ग्राहक इस योजना के तहत पीएमजेजेबीवाई (जीवन बीमा) और पीएमएसबीवाई (दुर्घटना बीमा) और एपीवाई पेंशन सुविधा के अंतर्गत कवर किए जाते हैं। ● बैंक गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी के बेरोजगार युवाओं को इंड–सेटी (इंडियन बैंक स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान) के माध्यम से स्वरोजगार प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। एफएलसी (वित्तीय साक्षरता केंद्र) और सीएफएल (वित्तीय साक्षरता केंद्र) के माध्यम से वित्तीय साक्षरता और परामर्श भी प्रदान किए जाते हैं। गतिविधियों को 'ग्रामीण विकास हेतु इंडियन बैंक ट्रस्ट'(आईबीटीआरडी) के तत्वावधान में चलाया जाता है। ● बैंक इंडियन बैंक एसोसिएशन (आईबीए) के तत्वावधान में पीएसबी एलायंस डोरस्टेप बैंकिंग (डीएसबी) के माध्यम से ग्राहकों के दरवाजे पर 15 बुनियादी बैंकिंग सेवाएं भी प्रदान कर रहा है।

सिद्धांत 5 : कारोबार को मानव अधिकार का सम्मान करना और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए।

1.	क्या मानव अधिकार पर कंपनी की नीति सिर्फ कंपनी को कवर करती है या समूह/ संयुक्त उपक्रम/आपूर्तिकर्ता/संविदाकार/ एनजीओ / अन्य तक भी विस्तारित है ?	हाँ • बैंक के पास कोई अलग मानव अधिकार नीति नहीं हैं। तथापि ये पहलू बैंक की मानव संसाधन नीति और व्यवहार के तहत कवर किए गए हैं।
2.	पिछले वित्तीय वर्ष में कितनी स्टेकधारक शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत का संतोषजनक हल किया गया था?	

विवरण	ग्राहक	शेयरधारक
वर्ष के प्रारम्भ में लंबित शिकायतों की संख्या	11834	0
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	254183	77
वर्ष के दौरान निपटायी गई शिकायतों की संख्या	264429	76
वर्ष के दौरान लंबित शिकायतों की संख्या	1588	1
निपटायी गई शिकायतों का प्रतिशत	99.4%	98.70%

सिद्धांत 6 : कारोबार को पर्यावरण का सम्मान, सुरक्षा और उसे पुनः स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए

1.	क्या सिद्धांत 6 सिर्फ कंपनी को कवर करती है या समूह / संयुक्त उपक्रम / आपूर्तिकर्ता/ संविदाकार / एनजीओ / अन्य तक भी विस्तारित है।	हाँ
2.	क्या कंपनी के पास वैश्विक पर्यावरण मुद्दों जैसे मौसम परिवर्तन, वैश्विक ताप इत्यादि के विषय में रणनीतियां/पहल हैं? हाँ/नहीं। यदि हाँ तो वेबपेज के लिए हायपरलिंक दें।	● प्रमुख क्षेत्रों में बगीचे/ग्रीन स्पोट्स बनाए गए हैं। ● बैंक ने हरियाली और ग्लोबल वार्मिंग को ध्यान में रखकर पूरे भारत में पौधा रोपण किया है।
3.	क्या कंपनी संभाव्य पर्यावरणीय जोखिम की पहचान और आकलन करती है ? हाँ / नहीं	हाँ
4.	क्या कंपनी के पास स्वच्छ विकास प्रणाली से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हाँ तो इसका ब्यौरा लगभग 50 शब्दों में दें। यदि हाँ तो क्या कोई पर्यावरणीय अनुपालन दर्ज किया गया है?	जैसा कि कारोबार की प्रकृति के बारे में बताया जा चुका है, बैंक के पास कोई स्वच्छ विकास प्रणाली नहीं है।

5.	क्या कंपनी ने स्वच्छ तकनीकी, उर्जा दक्षता, नवीकरणीय उर्जा इत्यादि पर कोई अन्य कदम उठाया है, हाँ / नहीं, यदि हाँ, तो कृपया वेबपेज के लिए हायपरलिंक दें।	**हाँ** **परिसर** ● हरित पहल के रूप में, विक्रेताओं, आपूर्तिकर्ताओं आदि के सभी भुगतान इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के माध्यम से किए जाते हैं जैसे कि प्रत्यक्ष क्रेडिट / एनईएफटी / आरटीजीएस (केवल असाधारण परिस्थितियों में चेक के माध्यम से भुगतान किया जाता है) ● बैंक के अपने निजी परिसर में सौर ऊर्जा और एलईडी लाइटों का उपयोग ● बैंक, भारत में 250 संपत्तियों और सिंगापुर में 2 संपत्तियों का मालिक है। ● बैंक ने परिसर के व्यय, खरीद अनुबंध, मुद्रण एवं स्टेशनरी, एयर कंडीशनिंग, दूरभाष/सेल फोन के लिए एक रूप ऑटोमोबाइल्स नीतियों को अपनाया है और सभी शाखाओं/अंचलों में भी इसे समान रूप से अपनाया गया है। **हरित पहल :** **ए. सौर ऊर्जा और एलईडी लाइटिंग** ● कार्पोरेट कार्यालय में सौर ऊर्जा का उपयोग, यह पहले से ही ग्रीन बिल्डिंग (स्वर्ण रेटिंग स्तर) के तहत उपलब्ध है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होने के नाते ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को अपनाकर, बैंक ने ग्रीन इंडिया बनाने के लिए अन्य उपक्रमों के साथ मिलकर सहयोग दिया है। ● ऊर्जा की खपत में, वार्षिक समग्र व्यय को लगभग 4 से 5 प्रतिशत कम करने हेतु बैंक के अपने निजी भवनों में, जहाँ भी तकनीकी रूप से संभव हो, वहाँ सौर ऊर्जा का विस्तार किया जा रहा है। ● आंतरिक लाइटिंग प्रणालियों में एलईडी लैंप का उपयोग करके लाइटिंग प्रणालियों में नए तकनीकी उत्पादों को अपनाना ● नई शाखाओं में केवल एलईडी लाइट का प्रयोग किया जाता है। ● मौजूदा शाखाओं में प्रकाश व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से बदला जा रहा है। वर्तमान में 4975 शाखाओं तथा 202 कार्यालयों में एलईडी लाइटिंग की व्यवस्था है। **अन्य हरित पहल** ● शाखाओं और कार्यालयों में समय–समय पर ऊर्जा लेखापरीक्षा करना । ● शाखाओं एवं कार्यालयों में स्थापित एयर कंडीशनर के ऑटो कट–ऑफ के लिए टाइमर का प्रावधान, हार्मोनिक फिल्टरों को लगाने और स्टार रेटेड विद्युत उपकरणों के उपयोग से बिजली की खपत में काफी
6.	वित्तीय वर्ष हेतु सीपीसीबी / एसपीसीबी द्वारा अनुमत की गई सीमा के अंतर्गत कंपनी ने जितना भी उत्सर्जन / कचरा उत्पादित किया है, क्या उनकी रिपोर्ट की जा रही है?	लागू नहीं
7.	वित्तीय वर्ष के अंत में सीपीसीबी / एसपीसीबी से प्राप्त (जैसे संतुष्टि होने तक हल नहीं की गई) कारण बताओ/विधिक नोटिस जो लंबित हैं, की संख्या कितनी है?	शून्य

सिद्धांत 7 : जब कारोबार जनता और नियामक नीति को प्रभावित करते हैं, वे इन्हें जिम्मेदारीपूर्वक निभाएँ।

1.	क्या आपकी कंपनी किसी ट्रेड और चैंबर या संघ की सदस्य है? यदि हाँ, तो उनमें से प्रमुख के नाम बताए जिनके साथ आपका व्यापार होता है।	हाँ आईबीए, एनआईबीएम, आईआईबीएफ, आईबीपीएस
2.	क्या आपने जनहित की प्रगति या सुधार हेतु उपरोक्त संघों का समर्थन किया है? हाँ/नहीं : यदि हाँ तो व्यापक क्षेत्र का विवरण दें। (ड्रॉप बाक्सः शासन और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीति, ऊर्जा सुरक्षा, पानी, खाद्य सुरक्षा संधारणीय व्यवसाय सिद्धांत अन्य)	बैंक ने समय–समय पर बैंकिंग उद्योग के सतत विकास हेतु नीति निर्माताओं और नीति निर्धारण संघों की नीतियों का समर्थन किया है।

सिद्धांत 8 : कारोबार को समावेशी विकास और न्यायोचित विकास का समर्थन करना चाहिए

1.	क्या कंपनी ने सिद्धांत 8 से संबंधित नीति के अनुसरण में कार्यक्रम / पहल / परियोजनाएं निर्दिष्ट की है? यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा दीजिए	● 31.03.2022 को बैंक में पीएमजेडीवाई खाताधारकों की संख्या 1.85 करोड़ है। उनकी एसबी जमा राशि रु. 7,608.65 करोड़ रुपये है जोकि औसतन प्रति खाता रु. 4,111/– है। कुल पीएमजेडीवाई खातों में, कुल 56% पीएमजेडीवाई लाभार्थी महिलाएं हैं। ● 2.72 लाख पीएमजेडीवाई खाताधारकों को 28.83 करोड़ रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं। ● बैंक ने 31.03.2022 तक 9,657 बीसी के नेतृत्व वाले बैंकिंग आउटलेट स्थापित किए हैं। ● सूक्ष्म बीमा योजनाओं के अंतर्गत पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई हेतु क्रमशः 30.24 लाख और 80.14 लाख ग्राहकों का नामांकन किया गया है। 24.96 लाख ग्राहकों को उनकी पेंशन सुविधाओं के लिए सूक्ष्म–पेंशन योजना अर्थात एपीवाई के तहत नामांकित किया गया है। ● भारत भर में फैले 37 इंड–सेटी ने स्थापना के बाद से संचयी रूप से मार्च 2022 तक 7,911 बैचों के माध्यम से 2,20,312 व्यक्तियों को स्व–रोजगार प्रशिक्षण प्रदान किया है। वर्ष 2021–22 के दौरान 19,331 व्यक्तियों को लाभान्वित करने के लिए 721 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। ● देश भर में 42 केंद्रों पर इंडियन बैंक के एफएलसी हैं जिनमें से वित्तीय समावेशन के तहत बैंक ने पहल करते हुए प्रवासी श्रमिकों और झुग्गीवासियों के लाभ के लिए चेन्नै, दिल्ली क्षेत्र और मुंबई में शहरी वित्तीय साक्षरता केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन 42 एफएलसी के माध्यम से कुल 10.77 लाख व्यक्तियों को वित्तीय परामर्श प्रदान किया गया है। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान 2,074 साक्षरता शिविर आयोजित किए गए, जिसमें 92,280 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
2.	क्या इन–हाउस टीम / स्वयं के संस्थान / बाह्य एनजीओ / सरकारी सरंचनाओं / अन्य संगठनों द्वारा कार्यक्रम / परियोजनाएं शुरू की गई हैं?	बैंक ने मेसर्स डब्ल्यूडब्ल्यूबी (महिला विश्व बैंकिंग), एक गैर सरकारी संगठन जो महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए पीएमजेडीवाई खाताधारकों की बचत को सक्रिय करने एवं एसबी ओवरड्राफ्ट और एसएसएस (सामाजिक सुरक्षा योजनाओं) जैसी पीएमजेडीवाई से संबंधित अन्य सेवाओं का विस्तार करने के लिए है, के सहयोग से वित्तीय समावेशन पायलट पहल अर्थात संपूर्ण परियोजना के कार्यान्वयन को अंतिम रूप दे दिया है। यह परियोजना अप्रैल, 2022 से क्रियान्वित की गई।
3.	क्या आपने अपनी पहल के प्रभाव का कोई निर्धारण किया है ?	इंडसेटियों का असर तथा प्रभावशीलता को मानिटर करने हेतु आरसेटियों के लिए मानिटरिंग सेल द्वारा वार्षिक ग्रेडिंग के आधार पर मानिटर किया जाता है ताकि उचित प्रतिक्रिया मिलें और आगे इंडसेटियों को सुदृढ़ बनाने के किए कदम उठाये जा सके।
4.	आपकी कंपनी का समुदाय विकास परियोजना में प्रत्यक्ष रूप से क्या योगदान है। भारतीय मुद्रा में राशि और चलाई जा रही परियोजनाओ के विवरण दें।	बैंक इंडसेटी और एफएलसी के माध्यम से स्वरोजगार और सामुदायिक विकास गतिविधियों के लिए ट्रस्ट (आईबीटीआरडी) को योगदान दे रहा है।
5.	क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं हैं कि समुदायों द्वारा आपके प्रयासों को सफलतापूर्वक अपनाया गया है? अगर ऐसा है तो कृपया 50 शब्दों में बताएं।	जो लोग अपनी पड़ोसी बैंक शाखाओं से बैंक ऋण लेने के इच्छुक हैं, उन्हें बैंक वित्त के साथ–साथ स्वरोजगार प्रशिक्षण प्रदान करने से सामुदायिक विकास में मदद मिल रही है। इन प्रयासों के माध्यम से व्यापार, सेवा और छोटे पैमाने के औद्योगिक उद्यम उत्पन्न होते हैं और प्रशिक्षित व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने में सक्षम होते हैं। 31.03.2022 तक इंडसेटी द्वारा प्रशिक्षित उम्मीदवारों की सेटलमेंट दर 69.70 प्रतिशत है, जिनमें से 47.60 प्रतिशत क्रेडिट लिंक्ड हैं।
6.	क्या कंपनी द्वारा वंचित, कमजोर और हाशिए के हितधारकों का सहयोग करने के लिए कोई विशेष पहल की गई है। यदि हां, तो उसका विवरण लगभग 50 शब्दों में दें।	● बैंक, प्रतिदिन ग्राहकों के दरवाजे पर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए बीसी तैनात करता है। ● विभिन्न क्षेत्रों में कोविड–19 महामारी, बाढ़ की स्थिति आदि जैसी संकट स्थितियों के दौरान बीसी ने ग्राहकों के दरवाजे पर सेवाएँ उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ● बीसी को बैंक द्वारा पीएमजेबीवाई, पीएमएसबीवाई की जीवन और दुर्घटना योजनाओं के तहत मुफ्त लागत बीमा कवरेज भी दिया गया था। उन्हें बैंक द्वारा स्वच्छता सामग्री, फेस मास्क और कोविड टीकाकरण के लिए प्रतिपूर्ति लागत भी प्रदान की गई है। ● तमिलनाडु राज्य में हमारा बैंक बीसी नेटवर्क के माध्यम से लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन (ओएपी) राशि वितरित कर रहा है। ● किसानों को डीबीटी लाभ जैसे, पीएम किसान (रु. 6000/– प्रति वर्ष) सुविधा बीसी के माध्यम से 3 अवसरों पर, रु. 2000/– प्रति अवसर, वितरित किए जाते हैं। कोविड 19 महामारी के दौरान, पीएमजेडीवाई खाताधारक सभी व्यक्तिगत एसएचजी सदस्य को केंद्र सरकार द्वारा एक बारगी उपाय के तौर पर रु. 500/– की अनुग्रह राशि प्रदान की गई थी। यह राशि उन्हें बीसी के माध्यम से वितरित की गई थी।

अनुषंगियाँ

- बैंक की दो अनुषंगियाँ हैं। इनके नाम इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज़ लि. और इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

- बैंक के तीन प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, यथा सप्तगिरि ग्रामीण बैंक जिसका मुख्यालय चित्तूर (आंध्र प्रदेश) में है, तमिलनाडु ग्रामा बैंक जिसका मुख्यालय सेलम (तमिलनाडु) में है और पुदुवै भारतियार ग्राम बैंक जिसका मुख्यालय पुदुच्चेरी (पुदुच्चेरी संघ राज्य क्षेत्र) में है।
- वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के शाखा तंत्र में 8 शाखाओं की बढ़ोतरी हुई तथा यह मार्च 2022 में 909 से बढ़कर 917 हो गया।
- तीनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कुल कारोबार मार्च 2021 को रु. 47743.78 करोड़ के सापेक्ष मार्च 2022 को रु. 54120.95 करोड़ रहा।
- 229 शाखाओं के साथ सप्तगिरि ग्रामीण बैंक का कुल कारोबार रु. 17453.22 करोड़ रहा। (जमाएँ रु. 9106.53 करोड़ और अग्रिम रु. 8346.69 करोड)।
- 644 शाखाओं के साथ तमिलनाडु ग्रामा बैंक का कुल कारोबार रु. 34711.11 करोड़ रहा। (जमाएँ रु. 17093.28 करोड़ और अग्रिम रु. 17617.83 करोड)।
- 44 शाखाओं के साथ पुदुवै भारतियार ग्रामा बैंक का कुल कारोबार रु. 1956. 62 करोड़ रहा।
(जमाएँ रु. 1023.60 करोड़ और अग्रिम रु. 933.02 करोड़)।
- तमिलनाडु ग्रामा बैंक के पास 12.74 प्रतिशत सीआरएआर, सप्तगिरि ग्रामीण बैंक के पास 15.18 प्रतिशत सीआरएआर और पुदुवै भारतियार ग्राम बैंक के पास 10.57 प्रतिशत सीआरएआर है ।
- तीनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लाभ कमा रहे हैं।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सक्रिय रूप से भारत सरकार के पीएमजेडीवाई, पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और एपीवाई कार्यक्रमों में भाग ले रहें हैं। तीनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पीएमजेडीवाई के अंतर्गत 1210 एसएसए गाँवों को कवर कर रहे हैं और उन्होंने इस योजना के अंतर्गत 10.05 लाख खाते खोले हैं। तीनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने पीएमएसबीवाई के अंतर्गत 9.63 लाख लाभार्थियों को, पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत 4.93 लाख लाभार्थियों को और एपीवाई के अंतर्गत 1.59 लाख लाभार्थियों को कवर किया है।

सिद्धांत 9 : कारोबारों द्वारा अपने ग्राहकों एवं उपभोक्ताओं को जिम्मेदारीपूर्वक मूल्यवर्धन के साथ सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए।

1. वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतें/ ग्राहक मामलों का प्रतिशत कितना है?	0.60 प्रतिशत
2. क्या कंपनी के द्वारा स्थानीय कानून के तहत उत्पाद के लेबल पर उत्पाद की जानकारी लिखी होती हैं? हाँ / नहीं / लागू नहीं / टिप्पणी (अतिरिक्त जानकारी)	हाँ
3. गत पांच वर्षों में अनुचित व्यापार पद्धतियों के प्रयोग, गैर जिम्मेदार विज्ञापनों और/या गैर प्रतिस्पर्धी व्यवहार के लिए, क्या किसी स्टेक धारक ने कंपनी के विरुद्ध कोई वाद दायर किया है जोकि वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित है? यदि हाँ, तो उसके विवरण दें।	नहीं
4. क्या आपकी कंपनी द्वारा ग्राहक सर्वेक्षण/ग्राहक संतुष्टि रुझान कार्यक्रम चलाए जाते हैं ?	हाँ। बैंक ने वर्ष के दौरान ग्राहक संतुष्टि सर्वे किया था। सर्वे में 79.84 प्रतिशत बैंक द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाओं पर संतुष्टि व्यक्त की थी। 84.77 प्रतिशत ग्राहकों ने बताया कि बैंक उनकी अपेक्षाओं को पूरा कर रहा है।

कॉर्पोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट

1. कॉर्पोरेट अभिशासन धारणा :

कार्पोरेट अभिशासन अपने आप में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए उपक्रमों को नियंत्रित एवं मार्गदर्शित किया जाता है ताकि नैतिक ढंग से उनकी धन–सृजन की क्षमता को बढाया जा सके। यह प्रबंधन, उसके बोर्ड, शेयरधारक और अन्य स्टेकधारकों के बीच उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है ताकि संगठन के निर्धारित उद्देश्य हासिल किए जा सकें और साथ ही निष्पादन पर निगरानी रखने के अलावा शेयरधारकों के धन को धारणीय तरीके से अधिकाधिक बनाने के अंतिम लक्ष्य के साथ उस क्षेत्र के कानूनों का अनुपालन करते हुए अपने दैनंदिन के कारोबार को अत्यंत सक्षम, पारदर्शी एवं नैतिक रूप से संचालित किया जा सके। यह एक ऐसी प्रक्रिया का प्रवर्तन है जिससे मूल्य, सिद्धान्त, नीतियां और प्रक्रियाएँ अत्यधिक प्रभावकारी ढंग से सिस्टम में अंतर्निहित एवं प्रकट कराए जाते हैं।

श्रेष्ठता हासिल करने के लिए बैंक, कार्पोरेट अभिशासन के सर्वोच्च स्तर तक पहुंचने के लिए प्रयासरत है और अपने उत्तरदायित्व, जो सभी स्टेकधारकों के लिए मूल्य को आपसी संवाद, आदर, स्पष्ट लक्ष्य और निर्णयात्मक नेतृत्व के जरिए बढाने के लिए प्रयत्न करते समय नैतिक व्यवहार के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित है, के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक स्वयं को सभी स्टेकधारकों का न्यासी मानता है और सुदृढ कॉर्पोरेट रणनीतियों, सक्रिय कारोबार योजनाओं, नीतियों एवं कार्यप्रणालियों के माध्यम से प्राप्त कि उनके धन का सृजन एवं रक्षण कर नीतिपरक एवं विधिक जिम्मेदारियों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को अभिस्वीकृत करता है। अभिशासन मानकों के अनुपालन के लिए उच्चस्तरीय प्रकटीकरण नीति के साथ लाभकर संवृद्धि सृजित करने हेतु बैंक के कॉर्पोरेट अभिशासन सिद्धांत सुदृढ रूप से कटिबद्ध हैं।

2. निदेशक मंडल

2.1 निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं प्रकीर्ण प्रावधान) योजना 1970 द्वारा शासित होता है। निदेशकगण बोर्ड को निपुणता की वैविध्यता तथा विस्तृत अनुभव प्रदान करते हैं जिससे बैंक को दक्ष एवं निष्पक्ष निदेश प्राप्त होता है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं तीन कार्यपालक निदेशक भारत सरकार द्वारा नियुक्त पूर्णकालिक निदेशक हैं। निदेशक मण्डल का गठन बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3) के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के अनुसार निदेशक, शेयरधारक निदेशक (जिसके 3 मामले हमारे बैंक में भी हैं) के इतर, को भारत सरकार द्वारा नामांकित/नियुक्त किया जाता है।

2.2 **बोर्ड की समितियाँ :**

बोर्ड ने निम्नानुसार विभिन्न समितियों का गठन किया है जो कि बैंक के मामलों में समुचित दिशानिर्देश कारगर मानिटरिंग और नियंत्रण हेतु बैंक के कुछ महत्वपूर्ण कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेष एवं संकेन्द्रित गवर्नेंस प्रदान करती हैं :

- बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसीबी)
- बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी)
- जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी)
- आईटी रणनीति समिति (आईटीसमिति)
- ग्राहक सेवा समिति (सीएससी)
- निदेशकों की समिति (सतर्कता) (सीओडी/विज)
- विशेष समिति (बड़े मूल्य की धोखाधड़ियों को मॉनीटर करने हेतु) (एससीएमएलवीएफ)
- शेयर अंतरण समिति (एसटीसी)
- स्टेकधारक संपर्क समिति (एसआरसी)
- एचआर समिति (एचआर समिति)
- वसूली की मॉनिटरिंग हेतु समिति (सीएमआर)
- अनुशासनात्मक मामलों संबंधी बोर्ड स्तरीय अपील समिति (बीएसीडीसी)
- इरादतन चूककर्ताओं हेतु समीक्षा समिति (आरसीडब्ल्यूयूडी)
- गैर–सहयोगी उधारकर्ताओं हेतु समीक्षा समिति (आरसीएनसीबी)
- ऋण अनुमोदन समिति (सीएसी)
- नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)
- कार्यनिष्पादन मूल्यांकन संबंधी बोर्ड स्तरीय समिति (बीसीपीई)

2.3 बोर्ड के दायित्वों में नीतियों का निर्धारण, कॉर्पोरेट रणनीति, नई पहल, कार्यनिष्पादन समीक्षा तथा नियंत्रण एवं बैंक के विभिन्न कार्याधिकारियों को प्रत्यायोजित अधिकारों के बाहर पड़ने वाले मामलों की संस्वीकृति शामिल है। बोर्ड ने विभिन्न समितियों का गठन किया है तथा विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में अधिकारों का प्रत्यायोजन किया है।

2.4 बोर्ड तथा उसकी समितियाँ आवधिक अंतरालों पर बैठकें करती हैं और बैंक को इसके उद्देश्यों को विवेकपूर्ण एवं कारगर ढंग से प्राप्त करने हेतु मागदर्शन देती हैं जिससे नैतिक परिपाटियों और व्यावसायिक प्रबंधन के माध्यम से कार्यनिष्पादन का उच्च मानक सुनिश्चित किया जा सके।

2.5 31.03.2022 को यथास्थिति निदेशक मंडल का गठन निम्नवत है :

क्रम सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति / नामांकन की तिथि	बैंक की बोर्ड स्तरीय समितियों में सदस्यता	बैंक से इतर कंपनियों / संस्थाओं में निदेशक	धारित शेयर की संख्या
1	श्री एस एल जैन	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	01.09.2021	1. प्रबंधन समिति 2. ग्राहक सेवा समिति 3. जोखिम प्रबंधन समिति 4. निदेशकों की समिति (सतर्कता) 5. विशेष समिति (बड़े मूल्य की धोखाधड़ियों को मॉनीटर करने हेतु) 6. आईटी रणनीति समिति 7. एचआर समिति 8. वसूली की मॉनिटरिंग हेतु समिति 9. इरादतन चूककर्ताओं की समीक्षा समिति 10. गैर–सहयोगी उधारकर्ताओं हेतु समीक्षा समिति 11. ऋण अनुमोदन समिति	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इन्श्युरेंस कंपनी लिमिटेड	**695**
2	श्री वी वी शेणॉय	कार्यपालक निदेशक	01.12.2018	1. प्रबंधन समिति 2. ग्राहक सेवा समिति 3. निदेशकों की समिति (सतर्कता) 4. विशेष समिति (बड़े मूल्य की धोखाधड़ियों को मॉनीटर करने हेतु) 5. आईटी रणनीति समिति 6. स्टेकधारक संपर्क समिति 7. शेयर अंतरण समिति (अध्यक्ष) 8. एचआर समिति 9. वसूली निगरानी की समिति 10. ऋण अनुमोदन समिति	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इन्श्यूरेंस कंपनी लिमिटेड	5000

क्रम सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति / नामांकन की तिथि	बैंक की बोर्ड स्तरीय समितियों में सदस्यता	बैंक से इतर कंपनियों / संस्थाओं में निदेशक	धारित शेयर की संख्या
3	श्री इमरान अमीन सिद्दीकी	कार्यपालक निदेशक	10.03.2021	1. प्रबंधन समिति 2. ग्राहक सेवा समिति 3. निदेशकों की समिति (सतर्कता) 4. विशेष समिति (बड़े मूल्य की धोखाधड़ियों को मॉनीटर करने हेतु) 5. आईटी रणनीति समिति 6. स्टेकधारक संपर्क समिति 7. शेयर अंतरण समिति 8. एचआर समिति 9. वसूली की मॉनिटरिंग हेतु समिति 10. ऋण अनुमोदन समिति	1. इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड 2. इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सेवाएं लिमिटेड 3. भरतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम	695
4	श्री अश्वनी कुमार	कार्यपालक निदेशक	21.10.2021	1. प्रबंधन समिति 2. ग्राहक सेवा समिति 3. जोखिम प्रबंधन समिति 4. निदेशकों की समिति (सतर्कता) 5. विशेष समिति (बड़े मूल्य की धोखाधड़ियों को मॉनीटर करने हेतु) 6. आईटी रणनीति समिति 7. स्टेकधारक संपर्क समिति 8. शेयर अंतरण समिति 9. एचआर समिति 10. वसूली की मॉनिटरिंग हेतु समिति 11. ऋण अनुमोदन समिति	-	शून्य
5	श्री संजीव कौशिक	सरकार नामित निदेशक	24.01.2020	1. जोखिम प्रबंधन समिति 2. निदेशकों की समिति (सतर्कता) 3. विशेष समिति (बड़े मूल्य की धोखाधड़ियों को मॉनीटर करने हेतु) 4. आईटी रणनीति समिति 5. एचआर समिति 6. वसूली की मॉनिटरिंग हेतु समिति 7. कार्यनिष्पादन मूल्यांकन संबंधी बोर्ड स्तरीय समिति	-	शून्य

क्रम सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति / नामांकन की तिथि	बैंक की बोर्ड स्तरीय समितियों में सदस्यता	बैंक से इतर कंपनियों / संस्थाओं में निदेशक	धारित शेयर की संख्या
6	डॉ. आदित्य गेहा	आरबीआई नामित निदेशक	08.03.2022	1. बोर्ड की प्रबंधन समिति 2. बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति 3. निदेशकों की समिति (सतर्कता)	-	शून्य
7	श्री बालमुकुंद सहाय	अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक	21.12.2021	1. ग्राहक सेवा समिति 2. जोखिम प्रबंधन समिति 3. विशेष समिति (बड़े मूल्य की धोखाधड़ियों को मॉनीटर करने हेतु) 4. स्टेकधारक संपर्क समिति (अध्यक्ष) 5. शेयर अंतरण समिति 6. एचआर समिति 7. अनुशासनात्मक मामलों हेतु बोर्ड स्तरीय अपील समिति(अध्यक्ष) 8. बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति	-	शून्य
8	श्री विश्वेश कुमार गोयल	अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक	21.12.2021	1. बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति 2. जोखिम प्रबंधन समिति 3. आईटी रणनीति समिति (अध्यक्ष) 4. वसूली की मॉनिटरिंग हेतु समिति 5. अनुशासनात्मक मामलों हेतु बोर्ड स्तरीय अपील समिति 6. गैर–सहयोगी उधारकर्ताओं हेतु समीक्षा समिति 7. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (अध्यक्ष)	वी जी कॉपोरेट मैनेजमैंट प्रा. लि.	शून्य
9	डॉ. भरत कृष्ण शंकर	शेयरधारक निदेशक	07.02.2021	1. बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (अध्यक्ष) 2. एचआर समिति 3. आईटी रणनीति समिति	1. अपराजिता कॉपोरेट सर्विसेज प्रा. लि. 2. दिनराम होल्डिंग्स प्रा. लि. 3. दासा कन्सल्टिंग प्रा.लि.	300

क्रम सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति / नामांकन की तिथि	बैंक की बोर्ड स्तरीय समितियों में सदस्यता	बैंक से इतर कंपनियों / संस्थाओं में निदेशक	धारित शेयर की संख्या
				4. शेयर अंतरण समिति 5. अनुशासनात्मक मामलों हेतु बोर्ड स्तरीय अपील समिति 6. कार्यनिष्पादन मूल्यांकन संबंधी बोर्ड स्तरीय समिति (अध्यक्ष) 7. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति 8. विशेष समिति (बड़े मूल्य की धोखाधड़ियों को मॉनीटर करने हेतु) 9. इरादतन चूककर्ताओं हेतु समीक्षा समिति	4. अपराजिता डायनमिक सिनर्जीज प्रा. लि. 5. अपराजिता प्रॉपर्टी शेल्टर प्रा. लि. 6. अपराजिता पार्टनरिंग प्राग्रेज प्रा. लि. 7. अपराजिता टोटल सोल्यूशन प्रा. लि. 8. अपराजिता साफ्टवेयर सर्विसेज प्रा. लि. 9. एडसिक्स ब्रेनलैब प्रा. लि.	
10	सुश्री पापिया सेनगुप्ता	शेयरधारक निदेशक	29.10.2021	1. प्रबंधन समिति 2. जोखिम प्रबंधन समिति (अध्यक्ष) 3. आईटी रणनीति समिति 4. वसूली की मॉनिटरिंग हेतु समिति 5. अनुशासनात्मक मामलों हेतु बोर्ड स्तरीय अपील समिति 6. इरादतन चूककर्ताओं हेतु समीक्षा समिति 7. गैर–सहयोगी उधारकर्ताओं हेतु समीक्षा समिति 8. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति कार्यनिष्पादन मूल्यांकन संबंधी बोर्ड स्तरीय समिति 9. कार्यनिष्पादन मूल्यांकन संबंधी बोर्ड स्तरीय समिति	द इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ऑफ इंडिया लि.	200

नोट :

(I) बोर्ड का कोई भी निदेशक 10 से अधिक समितियों अर्थात लेखापरीक्षा समिति और स्टेकधारक संपर्क समिति के सदस्य नहीं है अथवा उन समस्त कंपनियों में, जिनके वे निदेशक हैं, में 5 से अधिक समितियों अर्थात लेखापरीक्षा समिति और स्टेकधारक संपर्क समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करते हैं।

(II) निदेशकों के बीच कोई परस्पर संबंध नहीं है।

(III) निदेशक मंडल वित्तीय वर्ष 2021–22 में बैंक के व्यवसाय और समग्र कार्यकलापों के लिए उत्तरदायी और सूचीबद्ध संस्था की औपचारिक और अनौपचारिक रिर्पोटिंग संरचना इसके अनुरूप ही है।

(IV) बोर्ड की राय में स्वतंत्र निदेशक सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 में विनिर्दिष्ट शर्तो को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।

(V) वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान किसी भी स्वतंत्र निदेशक द्वारा त्यागपत्र देने के मामले नहीं हैं।

2.6 वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान प्रबंध निदेशकों (01.09.2021 को कार्यग्रहण करने वाले) एवं बैंक के बोर्ड में नियुक्त/नामांकित किए गए और पद ग्रहण करने वाले निदेशकों के प्रोफाइल निम्नलिखित है :–

2.6.1 श्री एस एल जैन, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी :

श्री एस एल जैन ने 1 सितंबर, 2021 को इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इससे पूर्व, वे सितंबर 2018 से बैंक ऑफ बड़ौदा में कार्यपालक निदेशक थे।

बैंक ऑफ बड़ौदा में कार्यपालक निदेशक के पद पर रहते हुए उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विजया बैंक एवं देना बैंक के समामेलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे बैंक ऑफ बड़ौदा में लार्ज कॉर्पोरेट ऋण, दबावग्रस्त आस्तियां एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग का प्रबंधन कर रहे थे। उन्होंने युगांडा, तंजानिया में बैंक ऑफ बड़ौदा की अनुषंगियों और बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज (बीजीएसएस) इत्यादि के नामित निदेशक/अध्यक्ष के रूप में भी अपनी सेवाएँ प्रदान की हैं।

वे वाणिज्य विषय में स्नातकोत्तर हैं, उनके पास सनदी लेखाकार, कंपनी सचिव और सीएआईआईबी की व्यावसायिक योग्यता है। उन्होंने वर्ष 1993 में इलाहाबाद बैंक में मध्य प्रबंधन ग्रेड में कार्यभार ग्रहण किया और बैंक में महाप्रबंधक बने।

महाप्रबंधक के रूप में, उन्होंने बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी, मुख्य जोखिम अधिकारी एवं आईटी विभाग के प्रमुख के रूप में अपना योगदान दिया है। वे आगरा अंचल कार्यालय के प्रमुख के रूप में भी अपनी सेवाएँ प्रदान कर चुके हैं और मुम्बई के क्षेत्र महाप्रबंधक(पश्चिम) रहे हैं। इससे पूर्व उन्होंने बैंक की अनेक शाखाओं एवं प्रशासनिक कार्यालयों में अपनी सेवाएँ प्रदान की हैं। इलाहाबाद बैंक में नियुक्ति से पूर्व, उन्होंने विभिन्न औद्योगिक संस्थाओं में कार्य किया है। उनके पास लगभग 28 वर्षों का बैंकिंग अनुभव और लगभग 6 वर्षों का औद्योगिक क्षेत्र में कार्य का अनुभव है।

श्री जैन भारतीय बैंक संघ की प्रबंध समिति के सदस्य हैं और वे कॉर्पोरेट ऋण संबंधी आईबीए की स्थायी समिति के प्रमुख भी हैं। वे यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नामित निदेशक / गैर–कार्यकारी अध्यक्ष और आईआईबीएम, गुवाहाटी के शासी निकाय के सदस्य के रूप में सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। वे आईआरडीएआई की बीमा सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं।

2.6.2 श्री अश्वनी कुमार, कार्यपालक निदेशक

श्री अश्वनी कुमार एक चार्टेड अकाऊंटेंट, कॉमर्स में स्नातकोत्तर एवं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के प्रमाणित सदस्य भी हैं। उन्हें दो दशकों से भी अधिक वर्षों का बैंकिंग अनुभव है। इंडियन बैंक में कार्यपालक निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण करने से पूर्व वे पंजाब नैशनल बैंक के मुंबई अंचल कार्यालय में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में सेवारत थे।

श्री अश्वनी कुमार, सार्वजनिक क्षेत्र के चार बैंकों, बैंक ऑफ बड़ौदा, कॉर्पोरेशन बैंक, ओबीसी एवं पीएनबी के कई कार्यालयों में विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए सफलता की सीढ़ीयाँ चढ़े। उन्हें होलसेल बैंकिंग अनुभाग एवं कई शाखाओं (इंडस्ट्रियल फाइनेंस शाखाएँ व एलसीबी सहित) के प्रमुख के रूप में कार्य करने का अनुभव है। महाप्रबंधक के रूप में, वे मिड कॉर्पोरेट और बृहत कॉर्पोरेट वर्टिकल का नेतृत्व कर रहे थे एवं सीएफओ भी थे।

उन्होंने आईआईएम व काफराल समेत भारत एवं विदेशों के प्रमुख संस्थानों के कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया हैं। उन्होंने आईबीए व इगॉन जेह्डर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के परामर्श में बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा आयोजित आईआईएम बैंगलोर के लीडरशिप डेवलपमेंट कार्यक्रम को भी पूर्ण कर लिया है।

2.6.3 डॉ. आदित्य गेहा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशक

डॉ आदित्य गेहा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं और बीआईटीएस, पिलानी से भौतिकी में स्नातक हैं। उन्होंने विधि (उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद से एलएलबी) और फाइनेंस, कैस बिजनेस स्कूल, लंदन से एम.एससी. (निवेश प्रबंधन) में भी डिग्रीयां प्राप्त की है।

उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से अर्थशास्त्र में पीएचडी की है। वे आईआईबीएफ के सर्टिफाइड एसोसिएट हैं। वे वर्ष 1996 से भारतीय रिजर्व बैंक में सेवा प्रदान कर रहे हैं एवं उनके पास भुगतान प्रणाली व सूचना प्रौद्योगिकी, बैंकिंग व गैर–बैंकिंग पर्यवेक्षण, सार्वजनिक ऋण, विनिमय नियंत्रण तथा रिजर्व प्रबंधन के क्षेत्रों में 25 से अधिक वर्षों का कार्य अनुभव है। उन्होंने सार्क विकास कोष (थिम्पू) के लिए निदेशक (वित्त) एवं आईएमएफ (मुख्यालय, वाशिंगटन डीसी) के लिए वरिष्ठ वित्तीय क्षेत्र विशेषज्ञ के रूप में भी सेवाएं दीं हैं। वर्तमान में, वे भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय, मुंबई में विदेशी निवेश और परिचालन विभाग (डीईआईओ) के प्रमुख हैं।

2.6.4 सुश्री पापिया सेनगुप्ता, शेयरधारक निदेशक

सुश्री पापिया सेनगुप्ता ने विज्ञान में स्नातक एवं सीएफए व सीएआईआईबी की अतिरिक्त अर्हता उतीर्ण की हैं। उन्होंने वर्ष 1983 में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में एसबीबीजे में कार्यग्रहण किया एवं एसबीबीजे, एसबीआई और एसबीपी के कई कार्यालयों में विभिन्न जिम्मेदारियों को संभाला। सुश्री पापिया सेनगुप्ता दिनांक 30.09.2019 को बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यकारी निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हुईं। वे बैंक ऑफ बड़ौदा में कार्यग्रहण करने से पूर्व, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (एसबीपी) में अप्रैल 2016 से मुख्य महाप्रबंधक (खुदरा बैंकिंग) एवं जून 2015 से मुख्य महाप्रबंधक (तनावग्रस्त संपत्ति प्रबंधन समूह) के पद पर सेवारत थीं। उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर (एसबीबीजे) में दिल्ली नेटवर्क के महाप्रबंधक के रूप में भी सेवा प्रदान की।

2.6.5 श्री बालमुकुंद सहाय, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक

श्री बालमुकुंद सहाय रांची विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातकोत्तर हैं। वे 2001 से 2004 तक झारखंड राज्य परिवहन प्राधिकरण के सक्रिय सदस्य और 2016 से 2019 तक झारखंड राज्य स्तरीय 20 सूत्रीय कार्यक्रम समिति के सदस्य रहे थे। झारखंड राज्य परिवहन प्राधिकरण के सदस्य के रूप में, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और परिवहन क्षेत्र में सुधार करने में उनकी भूमिका रहीं। एक सामाजिक कार्यकर्ता और झारखंड राज्य स्तरीय 20 सूत्रीय कार्यक्रम समिति के सदस्य के रूप में वे कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, लघु उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने और वैकल्पिक विवाद समाधान पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। गरीबी उन्मूलन, लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना भी उनकी रुचि का विषय था।

2.6.6 श्री विश्वेश कुमार गोयल, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक

श्री विश्वेश कुमार गोयल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सदस्य हैं और उन्होंने मेरठ विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। उन्हें प्रत्यक्ष कराधान, अंतरराष्ट्रीय लेनदेन सलाहकार, कानूनी सलाह, प्रवासी कराधान आदि में 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है। उन्हें विभिन्न उद्योगों में सूचीबद्ध भारतीय और बहुराष्ट्रीय ग्राहकों की सेवा करने, एश्योरेंस सेवाओं में व्यापक अनुभव है। उन्होंने विभिन्न जीएएपी (यूएस जीएएपी, आईएफआरएस, इंड एएस, आदि सहित) के तहत काम किया है। वह प्रख्यात शैक्षणिक संस्थान के संस्थापक ट्रस्टी हैं। वह प्रत्यक्ष कराधान, प्रशिक्षण और अन्य प्रेरक कार्यक्रमों में सार्वजनिक संगोष्ठी के सक्रिय भागीदार हैं।

2.7 वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान निदेशक पद की समाप्ति के विवरण निम्नानुसार है :

क्रमांक	नाम	वर्ग	कार्य समापन की तिथि	कारण
1.	श्री के रामचंद्रन	कार्यपालक निदेशक	01.07.2021	सेवानिवृत्ति
2.	सुश्री पद्मजा चुन्डूरू	एमडी व सीईओ	01.09.2021	सेवानिवृत्ति
3.	श्री एस के पाणिग्रही	आरबीआई निदेशक	08.03.2022	भारत सरकार की अधिसूचना सं. ईएफ. सं. 6.3.2011–बी0. 1 भाग(1) दिनांकित 08.03.2022
4.	श्री वी वी शेणॉय	कार्यपालक निदेशक	01.04.2022	सेवानिवृत्ति

3. निदेशक मंडल के सदस्यों का परिचय :

क्रम सं.	नाम	पदनाम	निदेशक का वर्ग	शैक्षिक /व्यावसायिक योग्यता	कौशल विशेषज्ञता
1	श्री एस एल जैन	एम डी एवं सीईओ	कार्यपालक	एम.कॉम, सीए, सीएस, सीएआईआईबी	सीए, बैंकिंग
2	श्री वी वी शेणॉय	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक	बी.कॉम, सीएआईआईबी	बैंकिंग
3	श्री इमरान अमीन सिद्दीकी	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक	बीएससी, बी टेक, सीएआईआईबी	बैंकिंग
4	श्री अश्वनी कुमार	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक	एम.कॉम, सीए	सीए, बैंकिंग

क्रम सं.	नाम	पदनाम	निदेशक का वर्ग	शैक्षिक /व्यावसायिक योग्यता	मूल कौशल / विशेषज्ञता / दक्षताएं
5	श्री संजीव कौशिक	सरकार द्वारा नामित निदेशक	गैर कार्यपालक भारत सरकार नामिती निदेशक	लंदन बिजनेस स्कूल से एमबीए एवं बिट्स पिलानी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग	लोक प्रशासन
6	डॉ. आदित्य गेहा	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशक	गैर कार्यपालक आरबीआई नामिती निदेशक	बीई, एम. एससी (भौतिकी), एल.एल.बी., एम. एससी (निवेश प्रबंधन), सीएआईआईबी, पीएचडी (अर्थशास्त्र)	अर्थशास्त्र, बैंकिंग विनियम एवं पर्यवेक्षण
7	डॉ. भरत कृष्ण शंकर	शेयरधारक निदेशक	गैर कार्यपालक – स्वतंत्र निदेशक	बी.कॉम., एम.कॉम, कॉमर्स में पीएचडी, एफसीए, एसीएमए	व्यवसाय प्रबंधन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वित्त और मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण
8	सुश्री पापिया सेनगुप्ता	शेयरधारक निदेशक	गैर कार्यपालक – स्वतंत्र निदेशक	बी.एससी, सीएआईआईबी, सीएएफए	सीएफए, बैंकिंग
9	श्री विश्वेश कुमार गोयल	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	गैर कार्यपालक – स्वतंत्र निदेशक	बी. कॉम, सीए	चार्टर्ड अकाउंटेंट, एश्योरेंस, कराधान एवं वित्त
10	श्री बालमुकुंद सहाय	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	गैर कार्यपालक – स्वतंत्र निदेशक	एम. कॉम.	कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, लघु उद्योग

3.1 वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान आयोजित बोर्ड समिति की बैठक के विवरण :

वर्तमान और पूर्व निदेशकों द्वारा भाग लेने वाली बैठकों का विवरण (दिनांक 01.04.2021 से दिनांक 31.03.2022 तक) :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	बोर्ड	एम सी बी	ए सी बी	आर एम सी	सी ओ डी (सतर्कता)	एस आर सी	आइ टी कंप्यूटर	एस सी एम एल वी एफ	सी एस सी	मा संसाधन समिति	एस टी सी	सी ए सी	सी एफ एम आर	बी ए सी डी सी	आर सी एन सी बी	एन आर सी	आर सी डब्ल्यूडी	बी सी पी ई
1	सुश्री पद्मजा चुन्डूरू*	5	9	..	2	2	..	3	..	1	1	..	9	1	..	..	..	1	–
2	श्री एस एल जैन	11	19	..	4	2	..	4	2	3	3	..	24	2	..	1	..	4	–
3	श्री वी वी शेणॉय	16	28	13	6	4	3	7	2	4	4	1	33	3	..	..	..	–	–
4	श्री के रामचन्द्रन**	2	5	3	1	1	1	1	..	1	..	..	5	1	..	..	..	..	–
5	श्री इमरान अमीन सिद्दीकी	15	27	13	5	4	3	7	2	4	4	1	31	3	..	..	..	–	–
6	श्री अश्वनी कुमार	9	15	6	3	1	1	4	1	2	3	1	18	2	..	..	..	–	–
7	श्री संजीव कौशिक	11	..	9	..	2	..	1	..	..	2	..	..	1	..	..	..	1	2
8	श्री एस के पाणिग्रही***	12	22	9	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	–	–
9	डॉ. आदित्य गेहा	1	1	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	–	–
10	डॉ. भरत कृष्ण शंकर	16	..	13	2	..	2	6	2	3	4	1	..	..	..	..	..	5	2
11	सुश्री पापिया सेनगुप्ता	9	14	..	4	..	..	4	..	..	..	..	..	2	..	1	..	4	2
12	श्री विश्वेश कुमार गोयल	8	..	5	3	..	..	3	.	..	..	..	..	1	..	1	..	–	–
13	श्री बालमुकुंद सहाय	8	..	3	3	..	1	..	1	1	2	1	..	..	..	..	..	–	–

* दिनांक 31.08.2021 तक एमडी एवं सीईओ

** दिनांक 30.06.2021 तक कार्यपालक निदेशक

*** दिनांक 07.03.2022 तक आरबीआई नामिति निदेशक

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं प्रकीर्ण उपबंध) योजना 1970 के खंड 12 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम छह बैठकों के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान बोर्ड की न्यूनतम 15 बोर्ड बैठकें आयोजित की गई। इसके विवरण निम्नानुसार है :

क्रम सं	बैठक की तिथि	बोर्ड में निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	28.05.2021	7	7
2.	29.06.2021	7	7
3.	19.07.2021	6	6
4.	11.08.2021	6	5
5.	27.08.2021	6	6
6.	29.09.2021	6	5
7.	28.10.2021	7	7
8.	25.11.2021	8	7
9.	27.12.2021	10	10
10.	07.02.2022	10	10
11.	08.02.2022	10	10
12.	24.02.2022	10	8
13.	14.03.2022	10	8
14.	21.03.2022	10	8
15.	30.03.2022	10	9

4. बोर्ड की समितियाँ

4.1 बोर्ड की प्रबंधन समिति

- प्रबंधन समिति का गठन सितंबर 08, 1990 को किया गया और यह भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के साथ बोर्ड द्वारा इसे प्रदान किए गए बोर्ड अधिकारों का प्रयोग करती है। समय–समय पर समिति का पुनर्गठन किया जाता है। प्रबंधन समिति निम्नलिखित विषयों पर बोर्ड में निहित सभी अधिकारों का प्रयोग कर सकती है :
 - ऋण प्रस्तावों की मंजूरी (निधिप्रदत्त और गैर निधिप्रदत्त) ;
 - ऋण समझौता, बट्टे खाते में डालने के प्रस्ताव ;
 - पूंजी और राजस्व व्यय के प्रस्तावों हेतु अनुमोदन ;
 - परिसरों के अधिग्रहण और किराये पर लेने हेतु मानदंडों से विचलन सहित परिसरों के अधिग्रहण और किराये पर लेने से संबंधित प्रस्ताव ;
 - सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, शेयरों और हामीदारी सहित कंपनियों के डिबेंचरों में निवेश;
 - दान और
 - बोर्ड द्वारा प्रबंधन समिति को संदर्भित किए गए कोई अन्य मामले

4.1.1 बोर्ड की प्रबंधन समिति की संरचना :

दिनांक 31.03.2022 को बोर्ड की प्रबंधन समिति की संरचना इस प्रकार है :

1.	श्री एस एल जैन	अध्यक्ष
2.	श्री वी वी शेणॉय, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
3.	श्री इमरान अमीन सिद्दीकी, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
4.	श्री अश्वनी कुमार, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
5.	डॉ. आदित्य गेहा, भारि बैंक द्वारा नामित निदेशक	सदस्य
6.	सुश्री पापिया सेनगुप्ता, शेयरधारक निदेशक	सदस्य

4.1.2 बैठकों का विवरण :

दिनांक 01.04.2021 से दिनांक 31.03.2022 की अवधि के दौरान समिति की 28 बैठकें हुई, जिनका विवरण नीचे दिया गया है :

क्रमांक	बैठक की तिथि	बोर्ड की प्रबंधन समिति में निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	16.04.2021	5	5
2.	04.05.2021	5	5
3.	25.05.2021	5	5
4.	07.06.2021	5	5
5.	24.06.2021	5	5
6.	14.07.2021	4	4
7.	03.08.2021	4	4
8.	13.08.2021	4	4
9.	18.08.2021	4	4
10.	17.09.2021	4	4
11.	27.09.2021	4	4
12.	18.10.2021	4	4
13.	27.10.2021	5	5
14.	12.11.2021	6	6
15.	20.11.2021	6	6
16.	30.11.2021	6	4
17.	09.12.2021	6	6
18.	23.12.2021	6	6
19.	29.12.2021	6	5
20.	10.01.2022	6	6
21.	25.01.2022	6	6
22.	14.02.2022	6	6
23.	21.02.2022	6	5
24.	05.03.2022	6	6
25.	07.03.2022	6	5
26.	14.03.2022	6	5
27.	23.03.2022	6	5
28.	28.03.2022	6	5

4.2 बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (ए सी बी)

लेखा परीक्षा समिति 13 अक्तूबर 1995 को गठित की गयी और इसे समय–समय पर पुनर्गठित किया जाता है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित शामिल हैं :

- बैंक के समग्र लेखा – परीक्षा कार्य, जोकि संस्थान तथा उसके परिचालन तथा आंतरिक बैंक की आंतरिक लेखा परीक्षा व निरीक्षण की गुणवत्ता नियंत्रण पर प्रभाव डालता है, को मार्गदर्शन प्रदान करना एवं उसका पर्यवेक्षण करना तथा बैंक की सांविधिक बाहरी लेखा परीक्षा एवं भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षणों का अनुवर्तन करना।
- अंतर–शाखा समायोजन खाते, अंतर बैंक खातों में बहुत दिनों से लंबित समाधान न की गई प्रविष्टियाँ और नास्ट्रो खातों, विभिन्न शाखाओं में बहियों के संतुलन में शेष काम, धोखाधड़ियाँ एवं अनुरक्षण पर विशिष्ट ध्यान देते हुए बैंक के आंतरिक निरीक्षण लेखापरीक्षा कार्य की पुनरीक्षा करना।
- बैंकों में नियुक्त अनुपालन अधिकारियों से प्राप्त तिमाही रिपोर्टों की समीक्षा और
- लांग फार्म लेखा परीक्षा रिपोर्टों में उठाए गए सभी मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना और वार्षिक अर्ध वार्षिक वित्तीय लेखा और रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पूर्व

बाहरी लेखा परीक्षकों के साथ संपर्क करना।

- खातों, लेखा नीतियों, प्रकटीकरणों की सामान्य पुनरीक्षा
- प्रबंधन के निर्णयों के आधार पर मुख्य लेखा प्रविष्टियों की पुनरीक्षा करना एवं लेखा परीक्षा के दौरान उभरे विशेष समायोजनों की पुनरीक्षा करना।
- लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रारूप में क्वालिफिकेशन
- लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों को शामिल करते हुए स्वतंत्र लेखा परीक्षा के विस्तार का निर्धारण एवं पुनरीक्षण करना तथा बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले तिमाही, छमाही एवं वार्षिक वित्तीय विवरणों का पुनरीक्षण करना
- किसी भी प्रकार के चिंताजनक क्षेत्र का पता लगाने के लिए लेखा परीक्षकों के साथ लेखा परीक्षा के बाद चर्चा
- आंतरिक लेखा परीक्षा का स्कोप और समय अंतराल स्थापित करना, आंतरिक लेखा परीक्षकों के निष्कर्ष की पुनरीक्षा और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता सुनिश्चित करना
- बैंक के लेखा मानकों और लेखा नीतियों का अनुपालन
- वित्तीय विवरणियों पर लागू सीमा तक स्टॉक एक्सचेंज की अपेक्षाओं का अनुपालन
- संबंधित पार्टियों के लेनदेन का पर्यवेक्षण, यथा, प्रवर्तकों अथवा प्रबंधन, उनकी अनुषंगियों अथवा संबंधियों इत्यादि के साथ भौतिक रूप के लेनदेन, जिनसे व्यापक रूप में बैंक के हितों के साथ संभावित संघर्ष हो सकता है और
- ऐसे अन्य मामले जो कि समय–समय पर किसी भी सांविधिक, संविदात्मक अथवा अन्य विनियामक आवश्यकताओं हेतु अपेक्षित हों।

4.2.1 बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की संरचना :

दिनांक 31.03.2022 को बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की संरचना इस प्रकार है :

1.	डॉ. भरत कृष्ण शंकर, शेयरधारक निदेशक	अध्यक्ष
2.	डॉ. आदित्य गेहा, आरबीआई द्वारा नामित निदेशक	सदस्य
3	श्री विश्वेश कुमार गोयल, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	सदस्य
4	श्री बालमुकुंद सहाय, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	सदस्य

आमंत्रित :

1. श्री वी वी शेणॉय, कार्यपालक निदेशक
2. श्री इमरान अमीन सिद्दीकी, कार्यपालक निदेशक
3. श्री अश्वनी कुमार, कार्यपालक निदेशक

4.2.2 बैठक का विवरण

दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2022 तक की अवधि में बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति की 13 बैठकों का आयोजन किया गया जिनका विवरण निम्नवत है :–

क्र. सं.	बैठक की तिथि	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति में निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	28.04.2021	4	3
2.	28.05.2021	4	4
3.	28.06.2021	4	4
4.	19.07.2021	4	4
5.	26.08.2021	4	4
6.	29.09.2021	4	3
7.	28.10.2021	3	3
8.	22.12.2021	3	3
9.	07.02.2022	4	4
10.	16.02.2022	4	4
11.	11.03.2022	4	4
12.	25.03.2022	4	3
13.	30.03.2022	4	4

4.3 बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति :

जोखिम प्रबंधन समिति का गठन दिनांक 18 जनवरी, 2003 को किया गया था और समय–समय पर इस समिति का पुनर्गठन किया जाता रहा है । जोखिम प्रबंधन समिति की कार्यविधि / उत्तरदायित्व निम्नवत हैं :

- एकीकृत जोखिम प्रबंधन, जिसमें ऋण जोखिम सहित बैंक के विभिन्न एक्सपोजर से संबंधित जोखिम शामिल है, के लिए नीति और रणनीति तैयार करना।
- बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी), आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलएमसी) और परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) एवं अन्य जोखिम समितियों के बीच समन्वय स्थापित करना।
- बाजार जोखिम मापने, उसके प्रबंधन और रिपोर्टिंग हेतु नीतियां और दिशानिर्देश निर्धारित करना
- यह सुनिश्चित करना कि बाजार जोखिम प्रक्रियाएँ (जनता, प्रणालियों, परिचालनों, सीमाओं और नियंत्रणों सहित) बैंक की नीति की संतुष्टि करती हैं।
- ट्रिगर अथवा व्यापार और प्रोद्भूत पोर्टफोलियो हेतु हानि रोकने सहित बाजार जोखिम सीमाओं की पुनरीक्षा और अनुमोदन।
- अर्ह और सक्षम स्टाफ की नियुक्ति, अर्ह और सक्षम स्टाफ और स्वतंत्र बाजार जोखिम प्रबंधकों आदि की तैनाती सुनिश्चित करना।

4.3.1 बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति का प्रारूप :

दिनांक 31.03.2022 को बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति का प्रारूप निम्नवत है :

1.	सुश्री पापिया सेनगुप्ता, शेयरधारक निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री अश्वनी कुमार, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
3	श्री संजीव कौशिक, सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य
4	श्री बालमुकुंद सहाय, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	सदस्य
5	श्री विश्वेश कुमार गोयल, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	सदस्य

आमंत्रित :

1. श्री वी वी शेणॉय, कार्यपालक निदेशक
2. श्री इमरान अमीन सिद्दीकी, कार्यपालक निदेशक
3. श्री राजेश महाजन, डोमेन विशेषज्ञ (विशेष अतिथि)

4.3.2 बैठकों का विवरण :

दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2022 तक की अवधि में 6 बार समिति की बैठकों का आयोजन किया गया जिनका विवरण निम्नवत है :

क्र. सं.	बैठक की तिथि	बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति में निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	28.06.2021	5	5
2.	26.08.2021	4	4
3.	24.11.2021	4	3
4.	10.03.2022	6	5
5.	23.03.2022	6	5
6.	30.03.2022	6	4

4.4 निदेशकों की सतर्कता समिति (सीओडी) :

सतर्कता समिति जनवरी 12, 1991 को गठित की गई है। लंबित अनुशासनिक मामलों और विभागीय जांच की पुनरीक्षा करने के लिए तिमाही में एक बार सतर्कता समिति की बैठक की जाती है। समय–समय पर समिति का पुनर्गठन किया जाता है।

4.4.1 निदेशकों की समिति सतर्कता (सीओडी / विज) का प्रारूप :

दिनांक 31.03.2022 को निदेशकों की सतर्कता समिति (सीओडी / विज) का प्रारूप निम्नवत है :

1.	श्री एस एल जैन, एमडी एवं सीईओ	अध्यक्ष
2.	श्री वी वी शेणॉय, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
3.	श्री इमरान अमीन सिद्दीकी, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
4.	श्री अश्वनी कुमार, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
5.	श्री संजीव कौशिक, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य
6.	डॉ. आदित्य गेहा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशक	सदस्य

4.4.2 बैठकों का विवरण :

दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2022 तक की अवधि के दौरान समिति की 4 बैठकों का आयोजन हुआ जिनका विवरण निम्नवत है :

क्र.सं.	बैठक की तिथि	निदेशकों की समिति (सतर्कता) में निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	29.06.2021	6	5
2	27.08.2021	5	5
3	24.11.2021	6	5
4	30.03.2022	6	3

4.5 स्टेकधारक संपर्क पर बोर्ड की समिति :

23 नवंबर, 2006 से समिति का गठन ऐसे कार्यों को करने के लिए किया गया था जो शेयरधारकों और निवेशकों की शिकायतों के निवारण के लिए आवश्यक हैं, जिनमें शेयरों का हस्तांतरण, लाभांश की प्राप्ति न होना, वार्षिक रिपोर्ट और कोई अन्य शिकायत शामिल है, जो कि बैंक के किसी शेयरधारक या निवेशक की बैंक के प्रति हो सकती है। समय–समय पर समिति का पुनर्गठन किया गया है।

4.5.1 स्टेकधारक संपर्क पर बोर्ड की समिति का प्रारूप :

दिनांक 31.03.2023 को स्टेकधारक संपर्क समिति का प्रारूप निम्नवत है :–

1.	श्री बालमुकुंद सहाय, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री वी वी शेणॉय, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
3.	श्री इमरान अमीन सिद्दीकी, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
4.	श्री अश्वनी कुमार, कार्यपालक निदेशक	सदस्य

4.5.2 स्टेकधारक संपर्क पर बोर्ड की समिति की कार्यविधि :

समिति की भूमिका में अन्य बातों के साथ–साथ निम्न शामिल हैं :

- शेयरों के अंतरण / प्रेषण, वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त न होने, घोषित लाभांश प्राप्त न होना, नए / डुप्लिकेट प्रमाणपत्र जारी करने, आम सभा आदि से संबंधित शिकायतों सहित बैंक के प्रतिभूति धारकों की शिकायतों का समाधान करना।
- शेयरधारकों द्वारा मताधिकार के कारगर प्रयोग हेतु उपायों की समीक्षा करना।
- रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में बैंक द्वारा अपनाई गई मानक सेवाओं के अनुपालन की समीक्षा।
- अदावी लाभांशों की मात्रा को कम करने और कंपनियों के शेयरधारकों को समय पर लाभांश वारंट / वार्षिक प्रतिवेदन / सांविधिक सूचनाओं की प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा किए गए विभिन्न उपायो और पहलों की समीक्षा करना।

4.5.3 बैठकों का विवरण

दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2022 तक समिति की 3 बैठकों का आयोजन हुआ जिनका विवरण निम्नवत है :

क्र.सं.	बैठक की तिथि	स्टेकधारकों संपर्क समिति में निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	08.06.2021	4	4
2	29.09.2021	3	3
3	25.03.2022	4	4

4.6 आईटी रणनीति समिति :

आईटी रणनीति समिति का गठन बैंक की प्रौद्योगिकी के उन्नयन की आवश्यकताओं पर विचार करने और स्पष्ट परिभाषित माइलस्टोन के साथ रणनीतिक योजना की अनुशंसा करने के लिए किया गया है। समय–समय पर समिति का पुनर्गठन किया जाता है।

4.6.1 आईटी रणनीति समिति का प्रारूप :

दिनांक 31.03.2022 को आईटी रणनीति समिति का प्रारूप निम्नवत है :

1.	श्री विश्वेश कुमार गोयल, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री एस एल जैन, एमडी और सीईओ	सदस्य
3.	श्री वी वी शेणॉय, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
4.	श्री इमरान अमीन सिद्दीकी, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
5.	श्री अश्वनी कुमार, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
6.	श्री संजीव कौशिक, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य
7.	डॉ. भरत कृष्ण शंकर, शेयरधारक निदेशक	सदस्य
8.	सुश्री पापिया सेनगुप्ता, शेयरधारक निदेशक	सदस्य

समिति की बैठकों में आईडीआरबीटी के प्रतिनिधि विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित थे।

4.6.2 बैठकों का विवरण :

दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2022 की अवधि के दौरान समिति की 7 बैठकों का आयोजन किया गया जिनका विवरण निम्नवत है :

क्र.सं.	बैठक की तिथि	आईटी रणनीति समिति में निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	08.06.2021	6	5
2.	15.07.2021	5	5
3.	11.08.2021	5	4
4.	24.11.2021	7	6
5.	16.02.2022	8	7
6.	10.03.2022	8	6
7.	23.03.2022	8	7

4.7 विशेष समिति (बडे मूल्य की धोखाधड़ियों को मॉनीटर करने हेतु) :

1 (एक) करोड़ रुपए व अधिक मूल्य की धोखाधड़ियों को मॉनीटर करने हेतु इस समिति का गठन 31 जनवरी, 2004 को किया गया था है। समय–समय पर समिति का पुनर्गठन किया जाता है।

4.7.1 विशेष समिति (बडे मूल्य की धोखाधड़ियों को मॉनीटर करने हेतु) का प्रारूप :

दिनांक 31.03.2022 को विशेष समिति (बडे मूल्य की धोखाधड़ियों को मॉनीटर करने हेतु) का प्रारूप निम्नवत है :

1.	श्री एस एल जैन, एमडी और सीईओ	अध्यक्ष
2.	श्री वी वी शेणॉय, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
3.	श्री इमरान अमीन सिद्दीकी, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
4.	श्री अश्वनी कुमार, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
5.	श्री संजीव कौशिक, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य
6.	डॉ. भरत कृष्ण शंकर, शेयरधारक निदेशक	सदस्य
7.	श्री बालमुकुंद सहाय, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	सदस्य

4.7.2 बैठकों का विवरण :

दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2022 तक विशेष समिति (बडे मूल्य की धोखाधड़ियों को मॉनीटर करने हेतु) की 2 बैठकें आयोजित की गईं जिनका विवरण निम्नवत है :–

क्र.सं.	बैठक की तिथि	विशेष समिति (बडे मूल्य की धोखाधड़ियों को मॉनीटर करने हेतु) में निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	29.09.2021	5	4
2	16.02.2022	7	6

4.8 बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति :

24 अगस्त 2004 को ग्राहक सेवा समिति का गठन किया गया था और समय–समय पर इसका पुनर्गठन किया जाता है। ग्राहक सेवा समिति के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं :

- आम जनता के हितों की रक्षा की दृष्टि से प्रक्रियाओं और कार्य प्रणालियों के सरलीकरण पर विचार करना
- ग्राहकों को सेवा प्रदान करने के लिए मौजूद प्रणालियों की समीक्षा करना और
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियमों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करना जो बैंकों की ग्राहक सेवा को प्रभावित करते हैं।

4.8.1 बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति का प्रारूप :

दिनांक 31.03.2022 को बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति का प्रारूप निम्नवत है :–

1.	श्री एस एल जैन, एमडी एवं सीईओ	अध्यक्ष
2.	श्री वी वी शेणॉय, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
3.	श्री इमरान अमीन सिद्दीकी, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
4.	श्री अश्वनी कुमार, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
5.	श्री बालमुकुंद सहाय, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	सदस्य

4.8.2 बैठकों का विवरण :

दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2022 की अवधि के दौरान समिति की 4 बैठकों का आयोजन किया गया जिनका विवरण निम्नवत है :

क्र.सं.	बैठक की तिथि	बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति में निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	08.06.2021	5	5
2.	29.09.2021	4	4
3.	27.12.2021	5	5
4.	23.02.2022	5	5

4.9 बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति :

बोर्ड में शेयरधारक निदेशक के रूप में चुने जाने वाले व्यक्तियों की ''उपयुक्त और उचित'' स्थिति का निर्धारण करने के लिए आरबीआई/डीएफएस के दिशानिर्देशों के आधार पर दिनांक 27.11.2019 को बैंक में नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया था। समय–समय पर समिति का पुनर्गठन किया गया.

4.9.1 बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति का प्रारूप :

दिनांक 31.03.2022 को बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति का प्रारूप निम्नवत है :–

1.	श्री विश्वेश कुमार गोयल, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	अध्यक्ष
2.	डॉ. भरत कृष्ण शंकर, शेयरधारक निदेशक	सदस्य
3.	सुश्री पापिया सेनगुप्ता, शेयरधारक निदेशक	सदस्य

4.9.2 बैठक का विवरण

01.04.2021 से 31.03.2022 के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

4.10 कार्यनिष्पादन मूल्यांकन हेतु बोर्ड की समिति :

इस समिति को प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के प्रमुख उत्तरदायित्व क्षेत्र तैयार करने तथा महाप्रबन्धकों एवं कार्यपालक निदेशकों के प्रमुख उत्तरदायित्व क्षेत्र को अनुमोदित करने के लिए दिनांक 27.11.2019 को गठित किया गया था। समय समय पर इस समिति का पुनर्गठन किया जाता है।

4.10.1 कार्यनिष्पादन मूल्यांकन हेतु गठित बोर्ड की समिति की संरचना :

दिनांक 31.03.2022 को यथास्थिति कार्यनिष्पादन मूल्यांकन हेतु गठित बोर्ड की समिति की संरचना निम्नवत है :

1	श्री संजीव कौशिक, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक	अध्यक्ष
2	डॉ. भरत कृष्ण शंकर, शेयरधारक निदेशक	सदस्य
3	सुश्री पापिया सेनगुप्ता, शेयरधारक निदेशक	सदस्य

4.10.2 बैठक का विवरण :

01.04.2021 से 31.03.2022 के दौरान समिति की दो (2) बैठकें संपन्न हुई जिनका विवरण निम्नवत है :

क्रम सं	बैठक की तिथि	कार्यनिष्पादन मूल्यांकन हेतु बोर्ड की समिति में कुल निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	25.11.2021	3	3
2	21.03.2022	3	3

4.11 शेयर अंतरण समिति

इंडियन बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1999 के विनियम संख्या 2ए के अनुसरण में बैंक द्वारा दिनांक 13 मार्च 2007 को शेयर अंतरण समिति का गठन किया गया था। इस समिति का पुनर्गठन समय समय पर किया जाता है।

4.11.1 शेयर अंतरण समिति की संरचना

दिनांक 31.03.2022 को यथास्थिति बोर्ड की शेयर अंतरण समिति के सदस्यों की सूची निम्नवत है :

1	श्री वी वी शेणॉय, कार्यपालक निदेशक	अध्यक्ष
2	श्री इमरान अमीन सिद्दीकी, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
3	श्री अश्वनी कुमार, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
4	डॉ. भरत कृष्ण शंकर, शेयरधारक निदेशक	सदस्य
5	श्री बालमुकुंद सहाय, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	सदस्य

4.11.2 बैठकों का विवरण :

01.04.2021 से 31.03.2022 के दौरान समिति की एक बैठक संपन्न हुई जिसका विवरण निम्नवत है :

क्र सं	बैठक की तिथि	शेयर अंतरण समिति में कुल निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	23.02.2022	5	5

4.12. बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति :

भारत सरकार की अधिसूचना सं एस. ओ. 2736 (ई) दिनांकित 05.12.2011 के अनुसरण में दिनांक 04.04.2012 की बैंक द्वारा ऋण अनुमोदन समिति का गठन किया गया जोकि एमसीबी से एक स्तर नीचे की वह अनुमोदन बॉडी है जिसका उद्देश्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित रूपेरखा के अंतर्गत ऋण प्रस्तावों/समझौता प्रस्तावों/बट्टा खाता प्रस्तावों का अनुमोदन करने के संदर्भ में बोर्ड द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करना है। इस समिति का पुनर्गठन समय समय पर किया जाता है।

4.12.1 बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति की संरचना :

बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति के सदस्य निम्नवत हैं :

- प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
- कार्यपालक निदेशकगण
- महाप्रबंधक (कॉर्पोरेट क्रेडिट)

- **महाप्रबंधक (मिडकार्प / एमएसएमई)**
- **महाप्रबंधक (वित्त / लेखा)**
- **महाप्रबंधक (व्यय एवं ऋण प्रस्तावों के प्रस्तुतकर्ता)**
- **महाप्रबंधक (सीआरओ) एवं सीसीओ भी उपस्थित रहते हैं।**

चूँकि ऋण एवं व्यय प्रस्तावों को भिन्न महाप्रबंधक / विभागाध्यक्ष संभाल रहे हैं अतः संबंधित महाप्रबंधक / विभागाध्यक्ष अपने प्रस्तावों से संबंधित समिति के सदस्य होंगे।

4.12.2. बैठक का विवरण :

01.02.2021 से 31.03.2022 तक ऋण अनुमोदन समिति की कुल 33 बैठकें संपन्न हुई, विवरण निम्नवत है :

क्रम सं	बैठक की तिथि	बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति में कुल निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	30.04.2021	4	4
2.	21.05.2021	4	4
3.	28.05.2021	4	4
4.	15.06.2021	4	4
5.	30.06.2021	4	4
6.	09.07.2021	3	3
7.	23.07.2021	3	3
8.	06.08.2021	3	3
9.	19.08.2021	3	3
10.	07.09.2021	3	3
11.	22.09.2021	3	3
12.	29.09.2021	3	3
13.	01.10.2021	3	3
14.	30.10.2021	4	4
15.	03.11.2021	4	4
16.	16.11.2021	4	4
17.	23.11.2021	4	3
18.	29.11.2021	4	4
19.	07.12.2021	4	4
20.	16.12.2021	4	4
21.	28.12.2021	4	4
22.	30.12.2021	4	4
23.	11.01.2022	4	4
24.	20.01.2022	4	4
25.	09.02.2022	4	4
26.	23.02.2022	4	4
27.	02.03.2022	4	3
28.	09.03.2022	4	4
29.	15.03.2022	4	4
30.	24.03.2022	4	4
31.	28.03.2022	4	3
32.	30.03.2022	4	3
33.	31.03.2022	4	4

4.13 गैर–सहयोगी उधारकर्ताओं हेतु समीक्षा समिति :

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार, उधारकर्ताओं को गैर–सहयोगी उधारकर्ता के रूप में वर्गीकृत करने वाली गैर–सहयोगी उधारकर्ता अनुवीक्षण समिति द्वारा पारित आदेशों की समीक्षा करने / पुष्टि करने के लिए गैर–सहयोगी उधारकर्ताओं हेतु समीक्षा समिति का गठन दिनांक 23.01.2015 को किया गया था। इस समिति का पुनर्गठन समय समय पर किया जाता है।

4.13.1 गैर–सहयोगी उधारकर्ताओं हेतु समीक्षा समिति की संरचना :

दिनांक 31.03.2022 को यथास्थिति गैर–सहयोगी उधारकर्तओं हेतु समीक्षा समिति की संरचना निम्नवत है :

1	श्री एस एल जैन, एमडी एवं सीईओ	अध्यक्ष
2	सुश्री पापिया सेनगुप्ता, शेयरधारक निदेशक	सदस्य
3	श्री विश्वेश कुमार गोयल, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	सदस्य

4.13.2 बैठकों का विवरण :

01.04.2021 से 31.03.2022 अवधि के दौरान समिति की एक (1) बैठक आयोजित की गयी :

क्रम सं	बैठक की तिथि	आरसीएनसीबी में कुल निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	02.02.2022	3	3

4.14 अनुशासनात्मक मामलों संबंधी बोर्ड स्तरीय अपील समिति:

अनुशासनिक मामलों में बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मु.का.अ के निर्णयों के खिलाफ की जाने वाली अपीलों के लिए उनसे एक स्तर ऊपर की बोर्ड स्तरीय अपील समिति का गठन 15.12.2014 को किया गया है। इस समिति का समय–समय पर पुनर्गठन किया गया है।

4.14.1 अनुशासनात्मक मामलों संबंधी बोर्ड स्तरीय अपील समिति की संरचना:

यथास्थिति 31.03.2022 को बोर्ड की चयन समिति के सदस्य निम्नानुसार थे:

1	श्री बालमुकुंद सहाय, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	अध्यक्ष
2	डॉ. भरत कृष्ण शंकर, शेयरधारक निदेशक	सदस्य
3	सुश्री पापिया सेनगुप्ता, शेयरधारक निदेशक	सदस्य
4	श्री विश्वेश कुमार गोयल, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	सदस्य

4.14.2 बैठकों का विवरण:

01.04.2021 से 31.03.2022 अवधि के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गयी:

4.15 एचआर समिति:

बोर्ड की मानव संसाधन समिति का गठन 29 जून, 2012 को एचआर के महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रत्येक तिमाही में चर्चा करने और निर्णय लेने के लिए किया गया था। इस समिति का समय–समय पर पुनर्गठन किया गया है।

4.15.1 एचआर समिति की संरचना :

यथास्थिति 31.03.2022 को एचआर समिति के सदस्य निम्नानुसार थे:

1.	श्री एस एल जैन, एमडी एवं सीईओ	अध्यक्ष
2.	श्री वी वी शेणॉय, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
3.	श्री इमरान अमीन सिद्दीकी, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
4.	श्री अश्वनी कुमार, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
5.	श्री संजीव कौशिक, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य
6.	डॉ. भरत कृष्ण शंकर, शेयरधारक निदेशक	सदस्य
7.	श्री बालमुकुंद सहाय, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	सदस्य

विशेष अतिथि :

1. श्री कमलेश आर पटेल, (एचआर विशेषज्ञ)
2. प्रोफेसर वसंती श्रीनिवासन (एचआर विशेषज्ञ)

4.15.2 बैठकों का विवरण:

01.04.2021 से 31.03.2022 अवधि के दौरान समिति की 4 बैठकें आयोजित की गयी जिनका विवरण निम्नानुसार है:

क्रं. सं.	बैठक की तिथि	एचआर समिति में निदेशकों की संख्या	बैठक में सहभागिता करनेवाले निदेशकों की संख्या
1.	15.07.2021	5	5
2.	24.11.2021	6	5
3.	02.02.2022	7	7
4.	21.03.2022	7	6

4.16 इरादतन चूककर्ताओं हेतु समीक्षा समिति:

इरादतन चूककर्ताओं हेतु समीक्षा समिति दिनांक 30.03.2015 को गठित की गई। यह समिति उधारकर्ताओं को इरादतन चूककर्ता के रूप में पहचानने वाली स्क्रीनिंग समिति के आदेशों की पुनरीक्षा करेगी। इस समिति का समय–समय पर पुनर्गठन किया जाता है।

4.16.1 इरादतन चूककर्ताओं हेतु समीक्षा समिति की संरचना:

यथास्थिति 31.03.2022 को इरादतन चूककर्ताओं हेतु समीक्षा समिति के सदस्य निम्नानुसार थे :

1.	श्री एस एल जैन, एमडी एवं सीईओ	अध्यक्ष
2.	डॉ. भरत कृष्ण शंकर, शेयरधारक निदेशक	सदस्य
3.	सुश्री पापिया सेनगुप्ता, शेयरधारक निदेषक	सदस्य

4.16.2 बैठकों का विवरण:

01.04.2021 से 31.03.2022 अवधि के दौरान समिति की पाँच (5) बैठक आयोजित की गयी जिसका विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	बैठक की तिथि	इरादतन चूककर्ताओं के लिए समीक्षा समिति में निदेशकों की संख्या	बैठक में सहभागिता करनेवाले निदेशकों की संख्या
1.	26.08.2021	3	3
2.	02.02.2022	3	3
3.	16.02.2022	3	3
4.	14.03.2022	3	3
5.	30.03.2022	3	3

4.17 वसूली की मॉनिटरिंग हेतु समिति:

दिसंबर 18, 2012 को वसूली की मॉनिटरिंग हेतु समिति गठित की गई तथा इसका उद्देश्य है बैंक द्वारा एनपीए में की गई वसूली की प्रगति को मॉनीटर करना एवं विभिन्न समितियों, जैसे एसएसी, आस्तियों की बिक्री समिति और बैंक के अन्य क्षेत्र स्तर के कार्यकर्ताओं के कार्य की पुनरीक्षा करना। इस समिति का समय–समय पर पुनर्गठन किया जाता है।

4.17.1 वसूली की मॉनिटरिंग हेतु समिति की संरचना:

यथास्थिति 31.03.2022 को वसूली की मॉनिटरिंग हेतु समिति के सदस्य निम्नानुसार थे:

1.	श्री एस एल जैन, एमडी एवं सीईओ	अध्यक्ष
2.	श्री वी वी शेणॉय, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
3.	श्री इमरान अमीन सिद्दीकी, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
4.	श्री अश्वनी कुमार, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
5.	श्री संजीव कौशिक, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य
6.	सुश्री पापिया सेनगुप्ता, शेयरधारक निदेशक	सदस्य
7.	श्री विश्वेश कुमार गोयल, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	सदस्य

4.17.2 बैठकों का विवरण:

01.04.2021 से 31.03.2022 अवधि के दौरान समिति की 3 बैठकें आयोजित की गयी जिनका विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	बैठक की तिथि	वसूली की मॉनिटरिंग हेतु समिति में निदेशकों की संख्या	बैठक में सहभागिता करनेवाले निदेशकों की संख्या
1.	29.06.2021	5	5
2.	24.11.2021	6	5
3.	24.02.2022	7	6

5. निदेशकों को पारिश्रमिक:

गैर–कार्यपालक निदेशकों को यात्रा एवं विराम भत्तों सहित दिए जाने वाले पारिश्रमिक का भुगतान समय–समय पर राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना, 1970 (यथासंशोधित) के खंड 17 के अनुपालन में भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श पर केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है।

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं कार्यपालक निदेशकगण (पूर्णकालिक निदेशक) को भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार वेतन के रूप में पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं कार्यपालक निदेशकगण को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	नाम	मूल वेतन (रु.)	मंहगाई भत्ता (रु.)	बकाया (रु.)	पीएफ (रु.)	प्रोत्साहन / अन्य भत्ता (रु.)	प्रधानमंत्री राहत कोष में 1 दिन का अवकाश नकदीकरण राशि (रु.)	सेवानिवृत्ति पर पीएल की भुनाई (रु.)	कुल (रु.)
1.	श्री एस एल जैन, एमडी एवं सीईओ	1437800.00	433394.00	12324.00	143780.00	-	-	-	2027298.00
2.	सुश्री पद्मजा चुन्दूरू, पूर्व–एमडी एवं सीईओ	1102500.00	236793.00	13464.00	110250.00	127471.50	-	2439059.55	4029538.05
3.	श्री वी वी शेणॉय, कार्यपालक निदेशक	2301600.00	611520.00	23184.00	230160.00	109746.00	-	-	3276210.00
4.	श्री के रामचन्द्रन, पूर्व–कार्यपालक निदेशक	562800.00	95676.00	-	56280.00	109746.00	-	2194920.00	3019422.00
5.	श्री इमरान अमीन सिद्दीकी, कार्यपालक निदेशक	2121600.00	562224.00	21216.00	212160.00	82714.66	-	-	2999914.66
6.	श्री अश्वनी कुमार, कार्यपालक निदेशक	946735.48	291605.94	11569.16	94673.00	540004.23	-	-	1884588.36

वर्तमान में अपने निदेशकों के लिए बैंक का कोई स्टाक आप्शन प्लान नहीं है।

पूर्णकालिक निदेशकों को भुगतान किए गए वेतन और प्रोत्साहन राशि भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार है।

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार 18.01.2019 से गैर–कार्यपालक निदेशकों को प्रत्येक बोर्ड बैठक में उपस्थित होने हेतु ₹40,000/– और समिति की बैठकों में उपस्थित होने हेतु ₹20,000/– बोर्ड बैठकों की अध्यक्षता हेतु अतिरिक्त ₹10000/– तथा समिति की बैठकों की अध्यक्षता हेतु अतिरिक्त ₹5000/– का भुगतान (₹15 लाख प्रतिवर्ष के अधीन) किया जा रहा है। तथापि, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(बी) और 9(3)(सी) के अंतर्गत क्रमशः बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशकों और सरकार तथा आरबीआई द्वारा नामित निदेशकों को सिटिंग शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है।

6. फेमिलियराइजेशन कार्यक्रम:

स्वतंत्र निदेशकों के लिए किए गए फेमिलियराइजेशन कार्यक्रमों का विवरण बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in पर उपलब्ध है।

7. आम बैठकें:

7.1 बैंक की विगत तीन वार्षिक आम बैठकों का विवरण निम्नानुसार है:

बैठक का स्वरूप	तिथि और समय	स्थान	उद्देश्य
तेरहवीं वार्षिक आम बैठक	बृहस्पतिवार, 27 जून 2019, पूर्वाह्न 10.30 बजे	इमेज, एमआरसी नगर, राजा अन्नामलैपुरम, चेन्नै 600028	यथास्थिति 31 मार्च, 2019 को बैंक के लेखापरीक्षित तुलन पत्र, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के लाभ और हानि लेखा, लेखाओं द्वारा कवर की गई अवधि हेतु बैंक के क्रिया कलाप के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलनपत्र एवं लेखाओं पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन और अंगीकरण।
चौदहवीं वार्षिक आम बैठक	शुक्रवार, 07 अगस्त 2020, पूर्वाह्न 11.00 बजे	वीसी / ओएवीएम के माध्यम से	यथास्थिति 31 मार्च, 2020 को बैंक के लेखापरीक्षित तुलन पत्र, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के लाभ और हानि लेखा, लेखाओं द्वारा कवर की गई अवधि हेतु बैंक के क्रिया कलाप के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलनपत्र एवं लेखाओं पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन और अंगीकरण।
पंद्रहवीं वार्षिक आम बैठक	शुक्रवार, 16 जुलाई, 2021, पूर्वाह्न 11.00 बजे	वीसी / ओएवीएम के माध्यम से	1. यथास्थिति 31 मार्च, 2021 को बैंक के लेखापरीक्षित तुलन पत्र, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के लाभ और हानि लेखा, लेखाओं द्वारा कवर की गई अवधि हेतु बैंक के क्रियाकलाप के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलनपत्र एवं लेखाओं पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन और अंगीकरण। 2. इक्विटी शेयरों पर लाभांश की घोषणा।

7.2 उपरोक्त तीनों वार्षिक आम बैठकों में कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया।

7.3 दिनांक 16.07.2021 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में निम्नलिखित निदेशक उपस्थित थे:

सुश्री पद्मजा चुन्डूरू	पूर्व एमडी एवं सीईओ (अध्यक्ष)
श्री वी वी शेणॉय	कार्यपालक निदेशक
श्री इमरान अमीन सिद्दीकी	कार्यपालक निदेशक
श्री एस के पाणिग्रही	पूर्व आरबीआई द्वारा नामित निदेशक
डॉ. भरत कृष्ण शंकर	शेयरधारक निदेशक

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान पोस्टल बैलट द्वारा कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया।

8. व्हिसल ब्लोअर नीति / सतर्कता तंत्र :

बैंक अपनी सभी गतिविधियों और परिचालन में, सर्वोच्च नीतिपरक मानदंडों, निष्ठा एवं व्यावसायिकता के लिए प्रतिबद्ध है और इसने बैंक के कर्मचारियों / अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार, कदाचार, अधिकारों के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रणालियां और प्रक्रियाविधियां निर्धारित की हैं। बैंक ने स्टाफ सदस्यों / अधिकारियों, ग्राहकों और बैंक के संपर्क में आनेवाली आम जनता के बीच कार्य करते समय अथवा लेनदेन करते समय मुक्त एवं पारदर्शी प्रणाली को प्रोत्साहित किया है।

बैंक केन्द्रीय सतर्कता आयोग की परिधि में आता है और इस प्रकार बैंक ने इस संबंध में भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार एक व्हिसल ब्लोअर पालिसी तैयार की है। पालिसी का नाम है 'व्हिसल ब्लोअर पालिसी' जिसका उद्देश्य है विपथन का तुरंत पता लगाना और उसका न्यूनतम संभव समय में निपटान करना। बैंक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों में यह प्रचारित किया गया है कि उनके द्वारा नामों के प्रकटीकरण की गोपनीयता सुनिश्चित की जाएगी और व्हिसल ब्लोअर को किसी प्रकार के व्यक्तिगत प्रतिशोध, जैसे अपमानित करना, परेशान करना अथवा अन्य अनुचित कार्रवाई करना अथवा उसके सार्वजनिक हित प्रकटीकरण के कारण हुई हानि की भरपाई कराने जैसी कार्रवाई से संरक्षण प्रदान किया जाएगा। नीति की विषयवस्तु बैंक के वेबसाइट www.indianbank.in पर उपलब्ध है।

बैंक के किसी भी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति से मिलने से वंचित नहीं किया गया है।

9. प्रकटीकरण :

(क) बैंक ने सामान्य बैंकिंग व्यवसाय में किए जाने वाले कार्यों से इतर अपने प्रमोटर / निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों, प्रबंधन और उनके संबंधियों आदि के साथ कोई ऐसे महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं किए हैं जिनसे समग्रतः बैंक के हितों के साथ टकराव की संभावना हो।

(ख) बैंक ने पूँजी बाजार से संबंधित समस्त अपेक्षाओं का अनुपालन किया है तथा स्टॉक एक्सचेंजों अथवा सेबी द्वारा बैंक पर कोई अर्थदंड नहीं लगाया गया है और न ही इसकी आलोचना की गई है।

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों हेतु यथाप्रयोज्य सीमा तक सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 की अपेक्षा का बैंक ने पालन किया है।

(घ) बैंक ने 'भौतिक अनुषंगी के निर्धारण हेतु नीति' बनाई है और यह बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in पर उपलब्ध है।

(ङ) बैंक में दो सूचीबद्ध अनुषंगी कंपनियाँ हैं इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेस लिमिटेड एवं इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड और दोनों ''भौतिक अनुषंगी कंपनियाँ'' नहीं हैं। दो अनुषंगियों के अतिरिक्त बैंक के पास युनिवर्सल सोम्पो जनरल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड और एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड नामक दो संयुक्त उद्यम भी हैं।

(च) बैंक ने कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिबंध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 और नियमों के अनुरूप एक नीति बनाई है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(छ) हमने व्यवहारिक रूप में कंपनी सचिव से एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया है कि बैंक बोर्ड के किसी भी निदेशक को सेबी /कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय या ऐसे किसी भी सांविधिक/विनियामक प्राधिकरण द्वारा बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने या कार्यकाल जारी रखने से वंचित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है और यह प्रमाण पत्र संलग्न है व इस रिपोर्ट का भाग है।

(ज) सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के अनुसार कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों द्वारा जारी एक प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

(झ) वित्तीय वर्ष 2020–2021 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान किया गया कुल व्यावसायिक शुल्क और अन्य व्यय की राशि 304.85 लाख है।

(ञ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 33(2) के साथ पठित विनियम 17(8) में निर्धारित अनुसार बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा मुख्य वित्तीय अधिकारी से एक अनुपालन प्रमाणपत्र बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

(ट) कमोडिटी मूल्य जोखिम और कमोडिटी हेजिंग गतिविधियां – लागू नहीं।

(ठ) विवेकाधीन आवश्यकताएं :

सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015, यथा संषोधित, की अनुसूची के भाग ई में उल्लिखित विवेकाधीन आवश्यकताओं के अंगीकरण से संबंधित विवरण निम्नलिखित हैं :

आवश्यकता	अनुपालन
ए. बोर्ड : गैर कार्यपालक अध्यक्ष को अधिकार होना चाहिए कि वे सूचीबद्ध कंपनियों के खर्चे पर अध्यक्ष का कार्यालय बनाए रखें और उन्हें अपने कार्यभार के निर्वहन में किए गए व्ययों की प्रतिपूर्ति भी की जानी चाहिए।	लागू नहीं
बी. शेयरधारक के अधिकार : पिछले छः महीने में प्राप्त वित्तीय उपलब्धियों की छमाही घोषणा सहित महत्वपूर्ण घटनाओं का संक्षिप्त विवरण शेयरधारकों तक पहुंचाया जाए।	अर्द्धवार्षिक परिणाम समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए, बैंक की वेबसाइट पर अपलोड किए गए एवं यह स्टॉक एक्सचेंजों, एनएसई व बीएसई की वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं।
सी. लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर आशोधित अभिमत: सूचीबद्ध इकाई अशोधित लेखा परीक्षा अभिमत के साथ वित्तीय विवरण की व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ सकती है।	वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए बैंक के वित्तीय विवरण पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट में असंबद्ध अभिमत है
डी. अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के लिए अलग–अलग पद : सूचीबद्ध इकाई अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर अलग–अलग व्यक्तियों को नियुक्त करें।	अध्यक्ष की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाएगी।
ई. आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्टिंग : आंतरिक लेखा परीक्षक सीधे लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट करें।	बैंक द्वारा संगामी लेखा परीक्षकों/शाखाओं के निरीक्षकों की रिपोर्ट को समेकित करके आवधिक रूप से बैंक की लेखा परीक्षा समिति को प्रस्तुत किया जाता है।

10. संप्रेषण के माध्यम :

बैंक प्रौद्योगिकी और संचार माध्यमों के उन्नयन और विकास से समाज को मिलने वाले लाभों को मानता है और इसके साथ ही बैंक ने अपने हितधारकों को उनके संबंध में अन्य सूचनाएँ प्रदान करने की आवश्यकता को भी स्वीकार किया है। बैंक द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात एनएसई और बीएसई, जहाँ बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, को तिमाही/छमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों प्रेषित किए जाते हैं। वित्तीय परिणाम सांविधिक अपेक्षा के अनुसार एक राष्ट्रीय समाचार पत्र (अंग्रेजी), एक राष्ट्रीय समाचार पत्र (हिन्दी) में तथा एक चेन्नै स्थित क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाता है। वर्ष 2021–22 के दौरान तिमाही/अर्धवार्षिक वित्तीय परिणाम अग्रणी समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए हैं अर्थात "फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी), बिजनेस स्टैंडर्ड (अंग्रेजी), जनसत्ता (हिंदी), बिजनेस स्टैंडर्ड (हिंदी), दिनामणि (तमिल) आदि में प्रकाशित किए गए थे। परिणामों को बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in पर भी प्रदर्शित किया गया।

विश्लेषकों/संस्थागत निवेशकों को किए गए प्रेजेन्टेशन बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in पर दिए गए हैं।

11. शेयरधारकों हेतु सामान्य जानकारी :

11.1 16वीं वार्षिक आम सभा का विवरण :

दिन और दिनांक	बुधवार, 22 जून, 2022
समय	पूर्वाहन 11.00 बजे
स्थान	वार्षिक आम बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से संचालित की जाएगी, बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय – 254–260, अव्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै को वार्षिक आम बैठक आयोजित किए जाने का स्थान माना जाएगा।

11.2 वित्तीय परिणामों के प्रकाशन हेतु वित्तीय वर्ष एवं कलैंडर (अनंतिम) :

बैंक का वित्तीय वर्ष अप्रैल से मार्च है।

निम्नलिखित तारीख को समाप्त अवधि हेतु तिमाही परिणामों का अनुमोदन

30 जून, 2022	–	जुलाई–अगस्त 2022
30 सितम्बर 2022	–	अक्तूबर–नवम्बर 2022
31 दिसम्बर 2022	–	जनवरी–फरवरी 2023
31 मार्च 2023	–	लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा : अप्रैल–मई 2023

11.3 लाभांश भुगतान हेतु अभिलिखित दिनांक और लाभांश भुगतान दिनांक

रिकॉर्ड दिनांक : बुधवार, 15 जून, 2022, लाभांश भुगतान दिनांक : 15 जुलाई, 2022

11.4 वार्षिक आम बैठक हेतु वार्षिक बुक क्लोजर की दिनांक एवं लाभांश भुगतान :

बुक–क्लोजर –गुरुवार, 16 जून 2022 से बुधवार, 22 जून, 2022 तक (दोनों दिन शामिल हैं)

11.5 लाभांश :

बैंक के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए प्रति इक्विटी 6.50 रुपए के लाभांश अर्थात बैंक की प्रदत्त इक्विटी पूंजी का 65.00 प्रतिशत, की अनुशंसा की है।

11.6 लिस्टिंग :

बैंक के इक्विटी शेयर नेशनल स्टाक एक्सचेंज (एनएसई) और बाम्बे स्टाक एक्सचेंज (बीएसई) में सूचीबद्ध हैं। अन्य विवरण निम्नानुसार हैं :–

स्टाक एक्सचेंज	स्टाक कोड	सूचीबद्ध करने की तारीख
नेशनल स्टाक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई), एक्सचेंज प्लाजा, प्लॉट नं. सी/1, जी– ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400051	INDIANB	01.03.2007
बी एस ई लिमिटेड (बीएसई), पी.जे. टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई – 400001	INDIANB / 532814	01.03.2007

वित्त वर्ष 2022–23 हेतु वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क उपर्युक्त स्टॉक एक्सचेंजों को पहले ही विप्रेषित किया जा चुका है।

11.7 अनुपालन अधिकारी :

श्री दीना नाथ कुमार, सहायक महाप्रबंधक और कंपनी सचिव को बैंक के अनुपालन अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

11.8 बाजार मूल्य आंकड़े :

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान भारतीय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लि.(एनएसई) और बीएसई लि. (बीएसई) में ट्रेडिंग किए गए शेयरों की मात्रा और मासिक उच्च एवं निम्न कोटेशनों का विवरण निम्नवत रहा :

माह	एनएसई			बीएसई			कुल परिमाण (नं. लाख में)
	उच्च	निम्न (₹)	परिमाण (नं. लाखों में)	उच्च (₹)	निम्न (₹)	परिमाण (नं. लाखों में)	
अप्रैल 2021	122.65	96.05	528.30	122.50	96.20	37.07	565.37
मई 2021	149.00	107.05	1263.11	148.85	107.00	81.33	1344.44
जून 2021	155.50	133.35	1068.53	155.45	133.30	67.18	1135.71
जुलाई 2021	145.80	134.25	607.75	146.05	137.35	40.77	648.52
अगस्त 2021	143.50	115.10	487.77	143.50	119.40	25.32	513.09
सितंबर 2021	144.30	121.15	616.39	144.20	125.00	39.32	655.72
अक्टूबर 2021	194.95	137.05	1909.22	194.80	141.15	142.89	2052.11
नवंबर 2021	184.60	141.00	809.18	184.60	147.15	66.99	876.16
दिसंबर 2021	165.90	133.25	587.59	165.55	137.55	44.52	632.11
जनवरी 2022	160.70	130.90	606.51	160.35	136.40	44.91	651.42
फरवरी 2022	178.70	135.00	1032.98	178.70	143.90	67.41	1100.39
मार्च 2022	157.20	131.50	482.84	157.50	139.10	29.56	512.41

11.9 इन्डेक्स (निफ्टी–50 एवं एस एंड पी बीएसई सेंसेक्स) की गतिविधि की तुलना में बैंक के शेयरों का कार्यनिष्पादन निम्नवत है :

दिनांक	एनएसई में बैंक के शेयरों का अंतिम मूल्य (₹)	निफ्टी–50 (अंतिम)	एस एंड पी बीएसई सेंसेक्स (अंतिम)
अप्रैल 2021	110.00	14631.10	48782.36
मई 2021	139.95	15582.80	51937.44
जून 2021	144.70	15721.50	52482.71
जुलाई 2021	139.00	15763.05	52586.84
अगस्त 2021	125.00	17132.20	57552.39
सितंबर 2021	140.35	17618.15	59126.36
अक्टूबर 2021	172.10	17671.65	59306.93
नवंबर 2021	142.80	16983.20	57064.87
दिसंबर 2021	139.60	17354.05	58253.82
जनवरी 2022	156.70	17339.85	58014.17
फरवरी 2022	143.15	16793.90	56247.28
मार्च 2022	153.90	17464.75	58568.51

11.10 रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रान्सफर एजेंट :

केमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड, सुब्रमणियन बिल्डिंग 1, क्लब हाउस रोड चेन्नै–600 002 बैंक के इक्विटी शेयरों के लिए बैंक का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट है।

11.11 शेयर अंतरण प्रणाली :

1. सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियम 40(1) यथासंशोधित के अनुसार, शेयर/प्रतिभूतियों के अंतरण या स्थानान्तरण के अनुरोधों पर बैंक के आरटीए/बैंक द्वारा तब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि शेयर/प्रतिभूतियों को डीमेटिरियलाइज्ड रूप में नहीं रखा जाता है।
2. जिन निवेशकों के पास भौतिक रूप में शेयर उपलब्ध हैं एवं वे शेयरों का अंतरण करने के इच्छुक हैं तो वे शेयर के डीमेटिरियलाइज्ड होने के बाद ऐसा कर सकते हैं।

11.12 31.03.2022 को यथास्थिति शेयरधारिता का वितरण :

शेयरधारिता	शेयरधारकों की संख्या	कुल शेयरधारकों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत
1 - 500	331848	93.00	26109330	2.10
501 - 1000	13757	3.86	10714705	0.86
1001 - 2000	6607	1.85	9749280	0.78
2001 - 3000	1706	0.48	4318368	0.35
3001 - 4000	731	0.20	2606189	0.21
4001 - 5000	667	0.19	3150932	0.25
5001 - 10000	807	0.23	5797986	0.46
10001 एवं उससे अधिक	694	0.19	1182994349	94.99
कुल	**356817**	**100.00**	**1245441139**	**100.00**

11.13 शेयरों का डिमेटिरियलाइजेशन :

बैंक के शेयरों की ट्रेडिंग अनिवार्य रूप से डिमैट फॉर्म में की जाती है। बैंक के इक्विटी शेयरों का आईएसआईएन कोड **INE562A01011** है।

31.03.2022 को यथास्थिति बैंक के 1243955102 इक्विटी शेयर, डिमेटिरियलाइज हैं जो इक्विटी शेयरों का 99.88 प्रतिशत है।

31.03.2022 को यथास्थिति शेयरधारकों द्वारा डीमैट और भौतिक रूप में रखे गए शेयरों का विवरण निम्नानुसार है :

शेयरधारण		शेयरधारकों की संख्या	शेयरधारकों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत
भौतिक रूप		42701	11.97	1486037	0.12
डिमेटिरियलाइज्ड	एनएसडीएल	178875	50.13	212532201	17.06
	सीडीएसएल	135241	37.90	1031422901	82.82
डीमैट रूप		**356817**	**100.00**	**1245441139**	**100.00**

31.03.2022 को यथास्थिति भारत सरकार द्वारा धारित रु. 10/– के अंकित मूल्य वाले कुल इक्विटी शेयरों की संख्या 994549600 है जो बैंक की प्रदत्त पूंजी का 79.86 प्रतिशत है।

11.14 आज की तिथि में कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट या अन्य कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट बकाया नहीं है।

11.15 विदेशी मुद्रा जोखिम और हेजिंग गतिविधियां :

ओवरसीज़ उपस्थिति के कारण बैंक को विदेशी मुद्रा जोखिमों के एक्सपोजर की संभावना है। यद्यपि बैंक का विदेशी मुद्रा एक्सपोजर कम महत्व का है किन्तु एवं मुद्रा अतंराल विवेकपूर्ण परिधि में ही है। बैलेंस शीट की तारीख पर बकाया विदेशी मुद्रा स्पॉट और वायदा अनुबंधों और व्यापार के लिए धारित का पुनर्मूल्यांकन एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित क्लोजिंग स्पॉट और फॉरवर्ड दरों पर और अंतरिम परिपक्वता के अनुबंधों के लिए इंटरपोलेटेड दरों पर किया जाता है।

अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के संदर्भ में बैंक ने अपनी देयताओं का आकलन उधारकर्ताओं की घोषणा के आधार पर किया है और आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार इसे ही उपलब्ध करवाया गया है। उपलब्ध डाटा, उपलब्ध वित्तीय विवरण एवं जहां कहीं भी उधारकर्ताओं से घोषणाएँ प्राप्त हुई हैं, इन सभी के आधार पर बैंक ने आरबीआई परिपत्र डीबीओडी. सं.बीपी.बीसी. 85/21.06.200/2013–14 दिनांकित 15 जनवरी, 2014 एवं परिपत्र संख्या डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी. 116/21 06.200/2013–14 दिनांकित 3 जून, 2014 के द्वारा तत्पश्चात स्पष्टीकरण की शर्तों के अनुसार 31 मार्च, 2022 को अपने घटकों की अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर में देयताएँ कुल 3.88 करोड़ रुपए (गत वर्ष 9.48 करोड़ रुपए) बताई। संपूर्ण अनुमानित राशि के लिए पूर्ण रूप से प्रावधान किया गया है।

11.16 लाभांश वितरण नीति :

बैंक की लाभांश वितरण नीति बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in पर उपलब्ध है

11.17. क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के माध्यम से बैंक द्वारा जुटाई गई निधि का उपयोग:

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, बैंक ने पात्र क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) को इश्यू के माध्यम से प्रीमियम सहित कुल 1650/– करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी जुटाई और 10 रुपये अंकित मूल्य के 11,60,74,569 नए इक्विटी शेयरों का आवंटन किया। जून, 2021 में रुपये 142.15 प्रति शेयर के निर्गम मूल्य पर, जिसमें 132.15 रुपये प्रति इक्विटी शेयर का प्रीमियम शामिल है।

उक्त क्यूआईपी से प्राप्त राशि का, बैंक द्वारा विकास को समर्थन देने और बैंक की सामान्य कॉर्पोरेट आवश्यकताओं के लिए आरबीआई के बेसल III मानदंडों के तहत टियर 1 पूंजी आवश्यकता को बढ़ाने के लिए उपयोग किया गया है।

12. शेयर अंतरण एवं निवेशक शिकायत निवारण :

बैंक ने केमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड को रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट के रूप में नियुक्त किया है जो निवेशकों की शिकायतों के समाधान, तथा पते में परिवर्तन, शेयरों के अंतरण/प्रेषण, अधिदेश में परिवर्तन आदि के संबंध में शेयरधारकों के अनुरोध को दर्ज करता है। निवेशकों की सुविधा हेतु उनकी शिकायतें बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय, चेन्नै में भी स्वीकार की जाती हैं। सेबी के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, भौतिक रूप में धारित शेयरों के अंतरण हेतु अनुरोधों को 01.04.2019 से संसाधित नहीं किया जा रहा है।

डीमैटीरियलाइज्ड रूप में धारित शेयरों के लिए, पते और/या बैंक मैंडेट (बैंक का नाम, पता, खाता संख्या, एमआईसीआर कोड आदि) में किसी भी प्रकार का बदलाव करवाने के लिए, रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए शेयरधारकों को सीधे अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) से संपर्क करना चाहिए।

निवेशक अपने अनुरोध/शिकायतें या तो बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) अथवा बैंक में निम्नलिखित पते पर दर्ज कर सकते हैं :–

केमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड (इकाई : इंडियन बैंक) सुब्रमणियन बिल्डिंग 1, क्लब हाउस रोड चेन्नै– 600 002 टेलीफोन : (9144) 28460718 फैक्स : (9144) 28460129 ई–मेल : investor@cameoindia.com	सेवा में, कंपनी सेक्रेटरी निवेशक सेवा कक्ष इंडियन बैंक, कॉर्पोरेट ऑफिस 254–260, अव्वै षणमुगम सालै रॉयपेट्टा, चेन्नै – 600014 टेलीफोन : 044–28134076 फैक्स : 044–28134075 ई–मेल : investors@indianbank.co.in

12.1 प्राप्त, निस्तारित एवं लंबित शिकायतों की संख्या :

शेयरधारकों से बैंक द्वारा प्राप्त की गई शिकायतों के निवारण हेतु बैंक के आरटीए को अग्रेषित कर दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान प्राप्त एवं निस्तारित तथा दिनांक 31.03.2022 को लंबित अनुरोधों शिकायतों का विवरण निम्नवत है :–

	यथास्थिति 01.04.2021 को लंबित	वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान प्राप्त	2021–22 के दौरान निस्तारित	यथास्थिति 31.03.2022 को लंबित
शिकायतों/अनुरोधों की संख्या	शून्य	77	76	01

13 डीमैट उचंत खाता/अदावी उचंत खाता के संबंध में प्रकटीकरण :

डीमैट उचंत खाते में रखे अदावी शेयरों का विवरण निम्नानुसार है :

वर्ष के आरंभ में अर्थात 01.04.2021 को उचंत खाते में रखे गए बकाया शेयरों और शेयरधारकों की कुल संख्या	शेयरधारक – 33 शेयर – 3862
वर्ष के दौरान उचंत खाते से शेयरों के अंतरण हेतु सूचीबद्ध संस्था से संपर्क करने वाले शेयरधारकों की संख्या	शून्य
वर्ष के दौरान उचंत खाते से शेयर अंतरित करने वाले शेयरधारकों की संख्या	शून्य
वर्ष के अंत में अर्थात 31.03.2022 को उचंत खाते में रखे गए बकाया शेयरों और शेयरधारकों की कुल संख्या	शेयरधारक – 33 शेयर – 3862

वैध स्वामी द्वारा दावा किए जाने तक अदावी / बकाया शेयरों के संबंध में मताधिकार अवरुद्ध रहेगा। वैध स्वामित्व वाले व्यक्ति से वैध दावा प्राप्त होने पर डीमेट उचंत खाते में रखे गए शेयरों को दावेदार को क्रेडिट किया जाता है।

14 शेयरधारिता संरचना (31.03.2022 को यथास्थिति) :

श्रेणी	शेयर धारकों की संख्या	धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता प्रतिशत
भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) – प्रमोटर	1	994549600	79.86
म्युचुअल फंड*	18	87307716	7.01
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) एवं विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई)*	66	21469378	1.72
वैकल्पिक निवेश निधियां	2	5226605	0.42
बीमा कंपनियाँ *	10	45936600	3.69
वित्तीय संस्थाएं / बैंक	2	248	0.00
निवासी व्यक्ति	309933	63666916	5.11
निगमित निकाय	962	7545454	0.61
निदेशक एवं उनके संबंधी	6	7890	0.00
कर्मचारी	31855	14033535	1.13
क्लियरिंग सदस्य	128	845458	0.07
हिन्दू अविभाजित परिवार (एचयूएफ)	3645	2579378	0.21
अनिवासी भारतीय	3039	2162179	0.17
न्यास	17	102299	0.01
केंद्र सरकार / राज्य सरकार(ओं) / भारत के राष्ट्रपति नॉन प्रमोटर	1	4021	0.00
अदावी शेयर डीमेट उचंत खाता	2	3862	0.00
कुल	349687	1245441139	100.00

*सामान्य पीएएन के आधार पर समेकित

15. नेशनल आटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच) के माध्यम से लाभांश का भुगतान :

नेशनल आटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच), भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा कार्यान्वित लाभांश के भुगतान की एक केन्द्रीयकृत प्रणाली है जिसमें निवेशक की रकम सीधे उसके बैंक खाते में जमा की जा सकती है। बैंक अपने शेयरधारकों को उनके बैंक खाते में लाभांश सीधे जमा करने की सुविधा का विकल्प उपलब्ध करवाता है। तथापि शेयरधारक का बैंक खाता बैंक / बैंकों की केन्द्रीयकृत बैंकिंग साल्यूशन (सीबीएस) शाखा में होना चाहिए।

16. अदावी लाभांश, यदि कोई हो :

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10बी के अनुसार, कोई भी पैसा जो अवैतनिक लाभांश खाते में स्थानांतरित किया जाता है और हस्तांतरण की तारीख से सात साल की अवधि के लिए भुगतान / दावा नहीं किया जाता है, तो उसे कंपनी अधिनियम, 1956 / 2013 की धारा 205सी / 125 के तहत स्थापित 'निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष' को हस्तांतरित किया जाएगा।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के दिनांक 21.05.2014 के पत्र संख्या एफ.सं.7 / 93 / 2013–बीओए के निदेशों / दिशानिर्देशों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2013 –14 तक बैंक की अदत्त और दावा न की गई लाभांश राशि को केंद्र सरकार के 'निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष' में स्थानांतरित कर दिया गया है।

जिन शेयरधारकों ने वित्तीय वर्ष 2014–15 और उसके बाद बैंक द्वारा घोषित लाभांश वारंट, यदि कोई हो, का नकदीकरण नहीं किया है, तो उनसे अनुरोध है कि वे अपना वैध दावा उनके बैंक विवरण के साथ, एनईएफटी / डायरेक्ट क्रेडिट के माध्यम से उसे / उसे अवैतनिक लाभांश वारंट की आय के लिए रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, कैमियो कॉरपोरेट सर्विसेज लिमिटेड, सुब्रमण्यम बिल्डिंग, नं. 1, क्लब हाउस रोड, चेन्नई – 600 002 को प्रेषित करें।

अदत्त लाभांश वारंट का विवरण बैंक की वेबसाइट www.indianbank.inपर उपलब्ध कराया गया है।

17. संबंधित पक्षकार लेनदेन :

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान बैंक ने सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के अंतर्गत परिभाषित कोई तात्विक संबंधित पक्षकार लेनदेन नहीं किया है। संबंधित पक्षकार लेनदेन की पालिसी बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in पर उपलब्ध है।

18. 31.03.2022 को यथास्थिति बैंक द्वारा जारी बांड/ऋण लिखतों का विवरण और बकाया :

31.03.2022 को यथास्थिति बैंक द्वारा जारी बकाया बांडों का विवरण निम्नानुसार है :

विवरण	आईएसआईएन	राशि (₹ करोड़ में)	31.03.2022 को यथास्थिति उत्तम रेटिंग	क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के नाम	बांड ट्रस्टी का नाम एवं पता
बेसल III अनुपालित एटी 1 बांड सीरीज II	INE562A08057	1048	केयर एए+/स्थिर क्रिसिल एए+/स्थिर	केयर रेटिंग लिमिटेड एवं क्रिसिल रेटिंग लिमिटेड	एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड द रूबी, द्वितीय तल, एसडब्ल्यू 29, सेनापति बापट मार्ग, दादर पश्चिम, मुंबई – 400 028
बेसल III अनुपालित एटी 1 बांड सीरीज III	INE562A08065	560			
बेसल III अनुपालित एटी 1 बांड सीरीज IV	INE562A08073	392			
बेसल III अनुपालित टीयर 2 बांड ट्रेंच ए	INE562A08024	290	केयर एएए/स्थिर क्रिसिल एएए/स्थिर		
बेसल III अनुपालित टीयर 2 बांड ट्रेंच बी	INE562A08032	110			
बेसल III अनुपालित टीयर 2 बांड ट्रेंच सी	INE562A08040	600			
बेसल III अनुपालित टीयर 2 बांड सीरीज I	INE428A08028	500	क्रिसिल एएए/स्थिर बीडब्ल्यूआर एएए/स्थिर	क्रिसिल रेटिंग लिमिटेड एवं ब्रिकवर्क रेटिंग इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड एशियन बिल्डिंग, भूतल,17, आर. कमानी मार्ग, बल्लार्ड मुंबई – 400 001
बेसल III अनुपालित टीयर 2 बांड सीरीज II	INE428A08044	1000	क्रिसिल एएए/स्थिर बीडब्ल्यूआर एएए/स्थिर	क्रिसिल रेटिंग लिमिटेड एवं ब्रिकवर्क रेटिंग इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड द रूबी, द्वितीय तल, एसडब्ल्यू 29, सेनापति बापट मार्ग, दादर पश्चिम, मुंबई – 400 028
बेसल III अनुपालित टीयर 2 बांड सीरीज III	INE428A08051	1000	केयर एएए/स्थिर इंडआर एए+/स्थिर	इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च प्राईवेट लिमिटेड एवं केयर रेटिंग लिमिटेड	
बेसल III अनुपालित टीयर 2 बांड सीरीज IV	INE428A08101	1500	क्रिसिल एएए/स्थिर इंडआर एए+/स्थिर	इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च प्राईवेट लिमिटेड एवं क्रिसिल रेटिंग लिमिटेड	
बेसल III अनुपालित टीयर 2 बांड सीरीज V	INE562A08081	2000	केयर एएए/स्थिर क्रिसिल एएए/स्थिर	केयर रेटिंग लिमिटेड एवं क्रिसिल रेटिंग लिमिटेड	
कुल		**9000**			

अन्य क्रेडिट रेटिंग :

उपरोक्त के अतिरिक्त बैंक ने अपने सर्टिफिकेट फॉर डिपोजिट प्रोग्राम के लिए भी क्रेडिट रेटिंग एवं एस व पी ग्लोबल रेटिंग प्राप्त की है।

क्र. सं.	क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का नाम	इंस्ट्रूमेंट / रेटिंग का प्रकार	राशि (₹ करोड़ में)	31.03.2022 को यथास्थिति उत्तम रेटिंग
1	क्रिसिल रेटिंग लिमिटेड	सर्टिफिकेट फॉर डिपोजिट्स	25,000	क्रिसिल ए1+
2	एस व पी ग्लोबल रेटिंग	जारीकर्ता क्रेडिट रेटिंग	–	बीबीबी–/स्थिर/ए–3

19. आचार संहिता

बैंक ने निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों हेतु प्रयोज्य ''आचार संहिता'' तैयार की है और इसे बोर्ड द्वारा अंगीकृत किया गया है तथा यह बैंक की वेबसाइट अर्थात www.indianbank.in पर भी उपलब्ध है।

बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने वार्षिक आधार पर संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है और प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी की ओर से की गई इस आशय की घोषणा इस प्रतिवेदन का अंश है।

20. कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन का प्रमाणपत्र

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की शर्तो के अनुसार कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन से संबंधित बैंक के सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षकों द्वारा जारी प्रमाणपत्र संलग्न किया गया है।

कृते निदेशक मंडल

(एस. एल. जैन)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

दिनांक : 11.05.2022
स्थान : चेन्नै

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की अनुसूची V के पैरा डी के अनुसरण में घोषणा

यह घोषणा की जाती है कि बैंक के बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों (अर्थात महाप्रबंधकगण) ने सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 26 (3) की शर्तो के अनुसरण में 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु आचार संहिता के अनुपालन की स्वीकारोक्ति दी है।

उक्त आचार संहिता, बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in पर उपलब्ध है

(एस. एल. जैन)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

दिनांक : 11.05.2022
स्थान : चेन्नै

कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन पर लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र

सेवा में

इंडियन बैंक के सदस्यगण

हमने सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियम 17 से विनियम 27 और विनियम 46 (2) (बी से आई) में यथा निर्धारित अनुबंधों के अनुसार 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु इंडियन बैंक, के कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जाँच की है।

कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जाँच कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक के द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया और उसके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो लेखापरीक्षा है, और न ही बैंक के वित्तीय विवरणों पर अभिमत व्यक्त करना है।

बैंक के द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों एवं दस्तावेजों तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसारः

(ए) हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 में निर्धारित कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है, जहाँ तक कि यह भारतीय रिजर्व बैंक / भारत सरकार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं करता।

(बी) हमें यह कहना है कि बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट द्वारा यथा प्रमाणित एवं स्टेकधारक संपर्क समिति द्वारा रखे गए अभिलेख के अनुसार बैंक के विरुद्ध निवेश की कोई शिकायत एक माह से अधिक समय तक लम्बित नहीं है।

हमें यह भी कहना है कि यह अनुपालन न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता हेतु आश्वासन है और न ही बैंक के कार्यनिष्पादन में प्रबंधन की कुशलता एवं प्रभावशीलता है।

कृते मे. श्री राममूर्ति एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सः 003032S

एम प्रत्युषा
पार्टनर
सदस्यता सं. 254141
यूडीआईएन : 22254141AJHCTC2623

कृते मे. रविरंजन एण्ड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सः 009073N/N500320

सुमित कुमार
पार्टनर
सदस्यता सं. 512555
यूडीआईएन : 22512555AIUWVX3042

कृते मे. पी के एफ श्रीधर एण्ड संथानम एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सः 003990S/S200018

पी देवी
पार्टनर
सदस्यता सं. 223137
यूडीआईएन : 22223137AJGUHF1901

कृते मे. जी. नटेसन एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सः 002424S

वरलक्ष्मी मुरली
पार्टनर
सदस्यता सं. 028863
यूडीआईएन : 22028863AJAUJV8461

कृते मे. एसएआरसी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सः 006085N

चेतन ठक्कर
पार्टनर
सदस्यता सं. 114196
यूडीआईएन : 22114196AIUWNW5244

दिनांक : 11.05.2022
स्थान : चेन्नै

सीईओ एवं सीएफओ द्वारा अनुपालन प्रमाणपत्र

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियम 17(8)
के साथ पठित विनियम 33(2) के अनुसार

सेवा में,

निदेशक मंडल
इंडियन बैंक

प्रमाणित किया जाता है कि

(ए) हमने वर्ष 2021–22 के लिए इंडियन बैंक के वित्तीय विवरण एवं नकदी प्रवाह विवरणों का पुनरीक्षण किया है तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार

(i) इन विवरणों में तात्विक रूप से कोई कथन अवास्तविक नहीं हैं या महत्वपूर्ण तथ्य हटाए नहीं गये हैं या भ्रमजनक विवरण नहीं हैं।

(ii) ये विवरण एकत्रित रूप से बैंक के कार्यकलापों को सटीक एवं निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं और ये विद्यमान लेखाकरण मानक, प्रयोज्य कानून एवं विनियमन के अनुरूप हैं।

(बी) हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार इस वर्ष के दौरान बैंक ने ऐसे कोई लेनदेन नहीं किए हैं जो कपटपूर्ण, गैर–कानूनी हों या बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करते हों।

(सी) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने एवं अनुरक्षित करने का दायित्व लेते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में बैंक के आंतरिक नियंत्रण तंत्र की प्रभावोत्पादकता का मूल्यांकन किया है और हमने लेखा परीक्षकों तथा लेखा परीक्षा समिति को आंतरिक नियंत्रण के रूप या परिचालन में कमियाँ, यदि कोई हों, जिन्हें हम जानते हैं तथा इन कमियों को सुधारने के लिए उठाए गए कदम या प्रस्तावित कदमों की रिपोर्ट हमने लेखा परीक्षकों एवं लेखा परीक्षा समिति को दे दी है।

(डी) हमने लेखा परीक्षकों और लेखा समिति को निम्नलिखित बातों की जानकारी दी है :

(i) वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तन।

(ii) वर्ष के दौरान लेखाकरण नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और इनका प्रकटीकरण, वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में किया गया है, और

(iii) धोखाधड़ी की महत्वपूर्ण घटनाओं के मामले, जो हमें ज्ञात हुए हैं और उसमें वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कर्मचारी या प्रबंधन का शामिल होना, यदि कोई हो, की जानकारी।

(सुनील जैन)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

(एस. एल. जैन)
प्रबंध निदेशक एवं मु.का.अ.

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 11.05.2022

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट
वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए

सेवा में,

सदस्यगण,
इंडियन बैंक
चेन्नै

हमने लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन तथा **इंडियन बैंक** (**इसके पश्चात बैंक कहा जाएगा**) द्वारा अच्छे कॉर्पोरेट आचरण के अनुपालन की सचिवीय लेखा परीक्षा की है। सचिवीय लेखा परीक्षा एक व्यवस्थित तरीके से आयोजित की गई थी, जिसने हमें कॉर्पोरेट आचरण/वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और इसके बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया।

इंडियन बैंक के बही खातों, कागजात, कार्यवृत की बही, फॉर्म और दर्ज की गयी विवरणियों तथा बैंक द्वारा बनाए गए अन्य अभिलेखों एवं बैंक, इसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी, सचिवीय लेखा परीक्षा के संचालन के दौरान हमें दिए गए व्याख्या और स्पष्टीकरण और प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदन और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय एवं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम द्वारा कोविड–19 (COVID–19) महामारी के फैलाव के कारण दी गई छूटों पर विचार करके, हमारे सत्यापन के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, बैंक ने 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करते हुए लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी है कि बैंक के पास उचित व्यवस्थित बोर्ड प्रक्रियाएँ और अनुपालन–तंत्र हैं, जो कि इसके बाद की गई रिपोर्टिंग की प्रणाली और विषय के अनुसार हैं:

हमने 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए **इंडियन बैंक** ("बैंक") द्वारा अनुरक्षित बही खातों, पत्रों, कार्यवृत की बही, प्रपत्रों और दर्ज की गयी विवरणियों तथा अन्य अभिलेखों की जांच निम्न के अनुसार की है :

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम; (लागू सीमा तक);

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और इसके तहत बनाए गए नियम;

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और इसके तहत निर्मित विनियमों और उपनियमों;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके तहत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक ऋणों की सीमा तक विस्तारित नियम और विनियमन; **(लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)**

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश निर्धारित हैं :–

(ए) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011;

(बी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भेदिया व्यापार निषेध) विनियमन, 2015;

(सी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2009, 2018 में संशोधित

(डी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशानिर्देश ,1999 एवं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियमन, 2014 **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)**

(ई) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीकरण) विनियमन, 2021; **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)**

(एफ) कंपनी अधिविनियमन और ग्राहक के साथ लेन देन से संबंधित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम और शेयर अंतरण एजेंट का रजिस्ट्रार) विनियमन, 1993; **(लागू नहीं)**

(जी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटि शेयरों को सूची से हटाना) विनियमन, 2009; **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)**

(एच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों की वापसी) विनियमन, 1998; **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)**

अन्य विधियां जो बैंक पर विशेष रूप से लागू है, वह निम्नानुसार है :

(vi) बैंककारी कंपनी अधिनियम (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970;

(vii) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949.

मेरे द्वारा निम्नलिखित के लागू खंड के अनुपालन की जांच भी की गई है:

(i) भारत के कंपनी सचिवों के संस्थान द्वारा जारी किए गए सचिवीय मानक **(लागू नहीं)**

(ii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015

बैंक, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 के अधीन गठित है और कंपनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत नहीं किया गया है।

बैंक बोर्ड, लेखापरीक्षा समिति व अन्य समितियों के गठन व निदेशकों को किये जाने वाले भुगतान, बोर्ड/ समिति प्रक्रियाओं/सम्बंधित पार्टी लेनदेन इत्यादि बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970, भारतीय बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 1999 यथा संशोधित के प्रावधानों एवं समय समय पर भारतीय रिजर्व बैंक व भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के तहत नियंत्रित होते हैं।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, सूचीबद्ध संस्था ने अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है, जो निम्नलिखित अवलोकन के अधीन है।

बोर्ड की संरचना के संबंध में, बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों के अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम,1980 की धारा 9 (3) (ई) (एफ) और (जी) के तहत रिक्तियां मौजूद हैं। दिनांक 31 मार्च, 2022 को निदेशक मंडल की संरचना सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।

बोर्ड की बैठकों को नियत किये जाने हेतु सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया जाता है और कार्यसूची एवं कार्यसूची पर विस्तृत नोट को पहले ही भेजा जा चुका है तथा बैठक में अर्थपूर्ण सहभागिता हेतु बैठक होने से पूर्व ही एजेंडा की मदों पर सूचना व स्पष्टता मांगे जाने की प्रणाली अस्तित्व में है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि बैंक द्वारा उचित कानूनों, नियमों, नियामकों व दिशानिर्देशों के अनुसार निरीक्षण व अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक के आकार व परिचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियाँ व प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट के दौरान वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, बैंक ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट के माध्यम से 1650 करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी 142.15 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के इश्यू मूल्य पर जुटाई है, जिसमें 132.15 रुपये प्रति इक्विटी शेयर का प्रीमियम भी शामिल है। क्यूआईपी के तहत 10 रुपये के अंकित मूल्य के 11,60,74,569 नए इक्विटी शेयरों के आबंटन के बाद, बैंक के कुल प्रदत्त शेयर 112,93,66,570 से बढ़कर 124,54,41,139 हो गए।

कृते वी सुरेश एसोसिएट्स
व्यावसायिक कंपनी सचिव

वी सुरेश
वरिष्ठ पार्टनर
एफसीएस नं. 2969
सी.पी. नं 6032
समकक्ष समीक्षा प्रमाण पत्र सं 667/2020
यूडीआईएन: एफ002969डी000295712

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 10.05.2022

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुबंध

सेवा में,

सदस्यगण
इंडियन बैंक
चेन्नै – 600014

हमारी समान तिथि की रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

1. सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव बैंक के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर विचार व्यक्त करना है।

2. हमने सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की सत्यता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुसरण किया है। सत्यापन जांच के आधार पर किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित हो। हमें विश्वास है कि हमने जिन प्रक्रियाओं और पद्धतियों का अनुसरण किया है वे हमारे विचार के लिए उचित आधार प्रदान करती हैं।

3. हमने बैंक के वित्तीय अभिलेखों और लेखा पुस्तकों की सत्यता और समुचितता की जांच नहीं की है।

4. जहां कभी भी आवश्यकता पड़ी, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों तथा घटनाओं आदि के अनुपालन के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

5. कॉर्पोरेट के प्रावधानों और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी परीक्षण जांच के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।

6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही उस प्रभावोत्पादकता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है।

कृते वी सुरेश एसोसिएट्स
व्यावसायिक कंपनी सचिव

वी सुरेश
वरिष्ठ पार्टनर
एफसीएस नं. 2969
सी.पी. नं 6032
समकक्ष समीक्षा प्रमाण पत्र सं 667/2020
यूडीआईएन: एफ002969डी000295712

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 10.05.2022

निदेशकों की गैर–निरर्हता का प्रमाण प्त्र

{सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियमन 34 (3) और अनुसूची 5 पैरा सी खंड (10) (i) के अनुसरण में}

इंडियन बैंक
66, राजाजी सालै
चेन्नै–600 001
के सदस्यगण

हमने इंडियन बैंक के निदेशकों से प्राप्त प्रासंगिक रजिस्टरों, अभिलेखों, प्रपत्रों, रिटर्न और प्रकटीकरण की जांच की है, जिनका पंजीकृत कार्यालय 66, राजाजी सालै, चेन्नै 600 001 (इसके बाद 'बैंक' के रूप में संदर्भित) है, जो बैंक द्वारा इस प्रमाणपत्र को जारी करने के प्रयोजन हेतु, सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 की अनुसूची 5 पैरा सी उप खंड 10(i) के साथ पठित विनियमन 34(3) के अनुसार हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और सत्यापन के अनुसार (पोर्टल www.mca.gov.in पर निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) की स्थिति सहित) जैसा कि आवश्यक समझा गया और बैंक व उसके अधिकारियों द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के बोर्ड में नीचे बताए गए किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, या कोई अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखने से वंचित या अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

क्रमांक सं.	निदेशक का नाम	डीआईएन संख्या	बैंक में नियुक्ति की तिथि
1	श्री एस.एल.जैन	07692739	01.09.2021
2	श्री शेणॉय विश्वनाथ वी	07561455	01.12.2018
3	श्री इमरान अमीन सिद्दीकी	09153707	10.03.2021
4	श्री अश्वनी कुमार	लागू नहीं	21.10.2021
5	श्री संजीव कौशिक	02842527	24.01.2020
6	डॉ आदित्य गेहा	लागू नहीं	08.03.2022
7	डॉ. भरत कृष्ण शंकर	00473636	07.02.2021
8	सुश्री पापिया सेनगुप्ता	07701564	29.10.2021
9	श्री बालमुकुंद सहाय	लागू नहीं	21.12.2021
10	श्री विश्वेश कुमार गोयल	लागू नहीं	21.12.2021

बैंक, एक राष्ट्रीयकृत बैंक होने के नाते, बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम, 1970) के प्रावधानों के तहत गठित, डीआईएन की आवश्यकता बैंक के निदेशकों के लिए लागू नहीं हो सकती है।

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/निरंतरता के लिए पात्रता सुनिश्चित करना बैंक के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने सत्यापन के आधार पर इन पर राय व्यक्त करें। यह प्रमाणपत्र न तो बैंक के भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का आश्वासन है जिसके द्वारा प्रबंधन ने बैंक में कार्य संचालन किया है।

कृते वी सुरेश एसोसिएट्स
व्यावसायिक कंपनी सचिव

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 10.05.2022

वी सुरेश
वरिष्ठ पार्टनर
एफसीएस सं. 2969
सी.पी.सं. 6032
पी. आर. प्रमाणपत्र. सं. :667/2020
यूडीआईएनः एफ002969डी000295965

स्टैंडअलोन तुलन पत्र, लाभ और हानि लेखा और अनुसूचियां

31 मार्च, 2022 को स्टैंडअलोन तुलन पत्र

₹ हजार में

विवरण	अनु. सं.	31.03.2022 को (लेखापरीक्षित)	31.03.2021 को (लेखापरीक्षित)
पूँजी व देयताएं			
पूंजी	1	1245 44 11	1129 36 66
आरक्षितियां और अधिशेष	2	42463 36 31	37282 57 83
जमाएं	3	593617 81 37	538071 11 49
उधार	4	17144 30 85	24734 33 12
अन्य देयताएं और प्रावधान	5	17197 12 87	22209 27 48
कुल		**671668 05 51**	**623426 66 58**
आस्तियां			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकद और अधिशेष	6	24054 40 91	27545 08 17
बैंकों में शेष एवं मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	7	55861 64 25	23919 39 05
निवेश	8	174558 58 80	176536 96 62
अग्रिम	9	389186 06 32	362669 07 96
अचल आस्तियां	10	7683 71 16	7376 31 14
अन्य आस्तियां	11	20323 64 07	25379 83 64
कुल		**671668 05 51**	**623426 66 58**
कुलआकस्मिक देयताएं	12	353514 04 83	293533 46 10
वसूली के लिए बिल	-	14144 89 14	12620 72 77

एस.एल. जैन
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

अश्वनी कुमार
कार्यपालक निदेशक

इमरान अमीन सिद्दीकी
कार्यपालक निदेशक

निदेशक

संजीव कौशिक
सरकार द्वारा नामित निदेशक

आदित्य गेहा
आरबीआई द्वारा नामित निदेशक

भरत कृष्ण शंकर
शेयरधारक निदेशक

पापिया सेनगुप्ता
शेयरधारक निदेशक

बालमुकुंद सहाय
अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक

विश्वेश कुमार गोयल
अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक

सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक

कृते मैसर्स श्रीराममूर्ति एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ आर संख्या 003032एस

एम. प्रत्युषा
साझेदार
(एम.संख्या 254141)

कृते मैसर्स रवि राजन एण्ड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफ आर संख्या 009073एन / एन500320

सुमित कुमार
साझेदार
(एम. संख्या 512555)

कृते मैसर्स पी के एफ श्रीधर एण्ड संथानम एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआर संख्या 003990एस / एस200018

पी. देवी
साझेदार
(एम.संख्या 223137)

कृते मैसर्स जी नटेसन एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआर संख्या 002424एस

वरलक्ष्मी मुरली
साझेदार
(एम.संख्या 028863)

कृते मैसर्स एसएआरसी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर. संख्या 006085एन

चेतन ठक्कर
साझेदार
(एम.संख्या 114196)

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 11.05.2022

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन लाभ व हानि लेखा

(₹ हजार में)

विवरण	अनुसूची सं	31.03.2022 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)	31.03.2021 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)
I. आय			
अर्जित ब्याज	13	38856 22 07	39105 78 65
अन्य आय	14	6915 44 97	5650 18 96
कुल		**45771 67 04**	**44755 97 61**
II. व्यय			
व्यय किया गया ब्याज	15	22128 27 05	23439 83 90
परिचालनगत व्यय	16	10926 50 28	10349 55 28
प्रावधान एवं आकस्मिकतायें	-	8772 07 65	7961 90 66
कुल		**41826 84 98**	**41751 29 84**
III. लाभ /हानि			
वर्ष के लिए निवल लाभ /हानि (–)		3944 82 06	3004 67 77
अग्रानीत लाभ / हानि (–)		100 16 28	99 16 27
कटौती : शेयर प्रीमियम के सापेक्ष समायोजन / सेट ऑफ		-23 21 49	-101 67 04
कुल		**4021 76 85**	**3002 17 00**
IV. विनियोजन को अंतरित :			
सांविधिक आरक्षितियां		986 21 00	751 17 00
पूँजी आरक्षितियां		147 90 00	47 71 00
36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष रिजर्व		108 35 00	0
राजस्व आरक्षितियां		1800 00 00	1387 34 39
स्टाफ कल्याण निधि		40 00 00	25 00 00
निवेश उतार–चढ़ाव आरक्षितियां		0	464 91 00
ईक्विटी लाभांश		809 53 67	225 87 33
शेष जो तुलन पत्र को अग्रानीत किया गया है		129 77 18	100 16 28
कुल		**4021 76 85**	**3002 17 00**
प्रतिशेयर अर्जन रुपए में (आधारभूत और कम मिश्रित)		32.38	26.61

एस.एल. जैन
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

अश्वनी कुमार
कार्यपालक निदेशक

इमरान अमीन सिद्दीकी
कार्यपालक निदेशक

निदेशक

संजीव कौशिक
सरकार द्वारा नामित निदेशक

आदित्य गेहा
आरबीआई द्वारा नामित निदेशक

भरत कृष्ण शंकर
शेयरधारक निदेशक

पापिया सेनगुप्ता
शेयरधारक निदेशक

बालमुकुंद सहाय
अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक

विश्वेश कुमार गोयल
अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक

सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक

कृते मैसर्स श्रीराममूर्ति एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ आर संख्या 003032एस

एम. प्रत्युषा
साझेदार
(एम.संख्या 254141)

कृते मैसर्स रवि राजन एण्ड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफ आर संख्या 009073एन / एन500320

सुमित कुमार
साझेदार
(एम. संख्या 512555)

कृते मैसर्स पी के एफ श्रीधर एण्ड संथानम एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआर संख्या 003990एस / एस200018

पी. देवी
साझेदार
(एम.संख्या 223137)

कृते मैसर्स जी नटेसन एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआर संख्या 002424एस

वरलक्ष्मी मुरली
साझेदार
(एम.संख्या 028863)

कृते मैसर्स एसएआरसी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर. संख्या 006085एन

चेतन ठक्कर
साझेदार
(एम.संख्या 114196)

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 11.05.2022

अनुसूची 1 – पूंजी

(₹ हज़ार में)

विवरण	31.03.2022 को	31.03.2021 को
I. प्राधिकृत पूँजी		
प्रत्येक 10/– रुपए के 300,00,00,000 ईक्विटी शेयर	3000 00 00	3000 00 00
II. जारी, अभिदत्त और अदा की गई पूंजी :		
ईक्विटी शेयर :		
ए. भारत सरकार द्वारा रखे गए प्रत्येक रुपए 10/– के 99,45,49,600 ईक्विटी शेयर (पिछले वर्ष – रुपए 10/– प्रत्येक के 99,45,49,600 ईक्विटी शेयर शामिल हैं)	994 54 96	994 54 96
बी. जनता द्वारा रखे गए प्रत्येक रुपए 10/– के 25,08,91,539 ईक्विटी शेयर (पिछले वर्ष – रुपए 10/– प्रत्येक के 13,48,16,970 ईक्विटी शेयर शामिल हैं)	250 89 15	134 81 70
कुल	**1245 44 11**	**1129 36 66**

अनुसूची 2 – आरक्षितियां और अधिशेष

(₹ हज़ार में)

	विवरण	31.03.2022 को	31.03.2021 को
I.	**सांवधिक आरक्षितियां**		
	ए) अथशेष	8649 75 51	4694 19 81
	बी) वर्ष के दौरान जोड़ (*)	986 21 00	3955 55 70
	सी) वर्ष के दौरान कटौतियां	0	0
	कुल I	**9635 96 51**	**8649 75 51**
II.	**पूँजीगत आरक्षितियां**		
ए)	**पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व**		
	अथशेष	5754 96 63	2987 84 42
	वर्ष के दौरान जोड़ (*)	599 48 14	2909 98 72
	वर्ष के दौरान कटौतियां	143 42 51	142 86 51
	कुल (ए)	**6211 02 26**	**5754 96 63**
बी)	**अन्य**		
	अथशेष	913 00 74	388 55 24
	वर्ष के दौरान जोड़ (*)	147 90 00	524 45 50
	वर्ष के दौरान कटौतियां	0	0
	कुल (बी)	**1060 90 74**	**913 00 74**
	कुल II (ए+ बी)	**7271 93 00**	**6667 97 37**
III.	**शेयर प्रीमियम**		
	ए) अथशेष	857 61 90	4026 65 23
	बी) वर्ष के दौरान जोड़ (*)	1533 92 54	15806 49 62
	सी) वर्ष के दौरान कटौतियां	0	18975 52 95
	कुल III	**2391 54 44**	**857 61 90**
IV.	**राजस्व और अन्य आरक्षितियां**		
	ए) राजस्व आरक्षितियां		
	अथशेष	13124 31 94	7448 29 29
	वर्ष के दौरान जोड़ (*)	1800 00 00	5533 16 14
	पुनर्मूल्यांकन आरक्षतियों से अंतरित	143 42 51	142 86 51
	वर्ष के दौरान कटौतियां	0	0
	कुल (ए)	**15067 74 45**	**13124 31 94**
	(बी) आईटी अधिनियम की धारा के 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षितियां		
	अथशेष	2175 52 00	725 52 00
	वर्ष के दौरान जोड़ (*)	108 35 00	1450 00 00
	वर्ष के दौरान कटौतियां	0	0
	कुल (बी)	**2283 87 00**	**2175 52 00**
	(सी) आईटी अधिनियम की धारा के 36(1) (viii ए) के अंतर्गत विशेष आरक्षितियां		
	अथशेष	58 20 00	58 20 00
	वर्ष के दौरान जोड़	0	0
	वर्ष के दौरान कटौतियां	0	0
	कुल (सी)	**58 20 00**	**58 20 00**
	डी) निवेश उतार–चढ़ाव आरक्षितियां		
	अथशेष	1031 90 00	566 99 00
	वर्ष के दौरान जोड़	0	464 91 00
	वर्ष के दौरान कटौतियां	0	0
	कुल (डी)	**1031 90 00**	**1031 90 00**
	ई) निवेश आरक्षितियां		
	अथशेष	186 37 77	47 79 22
	वर्ष के दौरान जोड़ (*)	0	138 58 55
	वर्ष के दौरान कटौतियां	0	0
	कुल (ई)	**186 37 77**	**186 37 77**
	एफ) विदेशी मुद्रा लेनदेन आरक्षितियां		
	अथशेष	421 92 88	437 26 31
	वर्ष के दौरान जोड	0	0
	वर्ष के दौरान कटौतियां	24 69 10	15 33 43
	कुल (एफ)	**397 23 78**	**421 92 88**

(₹ हज़ार में)

	जी) आईआरएस आरक्षितियां		
	अथशेष	1 90 63	0
	वर्ष के दौरान जोड़ (*)	0	1 90 63
	वर्ष के दौरान कटौतियां	0	0
	कुल (जी)	**1 90 63**	**1 90 63**
	कुल IV (ए+बी+सी+डी+ई+एफ+जी)	**19027 23 63**	**17000 15 22**
V.	**समामेलन आरक्षितियां**		
	ए) अथशेष	4006 91 55	0
	बी) वर्ष के दौरान जोड़	0	4006 91 55
	सी) वर्ष के दौरान कटौतियां	0	0
	कुल V	**4006 91 55**	**4006 91 55**
VI.	**लाभ एवं हानि खाता**		
	अथशेष	100 16 28	99 16 27
	वर्ष के दौरान जोड़	3944 82 06	102 67 05
	वर्ष के दौरान कटौतियां (*)	3915 21 16	19077 19 99
	शेयर प्रीमियम से समायोजन	0	18975 52 95
	कुल VI	**129 77 18**	**100 16 28**
	कुल (I+II+III+IV+V+VI)	**42463 36 31**	**37282 57 83**

(*) वित्तीय वर्ष 2020–21 में ई–एबी आरक्षितियों सहित जोड़/घटाव

अनुसूची 3 – जमाएँ

(₹ हज़ार में)

विवरण	31.03.2022 को	31.03.2021 को
ए. I. मांग जमाराशियां		
i) बैंकों से	125 59 56	289 29 18
ii) अन्य से	36594 73 39	32055 27 51
कुल	**36720 32 95**	**32344 56 69**
II. बचत बैंक जमाराशियां	**211205 86 14**	**195250 29 37**
III. सावधि जमाराशियां		
i) बैंकों से	6067 87 21	5323 09 87
ii) अन्य से	339623 75 07	305153 15 56
कुल	**345691 62 28**	**310476 25 43**
कुल (I+II+III)	**593617 81 37**	**538071 11 49**
बी. I) भारत में स्थित शाखाओं की जमाएं	584660 65 57	529264 23 30
II) भारत के बाहर शाखाओं की जमाएं	8957 15 80	8806 88 19
कुल (I + II)	**593617 81 37**	**538071 11 49**

अनुसूची 4 – उधार

(₹ हज़ार में)

विवरण	31.03.2022 को	31.03.2021 को
I. भारत में उधार		
i) भारतीय रिज़र्व बैंक	0	5032 04 04
ii) अन्य बैंक	5 12	13 72
iii) अन्य संस्थाएं और अभिकरण *	15285 01 00	14935 73 74
कुल	**15285 06 12**	**19967 91 50**
II. भारत के बाहर उधार **	1859 24 73	4766 41 62
कुल (I व II)	**17144 30 85**	**24734 33 12**
ऊपर की मदों में प्रतिभूत उधार को शामिल किया गया है।	0	5032 04 04

* एटी–1 पूँजी – स्थायी ऋण लिखत ₹2000 00 00 (पिछले वर्ष ₹2000 00 00) और टियर II पूँजी में गौण ऋण ₹7000 00 00 (पिछले वर्ष ₹7600 00 00) को शामिल किया गया है।

** नास्ट्रो मिरर शेषों की असमायोजित मदें एवं मार्गस्थ मदों को शामिल करते हुए

अनुसूची 5 – अन्य देयताएँ एवं प्रावधान

(₹ हज़ार में)

विवरण	31.03.2022 को	31.03.2021 को
I. देय बिल	1585 16 73	1443 91 42
II. अंतर–कार्यालय समायोजन (निवल)	0	5073 01 52
III. उपचित ब्याज	994 13 29	1041 86 06
IV. अन्य (प्रावधान सहित) *	14617 82 85	14650 48 48
कुल (I + II + III + IV)	**17197 12 87**	**22209 27 48**
* रु. 378 88 304 की मानक आस्तियों के सापेक्ष आकस्मिक प्रावधान (पिछले वर्ष रु.282 68 255)		

अनुसूची 6 – भारतीय रिजर्व बैंक में नकद और शेष राशि

(₹ हज़ार में)

विवरण	31.03.2022 को	31.03.2021 को
I. हाथ में नकदी (इसमें विदेशी मुद्रा नोट सम्मिलित हैं)	1962 39 75	1658 27 76
II. भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चालू खाते में शेष	22092 01 16	25886 80 41
कुल (I+II)	**24054 40 91**	**27545 08 17**

अनुसूची 7 – बैंकों में अधिशेष और माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि

(₹ हज़ार में)

विवरण	31.03.2022 को	31.03.2021 को
I. भारत में		
i) बैंकों में अधिशेष		
ए. चालू खाते में	6 17 63	95 08 44
बी. अन्य जमा खातों में	1386 15 22	2046 43 44
कुल (i)	**1392 32 85**	**2141 51 88**
ii) मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्रतिदेय धनराशि (बैंकों के साथ)	34500 20 06	8900 00 01
कुल (ii)	**34500 20 06**	**8900 00 01**
कुल (i + ii)	**35892 52 91**	**11041 51 89**
II. भारत के बाहर		
i) चालू खातों में	503 97 97	1577 67 70
ii) अन्य जमा खातों में	19453 09 25	11270 82 04
iii) माँग पर तथा अल्प सूचना पर प्रतिदेय धनराशि	12 04 12	29 37 42
कुल (i + ii + iii)	**19969 11 34**	**12877 87 16**
कुल योग (I +II)	**55861 64 25**	**23919 39 05**

अनुसूची 8 – निवेश

(₹ हज़ार में)

विवरण	31.03.2022 को	31.03.2021 को
I. भारत में निवेश		
सकल निवेश	178434 87 83	179570 44 81
मूल्यह्रास एवं एनपीआई हेतु प्रावधान घटाकर	3656 54 63	3437 58 50
प्रतिभूति रसीद पर प्रावधान घटाकर	1922 31 20	1922 31 20
निवल निवेश	**172856 02 00**	**174210 55 11**
I) सरकारी प्रतिभूतियां	140386 99 79	157550 39 28
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	0	5 22 76
iii) शेयर	1198 42 29	986 58 19
iv) डिबेंचर और बॉंड	30442 35 19	13359 15 13
v) अनुषंगियां और / या संयुक्त उद्यम (सहयोगियों के साथ)	216 16 81	216 16 81
vi) अन्य	612 07 92	2093 02 94
कुल	**172856 02 00**	**174210 55 11**

(₹ हज़ार में)

विवरण	31.03.2022 को	31.03.2021 को
II. भारत के बाहर निवेश		
सकल निवेश	1800 52 30	2420 89 82
मूल्यह्रास एवं एनपीआई हेतु प्रावधान घटाकर	97 95 50	94 48 31
निवल निवेश	**1702 56 80**	**2326 41 51**
I) सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकारी सहित)	1702 00 91	2325 81 80
ii) अन्य निवेश		
ए शेयर	55 89	59 71
कुल	**1702 56 80**	**2326 41 51**
निवल कुल योग (ए + बी)	**174558 58 80**	**176536 96 62**

अनुसूची 9 – अग्रिम

(₹ हज़ार में)

विवरण	31.03.2022 को	31.03.2021 को
I) क्रय किए गए और भुनाये गए बिल	3430 05 82	2131 34 96
ii) नकद उधार, ओवर ड्राफ़्ट और मांग पर प्रतिदेय ऋण	245298 43 89	220090 98 14
iii) मियादी ऋण	140457 56 61	140446 74 86
कुल	**389186 06 32**	**362669 07 96**
i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋणों पर अग्रिम शामिल हैं)*	322961 60 18	320789 57 49
ii) बैंक / सरकारी प्रत्याभूतियों द्वारा संरक्षित	39614 40 28	22887 65 72
iii) अरक्षित	26610 05 86	18991 84 75
कुल	**389186 06 32**	**362669 07 96**
I. भारत में अग्रिम		
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र #	163407 15 71	156301 47 15
ii) सरकारी क्षेत्र	67147 92 02	64398 77 88
iii) बैंक	0	169 24 06
iv) अन्य	139011 84 53	131526 73 67
कुल	**369566 92 26**	**352396 22 76**
II. भारत के बाहर अग्रिम		
I) बैंकों से प्राप्य राशियाँ	11105 63 45	4475 58 45
ii) अन्यों से प्राप्य राशियाँ		
क) क्रय किये गए और भुनाये गए बिल	2541 53 44	771 16 66
ख) सामूहिक ऋण	4650 75 16	3515 42 23
ग) अन्य	1321 22 01	1510 67 86
कुल	**19619 14 06**	**10272 85 20**
कुल योग (I+II)	**389186 06 32**	**362669 07 96**

* बही ऋण के सापेक्ष शामिल किए गए अग्रिम : 67000 84 07 (पिछले वर्ष ₹ 63247 10 63)

आरआईडीएफ को नहीं जोड़ा गया है।

अनुसूची 10 – अचल आस्तियां

(₹ हज़ार में)

	विवरण	31.03.2022 को	31.03.2021 को
I.	**परिसर (पुनर्मूल्यांकित परिसर सहित)**		
	पूर्ववर्ती वर्ष के तुलन–पत्र के अनुसार लागत / पुनर्मूल्यांकन मूल्य पर	6857 35 52	6853 35 76
	वर्ष के दौरान जोड़ / समायोजन	601 20 96	3 99 76
	पूर्ण योग	7458 56 48	6857 35 52
	वर्ष के दौरान कटौतियां	4 68 50	0
	पूर्ण योग	7453 87 98	6857 35 52
	अद्यतन मूल्य ह्रास	1412 80 63	1243 94 40
	कुल	**6041 07 35**	**5613 41 12**
II.	**पट्टे पर दी गई आस्तियां**		
	पूर्ववर्ती वर्ष के तुलन–पत्र के अनुसार लागत / पुनर्मूल्यांकन मूल्य पर	530 52 79	530 52 79
	वर्ष के दौरान जोड़ / समायोजन	0	0
	पूर्ण योग	530 52 79	530 52 79
	वर्ष के दौरान कटौतियां	0	0
	पूर्ण योग	530 52 79	530 52 79
	अद्यतन मूल्य ह्रास	22 17 67	42 92 70
	कुल	**508 35 12**	**487 60 09**
III.	**निर्माणाधीन भवन**	**96 80**	**1 06 54**
IV.	**अन्य अचल आस्तियां (इसमें फर्नीचर और फिक्सचर सम्मिलित हैं)**		
	पूर्ववर्ती वर्ष के तुलन–पत्र के अनुसार लागत पर	4628 15 73	4121 12 83
	वर्ष के दौरान जोड़ / समायोजन	316 77 75	554 37 72
	पूर्ण योग	4944 93 48	4675 50 55
	वर्ष के दौरान कटौतियां	76 67 23	47 34 82
	पूर्ण योग	4868 26 25	4628 15 73
	अब तक मूल्य ह्रास	3734 94 36	3353 92 34
	कुल	**1133 31 89**	**1274 23 39**
	कुल (I+II+III+IV)	**7683 71 16**	**7376 31 14**

अनुसूची 11 – अन्य आस्तियां

(₹ हज़ार में)

विवरण	31.03.2022 को	31.03.2021 को
I. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	270 52 77	0
II. उपचित ब्याज	2968 68 66	4107 97 96
III. प्रदत्त अग्रिम कर / स्रोत पर काटा गया कर (निवल)	6407 56 89	6625 26 70
IV. लेखन सामग्री और स्टाम्प	27 06 55	46 37 53
V. दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गयी गैर–बैंककारी आस्तियां	51 38 26	51 38 26
VI. अन्य*	10598 40 94	14548 83 19
कुल	**20323 64 07**	**25379 83 64**
* जिसमें एचटीएम वर्गीकरण के तहत रखे गए आरआईडीएफ / एसआईडीबीआई / आरएचडीएफ / एनएचबी जमाएं शामिल है।	1062 15 12	1304 51 23

अनुसूची 12 – आकस्मिक देयताएं

(₹ हज़ार में)

विवरण	31.03.2022 को	31.03.2021 को
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	2159 16 36	953 36 91
II. अंशतः संदत्त निवेशों के लिए देयता	462 77 26	373 81 66
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता	306197 71 07	254856 84 39
IV. संघटकों की ओर से दी गई प्रत्याभूतियां *		
क. भारत में	21969 83 62	17792 78 38
ख. भारत के बाहर	300 68 26	379 99 49
V. स्वीकृतियाँ, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं *	10837 91 70	9394 28 29
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	11585 96 56	9782 36 98
कुल	**353514 04 83**	**293533 46 10**

* आकस्मिक देयताएं, मार्जिन घटाने के बाद समान माना गया है

अनुसूची 13 – अर्जित ब्याज

(₹ हजार में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)	31.03.2021 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)
I. अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा राशि	26927 56 15	27363 52 81
II. निवेशों पर आय	10964 82 37	11166 89 38
III. भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ शेष तथा अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज	851 34 00	425 45 97
IV. अन्य	112 49 55	149 90 49
कुल	**38856 22 07**	**39105 78 65**

अनुसूची 14 – अन्य आय

(₹ हजार में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
I. कमीशन, विनिमय और दलाली	806 11 09	766 96 37
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ	1748 06 22	2259 91 38
घटाएँ : निवेशों की बिक्री पर हानि	122 30 84	135 67 19
निवल	1625 75 38	2124 24 19
III. निवेशों के पुनर्मूल्याँकन पर लाभ	89	2 42
घटाएँ : निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि	343 24 98	429 08 84
निवल	-343 24 09	-429 06 42
IV. भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ *	7 40 31	2 83 09
घटाएँ : भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर हानि *	2 18 28	3 22 28
निवल	5 22 03	- 39 19
V. विनिमय संव्यवहारों पर लाभ (निवल)	689 98 73	405 92 51
VI. विदेश / भारत में स्थापित अनुषंगियों / कंपनियों और / या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय	28 15 18	12 45 06
VII. विविध आय	4103 46 65	2770 06 44
कुल	**6915 44 97**	**5650 18 96**

* यह राशि सेफ, फ़र्निचर, वाहन और मशीनरी से संबंधित है

अनुसूची 15 – खर्च किया गया ब्याज

(₹ हजार में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
I. जमाओं पर ब्याज	20935 55 65	22220 79 49
II. भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर बैंक उधारों पर ब्याज	248 46 35	400 89 55
III. अन्य	944 25 05	818 14 86
कुल	**22128 27 05**	**23439 83 90**

अनुसूची 16 – परिचालन व्यय

(₹ हजार में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	6695 70 68	6378 23 81
II. किराया, कर और बिजली व्यवस्था	613 74 14	602 83 47
III. मुद्रण और लेखन सामग्री	84 60 78	57 65 50
IV. विज्ञापन और प्रचार	21 71 34	13 55 22
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास	597 49 99	632 87 20
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय	44 31	39 60
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों को शामिल करते हुए)	47 37 52	63 01 86
VIII विधि प्रभार	17 38 61	20 19 41
IX डाक, तार और टेलीफोन	109 86 46	117 18 86
X. मरम्मत और अनुरक्षण	243 87 09	197 09 98
XI. बीमा	742 35 00	682 46 34
XII. अन्य व्यय	1751 94 36	1584 04 03
कुल	**10926 50 28**	**10349 55 28**

अनुसूची–17 – मुख्य लेखांकन नीतियां (स्टैंडअलोन)

1. लेखांकन प्रथा

जब तक अन्यथा न कहा जाए वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत परिपाटी पर चल रहे प्रथाओं का अनुपालन करते हुए तैयार किया जाता है। यह भारत में प्रचलित सांविधिक सिद्धांतों के अनुरूप है जिसमें सांविधिक प्रावधान, विनियामक / भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानकों / मार्गदर्शन नोट्स और भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाएं शामिल हैं। विदेशी शाखाओं के संबंध में संबंधित देशों में प्रचलित सांविधिक प्रावधानों के अनुरूप है।

2. प्राक्कलन का प्रयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए, रिपोर्टिंग अवधि हेतु वित्तीय विवरणियों की तारीख पर दर्ज आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा आय एवं व्यय पर विचार करने हेतु प्रबंधन को प्राक्कलन तैयार करने और पूर्वानुमान करने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन, यह विश्वास रखता है कि वित्तीय विवरणियों की तैयारी में इस्तेमाल किये गये प्राक्कलन विवेकी और उचित हैं।

3. विदेशी विनिमय से संबंधित लेनदेन

भारतीय परिचालनों और गैर समाकलित विदेशी परिचालन के विदेशी मुद्रा लेनदेनों का लेखांकन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखाकरण मानक – 11 (एएस – 11) के अनुसार किया जाता है।

3.1. भारतीय परिचालनों के मामले में परिवर्तन

- विदेशी मुद्रा डीलर असोसिएशन आफ इंडिया (फेडाई) द्वारा अधिसूचित साप्ताहिक औसत दर (डबल्यूएआर) पर विदेशी विनिमय लेनदेन दर्ज किए जाते हैं।
- विदेशी मुद्रा में आस्तियों एवं देयताओं का परिवर्तन, वर्षांत पर फेडाई द्वारा अधिसूचित समापन दरों पर किया जाता है।
- विदेशी मुद्रा में स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं और गारंटियों को वर्षांत पर फेडाई द्वारा अधिसूचित समापन दरों पर रखा जाता है।
- वित्तीय वर्ष के अंत में विदेशी मुद्रा में रखी गयी आस्तियों एवं देयताओं के निपटान एवं परिवर्तन से उठनेवाले विनिमय अंतर को, उस वर्ष में ही आय या व्यय के रूप में पहचाना जाता है ।
- बकाया वायदा विनिमय दरों का प्रकटीकरण संविदागत दरों से किया जाता है तथा फेडाई की समापन दरों पर उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है एवं उसके परिणाम की पहचान, लाभ व हानि लेखे के जरिए की जाती है।

3.2. गैर– समाकलित विदेशी परिचालनों के संबंध में परिवर्तन

विदेशी शाखाओं का वर्गीकरण, गैर समाकलित विदेशी परिचालन के रूप में किया गया है और वित्तीय विवरणों का परिवर्तन निम्नप्रकार किया जाता है :

- आकस्मिक देयताएं सहित आस्तियों एवं देयताओं का परिवर्तन फेडाई द्वारा वर्षांत में अधिसूचित दरों पर किया जाता है।
- आय एवं व्यय का परिवर्तन फेडाई द्वारा संबंधित तिमाही के अंत पर अधिसूचित तिमाही औसत समापन दर पर किया जाता है।
- निवल निवेशों के निपटान तक उठनेवाले सभी विनिमय अंतर को ''विनिमय उतार–चढ़ाव निधि'' (एफसीटीआर) नामक पृथक निधि में उपचित रखा जाता है।

4. निवेश

4.1. बैंक के निवेश संविभाग को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निम्नलिखित तीन प्रवर्गों में वर्गीकृत किया गया है :

- परिपक्वता तक रखे गए (एचटीएम)
- बिक्री हेतु उपलब्ध (एएफएस)
- व्यापार के लिए रखे गए (एचएफटी)

परिपक्वता तक रोक रखने के आशय के साथ प्राप्त की गई प्रतिभूतियों को **''एचटीएम''** प्रवर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। अल्पावधि के मूल्य / ब्याज दर में उतार–चढ़ाव से लाभ उठाकर व्यापार करने के आशय के साथ प्राप्त की गई प्रतिभूतियों को **''एचएफटी''** प्रवर्ग में वर्गीकृत किया गया है। अन्य सभी प्रतिभूतियाँ जो उपर्युक्त दोनों प्रवर्गों में नहीं आती हैं, उन्हें, **''एएफएस''** प्रवर्ग में वर्गीकृत किया गया है।

एक निवेश को उसकी खरीद / अर्जन के समय पर ही, परिपक्वता तक धारित, बिक्री के लिए उपलब्ध अथवा व्यापार के लिए उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और तदनन्तर नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप उनका अंतरण किया जाता है। एक वर्ग से दूसरे वर्ग को शेयरों का अंतरण, यदि कोई है, अंतरण की तारीख पर अर्जन लागत / बही मूल्य / बाजार मूल्य में से न्यूनतम मूल्य पर किया जाता है, और ऐसे अंतरण के लिए मूल्यहास हेतु पूर्ण प्रावधान किया जाता है।

अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और एसोसिएट्स में निवेश को परिपक्वता तक धारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

4.2. एचटीएम प्रवर्ग में रखी गयी प्रतिभूतियों की बिक्री पर प्राप्त लाभ को पहले लाभ व हानि लेखे में लिया जाता है और बाद में पूंजी प्रारक्षिती लेखे (कर चुकाने के बाद की राशि तथा सांविधिक रिजर्व को अंतरित की जानेवाली वांछित राशि) में विनियोजित किया जाता है तथा हानि, यदि हो, को लाभ व हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है :

4.3. भारत में निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के समनुरूप निम्नानुसार किया जाता है :

ए) **एचटीएम** प्रवर्ग में प्रतिभूति का मूल्यांकन अर्जन की लागत पर किया जाता है सिवाय उन मामलों में जहां अंकित मूल्य से अर्जन लागत अधिक होती हो, वैसे मामलों में, अंकित मूल्य पर अर्जन लागत की ऐसी अधिकता को परिपक्वता की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है। अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों / एसोसिएट्स में, जिन्हें एचटीएम प्रवर्ग में शामिल किया गया है, निवेशों के मूल्य में, अस्थाई प्रकृति के अलावा किसी अन्य ह्रास की पहचान की गई है और प्रावधान किया गया है। ऐसे ह्रास का निर्धारण और इसके लिए प्रावधान प्रत्येक निवेश हेतु अलग से किया जाता है। दिनांक 23.08.2006 के बाद जोखिम पूँजी निधियों के

यूनिटों (वीसीएफ) / वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) में किये गये निवेश, प्रारंभिक 3 वर्ष की अवधि के लिए एचटीएम वर्ग के अधीन वर्गीकृत किये जाते हैं तथा उनका मूल्यांकन, लागत पर किया जाता है।

बी) अनुषंगी संस्थाओं, संयुक्त उपक्रमों और सहयोगी संस्थाओं में निवेश का मूल्यांकन, परंपरागत लागत पर किया जाता है। प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश का मूल्यांकन, वहन लागत (अर्थात् बही मूल्य) पर किया जाता है।

सी) **एएफस** प्रवर्ग में निवेशों का मूल्यांकन, बाजार मूल्य पर, तिमाही अंतराल पर स्क्रिपवार तथा वर्गीकरणवार किया जाता है। यदि कोई निवल मूल्यह्रास हो, तो उसे लाभ–हानि लेखे में शामिल किया जाता है, जबकि किसी निवल मूल्यवृद्धि होने पर उसकी उपेक्षा कर दी जाती है। इस प्रवर्ग में बाजार को अंकित करने के बाद वैयक्तिक प्रतिभूतियों के बही मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है।

डी) **एचएफटी** प्रवर्ग में रखी गई वैयक्तिक प्रतिभूतियों को दैनिक अंतराल पर बाजार को अंकित किया जाता है। निवल मूल्यह्रास, यदि कोई हो, तो लाभ व हानि लेखे में उसका प्रावधान किया जाता है जबकि निवल मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इस प्रवर्ग में वैयक्तिक प्रतिभूतियों के बही मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

ई) **एएफएस** एवं **एचएफटी** प्रवर्गों में प्रतिभूतियों का मूल्यांकन निम्नवत् किया गया है :

i. प्राइमेरी डीलर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (पीडीएआई) और फिक्स्ड इन्कम मनी मार्केट और डिराइवेटिव्स एसोसिएशन आफ इंडिया (एफआईएमएमडीए) / फाइनेंसियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा संयुक्त रूप से घोषित किए गए अनुसार केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, मूल्य पर / वाईटीएम दरों पर किया जाता है।

ii. राज्य सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, वाईटीएम पद्धति को लागू करते हुए और पीडीएआई / एफआईएमएमडीए / एफबीआईएल द्वारा रखी गई समतुल्य परिपक्वता की केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों के प्रतिफल से 25 बेसिस प्वाइंट बढ़ाते हुए आवधिक रूप से किया जाता है।

iii. कोट होने पर ईक्विटी शेयरों का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया जाता है। कोट न होनेवाले ईक्विटी शेयरों को उनके ब्रेक–अप मूल्य पर (पूनर्मूल्यन आरक्षित निधियां, यदि हो, उस पर ध्यान दिए बिना), कंपनी के नवीनतम तुलनपत्र (मूल्यन की तारीख से एक वर्ष के पहले का न हो), के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है। अन्यथा शेयरों का मूल्यांकन प्रति कंपनी एक रुपया के अनुसार किया जाता है।

iv. कोट होने पर अधिमान्य शेयरों का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया जाता है। अन्यथा समुचित वाईटीएम दरों अथवा पुनः शोधन मूल्य के आधार पर निर्धारित मूल्य, दोनों में से जो भी कम हो, उस मूल्य पर किया जाता है।

v. अग्रिमों के रूप में रहे डिबेंचरों तथा बांडों के अलावा, सभी डिबेंचरों तथा बांडों का मूल्यांकन वाईटीएम आधार पर किया जाता है।

vi. राजकोष बिलों, जमा प्रमाण पत्रों तथा वाणिज्यिक कागजातों का मूल्यांकन उनकी रखाव लागत पर किया जाता है।

vii. कोट होने पर म्यूचुअल फंडों की यूनिटों का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया जाता हैय अन्यथा पुनः खरीद मूल्य अथवा निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) दोनों में जो भी कम हो, उस मूल्य पर किया जाता है। यदि निधियां लॉक–इन अवधि में हैं, जहां पुनःखरीदी मूल्य / बाजार कोट उपलब्ध नहीं हो तो, यूनिटों का मूल्यांकन एनएवी पर अथवा लॉक–इन अवधि की समाप्ति तक की लागत पर किया जाता है।

viii. 23.08.2006 के बाद किये गये जोखिम पूंजी निधियों (वीसीएफ) / वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) के यूनिटों में निवेश, 3 सालों की प्रारंभिक अवधि के लिए एचटीएम श्रेणी में वर्गीकृत होते है एवं इनका लागत पर मूल्यांकन किया जाता है। संवितरण की तारीख से 3 सालों के समय के बाद, यह एएफएस में परिवर्तित किया जाएगा और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बाजार के लिए अंकित किया जाएगा।

ix. विदेशी शाखाओं के निवेश के संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश या मेजबानी देश के दिशानिर्देश, जो भी ज्यादा कठोर हैं, का पालन किया जाएगा। ऐसे देशों में स्थित शाखाओं के मामले में, जहाँ कोई दिशानिर्देश विनिर्दिष्ट नहीं किए गए हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन किया जाए।

4.4. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशानुसार अनर्जक निवेश (एनपीआई) की पहचान निम्नलिखित रूप में किया गया है :

- प्रतिभूतियाँ / असंचयी अधिमानी शेयर जिनमें ब्याज / नियत लाभांश / किस्त (परिपक्वता राशि को मिलाकर) देय है तथा 90 दिन की अवधि से अधिक समय तक उसका भुगतान नहीं किया गया है।
- अगर बैंक से जारीकर्ता द्वारा प्राप्त कोई ऋण सुविधा को गैर–निष्पादित अग्रिम माना गया है, तो उसी जारीकर्ता द्वारा जारी की गई किसी भी प्रतिभूति जिसमें अधिमानी शेयर शामिल है, में निवेश को एनपीआई के रूप में माना जाएगा और इसके विपरीत। हालांकि, अगर केवल अधिमानी शेयरों को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो उसी जारीकर्ता द्वारा जारी की गई अन्य निष्पादित प्रतिभूतियों में निवेश को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है और उस उधारकर्ता को दी गई किसी भी निष्पादित ऋण सुविधाओं को एनपीए के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।
- केन्द्रीय सरकार की गारंटी प्राप्त निवेशों के अतिदेय होने पर भी उन्हें तभी एनपीए माना जाएगा जब गारंटी लागू की जाने पर सरकार उसका निराकरण करती है।
- यदि ब्याज / मूल किस्त (परिपक्ता संप्राप्तियों को शामिल करते हुए) अथवा बैंक को देय अन्य कोई राशि, 90 दिनों से अधिक के लिए अदत्त बनी रहती हो, तो राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत प्रतिभूतियों में निवेश को, जोकि ''माने गए अग्रिमों' के रूप में हैं, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदंडों के अध्यधीन रखा जाता है।
- इक्विटी निवेश, एनपीआई के रूप में वर्गीकृत, शेयरों को बाजार मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता हैं। अगर उद्धृत किया गया है और यदि इसे उद्धृत नहीं किया गया है के मामले में, तो शेयरों का मूल्य प्रति कंपनी ₹ 1/– होता है।

4.5. प्रतिभूतियों की लागत में से दलाली / कमीशन / अंशदानों पर प्राप्त प्रोत्साहन को घटा दिया जाता है। प्रतिभूतियों के अर्जन के संबंध में अदा की गयी दलाली / कमीशन / स्टांप शुल्क को राजस्व व्यय माना जाता है।

4.6. व्यापार के लिए ब्याज दर स्वैप लेनदेनों को तिमाही आधार पर बाजार को अंकित किए जाते हैं। कुल अदला–बदलियों के उचित मूल्य का आकलन, तुलन–पत्र की तारीख पर अदला–बदली करारों को समाप्त किए जाने पर प्राप्त / प्राप्य या प्रदत्त / प्रदेय राशि के आधार पर किया जाएगा। इससे होनेवाली हानियों के लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है, जबकि लाभ यदि हो, पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

4.7. एक्सचेंज कारोबार विदेशी विनिमय डेरिवेटिव यानी मुद्रा वायदे का मूल्यांकन एक्सचेंज द्वारा निर्धारित मूल्यों पर किया जाता है और परिणामी लाभ और हानि की पहचान लाभ और हानि लेखे में की जाती हैं।

4.8. एफसीएनआर (बी) डॉलर जमाओं के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के विनिमय स्वैप की सुविधा की शुरुआत में उत्पन्न होनेवाले प्रीमियम / ब्याज, स्वैप अनुबंध की अवधि के दौरान खर्च के रूप में परिशोधित किया जाता है।

4.9. निवेश की कीमत के निर्धारण प्रत्येक वर्ग में भारित औसत कीमत पद्धति के आधार पर किया जाता है। एचटीएम के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों को भारित औसत कीमत पद्धति के तहत प्राप्त अधिग्रहण कीमत के आधार पर ले लिया गया है तथा भारित औसत कीमत के अंकित मूल्य से अधिक होने की स्थिति में प्रीमियम को केवल शेष परिपक्वता अवधि हेतु परिशोधित कर दिया जाता है।

रेपो एवं रिवर्स रेपो लेनदेनों के लिए लेखाकरण

- भारिबैंक के दिशानिर्देशानुसार तरलता समायोजन सुविधाएं (एलएएफ), परिवर्तनीय दर अवधि प्रचालन तथा एमएसएफ एवं मार्केट रेपों लेन–देनों को शामिल करते हुए भारिबैंक के साथ सभी प्रकार के रेपो / रिवर्स रेपो लेनदेनों का हिसाब रखा जाता है।
- रेपो / रिवर्स रेपो के तहत बेची गई और खरीदी गई प्रतिभूतियों को त्रिपक्षीय रेपो के रूप में लिया जाता हैं जिसमें, प्रतिभूतियों को सामान्य एकमुश्त बिक्री / खरीद लेनदेनों के मामले में अंतरित किए जाते हैं और इस प्रकार के प्रतिभूति के उतार –चढ़ाव, रेपो / रिवर्स रेपो खातों और प्रति–प्रविष्टियों के प्रयोग से परिलक्षित होता है। उपरोक्त प्रविष्टियाँ परिपक्वता की तारीख पर प्रतिवर्तित हो जाती है। मामले के आधार पर लागत एवं राजस्व को ब्याज व्यय/आय के रूप में लिया जाएगा। रेपो खाते में शेष, अनुसूची 4 (उधार) के तहत वर्गीकृत है और रिवर्स रेपो खाते में शेष, अनुसूची 7 (बैंकों में शेष एवं मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि) के तहत वर्गीकृत है।

5. पुनर्निर्माण कंपनियों (आरसी) को बेची गई वित्तीय आस्तियाँ :

5.1. प्रतिभूतिकरण कंपनियों / पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा, उन्हें बेची गई वित्तीय आस्तियों के संबंध में जारी की गई प्रतिभूति रसीदों को उनके प्रतिदेय मूल्य और वित्तीय आस्तियों के निवल बही मूल्य, से कम स्तर पर मूल्यांकित किया जाता है। प्रतिभूतिकरण रसीद को निम्न पर मूल्यांकित किया जाता है

(ए) दिनांक 01.04.2017 से पहले एसआर / आरसी जारी किए गए प्रतिभूति रसीद को परिसम्पत्ति पुनर्निमाण कंपनी द्वारा तुलन पत्र के दिनांक पर घोषित निवल परिसंपत्ति मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है और मूल्यह्रास होने पर उसके लिए प्रावधान किया जाता है तथा मूल्यवृद्धि होने पर उसपर ध्यान नहीं दिया जाता।

(बी) 01 अप्रैल 2017 के प्रभाव से आरबीआई द्वारा जारी किए गए संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार एसआर पर प्रावधान की आवश्यकता निम्न बिन्दुओं से अधिक होगी।

(i) एससी / आरसी द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य के संदर्भ में प्रावधान दर

(ii) अंतर्निहित ऋण पर लागू होने वाली प्रावधान दर, यह मानते हुए कि ऋण बैंक की बही में निरंतर जारी रहा है

5.2. आरसी को बेची गयी वित्तीय आस्तियों के मामले में उनका मूल्यांकन और आय की पहचान, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। अगर बिक्री मूल्य, निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम है (यथा, बही मूल्य से रखे गये प्रावधान घटाने के बाद का मूल्य) तो भारतीय रिजर्व बैंक के विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार उससे होनेवाली कमी को लाभ व हानि खाते में नामे डाला जाएगा या रखी गयी अस्थायी प्रावधान का प्रयोग करते हुए इसका समंजन किया जाएगा।

यदि प्राप्त नकदी (आरंभिक प्रतिफल और / या प्रतिभूति रसीदों के मोचन के जरिए) आरसी को बेची गई अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के निवल बही मूल्य से अधिक होती है तो अतिरिक्त प्रावधान को लाभ एवं हानि खाते में प्रत्यावर्तित किया जाता है। लाभ एवं हानि खाते में प्रत्यावर्तित किए गए अतिरिक्त प्रावधान की प्रमात्रा उस सीमा तक सीमित है जिस सीमा तक प्राप्त नकदी बेची गई अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के निवल बही मूल्य से अधिक होती है।

6. अग्रिम

6.1. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार भारत में अग्रिमों को उधारकर्ता–वार मानक, अव–मानक, संदिग्ध और हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

6.2 अनर्जक अग्रिमों के लिए प्रावधान नियामक आवश्यकताओं के अनुसार इस प्रकार किए गए हैं;

ए) अवमानक :

i) कुल बकाया पर 15% का सामान्य प्रावधान

ii) प्रकटीकरण हेतु 10% अतिरिक्त प्रावधान जो प्रारम्भ से ही अरक्षित हैं। (अर्थात, जहां प्रतिभूतियों का वास्तविक मूल्य प्रारम्भ से ही 10% से अधिक नहीं है)

बी) संदिग्ध संवर्ग – 1 :

i) सुरक्षित भाग के लिए 25%

ii) अरक्षित भाग के लिए 100%

सी) संदिग्ध संवर्ग – 2 :

i) सुरक्षित भाग के लिए 40%

ii) अरक्षित भाग के लिए 100%

डी) संदिग्ध वर्ग– 3 एवं हानि अग्रिम – 100%

- पुनर्गठित / पुनर्संरचित मानक अग्रिम सहित मानक अग्रिमों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार प्रावधान किया जाता है।
- विदेशी शाखाओं के मामले में ऋण हानियों के लिए आय–निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधान, स्थानीय आवश्यकताओं अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों में से जो भी अधिक सख्त हो, के अनुसार किया जाता है।

 आगे, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये विनियमों के संबंध में अगर कोई आस्ति को बैंक के समुद्रपार बही में किसी भी समय गैर–निष्पादित आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाना है तो बैंक द्वारा ऋणकर्ता को प्रदान की गई सभी सुविधाओं तथा ऋणकर्ता द्वारा जारी की गयी सभी प्रतिभूतियों में निवेश को एनपीए / एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

 तथापि मेजबान विनियामकों द्वारा खातों को वसूली से अन्य कारणवश गैर निष्पादित / बाधित आस्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो भारत में वित्तीय विवरणियों के समेकन करते समय, उन्हें एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा तथा

आवश्यकतानुसार प्रावधान किया जाएगा, जबकि उसी प्रतिपक्षकारों को अन्य क्षेत्राधिकार में (भारत को सम्मिलत कर) प्रदत्त अन्य ऋण एक्स्पोजर के संबंध में आस्ति वर्गीकरण, संबंधित क्षेत्राधिकार में विद्यमान दिशानिर्देशों से अधिशासित होगा।

- प्रकट किये गए अग्रिम, गैर–निष्पादित आस्तियों, डीआईसीजीसी / ईसीजीसी / सीजीटीएमएसई से प्राप्त तथा समायोजन हेतु लंबित रखे गए दावों, विविध खाते में प्राप्त और रखी गई चुकौतियों, सहभागिता प्रमाण–पत्रों एवं पुनः भुनाये गये मियादी बिलों के लिए किए गए प्रावधानों और मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत पुर्नगठित खातों के उचित मूल्य में अधित्याग के बदले प्रावधान के बाद निवल हैं।

7. अचल आस्तियाँ / मूल्यह्रास

7.1. अचल संपत्तियों को लागत / पुनर्मूल्यांकन राशि घटाकर संचित मूल्यह्रास / परिशोधन किया जाता है।

7.2. लागत में खरीद की लागत और सभी व्यय जैसे साइट की तैयारी, स्थापना लागत और परिसंपत्ति का उपयोग करने से पूर्व उनपर व्यय किए गए वृत्तिक शुल्क शामिल है। उपयोग में आने वाली परिसम्पत्तियों पर किए गए बाद के व्यय का पूंजीकरण तभी किया जाता है जब यह ऐसी परिसंपत्तियां उनकी कार्य क्षमता पर भविष्य के आर्थिक लाभ को बढ़ाती है।

7.3. भारत में इमारतों का मूल्यह्रास (जमीन की लागत सहित जहां अविभाज्य / अलग नहीं है) और अन्य अचल संपत्तियों को स्ट्रेट लाइन पद्धति से दरों / उपयोग की गयी समय–सीमा के आधार पर किया जाएगा, जैसा कि नीचे वर्णित है :

क्रं. सं.	अचल आस्तियों का मूल्यह्रास	मूल्यह्रास की दर / उपयोग की गयी समय–सीमा
1.	कंप्यूटर	33.33% प्रतिवर्ष
2.	ऐसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर का एक अभिन्न अंग हैं।	33.33% प्रतिवर्ष
3.	ऐसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लागत का एक अभिन्न अंग नहीं हैं ।	33.33% प्रतिवर्ष
4.	ऑटोमेटेड टेलर मशीन / कैश डिपॉजिट मशीन / क्वाइन वेंडिंग मशीन	20.00% प्रतिवर्ष
5.	सर्वर	33.33% प्रतिवर्ष
6.	नेटवर्क उपकरण	20.00% प्रतिवर्ष
7.	अन्य अचल आस्तियां	आस्तियों के प्रमुख समूह का उपयोग करने की अनुमानित समय–सीमा निम्नानुसार है: परिसर : 60 वर्ष तिजोरियां / लॉकर / दरवाजे (स्टील) : 20 वर्ष वाहन : 5 वर्ष फर्नीचर एवं फिक्स्चर : 10 वर्ष मोबाइल फोन : 1 वर्ष

7.4. वर्ष के दौरान बेची गई / अर्जित की गई संपत्तियों के संबंध में, वर्ष के दौरान पूंजीकरण की तारीख से / संपत्ति के उपयोग की गयी समय–सीमा के लिए आनुपातिक आधार पर मूल्यह्रास किया जाएगा।

7.5. ₹ 5000/– तक की संपत्ति का पूरी तरह से मूल्यह्रास उसी वर्ष किया जाएगा जिस वर्ष उसे खरीदा गया हो।

7.6. पुनर्मूल्यांकन के समय मूल्यांकित की गई परिसंपत्ति को उसके उपयोग हेतु शेष समय–सीमा के आधार पर मूल्यह्रास किया जाएगा ।

पुनर्मूल्यांकन के कारण परिसंपत्ति के शुद्ध बही मूल्य में वृद्धि को लाभ और हानि खाते के माध्यम से रूट किए बिना पुनर्मूल्यांकन हेतु रिजर्व खाते में जमा किया जाएगा। आईसीएआई द्वारा जारी संशोधित एएस 10 के अनुसार, पुनर्मूल्यांकन घटक से संबंधित मूल्यह्रास को राजस्व व्यय के तहत प्रभारित किया जाएगा और एक समतुल्य राशि सीधे पुनर्मूल्यांकन रिजर्व के विरुद्ध प्रभारित किया जाएगा तथा आईसीएआई द्वारा जारी संशोधित एएस 10 के अनुसार राजस्व रिजर्व में जमा किया जाएगा।

7.7. उन आस्तियों के मामले में जहां सरकार से सब्सिडी प्राप्त होता है, उसको तत्संबंधित आस्ति खाता में जमा किया जाता है और तदनुसार मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है।

7.8. पट्टेवाली भूमि पर प्रीमियम, अधिग्रहण के वर्ष में पूंजीकृत किया जाता है और पट्टे की अवधि पर परिशोधित किया जाता है।

7.9. विदेशी शाखाओं की अचल आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास की व्यवस्था उन देशों में प्रचलित पद्धतियों के अनुसार की जाती है।

7.10. गैर–बैंकिंग आस्तियों (एनपीए) के संबंध में कोई मूल्यह्रास प्रभारित नहीं किया जाता है।

8. राजस्व पहचान

8.1. आय और व्यय को, जब तक अन्यथा नहीं कहा जाए, सामान्यतः संचयी आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

8.2. गैर–निष्पादक आस्तियों, सरकार द्वारा गारंटीकृत आस्तियों (जो 90 दिनों से ज्यादा अतिदेय हैं) लाभांश आय, बीमा दावे, जारी किये गये साख–पत्रों / गारंटियों पर कमीशन (परियोजना वित्त से इतर), बैंक एश्यूरेन्स उत्पादों पर आय, धन प्रबंधन पर आय, खरीदे गए बिलों पर अतिरिक्त ब्याज / अतिदेय प्रभार, क्रेडिट कार्डों पर वित्तीय प्रभार, पुनः क्षतिपूरित करने के बैंक के अधिकार पर व्यय, डेबिट कार्डों पर एएमसी प्रभार आदि को उनकी वसूली होने पर हिसाब में लिया गया है और प्राप्त किए गए लॉकर किराया उपचय आधार पर लेखांकित किया जाता है।

8.3. अतिदेय विदेशी बिलों के मामले में, ब्याज और अन्य प्रभारों को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) के दिशानिर्देशों के अनुसार किस्ट्रलीकरण की तारीख तक माना गया है।

9. क्रेडिट कार्ड पुरस्कार प्वाइंटस

कार्ड सुविधा के उपयोग पर कार्ड सदस्यों द्वारा अर्जित पुरस्कार प्वाइंटों को इस प्रकार के उपयोग के कारण व्यय के रूप में पहचाना जाता है।

10. निवल लाभ / हानि

निम्नलिखित पर विचार करने के पश्चात् लाभ व हानि लेखे में दर्शाया गया परिणाम :

- गैर निष्पादक अग्रिमों और / अथवा निवेशों के लिए प्रावधान
- मानक अग्रिमों पर सामान्य प्रावधान
- पुनः संरचित अग्रिमों हेतु प्रावधान
- अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान
- निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान
- आकस्मिकता निधि को / से अंतरण

- प्रत्यक्ष करों के लिए प्रावधान
- अरक्षित विदेषी मुद्रा एक्सपोजर के लिए प्रावधान
- सामान्य अथवा / और अन्य आवश्यक प्रावधान

11. स्टाफ सेवानिवृत्ति लाभ

i) भविष्य निधि

भविष्य निधि एक वैधानिक दायित्व है और अंशदायी भविष्य निधि का विकल्प चुननेवालों के मामले में बैंक पूर्वनिर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान अदा करता है। ऐसे निश्चित अंशदान की राशि तक ही बैंक का दायित्व सीमित है। इन अंशदानों को लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है। निधि का प्रबंध इंडियन बैंक स्टाफ भविष्य निधि न्यास द्वारा किया जाता है ।

ii) उपदान

इंडियन बैंक कर्मचारी उपदान निधि नियमों एवं विनियमनों के अनुसार उपदान देयता एक वैधानिक दायित्व है और वित्तीय वर्ष के अंत में किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर इसके लिए प्रावधान किया जाता है। बैंक द्वारा उपदान देयता का निधीयन किया जाता है और इसका प्रबंध इंडियन बैंक कर्मचारी उपदान निधि न्यास द्वारा किया जाता है।

iii) पेंशन

- इंडियन बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियमन 1995 के तहत पेंशन देयता एक परिभाषित लाभकारी दायित्व है तथा 31.03.2010 तक बैंक में भर्ती हुए और पेंशन का विकल्प देनेवाले कर्मचारियों को यह बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की जाती है।
- नई पेंशन योजना (एनपीएस) जो उन कर्मचारियों पर लागू होती है, जिनकी भर्ती बैंक में 01.04.2010 के बाद हुई है और यह एक परिभाषित अंशदान योजना है। एनपीएस के अंतर्गत बैंक पूर्व निर्धारित दर पर एक निश्चित अंशदान अदा करता है और बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित अंशदान तक सीमित है। इस अंशदान को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

iv) क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ

संचित क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ, जैसे विशेषाधिकार अवकाश और चिकित्सा अवकाश, के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया जाता है।

v) अन्य कर्मचारी सुविधाएँ

अन्य कर्मचारी सुविधाएँ जैसे छुट्टी यात्रा रियायत और सेवानिवृत्ति पर अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ, बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध करवाए जाते हैं। समुद्रपारीय शाखाओं एवं कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति के अलावा कार्यरत कर्मचारियों से संबन्धित लाभ तत्संबंधी कार्याधिकार क्षेत्रों के कानून के तहत मूल्यांकित एवं लेखाबद्ध किए जाते हैं।

12. पट्टे हेतु लेखांकन

परिचालनगत पट्टों पर ली गई आस्तियों हेतु पट्टा भुगतानों की कीमत वृद्धि सहित पट्टा अवधि या आस्ति की अवधि, भी जो कम हो, के दौरान लाभ व हानि खाते में अभिज्ञात किये जाते हैं।

13. आकस्मिक देयताएं और प्रावधान :

13.1. आकस्मिक देयता : पहले किए गए क्रियाकलापों को जिनसे वर्तमान में संभाव्य बाध्यताएं हो सकती हैं, निम्न दशाओं में आकस्मिक देयता के रूप में पहचाने जाते हैं, जहां :

ए) ऐसी बाध्यताओं का अस्तित्व पुष्टिकृत नहीं किया गया है।

बी) ऐसी बाध्यताओं के निपटारे के लिए संसाधनों का बाहरी प्रवाह अपेक्षित नहीं है।

सी) बाध्यताओं की राशि का एक विश्वसनीय आकलन नहीं किया जा सकता है।

डी) ऐसी राशियाँ भौतिक नहीं हैं।

13.2. ए) वर्तमान बाध्यताओं के मामले में, जहाँ विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है और / या जहाँ बहुत छोटे दावों को छोड़कर बाध्यताओं का निपटान करने के लिए आर्थिक लाभों का त्याग करते हुए संसाधनों का बाहरी प्रवाह होने की संभावना है, प्रावधान की पहचान की जाती है।

बी) बाजार जोखिम, देश–विशेष की जोखिम आदि के लिए प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार किए जाते हैं।

सी) बैंक प्रबंधन द्वारा अभिपहचानित रूप से फ्लोटिंग प्रावधान की व्यवस्था की जाती है।

भारिबैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार अस्थायी प्रावधान का उपयोग निम्न मदों के लिए किया जा सकता है।

(i) गैर–निष्पादित आस्तियों के लिए विशिष्ट प्रावधान रखना

(ii) गैर–निष्पादित आस्तियों में बिक्री में होनेवाली कमी की पूर्ति करना

14. आस्तियों का अनर्जक होना :

अचल आस्तियों (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित) के संबंध में आस्तियों की हानि यदि कोई हो, लेखा मानक 28 "आस्तियों का अनर्जक होना" के अनुरूप पहचानी जाती है और उन्हें लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है। तथापि, पुनर्मूल्यांकित आस्ति पर अनर्जक हानि को उस आस्ति के लिए रखी गयी पुनर्मूल्यांकित अधिशेष राशि के तहत अभिज्ञानित किया जाता है जबतक उसी आस्ति के लिए पुनर्मूल्यांकित अधिशेष राशि में रखी गयी राशि अनर्जक आस्ति से अधिक न हो।

15. आय पर कर

15.1. वर्तमान कर एवं आस्थगित कर दोनों के लिए कर हेतु प्रावधान किया जाता है।

15.2. वर्तमान कर का मापन, कर प्राधिकारियों को अदा की जानेवाली प्रत्याशित राशि के अनुसार लागू कर दरों, कर कानूनों एवं अनुकूल न्यायिक फैसलों / विधिक राय का प्रयोग करते हुए किया जाता है।

15.3. समय में अंतर के कारण उत्पन्न होनेवाली आस्थगित कर आस्तियां एवं देयताएं, जोकि आनेवाली अवधियों में रिवर्सल की क्षमता रखती हो, की पहचान, तुलन–पत्र की तिथि तक लागू कर दर या बाद में लागू किए गए कर दरों का प्रयोग करते हुए की जाती है। आस्थगित कर आस्तियों की पहचान शेष असंगत मूल्यह्रास तथा कर घाटे पर की जाती है, यदि केवल "वर्चुअल निश्चितता" है तथा अन्यों के संबंध में, यदि पर्याप्त भविष्य कर योग्य आय उपलब्ध होगी, जिससे ऐसी आस्थगित कर आस्तियाँ उगाही जाएंगी।

अनुसूची 18–स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों से संबद्ध लेखों पर टिप्पणियाँ (2021–22)

1. विनियामक पूँजी

ए. विनियामक पूँजी के घटक

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	2021-22	2020-21
I)	सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1)	38725.15	33608.94
ii)	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	1980.00	1980.00
iii)	टियर 1 पूंजी (i + ii)	40705.15	35588.94
iv)	टियर 2 पूंजी	10394.93	11255.87
v)	कुल पूंजी (टियर 1+टियर 2)	51100.08	46844.81
vi)	कुल जोखिम–भारित आस्तियां (आरडब्ल्यूए)	308937.61	298096.60
vii)	सीईटी 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत स्वरूप सीईटी 1)	12.53%	11.27%
viii)	टियर 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत स्वरूप टियर 1 पूंजी)	13.17%	11.93%
ix)	टियर 2 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत स्वरूप टियर 2 पूंजी)	3.36%	3.78%
x)	जोखिम–भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत स्वरूप कुल पूंजी)	16.53%	15.71%
xi)	लीवरेज अनुपात	5.64%	4.71%
xii)	भारत सरकार के शेयरधारिता का प्रतिशत	79.86%	88.06%
xiii)	वर्ष के दौरान जुटाई गई प्रदत्त ईक्विटी पूंजी की राशि	116.07**	-
xiv)	वर्ष के दौरान जुटाई गई गैर–ईक्विटी टियर 1 पूंजी की राशि, जिसमें से : बेसल III अनुवर्ती स्थायी ऋण लिखतें	– –	2000.00 2000.00
xv)	जुटाई गई अतिरिक्त टियर 2 पूंजी की राशि; जिसमें से	–	2000.00
	बेसल III अनुवर्ती ऋण पूंजी की लिखत :	–	2000.00

नोट: ** वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, बैंक ने पात्र संस्थानों के रुपये 142.15 प्रति इक्विटी शेयर के निर्गम मूल्य सहित रुपये 132.15 प्रति इक्विटी शेयर के प्रीमियम पर प्लेसमेंट के माध्यम से रूपये 1650 करोड़ की इक्विटी पूंजी जुटाई है। क्यूआईपी के तहत रुपये 10 के अंकित मूल्य के 11,60,74,569 नए इक्विटी शेयरों के आवंटन के बाद, बैंक के कुल प्रदत्त शेयर 112,93,66,570 से बढ़कर 12,54,41,139 हो गए।

बी. आहरण द्वारा प्रारक्षित निधि में गिरावट

(राशि ₹ करोड़ में)

आरक्षित निधियां	आहरण की गई राशि		प्रयोजन
	2021-22	2020-21	
रिजर्व का पुनर्मूल्यन	143.42	142.87	परिसर पर पुनर्मूल्यांकित भाग पर मूल्यह्रास

* वर्ष 2021–22 के लिए, राशि को एएस10 मानकों के प्रावधानों के अनुसार राजस्व आरक्षित खाते में जमा किया गया था।

2. आस्ति देयता प्रबंधन

ए. यथास्थिति 31 मार्च 2022 को संपत्ति और देनदारियों की कतिपय वस्तुओं की परिपक्वता पैटर्न (राशि ₹ करोड़ में)

	1 दिन	2 से 7 दिन	8 से 14 दिन	15 से 30 दिन	31 दिन से 2 महीनों तक	2 महीनों से 3 महीनों तक	3 महीनों से अधिक तथा 6 महीनों तक	6 महीनों से अधिक तथा 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक तथा 3 वर्षों तक	3 वर्षों से अधिक तथा 5 वर्षों तक	5 वर्षों से अधिक	कुल
जमाएं	5027.27	16470.30	13487.73	19073.00	23215.33	28660.05	33662.81	42308.15	68964.57	57032.74	285715.86	593617.81
अग्रिम	4642.20	5075.71	6169.22	8684.51	16889.71	14524.67	21851.45	39896.86	149150.18	63129.76	59171.80	389186.06
निवेश*	26398.06	13503.04	10208.16	11382.52	2743.67	2473.02	5739.99	8325.67	16308.61	10904.50	66133.45	174120.69
उधार	343.45	0.00	322.53	0.00	330.83	322.53	1059.18	2270.40	6495.40	6000.00	0.00	17144.31
विदेशी मुद्रा आस्तियां	93.92	489.51	185.98	1077.07	2035.72	2068.64	703.42	1918.42	2626.06	595.55	474.27	12268.56
विदेशी मुद्रा देयताएं	1148.89	268.65	833.27	2274.80	4967.23	6219.16	2280.30	1138.91	1747.82	1832.35	136.62	22848.00

* ₹ 437.90 करोड़ के सूचीबद्ध ईक्विटी के 50 प्रतिशत को छोड़कर

बी. चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) (राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	पैरामीटर	तिमाही1:2021–22		तिमाही2:2021–22		तिमाही3:2021–22		तिमाही4:2021–22	
		कुल गैर–भारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल गैर–भारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल गैर–भारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल गैर–भारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियां									
1	कुल उच्च गुणवता की तरल आस्तियां (एचक्यूएलए)		151115.13		158314.12		166095.81		158132.09
नकदी का बाह्य प्रवाह									
2	खुदरा जमा और लघु कारोबारी ग्राहकों की जमाएं जिसमें सेरू	261631.96	24395.04	261491.42	24468.63	259700.32	24317.89	267083.83	19817.54
(I)	स्थिर जमाएं	35363.07	1768.15	33610.17	1680.51	33042.90	1652.14	137816.80	6890.84
(ii)	अल्प स्थिर जमाएं	226268.88	22626.89	227881.24	22788.12	226657.43	22665.74	129267.03	12926.70
3	असुरक्षित थोक फंडिंग जिनमें से	166998.38	79476.66	167413.72	77874.98	175592.63	80940.41	177327.36	85519.68
(I)	परिचालन जमाएं (सभी प्रतिपक्षकार)	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	गैर–परिचालन जमाएं (सभी प्रतिपक्षकार)	166105.86	78584.17	166629.94	77091.20	174712.24	80060.02	176149.35	84341.67
(iii)	आरक्षित ऋण	892.48	892.48	783.78	783.78	880.39	880.39	1178.01	1178.01
4	सुरक्षित थोक फंडिंग		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
5	अतिरिक्त अपेक्षाएं, जिसमें से	65030.23	26984.14	69281.45	25247.90	73874.84	29217.54	66874.64	33508.37
(I)	डेरिवेटिव एक्सपोजर और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्वाह	23353.29	23353.29	20941.21	20941.21	24941.11	24941.11	29814.25	29814.25
(ii)	ऋण उत्पादों पर धन की हानि से संबंधित बहिर्वाह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	ऋण और चलनिधि सुविधाएं	41676.94	3630.85	48340.24	4306.69	48933.72	4276.43	37060.39	3694.12
6	अन्य संविदात्मक वित्त पोषण दायित्व	1911.55	1911.55	3418.20	3418.20	2938.19	2938.19	3626.74	3626.74
7	अन्य आकस्मिक वित्तपोषण दायित्व	36846.99	1105.41	36662.27	1099.87	37690.08	1130.70	33176.14	995.28
8	**कुल नकद बहिर्वाह**		**133872.80**		**132109.58**		**138544.74**		**143467.62**

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	पैरामीटर	तिमाही1:2021–22		तिमाही2:2021–22		तिमाही3:2021–22		तिमाही4:2021–22	
		कुल गैर–भारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल गैर–भारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल गैर–भारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल गैर–भारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
नकदी का अंतर्वाह									
9	सुरक्षित उधार (यथा प्रतिवर्ती रेपो)	3103.51	0.00	12358.16	0.00	22202.84	0.00	35061.67	0.00
10	पूर्णनिष्पादित एक्सपोजर से अंतर्वाह	39887.37	21630.17	39837.22	22571.91	37918.61	20029.39	34474.46	18673.44
11	अन्य नकदी प्रवाह	30487.92	28197.40	28051.85	25714.99	30908.97	28846.68	42438.47	37813.47
12	**कुल नकद अंतर्वाह**	**73478.80**	**49827.57**	**80247.22**	**48286.90**	**91030.42**	**48876.07**	**111974.60**	**56486.91**
			कुल समायोजित मूल्य		कुल समायोजित मूल्य		कुल समायोजित मूल्य		कुल समायोजित मूल्य
13	**कुल एचक्यूएलए**		**151115.13**		**158314.12**		**166095.81**		**158132.09**
14	**कुल शुद्ध नकद बहिर्वाह**		**84045.23**		**83822.67**		**89668.66**		**86980.71**
15	**चलनिधि कवरेज अनुपात**		**179.80%**		**188.87%**		**185.23%**		**181.80%**

नोटः * औसत भारित और गैर–भारित राशियों की गणना संबंधित तिमाही के लिए दैनिक टिप्पणियों के आधार पर साधारण औसत को समाहित करते हुए की जाती है।

गैर–भारित मूल्यों की गणना 30 दिनों (अंतर्वाह और बहिर्वाह के लिए) के भीतर परिपक्व या कॉल करने योग्य बकाया शेष राशि के रूप में की जाती है, सिवाय जहां अन्यथा परिपत्र और एलसीआर टेम्पलेट में उल्लिखित है।

संबंधित मार्जिन (एचक्यूएलए के लिए) या अंतर्वाह और बहिर्वाह दर (अंतर्वाह और बहिर्वाह नकदी के लिए) के उपयोग के बाद भारित मूल्यों की गणना की जाती है।

समायोजित मूल्यों की गणना (i) मार्जिन एवं अंतर्वाह और बहिर्वाह दरें और (ii) लागू अन्य कैप्स (अर्थात एचक्यूएलए के लिए लेवल 2बी और लेवल 2 आस्तियों पर कैप एवं अंतर्वाह पर कैप) दोनों के प्रयोग के बाद की जाती है।

यह सुनिश्चित करने के पश्चात कि एलसीआर में अधिकतम तनावग्रस्त आस्तियों को बनाए रखने की 30 दिनों की पर्याप्त उच्च गुणवत्ता के तरल संसाधन हैं, बैंक के चलनिधि जोखिम प्रोफाइल के अल्पकालिक लचीलेपन को बढ़ावा देने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार वित्त वर्ष 2021–22 के लिए दैनिक आधार पर एलसीआर की न्यूनतम आवश्यकता 100% है। एलसीआर को आकलन करने की पद्धति आरबीआई द्वारा समय–समय पर अद्यतन किए गए दिशानिर्देशों पर आधारित है।

इस एलसीआर की गणना उच्च गुणवत्ता की तरल अप्रभावित आस्तियों (एचक्यूएलए) की मात्रा को तीस कैलेंडर दिनों की अवधि में अनुमानित शुद्ध बहिर्वाह से विभाजित करके की जाती है। शुद्ध नकदी बहिर्वाह की गणना आरबीआई द्वारा निर्धारित बहिर्वाह कारकों को विभिन्न श्रेणियों की देनदारियों (जमाएं जैसे खुदरा, लघु कारोबारी ग्राहक (जमाएं ₹ 7.50 करोड़ तक), असुरक्षित और सुरक्षित थोक उधार) साथ ही साथ अनाहरित स्वीकार्य राशियों और तीस दिनों के भीतर परिपक्व होने वाली आस्तियों के अंतर्वाह द्वारा आंशिक रूप से प्रतितुलित डेरिवेटिव से संबंधित एक्सपोजर में उपयोग करके की जाती है।

बैंक ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही के दौरान औसत एचक्यूएलए ₹ 158132.09 करोड़ (मार्जिन के बाद) बनाए रखा। एचक्यूएलए में मुख्य रूप से एसएलआर प्रतिभूतियां शामिल है, जो न्यूनतम वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) की अपेक्षाओं से अधिक हैं एवं सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के तहत सीमा से अधिक अपेक्षा की और एलसीआर (एफएलएलसीआर) के लिए तरलता प्राप्त करने की सुविधा अनुमत है। इसके अतिरिक्त, आरबीआई और विदेशी केंद्रीय बैंकों के पास नकदी आरक्षित आवश्यकता से अधिक नकद शेष राशि लेवल 1 एचक्यूएलए का हिस्सा है। 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही के लिए भारतीय बैंक का दैनिक औसत एलसीआर 181.80% था।

बैंक की तरलता की जरूरतों को हर समय पूरा करने के लिए बैंक के एलसीआर के मुख्य चालक पर्याप्त उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियां (एचक्यूएलए) हैं। भारित नकद बहिर्वाह मुख्य रूप से असुरक्षित थोक फंडिंग द्वारा संचालित होता है, जिसमें कुल भारित नकदी बहिर्वाह का योगदान 59.61% था। लघु कारोबारी ग्राहकों की जमाएं सहित खुदरा जमाएं कुल भारित नकदी बहिर्वाह का 13.81% था। अन्य आकस्मिक फंडिंग दायित्वों में मुख्य रूप से बैंक गारंटी (बीजी) और बैंक के ग्राहकों की ओर से जारी किए गए ऋण पत्र (एलसी) शामिल हैं।

यथास्थिति 31.03.2022 को बैंक का एक महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष (जमा / उधार) है, जो कुल जमाओं का 1.27% है। 31.03.2022 तक शीर्ष 20 बड़े घरेलू जमाकर्ताओं का योगदान कुल जमाओं का 6.69% है। महत्वपूर्ण घरेलू उत्पाद / लिखतों में बचत जमा, चालू जमा और सावधि जमा शामिल हैं, जो बैंक की कुल देनदारी का क्रमशः 31.44%, 5.47% और 51.47% है, जिसका फंडिंग व्यापक है एवं बैंक के लिए जोखिम केंद्रित नहीं है।

सी. निवल स्थिर निधि अनुपात (एनएसएफआर)

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.		31.12.2021					31.03.2022				
		अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा गैर–भारित मूल्य					अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा गैर–भारित मूल्य				
		अपरिपक्व*	< 6 महीनों	6 महीनों से < 1 वर्ष तक	≥ 1 वर्ष	भारित मूल्य	अपरिपक्व*	< 6 महीनों	6 महीनों से < 1 वर्ष तक	≥ 1 वर्ष	भारित मूल्य
एएसएफ मद											
1	पूंजी : (2+3)	39853.48	0.00	0.00	8380.00	48233.48	44062.22	0.00	0.00	8080.00	52142.22
2	नियामक पूंजी	39853.48	0.00	0.00	8380.00	48233.48	44062.22	0.00	0.00	8080.00	52142.22
3	अन्य पूंजी लिखतें	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	खुदरा जमाएं और लघु कारोबारी ग्राहकों की जमाएं: (5+6)	179557.90	71882.04	70536.93	52567.02	351300.44	184908.11	73404.57	67261.82	54427.59	356530.25
5	स्थिर जमाएं	115906.39	27049.45	36128.90	20703.01	190833.52	119522.60	27985.92	34203.85	21217.20	193843.95
6	अल्प स्थिर जमाएं	63651.51	44832.59	34408.03	31864.01	160466.92	65385.52	45418.65	33057.96	33210.39	162686.31
7	थोक फंडिंग: (8+9)	54988.48	74936.84	44479.07	13584.79	100786.99	63018.08	98323.83	38356.79	13874.59	113723.94
8	परिचालन जमाएं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	अन्य थोक फंडिंग	54988.48	74936.84	44479.07	13584.79	100786.99	63018.08	98323.83	38356.79	13874.59	113723.94
10	अन्य देनदारियां : (11+12)	4161.97	18552.36	2278.65	22295.63	22814.95	668.61	7446.72	2365.84	16473.03	16735.95
11	एनएसएफआर व्युत्पन्न देनदारियां		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
12	अन्य सभी देनदारियां और इक्विटी उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं	4161.97	18552.36	2278.65	22295.63	22814.95	668.61	7446.72	2365.84	16473.03	16735.95
13	**कुल एएसएफ (1+4+7+10)**					**523135.86**					**539132.36**
आरसएफ मद											
14	कुल एनएसएफआर उच्च गुणवत्ता लिक्विड आस्तियां (एचक्यूएएल)					**7790.46**					**7580.13**
15	परिचालन प्रयोजनों के लिए अन्य संस्थानों में जमा राशियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	निष्पादित ऋण और प्रतिभूतियाँ : (17+18+19+21+23)	1569.68	130779.58	54820.40	239833.32	297039.40	1651.26	139580.70	63349.65	235712.38	297275.69
17	लेवल 1 एचक्यूएलए द्वारा सुरक्षित वित्तीय संस्थानों को प्रदत्त निष्पादित ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	लेवल 1 एचक्यूएलए द्वारा सुरक्षित वित्तीय संस्थानों को प्रदत्त निष्पादित ऋण एवं वित्तीय संस्थानों को प्रदत्त असुरक्षित निष्पादित ऋण	0.00	29616.25	5328.79	41588.77	48695.60	0.00	35398.28	10686.30	39314.41	49967.30

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.		31.12.2021					31.03.2022				
		अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा गैर–भारित मूल्य					अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा गैर–भारित मूल्य				
		अपरिपक्व*	< 6 महीनों	6 महीनों से < 1 वर्ष तक	≥ 1 वर्ष	भारित मूल्य	अपरिपक्व*	< 6 महीनों	6 महीनों से < 1 वर्ष तक	≥ 1 वर्ष	भारित मूल्य
19	गैर–वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों को प्रदत्त निष्पादित ऋण, खुदरा एवं लघु कारोबारी ग्राहकों को प्रदत्त ऋण, और संप्रभु, केंद्रीय बैंकों, और सार्वजनिक उपक्रमों को ऋण, जिसमें से रू	0.00	96829.43	48389.69	143750.35	199106.35	0.00	101554.01	51985.64	140240.58	199005.84
20	क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35: से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ	0.00	6367.72	392.64	9611.78	8186.07	0.00	5587.24	1350.11	10117.08	8527.21
21	आवासीय निष्पादित बंधक, जिसमें सेरू	0.00	31.19	22.62	29860.67	21873.78	0.00	16.62	17.00	31360.88	22843.69
22	क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35: से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ	0.00	15.49	8.60	20528.21	10276.15	0.00	11.53	7.64	22086.32	11052.75
23	प्रतिभूतियां जो चूका नहीं हैं, एवं एचक्यूएलए में नहीं आते हैं, साथ ही साथ एक्सचेंज–ट्रेडेड इक्विटी	1569.68	4302.71	1079.31	24633.53	27363.67	1651.26	2611.79	660.71	24796.52	25458.87
24	**अन्य आस्तियां: (25 से 29 तक पंक्तियों का योग)**	**7129.41**	**179.01**	**23.23**	**23247.07**	**30045.39**	**7687.54**	**123.60**	**12.74**	**22909.62**	**30357.10**
25	कारोबार की भौतिक वस्तुएं स्वर्ण सहित	0.00				0.00	0.00				0.00
26	डेरिवेटिव अनुबंधों हेतु प्रारंभिक मार्जिन की आस्तियां और सीसीपी की चूक फंड में अंशदान	0.00	0.00	0.00	3555.49	3022.17	0.00	0.00	0.00	2509.39	2132.98
27	एनएसएफआर डेरिवेटिव आस्तियां	0.00	122.90	0.00	23.98	146.88	0.00	95.60	0.00	45.34	140.94
28	दर्ज अंतर मार्जिन की कटौती से पहले एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं	0.00	56.12	23.23	0.07	79.42	0.00	28.00	12.74	0.07	40.82
29	अन्य सभी आस्तियां उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं	7129.41	0.00	0.00	19667.52	26796.93	7687.54	0.00	0.00	20354.82	28042.36
30	**ऑफ–बैलेंस शीट मद**					**1210.57**					**1256.36**
31	**कुल आरएसएफ (14+15+16+24+30)**					**336085.82**					**336469.29**
32	**शुद्ध स्थिर फंडिंग अनुपात (%)**					**155.66%**					**160.23%**

*'नो मेच्योरिटी' टाइम बकेट में रिपोर्ट की जाने वाली आइटम्स की कोई निश्चित मैच्योरिटी नहीं होती है। इसमें निम्न शामिल हो सकते हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, स्थायी परिपक्वता वाली पूंजी जैसी मदें, गैर–परिपक्व जमा, शॉर्ट पोजीशन, ओपन मैच्योरिटी पोजीशन, नॉन–एचक्यूएलए इक्विटीज और फिजिकल ट्रेडेड कमोडिटीज।

निवल स्थिर वित्तपोषण अनुपात (एनएसएफआर) बेसल III सुधारों का एक महत्वपूर्ण घटक है। एनएसएफआर बैंकों को अपनी गतिविधियों को निरंतर आधार पर वित्तपोषण के अधिक स्थिर स्रोतों के साथ वित्त पोषित करने की लंबी अवधि की आवश्यकता को बढ़ावा देता है। आरबीआई की नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार, एनएसएफआर 01 अक्टूबर, 2021 से प्रभावी है।

एनएसएफआर को आवश्यक स्थिर निधि के सापेक्ष उपलब्ध स्थिर निधि के रूप में परिभाषित किया गया है।

$$\frac{\text{उपलब्ध स्थिर निधि (एएसएफ)}}{\text{आवश्यक स्थिर निधि (आरएसएफ)}} \geq 100\%$$

उपलब्ध स्थिर निधि (एएसएफ)

एएसएफ को पूंजी और देयताओं के उस हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया है जो एनएसएफआर द्वारा मानी गई समय सीमा (अर्थात 1 वर्ष तक) पर विश्वसनीय होने की उम्मीद है। एएसएफ की राशि को किसी संस्थान के वित्तपोषण स्रोतों की सापेक्ष स्थिरता की व्यापक विशेषताओं के आधार पर मापा जाता है, जिसमें इसकी देयताओं की संविदात्मक परिपक्वता और विभिन्न प्रकार के वित्तपोषकों की अपनी निधि वापस लेने की प्रवृत्ति में अंतर शामिल है।

आवश्यक स्थिर निधि (आरएसएफ)

आरएसएफ तरलता विशेषताओं और उस संस्था द्वारा धारित विभिन्न परिसंपत्तियों की अवशिष्ट परिपक्वता के साथ–साथ इसके ऑफ–बैलेंस शीट (ओबीएस) एक्सपोजर के आधार पर आवश्यक स्थिर निधि है। आरएसएफ की गणना निर्दिष्ट घटक की बकाया राशि को निर्धारित और संबद्ध आरएसएफ फैक्टर से गुणा करके की जाती है।

एनएसएफआर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक अपनी परिसंपत्तियों की संरचना और ऑफ–बैलेंस शीट गतिविधियों के संबंध में एक स्थिर निधि प्रोफाइल बनाए रखें। एनएसएफआर अल्पकालिक थोक निधि पर अति–निर्भरता को सीमित करता है, ऑफ–बैलेंस शीट की सभी मदों में वित्तपोषण जोखिम के बेहतर मूल्यांकन को प्रोत्साहित करता है, और वित्त पोषण स्थिरता को बढ़ावा देता है।

दिनांक 31.12.2021 को बैंक का एनएसएफआर 155.66% और 31.03.2022 को 160.23% था। एनएसएफआर 100% की न्यूनतम नियामक आवश्यकता से ऊपर है। दिनांक 31.03.2022 तक, उपलब्ध स्थिर निधि (एएसएफ) ₹ 5,39,132 करोड़ और आवश्यक स्थिर निधि (आरएसएफ) रुपये ₹ 3,36,469 करोड़ था।

बैंक चलनिधि कवरेज अनुपात की गणना भी करता है और बैंक की तरलता आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए दैनिक आधार पर संरचनात्मक तरलता विवरण तैयार करता है।

3. निवेश

ए. निवेश पोर्टफोलियो के घटक (यथास्थिति 31.03.2022 को)

(राशि ₹ करोड़ में)

	भारत में निवेश							भारत के बाहर निवेश				
	सरकारी प्रतिभूति	अन्य अनुमोदित प्रतिभूति	शेयर	डिबेंचर और बॉण्ड	अनुषंगी और / या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत में कुल निवेश	सरकारी प्रतिभूति (सीनीय प्राधिकरण सहित)	अनुषंगी और / या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत के बाहर निवेश	कुल
परिपक्वता के लिए धारित												
सकल	134412.04	0	0.00	1645.95	252.10	152.72	136462.81	550.59	0.00	0.08	550.67	137013.48
घटाएँ : मूल्यह्रास और गैर–निष्पादित निवेश (एनपीआई) के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	35.93	0.00	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00	35.93
निवल	**134412.04**	**0.00**	**0.00**	**1645.95**	**216.17**	**152.72**	**136426.88**	**550.59**	**0.00**	**0.08**	**550.67**	**136977.55**
विक्रय के लिए उपलब्ध												
सकल	24018.10	0.00	2306.13	11867.77	0.00	3738.79	41930.79	1151.42	0.00	98.44	1249.86	43180.65
घटाएँ : मूल्यह्रास और गैर–निष्पादित निवेश (एनपीआई) के लिए प्रावधान	150.63	0.00	1114.50	998.37	0.00	3279.43	5542.93	0.00	0.00	97.96	97.96	5640.89
निवल	**23867.47**	**0.00**	**1191.63**	**10869.41**	**0.00**	**459.36**	**36387.86**	**1151.42**	**0.00**	**0.48**	**1151.90**	**37539.76**
व्यापार के लिए धारित												
सकल	34.49	0.00	6.79	0.00	0.00	0.00	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	41.28
घटाएँ : मूल्यह्रास और गैर–निष्पादित निवेश (एनपीआई) के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल	**34.49**	**0.00**	**6.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
कुल निवेश	**158464.63**	**0.00**	**2312.92**	**13513.72**	**252.10**	**3891.51**	**178434.88**	**1702.01**	**0.00**	**98.52**	**1800.53**	**180235.41**
घटाएँ : गैर–निष्पादित निवेश (एनपीआई) के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	35.93	0.00	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00	35.93
घटाएँ : मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान	150.63	0.00	1114.50	998.37	0.00	3279.43	5542.93	0.00	0.00	97.96	0 .00	5640.89
निवल	**158314.00**	**0.00**	**1198.42**	**12515.35**	**216.17**	**612.08**	**172856.02**	**1702.01**	**0.00**	**0.56**	**1702.57**	**174558.59**

यथास्थिति 31.03.2021 को

(राशि ₹ करोड़ में)

	भारत में निवेश							भारत के बाहर निवेश				
	सरकारी प्रतिभूति	अन्य अनुमोदित प्रतिभूति	शेयर	डिबेंचर और बॉण्ड	अनुषंगी और / या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत में कुल निवेश	सरकारी प्रतिभूति (स्थानीय प्राधिकरण सहित)	अनुषंगी और / या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत के बाहर निवेश	कुल
परिपक्वता के लिए धारित												
सकल	105599.64	0.00	0.00	22058.24	252.10	65.53	127975.51	723.22	0.00	0.11	723.33	128698.84
घटाएँ : मूल्यह्रास और गैर–निष्पादित निवेश (एनपीआई) के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	35.93	0.00	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00	35.93
निवल	**105599.64**	**0.00**	**0.00**	**22058.24**	**216.17**	**65.53**	**127939.57**	**723.22**	**0.00**	**0.11**	**723.33**	**128662.90**
विक्रय के लिए उपलब्ध												
सकल	34047.85	5.23	2221.37	9370.00	0.00	5950.49	51594.95	1602.60	0.00	94.97	1697.57	53292.52
घटाएँ : मूल्यह्रास और गैर–निष्पादित निवेश (एनपीआई) के लिए प्रावधान	24.09	0.00	1234.79	2074.31	0.00	1990.77	5323.96	0	0.00	94.48	94.48	5418.44
निवल	**34023.76**	**5.23**	**986.58**	**7295.69**	**0.00**	**3959.72**	**46270.99**	**1602.60**	**0.00**	**0.49**	**1603.09**	**47874.08**
व्यापार के लिए धारित												
सकल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
घटाएँ : मूल्यह्रास और गैर–निष्पादित निवेश (एनपीआई) के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**
कुल निवेश	**139647.49**	**5.23**	**2221.37**	**31428.24**	**252.10**	**6016.02**	**179570.45**	**2325.82**	**0.00**	**95.08**	**2420.90**	**181991.35**
घटाएँ : गैर–निष्पादित निवेश (एनपीआई) के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	35.93	0.00	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00	35.93
घटाएँ : मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान	24.09	0.00	1234.79	2074.31	0.00	1990.77	5323.97	0.00	0.00	94.48	94.48	5418.45
निवल	**139623.40**	**5.23**	**986.58**	**29353.93**	**216.17**	**4025.25**	**174210.56**	**2325.82**	**0.00**	**0.60**	**2326.42**	**176536.97**

नोट: 'डिबेंचर और बॉन्ड' के स्थान पर 'अन्य' के तहत दिखाए गए एसआर का मूल्य और मूल्यह्रास के प्रावधान के तहत दिखाए गए प्रावधान और एनपीआई को वित्तीय वर्ष 2021–22 की रिपोर्टिंग के अनुरूप होना चाहिए।

बी. मूल्यह्रास और निवेश में उतार–चढ़ाव रिजर्व के प्रावधानों का संचलन

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2021-22	2020-21
I) निवेश मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधानों का संचलन		
ए) अथ शेष	5359.90	4943.07
बी) जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	789.03	1022.00
ग) घटाएं : वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते में डालना	570.06	605.17
डी) अंतिम शेष	5578.86	5359.90
ii) निवेश में उतार–चढ़ाव आरक्षतियों का संचलन		
ए) अथ शेष	1031.90	566.99
ए) अथ शेष	-	464.91
बी) जोड़ें : वर्ष के दौरान अंतरित राशि	-	-
ग) घटाएं : ड्राडाउन	1031.90	1031.90
iii) एएफएस और एचएफटी / वर्तमान श्रेणी में निवेश के अंतिम शेष के प्रतिशत के रूप में आईएफआर में अंतिम शेष	2.46%	2.00%

उक्त मूल्य में निवल मूल्यह्रास को घटाएं (निवल मूल्यवृद्धि छोड़ दें) अर्थात तुलनपत्र में दर्शाए गई निवल राशि

ग. एचटीएम श्रेणी को / से बिक्री और हस्तानांतरण

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा–निर्देशानुसार के अनुसार एचटीएम श्रेणी को / से बिक्री एवं हस्तानांतरित प्रतिभूतियों का मूल्य वर्ष के शुरुआत में एचएमटी श्रेणी में धारित निवेश का बही मूल्य का 5% से अधिक नहीं था।

- एचटीएम श्रेणी से प्रतिभूतियों की बिक्री से प्राप्त लाभ ₹ 263.51 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 85.00 करोड़) को लाभ और हानि खाते में लिया गया और उसके बाद ₹ 147.90 करोड़ की राशि (विगत वर्ष ₹ 47.71 करोड़) पूँजी आरक्षित खाता में अंतरित की गई थी (निवल करों एवं पूंजी को सांविधिक रिज़र्व में अंतरित किये जाने की आवश्यकता थी)।
- प्रतिभूतियों का हस्तानांतरण

(I) वर्ष की शुरुआत में, बैंक द्वारा निम्नानुसार हस्तानांतरित किया गया :

- ₹ 24030.56 करोड़ के बही मूल्य के एसएलआर प्रतिभूतियों को एचटीएम से एएफएस में हस्तानांतरित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में ₹ 3.18 करोड़ के बही मूल्य की कोई अतिरिक्त प्रावधान और गैर–एसएलआर वीसीएस प्रतिभूतियां नहीं थीं और
- एएफएस श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में ₹ 5623.23 करोड़ के बही मूल्य का एसएलआर प्रतिभूतियां जिसके परिणामस्वरूप मूल्यह्रास के सापेक्ष धारित प्रावधान का समायोजन बाजार मूल्य को बही मूल्य तक कम करने के लिए किया गया है।
- एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत प्रतिभूतियों के मामले में, यदि अधिग्रहण लागत अंकित मूल्य से अधिक है, तो परिपक्वता की शेष अवधि में प्रीमियम का परिशोधन किया जाता है । वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए, ₹ 184 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 261.43 करोड़) की राशि का परिशोधन किया गया है और इसे 'निवेश पर आय' से कटौती के रूप में दर्शाया गया है ।

डी. गैर एसएलआर निवेश संविभाग

(प) गैर–एसएलआर निवेशों पर जारीकर्ता संरचना

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2021-22	2020-21
ए)	प्रारंभिक शेष	1698.73	1623.51
बी)	1 अप्रैल से वर्ष के दौरान जोड	510.05	93.07
सी)	उक्त अवधि के दौरान घटौती	326.77	17.85
डी)	अंतिम शेष	1882.02	1698.73
ई)	धारित कुल प्रावधान	809.69	797.45

(Ii) गैर–एसएलआर निवेशों पर जारीकर्ता संरचना

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जारीकर्ता	राशि		निजी आबंटन की सीमा		'निवेश स्तर से निम्न वर्ग' की प्रतिभूतियों की मात्रा		'दर निर्धारण नहीं की गई' प्रतिभूतियों की मात्रा		सूचीबद्ध नहीं की गई प्रतिभूतियों की मात्रा	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
	वित्तीय वर्ष	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
ए)	सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम	22460.95	22659.18	20645.70	20507.29	175.00	0.00	0.36	175.36	18068.71	19085.92
बी)	वित्तीय संस्थाएं	5537.00	7290.60	3110.26	5116.48	149.99	332.19	0.00	0.00	57.03	167.04
सी)	बैंक	1806.55	907.22	1358.87	307.50	0.00	0.00	0.00	0.00	16.93	191.08
डी)	निजी कॉर्पोरेट #	5616.19	6633.03	7316.28	6293.16	260.64	1121.39	160.55	3.50	334.02	4337.84
ई)	अनुषंगी / संयुक्त उद्यम	211.50	211.50	211.50	211.50	0.00	0.00	0.00	0.00	132.63	132.63
एफ)	अन्य	342.75	293.90	256.31	213.17	0.00	0.00	0.00	0.00	260.43	213.17
जी)	मूल्यह्रास तथा एनपीआई के लिए धारित प्रावधान	3505.91	3413.49	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	कुल	**32469.03**	**34581.94**	**32898.92**	**32649.10**	**585.63**	**1453.58**	**160.91**	**178.86**	**18869.74**	**24127.68**

यह आंकड़ा ₹ 1922.31 करोड़ के अलग रखे गए प्रावधान का निवल है.

ई. रेपो लेनदेन (अंकित मूल्यों में)

(राशि ₹ करोड़ में)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	31 मार्च 2022 को बकाया
I) रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियाँ				
ए) सरकारी प्रतिभूतियाँ	0.00	3328.00	51.09	0.00
बी) कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
सी) कोई अन्य प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
ii) रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ				
ए) सरकारी प्रतिभूतियाँ	600.00	50,043.88	18,202.20	34500.00
बी) कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
सी) कोई अन्य प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00

4. आस्ति गुणवत्ता

ए. धारित अग्रिमों और प्रावधानों का वर्गीकरण

(राशि ₹ करोड़ में)

	2021-22						2020-21					
	मानक	गैर निष्पादित				कुल	मानक	गैर निष्पादित				कुल
	कुल मानक	उप मानक	संदिग्ध	नुकसान	कुल अनर्जक अग्रिम (20–21)		कुल मानक	उप मानक	संदिग्ध	नुकसान	कुल अनर्जक अग्रिम (21–22)	
सकल मानक अग्रिम और एनपीए												
प्रारंभिक शेष	351861.61	7369.96	24657.89	6427.50	38455.35	390316.96	326665.58	9066.65	24016.29	8914.77	41997.71	368663.29
जोड़ : वर्ष के दौरान जोड़					10164.66	10164.66					9429.55	9429.55
कमी : वर्ष के दौरान कटौती					13405.76	13405.76					12971.91	12971.91
अंतिम शेष	380410.50	5202.88	25063.04	4948.33	35214.25	415624.75	351861.61	7369.96	24657.93	6427.46	38455.35	390316.96
सकल एनपीए में कमी के कारणः												
I) उन्नयन					1574.23	1574.23					686.18	686.18
ii) वसूली (उन्नत खातों से वसूली को छोड़कर और अन्य को विनिमय अंतर के रूप में शामिल करें)					3484.96	3484.96					3914.38	3914.38
iii) तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डालना					7057.06	7057.06					7531.18	7531.18
iv) इनके अलावा अन्य राइट–ऑफ (iii) उप्रोक्त					1289.51	1289.51					840.17	840.17
प्रावधान (अस्थायी प्रावधानों को छोड़कर)												
धारित प्रावधानों का प्रारंभिक शेष	2826.82	1727.63	17644.77	6200.10	25572.50	28399.32	2041.61	1624.01	16575.23	8828.26	27027.50	29069.11
जोड़ः वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान					8142.52	8142.52					6663.77	6663.77
कमी : अतिरिक्त उलटे प्रावधान / बट्टे खाते में डाले गए ऋण					8024.43	8024.43					8118.77	8118.77
धारित प्रावधानों का अंतिम शेष	3788.83	1559.09	19475.94	4655.56	25690.59	29479.42	2826.82	1727.63	17644.77	6200.10	25572.5	28399.32

(राशि ₹ करोड़ में)

	2021-22						2020-21					
	मानक	गैर निष्पादित				कुल	मानक	गैर निष्पादित				कुल
	कुल मानक	उप मानक	संदिग्ध	नुकसान	कुल अनर्जक अग्रिम (20–21)		कुल मानक	उप मानक	संदिग्ध	नुकसान	कुल अनर्जक अग्रिम (20–21)	
निवल एनपीए												
प्रारंभिक शेष		5539.85	6731.28	0	12271.13			7339.04	6933.29	0	14272.33	
जोड़: वर्ष के दौरान नए जोड़					2022.14						7196.53	
कमी: वर्ष के दौरान कटौती					5444.63						9197.73	
अंतिम शेष		3539.47	5178.62	130.56	8848.64			5539.85	6731.28	0	12271.13	
अस्थायी प्रावधान												
प्रारंभिक शेष						70.76						70.76
जोड़: वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान						0						0
कमी : वर्ष के दौरान आहरित राशि						0						0
अस्थायी प्रावधानों का अंतिम शेष						70.76						70.76
तकनीकी बट्टे खाते में डालना और उस पर की गई वसूली												
तकनीकी / प्रूडेंशियल बट्टे खाते में डाले गए खातों का प्रारंभिक शेष					30170.05						23370.02	
जोड़: वर्ष के दौरान तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डालना					7061.85						7531.18	
कमी : वर्ष के दौरान पहले के तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डाले गए खातों से की गई वसूली					2312.22						731.15	
अंतिम शेष					34919.68						30170.05	

अनुपात (प्रतिशत में)	31.03.2022	31.03.2021
सकल अग्रिम के सापेक्ष सकल एनपीए	8.47	9.85
निवल अग्रिम के सापेक्ष निवल एनपी,	2.27	3.37
प्रावधान कवरेज अनुपात	87.38	82.12

बी. क्षेत्रवार अग्रिम और सकल एनपीए

(राशि ₹ करोड़ में)

अनु. क्रमांक.	क्षेत्र	31.03.2022			31.03.2021		
		बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	सकल एनपीए का उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों का प्रतिशत	बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	सकल एनपीए का उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों का प्रतिशत
I)	**प्राथमिकता क्षेत्र**						
ए)	कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	87065.57	8759.40	10.06%	78529.90	8737.81	11.13%
बी)	प्राथमिकता–प्राप्त क्षेत्र को उधार के रूप में पात्र उद्योग क्षेत्र को अग्रिम	26752.74	4694.10	17.55%	20662.08	3695.90	17.89%
सी)	सेवाएं	47795.22	5974.44	12.50%	49519.11	5015.84	10.13%
डी)	व्यक्तिगत ऋण	22022.67	1972.32	8.96%	21147.36	1576.37	7.45%
	उप–योग (I)	**183636.20**	**21400.26**	**11.65%**	**169858.45**	**19025.92**	**11.20%**
ii)	**गैर–प्राथमिकता वाला क्षेत्र**						
ए)	कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	1068.53	150.64	14.10%	203.00	1.93	0.95%
बी)	उद्योग	84098.33	7999.90	9.51%	109110.62	12647.19	11.59%
सी)	सेवाएं	88801.51	4082.68	4.60%	47889.06	5442.63	11.37%
डी)	व्यक्तिगत ऋण	58020.18	1580.77	2.72%	48945.52	1337.67	2.73%
	उप–कुल (ii)	**231988.55**	**13813.99**	**5.95%**	**220458.50**	**19429.42**	**8.81%**
	कुल (i+ii)	**415624.75**	**35214.25**	**8.47%**	**390316.96**	**38455.34**	**9.85%**

ग. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई संपत्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) एवं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी गई सलाह के अनुसार, बैंक द्वारा वर्ष के दौरान कुछ निश्चित खातों पर किया गया अतिरिक्त प्रावधान : शून्य

डी. विदेशी आस्तियाँ, एनपीए और राजस्व

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022	31.03.2021
कुल संपत्ति	21674.74	14417.83
कुल एनपीए	1271.24	1240.56
कुल राजस्व	307.69	327.25

ई. समाधान योजना और पुनर्गठन का विवरण

दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान पर आरबीआई परिपत्र संख्या आरबीआई / 2018-19 / 2013 डीबीआर संख्या बीपी.बीसी. 45/21-04-048 / 2018-19 दिनांक 07.06.2019 का प्रभाव – संशोधित रूपरेखा इस प्रकार है:

(राशि ₹ करोड़ में)

आरबीआई के परिपत्र से प्रभावित हुए कर्ज की राशि (ए)	एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले ऋणों की राशि (बी)	एनपीए के रूप में वर्गीकृत (बी) में से 31.03.2022 को ऋण की राशि (सी)	अतिरिक्त, आरबीआई परिपत्र के तहत कवर किए गए ऋणों के लिए आवश्यक प्रावधान (डी)	31.03.2022 तक पहले से ही (डी) में से प्रावधान (इ)
16129.57	**16015.05**	**16015.05**	**1643.32**	**1643.32***

* 31.03.2022 को एनपीए खाते के गैर–निधि बकाया पर 737.70 करोड़ रुपये के प्रावधान सहित।

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या डीबीआर संख्या बीपी.बीसी.45 / 21.04.048 / 2018–19 दिनांक 07.06.2019 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान कार्यान्वित समाधान योजनाओं का विवरण :

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संख्या डीबीआर संख्या बीपी.बीसी.45 / 21.04.048 / 2018–19 दिनांक 07.06.2019 के संदर्भ में समाधान योजना को एनपीए खाते में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है, मैसर्स टीसीआई सनमार केमिकास एसएई के पास दिनांक 31.03.2022 तक बकाया ₹ 73.49 करोड़ है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संख्या डीओआर.सं.बीपी.बीसी.62 / 21.04.048 / 2019–20 दिनांक 17.04.2020 के पैरा 3 और 4 में दिए गए निर्देशों के अनुसार किसी खाते में बढ़ायी गयी समाधान अवधि : शून्य

एफ. परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान में अंतर

(राशि ₹ करोड़ में)

अनु क्रमांक.	विवरण	राशि
1.	बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च, 2021 को सकल एनपीए	38455.35
2.	31 मार्च, 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मूल्यांकन किए गए सकल एनपीए	38659.35
3.	सकल एनपीए में विचलन (2–1)	204.00**
4.	बैंक द्वारा सूचित 31 मार्च, 2021 को निवल एनपीए	12271.13
5.	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मूल्यांकन किए गए 31 मार्च, 2021 को निवल एनपीए	12164.13
6.	निवल एनपीए में विचलन (5–4)	-107.00
7.	बैंक द्वारा सूचित 31 मार्च, 2021 को एनपीए के लिए प्रावधान	26184.22
8.	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मूल्यांकन किए गए 31 मार्च, 2021 को एनपीए के लिए	26495.22
9.	प्रावधान में विचलन (8–7)	311.00
10	मार्च 31, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए प्रावधानों और आकस्मिकताओं से पहले लाभ की रिपोर्ट	11395.65
11.	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कर पश्चात निवल लाभ (पीएटी) दर्ज किया गया	3004.68
12.	प्रावधानीकरण में विचलन पर विचार करने के बाद 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समायोजित (काल्पनिक) कर पश्चात निवल लाभ (पीएटी)	2693.68

* 31 मार्च, 2021 संदर्भ अवधि की समाप्ति है जिसके संबंध में विचलन का मूल्यांकन किया गया था।

** सकल एनपीए में कुल विचलन ₹ 290.00 करोड़ है, जिसमें से ₹ 86.00 करोड़ आईएलएफएस ट्रांसपोर्ट एंड नेटवर्क लिमिटेड का गैर–वित्त पोषित बी जी है जिसके लिए 100% प्रावधान पहले ही किया जा चुका है।

एफ. ऋण एक्सपोजर के हस्तांतरण का प्रकटीकरण

24 सितंबर, 2021 के आरबीआई परिपत्र नंबर डीओआर.एसटीआर.आरईसी. 51/21.04.048/2021.22 के अनुसार 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान हस्तांतरित / अधिग्रहित ऋणों का विवरण नीचे दिया गया है:

I. डिफॉल्ट रूप से अर्जित नहीं किए गए ऋणों का विवरण:

विवरण	आरबीडी	खुदरा	एमएसएमई
अधिग्रहण का तरीका	प्रत्यक्ष समनुदेशन	प्रत्यक्ष समनुदेशन	प्रत्यक्ष समनुदेशन
अर्जित ऋणों का कुल मूलधन (करोड़ रुपये में)	465.69	2230.60	1566.25
भारित औसत अवशिष्ट परिपक्वता (वर्षों में)	2	11.47	4.50
प्रवर्तक द्वारा भारित औसत धारण अवधि (वर्षों में)	0.25	0.51	0.49
प्रवर्तक द्वारा लाभकारी आर्थिक हित की अवधारणा (%)	10%	10%	10%
मूर्त सुरक्षा कवरेज (%)	110%	110%	114%
मूल्य के आधार पर अर्जित ऋणों का रेटिंग वार वितरण	ए रेटेड खाते	एए रुपये 399.27 करोड़ एए- रुपये 1721.30 करोड़ ए+ रुपये 110.03 करोड़	एए(+/-): रुपये 1327.10 करोड़ ए(+/-): रुपये 239.15 करोड़

ii. डिफॉल्ट रूप से हस्तांतरित नहीं किए गए ऋणों का विवरण: शून्य

iii. दबावग्रस्त ऋण हस्तांतरण का विवरण:

(खातों की संख्या को छोड़कर राशि ₹ करोड में)

01.04.2021 से 31.03.2022 की अवधि के दौरान हस्तांतरित तनाव ऋण (एनपीए खाते) का विवरण			
विवरण	**एआरसी को**	**स्थानान्तरित करने वालों के लिए अनुमत**	**अन्य स्थानान्तरित करने वालों के लिए**
खातों की संख्या	2	1	शून्य
कुल मूलधन बकाया ऋण हस्तांतरित	309.86	10.09	
हस्तांतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि	40 महीने	शून्य	
हस्तांतरित ऋणों का शुद्ध बही मूल्य (हस्तांतरण के समय)	9.33	0.00	
कुल विचार	101.53	2.80	
पूर्व के वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल की वसूली	0.00	0.00	

iv. वर्ष के दौरान अर्जित ऋणों का विवरण:

विवरण	**एससीबी, आरआरबी, यूसीबी, एसटीसीबी, डीसीसीबी, एआईएफआई, एसएफबी और एनबीएफसी से हाउसिंग फाइनेंस सहित कंपनियां (एचएफसी)**	**एआरसी से**
अर्जित ऋणों का कुल मूलधन बकाया	शून्य	
कुल प्रतिफल का किया गया भुगतान		
अधिग्रहीत ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि		

बैंक ने वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान तनावग्रस्त ऋणों की बिक्री के कारण लाभ और हानि खाते में अतिरिक्त प्रावधान के ₹ 95 करोड़ को उलट दिया है।

v. 31.03.2022 को क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे एसआर को सौंपे गए रिकवरी रेटिंग की विभिन्न श्रेणियों में बैंक द्वारा धारित सुरक्षा रसीदों (एसआर) का वितरण निम्नानुसार है:

(राशि ₹ करोड़ में)

रिकवरी रेटिंग	**बही मूल्य**
आरआर1+ (150% से अधिक)	2.39
आरआर1 (100%-150%)	777.65
आरआर2 (75%-100%)	424.23
आरआर3 (50%-75%)	289.98
आरआर4 (25%-50%)	636.33
आरआर5 (0%-25%)	1023.04
एसआरएस . योजना अवधि के दौरान रेटिंग में छूट	57.36
कुल	**3210.98**

बैंक के पास 100% प्रावधान, अलग किए गए प्रावधान सहित, की धारिता है

एच. परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) को बेची गई वित्तीय परिसंपत्तियों का विवरण

बिक्री का विवरण

(खातों की संख्या को छोड़कर राशि ₹ करोड में)

विवरण	2021-22	2020-21
(I) खातों की संख्या	3	709
(ii) एससी / आरसी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधानों का निवल)	9.33	11.35
(iii) कुल विचार	104.33	48.84
(iv) पूर्व के वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल की वसूली	37.40	1.96
(v) निवल बही मूल्य पर कुल लाभ / हानि	95.00	39.45

आई. धोखाधड़ी खाते

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2021-22	2020-21
रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की संख्या	211	219
धोखाधड़ी में शामिल राशि (₹ करोड़)	2036.71	3759.68
ऐसी धोखाधड़ी के लिए किए गए प्रावधान की राशि (₹ करोड़)	1780.77	3759.60
वर्ष के अंत में 'अन्य आरक्षित' से डेबिट किए गए असंशोधित प्रावधान की राशि। (₹ करोड़)	0	0

* बैंक द्वारा की गई वसूली को ध्यान में रखते हुए इसके सापेक्ष 1780.77 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

जे. एमएसएमई प्रकटीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 01 जनवरी 2019 के परिपत्र सं. डीबीआर सं. बीपी. बीसी 18/21.04.048/2018–19 एवं दिनांक 11.02.2020 के बीपी.बीसी. 34/21.04.048/2019–20 के आधार पर बैंक ने एमएसएमई खातों को पुनर्रचित किया है जिनका विवरण निम्नलिखित है :

विवरण	पुनर्रचित खातों की संख्या	इन खातों में 31.03.2022 को बकाया धनराशि (राशि ₹ करोड़ में)
ओ / एस पुनर्रचित खाते	45419	2875
जिनमें से खाते जो एनपीए हो गए	26333	1364
निवल मानक अग्रिम	19086	1511

के. कोविड–19 से संबंधित तनाव के लिए समाधान ढांचे के तहत प्रकटीकरण

आरबीआई के परिपत्र दिनांकित 6 अगस्त, 2020 व 5 मई, 2021 के अनुसार कोविड–19 संबंधित तनाव के लिए समाधान ढांचे के तहत कार्यान्वित समाधान योजना का विवरण निम्नलिखित है :

(राशि ₹ करोड़ में)

उधारकर्ता का प्रकार	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर– पिछले छमाही के अंत की स्थिति 30.09.2021 (ए)	(ए) का, कुल ऋण जो छमाही के दौरान एनपीए में फिसल गया 31.03.2022	(ए) छमाही के दौरान बट्टे खाते में डाली गई राशि 31.03.2022	(ए) छमाही के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि 31.03.2022	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर– पिछले छमाही के अंत की स्थिति 31.03.2022
व्यक्तिगत ऋण	7999	188	0	266	7831
कॉर्पोरेट व्यक्ति'	5665	1020	0	860	4680
जिसमें से एमएसएमई	2587	169	0	220	3068
अन्य	5557	314	0	316	5911
कुल	19221	1523	0	1442	18422

* जैसा कि दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 3(7) में परिभाषित किया गया है

एल. कोविड उपायः

दुनिया भर में कोविड–19 के प्रसार के परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधियों में गिरावट आई और वित्तीय बाजारों में अस्थिरता बढ़ गई। इस स्थिति में, हमें लगातार चुनौतियां मिल रही हैं और बैंक सभी मोर्चों पर उन चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर रहा है स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है और बैंक निरंतर आधार पर स्थिति का मूल्यांकन कर रहा है। कोविड –19 महामारी, बैंक के परिणामों को किस हद तक प्रभावित करेगी, यह भविष्य में विकसित होने वाले कारोबारी माहौल पर निर्भर करेगा। बैंक के लिए प्रमुख चुनौतियां विस्तारित कार्यशील पूंजी चक्र और कम नकदी प्रवाह से होंगी। बैंक की पूंजी और तरलता की स्थिति मजबूत है और इस अवधि के दौरान बैंक के लिए फोकस क्षेत्र बना रहेगा।

5. एक्सपोजर

ए. रियल एस्टेट क्षेत्र को ऋण

(राशि ₹ करोड़ में)

वर्ग		31.03.2022	31.03.2021
I)	प्रत्यक्ष एक्सपोजर		
ए)	आवासीय बंधक –		
	आवासीय संपत्ति पर बंधक द्वारा पूरी तरह से सुरक्षित उधार देना जो उधारकर्ता द्वारा कब्जा कर लिया गया है या किराए पर लिया गया है।	42042.63	39600.06
	प्राथमिकता–प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों में शामिल किए जाने के लिए पात्र व्यक्तिगत आवास ऋणों को अलग से दिखाया जाएगा। एक्सपोजर में गैर–निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं भी शामिल होंगी।	19141.34	17181.98
बी)	वाणिज्यिक अचल संपत्ति –		
	वाणिज्यिक अचल संपत्ति (कार्यालय भवन, रिटेल स्पेस, बहुउद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहुपरिवार आवासीय भवन, बहु किराएदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या गोदाम स्थान, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास और निर्माण, आदि) पर बंधक द्वारा सुरक्षित उधार। एक्सपोजर में गैर–निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं भी शामिल होंगी;	8351.70	7932.84
सी)	बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) और अन्य प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर में निवेश		
	I. आवासीय	शून्य	शून्य
	ii. वाणिज्यिक रियल एस्टेट	शून्य	शून्य
ii)	अप्रत्यक्ष एक्सपोजर		
	राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और आवास वित्त निगम कंपनियों (एचएफसी) पर निधि आधारित तथा गैर–निधिक एक्सपोजर	24353.80	23729.22
	रियल एस्टेट क्षेत्र को कुल एक्सपोजर	**74748.13**	**71262.12**

बी. पूंजी बाजार में एक्सपोजर

(राशि ₹ करोड़ में)

	विवरण	चालू वर्ष	पिछला साल
I)	प्रत्यक्ष निवेश ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांड्स, परिवर्तनीय डिबेंचरों एवं ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश जिसका आधारभूत निधि मात्र कार्पोरेट ऋण में निविष्ट नहीं है।	2140.16	1975.47
ii)	वैयक्तिकों को ईक्विटी शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित) परिवर्तनीय बांडों एवं डिबेंचरों, ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों में निवेश के लिए शेयरों/बांडों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की या निशर्त रूप में जमानत पर अग्रिम या बेजमानती ऋण;	29.17	54.93
iii)	किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जहां शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों को प्राथमिक जमानत के रूप में लिया जाता है;	शून्य	15.16
iv)	किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जोकि शेयरों अथवा उस सीमा तक परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों द्वारा प्रत्याभूत हैं अर्थात जहां शेयरों/ परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों के अलावा प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णतः कवर नहीं करती;	शून्य	शून्य

(राशि ₹ करोड़ में)

	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
v)	स्टॉक ब्रोकरों को प्रत्याभूत और अप्रत्याभूत अग्रिम एवं स्टॉक ब्रोकरों तथा मार्केट मेकरों की ओर से जारी गारंटियां;	317.75	121.50
vi)	स्रोतों को उपलब्ध कराने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की ईक्विटी के लिए प्रवर्तक के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयरों/बांडों/डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों के विरूद्ध अथवा बेजमानती आधार पर कार्पोरेटों को मंजूर ऋण;	शून्य	शून्य
vii)	प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाहों/निर्गमों के विरूद्ध कंपनियों को पूरक ऋण;	शून्य	शून्य
viii)	शेयरों अथवा परिवर्तनीय बांडों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंकों द्वारा दी गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं।	शून्य	शून्य
ix)	मार्जिन ट्रेडिंग हेतु स्टॉक ब्रोकरों को वित्तीयन;	शून्य	शून्य
x)	उद्यम पूंजी निधियों (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों) के सभी एक्पोजर।	171.03	82.23
	पूंजी बाजार को कुल एक्सपोजर	**2658.11**	**2249.29**

सी. <u>जोखिम संवर्गवार देश संबंधी एक्सपोजर</u>

(राशि ₹ करोड़ में)

जोखिम रेटिंग	जोखिम श्रेणी**	31.03.2022 तक एक्सपोजर (निवल)	31.03.2022 तक धारित प्रावधान	31.03.2021 तक एक्सपोजर (निवल)	31.03.2021 तक धारित प्रावधान
ए1	नगण्य	16,236.81	7.51	10,888.46	–
ए2	न्यून	7,738.52	--	4,706.67	–
बी1	मध्यम से कम	19.73	--	3,085.07	–
बी2	मध्यम	117.11	--	--	–
सी1	मध्यम से ज्यादा	995.18	--	--	–
सी2	बहुत ज्यादा	0.63	--	--	–
D	प्रतिबंधित	--	--	--	–
	ऑफ क्रेडिट	--	--	--	–
		25,107.98	**7.51**	**18,680.20**	**--**

** दिनांक 31.03.2022 तक ईसीजीसी द्वारा अद्यतन देश जोखिम वर्गीकरण के अनुसार

<u>देश का जोखिम प्रबंधन:</u>

बैंक ने 31.03.2022 तक, विभिन्न देशों में अपने निवल वित्तपोषित एक्सपोजर का विश्लेषण किया है और सिंगापुर के अलावा अन्य देशों में इस तरह का एक्सपोजर बैंक की कुल संपत्ति के 1: की शर्त के भीतर है।

सिंगापुर के संबंध में, जिसे ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा "नगण्य" जोखिम श्रेणी (ए1) के तहत वर्गीकृत किया गया है, ₹ 7.51 करोड़ ('नगण्य' जोखिम श्रेणी के लिए पिछले वर्ष शून्य) का प्रावधान उपलब्ध है।

डी. बैंक द्वारा एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल), समूह उधार सीमा (जीबीएल) के अतिक्रमण का विवरण

(राशि ₹ करोड़ में)

उधारकर्ता का नाम	अतिरिक्त एक्सपोजर	कुल उच्चतम एक्सपोजर	अतिरिक्त एक्सपोजर का प्रतिशत	कुल एक्सपोजर का प्रतिशत
----------	----------	शून्य	----------	----------

ई. बैंक द्वारा जारी लेटर ऑफ कंफर्ट:

31.03.2022 को समाप्त वर्ष के दौरान भारत में शाखाओं ने आयात के वित्तपोषण के लिए कोई लेटर ऑफ कंफर्ट जारी नहीं किया है। 31.03.2022 को बकाया राशि शून्य है। अतः बकाया एलओसी / एलओयू पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं।

31.03.2022 को समाप्त वर्ष के दौरान, हमारी विदेशी शाखाओं (सिंगापुर और कोलंबो) द्वारा जारी लेटर ऑफ कम्फर्ट शून्य है और 31.03.2022 को बकाया शून्य है।

बैंक द्वारा सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण को दिए गए उत्तरदायित्व पत्र के मद्देनजर, बैंक एफसीएनआर (बी) संसाधनों से यूएसडी 43.00 एमआईओ (भारतीय मुद्रा में ₹ 325.90 करोड़ के बराबर) तक की जमा राशि को शाखा की न्यूनतम शुद्ध समायोजित पूंजी निधि आवश्यकता बनाए रखने के लिए सिंगापुर शाखा के पास जमा करना जारी रखता है।

बैंक ने सीबीएसएल की अनिवार्य अपेक्षा के अनुसार सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका (सीबीएसएल) के पक्ष में श्रीलंकाई शाखाओं के लिए एलओयू जारी किया है। जारी किए गए एलओयू के कारण बैंक पर निकट भविष्य में किसी वित्तीय प्रभाव की आशंका नहीं है।

बैंक ने आईएफएससी, एसईजेड गिफ़्ट सिटी, गुजरात के पक्ष में इंटरनेशनल फ़ाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी (आईएफएससीए) में हमारे आईबीयू/एफबीयू के लिए आईएफएससीए की अनिवार्य अपेक्षा के अनुसार एलओसी जारी किया है। बैंक को जारी एलओसी के कारण निकट भविष्य में किसी वित्तीय प्रभाव की आशंका नहीं है। यह फरवरी 2022 के महीने में जारी किया गया है।

एफ. असुरक्षित अग्रिम

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2021-22	2020-21
बैंक के कुल असुरक्षित अग्रिम	26610.06	18991.85
उपरोक्त में से, अग्रिम की राशि जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियां जैसे अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकरण, आदि पर प्रभार लिया गया है	शून्य	शून्य
ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य	शून्य	शून्य

जी. फैक्टरिंग एक्सपोजर

फैक्टरिंग एक्सपोजर का अलग से प्रकटीकरण किया जाएगारू शून्य

एच. इंट्रा–ग्रुप एक्सपोजर

क्र.सं.	विवरण	2021-22	2020-21
1	इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि	901.85	1030.85
2	शीर्ष 20 इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि	901.85	1030.85
3	उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोजर के सापेक्ष इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर का प्रतिशत	0.16%	0.19%
4	इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर और उस पर नियामक कार्रवाई, पर सीमा के उल्लंघन का विवरण, यदि कोई हो,	शून्य	शून्य

आई. अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर

बैंक ने अपने उधारकर्ताओं के अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर से उत्पन्न होने वाले ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए एक नीति बनाई है। जहां कोई स्वाभाविक बचाव नहीं है, आयात/निर्यात लेनदेन के संबंध में ग्राहकों को फॉरवर्ड कवर का सुझाव दिया जाता है। फॉरवर्ड कवर, विनिमय जोखिम पर अनहेज्ड जोखिम को कम करने के रूप में कार्य करेगा। सुविधाओं को मंजूरी देते समय, बैंक यह सुनिश्चित कर रहा है कि विदेशी मुद्राओं में सभी एक्सपोजर (निधि आधारित और गैर–निधि आधारित जिसमें लेटर ऑफ कम्फर्ट / लेटर ऑफ अंडरटेकिंग शामिल है) फॉरवर्ड कवर द्वारा कवर किया गया है। फॉरवर्ड कवर की छूट पर विचार करने का अनुरोध, यदि कोई हो, पर केवल कॉर्पोरेट कार्यालय स्तर पर विचार किया जाता है। उधार खातों की समीक्षा करते समय, अनहेज्ड एक्सपोजर को केप्चर कर लिया जाता है और क्रेडिट प्रस्तावों में इसके प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है।

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के 15 जनवरी 2014 के परिपत्र के अनुसार 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए रु 3.88 करोड़ का प्रावधान और रु 16.56 करोड़ की पूंजी उनके घटकों को अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर पर प्रदान की है।

6. जमाराशियों, अग्रिमों, एक्सपोजरों और एनपीए की मात्रा

ए) जमा की मात्रा

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2021-22	2020-21
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशि (केवल घरेलू)	39721.71	33601.39
बैंक की कुल जमाराशियों के सापेक्ष बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत	6.80 %	6.34%

बी) अग्रिमों की मात्रा (राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2021-22	2020-21
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	51586.08	52342.04
बैंक के कुल अग्रिम के सापेक्ष बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं दिए गए अग्रिम का प्रतिशत	12.41%	13.41%

* अग्रिमों की गणना क्रेडिट एक्सपोजर के आधार पर की जाएगी यानी डेरिवेटिव एक्सपोजर सहित फंडेड और नॉन–फंड लिमिट जहां लागू हो । स्वीकृत सीमा या बकाया, जो भी अधिक हो, की गणना की जाएगी। हालांकि, पूरी तरह से आहरित मीयादी ऋणों के मामले में, जहां स्वीकृत सीमा के किसी भी हिस्से को फिर से निकालने की कोई गुंजाइश नहीं है बैंक बकाया को क्रेडिट एक्सपोजर के रूप में मान सकता है।

सी. एक्सपोज़र की मात्रा (राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2021-22	2020-21
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के प्रति कुल एक्सपोजर	68900.08	68813.87
उधारकर्ताओं / ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोजर के सापेक्षबीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के एक्सपोजर का प्रतिशत/	11.86%	12.51%

डी. एनपीए की मात्रा

विवरण	31.03.2022	31.03.2021
शीर्ष बीस खातों में कुल एक्सपोजर	6587.36	7987.90
कुल सकल एनपीए के सापेक्ष बीस सबसे बड़े एनपीए एक्सपोजर का प्रतिशत	18.71%	20.77%

7. डेरिवेटिव

ए) <u>वायदा दर करार/ब्याज दर स्वैप</u>

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, बैंक ने तुलन पत्र आस्तियों के बचाव के लिए वायदा दर करार/ब्याज दर स्वैप (आईआरएस) के स्वरूप की कोई व्युत्पन्न संविदा नहीं की।

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2021-22	2020-21
I) स्वैप समझौतों का आनुमानिक सिद्धांत	0.00	0.00
ii) यदि समझौते के तहत साझेदार, अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहे तो होने वाली हानियाँ	शून्य	शून्य
iii) स्वैप में प्रवेश करने पर बैंक द्वारा आवश्यक संपार्श्विक	शून्य	शून्य
iv) स्वैप से उत्पन्न होने वाले ऋण जोखिम की मात्रा	0.00	0.00
v) स्वैप बुक का उचित मूल्य	0.00	0.00

नोट: स्वैप की प्रकृति और शर्तें, जिसमें क्रेडिट और बाजार जोखिम पर जानकारी और स्वैप रिकॉर्ड करने के लिए अपनाई गई लेखा नीतियां शामिल हैं, का भी प्रकटीकरण किया जाएगा।

बी) <u>विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न</u>

वर्तमान वर्ष और विगत वर्ष के दौरान बैंक ने विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न के लिए कोई करार नहीं किया है।

क्र.सं.	विवरण	2021-22	2020-21
I)	वर्ष के दौरान किये गये विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न का अनुमानित मूलधन (लिखत वार)	शून्य	शून्य
ii)	31 मार्च 2020 को विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न के अनुमानित मूलधन का बकाया (लिखत वार)	शून्य	शून्य
iii)	विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न के अनुमानित मूलधन का बकाया तथा ''अधिक प्रभावात्मक'' न रहनेवाले (लिखत वार) "highly effective" (instrument-wise)	शून्य	शून्य
iv)	विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न के बाजार मूल्य को बही में अंकित राशि का बकाया तथा अधिक प्रभावात्मक न रहनेवाले (लिखत वार)	शून्य	शून्य

सी) व्युत्पन्नों में ऋण जोखिम पर प्रकटीकरण

I) गुणात्मक प्रकटीकरणः

बैंक की नीति आईआरएस का उपयोग करते हुए आस्तियों के साथ–साथ देयताओं की हेजिंग की अनुमति देती है। हेजिंग लेन–देनों को उपचय आधार पर लेखांकित किया जाना चाहिए। ऐसे स्वैप जो ब्याज कमानेवाली आस्ति / देयता की प्रतिरक्षा करते हैं, हेज की गई आस्ति या देयता के रूप में लेखांकित किये जाते हैं। बकाया स्वैप संविदाएँ बाजार मूल्य पर अंकित होती हैं।

अंतर्राष्ट्रीय स्वैप डीलर संघ के दिशानिर्देशों के आधार पर सभी स्वैप लेनदेन किए गए हैं। लेनदेनों को समाप्त करने के पहले बैंक के पास पर्याप्त आंतरिक अनुमोदन और नियंत्रण प्रणालियाँ उपलब्ध हैं। (i) व्यापार (डीलिंग) (ii) बैक–ऑफ़िस (समझौता, निगरानी और नियंत्रण) तथा (iii) लेखाकरण क्षेत्रों के बीच एक स्पष्ट कार्यकारी पृथक्करण उपलब्ध है।

व्युत्पन्न उत्पाद खंड के अंतर्गत बैंक, ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप (ओआईएस) में स्वामित्व लेनदेन कर रहा है। इस खंड में बैंक की गतिविधियाँ बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्युत्पन्न उत्पाद संबंधी नीति के अधीन की जाती हैं।

ओआईएस लेनदेनों से होनेवाले लाभ व हानि, लेनदेन की परिपक्वता या समाप्ति, जो भी पूर्व हो, पर लाभ व हानि खाते में दर्शाए जाते हैं। बकाया ओआईएस लेनदेन के मूल्यांकन को निश्चित करने के लिए, संपूर्ण अदला–बदली का सही मूल्य, तुलन पत्र की दिनांक पर अदला–बदली की समाप्ति से प्राप्य या देय राशि, के आधार पर किया जाता है। इससे प्राप्त हानि के लिए संपूर्ण प्रावधान किया जाता है और अगर लाभ हो तो, नजर अंदाज किया जाता है।

विनिमय बाजार में लेनदेन किए जाने वाले विदेशी विनिमय व्युत्पन्न उत्पाद अर्थात् मुद्रा वायदे सौदे, विनिमय बाजार निर्धारित मूल्यों पर मूल्यांकित किए जाते हैं और परिणामस्वरूप होनेवाला लाभ व हानि, बैंक के लाभ व हानि खाते में दर्शाया जाता है।

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

व्युत्पन्न बाजार में बैंक के निम्नलिखित उत्पाद हैं :–

- करेंसी फ्युचर्स

31.03.2022 को करेंसी फ्यूचर्स में बकाया स्थिति ₹ शून्य है और पिछले वर्ष ₹ शून्य थी।

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2022		31.03.2021	
		मुद्रा व्युत्पाद	ब्याज दर व्युत्पाद	मुद्रा व्युत्पाद	ब्याज दर व्युत्पाद
a)	व्युत्पन्न (नाममात्र मूल रकम)				
	क) प्रतिरक्षा के लिए	0.00	0.00	0.00	0.00
	ख) व्यापार के लिए	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	बाज़ार की स्थितियों पर अंकित				
	क) आस्ति (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
	ख) देयता (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	ऋण जोखिम	0.00	0.00	0.00	0.00
d)	ब्याज दर में एक प्रतिशत बदलाव का संभाव्य प्रभाव (100* पीवी 01)				
	i) प्रतिरक्षा व्युत्पन्न पर	0.00	0.00	0.00	0.00
	ii) व्यापार व्युत्पन्न पर	0.00	0.00	0.00	0.00
e)	वर्ष के दौरान पाए गए 100 पीवी* 01 का अधिकतम और न्यूनतम				
	i) प्रतिरक्षा पर	0.00	0.00	0.00	0.00
	ii) व्यापार पर	0.00	0.00	0.00	0.00

डी) क्रेडिट डिफाल्ट स्वैपः शून्य

प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण (राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण 2021.22	2020-21	
1	प्रवर्तक द्वारा उत्पन्न प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए संपत्ति रखने वाले एसपीई की संख्या (केवल बकाया प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर से संबंधित एसपीवी यहां रिपोर्ट की जाएगी)	शून्य	शून्य
2	एसपीई की बुक के अनुसार प्रतिभूत संपत्ति की कुल राशि	शून्य	शून्य
3	बैलेंस शीट की तारीख को एमआरआर का अनुपालन करने के लिए प्रवर्तक द्वारा रखे गए एक्सपोजर की कुल राशि ए) ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोज़र ❍ फर्स्ट लॉस ❍ अन्य बी) ऑन बैलेंस शीट एक्सपोज़र ❍ फर्स्ट लॉस ❍ अन्य	शून्य शून्य शून्य	शून्य शून्य शून्य
4	एमआरआर के अलावा प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए एक्सपोजर की राशि ए) ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोज़र I) स्वयं के प्रतिभूतिकरण के लिए एक्सपोजर ❍ फर्स्ट लॉस ❍ अन्य ii) तीसरे पक्ष के प्रतिभूतिकरण के लिए एक्सपोजर ❍ फर्स्ट लॉस ❍ अन्य बी) ऑन बैलेंस शीट एक्सपोज़र I) स्वयं के प्रतिभूतिकरण के लिए एक्सपोजर ❍ फर्स्ट लॉस ❍ अन्य ii) तीसरे पक्ष के प्रतिभूतिकरण के लिए एक्सपोजर ❍ फर्स्ट लॉस ❍ अन्य	शून्य शून्य शून्य	शून्य शून्य शून्य
5	प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए प्राप्त बिक्री प्रतिफल और प्रतिभूतिकरण के कारण बिक्री पर लाभ/हानि	शून्य	शून्य
6	लिक्विडिटी सपोर्ट, पोस्ट–सिक्योरिटाइजेशन एसेट सर्विसिंग आदि के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं का फॉर्म और मात्रा (बकाया मूल्य)।	शून्य	शून्य
7	प्रदान की गई सुविधा का प्रदर्शन। कृपया प्रत्येक सुविधा अर्थात ऋण में वृद्धि, लिक्विडिटी सहायता, सर्विसिंग एजेंट आदि के लिए अलग से उल्लेख करें। प्रदान की गई सुविधा के कुल मूल्य के रूप में कोष्ठक में प्रतिशत का उल्लेख करें। (ए) भुगतान की गई राशि (बी) चुकौती प्राप्त (सी) बकाया राशि	 शून्य	 शून्य
8	अतीत में पाए गए पोर्टफोलियो की औसत डिफॉल्ट दर। कृपया प्रत्येक परिसंपत्ति वर्ग अर्थात आरएमबीएस, वाहन ऋण आदि के लिए अलग से विवरण प्रदान करें	शून्य	शून्य
9	समान अंतर्निहित परिसंपत्ति पर दिए गए अतिरिक्त/टॉप अप ऋण की राशि और संख्या। कृपया प्रत्येक परिसंपत्ति वर्ग अर्थात आरएमबीएस, वाहन ऋण आदि के लिए अलग से विवरण प्रदान करें	शून्य	शून्य
10	निवेशकों की शिकायतें (ए) प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त और; (बी) बकाया शिकायतें	शून्य	शून्य

9. एसपीवी प्रायोजित ऑफ बैलेंस शीट (जिन्हें लेखांकन मानदंडों के अनुसार समेकित किया जाना आवश्यक है)

प्रायोजित एसपीवी का नाम	
घरेलू	ओवरसीज
शून्य	शून्य

10. डिपॉजिटर एजुकेशन एण्ड अवेरनेस फंड (डीईए फंड) में अंतरण

(राशि ₹ करोड़ में)

	विवरण	2021-22	2020-21
1.	डीईएएफ को अंतरित राशियों की प्रारंभिक शेष राशि	1973.27	1386.90
2.	जोड़ें : वर्ष के दौरान डीईएएफ को अंतरित राशि	265.92	596.89
3.	घटाए : वर्ष के दौरान दावों के लिए डीईएएफ द्वारा प्रतिपूर्ति की गई राशि	17.70	10.52
4.	डीईएएफ को अंतरित राशि का अंतिम शेष, (1+2–3)	2221.49	1973.27

11. शिकायतों का प्रकटीकरण

ए) बैंक को ग्राहकों से और बैंकिंग लोकपाल (ओबीओ) के कार्यालयों से प्राप्त शिकायतों पर संक्षिप्त जानकारी

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं.		विवरण	2021-22	2020-21
	बैंक को अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें			
1		वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	11834	16804
2		वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	254183	321876
3		वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	264429	326846
	3.1	जिनमें से, बैंक द्वारा अस्वीकृत शिकायतों की संख्या	531	351
4		वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	1588	11834
	ओबीओ से बैंक को प्राप्त अनुरक्षणीय शिकायतों की संख्या			
5		लोकपाल कार्यालय से बैंक को प्राप्त अनुरक्षणीय शिकायतों की संख्या	7204	4896
	5.1	5 में से, बीओ द्वारा बैंक के पक्ष में हल की गई शिकायतों की संख्या	6254	4795
	5.2	5 में से, बीओ द्वारा जारी सुलह / मध्यस्थता / सलाह के माध्यम से हल की गई शिकायतों की संख्या	460	466
	5.3	5 में से, बैंक के खिलाफ बीओ द्वारा अधिनिर्णय पारित करने के बाद हल की गई शिकायतों की संख्या	3	0
6		निर्धारित समय के भीतर लागू नहीं किए गए अधिनिर्णयों की संख्या (अपील किए गए अधिनिर्णय के अलावा)	0	0

नोट: अनुरक्षण योग्य शिकायतें विशेष रूप से एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 (पहले बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006) में उल्लिखित आधारों पर शिकायतों को संदर्भित करती हैं और योजना के दायरे में आती हैं।

बी) ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शिकायतों के शीर्ष पांच आधार

शिकायतों का आधार (अर्थात संबंधित शिकायतें)	वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में : वृद्धि / कमी	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	(5) में से, 30 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों की संख्या
1	2	3	4	5	6
चालू वर्ष					
एटीएम डेबिट कार्ड	4815	137138	- 2 %	884	0
इंटरनेट / मोबाइल / इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	6150	46991	- 62 %	291	0
खाता खोलना / खाते के संचालन में कठिनाई	113	3505	+ 118 %	21	0
ऋण और अग्रिम	63	3258	- 20 %	18	0
वरिष्ठ नागरिकों / दिव्यांगजनों के लिए पेंशन और सुविधाएं	0	1340	+ 224 %	8	0
अन्य	693	61951	+ 22 %	366	0
कुल	**11834**	**254183**	**- 21 %**	**1588**	**0**
पिछला वर्ष					
एटीएम डेबिट कार्ड	2341	139288	- 55 %	4815	350
इंटरनेट / मोबाइल / इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	13637	124969	+ 26 %	6150	2649
ऋण और अग्रिम	1	4084	+ 440 %	113	31
खाता खोलना / खाते के संचालन में कठिनाई	12	1605	+ 915 %	63	9
क्रेडिट कार्ड	3	1137	+ 19 %	0	0
अन्य	810	50793		693	209
कुल	**16804**	**321876**		**11834**	**3248**

12 **भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए जुर्माने का प्रकटीकरण**

वर्ष के दौरान आरबीआई ने ₹ 265.44 लाख (163 प्रविष्टियां) का जुर्माना लगाया है, जिनमें से

– ₹ 24.41 लाख (149 प्रविष्टियाँ) मुद्रा तिजोरी संचालन से संबंधित शोर्टेज, गंदे नोटों के प्रेषण में जालसाजी, ईकुबेर में देरी / गलत रिपोर्टिंग / आरबीआई दिशानिर्देशों का पालन न करना से संबंधित है ;

– ₹ 6.98 लाख (1 प्रविष्टि) एनईएफटी क्रेडिट में देरी के कारण है,

– डिजिटल लेनदेन से संबंधित ग्राहक शिकायतों पर सहकर्मी समूह के औसत उल्लंघन के कारण ₹ 0.50 लाख

(1 प्रविष्टि)

– एटीएम में रकम की पुनःपूर्ति न होने के कारण ₹ 6.70 लाख (8 प्रविष्टियां)

– एनबीएफसी को बैंक वित्त पर आरबीआई के निर्देशों के उल्लंघन के कारण ₹ 100.00 लाख का जुर्माना

(1 प्रविष्टि)

– एनएसीएच रिटर्न में विलंब के लिए एनपीसीआई द्वारा लगाया गया ₹ 68.37 लाख का जुर्माना (1 प्रविष्टि)

– एनपीसीआई पोर्टल में टीसीसी / डीआरसी प्रविष्टियों के समाधान और अपडेशन को पूरा करने में विलंब के लिए एनपीसीआई द्वारा लगाया गया ₹ 58.48 लाख का जुर्माना (2 प्रविष्टियां)

13. नकदी प्रवाह विवरण (एएस 3)

(राशि ₹ हजार में)

	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
लाभ व हानि खाते के अनुसार निवल लाभ निम्नलिखित हेतु समायोजन :	**39448206**	**30046777**
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	84466008	73184606
निवेश के लिए प्रावधान	4537502	4276778
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	9615745	4694004
कर के लिए प्रावधान	(7405871)	(990977)
अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएं	(60210)	2745298
अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास	5974999	6328720
पूंजी लिखत पर ब्याज	7495868	6439760
भूमि और भवनों की बिक्री पर हानि/(लाभ)	(52203)	3919
सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम से लाभांश आय	(12285)	0
आयकर का भुगतान	**0**	0
कार्यशील पूँजी परिवर्तनों के पूर्व परिचालनगत लाभ	**144007759**	**126728885**
परिचालनगत आस्तियों में वृद्धि / कमी		
निवेशों में (वृद्धि) / कमी	15246280	(150563787)
अग्रिमों में (वृद्धि) / कमी	(349673681)	(302528578)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी	50561956	(20832693)
	(283865445)	**(473925058)**
परिचालनगत देयताओं में वृद्धि / कमी		
जमाओं में वृद्धि /(कमी)	555466988	495212542
उधार में वृद्धि / (कमी) (पूंजीगत लिखत के अलावा)	(69900227)	(67892203)
अन्य देयताओं में वृद्धि/(कमी)	(58387950)	92163643
	427178811	**519483982**
परिचालन (ए) से सृजित निवल नकदी	**287321125**	**172287809**
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम से लाभांश आय	12285	0
अचल आस्तियों की खरीद	(3184083)	(5586490)
अचल आस्तियों की बिक्री	182100	154985
निवेश गतिविधियों से सृजित निवल नकदी (बी)	**(2989698)**	**(5431505)**
वित्तपोषण गतिविधियों से कुल नकदी प्रवाह		
लाभांश का भुगतान	(2490882)	0
एटी–1 बांड जारी करना	0	20000000
टियर – 2 बांड जारी करना	0	20000000
एटी 1 बांड का मोचन	0	(5000000)
टियर 2 बांडों का मोचन	(6000000)	(10000000)
पूंजी लिखत पर ब्याज	(7824750)	(6319416)
अवधि के दौरान जारी इक्विटी पूंजी (शेयर प्रीमियम सहित)	16499999	0
ई–एबी शेयरधारक को भुगतान की गई राशि (अंश भाग के लिए)	0	(25076)
वित्तपोषण गतिविधियों से सृजित निवल नकदी (सी)	**184367**	**18655508**
समामेलन के कारण प्राप्त नकदी एवं नकदी समकरण/तुल्य (डी)	**0**	**217503795**

नकदी और नकदी समकरणों में निवल वृद्धि/(कमी) (ए) + (बी) + (सी) + (डी)	**284515794**	**403015607**
वर्ष के प्रारंभ में नकदी व नकदी तुल्य		
हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट सहित)	16582776	10060885
भारतीय रिजर्व बैंक के साथ चालू खाते में शेष	258868041	47300358
बैंकों में शेष		
(ए) चालू खातों में	950844	53506
(बी) अन्य जमा खातों में	20464344	7133657
बैंकों में मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशियां	89000001	21000001
भारत के बाहर बैंकों में शेष		
(ए)चालू खातों में	15776770	5309257
(बी) अन्य जमा खातों में	112708204	20684919
मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशियां	293742	86532
	514644722	**111629115**
वर्ष के अंत में नकदी व नकदी तुल्य		
हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट सहित)	19623975	16582776
भारतीय रिजर्व बैंक के साथ चालू खाते में शेष	220920116	258868041
बैंकों में शेष		
(ए) चालू खातों में	61763	950844
(बी) अन्य जमा खातों में	13861522	20464344
बैंकों में मांग एवं अल्प सूचना पर राशियां	345002006	89000001
भारत के बाहर बैंकों में शेष		
(ए)चालू खातों में	5039797	15776770
(बी) अन्य जमा खातों में	194530925	112708204
मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशियां	120412	293742
	799160516	**514644722**
नकद और नकद समकक्ष प्रारम्भ और अंत में अंतर	284515794	403015607

14. स्टाफ को प्रदत्त लाभ (एएस 15)

I) परिभाषित अंशदान योजनाएँ :

भविष्य निधि एक वैधानिक दायित्व है और अंशदायी भविष्य निधि का विकल्प चुननेवालों के मामले में बैंक पूर्वनिर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान अदा करता है। ऐसे निश्चित अंशदान की राशि तक ही बैंक का दायित्व सीमित है। इन अंशदानों को लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है। निधि का प्रबंध इंडियन बैंक स्टाफ भविष्य निधि न्यास द्वारा किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2021.22 के दौरान बैंक ने ₹ 1.14 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1.07 करोड़) का अंशदान दिया है।

नई पेंशन योजना (एनपीएस) उन कर्मचारियों पर लागू होती है, जिनकी बैंक में भर्ती 01.04.2010 के बाद हुई है और यह एक परिभाषित अंशदान योजना है। एनपीएस के अंतर्गत बैंक पूर्व–निर्धारित दर पर एक निश्चित अंशदान अदा करता है और बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित अंशदान तक सीमित है। इस अंशदान को लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2021.22 के दौरान, बैंक ने ₹ 255.18 करोड़ (पिछले वर्ष ₹153.31 करोड़) का अंशदान दिया है।

ii) परिभाषित लाभ योजनाएं :

लेखा मानक–15 (संशोधित) के अनुसरण में अपेक्षित लाभ एवं हानि लेखा और तुलन पत्र में मान्यता दिए गए नियोजनोत्तर लाभ और दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों की संक्षेप में स्थिति निम्नानुसार है :–

निम्न तालिका बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार परिभाषित लाभ पेंशन योजना और उपदान योजना का आधार निर्धारित करता है:

मूल बीमांकक अनुमान (भारित औसतों के रूप में व्यक्त)	31/03/2022	31/03/2021
बट्टे की दर –जी –सेक रेट	पेंशन एवं उपदान के लिए 7.27% – 15 वर्ष जी–सेक पेपर	पेंशन के लिए 6.87% - 15 वर्ष जी–सेक पेपर उपदान के लिए 6.44% - 10 वर्ष जी–सेक पेपर
वेतन बढोत्तरी की दर	6.00% (वेतन संशोधन हेतु 0.50% सहित)	6.00: (वेतन संशोधन हेतु 0.50% सहित)
पदत्याग की दर	पेंशन के लिए 1.00% और सेवारत कर्मचारियों के लिए 2.00%	पेन्शन के लिए 1.00% और सेवारत कर्मचारियों के लिए 2.00%
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल की दर'	7.62% पेंशन के लिए और 7.67% उपदान के लिए	6.89% पेंशन के लिए और 6.86% उपदान के लिए
प्रयुक्त तरीका	परियोजना इकाई जमा (पीयूसी) बीमांकिक तरीका	

* योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल की दर, छुट्टी की भुनाई पर लागू नहीं होगी।

भविष्य में होनेवाली वेतन बढोत्तरी का आकलन, मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और नियोजन बाज़ार में आपूर्ति और मांग जैसे संगत तत्वों को हिसाब में लेते हुए और आईबीए द्वारा संसूचित अधिवर्षिता योजनाओं के निधीयन के दिशानिर्देश के अनुरूप किया जाता है। इस तरह के अनुमान बहुत दीर्घकालिक हैं और सीमित अतीत के अनुभव / तत्काल भविष्य पर आधारित नहीं हैं। अनुभवजन्य साक्ष्य यह भी बताते हैं कि बहुत लंबे समय में, लगातार उच्च वेतन वृद्धि दर संभव नहीं है।

छुट्टी भुनाई की देयताएँ गैर–निधिक होती हैं।

II. बाध्यता के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन – प्रारंभिक शेष एवं अंतशेष का लेखा समाधान	**पेंशन निधि**		**उपदान निधि**		**छुट्टी की भुनाई**	
	2021-22	**2020-21**	**2021-22**	**2020-21**	**2021-22**	**2020-21**
वर्ष के आरंभ में पीवीओ	15319.48	13995.78	1848.22	1868.46	977.42	826.09
ब्याज लागत	1047.85	914.67	110.19	120.53	59.12	53.97
वर्तमान सेवा लागत	250.19	229.80	69.21	105.33	175.72	174.38
विगत सेवा लागत – पहचानी गई / निहित लाभ	0.00	0	0.00	0	0.00	0
विगत सेवा लागत – न पहचानी गई /अनिहित लाभ	0.00	0	0.00	0	0.00	0
प्रदत्त लाभ	-1812.10	-1363.65	-274.20	-223.04	-284.86	-69.4
बाध्यता पर बीमांकिक हानि / (लाभ)	1741.31	1542.88	30.26	-23.06	77.35	-7.62
वर्ष की समाप्ति पर पीवीओ	**16546.73**	**15319.48**	**1783.68**	**1848.22**	**1004.75**	**977.42**

III. योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन – प्रारंभिक शेष एवं अंतशेष का लेखा समाधान	**पेंशन निधि**		**उपदान निधि**		**छुट्टी की भुनाई**	
	2021-22	**2020-21**	**2021-22**	**2020-21**	**2021-22**	**2020-21**
वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	14961.61	13918.80	1897.26	1929.03	0.00	0
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	1132.00	1104.42	136.42	126.42	0.00	0
अंशदान	1599.55	1495.93	36.86	50.7	284.86	215.94
प्रदत्त लाभ	-1812.10	-1363.65	-274.20	-223.04	-284.86	-215.94
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि)	12.57	-193.89	6.41	14.15	0.00	0
वर्ष की समाप्ति पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य	**15893.63**	**14961.61**	**1802.75**	**1897.26**	**0.00**	**0**

(राशि ₹ करोड़ में)

IV. योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	पेंशन निधि		उपदान निधि		छुट्टी की भुनाई	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	1132.00	1104.42	136.42	126.42	0.00	0.00
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	12.57	-193.39	6.41	14.15	0.00	0.00
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	**1144.57**	**910.53**	**142.83**	**140.57**	**0.00**	**0.00**

(राशि ₹ करोड़ में)

V. पहचाना गया बीमांकिक लाभ/हानि	पेंशन निधि		उपदान निधि		छुट्टी की भुनाई	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) – बाध्यता	-1741.31	-1542.88	-30.26	+23.06	-77.35	7.62
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) – डीबीओ में वित्तीय धारणा में बदलाव के कारण	0.00	0	0.00	0	0.00	0
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)–योजना आस्तियां	12.57	-193.89	6.41	+14.15	0.00	0
वर्ष के लिए कुल लाभ/(हानि)	-1728.74	-1736.77	-23.85	+37.21	-77.35	7.62
वर्ष के दौरान पहचाने गए बीमांकिक लाभ/(हानि)	-1728.74	-1736.77	-23.85	+37.21	-77.35	7.62
वर्ष के अंत में न पहचाने गए बीमांकिक लाभ/(हानि)	0.00	0	0.00	0	0.00	0
बाध्यता पर बीमांकिक हानि / (लाभ)	**-1728.74**	**-1736.77**	**-23.85**	**+37.21**	**-77.35**	**7.62**

(राशि ₹ करोड़ में)

VI. तुलन पत्र में पहचानी गयी राशियां और संबंधित विश्लेषण	पेंशन निधि		उपदान निधि		छुट्टी की भुनाई	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	16546.73	15319.48	1783.68	1848.22	1004.75	977.42
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	15893.63	14961.61	1802.75	1897.26	0	0
अन्तर. निवल (देयता) / तुलन पत्र में पहचानी गई आस्ति	-653.10*	-357.87	19.07	49.04	1004.75	977.42
पहचान न की गयी संक्रमणकालीन देयता	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0
पहचान न की गयी विगत सेवा लागत	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0
तुलन पत्र में पहचानी गयी देयता	**-653.10***	**-357.87**	**19.07**	**49.04**	**1004.75**	**977.42**

* पारिवारिक पेंशन नियमों में परिवर्तन के कारण प्रावधान शामिल है

(राशि ₹ करोड़ में)

VII. लाभ एवं हानि लेखे में पहचाने गये व्यय	पेंशन निधि		उपदान निधि		छुट्टी की भुनाई	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
वर्तमान सेवा लागत	250.19	229.79	69.21	105.33	175.72	174.38
ब्याज लागत	1047.85	914.67	110.19	120.53	59.12	53.97
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	-1132.00	-1104.42	-136.42	-126.42	0	0.00
निवल बीमांकिक (लाभ)/ हानि जो इस वर्ष में पहचानी गई है	1728.74	1736.77	23.85	-37.21	77.35	7.62
इस वर्ष में पहचानी गई संक्रमणकालीन देयता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विगत सेवा लागत – पहचानी गई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
लाभ एवं हानि लेखे में पहचाने गये व्यय	**1894.78**	**1776.82**	**66.83**	**62.23**	**312.19**	**220.73**

(राशि ₹ करोड़ में)

VIII. तुलन पत्र में पहचानी गयी देयताओं में परिवर्तन	पेंशन निधि		उपदान निधि		छुट्टी की भुनाई	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
निवल देयता का आरंभिक शेष	-357.87	-76.98	49.04	60.57	-977.42	-826.09
उपर्युक्तानुसार व्यय	-1894.78	-1776.82	-66.83	-62.23	-312.19	-220.73
प्रदत्त अंशदान	1599.55	1495.93	36.86	50.70	284.86	69.40
निवल देयता का अंत शेष	**-653.10**	**-357.87**	**19.07**	**49.04**	**-1004.75**	**-977.42**

(राशि ₹ करोड़ में)

IX. योजना आस्तियों/देयताओं पर अनुभव समायोजन (ii) पिछले वर्ष 2017–21 – पेंशन	को समाप्त वर्ष					
	31-03-2017	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2022
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	5925.15	6245.89	6520.32	6801.96	15319.48	16546.73
योजना आस्तियां	5841.36	6146.80	6418.93	6697.41	14961.61	15893.63
अधिशेष (घाटा)	-83.79	-99.09	-101.39	-104.55	-357.87	-653.10
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ	-626.82	-704.39	-335.65	-449.25	-1542.88	-1741.31
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ	**27.73**	**10.93**	**-8.58**	**13.32**	**-193.89**	**12.57**

(राशि ₹ करोड़ में)

IX. योजना आस्तियों/देयताओं पर अनुभव समायोजन (iii) पिछले वर्ष 2017–21 – उपदान	को समाप्त वर्ष					
	31-03-2017	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2022
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	900.90	964.99	923.85	928.98	1848.22	1783.68
योजना आस्तियां	876.81	932.55	910.66	896.40	1897.26	1802.75
अधिशेष (घाटा)	-24.09	-32.44	-13.19	-32.58	49.04	19.07
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ	-87.34	-36.20	-2.11	-61.22	23.06	107.08
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ	**-1.36**	**22.12**	**-0.38**	**2.71**	**14.15**	**6.41**

(राशि ₹ करोड़ में)

IX. योजना आस्तियों/देयताओं पर अनुभव समायोजन (iii) पिछले वर्ष 2017–21 छुट्टी भुनाई	को समाप्त वर्ष					
	31-03-2017	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2022
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	171.21	179.51	188.21	210.29	977.42	1004.75
योजना आस्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अधिशेष (घाटा)	-171.21	-179.51	-188.21	-210.29	-977.42	-1004.75
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ	-3.01	10.18	7.58	17.71	7.62	-77.35
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

X. योजना आस्तियों के मुख्य संवर्ग (कुल योजना आस्तियों के प्रतिशत में)	2021-2022		2020-2021	
	पेंशन निधि	उपदान निधि	पेंशन निधि	उपदान निधि
भारत सरकार प्रतिभूतियाँ और राज्य सरकार प्रतिभूतियाँ	32.38%	23.42%	36.76%	28.00%
उच्च गुणवत्तावाले कार्पोरेट बांड/पीएसयू बांड	13.42%	12.21%	15.64%	12.98%
विशेष जमा योजना	0.06%	0.04%	0.06%	0.00%
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधियाँ	53.98%	64.11%	47.21%	58.60%
निजी क्षेत्र के बॉण्ड	0.16%	0.22%	0.33%	0.42%
मनी मार्केट			-	-
कुल	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**

(राशि ₹ करोड़ में)

XI. अगले वर्ष के दौरान अंशदान	पेंशन निधि	उपदान राशि	अर्जित छुट्टी
अगले वर्ष के दौरान अंशदान पर उद्यम का सर्वोच्च अनुमान	1300	50	300

iii. अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ

बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों के लिए ₹ 48.43 करोड़ की राशि (गत वर्ष ₹ 50.12 करोड़) का प्रावधान किया गया है तथा इसे लाभ एवं हानि लेखे में "कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान" शीर्ष के तहत शामिल किया गया है।

वर्ष के दौरान विभिन्न दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों हेतु बनाए गए प्रावधान/(अवलिखित) अतिरिक्त प्रावधानों का विवरणः

(राशि ₹ करोड़ में)

सं.	दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ	31/03/2022	31/03/2021
1.	बीमारी छुट्टी	1.84	15.28
2.	आकस्मिक छुट्टी	0.09	0.16
3.	छुट्टी यात्रा रियायत	46.50	34.68
	कुल	**48.43**	**50.12**

(राशि ₹ करोड़ में)

सं.	दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ	01.04.2021 को प्रारंभिक शेष	2021–22 का व्यय	2021–22 का जोड़	31.03.2022 को अंतिम शेष
1	बीमारी छुट्टी	22.66	3.04	4.87	24.49
2	आकस्मिक छुट्टी	0.87	0.38	0.48	0.97
3	छुट्टी यात्रा रियायत	69.92	32.75	46.50	83.67
कुल		**93.45**	**36.17**	**51.85**	**109.13**

नोटः शामिल प्रकटीकरण, बीमांकक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की सीमा तक सीमित है।

बैंक ने दिनांक 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के दौरान ग्यारहवें द्विपक्षीय समझौता एवं 11 नवम्बर 2020 के संयुक्त नोट के तहत आनेवाले कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन में संशोधन के कारण रु.464.59 करोड़ की संपूर्ण अतिरिक्त देयता प्रदान की है। पारिवारिक पेंशन के कारण तुलन–पत्र में कोई परिशोधित व्यय नहीं है ।

15. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (एएस–10)

अचल आस्तियाँ

1.1. बैंक के परिसर में भूमि शामिल है तथा इसे पूनर्मूल्यांकित राशि पर लिया गया है। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए अपने परिसर का पुनर्मूल्यांकन अनुमोदति बाह्य मूल्यांककों द्वारा उचित बाज़ार मूल्य पर किया है। परिसर के पुनर्मूल्यांकन की राशि में ₹ 599.48 करोड़ की वृद्धि हुई है, जिसे ''पूनर्मूल्यांकन आरक्षित खाते'' में जमा किया गया। वर्ष 2021.22 के लिए व्यय के तहत ₹ 147.27 करोड़ की राशि (पिछले वर्ष – ₹ 149.63 करोड़) मूल्यह्रास हेतु प्रभारित किया गया तथा और ₹ 143.42 करोड़ की राशि (पिछले वर्ष ₹ 142.87 करोड़) की पुनर्मूल्यांकित अंश पर मूल्यह्रास को ''पूनर्मूल्यांकन आरक्षित खाते'' में समायोजित किया गया।

1.2. निम्नलिखित आस्तियों के लिए पंजीकरण औपचारिकताएं पूरी की जानी बाकी हैं:

परिसर में 8.38 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 8.38 करोड़ मूल्य की 9 (7+2*) संपत्तियाँ) मूल्य की 9 (7+2*) संपत्तियाँ हैं जिनकी मूल / पुनर्मूल्यांकन बुक वैल्यू ₹ 66.74 करोड़ (विगत वर्ष – ₹ 59.74 करोड़), निवल मूल्यह्रास 1.46 करोड़ रुपये (विगत वर्ष ₹ 1.40 करोड़) है, जिसके लिए पंजीकरण प्रक्रिया लंबित है।

* ₹ 1.61 करोड़ की लागत की हैदराबाद में संपत्ति, जहां यूएलसी प्राधिकरण के समक्ष मंजूरी लंबित है और चेन्नै में ₹ 2.32 करोड़ की लागत की सम्पत्ति है, जहां डीआरएटी ने अंतरिम रोक लगायी है।

16. पट्टे (एएस 19)

ए. पट्टे / किराए आधार पर ली गई परिसंपत्तियों के संबंध में, बैंक के विकल्प के अनुसार उन्हें नवीकृत / रद्द किया जा सकता है।

बी. बैंक द्वारा किए गए पट्टे करार, आपस में सहमत अवधि के लिए हैं जिसमें लिखित रूप से सहमत कैलेण्डर महीनों की नोटिस देने के जरिए पट्टे की अवधि के दौरान भी उसे समाप्त किया जा सकता है।

सी. परिचालनगत पट्टों के लिए प्रदत्त पट्टा किराए को, जिस वर्ष से संबन्धित है, उसी वर्ष में लाभ एवं हानि लेखे में व्यय के रूप में पहचाना जाता है। वर्तमान वर्ष के दौरान पहचाना गया पट्टा किराया ₹ 417.00 करोड़ हैं। (विगत वर्ष – ₹ 440.41 करोड़)।

डी. वित्त पट्टा

वित्त पट्टे पर प्राप्त आस्ति में संयंत्र एवं उपस्कर और भूमि शामिल हैं। पट्टों की एक प्राथमिक अवधि होती है, जो निश्चित और गैर–रद्द होती है। बैंक के पास द्वितीयक अवधि के लिए पट्टे को नवीनीकृत करने का विकल्प है।

वित्त पट्टा के तहत आवश्यक आस्तियों के संबंध में न्यूनतम पट्टे के किराये और न्यूनतम पट्टे के भुगतान का वर्तमान मूल्य निम्नानुसार हैं:

17. ग्रामीण विकास हेतु इंडियन बैंक ट्रस्ट

22.09.2008 को बैंक द्वारा ग्रामीण विकास हेतु इंडियन बैंक ट्रस्ट स्थापित किया गया है जो ग्रामीण विकास पर अनन्य रूप से केन्द्रित ध्यान देते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में समुदाय की सहायता करने में लगी हुई अन्य विभिन्न संस्थाओं / अभिकरणों के साथ समन्वय स्थापित करेगा और इसी उद्देश्य से पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक में

विवरण	न्यूनतम पट्टे का भुगतान		न्यूनतम पट्टा भुगतान का वर्तमान मूल्य	
	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
1 वर्ष के पूर्व देय	0	0	0	0
1 वर्ष के बाद एवं 5 वर्षों के पूर्व देय	0	0	0	0
5 वर्षों के बाद देय	0	0	0	0
कुल	0	0	0	0
कम रू भविष्य के वित्तीय प्रभार				
न्यूनतम पट्टा भुगतान का वर्तमान मूल्य	0	0	0	0

इलाहाबाद बैंक ग्रामीण विकास न्यास (एबीडीआरटी) की स्थापना हुई थी।

भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार, पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक को 01.04.2020 के प्रभाव से इंडियन बैंक के साथ समामेलित गया है।

आईबीटीआरडी और एबीडीआरटी दोनों के न्यास खातों की विधिवत लेखापरीक्षा अर्हताप्राप्त सनदी लेखाकारों द्वारा की जाती है । इंडियन बैंक ट्रस्ट फॉर रूरल डेवलपमेंट (आईबीटीआरडी) और इलाहाबाद बैंक रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट (एबीआरडीटी) के समामेलन की प्रक्रिया चल रही है और एबीटीआरडी की सभी आस्तियों और देयताओं को आईबीटीआरडी को हस्तांतरित किया जाएगा ।

वर्तमान में आईबीटीआरडी अखिल भारतीय उपस्थिति के साथ कुल 37 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), 42 वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) और 59 वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल) चला रहा है।

ट्रस्ट की खाता बहियों की लेखा परीक्षा की जाती है और यह लेखापरीक्षा स्वतंत्र रूप से करने हेतु ट्रस्ट द्वारा को सनदी लेखाकार को किया जाता है।

वर्ष 2021–22 के लिए आईबीटीआरडी की अनंतिम आय व व्यय

(राशि ₹ करोड़ में)

प्राप्तियों के विवरण	
बैंक से प्राप्त अंशदान	5.00
बैंक से प्राप्त बिल्डिंग निधि	0.00
ट्रस्ट खाते में प्रारंभिक शेष राशि (एबीआरडीटी सहित)	3.17
अर्जित बैंक ब्याज	0.11
विभिन्न अभिकरणों से प्राप्त प्रशिक्षण लागत की प्रतिपूर्ति	4.91
खाता बंद होने और अतिरिक्त शेष राशि के पुनः जमा किए जाने के कारण एफ़एलसी खातों में शेष राशि के रूप में पड़ी धनराशि का क्रेडिट बैक	0.00
कुल आय	13.19
व्यय के विवरण	
वर्ष के दौरान व्यय	10.10
भुगतान की तुलना में प्राप्तियों की अधिकता	3.09
अंतिम शेष	
31.03.2021 को बैंक शेष (एबीआरडीटी सहित)	3.09
मियादी जमाएँ	11.40
जिसमें से	
मूल निधि	8.60
बिल्डिंग निधि	2.80

18. विधि

आकस्मिक देनदारियों में एक खाता मेसर्स निंबस कम्युनिकेशन लिमिटेड शामिल है, बीसीसीआई के पक्ष में कंसोर्टियम बैंकों द्वारा गारंटी जारी की गई थी। बीसीसीआई ने कंसोर्टियम बैंकों के खिलाफ गारंटी देयता का दावा करते हुए मुकदमा दायर किया। मुकदमे में ₹ 400 करोड़ का भुगतान करने पर बचाव के लिए सशर्त छुट्टी दी गई थी, जिसमें हमारा बैंक हिस्सा ₹ 100 करोड़ है।हमारे बैंक के ₹ 100 करोड़ के हिस्से का प्रेषण माननीय उच्च न्यायालय बॉम्बे के प्रोटोनोटरी और वरिष्ठ मास्टर के साथ किया गया था। सारांश वाद माननीय उच्च न्यायालय बॉम्बे के समक्ष न्यायनिर्णयन के लिए लंबित है।

बीसीसीआई द्वारा बैंक के खिलाफ इस दावे के लिए, 31/03/2022 को सुरक्षा मार्जिन मनी के रूप में धारित 80.22 करोड़ रुपये की राशि को ध्यान में रखते हुए, बैंक द्वारा 'अन्य आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान' मद के तहत प्रावधान के रूप में ₹ 32.44 करोड़ 'आकस्मिक निधि – बैंक के खिलाफ किए गए दावे' शीर्ष के तहत प्रावधान के रूप में ₹ 15.32 करोड़ की राशि, कुल प्रावधान कुल ₹ 47.76 करोड़ रखा गया है।

19. लेखा मानक – 17 ''खंड परिणाम''

ए. खंड निर्धारण

I. प्राथमिक (कारोबार खंड)

बैंक के प्राथमिक खंड निम्नलिखित हैं :–

- राजकोष
- कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग
- खुदरा बैंकिंग
- अन्य बैंकिंग व्यवसाय

बैंक की वर्तमान लेखा और सूचना प्रणाली उपरोक्त खंडों के संबंध में अलग–अलग से डेटा प्राप्त करने और निकालने का समर्थन नहीं करती है। हालाँकि, वर्तमान आंतरिक, संगठनात्मक और प्रबंधन रिपोर्टिंग संरचना और उनके जोखिम और विवरणियों की प्रकृति के आधार पर, प्राथमिक खंडों के डेटा की गणना निम्नानुसार की गई है:

I. राजकोष –

राजकोष खंड में संपूर्ण संविभाग निवेश और विदेशी मुद्रा संविदाओं और व्युत्पन्न संविदाओं में व्यापार शामिल है। राजकोष खंड के राजस्व में मुख्यतः संविभाग निवेश पर व्यापार संचालन और ब्याज आय से शुल्क और लाभ या हानि शामिल होती है।

ii. कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग

कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग खंड में कॉर्पोरेट खाता समूह, वाणिज्यिक ग्राहक समूह और दबावग्रस्त आस्तियां संकल्प समूह की उधार गतिविधियां शामिल हैं। इनमें कॉर्पोरेट और संस्थागत ग्राहकों को ऋण और लेनदेन सेवाएं प्रदान करना शामिल है और इसके अलावा विदेशी कार्यालयों के गैर–कोषागार संचालन शामिल हैं।

iii. खुदरा बैंकिंग

खुदरा बैंकिंग खंड में खुदरा शाखाएँ, जिसमें मुख्य रूप से बैंकिंग संबंध रखने वाले कॉर्पोरेट ग्राहकों के साथ उधार गतिविधियों सहित व्यक्तिगत बैंकिंग गतिविधियाँ की जाती हैं, शामिल हैं। इस खंड में एजेंसी व्यवसाय और एटीएम भी शामिल हैं।

iv. अन्य बैंकिंग व्यवसाय

उपरोक्त (i) से (iii) के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किए गए खंडों को इस प्राथमिक खंड के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

II. द्वितीयक (भौगोलिक खण्ड)

I. देशी परिचालन – भारत में संचालन करने वाली शाखाएँ / कार्यालय

ii. विदेशी परिचालन – भारत के बाहर संचालन करने वाली शाखाएं/कार्यालय और भारत में संचालन करने वाली ऑफशोर बैंकिंग इकाइयां

III. व्यय, आस्ति और देयताओं का आबंटन

कॉर्पोरेट केंद्र के प्रतिष्ठानों पर किए गए व्यय सीधे कॉर्पोरेट / थोक और खुदरा बैंकिंग संचालन या राजकोष संचालन खंड के लिए स्त्रोतजन्य हैं, तदनुसार आबंटित किए जाते हैं। व्यय, सीधे तौर पर स्त्रोतजन्य नहीं है, उन्हें प्रत्येक खंड में खंड आस्ति के अनुपात के आधार पर या सीधे तौर पर स्त्रोतजन्य व्यय में आबंटित किया जाता है। बैंक के पास कुछ सामान्य आस्तियां और देयताएं हैं, जिन्हें किसी भी खंड के लिए स्त्रोतजनक नहीं ठहराया जा सकता है, और उन्हें असंबद्ध माना जाता है।

बी. संवर्गीकरण सूचना

भाग ए : प्राथमिक (कारोबार संवर्ग)

(राशि ₹ करोड़ में)

भाग ए	ट्रेशरी		कार्पोरेट / थोक बैंकिंग		खुदरा बैंकिंग		अन्य बैंकिंग		कुल	
	2021-22	**2020-21**	**2021-22**	**2020-21**	**2021-22**	**2020-21**	**2021-22**	**2020-21**	**2021-22**	**2020-21**
राजस्व	13 767.26	13 573.27	16 082.40	17 708.42	15 415.12	13 021.62	506.89	452.66	45 771.67	44 755.97
परिणाम	6 355.67	5 775.50	3 079.29	2 843.03	2 938.78	2 084.26	343.16	263.79	12 716.90	10 966.58
अनाबंटित व्यय									9 512.67	8 061.00
परिचालनगत लाभ									3 204.23	2 905.58
अल्प संख्यक के हित									0.00	0.00
अन्य गैर आबंटनीय आय									0.00	295.65
आयकर									(740.59)	(99.10)
अपवाद स्वरूप मदें									0.00	0.00
निवल लाभ									3 944.82	3 004.68
अन्य जानकारी										
खण्डीय आस्तियां	2 40 001.83	2 09 281.25	2 15 377.81	2 33 418.56	2 06 008.16	1 71 257.10	0.00	0.00	6 61 387.80	6 13 956.91
अनाबंटित आस्तियां									10 280.25	9 469.75
कुल आस्तियां									**6 71 668.05**	**6 23 426.66**
खण्डीय देयताएं	2 24 383.64	1 96 386.55	2 01 362.03	2 19 036.66	1 92 602.11	1 60 705.23	0.00	0.00	6 18 347.78	5 76 128.44
अनाबंटित देयताएं								9 611.47	8 886.28	
पूंजी, आरक्षितियाँ और									43 708.80	38 411.94
कुल देयताएं									**6 71 668.05**	**6 23 426.66**

भाग बी – भौगोलिक खण्ड

	देशी		अंतर्राष्ट्रीय		कुल	
	2021-22	**2020-21**	**2021-22**	**2020-21**	**2021-22**	**2020-21**
राजस्व	45 463.98	44 428.72	307.69	327.25	45 771.67	44 755.97
आस्तियां	6 49 993.31	6 09 008.83	21 674.74	14 417.83	6 71 668.05	6 23 426.66

जहाँ आवश्यक हुआ, पिछले वर्ष के आँकड़ों को पुनर्समूहित किया गया।

20. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (ए एस 18)

संबद्ध पक्षों के नाम तथा बैंक के साथ उनके संबंध :

ए) **अनुषंगियां :**

i. इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड

ii. इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड

बी) **सहयोगी : (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक)**

i). तमिलनाडू ग्राम बैंक

ii) सप्तगिरि ग्रामीण बैंक

iii) पुदुवै भारतियार ग्राम बैंक

सी) **संयुक्त उद्यम :**

I) यूनिवर्सल सौम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

ii) एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड

डी) **प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक**

नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	समाप्ति की तिथि
सुश्री पद्मजा चुन्डूरू	भूतपूर्व प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी	21.09.2018	01.09.2021
श्री शांति लाल जैन	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी	01.09.2021	
श्री शेणॉय विश्वनाथ वी	कार्यपालक निदेशक	01.12.2018	01.04.2022
श्री के रामचंद्रन	भूतपूर्व कार्यपालक निदेशक	01.04.2020	01.07.2021
श्री इमरान अमीन सिद्दीकी	कार्यपालक निदेशक	10.03.2021	
श्री अश्वनी कुमार	कार्यपालक निदेशक	21.10.2021	

ई) **गैर कार्यपालक निदेशकों की शेयर धारिता :**

क्रमांक	गैर कार्यपालक निदेशक का नाम	पदनाम	धारित ईक्विटी शेयरों की संख्या
1	डॉ. भरत कृष्ण शंकर	शेयरधारक निदेशक	300
2	सुश्री पापिया सेनगुप्ता	शेयरधारक निदेशक	200

संबंधित पार्टी लेनदेन निम्नलिखित है :

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को वर्ष के दौरान ₹ 172.37 लाख पारिश्रमिक के रूप में भुगतान किए गए हैं (गत वर्ष ₹ 102.52 लाख)

विवरण	2021-2022	2020-2021
सुश्री पद्मजा चुन्डूरू, एमडी एवं सीईओ प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक (01.04.2021 से 31.08.2021)	₹ 40.30 लाख	₹ 30.46 लाख
श्री शांति लाल जैन, एमडी एवं सीईओ प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक (01.09.2021 से 31.03.2022)	₹ 20.27 लाख	–
श्री एम के भट्टाचार्य, कार्यपालक निदेशक प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक (01.04.2021 से 31.03.2022)		₹18.16 लाख
श्री शेणॉय विश्वनाथ वी, कार्यपालक निदेशक प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक (01.04.2021 से 31.03.2022)	₹ 32.76 लाख	₹ 26.22 लाख
श्री के रामचन्द्रन, कार्यपालक निदेशक प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक (01.04.2021 से 30.06.2021)	₹ 30.19 लाख	₹ 26.21 लाख
श्री इमरान अमीन सिद्दीकी, कार्यपालक निदेशक प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक (01.04.2021 से 31.03.2022)	₹ 30.00 लाख	₹ 1.47 लाख
श्री अश्वनी कुमार, कार्यपालक निदेशक प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक (01.10.2021 से 31.03.2022)	₹ 18.85 लाख*	--

*मकान किराया भत्ता सहित ₹ 5.11 लाख।

संबंधित पक्षकारों से संबंधित अन्य प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं

(राशि ₹ करोड़ में)

मद / संबंधित पक्षकार	स्वामी (स्वामित्व या नियंत्रण के अनुसार)	संयुक्त उद्यम	कुल
सेवाएं प्रदान किया जाना	1528.82*	26.16	1528.82*
सेवाएं प्राप्त किया जाना	26.16	1528.82*	26.16

*इसमें इंडियन बैंक की बीमा पॉलिसियों से संबंधित बैंक के संयुक्त उद्यम, युनिवर्सल सोम्पो जनरल इश्यूरेंस कं. लिमिटेड से प्राप्त रु.1384.52 लाख कमीशन आय शामिल है।

लेखा मानक (एएस) 18 के पैराग्राफ 9 के अनुसार "राज्य–नियंत्रित उद्यम" से संबंधित पक्षों के संबंध में किसी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है। आगे, एएस 18 के पैराग्राफ 5 के अनुसार, लेनदेन बैंकर–ग्राहक संबंध का प्रकटीकरण नहीं किया गया है, जिसमें प्रमुख प्रबंधन कर्मचारी और प्रमुख प्रबंधन कर्मचारी के रिश्तेदार शामिल हैं।

21. प्रति शेयर अर्जन (एएस 20)

विवरण	2021-22	2020-21
ईक्विटी शेयर धारकों हेतु उपलब्ध कर के पश्चात निवल लाभ (₹ करोड़ में)	3944.82	3004.68
ईक्विटी शेयरों की संख्या	1245441139	1129366570
ईक्विटी शेयरों की भारित संख्या	1218410075	1129366570
प्रति शेयर मूल अर्जन (₹ में)	32.38	26.61
कम की गई आय प्रति शेयर आय (₹ में)	32.38	26.61
प्रति ईक्विटी शेयर अंकित मूल्य (₹ में)	10.00	10.00

22. आय पर करों के लिए लेखांकन (एएस 22)

ए) **वर्तमान करः** चालू वर्ष के दौरान, पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक के संचित घाटे को देखते हुए, बैंक ने देशी परिचालन के लिए आयकर का प्रावधान नहीं किया है। चालू वर्ष के दौरान विदेशी शाखाओं में ₹ 12.85 करोड़ के आयकर का प्रावधान किया गया है। चालू वर्ष में किए गए पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित विदेशी शाखाओं पर कर का प्रावधान ₹ 275 करोड़ है। देशी परिचालन के लिए वर्तमान कर की गणना आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार की गई है।

बी) **आस्थगित करः** बैंक के पास ₹ 3872.91 करोड़ का निवल आस्थगित कर आस्ति है (विगत वर्ष ₹ 2844.49 करोड़ का निवल आस्थगित कर आस्ति), जिसमें 'अन्य देयताओं और प्रावधानों' के तहत शामिल ₹ 977.15 करोड़ की स्थगित कर देयताएं (डीटीएल) (विगत वर्ष ₹ 949.89 करोड़) शामिल हैं और आस्थगित कर आस्तियां (डीटीए) ₹ 4850.06 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 3794.38 करोड़) के तहत शामिल है।

डीटीए (अस्थगित कर आस्तियाँ) / डीटीएल (अस्थगित कर देयताएँ) के मुख्य संघटक निम्न प्रकार हैं :

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं	विवरण	31.03.2022	31.03.2021
	आस्थगित कर आस्तियां		
1	भुगतान/क्रिस्टलाइजेशन पर अनुमेय देयताओं का प्रावधान	219.35	208.53
2	एफ़सीटीआर (विदेशी मुद्रा लेनदेन रिजर्व)	99.08	105.29
3	उपदान के लिए प्रावधान	0.06	0.09
4	अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान	3856.25	3076.11
5	पुनर्संरचित आस्तियों, एक्युआर, एस4ए, दबावग्रस्त आस्तियों के लिए प्रावधान	588.06	328.67
6	स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास	87.26	75.69
	कुल–डीटीए	**4850.06**	**3794.38**
	आस्थगित कर देयताएँ		
1	स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास	44.40	44.41
2	बट्टे खाते लिखे गये खातों हेतु प्रावधान	363.15	363.15
3	स्टाफ कल्याण प्रतिपूर्ति	4.11	4.11
4	आयकर अधिनियम 1961 की / धारा 36(i)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षण	565.49	538.22
	कुल – डीटीएल	**977.15**	**949.89**
	निवल डीटीए / (डीटीएल)	**3872.91**	**2844.49**

सी) वर्ष के लिए आयकर का प्रावधान

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2021-22	2020-21
कराधान के लिए प्रावधान (आस्थगित कर सहित आयकर)	-740.59	-99.10

दिनांक 31.03.2022 को भुगतान की गई विवादित आयकर मांग ₹ 3953.36 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 3953.36 करोड़) थी। इसे दिनांक 31.03.2022 तक विवादित कर मामलों से संबंधित ₹ 9187.03 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 7584.17 करोड़) के आयकर से संबंधित आकस्मिक देनदारियों के तहत भी शामिल किया गया है। न्यायिक घोषणाओं और बैंक के अपने मामले में अनुकूल निर्णयों के कारण उक्त विवादित मांगों के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना जाता है सिवाय विदेशी शाखाओं से संबंधित आय के मामले में पहले की अवधि के लिए ₹ 275 करोड़ की राशि जिसके लिए बैंक ने चालू वर्ष के दौरान प्रदान किया है।

23. संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग (एएस–27)

निवेश में शामिल ₹ 142.50 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 142.50 करोड़) निम्नलिखित संयुक्त नियंत्रित संस्थाओं में बैंक के हित को दर्शाता है :

संस्था का नाम	देश/निवास	संबंध	स्वामित्व हित	शेयरधारिता की राशि (₹ करोड़ में)
युनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कं.लि.	भारत	संयुक्त उद्यम	28.52%	105.00
एएसआरईसी (इंडिया) लि.	भारत	संयुक्त उद्यम	38.26%	37.50

एएस 27 के अनुसार, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं में बैंक के हितों से संबंधित आस्तियों, देयताओं, आय, व्यय, आकस्मिक देयताओं और प्रतिबद्धताओं की कुल राशि निम्नानुसार प्रकट की गई है:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022	31.03.2022
देयताएं		
पूंजी एवं आरक्षित निधियाँ	391.69	349.28
जमा	0.00	-
उधार	8.54	28.44
अन्य देयताएँ और प्रावधान	1174.50	1032.28
कुल	**1574.73**	**1410.00**
आस्तियां		
आरबीआई के पास नकद और शेष राशि	0.05	0.09
बैंकों में शेष राशि और मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	30.40	22.72
निवेश	1146.12	1109.29
अग्रिम	0	-
अचल आस्तियां	11.37	12.88
अन्य आस्तियां	386.79	264.99
कुल	**1574.73**	**1410.00**
पूंजी प्रतिबद्धताएं		-
अन्य आकस्मिक देयताएं	48.05	48.58
आय		
अर्जित ब्याज	6.04	3.73
अन्य आय	478.41	452.68
कुल	**484.45**	**456.41**
व्यय		
व्यय किया गया ब्याज	2.36	1.36
परिचालन व्यय	420.65	434.74
प्रावधान और आकस्मिकताएं	17.63	5.28
कुल	**440.64**	**441.38**
लाभ	**43.81**	**15.03**

24. आस्तियों की हानि (एएस–28):

बैंक प्रबंधन के विचारानुसार, वर्ष के दौरान आस्तियों में हानि का कोई संकेत नहीं है, जिस पर लेखा मानक 28 – "संपत्ति की हानि" लागू होता है।

25. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां (एएस–29) :

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	दिनांक 01.04.2021 को अथ शेष	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	प्रावधान वापसी / समायोजित	दिनांक 31.03.2022 को अंतिम शेष
अस्वीकृत ऋण के लिए बैंक के विरूद्ध दावे के लिए प्रावधानों का संचलन	206.25	9.66	0	215.91

26. अन्य प्रकटीकरण

ए) कारोबार अनुपात

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
(I) कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय 33	6.21	6.56
(ii) गैर–ब्याज आय वर्किंग फंड्स के प्रतिशत के रूप में 35	1.11	0.95
(iii) जमा की लागत	3.97	4.44
(iv) शुद्ध ब्याज मार्जिन 34	2.93	2.81
(v) कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ 35	2.03	1.84
(vi) संपत्ति पर वापसी 35	0.63	0.50
vii) व्यापार (जमा और अग्रिम) प्रति कर्मचारी 36 (₹ करोड़ में)	25.20	22.17
viii) प्रति कर्मचारी लाभ (₹ करोड़ में)	0.10	0.07

[1]वित्तीय वर्ष के 12 महीनों के दौरान वाणिज्यिक बैंकों के लिए फॉर्म X और शहरी सहकारी बैंकों के लिए फॉर्म IX में भारतीय रिजर्व बैंक को रिपोर्ट की गई कुल संपत्ति (संचित हानियों को छोड़कर, यदि कोई हो) के औसत के रूप में गणना की जाने वाली कार्यशील निधि।

[2]निवल ब्याज आय/औसत कमाई वाली संपत्ति। निवल ब्याज आय = ब्याज आय–ब्याज व्यय

[3]आस्तियों पर प्रतिलाभ औसत कार्यशील निधियों (अर्थात संचित हानियों को छोड़कर कुल संपत्ति, यदि कोई हो) के संदर्भ में होगा।

[4]प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमा और अग्रिम) की गणना के प्रयोजन के लिए, अंतर–बैंक जमा को शामिल नहीं किया जाएगा।

' औसत कमाई वाली संपत्ति और औसत जमाराशियों की गणना 52 साप्ताहिक शुक्रवार के औसत के आधार पर की जाती है।

बी) बैंक एश्यूरेन्स कारोबार

बैंक द्वारा विभिन्न बैंक एश्युरेंस/म्युच्युअल एंड उत्पादों की बिक्री/विपणन पर पिछले वर्ष प्राप्त ₹ 63.97 करोड़ की आय के सापेक्ष वर्तमान वर्ष में अनर्जित कमीशन आय ₹ 85.01 करोड़ है।

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं	आय की प्रकृति	2021-22	2020-21
1	जीवन बीमा पॉलिसी बेचने के लिए	56.22	38.44
2	गैर–जीवन बीमा पॉलिसियों को बेचने के लिए	26.42	24.56
3	अन्य – म्यूचुअल फंड उत्पाद बेचने के लिए	2.37	0.98
	कुल	**85.01**	**63.98**

सी) विपणन और वितरण

बैंक अन्य संस्थाओं (बैंक एश्यूरेंस कारोबार के तहत उत्पादों के अलावा) के किसी भी उत्पाद का विपणन और/या वितरण नहीं करता है। इसलिए, बैंक ने उक्त गतिविधियों से कोई शुल्क/पारिश्रमिक अर्जित नहीं किया है।

डी) प्राथमिकता–प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) के संबंध में प्रकटीकरण

वर्ष के दौरान बेची और खरीदी गई पीएसएलसी (श्रेणी–वार) की राशि का प्रकटीकरण किया जाएगा।

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं	पीएसएलसी श्रेणी	खरीद की स्थिति		बिक्री की स्थिति	
		इकाइयों की संख्या	राशि	इकाइयों की संख्या	राशि
1	पीएसएलसी कृषि	0	0.00	19800	4950
2	पीएसएलसी लघु और सीमांत किसान	0	0.00	52720	13180
3	पीएसएलसी सामान्य	0	0.00	66800	16700
4	पीएसएलसी सूक्ष्म	0	0.00	0	0
	कुल	**0**	**0**	**139320**	**34830**

ई) प्रावधान और आकस्मिकताएं

(राशि ₹ करोड़ में)

लाभ और हानि खाते में डेबिट किया गया प्रावधान	2021-22	2020-21
I) एनपीआई के लिए प्रावधान	110.51	-1.39
ii) एनपीए के लिए प्रावधान	8446.60	7318.46
iii) आयकर के लिए किया गया प्रावधान	-740.59	-99.10
iv) अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएं (विवरण के साथ)		
1. मानक अग्रिम	961.57	469.40
2. पुनर्रचित अग्रिम	3.78	-1.68
3. अन्य	-9.79	276.22
कुल	**8772.08**	**7961.91**

एफ़) आईएफआरएस अभिसरण भारतीय लेखा मानकों का कार्यान्वयन (इंड एएस)

I. भारतीय रिजर्व बैंक के अपने पत्र डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.76/21.07.001/2015–16 दिनांक 11.02.2016 के निदेशों के अनुसार, बैंक, 1 अप्रैल 2018 से प्रारंभ होने वाली वाली लेखा अवधि के लिए 31 मार्च 2018 को समाप्त पूर्ववर्ती अवधि के तुलनात्मक आंकड़ों के साथ स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरणों के लिए इंड–एएस का अनुपालन करेंगे।

II. आरबीआई ने बैंकों को 30.09.2016 को समाप्त छमाही के लिए इंड–एएस के अनुसार 01.04.2016 के रूप में संक्रमण तिथि के साथ प्रोफार्मा वित्तीय विवरण तैयार करने की सलाह दी और इसे तैयार किया गया और आरबीआई को प्रस्तुत किया गया। इसी प्रकार 30.06.2017 को समाप्त तिमाही के लिए इंड–एएस वित्तीय प्रोफार्मा भी आरबीआई को प्रस्तुत किया गया था।

III. तत्पश्चात् आरबीआई ने सलाह दी कि बैंक 30 जून 2018 को समाप्त तिमाही से शुरू होने वाली प्रत्येक तिमाही के लिए इंड–एएस प्रोफार्मा वित्तीय विवरण प्रस्तुत करें। इसका विधिवत पालन किया गया है।

IV. वित्तीय वर्ष से 2021–22 के बाद, आरबीआई ने सलाह दी कि इंड–एएस प्रोफार्मा वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने की आवृत्ति तिमाही से घटाकर अर्धवार्षिक कर दी जाए। उसी का अनुपालन किया गया है। बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति और निदेशक मंडल को समय–समय पर इस संबंध में प्रगति से अवगत कराया गया है।

V. आरबीआई की अधिसूचना डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.29 / 21.07.001 / 2018–19 दिनांक 22 मार्च 2019 के अनुसार, बैंकों में इंड एएस के कार्यान्वयन को अगली सूचना तक के लिए टाल दिया गया है। हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक को इंड एएस वित्तीय प्रोफार्मा प्रस्तुत करना जारी रखा गया है और बैंक इसका अनुपालन कर रहा है।

जी) डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं	विवरण	2021-22	2020-21
I)	डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान	683.68	629.47
ii)	डीआईसीजीसी प्रीमियम के भुगतान में बकाया	0.00	0.00

एच) 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक ने ₹ 1650 करोड़ की इक्विटी पूंजी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट के माध्यम से 142.15 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के इश्यू मूल्य पर जुटाई है, जिसमें ₹ 132.15 प्रति इक्विटी शेयर का प्रीमियम भी शामिल है।

क्यूआईपी के तहत ₹ 10 के अंकित मूल्य के 11,60,74,569 नए इक्विटी शेयरों के आबंटन के बाद, बैंक के कुल प्रदत्त शेयर 112,93,66,570 से बढ़कर 124,54,41,139 हो गए। तदनुसार, वित्त वर्ष 2020–21 के लिए बैंक की लाभांश राशि ₹ 225.87 करोड़ से बढ़कर ₹ 249.09 करोड़ हो गई। ₹ 23.22 करोड़ की अतिरिक्त राशि वित्त वर्ष 2020 के लिए लाभ और हानि खाते में शेष राशि से अंतरित की जाएगी। लाभांश के भुगतान के लिए बैंक द्वारा निर्धारित रिकॉर्ड तिथि 09.07.2021 थी।

आई) विविध आय में शामिल आइटम जो कुल आय के 1% से अधिक है।

विवरण	2021-22	2020-21
प्रसंस्करण शुल्क	574.42	526.25
अशोध्य ऋणों से वसूली	1611.69	617.50
पीएसएलसी आय	570.63	410.23

जे) लेखा समाधान एवं समायोजन

I. अंतर शाखा लेखों का लेखा समाधान 31.03.2022 तक पूरा किया जा चुका है। आईबीजीए में बकाया पुरानी प्रविष्टियों के निपटान के लिए विभिन्न कारगर उपायों के द्वारा बैंक ने उसमें पर्याप्त कमी लायी है। तत्पश्चात् शेष बकाया प्रविष्टियों के समायोजन का कार्य प्रगति पर है। प्रबंधन के अनुसार, 01.03.2009 से पहले की अवधि से संबंधित ₹ 4.86 करोड़ की कुल मूल्य की 5747 आईबीजीए क्रेडिट प्रविष्टियां बकाया हैं।

II. दिनांक 31.03.2022 को अंतर शाखा खाता बकाया में 6 महीने से अधिक अवधि के लिए लेखा समाधान नहीं की गई प्रविष्टियों के संबंध में निवल जमा स्थिति को देखते हुए किसी प्रावधान की जरूरत नहीं है।

III. देय ड्राफ्टों, समाशोधन समायोजन, विविध प्राप्य राशियों, विविध जमा खातों आदि में तथा भारतीय रिज़र्व बैंक एवं अन्य बैंकों से संबंधित बैंक लेखा समाधानों में पुरानी बकाया प्रविष्टियों के समुचित समायोजन के लिए नियमित समीक्षा की जा रही है।

IV. कुछ शाखाओं में अनुषंगी बहियों / रजिस्टरों का तुलन और सामान्य बहियों के साथ लेखा समाधान का कार्य जारी है। प्रबंधन के मतानुसार, खातों पर उपर्युक्त विषयों का परिणामी प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं होगा।

V. बैंक के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, बैंक द्वारा पहचानी गई एमएसएमई इकाइयों को बैंक द्वारा देय ऐसी बकाया राशियाँ नहीं हैं जो एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 में निर्धारित समय सीमा से अधिक अवधि के लिए लंबित है और ऐसी पार्टियों के संबंध में मूल राशि और / या उस पर ब्याज के विलंब से किए गए भुगतानों के लिए मानी गयी देयता के संबंध में रिपोर्ट किये गये कोई मामला नहीं हैं।

के. वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए बैंक द्वारा 6.50 प्रति इक्विटी शेयर यानी चुकता पूंजी पर 65% का लाभांश प्रस्तावित है।

एल. जहां भी आवश्यक हो, चालू वर्ष के आंकड़ों के अनुरूप बनाने के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः वर्गीकृत किया गया है।

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,

इंडियन बैंक के सदस्यगण

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट।

अभिमत

1. हमने इंडियन बैंक के संलग्न स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का लेखा–जोखा किया है, जिसमें 31 मार्च, 2022 का तुलन–पत्र, इसी वर्ष की समाप्ति पर लाभ और हानि लेखे के विवरण व नकदी प्रवाह विवरण एवं मुख्य लेखांकन नीतियों के सार व निम्नलिखित की तारीख पर समाप्त वर्ष के रिटर्न्स को समाहित की हुई अन्य व्याख्यात्मक सूचना सहित स्टैंण्डअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों को शामिल किया गया है :

i. हमारे द्वारा केंद्रीय कार्यालय और उसके विभाग, राजकोष शाखा और 20 भारतीय शाखाएं लेखा परीक्षित हैं ;

ii. संबंधित सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा 2102 भारतीय शाखाओं (जीआईएफ़टी सिटी शाखा सहित) की लेखा परीक्षा की गई और

iii. स्थानीय लेखा परीक्षकों द्वारा 3 विदेशी शाखाओं की लेखा परीक्षा की गई।

हमारे द्वारा और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा जिन शाखाओं की लेखा परीक्षा की गई, उनका चयन बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया है। साथ ही, तुलनपत्र, लाभ व हानि लेखों, नकदी प्रवाह में ऐसी 3974 शाखाओं और 1 विदेशी शाखा की विवरणियाँ भी शामिल की गई हैं जो लेखा परीक्षा के अधीन नहीं थीं। वे शाखाएँ जिनका लेखा–परीक्षण नहीं हुआ उनके पास बैंक का 19.95% अग्रिम, 44.98% जमाएँ, 11.50% ब्याज आय एवं 43.06% ब्याज व्यय है।

2. हमारी राय में, हमारी श्रेष्ठतम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय परिणाम, बैंक के लिए आवश्यक तरीके से एवं भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों की पुष्टि करते हुए, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 द्वारा अपेक्षित सूचना को प्रदान करते हैं एवं :

क) तुलन पत्र, टिप्पणियों सहित 31 मार्च, 2022 को बैंक के मामलों का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करने की दृष्टि से तैयार किया गया है।

ख) उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि विवरण के मामले में लाभ का सही शेष और

ग) समेकित नकदी प्रवाह विवरण उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दर्शाते है।

अभिमत का आधार

3. हमने अपनी लेखा परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी ऑडिटिंग पर मानकों (एसए) के अनुसार संचालित की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियों अनुभाग में आगे वर्णित किया गया है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता व साथ ही नैतिक अपेक्षाएं जो वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक हैं के अनुसार हम बैंक से स्वतंत्र हैं और हमने अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मामले का महत्व

हम निम्नलिखित पर ध्यान आकर्षित करते हैं :

4. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 की नोट संख्या 4 (एल) जो भविष्य के व्यापार और वित्तीय परिणामों पर कोविड–19 (COVID 19) की वजह से उत्पन्न अनिश्चितताओं के प्रभाव तथा मौजूदा स्थिति में उसके प्रबंधन के मूल्यांकन, मौजूदा अनिश्चितताओं से उत्पन्न चुनौतियों के संदर्भ में प्रबंधन इन अनिश्चितताओं के प्रभाव का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में है।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

प्रमुख लेखापरीक्षा तथ्य

5. प्रमुख लेखापरीक्षा तथ्य वे तथ्य हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन तथ्यों पर स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर अपनी राय बनाने में समग्र रूप से चर्चा की गई थी, इसलिए इन तथ्यों पर हम अलग से राय प्रदान नहीं करते हैं।

हमने नीचे वर्णित तथ्यों को अपनी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जानेवाले प्रमुख लेखापरीक्षा तथ्य के रूप में निर्धारित किया है :

क्र. सं.	प्रमुख लेखापरीक्षा तथ्य	लेखापरीक्षा में मुख्य लेखापरीक्षा तथ्य को किस रूप में स्वीकार किया गया था
1.	**अग्रिमों का वर्गीकरण, आय की पहचान, अनर्जक अग्रिमों की पहचान और प्रावधान (नोट देखें)** बैंक का निवल अग्रिम कुल संपत्ति का 57.94% है, जो स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आय की पहचान और आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक के (आरबीआई) दिशानिर्देशों में अनर्जक आस्तियों (एनपीए) की पहचान और वर्गीकरण के लिए विवेकपूर्ण मानदंड और ऐसी आस्तियों के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रावधान निर्धारित किए जाते हैं। अर्जक और अनर्जक अग्रिमों की पहचान में उचित पद्धतियां शामिल है। बैंक के अग्रिमों से संबंधित सभी लेनदेन का ब्यौरा उसकी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों (आईटी सिस्टम) में है जो अग्रिम के अर्जक या अनर्जक होने की स्थिति को चिह्नित, उसके एनपीए वर्गीकरण और प्रावधान की गणना भी करता है। इन अग्रिमों का वहन मूल्य (प्रावधानों का निवल) भौतिक रूप से गलत बताया जा सकता है, यदि व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, आईआरएसी मानदंडों का ठीक से पालन नहीं किया जाता है। लेन–देन की प्रकृति, विनियामक अपेक्षाएँ, मौजूदा कारोबारी माहौल, प्रतिभूतियों के मूल्यांकन में शामिल अनुमान / निर्णय को ध्यान में रखते हुए, यह स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के इच्छित उपयोगकर्ताओं के लिए उच्च महत्व का मामला है इसलिए हमने एनपीए की पहचान और प्रावधान को एक प्रमुख लेखापरीक्षा तथ्य के रूप में सुनिश्चित किया है।	**नियंत्रण के परीक्षण** ऋणों की स्वीकृति, अभिलेख और निगरानी, अतिदेय ऋणों की निगरानी प्रक्रिया, प्रावधानों की गणना, एनपीए खातों की पहचान और प्रत्यावर्तन आय से संबंधित प्रमुख आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और संचालन प्रभावशीलता का आकलन, तथा प्रबंधन सूचना (अतिदेय रिपोर्ट सहित) की विश्वसनीयता का आकलन। **वस्तुपरक परीक्षण** ऋण खातों का नमूना जिसमें बड़े / दबावग्रस्त अग्रिम शामिल थे और हमें आबंटित शीर्ष शाखाओं में नमूना आधार पर कुछ अन्य अग्रिम लिए गए थे, तथा ऐसे नमूनों में हमने निम्नलिखित जांच की: ● आय की पहचान के लिए सिस्टम में डेटा इनपुट की सटीकता और अर्जक या अनर्जक अग्रिम के रूप में पहचान। ● चयनित अर्जक अग्रिमों का वर्गीकरण सही ढंग से किया गया था या नहीं यह जानने के लिए स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन किया गया। ● इन पार्टियों के बारे में उपलब्ध स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों, संपार्श्विक मूल्यांकन और अन्य गुणात्मक जानकारी की समीक्षा की गई। ● आईआरएसी मानदंडों के अनुरूप एनपीए प्रावधानों और आय के प्रत्यावर्तन की गणना के विवरण का परीक्षण। ● आरबीआई के दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा निर्धारित उधारकर्तावार एनपीए पहचान की जाँच की गई। ● आरबीआई के मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के ऋणों के लिए मानक अग्रिमों के प्रावधानों की जाँच की गई। ● एनपीए की निगरानी और समय पर रिपोर्टिंग में आंतरिक लेखापरीक्षा, समवर्ती लेखापरीक्षा, सिस्टम लेखापरीक्षा आदि जैसे निगरानी तंत्र की मौजूदगी और प्रभावशीलता। ● अन्य सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर भी भरोसा किया जाता है, जिनकी हमने जांच की है और प्रासंगिक टिप्पणियों पर विचार किया है।
2.	**निवेशों का वर्गीकरण और मूल्यांकन, अनर्जक निवेशों की पहचान और प्रावधान** ● निवेश में बैंक द्वारा विभिन्न सरकारी प्रतिभूतियों, बांडों, डिबेंचर, शेयरों, प्रतिभूति रसीदों तथा परिपक्वता तक धारित, बिक्री के लिए उपलब्ध और व्यापार के लिए धारित श्रेणियों के तहत वर्गीकृत अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां शामिल हैं। ● निवेश बैंक की कुल संपत्ति का 25.99% है। ये भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के परिपत्रों और निर्देशों द्वारा शासित होते हैं। आरबीआई के इन निर्देशों में अन्य बातों के साथ–साथ निवेश का मूल्यांकन, निवेश का वर्गीकरण, अनर्जक निवेश की पहचान, आय की संबंधित गैर–मान्यता और उसके सापेक्ष प्रावधान शामिल हैं।	आरबीआई के परिपत्रों / निर्देशों के संदर्भ में निवेश के प्रति हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन, परिचालन प्रभावशीलता तथा अनर्जक निवेशों के मूल्यांकन, वर्गीकरण, पहचान और निवेशों से संबंधित प्रावधान /मूल्यह्रास के संबंध में स्वतंत्र लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की समीक्षा और परीक्षण शामिल थे। विशेष रूप से, 1) हमने अनर्जक निवेशों के मूल्यांकन, वर्गीकरण और पहचान, निवेश से संबंधित प्रावधान / मूल्यह्रास के संबंध में आरबीआई दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया और समझा। 2) हमने इन निवेशों के उचित मूल्य के निर्धारण हेतू विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्र करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया। 3) निवेश के चयनित नमूने के लिए, हमने प्रतिभूति की प्रत्येक श्रेणी का पुनर्मूल्यांकन कर आरबीआई मास्टर परिपत्रों और निर्देशों की सटीकता एवं अनुपालन का परीक्षण किया।

क्र. सं.	प्रमुख लेखापरीक्षा तथ्य	लेखापरीक्षा में मुख्य लेखापरीक्षा तथ्य को किस रूप में स्वीकार किया गया था
	● पूर्वोक्त प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन आरबीआई द्वारा जारी परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित पद्धति के अनुसार किया जाना है जिसमें विभिन्न स्रोतों से डेटा / सूचना का संग्रह शामिल है जैसे कि एफआईएमएमडीए दरें, बीएसई / एनएसई पर उद्धृत दरें, गैर–सूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण आदि। मूल्यांकन, लेन–देन की मात्रा, निवेश और नियामक फोकस की मात्रा में शामिल निर्णय की जटिलताओं और सीमा को ध्यान में रखते हुए, इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया गया है। तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा निवेशों के मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों की पहचान और निवेश से संबंधित प्रावधानीकरण पर केंद्रित थी।	नमूनों का चयन यह सुनिश्चित करने के बाद किया गया था कि निवेश की सभी श्रेणियों (प्रतिभूति की प्रकृति के आधार पर) के नमूने में शामिल हैं। 4) हमने एनपीआई की पहचान की प्रक्रिया व आय के संबंधित प्रत्यावर्तन एवं और प्रावधान के निर्माणों का निर्धारण और मूल्यांकन किया; 5) हमने भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों और निदेशों के अनुसार अनुरक्षित प्रावधान और प्रदान किए जाने वाले मूल्यह्रास को स्वतंत्र रूप से पुनर्गणना करने के लिए वास्तविक लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं कीं । तदनुसार, हमने प्रत्येक श्रेणी के निवेश से नमूनों का चयन किया और आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीआई के लिए परीक्षण किया और एनपीआई के उन चयनित नमूनों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक परिपत्र के अनुसार अनुरक्षित प्रावधान की पुनर्गणना की; 6) उक्त भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र / निदेशों के अनुसार प्रस्तुतिकरण और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, हमने निवेश एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर और वित्तीय विवरण तैयार करने वाले सॉफ़्टवेयर के बीच निवेश की मैपिंग का परीक्षण किया।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों एवं लेखापरीक्षक की रिपोर्ट से इतर अन्य सूचना

6. अन्य सूचना के लिए बैंक का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य सूचना में कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट शामिल होती है जिसे हमने इस रिपोर्ट के साथ जारी किया है (किंतु इसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण एवं हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट शामिल नहीं होते)। वार्षिक रिपोर्ट में संलग्न अनुबंधों सहित, यदि कोई हो, निदेशकों की रिपोर्ट को हमें इस लेखापरीक्षक रिपोर्ट की दिनांक के पश्चात् उपलब्ध करवाया जाना अपेक्षित है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य सूचना एवं बेसल III के तहत पिल्लर 3 के प्रकटीकरणों को कवर नहीं करती है तथा उस पर हमारे द्वारा किसी भी प्रकार का आश्वासन व्यक्त नहीं किया जाता और ना ही ऐसा किया जाएगा।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचना को पढ़ना एवं ऐसा करते हुए यह विचार करना है कि क्या अन्य सूचना स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों या लेखापरीक्षा के दौरान निर्मित हुई हमारी समझ से भौतिक तौर पर असंगत है या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

जब हम बैंक के निदेशकों की रिपोर्ट को वार्षिक रिपोर्ट में संलग्न अनुबंधों के साथ, यदि कोई हो, पढ़ते हैं, यदि हम यह निर्णय देते हैं कि उक्त में भौतिक असंगतता है, तो हमारे द्वारा यह तथ्य अभिशासन प्रभारी को बताया जाना अपेक्षित है

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन व अभिशासन प्रभारी का उत्तरदायित्व :

7. बैंक के निदेशक मंडल, भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक में निर्धारित मान्यता और माप सिद्धांतों, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान सहित भारत में आमतौर पर स्वीकृत अन्य लेखा सिद्धांतों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर जारी किए गए परिपत्र व दिशानिर्देशों के अनुसार इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं जो वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य–निष्पादन और बैंक में नकदी प्रवाह को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं। इस उत्तरदायित्व में, अधिनियम के प्रावधान के अनुपालन में बैंक की आस्तियों को सुरक्षित रखने तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाने एवं रोकने; उचित लेखांकन नीतियों का चयन एवं उन्हें लागू करने; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय एवं आंकलन के लिए पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड को बनाए रखने और लेखांकन रेकॉर्ड की सटीकता व संपूर्णता को सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी तौर पर परिचालित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को निर्मित करना, लागू करना एवं बनाए रखना शामिल है जोकि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के निर्माण, प्रस्तुतीकरण हेतु प्रासंगिक है जो सत्य और निष्पक्षता दर्शाते हैं और किसी प्रकार के महत्वपूर्ण मिथ्याकथन, चाहे वह कपट अथवा त्रुटिवश हो, से मुक्त हैं, शामिल हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण को तैयार करने में प्रबंधन का यह दायित्व होता है कि वह बैंक के कार्यशील संस्था के रूप में कार्य जारी करने की योग्यता का मूल्यांकन करें,कार्यशील संस्था से संबन्धित मामलों में यथाप्रयोज्य प्रकटन करें, लेखांकन का कार्यशील संस्था आधार पर प्रयोग करें जब तक कि प्रबंधन का इरादा बैंक के परिसमापन अथवा परिचालनों को बंद करने का न हो या ऐसा करने का कोई व्यावहारिक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए भी उत्तरदायी हैं ।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

8. हमारा लक्ष्य उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि वार्षिक स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों भौतिक त्रुटियों से पूर्णतः मुक्त हो चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण ही हों तथा हमारी राय सहित लेखापरीक्षक की रिपोर्ट प्रदान करना है। उचित आश्वासन उच्चकोटि का आश्वासन है लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुपालन में की गई लेखापरीक्षा त्रुटि उत्पन्न होने पर हमेशा ही इन्हें पहचान सकेगी। धोखाधड़ी या गलतियों से मिथ्याकथन आ सकते हैं तथा एकल या सकल रूप में उपयोगकर्ताओं द्वारा इन वार्षिक स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं।

एसए के अनुपालन में हम पेशेगत निर्णय देते हैं तथा लेखापरीक्षा करते समय पेशेगत संशयात्मकता बनाए रखते हैं। हम यह भी :

- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण की भौतिक त्रुटियों, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या किसी भूलवश, के जोखिम का आंकलन तथा पहचान करना और संरचना एवं इन जोखिमों के उत्तरदायित्व के लिए लेखापरीक्षण करना तथा हमारी राय प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित लेखासाक्ष्य प्राप्त करना। भौतिक त्रुटियों में धोखाधड़ी के कारण हुई गलती की पहचान न हो पाना, भूलवश हुई त्रुटि से बड़ा जोखिम है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, साभिप्राय चूक, मिथ्या निरूपण या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकता है।

- परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें।

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों के औचित्य एवं लेखांकन अनुमानों व प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।

- लेखा एवं प्राप्त लेखा साक्ष्यों के आधार पर प्रबंधन, कार्यशील संस्था के उपयोग के औचित्य पर निष्कर्ष निकालना कि क्या घटनाओं या स्थितियों में भौतिक अनिश्चितता है जो समूह तथा इसके सहयोगियों को कार्यशील संस्था बने रहने में संदेह उत्पन्न करती हैं। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अनिश्चितता है, तो यह हमारे लिए आवश्यक है कि स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण के संबंध में अपनी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करें अथवा यदि प्रकटीकरण अपर्याप्त हो तो अपनी राय में परिवर्तन करें। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखा साक्ष्यों के आधार पर होते हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाएँ एवं स्थितियाँ बैंक को कार्यशील संस्था बने रहने से रोक सकती हैं।

- प्रकटीकरण सहित स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों की संरचना, सामग्री तथा सम्पूर्ण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना और इसका भी जायजा लेना कि क्या स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों में अंतर्निहित लेन–देन एवं घटनाएँ उचित प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत करती है।

भौतिकता स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में गलत बयानों का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों के उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखा परीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने काम के परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए; और (ii) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हमने अभिशासकों को, अन्य मामलों के मध्य, लेखापरीक्षा का योजनाबद्ध ढांचा व समय एवं लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में हमारे द्वारा पाई गई किसी महत्वपूर्ण कमी सहित लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों का विवरण प्रदान किया है।

हमने अभिशासकों को ऐसा विवरण भी प्रदान किया है कि हमने स्वतंत्रता संबंधी नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है तथा हम उन्हें ऐसे संबंध एवं अन्य मामले भी सूचित करते हैं, जो हमारी स्वतंत्रता से संबन्धित होते हैं और सुरक्षा के संबंध में लागू होते हैं।

अभिशासकों को संप्रेषित किए गए मामलों में से हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए वे प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपनी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से होने वाले प्रतिकूल परिणामों से इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित के लाभों से अधिक होने की उम्मीद की जाएगी।

अन्य मामले

9. हमने बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों/सूचना में शामिल उन 2104 शाखाओं के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी 31 मार्च, 2022 को ₹ 2,84,742.50 करोड़ की कुल संपत्ति एवं 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ₹ 13765.05 करोड़ का कुल राजस्व, जोकि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण में माना गया है, दर्शाते हैं।

इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों / सूचना की लेखा परीक्षा शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है, और जहां तक इन शाखाओं से संबंधित राशि और प्रकटीकरण की बात है तो हमारी राय पूरी तरह से ऐसी शाखाओं की लेखा परीक्षा करने वाले लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

10. 31 मार्च, 2021 को समाप्त पिछले वर्ष के लिए बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा संयुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा की गई, जिनमें से दो पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा फर्म हैं और उन्होंने ऐसे वित्तीय परिणामों पर अपरिवर्तित राय व्यक्त की थी।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

11. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तुलन–पत्र और लाभ एवं हानि लेखा बनाए गए हैं।

12. उपरोक्त 7 से 9 तक पैराग्राफों में संकेतित लेखापरीक्षा सीमाओं के अध्यधीन और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 / 1980 की अपेक्षानुसार और उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अध्यधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि

(ए) हमने सभी जानकारी व स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जोकि हमारी श्रेष्ठतम जानकारी व विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया।

(बी) बैंक के लेन–देन जोकि हमारे समक्ष आए हैं बैंक के अधिकारों के भीतर ही हैं और

(सी) कार्यालयों एवं शाखाओं तथा बैंक के कार्यालयों से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ पर्याप्त पाए गए हैं।

13. आरबीआई के पत्र सं. डीओएस.एआरजी.सं.6270 / 08.91.001 / 2019–20 दिनांक 17 मार्च, 2020 (यथा संशोधित), की अपेक्षानुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि

(ए) हमारी राय में, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लागू लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं, जहां तक कि वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।

(बी) वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अनुबंध ए में दी गई है। हमारी रिपोर्ट 31 मार्च, 2021 को वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक अपरिवर्तित अभिमत व्यक्त करती है।

(सी) 31 मार्च, 2021 को निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन और निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड में लिए जाने के आधार पर, 31 मार्च, 2021 तक किसी भी निदेशक को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप–धारा (2) के संदर्भ में निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

(डी) वित्तीय लेनदेन या मामलों पर कोई अवलोकन या टिप्पणी नहीं है जिसका बैंक के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(ई) खातों के रखरखाव और उससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित कोई प्रतिबन्ध, छिपाव या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

14. हम आगे रिपोर्ट करना चाहते है कि,

(ए) हमारी राय में, विधि द्वारा अपेक्षित खाते की उचित बही बैंक द्वारा रखी गई हैं जहां तक यह उन बाहियों की हमारी जांच से प्रकट होता है और हमारे लेखा परीक्षा के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त विवरणियाँ हमारे द्वारा दौरा न कि गई शाखाओं से प्राप्त की गई हैं।

(बी) इस रिपोर्ट में प्रदर्शित स्टैंडअलोन तुलन पत्र, स्टैंडअलोन लाभ एवं हानि लेखे और स्टैंडअलोन नकदी प्रवाह के विवरण बही खातों और शाखाओं द्वारा प्राप्त विवरणियाँ जहां हमने दौरा नहीं किया है, के अनुसार हैं।

(सी) बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 के अधीन शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा 2102 शाखा कार्यालयों के खातों की रिपोर्ट जो लेखा परीक्षित किये हैं, हमें भेजी गई हैं और हमने इस रिपोर्ट को तैयार करते समय इनकी उचित रूप से जाँच की है ; और

(डी) हमारी राय में तुलन पत्र, लाभ व हानि लेखा तथा नकदी प्रवाह विवरण प्रयोज्य लेखाकरण मानकों का अनुपालन इस हद तक करते हैं कि वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।

कृते श्रीराममूर्ति एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआर सं.003032S

साझेदार एम प्रत्युषा
(एम.नं. 254141)
यूडीआईएनः 22254141AJEANT9965

कृते रवि रंजन एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआर सं.009073N / N500320

साझेदार सुमित कुमार
(एम.नं.512555)
यूडीआईएनः 22512555AIUPTX7923

मेसर्स पी.के. एफ. श्रीधर एंड संथानम एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआर सं.003990S / S200018

साझेदार पी देवी
(एम.नं.223137)
यूडीआईएनः 22223137AJQIZM2479

मेसर्स जी. नटेसन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 002424S

साझेदार वरलक्ष्मी मुरली
(एम.नं. 028863)
यूडीआईएनः 22028863AIUPRK7986

मेसर्स एसएआरसी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 006085N

साझेदार चेतन ठक्कर
(एम.नं. 114196)
यूडीआईएन : 22114196AIUPWD3724

हस्ताक्षर का स्थान : चेन्नै
रिपोर्ट की तिथि : 11 मई, 2022

अनुलग्नक "ए" स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के लिए

(सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के 'अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के तहत पैराग्राफ 13 (बी) में संदर्भित)

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पत्र डीओएस. एआरजी.सं.6270/08.91.001/2019–20 दिनांक 17 मार्च, 2020 (संशोधित) द्वारा अपेक्षित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट (संशोधित) (आरबीआई द्वारा सूचित)

हमने, 31 मार्च, 2022 तक इंडियन बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है जो उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ है, जिसमें बैंक की शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शामिल हैं।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

बैंक का प्रबंधन संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इन जिम्मेदारियों में बैंक की नीतियों के अनुपालन में अपनी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित, व लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता एवं विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी भी शामिल है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट (मार्गदर्शन नोट) तथा आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू आईसीएआई द्वारा जारी ऑडिटिंग (एसएएस) पर मानकों के अनुपालन में लेखा परीक्षा की है । उन मानकों और मार्गदर्शन नोट की अपेक्षा होती है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखा परीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और उनके परिचालन की प्रभावशीलता के बारे में लेखा परीक्षा संबंधी साक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्य–निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि क्या भौतिक कमी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन की प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें मानक वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है और शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य, नीचे दिए गए अन्य मामलों के पैराग्राफ में संदर्भित उनकी रिपोर्ट के अनुसार, बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) उन अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित है, जो उचित विवरण में, बैंक की परिसंपत्तियों के लेन–देन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेन–देन को आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से दर्ज किया गया है, और बैंक की प्राप्तियां और व्यय केवल बैंक के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; तथा (3) बैंक की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करना, जिसका स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

मिलीभगत की संभावना या प्रबंधन द्वारा नियंत्रणों का अनुचित ढंग से अधिरोहण शामिल हैं, त्रुटि या धोखाधड़ी सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण विवरण गलत हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की किसी भी अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन का अनुमान जोखिम के अधीन हैं जोकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की स्थिति बिगड़ सकती है।

अभिमत

हमारी राय में, और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और नीचे दिए गए अन्य मामलों के पैराग्राफ में संदर्भित शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार के आधार पर, सभी प्रत्यक्ष मामलों में बैंक के पास वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण उपलब्ध हैं तथा वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2022 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जिन्हें बैंक द्वारा आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को शामिल करते हुए भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के मानदंडों के आधार पर स्थापित किया गया था ।

अन्य मामले

हमारी पूर्वोक्त रिपोर्ट जोकि 2122 शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के परिचालन की प्रभावशीलता से संबंधित है, उन शाखाओं के संबंधित शाखा लेखा परीक्षकों की संबंधित रिपोर्टों पर आधारित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के हमारे परीक्षण के दौरान और शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, हमारे द्वारा कुछ मामलों पर ध्यान दिया गया। बैंक को मौजूदा जोखिम नियंत्रण मैट्रिक्स (आरसीएम) में बदलाव और कुछ और आरसीएम डिजाइन करने सहित प्रक्रिया को और मजबूत करने की जरूरत है। इस संबंध में हमारे सुझाव बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को और मजबूत करने के लिए प्रबंधन को प्रस्तुत किए गए हैं।

इस मामले में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

कृते श्रीराममूर्ति एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआर सं.003032S

साझेदार एम प्रत्युषा
(एम.नं. 254141)
यूडीआईएनः 22254141AJEANT9965

कृते रवि रंजन एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआर सं.009073N / N500320

साझेदार सुमित कुमार
(एम.नं.512555)
यूडीआईएनः 22512555AIUPTX7923

मेसर्स पी.के. एफ. श्रीधर एंड संथानम एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआर सं.003990S / S200018

साझेदार पी देवी
(एम.नं.223137)
यूडीआईएनः 22223137AJQIZM2479

मेसर्स जी. नटेसन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 002424S

साझेदार वरलक्ष्मी मुरली
(एम.नं. 028863)
यूडीआईएनः 22028863AIUPRK7986

मेसर्स एसएआरसी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 006085N

साझेदार चेतन ठक्कर
(एम.नं. 114196)
यूडीआईएन : 22114196AIUPWD3724

हस्ताक्षर का स्थान : चेन्नै
रिपोर्ट की तिथि : 11 मई, 2022

जानबूझकर खाली छोड़ा गया

समेकित तुलन पत्र
लाभ एवं हानि लेखा और अनुसूचियाँ

यथास्थिति 31.03.2022 को समेकित तुलन–पत्र

(₹ करोड़ में)

विवरण	अनुसूची सं.	31.03.2022 को (लेखापरीक्षित)	31.03.2021 को (लेखापरीक्षित)
पूंजी और देयताएं			
पूंजी	1	1245.44	1129.37
आरक्षितियां और अधिशेष	2	43706.49	38328.70
अल्पसंख्यक हित	2A	24.98	22.60
जमाएं	3	593570.88	538029.80
उधार	4	17152.85	24762.77
अन्य देयताएं और प्रावधान	5	18395.79	23261.93
कुल		**674096.43**	**625535.17**
आस्तियां			
भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ नकदी और शेष	6	24054.46	27545.18
बैंकों के साथ शेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशियाँ	7	55913.76	23958.97
निवेश	8	176501.61	178292.44
अग्रिम	9	389186.07	362669.08
अचल आस्तियां	10	7698.91	7392.56
अन्य आस्तियां	11	20741.62	25676.94
कुल		**674096.43**	**625535.17**
आकस्मिक देयताएं	**12**	**353586.82**	**293606.77**
वसूली के लिए बिल		**14144.89**	**12620.73**

एस.एल. जैन
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

अश्वनी कुमार
कार्यपालक निदेशक

इमरान अमीन सिद्दीकी
कार्यपालक निदेशक

निदेशक

संजीव कौशिक
सरकार द्वारा नामित निदेशक

आदित्य गेहा
आरबीआई द्वारा नामित निदेशक

भरत कृष्ण शंकर
शेयरधारक निदेशक

पापिया सेनगुप्ता
शेयरधारक निदेशक

बालमुकुंद सहाय
अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक

विश्वेश कुमार गोयल
अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक

सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक

कृते मैसर्स श्रीराममूर्ति एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ आर संख्या 003032एस

एम. प्रत्युषा
साझेदार
(एम.संख्या 254141)

कृते मैसर्स रवि राजन एण्ड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफ आर संख्या 009073एन / एन500320

सुमित कुमार
साझेदार
(एम. संख्या 512555)

कृते मैसर्स पी के एफ श्रीधर एण्ड संथानम एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआर संख्या 003990एस / एस200018

पी. देवी
साझेदार
(एम.संख्या 223137)

कृते मैसर्स जी नटेसन एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआर संख्या 002424एस

वरलक्ष्मी मुरली
साझेदार
(एम.संख्या 028863)

कृते मैसर्स एसएआरसी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर. संख्या 006085एन

चेतन ठक्कर
साझेदार
(एम.संख्या 114196)

स्थान : चेन्नै
दिनांक: 11.05.2022

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ व हानि लेखा

(₹ करोड़ में)

विवरण	अनुसूची सं.	31.03.2022 को (लेखापरीक्षित)	31.03.2021 को (लेखापरीक्षित)
I. आय :			
अर्जित ब्याज	13	38861.65	39108.08
अन्य आय	14	7406.50	6111.40
कुल		**46268.15**	**45219.48**
II. व्यय			
व्यय किया गया ब्याज	15	22129.25	23438.80
परिचालनगत व्यय	16	11353.54	10789.28
प्रावधान एवं आकस्मिकतायें		8791.47	7975.68
कुल		**42274.26**	**42203.76**
III. समूह से संबद्ध अवधि हेतु समेकित लाभ / (हानि)		**3993.89**	**3015.72**
सहयोगियों से आय का अंश		150.30	134.86
अल्प संख्यक ब्याज घटाने से पूर्व अवधि के लिए समेकित लाभ/ (हानि)		**4144.19**	**3150.58**
घटाएं : अल्प संख्यक ब्याज		**2.38**	**1.43**
समूह से संबद्ध अवधि हेतु समेकित लाभ/ (हानि)		**4141.81**	**3149.15**
अग्रानीत लाभ/(हानि)		845.15	556.71
जोड़ें: शेयर प्रीमियम के सापेक्ष समायोजन/ सेट ऑफ		-23.19	41.29
कुल		**4963.77**	**3747.15**
IV. विनियोजन			
निम्न को अंतरित			
सांविधिक आरक्षित		986.21	751.17
पूँजी रिज़र्व – अन्य		147.90	47.71
आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के तहत विशेष रिजर्व		108.35	0.00
निवेश उतार चढ़ाव रिज़र्व		0.00	464.91
राजस्व रिज़र्व		1800.00	1387.34
स्टाफ़ कल्याण निधि		40.00	25.00
निवेश रिजर्व		0.00	0.00
प्रस्तावित ईक्विटी लाभांश		809.54	225.87
प्रस्तावित अधिमान लाभांश		0.00	0.00
लाभांश वितरण कर		0.00	0.00
समेकित तुलनपत्र में अग्रानीत शेष		1071.77	845.15
कुल विनियोजन		**4963.77**	**3747.15**
प्रति शेयर आय रुपये में (आधारभूत एवं मिश्रित)		**33.99**	**27.88**

एस.एल. जैन
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

अश्वनी कुमार
कार्यपालक निदेशक

इमरान अमीन सिद्दीकी
कार्यपालक निदेशक

निदेशक

संजीव कौशिक
सरकार द्वारा नामित निदेशक

आदित्य गेहा
आरबीआई द्वारा नामित निदेशक

भरत कृष्ण शंकर
शेयरधारक निदेशक

पापिया सेनगुप्ता
शेयरधारक निदेशक

बालमुकुंद सहाय
अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक

विश्वेश कुमार गोयल
अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक

सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक

कृते मैसर्स श्रीराममूर्ति एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ आर संख्या 003032एस

एम. प्रत्युषा
साझेदार
(एम.संख्या 254141)

कृते मैसर्स रवि राजन एण्ड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफ आर संख्या 009073एन / एन500320

सुमित कुमार
साझेदार
(एम. संख्या 512555)

कृते मैसर्स पी के एफ श्रीधर एण्ड संथानम एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआर संख्या 003990एस / एस200018

पी. देवी
साझेदार
(एम.संख्या 223137)

कृते मैसर्स जी नटेसन एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआर संख्या 002424एस

वरलक्ष्मी मुरली
साझेदार
(एम.संख्या 028863)

कृते मैसर्स एसएआरसी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर. संख्या 006085एन

चेतन ठक्कर
साझेदार
(एम.संख्या 114196)

स्थान : चेन्नै
दिनांक: 11.05.2022

अनुसूची 1 – पूँजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
I. प्राधिकृत पूँजी		
प्रत्येक 10/– रुपए के 300,00,00,000 ईक्विटी शेयर	3000.00	3000.00
II. जारी, अभिदत्त और अदा की गई पूँजी		
ए. केंद्र सरकार द्वारा रखे गए प्रत्येक रुपए 10/– के 99,45,49,600 ईक्विटी शेयर (पिछले वर्ष – रुपए 10/– प्रत्येक के 99,45,49,600 ईक्विटी शेयर शामिल हैं)	994.55	994.55
बी. जनता द्वारा रखे गए प्रत्येक रुपए 10/– के 25,08,91,539 ईक्विटी शेयर (पिछले वर्ष – रुपए 10/– प्रत्येक के 13,48,16,970 ईक्विटी शेयर शामिल हैं)	250.89	134.82
कुल	**1245.44**	**1,129.37**

अनुसूची 2 – आरक्षित निधियां व अधिशेष

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
I. सांविधिक आरक्षित निधियां		
ए) अथशेष	8649.75	4,694.20
बी) वर्ष के दौरान जोड़*	986.21	3,955.55
सी) वर्ष के दौरान कटौतियाँ	0.00	0.00
कुल I	**9635.96**	**8,649.75**
II. आरक्षित पूँजी		
ए) पुनर्मूल्यन आरक्षित		
ए) अथशेष	5754.97	2,987.84
बी) वर्ष के दौरान जोड़*	599.47	2,909.99
सी) वर्ष के दौरान कटौतियाँ	143.42	142.86
कुल (ए)	**6211.02**	**5,754.97**
बी) अन्य		
ए) अथशेष	962.79	388.55
बी) वर्ष के दौरान जोड़*	147.90	574.24
सी) वर्ष के दौरान कटौतियाँ	0.00	0.00
कुल (बी)	**1110.69**	**962.79**
कुल II (ए+बी)	**7321.71**	**6,717.76**
III. शेयर प्रीमियम		
ए) अथशेष	857.62	4,026.65
बी) वर्ष के दौरान जोड़*	1533.93	15,806.50
सी) वर्ष के दौरान कटौतियाँ	0.00	18,975.53
कुल III	**2391.55**	**857.62**
IV. राजस्व और अन्य आरक्षितियां		
राजस्व आरक्षित		
ए) अथशेष	13369.84	7,669.06
बी) वर्ष के दौरान जोड़*	1800.00	5,557.92
सी) पुनर्मूल्यांकन आरक्षतियों से अंतरित	143.42	142.86
डी) वर्ष के दौरान कटौतियाँ	0.00	0.00
कुल (ए)	**15313.26**	**13,369.84**

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
बी) आयकर अधिनियम 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष रिजर्व		
ए) अथशेष	2181.35	725.52
बी) वर्ष के दौरान जोड़*	108.35	1,455.83
सी) वर्ष के दौरान कटौतियाँ	0.00	0.00
कुल (बी)	**2289.70**	**2,181.35**
सी) आयकर अधिनियम 36(1) (viii,) के अंतर्गत विशेष रिजर्व		
ए) अथशेष	58.20	58.20
बी) वर्ष के दौरान जोड़	0.00	0.00
सी) वर्ष के दौरान कटौतियाँ	0.00	0.00
कुल (सी)	**58.20**	**58.20**
डी) निवेश में उतार–चढ़ाव रिजर्व		
ए) अथशेष	1031.90	566.99
बी) वर्ष के दौरान जोड़	0.00	464.91
सी) वर्ष के दौरान कटौतियाँ	0.00	0.00
कुल (डी)	**1031.90**	**1,031.90**
ई) निवेश रिजर्व		
ए) निवेश रिजर्व	186.38	47.80
बी) वर्ष के दौरान जोड़*	0.00	138.58
सी) वर्ष के दौरान कटौतियाँ	0.00	0.00
कुल (ई)	**186.38**	**186.38**
एफ) विदेशी मुद्रा लेनदेन रिजर्व		
ए) अथशेष	421.93	437.26
बी) वर्ष के दौरान जोड़	0.00	0.00
सी) वर्ष के दौरान कटौतियाँ	24.69	15.33
कुल (एफ)	**397.24**	**421.93**
जी) आईआरएस रिजर्व		
ए) अथशेष	1.91	0.00
बी) वर्ष के दौरान जोड़*	0.00	1.91
सी) वर्ष के दौरान कटौतियाँ	0.00	0.00
कुल (जी)	**1.91**	**1.91**
कुल (ए+बी+सी+डी+ई+एफ+जी)	**19278.59**	**17,251.51**
V. समामेलन रिजर्व		
ए) अथशेष	4006.91	0.00
बी) वर्ष के दौरान जोड़	0.00	4,006.91
सी) वर्ष के दौरान कटौतियाँ	0.00	0.00
कुल V	**4006.91**	**4,006.91**
VI. लाभ एवं हानि खाता		
अथशेष	845.15	556.71
वर्ष के दौरान जोड़	4141.81	247.14
वर्ष के दौरान कटौतियाँ*	3915.19	18,934.23
शेयर प्रीमियम से समायोजन	0.00	18,975.53
कुल VI	**1071.77**	**845.15**
कुल (I+II+III+IV+V+VI)	**43706.49**	**38,328.70**

* वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान जोड़ने/घटाने में पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक रिजर्व शामिल है।

अनुसूची 2ए – अल्पांश ब्याज

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
मूल उद्यम – अनुषंगी का संबंध उद्भव होने की तारीख पर अल्पांश ब्याज	3.27	3.27
परवर्ती वृद्धि / घटाव	21.71	19.33
तुलन पत्र की तारीख पर अल्पांश ब्याज	24.98	22.60

अनुसूची 3 – जमाएँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
(ए) I. मांग जमाराशियां		
(i) बैंकों से	125.60	289.29
(ii) अन्य से	36588.93	32,053.15
II. बचत बैंक जमाराशियाँ	211205.86	195,250.29
III.सावधि जमाराशियाँ		
(i) बैंकों से	6067.87	5,323.10
(ii) अन्य से	339582.62	305,113.97
कुल (I, II व III)	**593570.88**	**538,029.80**
(बी) i भारत में शाखाओं की जमाएं	584613.72	529,222.92
ii भारत के बाहर शाखाओं की जमाएं	8957.16	8,806.88
कुल बी (i व ii)	**593570.88**	**538,029.80**

अनुसूची 4 – उधार

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
I. भारत में उधार		
(i) भारतीय रिज़र्व बैंक	0.00	5,032.04
(ii) अन्य बैंक	7.07	4.95
(iii) अन्य संस्थाएं और एजेंसी	15286.53	14,948.82
II.भारत के बाहर उधार	1859.25	4,776.96
कुल (I व II)	**17152.85**	**24,762.77**

अनुसूची 5 – अन्य देयताएँ और प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
I. देय बिल	1585.17	1443.92
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	0.00	5073.01
III. उपचित ब्याज	994.22	1041.93
IV. अन्य (प्रावधान सहित)	15816.40	15703.07
कुल	**18395.79**	**23261.93**

अनुसूची 6 – भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी व शेष

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
I. हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	1962.45	1658.38
II.भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष – .		
(i) चालू खाते में	22092.01	25886.80
(ii) अन्य खातों में	0.00	0.00
कुल	**24054.46**	**27545.18**

अनुसूची 7 – बैंकों में अधिशेष और माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
I. भारत में		
(i) बैंकों में शेष		
(ए) चालू खातों में	30.64	116.03
(बी) अन्य जमा खातों में	1413.81	2065.07
(ii) माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि		
(ए) बैंकों में	34500.20	8900.00
(बी) अन्य संस्थाओं के साथ	0.00	0.00
कुल I (i व ii)	**35944.65**	**11081.10**
II.भारत के बाहर		
(i) चालू खाते में	503.98	1577.68
(ii) अन्य जमा खातों में	19453.09	11270.82
(iii) माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	12.04	29.37
कुल II (i, ii व iii)	**19969.11**	**12877.87**
कुल योग (I व II)	**55913.76**	**23958.97**

अनुसूची 8 – निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
I. भारत में निवेश		
सकल निवेश	180407.76	181348.95
घटाएँ : मूल्यह्रास एवं एनपीआई हेतु प्रावधान	5608.72	5382.93
निवल निवेश	**174799.04**	**175966.02**
(i) सरकारी प्रतिभूतियां	140854.58	157952.46
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	7.25	9.14
(iii) शेयर	1214.57	996.38
(iv) डिबेंचर और बॉण्ड	30739.72	13653.87
(v) सहयोगी संस्थाओं में निवेश	1011.85	861.55
(vi) अन्य	971.07	2492.62
कुल	**174799.04**	**175966.02**
II. भारत के बाहर निम्न में निवेश		
सकल निवेश	1800.52	2420.90
घटाएँ : मूल्यह्रास एवं एनपीआई हेतु प्रावधान	97.95	94.48
निवल निवेश	**1702.57**	**2326.42**
(i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकारियों सहित)	1702.01	2304.10
(ii) सहयोगी संस्थाओं में निवेश	0.00	0.00
(iii) अन्य निवेश (विनिर्दिष्ट करना है)		
(ए) शेयर	0.56	0.60
(बी) ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00	21.72
कुल	**1702.57**	**2326.42**
कुल योग (I व II)	**176501.61**	**178292.44**

अनुसूची–9 अग्रिम

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
ए. (i) क्रय किए गए एवं बट्टाकृत बिल	3430.06	2131.35
(ii) नकद उधार, ओवर ड्राफ़्ट और मांग पर प्रतिदेय उधार	245298.44	220090.98
(iii)सावधि ऋण	140457.57	140446.75
(iv) अन्य	0.00	0.00
कुल (ए)	**389186.07**	**362669.08**
बी. (i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (इसमें बही ऋणों पर अग्रिम शामिल हैं)*	322961.60	320789.57
(ii) बैंक / सरकार गारंटियों द्वारा संरक्षित	39614.40	22887.66
(iii) असुरक्षित	26610.07	18991.85
कुल (बी)	**389186.07**	**362669.08**
सी. I भारत में अग्रिम		
(i) प्राथमिकता क्षेत्र	163407.16	156301.48
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र	67147.92	64398.78
(iii) बैंक	0.00	169.24
(iv) अन्य	139011.85	131526.73
कुल (सी – I)	**369566.93**	**352396.23**
सी II भारत के बाहर अग्रिम		
(i) बैंकों से देय	11105.63	4475.58
(ii) अन्य से देय		
(क) क्रय किए गए और भुनाये गए बिल	2541.53	771.17
(ख) सामूहिक ऋण	4650.75	3515.42
(ग) अन्य	1321.23	1510.68
कुल (सी – II)	**19619.14**	**10272.85**
कुल योग (सी – I + सी – II)	**389186.07**	**362669.08**

* बही ऋण के सापेक्ष में अग्रिम सहित रु 67000.84 करोड़ (पिछले वर्ष रु 63247.10 करोड़)

अनुसूची 10 – अचल आस्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
I. परिसर		
पूर्ववर्ती वर्ष के तुलन–पत्रानुसार लागत /पुनर्मूल्यांकन पर (*)	6866.57	6862.57
वर्ष के दौरान जोड़/समायोजन	601.26	4.00
वर्ष के दौरान घटाव	4.69	0.00
उक्त तारीख तक मूल्यह्रास	1415.80	1246.78
निवल मूल्य	**6047.34**	**5619.79**
I ए. निर्माणाधीन परिसर	**0.97**	**1.07**
II. अन्य अचल आस्तियां (फ़र्निचर / फ़िक्सचर सहित)		
पूर्ववर्ती वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	4666.96	4158.17
वर्ष के दौरान जोड़	319.43	556.66
वर्ष के दौरान घटाव	89.07	47.87
उक्त तारीख तक मूल्यह्रास	3757.47	3383.29
निवल मूल्य	**1139.85**	**1283.67**
II ए. पट्टाकृत आस्तियाँ		
पूर्ववर्ती वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	552.10	552.43
वर्ष के दौरान जोड़	0.00	0.00
प्रावधान सहित वर्ष के दौरान कटौतियाँ	2.53	0.33
उक्त तारीख तक मूल्यह्रास	41.22	64.50
निवल मूल्य	**508.35**	**487.60**
III. पूंजी – निर्माणाधीन कार्य (पट्टाकृत आस्तियाँ) – निवल प्रावधान	**2.40**	**0.43**
कुल : (I, Iए, II, IIए व III,)	**7698.91**	**7392.56**

अनुसूची 11 – अन्य आस्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
I. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	270.53	0.00
II. उपचित ब्याज	2999.69	4142.80
III. अग्रिम रूप से प्रदत्त कर / स्रोत पर काटा गया कर (निवल)	6440.81	6655.17
IV. लेखन सामग्री एवं स्टांप	27.14	46.44
V. दावों की पूर्ति से प्राप्त की गई ग़ैर बैंककारी आस्तियाँ	51.38	51.38
VI. स्थगित कर आस्तियाँ (निवल)	3885.69	2851.41
VII.अन्य	7066.38	11929.74
कुल	**20741.62**	**25676.94**

अनुसूची 12 – आकस्मिक देयताएँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	2159.16	953.37
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए दायित्व	462.77	373.82
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के बाबत दायित्व	306197.71	254856.84
IV.संघटकों की ओर से दी गई गारंटियां*		
क. भारत में	21969.84	17792.78
ख. भारत के बाहर	300.68	379.99
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व*	10837.92	9394.29
VI.अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	11658.74	9855.68
कुल	**353586.82**	**293606.77**

* आकस्मिक देयता को मार्जिन के निवल माना गया है

अनुसूची 13 – अर्जित ब्याज़

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
I. अग्रिमों / बिलों पर ब्याज /बट्टा	26927.55	27363.57
II. निवेशों पर आय	10970.83	11170.35
III. भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य अंतर बैंक निधियों के पास अतिशेष पर ब्याज	851.52	425.71
IV. अन्य	111.75	148.45
कुल	**38861.65**	**39108.08**

अनुसूची 14 – अन्य आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
I. कमीशन, विनिमय और दलाली	1181.89	1131.77
II. भूमि, भवन और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ	7.40	2.84
घटाव : भूमि, भवन और अन्य संपत्तियों की बिक्री पर हानि	4.35	3.26
निवल	3.05	-0.42
III. विनिमय संव्यवहारों पर लाभ	689.99	406.22
घटाव : विनिमय लेनदेन पर हानि	0.00	0.00
निवल	689.99	406.22
IV. निवेशों के विक्रय पर लाभ (निवल)	1757.16	2261.90
घटाव : निवेश की बिक्री पर हानि	122.36	136.37
निवल	1634.80	2125.53
V. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ (निवल)	0.01	0.02
घटाव : निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर हानि	343.25	429.08
निवल	-343.24	-429.06
VI. (ए) पट्टा–वित्त / किराया खरीद से आय	0.02	0.04
(बी) विदेश / भारत में अनुषंगियों / कंपनियों तथा / या सह उद्यमों से लाभांश आदि से अर्जित आय	26.79	12.45
VII.विविध आय	4213.20	2864.87
कुल	**7406.50**	**6111.40**

अनुसूची 15 – व्यय किया गया ब्याज

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
I. जमाओं पर ब्याज	20933.43	22218.39
II. भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर बैंक उधारों पर ब्याज	248.46	400.90
III. अन्य	947.36	819.51
कुल	**22129.25**	**23438.80**

अनुसूची 16 – परिचालनगत व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	6738.44	6411.62
II. किराया, कर और बिजली व्यवस्था	615.43	611.77
III. मुद्रण और लेखन सामग्री	85.85	58.53
IV. विज्ञापन और प्रचार	30.20	14.92
V. ए) पट्टाकृत आस्तियों के अलावा बैंक की संपत्तियों पर मूल्यह्रास	600.68	633.17
बी) पट्टाकृत आस्तियों पर मूल्यह्रास	0.18	3.73
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय	1.17	0.77
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय सहित)	47.64	63.29
VIII.विधि प्रभार	20.26	23.66
IX. डाक, तार और टेलीफोन आदि	111.29	118.93
X. मरम्मत और रखरखाव	246.33	201.76
XI. बीमा	742.31	682.42
XII. अन्य व्यय	2113.76	1964.71
कुल	**11353.54**	**10789.28**

अनुसूची –17

मुख्य लेखांकन नीतियाँ

(समेकित)

1. लेखांकन प्रथा

जब तक अन्यथा न कहा जाए वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत परिपाटी पर चल रहे प्रथाओं का अनुपालन करते हुए तैयार किया जाता है। यह भारत में प्रचलित सांविधिक सिद्धांतों के अनुरूप है जिसमें सांविधिक प्रावधान, विनियामक/भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानकों/मार्गदर्शन नोट्स और भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाएं शामिल हैं। विदेशी शाखाओं के संबंध में संबंधित देशों में प्रचलित तंत्र सांविधिक प्रावधानों के अनुरूप है।

2. प्राक्कलन का प्रयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए, रिपोर्टिंग अवधि हेतु वित्तीय विवरणियों की तारीख पर दर्ज आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा आय एवं व्यय पर विचार करने हेतु प्रबंधन को प्राक्कलन तैयार करने और पूर्वानुमान करने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन, यह विश्वास रखता है कि वित्तीय विवरणियों की तैयारी में इस्तेमाल किये गये प्राक्कलन विवेकी और उचित हैं।

3. समेकन की प्रक्रिया :

ए. बैंक की (मूल संस्था एवं उसकी अनुषंगियां, इसके संयुक्त उद्यम) समेकित वित्तीय विवरणियाँ, इंडियन बैंक (मूल संस्था) और उसकी अनुषंगियों, यथा (1) इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड (2) इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज़ लिमिटेड, इसके संयुक्त उद्यमों यथा (1) यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इन्श्युरेंस को. लि. (2) एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियों के आधार पर तैयार की गई जोकि अंतर समूह लेनदेनों को एवं प्राप्त न किए गए लाभ /हानियों को छोड़ने के बाद यथावश्यक समायोजन करके जहां भी अन्यथा उल्लिखित न हो आईसीएआई द्वारा जारी लेख मानक 27 ''फाइनेंशियल रेपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन जाइंट वैंचर'' के अनुरूप है। मूल संस्था की रिपोर्टिंग तारीख तक अनुषंगियों एवं संयुक्त उद्यम की वित्तीय विवरणियाँ भी बनाई गई हैं।

बी. अनुषंगियां, संयुक्त उद्यम और सहयोगी संस्थाएं, संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित एवं सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार लेखाकरण नीतियों का अनुपालन करती हैं। अनुपालनार्थ अपेक्षित ऐसी विभिन्न लेखाकरण नीतियों के मद्देनजर, अधिदेश/सांविधिक अपेक्षाओं के अनुरूप संबंधित लेखाकरण नीतियों को अपनाते हुए समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं।

सी. मूल संस्था को आनुषंगिक संस्था में निवेश के लिए हुई लागत और अर्जन की तारीख को अनुषंगी संस्था में मूल संस्था की ईक्विटी में अंतर को वित्तीय विवरण में पूंजी रिज़र्व/गुडविल के रूप में लिया जाता है। अर्जन के बाद के लाभ/हानियों में मूल संस्था के शेयर का समायोजन, राजस्व रिज़र्व के साथ किया जाता है ।

डी. परिचालन के निवल परिणाम और अनुषंगी संस्था की संपत्ति में अल्प संख्यक के हक से लाभ एवं निवल संपत्तियों का वह अंश द्योतित है जो अल्पसंख्यकों को देय है।

ई. एसोसियेटस में निवेश का हिसाब, एसोसियेटस के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर आईसीएआई द्वारा जारी लेखाकरण मानक–23 (एएस–23) समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसियेटस में निवेश के लिए लेखांकन के अनुसार ईक्विटी पद्धति के तहत किया जाता है।

4. विदेशी विनिमय से संबंधित लेनदेन

मूल संस्था

4.1 भारतीय परिचालनों और गैर समाकलित विदेशी परिचालन के विदेशी मुद्रा लेनदेनों का लेखांकन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखाकरण मानक – 11 (एएस – 11) के अनुसार किया जाता है।

4.2 भारतीय परिचालनों के मामले में परिवर्तन

ए) विदेशी मुद्रा डीलर असोसिएशन आफ इंडिया (फेडाय) द्वारा अधिसूचित साप्ताहिक औसत दर (डबल्यूएआर) पर विदेशी विनिमय लेनदेन दर्ज किए जाते हैं।

बी) विदेशी मुद्रा में आस्तियों एवं देयताओं का परिवर्तन, वर्षांत पर फेडाय द्वारा अधिसूचित समापन दरों पर किया जाता है।

सी) विदेशी मुद्रा में स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं और गारंटियों को वर्षांत पर फेडाय द्वारा अधिसूचित समापन दरों पर रखा जाता है।

डी) वित्तीय वर्ष के अंत में विदेशी मुद्रा में रखी गयी आस्तियों एवं देयताओं के निपटान एवं परिवर्तन से उठनेवाले विनिमय अंतर को, उस वर्ष में ही आय या व्यय के रूप में पहचाना जाता है ।

ई) बकाया वायदा विनिमय दरों का प्रकटीकरण संविदागत दरों से किया जाता है तथा फेडाय की समापन दरों पर उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है एवं उसके परिणाम की पहचान, लाभ व हानि लेखे के जरिए की जाती है।

4.3 गैर– समाकलित विदेशी परिचालनों के संबंध में परिवर्तन

विदेशी शाखाओं का वर्गीकरण, गैर समाकलित विदेशी परिचालन के रूप में किया गया है और वित्तीय विवरणों का परिवर्तन निम्नप्रकार किया जाता है :

1. आकस्मिक देयताएं सहित आस्तियों एवं देयताओं का परिवर्तन फेडाय द्वारा वर्षांत में अधिसूचित दरों पर किया जाता है।
2. आय एवं व्यय का परिवर्तन फेडाय द्वारा संबंधित तिमाही के अंत पर अधिसूचित तिमाही औसत समापन दर पर किया जाता है।
3. निवल निवेशों के निपटान तक उठनेवाले सभी विनिमय अंतर को ''फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व'' (एफसीटीआर) नामक पृथक निधि में उपचित रखा जाता है।

5. निवेश

मूल संस्था

5.1.1 बैंक के निवेश संविभाग को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निम्नलिखित तीन प्रवर्गों में वर्गीकृत किया गया है :

- परिपक्वता तक रखे गए (एचटीएम)
- बिक्री हेतु उपलब्ध (एएफएस)
- व्यापार के लिए रखे गए (एचएफटी)

परिपक्वता तक रोक रखने के आशय के साथ प्राप्त की गई प्रतिभूतियों को **''एचटीएम''** प्रवर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। अल्पावधि के मूल्य/ब्याज दर में उतार–चढ़ाव से लाभ उठाकर व्यापार करने के आशय के साथ प्राप्त की गई प्रतिभूतियों को **''एचएफटी''** प्रवर्ग में वर्गीकृत किया गया है। अन्य सभी प्रतिभूतियाँ जो उपर्युक्त दोनों प्रवर्गों में नहीं आती हैं, उन्हें, **''एएफएस''** प्रवर्ग में वर्गीकृत किया गया है।

निवेश को उसकी खरीद/अर्जन के समय पर ही, परिपक्वता तक धारित, बिक्री के लिए उपलब्ध अथवा व्यापार के लिए उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और तदनन्तर नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप उनका अंतरण किया जाता है। एक वर्ग से दूसरे वर्ग को शेयरों का अंतरण, यदि कोई है, अंतरण की तारीख पर अर्जन लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य में से न्यूनतम मूल्य पर किया जाता है, और ऐसे अंतरण के लिए मूल्यहास हेतु पूर्ण प्रावधान किया जाता है।

अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और एसोसिएट्स में निवेश को परिपक्वता तक धारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

एचटीएम प्रवर्ग में रखी गयी प्रतिभूतियों की बिक्री पर प्राप्त लाभ को पहले लाभ व हानि लेखा में लिया जाता है और बाद में पूंजी प्रारक्षिती लेखा (कर चुकाने के बाद की राशि तथा सांविधिक रिजर्व को अंतरित की जानेवाली वांछित राशि) में विनियोजित किया जाता है तथा हानि, यदि हो, को लाभ व हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है:

5.1.2. भारत में निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के समनुरूप निम्नानुसार किया जाता है :

ए) **''एचटीएम''** प्रवर्ग में प्रतिभूति का मूल्यांकन अर्जन की लागत पर किया जाता है सिवाय उन मामलों में जहां अंकित मूल्य से अर्जन लागत अधिक होती हो, वैसे मामलों में, अंकित मूल्य पर अर्जन लागत की ऐसी अधिकता को परिपक्वता की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है। अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों / एसोसिएट्स में, जिन्हें एचटीएम प्रवर्ग में शामिल किया गया है, निवेशों के मूल्य में, अस्थाई प्रकृति के अलावा किसी अन्य ह्रास की पहचान की गई है और प्रावधान किया गया है। ऐसे ह्रास का निर्धारण और इसके लिए प्रावधान प्रत्येक निवेश हेतु अलग से किया जाता है। दिनांक 23.08.2006 के बाद जोखिम पूँजी निधियों के यूनिटों (वीसीएफ)/वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) में किये गये निवेश, प्रारंभिक 3 वर्ष की अवधि के लिए एचटीएम वर्ग के अधीन वर्गीकृत किये जाते हैं तथा उनका मूल्यांकन, लागत पर किया जाता है।

बी) अनुषंगी संस्थाओं, संयुक्त उपक्रमों और सहयोगी संस्थाओं में निवेश का मूल्यांकन, परंपरागत लागत पर किया जाता है। प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश का मूल्यांकन, वहन लागत (अर्थात् बही मूल्य) पर किया जाता है।

सी) **''एएफस''** प्रवर्ग में निवेशों का मूल्यांकन, बाजार मूल्य पर, तिमाही अंतराल पर स्क्रिपवार तथा वर्गीकरणवार किया जाता है। यदि कोई निवल मूल्यह्रास हो, तो उसे लाभ–हानि लेखा में शामिल किया जाता है, जबकि किसी निवल मूल्यवृद्धि होने पर उसकी उपेक्षा कर दी जाती हे। इस प्रवर्ग में बाजार को अंकित करने के बाद वैयक्तिक प्रतिभूतियों के बही मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है।

डी) **''एचएफटी''** प्रवर्ग में रखी गई वैयक्तिक प्रतिभूतियों को दैनिक अंतराल पर बाजार को अंकित किया जाता है। निवल मूल्यह्रास, यदि कोई हो, तो लाभ व हानि लेखा में उसका प्रावधान किया जाता है जबकि निवल मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इस प्रवर्ग में वैयक्तिक प्रतिभूतियों के बही मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

''एएफएस'' एवं ''एचएफटी'' प्रवर्गों में प्रतिभूतियों का मूल्यांकन निम्नवत् किया गया है :

i) प्राइमेरी डीलर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (पीडीएआई) और फिक्स्ड इन्कम मनी मार्केट और डिराइवेटिव्स एसोसिएशन आफ इंडिया (एफआईएमएमडीए)/फाइनेंसियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा संयुक्त रूप से घोषित किए गए अनुसार केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, मूल्य पर/वाईटीएम दरों पर किया जाता है।

ii) राज्य सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, वाईटीएम पद्धति को लागू करते हुए और पीडीएआई/एफआईएमएमडीए/एफबीआईएल द्वारा रखी गई समतुल्य परिपक्वता की केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों के प्रतिफल से 25 बेसिस प्वाइंट बढ़ाते हुए आवधिक रूप से किया जाता है।

iii) कोट होने पर ईक्विटी शेयरों का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया जाता है। कोट न होनेवाले ईक्विटी शेयरों को उनके ब्रेक–अप मूल्य पर (पूनर्मूल्यन आरक्षित निधियां, यदि हो, उस पर ध्यान दिए बिना), कंपनी के नवीनतम तुलनपत्र (मूल्यन की तारीख से एक वर्ष के पहले का न हो), के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है। अन्यथा शेयरों का

मूल्यांकन प्रति कंपनी एक रुपया के अनुसार किया जाता है।

iv) कोट होने पर अधिमान्य शेयरों का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया जाता है; अन्यथा समुचित वाईटीएम दरों अथवा पुनः शोधन मूल्य के आधार पर निर्धारित मूल्य, दोनों में से जो भी कम हो, उस मूल्य पर किया जाता है।

v) अग्रिमों के रूप में रहे डिबेंचरों तथा बांडों के अलावा, सभी डिबेंचरों तथा बांण्डों का मूल्यांकन वाईटीएम आधार पर किया जाता है।

vi) राजकोष बिलों, जमा प्रमाण पत्रों तथा वाणिज्यिक कागजातों का मूल्यांकन उनकी रखाव लागत पर किया जाता है।

vii) कोट होने पर म्यूचुअल फंडों की यूनिटों का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया जाता है; अन्यथा पुनः खरीद मूल्य अथवा निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) दोनों में जो भी कम हो, उस मूल्य पर किया जाता है। यदि निधियां लॉक–इन अवधि में हैं, जहां पुनःखरीदी मूल्य/बाजार कोट उपलब्ध नहीं हो तो, यूनिटों का मूल्यांकन एनएवी पर अथवा लॉक–इन अवधि की समाप्ति तक की लागत पर किया जाता है।

viii) 23.08.2006 के बाद किये गये जोखिम पूंजी निधियों (वीसीएफ) /वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) के यूनिटों में निवेश, 3 सालों की प्रारंभिक अवधि के लिए एचटीएम श्रेणी में वर्गीकृत होते है एवं इनका लागत पर मूल्यांकन किया जाता है। संवितरण की तारीख से 3 सालों के समय के बाद, यह एएफएस में परिवर्तित किया जाएगा और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बाजार के लिए अंकित किया जाएगा।

5.1.3. विदेशी शाखाओं के निवेश के संबंध में, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश या मेजबानी देश के दिशानिर्देश, जो भी ज्यादा कठोर हैं, का पालन किया जाता है। ऐसे देशों में स्थित शाखाओं के मामले में, जहाँ कोई दिशानिर्देश विनिर्दिष्ट नहीं किए गए हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है।

5.1.4. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक निवेश (एनपीआई) की पहचान निम्नलिखित रूप में किया गया है :

ए) प्रतिभूतियाँ/असंचयी अधिमानी शेयर जिनमें ब्याज/नियत लाभांश/किस्त (परिपक्वता राशि को मिलाकर) देय है तथा 90 दिन की अवधि से अधिक समय तक उसका भुगतान नहीं किया गया है।

बी) अगर बैंक से जारीकर्ता द्वारा प्राप्त कोई ऋण सुविधा को गैर–निष्पादित अग्रिम माना गया है, तो उसी जारीकर्ता द्वारा जारी की गई किसी भी प्रतिभूति जिसमें अधिमानी शेयर शामिल है, में निवेश को एनपीआई के रूप में माना जाएगा और इसके विपरीत। हालांकि, अगर केवल अधिमानी शेयरों को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो उसी जारीकर्ता द्वारा जारी की गई अन्य निष्पादित प्रतिभूतियों में निवेश को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है और उस उधारकर्ता को दी गई किसी भी निष्पादित ऋण सुविधाओं को एनपीए के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

सी) इक्विटी निवेश, एनपीआई के रूप में वर्गीकृत, शेयरों को बाजार मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता हैं। अगर उद्धृत किया गया है और यदि इसे उद्धृत नहीं किया गया है के मामले में, तो शेयरों का मूल्य प्रति कंपनी ₹ 1/– होता है।

डी) केन्द्रीय सरकार की गारंटी प्राप्त निवेशों के अतिदेय होने पर भी उन्हें तभी एनपीए माना जाएगा जब गारंटी लागू की जाने पर सरकार उसका निराकरण करती है।

ई) यदि ब्याज/मूल किस्त (परिपक्वता संप्राप्तियों को शामिल करते हुए) अथवा बैंक को देय अन्य कोई राशि, 90 दिनों से अधिक के लिए अदत्त बनी रहती हो, तो राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत प्रतिभूतियों में निवेश को, जोकि ''माने गए अग्रिमों' के रूप में हैं, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदंडों के अध्यधीन रखा जाता है।

5.1.5 प्रतिभूतियों की लागत में से दलाली/कमीशन/अंशदानों पर प्राप्त प्रोत्साहन को घटा दिया जाता है। प्रतिभूतियों के अर्जन के संबंध में अदा की गयी दलाली/कमीशन/स्टांप शुल्क को राजस्व व्यय माना जाता है।

5.1.6 व्यापार के लिए ब्याज दर स्वैप लेनदेनों को तिमाही आधार पर बाजार को अंकित किए जाते हैं। कुल अदला–बदलियों के उचित मूल्य का आकलन, तुलन–पत्र की तारीख पर अदला–बदली करारों को समाप्त किए जाने पर प्राप्त/प्राप्य या प्रदत्त/प्रदेय राशि के आधार पर किया जाएगा। इससे होनेवाली हानियों के लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है, जबकि लाभ यदि हो, पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

5.1.7 एक्सचेंज कारोबार विदेशी विनिमय डेरिवेटिव यानी मुद्रा वायदे का मूल्यांकन एक्सचेंज द्वारा निर्धारित मूल्यों पर किया जाता है और परिणामी लाभ और हानि की पहचान लाभ और हानि लेखे में की जाती हैं।

5.1.8 एफसीएनआर (बी) डॉलर जमाओं के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के विनिमय स्वैप की सुविधा की शुरुआत में उत्पन्न होनेवाले प्रीमियम / ब्याज, स्वैप अनुबंध की अवधि के दौरान खर्च के रूप में परिशोधित किया जाता है।

5.1.9 निवेश की कीमत के निर्धारण प्रत्येक वर्ग में भारित औसत कीमत पद्धति के आधार पर किया जाता है। एचटीएम के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों को भारित औसत कीमत पद्धति के तहत प्राप्त अधिग्रहण कीमत के आधार पर ले लिया गया है तथा भारित औसत कीमत के अंकित मूल्य से अधिक होने की स्थिति में प्रीमियम को केवल शेष परिपक्वता अवधि हेतु परिशोधित कर दिया जाता है।

5.1.10 रेपो एवं रिवर्स रेपो लेनदेनों के लिए लेखाकरण :

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार तरलता समायोजन सुविधाएं (एलएएफ), परिवर्तनीय दर अवधि प्रचालन तथा एमएसएफ एवं मार्केट रेपों लेन–देनों को शामिल करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के साथ सभी प्रकार के रेपो, रिवर्स रेपो लेनदेनों का हिसाब रखा जाता है।

रेपो/रिवर्स रेपो के तहत बेची गई और खरीदी गई प्रतिभूतियों को त्रिपक्षीय रेपो के रूप में लिया जाता हैं जिसमें, प्रतिभूतियों को सामान्य एकमुश्त बिक्री / खरीद लेनदेनों के मामले में अंतरित किए जाते हैं और इस प्रकार के प्रतिभूति के उतार –चढ़ाव, रेपो/रिवर्स रेपो खातों और प्रति–प्रविष्टियों के प्रयोग से परिलक्षित होता है। उपरोक्त प्रविष्टियाँ परिपक्वता की तारीख पर प्रतिवर्तित हो जाती है। मामले के आधार पर लागत एवं राजस्व को ब्याज व्यय/आय के रूप में लिया जाएगा। रेपो खाते में शेष, अनुसूची 4 (उधार) के तहत वर्गीकृत है और रिवर्स रेपो खाते में शेष, अनुसूची 7 (बैंकों में शेष एवं मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि) के तहत वर्गीकृत है।

अनुषंगी कंपनियाँ :

5.2 इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज़ लिमिटेड

कंपनी के पास रखे सभी निवेश दीर्घकालिक निवेश हैं। अस्थायी प्रकृति के निवेशों के अलावा दीर्घकालिक निवेशों को ह्रास के लिए प्रावधान घटाकर, लागत पर लाया गया है । कंपनी ने कोट किए गए शेयरों के बाज़ार मूल्य पर भरोसा करते हुए शेयरों / ड़िबेंचरों के मूल्य में ह्रास को स्थायी प्रकृति के रूप में माना है तथा कोट न किए गए शेयरों के मामले में बही मूल्य / उचित मूल्य, दोनों में जो भी अधिक हो, को माना गया है।

5.3 इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड

निवेशों को चालू निवेशों और दीर्घकालिक निवेशों में वर्गीकृत किया गया है। राष्ट्रीय आवास बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का मूल्यांकन प्रत्येक निवेश के लिए अलग–अलग रूप से, उनकी लागत अथवा बाज़ार मूल्य में से निम्नतर दरों पर किया गया है।

6. प्रतिभूतीकरण कंपनियों (एससी) / पुनर्निमाण कंपनियों (आरसी) को बेची गई वित्तीय आस्तियां

मूल संस्था :

6.1 प्रतिभूतिकरण कंपनियों / पुनर्निमाण कंपनियों द्वारा, उन्हें बेची गई वित्तीय आस्तियों के संबंध में जारी की गई प्रतिभूति रसीदों को उनके प्रतिदेय मूल्य और वित्तीय आस्तियों के निवल बही मूल्य, से कम स्तर पर मूल्यांकित किया जाता है। प्रतिभूतिकरण रसीद को निम्न पर मूल्यांकित किया जाता है

(ए) दिनांक 01.04.2017 से पहले एसआर / आरसी जारी किए गए प्रतिभूति रसीद को परिसम्पत्ति पुनर्निमाण कंपनी द्वारा तुलन पत्र के दिनांक पर घोषित निवल परिसंपत्ति मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है और मूल्यह्रास होने पर उसके लिए प्रावधान किया जाता है तथा मूल्यवृद्धि होने पर उसपर ध्यान नहीं दिया जाता।

(बी) 01 अप्रैल 2017 के प्रभाव से आरबीआई द्वारा जारी किए गए संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार एसआर पर प्रावधान की आवश्यकता निम्न बिन्दुओं से अधिक होगी।

(i) एससी / आरसी द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य के संदर्भ में प्रावधान दर

(ii) अंतर्निहित ऋण पर लागू होने वाली प्रावधान दर, यह मानते हुए कि ऋण बैंक की बही में निरंतर जारी रहा है

6.2 आरसी को बेची गयी वित्तीय आस्तियों के मामले में उनका मूल्यांकन और आय की पहचान, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। अगर बिक्री मूल्य, निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम है (यथा, बही मूल्य से रखे गये प्रावधान घटाने के बाद का मूल्य) तो भारतीय रिजर्व बैंक के विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार उससे होनेवाली कमी को लाभ व हानि खाते में नामे डाला जाएगा या रखी गयी अस्थायी प्रावधान का प्रयोग करते हुए इसका समंजन किया जाएगा।

6.3 यदि प्राप्त नकदी (आरंभिक प्रतिफल और/या प्रतिभूति रसीदों के मोचन के जरिए) आरसी को बेची गई अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के निवल बही मूल्य से अधिक होती है तो अतिरिक्त प्रावधान को लाभ एवं हानि खाते में प्रत्यावर्तित किया जाता है। लाभ एवं हानि खाते में प्रत्यावर्तित किए गए अतिरिक्त प्रावधान की प्रमात्रा उस सीमा तक सीमित है जिस सीमा तक प्राप्त नकदी बेची गई अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के निवल बही मूल्य से अधिक होती है।

7. अग्रिम

मूल संस्था

7.1.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार भारत में अग्रिमों को उधारकर्ता–वार मानक, अव–मानक, संदिग्ध और हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

7.1.2 गैर निष्पादक अग्रिमों के लिए निम्नानुसार प्रावधान किए गए हैं –

ए) अवमानक :

i. कुल बकाया पर 15 प्रतिशत का सामान्य प्रावधान

ii. प्रकटीकरण हेतु 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रावधान जो प्रारम्भ से ही अरक्षित हैं।

(अर्थात, जहां प्रतिभूतियों का वास्तविक मूल्य प्रारम्भ से ही 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है)

बी) संदिग्ध संवर्ग – 1 :

i. सुरक्षित भाग के लिए 25 प्रतिशत

ii. अरक्षित भाग के लिए 100 प्रतिशत

सी) संदिग्ध संवर्ग – 2 :

i. सुरक्षित भाग के लिए 40 प्रतिशत

ii. अरक्षित भाग के लिए 100 प्रतिशत

डी) संदिग्ध वर्ग– 3 एवं हानि अग्रिम – 100 प्रतिशत

7.1.3 पुनर्गठित / पुनर्संरचित मानक अग्रिम सहित मानक अग्रिमों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार प्रावधान किया जाता है।

7.1.4 विदेशी शाखाओं के मामले में ऋण हानियों के लिए आय–निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधान, स्थानीय आवश्यकताओं अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों में से जो भी अधिक सख्त हो, के अनुसार किया जाता है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये विनियमों के संबंध में अगर कोई आस्ति को बैंक के विदेशी बही में किसी भी समय गैर– निष्पादित आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाना है तो बैंक द्वारा ऋणकर्ता को प्रदान की गई सभी सुविधाओं तथा ऋणकर्ता द्वारा जारी की गयी सभी प्रतिभूतियों में निवेश को एनपीए / एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

तथापि मेजबान विनियामकों द्वारा खातों को वसूली से अन्य कारणवश गैर निष्पादित / बाधित आस्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो भारत में वित्तीय विवरणियों के समेकन करते समयए उन्हें एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा तथा आवश्यकतानुसार प्रावधान किया जाएगा, जबकि उसी प्रतिपक्षकारों को अन्य क्षेत्राधिकार में (भारत को सम्मिलत कर) प्रदत्त अन्य ऋण एक्स्पोजर के संबंध में आस्ति वर्गीकरण, संबंधित क्षेत्राधिकार में विद्यमान दिशानिर्देशों से अधिशासित होगा।

7.1.5 प्रकट किये गए अग्रिम, गैर–निष्पादित आस्तियों, डीआईसीजीसी / ईसीजीसी / सीजीटीएमएसई से प्राप्त तथा समायोजन हेतु लंबित रखे गए दावों, विविध खाते में प्राप्त और रखी गई चुकौतियों, सहभागिता प्रमाण–पत्रों एवं पुनः भुनाये गये मियादी बिलों के लिए किए गए प्रावधानों और मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत पुर्नगठित खातों के उचित मूल्य में अधित्याग के बदले प्रावधान के बाद निवल हैं।

8 अचल आस्तियां / मूल्यह्रास

8.1 मूल संस्था :

8.1.1 अचल संपत्तियों को लागत / पुनर्मूल्यांकन राशि घटाकर संचित मूल्यह्रास / परिशोधन किया जाता है।

8.1.2 लागत में खरीद की लागत और सभी व्यय जैसे साइट की तैयारी, स्थापना लागत और परिसंपत्ति का उपयोग करने से पूर्व उनपर व्यय किए गए वृत्तिक शुल्क शामिल है। उपयोग में आने वाली परिसम्पत्तियों पर किए गए बाद के व्यय का पूंजीकरण तभी किया जाता है जब यह ऐसी परिसंपत्तियां उनकी कार्य क्षमता पर भविष्य के आर्थिक लाभ को बढ़ाती है।

8.1.3 भारत में इमारतों का मूल्यह्रास (जमीन की लागत सहित जहां अविभाज्य / अलग नहीं है) और अन्य अचल संपत्तियों को स्ट्रेट लाइन पद्धति से दरों / उपयोग की गयी समय–सीमा के आधार पर किया जाएगा, जैसा कि नीचे वर्णित है :

क्रं. सं.	अचल आस्तियों का विवरण	मूल्यह्रास की दर / उपयोग की गयी समय–सीमा
1.	कंप्यूटर	33.33% प्रतिवर्ष
2.	ऐसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर का एक अभिन्न अंग हैं ।	33.33% प्रतिवर्ष
3.	ऐसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लागत का एक अभिन्न अंग नहीं हैं ।	33.33% प्रतिवर्ष
4.	ऑटोमेटेड टेलर मशीन / कैश डिपॉजिट मशीन / क्वाइन वेंडिंग मशीन	20.00% प्रतिवर्ष
5.	सर्वर	33.00% प्रतिवर्ष
6.	नेटवर्क उपकरण	20.00% प्रतिवर्ष
7.	अन्य अचल आस्तियां	आस्तियों के प्रमुख समूह का उपयोग करने की अनुमानित समय–सीमा निम्नानुसार है: परिसर : 60 वर्ष तिजोरियां / लॉकर / दरवाजे (स्टील) : 20 वर्ष वाहन : 5 वर्ष फर्नीचर एवं फिक्स्चर : 10 वर्ष मोबाइल फोन : 1 वर्ष

8.1.4 वर्ष के दौरान बेची गई / अर्जित की गई संपत्तियों के संबंध में, वर्ष के दौरान पूंजीकरण की तारीख से / संपत्ति के उपयोग की गयी समय–सीमा के लिए आनुपातिक आधार पर मूल्यह्रास किया जाएगा।

8.1.5 रुपए 5000 / – तक की संपत्ति का पूरी तरह से मूल्यह्रास उसी वर्ष किया जाएगा जिस वर्ष उसे खरीदा गया हो।

8.1.6 पुनर्मूल्यांकन के समय मूल्यांकित की गई परिसंपत्ति को उसके उपयोग हेतु शेष समय–सीमा के आधार पर मूल्यह्रास किया जाएगा ।

पुनर्मूल्यांकन के कारण परिसंपत्ति के शुद्ध बही मूल्य में वृद्धि को लाभ और हानि खाते के माध्यम से रूट किए बिना पुनर्मूल्यांकन हेतु रिजर्व खाते में जमा किया जाएगा। आईसीएआई द्वारा जारी संशोधित एएस 10 के अनुसार, पुनर्मूल्यांकन घटक से संबंधित मूल्यह्रास को राजस्व व्यय के तहत प्रभारित किया जाएगा और एक समतुल्य राशि सीधे पुनर्मूल्यांकन रिजर्व के विरुद्ध प्रभारित किया जाएगा तथा आईसीएआई द्वारा जारी संशोधित एएस 10 के अनुसार राजस्व रिजर्व में जमा किया जाएगा।

8.1.7 उन आस्तियों के मामले में जहां सरकार से सब्सिडी प्राप्त होता है, उसको तत्संबंधित आस्ति खाता में जमा किया जाता है और तदनुसार मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है।

8.1.8 पट्टेवाली भूमि पर प्रीमियम, अधिग्रहण के वर्ष में पूंजीकृत किया जाता है और पट्टे की अवधि पर परिशोधित किया जाता है।

8.1.9 विदेशी शाखाओं की अचल आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास की व्यवस्था उन देशों में प्रचलित पद्धतियों के अनुसार की जाती है।

8.1.10 गैर–बैंकिंग आस्तियों (एनपीए) के संबंध में कोई मूल्यह्रास प्रभारित नहीं किया जाता है।

अनुषंगी कंपनियाँ :

8.2 **इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज़ लिमिटेड :**

अचल आस्तियों को परम्परागत लागत पर, संचित मूल्यह्रास और क्षति के लिए प्रावधान (यदि कोई हो) को घटा कर बताया जाता है। पट्टे पर ली गई आस्तियों (दिसंबर 1997 के पहले संविदाकृत) को पट्टा समायोजन खाते में शेष के लिए आगे समायोजित किया जाता है।

मूल्यह्रास

ए) पट्टे पर दी गई आस्तियों को छोड़कर अन्य आस्तियों पर

पट्टे पर दी गई आस्तियों को छोड़कर अन्य आस्तियों पर कंपनी, सीधी कटौती प्रणाली (एसएलएम) यथानुपात आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित दरों पर मूल्यह्रास का प्रावधान करती है । साफ़्टवेयर लागतों को, उनके अर्जन के वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए परिशोधित किया जाता है।

बी) बन्द परिचालनों के अंतर्गत प्रदत्त पट्टेदारी आस्तियों पर :–

परिचालन बन्द करने के तहत पट्टेदारी आस्तियों पर कंपनी घटते मूल्य पद्धति पर यथानुपात आधार पर, मूल्यह्रास का प्रावधान करती है तथा जिस महीने में आस्ति संस्थापित की गयी है, उसे पूर्ण महीना माना जाता है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी पट्टों का लेखाकरण पर मार्गदर्शन नोट (संशोधित) के अनुसार पट्टा आस्तियों की लागत को पट्टे की अवधि के दौरान पूर्णतः परिशोधित किया जाता है। सांविधिक मूल्यह्रास और वार्षिक पट्टा प्रभार में अंतर का समायोजन, पट्टा समकरण के ज़रिए किया जाता है, जिसका समायोजन पट्टा आय के साथ किया जाता है।

इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड :

8.3 अचल संपत्तियों को लागत पर पूंजीकृत किया जाता है और लागत से मूल्यह्रास घटाकर दर्शाया गया है। मूल्यह्रास का परिकलन कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में दी गई दरों पर मूल्यह्रासित पद्धति से किया जाता है।

9. राजस्व अभिज्ञान

मूल संस्था

9.1.1 आय और व्यय को, जब तक अन्यथा नहीं कहा जाए, सामान्यतः संचयी आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

9.1.2 गैर–निष्पादक आस्तियों, सरकार द्वारा गारंटीकृत आस्तियों (जो 90 दिनों से ज्यादा अतिदेय हैं) लाभांश आय, बीमा दावे, जारी किये गये साख–पत्रों / गारंटियों पर कमीशन (परियोजना वित्त से इतर), बैंकएश्यूरेन्स उत्पादों पर आय, धन प्रबंधन पर आय, खरीदे गए बिलों पर अतिरिक्त ब्याज/अतिदेय प्रभार, क्रेडिट कार्डों पर वित्तीय प्रभार, पुनः क्षतिपूरित करने के बैंक के अधिकार पर व्यय, डेबिट कार्डों पर एएमसी प्रभार आदि को उनकी वसूली होने पर हिसाब में लिया गया है और प्राप्त किए गए लॉकर किराया उपचय आधार पर लेखांकित किया जाता है।

9.1.3 अतिदेय विदेशी बिलों के मामले में, ब्याज और अन्य प्रभारों को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) के दिशानिर्देशों के अनुसार किस्ट्रलीकरण की तारीख तक माना गया है।

अनुषंगी कंपनियाँ :

9.2. इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज़ लिमिटेड

ए) इश्यू प्रबंधन शुल्क और अन्य प्रबंधकीय सेवाओं के लिए शुल्क – समनुदेशन पूरा होने की तारीख को मान लिया जाता है।

बी) वित्तीय उत्पादों के वितरण पर हामीदारी कमीशन और दलाली – अंशदान ब्यौरे प्राप्त होने पर मान लिया जाता है।

सी) स्टॉक ब्रोकिंग परिचालनों के अधीन दलाली को संविदा के पूरा करने पर लेखांकित किया जाता है।

डी) अतिदेय पट्टा किराये पर और किराया खरीद किस्तों पर ब्याज पावती आधार पर लेखांकित किया जाता है। चूँकि बही खातों में बकाया राशि के लिए पूर्णतः प्रावधान रखा गया है, प्राप्त राशि को बकाए मूलधन राशि के तहत तथा शेष, ब्याज के तहत कुछ हो तो समायोजित किया जाता है।

इ) लाभांश आय का अभिज्ञान तब किया जाता है, जब प्राप्त करने का अधिकार स्थापित किया जाता है।

एफ) वार्षिक रखरखाव तथा लेनदेन प्रभार को डिपाजिटरी प्रतिभागी परिचालनों के अधीन क्रमशः वार्षिक रूप में और लेनदेन समाप्ति पर लिया जाता है।

9.3. इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड :

ए) आय की पहचान और गैर निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधान नेशनल हाउसिंग बैंक के विवेकी मानदंडों का पालन किया जाता है।

बी) आवास ऋणों की पुनरदायगी, समीकृत मासिक किस्तों (ईएमआई) के जरिए, की जाती है, जिसमें मूलधन और ब्याज राशि शामिल हैं। संबंधित अर्ध–वर्ष/वर्ष के आरंभिक शेष पर प्रत्येक अर्ध–वर्ष पर ब्याज का परिकलन किया जाता है। पूरे ऋण के वितरण के बाद ईएमआई आरंभ होती हैं। ईएमआई के प्रारंभ होने के समय तक, ईएमआई–पूर्व ब्याज देय है तथा मासिक आधार पर इसका अभिज्ञान किया जाता है।

10. क्रेडिट कार्ड रिवार्ड पाइंट

कार्ड सुविधा के उपयोग पर कार्ड सदस्यों द्वारा अर्जित रिवार्ड पाइंटों को इस प्रकार के उपयोग के कारण व्यय के रूप में जाना जाता है।

11. निवल लाभ/हानि

निम्नलिखित पर विचार करने के पश्चात लाभ व हानि लेखे में दर्शाया गया परिणाम :

- गैर निष्पादक अग्रिमों और / अथवा निवेशों के लिए प्रावधान
- मानक अग्रिमों पर सामान्य प्रावधान
- पुनः संरचित अग्रिमों हेतु प्रावधान
- अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान
- निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान
- आकस्मिकता निधि को / से अंतरण
- प्रत्यक्ष करों के लिए प्रावधान
- अरक्षित विदेषी मुद्रा एक्सपोजर के लिए प्रावधान
- सामान्य अथवा /और अन्य आवश्यक प्रावधान

12 स्टाफ सेवानिवृत्ति लाभ

मूल संस्था

12.1.1 भविष्य निधि

भविष्य निधि एक वैधानिक दायित्व है और अंशदायी भविष्य निधि का विकल्प चुननेवालों के मामले में बैंक पूर्वनिर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान अदा करता है। ऐसे निश्चित अंशदान की राषि तक ही बैंक का दायित्व सीमित है। इन अंशदानों को लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है। निधि का प्रबंध इंडियन बैंक स्टाफ भविष्य निधि न्यास द्वारा किया जाता है।

12.1.2 उपदान

इंडियन बैंक कर्मचारी उपदान निधि नियमों एवं विनियमनों के अनुसार उपदान देयता एक वैधानिक दायित्व है और वित्तीय वर्ष के अंत में किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर इसके लिए प्रावधान किया जाता है। बैंक द्वारा उपदान देयता का निधीयन किया जाता है और इसका प्रबंध इंडियन बैंक कर्मचारी उपदान निधि न्यास द्वारा किया जाता है।

12.1.3. पेंशन

ए) इंडियन बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियमन 1995 के तहत पेंशन देयता एक परिभाषित लाभकारी दायित्व है तथा 31.03.2010 तक बैंक में भर्ती हुए और पेंशन का विकल्प देनेवाले कर्मचारियों को यह बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की जाती है।

बी) नई पेंशन योजना (एनपीएस) जो उन कर्मचारियों पर लागू होती है, जिनकी भर्ती बैंक में 01.04.2010 के बाद हुई है और यह एक परिभाषित अंशदान योजना है। एनपीएस के अंतर्गत बैंक पूर्व निर्धारित दर पर एक निश्चित अंशदान अदा करता है और बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित अंशदान तक सीमित है। इस अंशदान को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

12.1.4. क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियाँ

संचित क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ, जैसे विशेषाधिकार अवकाश और चिकित्सा अवकाश, के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया जाता है।

12.1.5. अन्य कर्मचारी लाभ

अन्य कर्मचारी सुविधाएँ जैसे छुट्टी यात्रा रियायत और सेवानिवृत्ति पर अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ, बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध करवाए जाते हैं। विदेशी शाखाओं एवं कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति के अलावा कार्यरत कर्मचारियों से संबन्धित लाभ तत्संबंधी कार्याधिकार क्षेत्रों के कानून के तहत मूल्यांकित एवं लेखाबद्ध किए जाते हैं।

अनुषंगी कंपनियाँ

इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सेवाएं लि.

12.2 अल्प कालिक कर्मचारी हितों /बाध्यताओं का प्राक्कलन कर प्रावधान किया गया ।

ग्रेच्युटि – ग्रेच्युटि, जोकि अर्ह कर्मचारियों को कवर करनेवाली एक परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभ योजना है, के प्रति अनुषंगी का दायित्व है। योजना में सेवानिवृत्ति, नियोजन में रहते मृत्यु अथवा नियोजन समापन पर निहित कर्मचारियों को समाप्त प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन के बराबर की राशि देने का प्रावधान है। पांच वर्षों की सेवा की समाप्ति पर वेस्टिंग शुरू होती है। न्यास के रूप में स्थापित ग्रेच्युटि निधि को अनुषंगी भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ समूह ग्रैच्युटि पॉलिसी के ज़रिए वार्षिक अंशदान देती है। ग्रेच्युटि के प्रति अनुषंगी की देयता का बीमांकिक निर्धारण तुलन पत्र की तारीख पर प्रक्षेपित यूनिट जमा (पीयूसी) पद्धति का प्रयोग करते हुए किया जाता है। बीमांकिक लाभ व हानि का राजस्व में अभिज्ञान किया जाता है।

भविष्य निधि – अनुषंगी के अर्ह कर्मचारी, भविष्य निधि जोकि एक परिभाषित अंशदान योजना है के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु हक़दार हैं जिसमें कवर किए गए कर्मचारी के वेतन के एक निर्दिष्ट प्रतिशत पर दोनों कर्मचारी एवं अनुषंगी मासिक अंशदान देते हैं, विधि के तहत यथा निर्दिष्ट अंशदान भविष्य निधि को और भविष्य निधि प्राधिकारियों के साथ रखी गयी पेंशन निधि को अदा किए जाते हैं।

छुट्टी की भुनाई : इंडियन बैंक से प्रतिनियुक्त स्टाफ़ से अन्य कर्मचारियों की छुट्टी की भुनाई की देयता के लिए, प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर न ली गई छुट्टी के दिनों के आधार पर बीमांकिक आधार पर प्रावधान किया जाता है।

इंडियन बैंक से प्रतिनियुक्ति पर रहे स्टाफ की सेवानिवृत्ति लाभ देयता, योग्य भविष्य निधि अंशदान के अलावा इंडियन बैंक द्वारा वहन की जाती है।

इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड :

12.3. भविष्य निधि में अंशदान, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पास किए जाते हैं।

ग्रूप ग्रेच्युटि योजना के अन्तर्गत गठित न्यास द्वारा ग्रेच्युटि देयता कवर किया जाता है। न्यास ने भारतीय जीवन बीमा निगम से समूह ग्रेच्युटि पॉलिसी खरीदी है और वार्षिक प्रीमियम, न्यास के ज़रिए अदा किया जाता है।

छुट्टी की भुनाई की देयता के लिए बीमांकिक आधार पर प्रावधान किया जाता है।

13. पट्टे हेतु लेखांकन

परिचालनगत पट्टों पर ली गई आस्तियों हेतु पट्टा भुगतानों को कीमत वृद्धि सहित पट्टा अवधि या आस्ति की अवधि, भी जो कम हो, के दौरान लाभ व हानि खाते में अभिज्ञात किये जाते हैं।

14. आकस्मिक देयताएँ और प्रावधान :

14.1 आकस्मिक देयताएं : संभावित या वर्तमान दायित्वों की ओर ले जाने वाली पिछली घटनाओं को निम्नलिखित मामलों में आकस्मिक दायित्व के रूप में मान्यता दी जाती है जहां:

(ए) ऐसी बाध्यताओं के मौजूद रहने की बात पुष्टिकृत नहीं की गई है

(बी) ऐसी बाध्यताओं को निपटाने के लिए संसाधन का बहिर्गमन आवश्यक नहीं है

(सी) बाध्यताओं की राशि के लिए कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं किया जा सकता

(डी) ऐसी राशियां भौतिक नहीं हैं,

14.2 (ए) वर्तमान बाध्यताओं के संबंध में तब प्रावधान को माना जाता है, जब विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है और / या संसाधनों का बहिर्गमन संभावित है, जिनमें बहुत छोटे दावों को छोडकर शेष मामलों में आर्थिक लाभों को त्यागना पड़ सकें।

(बी) बाजार जोखिम, देश जोखिम आदि के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान अनुदेशों के अनुसार किये जाते हैं।

(सी) बैंक प्रबन्धन द्वारा अभिज्ञात किये अनुसार फ्लोटिंग प्रावधान किया जाता है।

भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार फ्लोटिंग प्रावधान का प्रयोग निम्नलिखित हेतु किया जा सकता है

(i) गैर–निष्पादक आस्तियों हेतु विशेष प्रावधान करना

(ii) गैर–निष्पादक आस्तियों की बिक्री में किसी कमी की पूर्ति करना

15. आस्तियों का अनर्जक होना :

अचल आस्तियों (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित) के संबंध में आस्तियों की हानि यदि कोई हो, लेखा मानक 28 "आस्तियों का अनर्जक होना" के अनुरूप पहचानी जाती है और उन्हें लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है। तथापि, पुनर्मूल्यांकित आस्ति पर अनर्जक हानि को उस आस्ति के लिए रखी गयी पुनर्मूल्यांकित अधिशेष राशि के तहत अभिज्ञानित किया जाता है जबतक उसी आस्ति के लिए पुनर्मूल्यांकित अधिशेष राशि में रखी गयी राशि अनर्जक आस्ति से अधिक न हो।

16. आय पर कर :

16.1 वर्तमान कर एवं आस्थगित कर दोनों के लिए कर हेतु प्रावधान किया जाता है।

16.2 वर्तमान कर का मापन, कर प्राधिकारियों को अदा की जानेवाली प्रत्याशित राशि के अनुसार लागू कर दरों, कर कानूनों एवं अनुकूल न्यायिक फैसलों / विधिक राय का प्रयोग करते हुए किया जाता है।

16.3 समय में अंतर के कारण उत्पन्न होनेवाली आस्थगित कर आस्तियां एवं देयताएं, जोकि आनेवाली अवधियों में रिवर्सल की क्षमता रखती हो, की पहचान, तुलन–पत्र की तिथि तक लागू कर दर या बाद में लागू किए गए कर दरों का प्रयोग करते हुए की जाती है। आस्थगित कर आस्तियों की पहचान शेष असंगत मूल्यह्रास तथा कर घाटे पर की जाती है, यदि केवल "वर्चुअल निश्चितता" है तथा अन्यों के संबंध में, यदि पर्याप्त भविष्य कर योग्य आय उपलब्ध होगी, जिससे ऐसी आस्थगित कर आस्तियाँ उगाही जाएंगी।

17. परिचालनों को बन्द करना :

इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेस लि. के संबंध में परिचालनों को बन्द करने के लिए अपनायी जानेवाली लेखांकन नीतियाँ, परिचालनों को जारी रखने के लिए अपनायी जानेवाली लेखांकन नीतियों के समनुरूप हैं।

अनुसूची–18
समेकित वित्तीय विवरणियों के लिए लेखों पर टिप्पणियां (2021–22)

1. अनुषंगियां :

क्रम सं.	अनुषंगी का नाम	बैंक की शेयरधारिता
ए	इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज़ लि.	64.84%
बी	इंडबैंक हाउसिंग लि.	51.00%

2. सहयोगी :

क्रम सं.	सहयोगियों का नाम	शेयरधारिता का ढांचा
ए	तमिलनाडु ग्राम बैंक	35%
बी	सप्तगिरि ग्रामीण बैंक	35%
सी	पुदुवई भारतियार ग्राम बैंक	35%

3. संयुक्त उद्यमों में निवेश के लिए लेखांकन (एएस 27)

(₹ करोड़ में)

संस्था का नाम	देश/निवास	संबंध	स्वामित्व हित	शेयरधारिता की राशि
यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	भारत	संयुक्त उद्यम	28.52%	105.00
एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड	भारत	संयुक्त उद्यम	38.26%	37.50

4. लेखा समाधान एवं समायोजन

मूल संस्था:

ए) अंतर शाखा लेखों का लेखा समाधान 31.03.2022 तक पूरा किया जा चुका है। बैंक ने विभिन्न कारगर उपायों के द्वारा आईबीजीए में पुरानी बकाया प्रविष्टियों के स्तर में कमी लाई है। शेष बकाया प्रविष्टियों के समायोजन का कार्य प्रगति पर है। प्रबन्धन के अनुसार 5747 आईबीजीए जमा प्रविष्टियाँ कुल रू 4.86 करोड़ राशि की हैं जोकि 01.03.2009 के पूर्व की अवधि से संबंधित हैं।

बी) 31.03.2022 तक अंतर शाखा लेखों में 6 महीनों से अधिक के लिए बकाया असमाशोधित प्रविष्टियों के संबंध में निवल जमा स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रावधान की कोई आवश्यकता नहीं है।

सी) देय ड्राफ़्ट, समाशोधन समायोजन, विविध प्राप्य राशियाँ, विविध जमा खाते आदि में और भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य बैंकों से संबंधित बैंक समाधान में पुरानी बकाया प्रविष्टियों के समुचित समायोजन के लिए नियमित पुनरीक्षा की जाती है।

डी) कुछ शाखाओं में अनुषंगी बहियों/रजिस्टरों का तुलन और सामान्य बहियों के साथ लेखा समाधान प्रगति पर है। प्रबंधन की राय में खातों पर उपर्युक्त विषयों का परिणामी वित्तीय प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं होगा।

5. अचल आस्तियां

मूल संस्था:

5.1

बैंक के परिसर में भूमि शामिल है तथा इसे पूनर्मूल्यांकित राशि पर लिया गया है। बैंक ने 28.02.2022 को वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए अपने परिसर का पुनर्मूल्यांकन अनुमोदति बाह्य मूल्यांककों द्वारा उचित बाज़ार मूल्य पर किया है। परिसर के पुनर्मूल्यांकन की राशि में रु. 599.48 करोड़ की वृद्धि हुई है, जिसे ''पूनर्मूल्यांकन आरक्षित खाते'' में जमा किया गया।

वर्ष 2021–22 के लिए व्यय के तहत ₹147.27करोड़ की राषि (पिछले वर्ष –₹149.63 करोड़) मूल्यह्रास हेतु प्रभारित किया गया तथा और ₹140.24 करोड़ की राशि (पिछले वर्ष ₹142.87 करोड़) के पुनर्मूल्यांकित अंश पर मूल्यह्रास को ''पूनर्मूल्यांकन आरक्षित खाते'' में समायोजित किया गया।

5.2 निम्नलिखित संपत्तियों के लिए पंजीकरण औपचारिकताएं पूरी की जानी बाकी हैं :

परिसर में 8.38 करोड़ (विगत वर्ष 8.38 करोड़ मूल्य की 9 (7+2*) संपत्तियाँ) मूल्य की 9 (7+2*) संपत्तियाँ हैं जिनकी मूल / पुनर्मूल्यांकन बुक वैल्यू 66.74 करोड़ रुपये (विगत वर्ष – 59.74करोड़ रुपये), निवल मूल्यह्रास 1.46 करोड़ रुपये (विगत वर्ष 1.40 करोड़ रुपये) है, जिसके लिए पंजीकरण प्रक्रिया लंबित है।

* हैदराबाद में रुपये 1.61 करोड़ की लागत की संपत्ति, जहां यूएलसी प्राधिकरण के समक्ष मंजूरी लंबित है और चेन्नै में रुपये 2.32 करोड़ रुपये की लागत की सम्पत्ति है, जहां डीआरएटी ने अंतरिम रोक लगायी है।

5.3 आरक्षितियों में कमी : (₹ करोड़ में)

आरक्षितियां	आहरित राशि		उद्देश्य
वर्ष	2021-22	2020-21	
पुनर्मूल्यन आरक्षित	143.42	142.87	परिसर के पुनर्मूल्यांकित भाग पर मूल्यह्रास *

* एएस–10 मानकों के प्रावधानों के अनुसार राशि को राजस्व रिज़र्व खाते में जमा किया गया।

6. कोविड–19 उपाय

दुनिया भर में कोविड–19 के प्रसार के परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधियों में गिरावट आई और वित्तीय बाजारों में अस्थिरता बढ़ गई। इस स्थिति में, हमें लगातार चुनौतियां मिल रही हैं और बैंक सभी मोर्चों पर उनका चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। यह अनिश्चितता जारी है तथा स्थिति का निरंतर मूल्यांकन कर रहा है। कोविड –19 महामारी, बैंक के परिणामों को किस हद तक प्रभावित करेगी, यह भविष्य में विकसित होने वाले कारोबारी माहौल पर निर्भर करेगा। कोविड–19 महामारी बैंक के परिणामों को किस हद तक प्रभावित करेगी, यह भविष्य के अत्यधिक अनिश्चित घटनाक्रम पर निर्भर करेगा। प्रदत्त कार्यशील पूंजी चक्र और कम नकदी प्रवाह बैंक के लिए प्रमुख चुनौतियां होंगी। बैंक की पूंजी और नकदी की स्थिति मजबूत है तथा इस अवधि के दौरान भी यह बैंक का मुख्य क्षेत्र बना रहेगा

7. कराधान

मूल संस्था :

7.1 वर्ष के दौरान आयकर हेतु प्रावधान : (₹ करोड़ में)

विवरण	2021-22	2020-21
कराधान के लिए प्रावधान (स्थगित कर सहित आयकर)	-740.59	-99.10

31.03.2022 को विवादित आयकर मांग रू 3953.36 करोड़ (पिछले वर्ष रू 3953.36 करोड़) है, आकस्मिक देयताएँ के तहत भी शामिल किया गया जिसमें से 31.03.2022 तक विवादित आयकर का भुगतान रू 9187.03करोड़ (पिछले वर्ष रू 7584.17करोड़) है। पहले की अवधि के लिए विदेशी शाखाओं से संबंधित आय के मामले में 275 करोड़ रुपये की राशि, जिसके लिए बैंक ने चालू वर्ष के दौरान प्रावधान किया है, को छोड़कर न्यायिक उद्घोषणाओं तथा बैंकों स्वयं के मामले में अनुकूल निर्णयों के कारण कथित विवादित मांगों पर कोई बैंक द्वारा कोई प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया।

7.2 अनुषंगी कंपनियां:

7.2.1 इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लि

ए. इस वर्ष में कर के लिए रु. 143.40 लाख का निवल प्रावधान किया गया है।

बी. विषयों पर न्यायिक निर्णयों और/या विधिक राय को ध्यान में रखते हुए आयकर की विवादित मांगों के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।

सी. इस वर्ष के लिए स्थगित कर (निवल) हेतु रु. 11.77 लाख का प्रावधान है (पिछले वर्ष– रु. 70.49 लाख) तथा इसे लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित किया गया है।

डी. पूर्व अवधि के कर : शून्य

7.2.2 इंडबैंक हाऊसिंग लिमिटेड

ए. भ्रामक अनिश्चितता के आधार पर अनवशोषित मूल्यह्रास और भावीकर–योग्य आय के विरुद्ध समंजन के लिए अगले लाभ से घाटा–पूर्ति को स्थगित कर आस्ति के रूप में नहीं माना गया है।

बी. आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 1999–2000 के लिए ब्याज सहित रू 4.32 करोड के लिए एक मांग नोटिस भेजा है। यह मांग उपचय आधार पर गैर निष्पादक आस्तियों पर आय को ध्यान में लेते हुए भेजी गई है जिसे एनएचबी के दिशानिर्देशों के अनुसार आय के रूप में पहचाना नहीं जा सकता है। कंपनी ने इस मांग के विरुद्ध विवाद करते हुए माननीय मद्रास हाईकोर्ट के समक्ष अपील दायर की है जहाँ यह मामला अभी लंबित है।

8. समेकित नकदी प्रवाह विवरण (एएस–3)

(₹ करोड़ में)

	समाप्त वर्ष	
विवरण	**31.03.2022**	**31.03.2021**
लाभ व हानि खाते के अनुसार निवल लाभ	**4144.19**	**3150.58**
निम्नलिखित हेतु समायोजन :		
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	8446.60	7318.39
निवेश के लिए प्रावधान	453.75	427.68
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	961.57	469.40
कर के लिए प्रावधान	(731.02)	(90.38)
अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएं	3.81	279.65
अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास	600.86	636.90
पूंजी लिखत पर ब्याज	749.59	643.98
भूमि और भवनों की बिक्री पर हानि / (लाभ)	(3.05)	0.42
आयकर का भुगतान	(12.18)	(19.72)
कार्यशील पूँजी परिवर्तनों के पूर्व परिचालनगत लाभ	**14614.12**	**12816.90**
परिचालनगत आस्तियों में वृद्धि / कमी		
निवेशों में (वृद्धि) / कमी	1337.08	(15380.42)
अग्रिमों में (वृद्धि) / कमी	(34967.37)	(30252.79)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी	4947.50	(2161.93)
	(28682.79)	**(47795.14)**
परिचालनगत देयताओं में वृद्धि / कमी		
जमाओं में वृद्धि / (कमी)	55541.08	49525.72
उधार में वृद्धि / (कमी) (पूंजीगत लिखत के अलावा)	(7009.92)	(6778.19)
अन्य देयताओं में वृद्धि / (कमी)	(5712.16)	9461.63
	42819.00	**52209.16**
परिचालन (ए) से सृजित निवल नकदी	**28750.33**	**17230.92**
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
अचल आस्तियों की खरीद	(323.09)	(560.44)
अचल आस्तियों की बिक्री	18.40	15.56
निवेश गतिविधियों से सृजित निवल नकदी (बी)	**(304.69)**	**(544.88)**
वित्तपोषण गतिविधियों से कुल नकदी प्रवाह		
लाभांश का भुगतान	(249.09)	0.00
वितरण कर का भुगतान	0.00	0.00
एटी–1 बांड जारी करना	0.00	2000.00
टियर – 2 बांड जारी करना	0.00	2000.00

एटी 1 बांड का मोचन	0.00	(500.00)
टियर 2 बांडों का मोचन	(600.00)	(1000.00)
पूंजी लिखत पर ब्याज	(782.48)	(631.94)
शेयर की ओर प्राप्त पूंजी	1650.00	0.00
ई–एबी शेयरधारक को भुगतान की गई राशि (अंश भाग के लिए)	0.00	(2.51)
वित्तपोषण गतिविधियों से सृजित निवल नकदी (सी)	**18.43**	**1865.55**
समामेलन के कारण प्राप्त नकदी एवं नकदी समकरण/तुल्य	0.00	21777.86
नकदी और नकदी समकरणों में निवल वृद्धि/(कमी) (ए) + (बी) + (सी) + (डी)	28464.07	40329.45
वर्ष के प्रारंभ में नकदी व नकदी तुल्य (डी)		
हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट सहित)	1658.38	1006.09
भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चालू खाते में शेष	25886.80	4730.04
बैंकों में शेष		
(ए) चालू खातों में	116.03	8.86
(बी) अन्य जमा खातों में	2065.07	721.65
बैंकों में मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशियां	8900.00	2100.00
भारत के बाहर बैंकों में शेष		
(ए)चालू खातों में	1577.68	530.93
(बी) अन्य जमा खातों में	11270.83	2068.49
मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशियां	29.36	8.64
	51504.15	**11174.70**
वर्ष के अंत में नकदी व नकदी तुल्य		
हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट सहित)	1962.45	1658.38
भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चालू खाते में शेष	22092.01	25886.80
बैंकों में शेष		
(ए) चालू खातों में	30.64	116.03
(बी) अन्य जमा खातों में	1413.81	2065.07
बैंकों में मांग एवं अल्प सूचना पर राशियां	34500.20	8900.00
भारत के बाहर बैंकों में शेष		
(ए)चालू खातों में	503.98	1577.68
(बी) अन्य जमा खातों में	19453.09	11270.83
मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशियां	12.04	29.36
	79968.22	**51504.15**
नकद और नकद समकक्ष प्रारम्भ और अंत में अंतर	28464.07	40329.45

9. स्टाफ को प्रदत्त लाभ (एएस 15)

9.1. मूल संस्था

9.1.1 परिभाषित अंशदान योजनाएँ :

भविष्य निधि एक वैधानिक दायित्व है और अंशदायी भविष्य निधि का विकल्प चुननेवालों के मामले में बैंक पूर्वनिर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान अदा करता है। ऐसे निश्चित अंशदान की राशि तक ही बैंक का दायित्व सीमित है। इन अंशदानों को लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है। निधि का प्रबंध इंडियन बैंक स्टाफ भविष्य निधि न्यास द्वारा किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2021.22 के दौरान बैंक ने ₹1.14 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1.07 करोड़) का अंशदान दिया है।

नई पेंशन योजना (एनपीएस) उन कर्मचारियों पर लागू होती है, जिनकी बैंक में भर्ती 01.04.2010 के बाद हुई है और यह एक परिभाषित अंशदान योजना है। एनपीएस के अंतर्गत बैंक पूर्व–निर्धारित दर पर एक निश्चित अंशदान अदा करता है और बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित अंशदान तक सीमित है। इस अंशदान को लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2021.22 के दौरान, बैंक ने ₹255.18 करोड़ (पिछले वर्ष ₹153.31 करोड़) का अंशदान दिया है।

9.1.2 परिभाषित लाभ योजनाएं :

लेखा मानक–15 (संशोधित) के अनुसरण में अपेक्षित लाभ एवं हानि लेखा और तुलन पत्र में मान्यता दिए गए नियोजनोत्तर लाभ और दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों की संक्षेप में स्थिति निम्नानुसार है :–

निम्न तालिका बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा बीमांकिक मूल्याकंन के अनुसार परिभाषित लाभ पेंशन योजना और उपदान योजना का आधार निर्धारित करता है।

मूल बीमांकक अनुमान (भारित औसतों के रूप में व्यक्त)	31/03/2022	31/03/2021
बट्टे की दर –जी –सेक रेट	पेंशन एवं उपदान के लिए 7.27% – 15 वर्ष जी–सेक पेपर	पेंशन के लिए 6.87% – 15 वर्ष जी–सेक पेपर उपदान के लिए 6.44% – 10 वर्ष जी–सेक पेपर
वेतन बढोत्तरी की दर	6.00% (वेतन संशोधन हेतु 0.50% सहित)	6.00% (वेतन संशोधन हेतु 0.50% सहि
पदत्याग की दर	पेंशन के लिए 1.00% और सेवारत कर्मचारियों के लिए 2.00%	पेंशन के लिए 1.00% और सेवारत कर्मचारियों के लिए 2.00%
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल की दर*	7.62% पेंशन के लिए और 7.67% उपदान के लिए	6.89% पेंशन के लिए और 6.86% उपदान के लिए
प्रयुक्त तरीका	परियोजना इकाई जमा (पीयूसी) बीमांकिक तरीका	

* योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल की दर, छुट्टी भुनाई पर लागू नहीं होगी।

भविष्य में होनेवाली वेतन बढोत्तरी का आकलन, मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और नियोजन बाज़ार में आपूर्ति और मांग जैसे संगत तत्वों को हिसाब में लेते हुए और आईबीए द्वारा संसूचित अधिवर्षिता योजनाओं के निधीयन के दिशानिर्देश के अनुरूप किया जाता है। इस तरह के अनुमान बहुत दीर्घकालिक हैं और सीमित अतीत के अनुभव / तत्काल भविष्य पर आधारित नहीं हैं। अनुभवजन्य साक्ष्य यह भी बताते हैं कि बहुत लंबे समय में, लगातार उच्च वेतन वृद्धि दर संभव नहीं है।

छुट्टी भुनाई की देयताएँ गैर–निधिक होती हैं।

(₹ करोड़ में)

II. बाध्यता के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन – प्रारंभिक शेष एवं अंतशेष का लेखा समाधान	**पेंशन निधि**		**उपदान निधि**		**छुट्टी की भुनाई**	
	2021-22	**2020-21**	**2021-22**	**2020-21**	**2021-22**	**2020-21**
वर्ष की शुरुआत में पीवीओ	**15319.48**	**13995.78**	**1848.22**	**1868.46**	**977.42**	**826.09**
ब्याज लागत	**1047.85**	**914.67**	**110.19**	**120.53**	**59.12**	**53.97**
वर्तमान सेवा लागत	250.19	229.80	69.21	105.33	175.72	174.38
विगत सेवा लागत – पहचानी गई / निहित लाभ	0.00	0	0.00	0	0.00	0
विगत सेवा लागत – न पहचानी गई /अनिहित लाभ	0.00	0	0.00	0	0.00	0
प्रदत्त लाभ	-1812.10	-1363.65	-274.20	-223.04	-284.86	-69.4
बाध्यता पर बीमांकिक हानि / (लाभ)	1741.31	1542.88	30.26	.23.06	77.35	.7.62
वर्ष की समाप्ति पर पीवीओ	**16546.73**	**15319.48**	**1783.68**	**1848.22**	**1004.75**	**977.42**

(₹ करोड़ में)

III. योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन – प्रारंभिक शेष एवं अंतशेष का लेखा समाधान	पेंशन निधि		उपदान निधि		छुट्टी की भुनाई	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	14961.61	13918.80	1897.26	1929.03	0.00	0
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	1132.00	1104.42	136.42	126.42	0.00	0
अंशदान	1599.55	1495.93	36.86	50.7	284.86	215.94
प्रदत्त लाभ	-1812.10	-1363.65	-274.20	-223.04	-284.86	-215.94
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि)	12.57	193.89	6.41	14.15	0.00	0
वर्ष की समाप्ति पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य	**15893.63**	**14961.61**	**1802.75**	**1897.26**	**0.00**	**0**

(₹ करोड़ में)

IV. योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	पेंशन निधि		उपदान निधि		छुट्टी की भुनाई	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	1132.00	1104.42	136.42	126.42	0.00	0.00
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	12.57	-193.39	6.41	14.15	0.00	0.00
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	**1144.57**	**910.53**	**142.83**	**140.57**	**0.00**	**0.00**

(₹ करोड़ में)

V. पहचाना गया बीमांकिक लाभ/हानि	पेंशन निधि		उपदान निधि		छुट्टी की भुनाई	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) – बाध्यता	-1741.31	-1542.88	-30.26	-23.06	-77.35	7.62
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) – डीबीओ में वित्तीय धारणा में बदलाव के कारण	0.00	0	0.00	0	0.00	0
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)–योजना आस्तियां	12.57	-193.89	6.41	-14.15	0.00	0
वर्ष के लिए कुल लाभ/(हानि)	-1728.74	-1736.77	-23.85	-37.21	-77.35	7.62
वर्ष के दौरान पहचाने गए बीमांकिक लाभ/(हानि)	**-1728.74**	**-1736.77**	**-23.85**	**-37.21**	**-77.35**	**7.62**
वर्ष के अंत में न पहचाने गए बीमांकिक लाभ/(हानि)	0.00	0	0.00	0	0.00	0
बाध्यता पर बीमांकिक हानि / (लाभ)	-1728.74	-1736.77	-23.85	-37.21	-77.35	7.62

(₹ करोड़ में)

VI. तुलन पत्र में पहचानी गयी राशियां और संबंधित विश्लेषण	पेंशन निधि		उपदान निधि		छुट्टी की भुनाई	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	16546.73	15319.48	1783.68	1848.22	1004.75	977.42
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	15893.63	14961.61	1802.75	1897.26	0	0
अन्तर. निवल (देयता) / तुलन पत्र में पहचानी गई आस्ति	-653.10*	-357.87	19.07	49.04	1004.75	977.42
पहचान न की गयी संक्रमणकालीन देयता	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0
पहचान न की गयी विगत सेवा लागत	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0
तुलन पत्र में पहचानी गयी देयता	**-653.10***	**-357.87**	**19.07**	**49.04**	**1004.75**	**977.42**

***फैमिली पेंशन नियमों में परिवर्तन के कारण प्रावधान शामिल है**

(₹ करोड़ में)

VII. लाभ एवं हानि लेखा में पहचाने गये व्यय	पेंशन निधि		उपदान निधि		छुट्टी की भुनाई	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
वर्तमान सेवा लागत	250.19	229.79	69.21	105.33	175.72	174.38
ब्याज लागत	1047.85	914.67	110.19	120.53	59.12	53.97
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	-1132.00	-1104.42	-136.42	-126.42	0	0.00
निवल बीमांकिक (लाभ)/ हानि जो इस वर्ष में पहचानी गयी है	1728.74	1736.77	23.85	-37.21	77.35	7.62
इस वर्ष में पहचानी गयी संक्रमणकालीन देयता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विगत सेवा लागत – पहचानी गई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
लाभ एवं हानि लेखे में पहचाने गये व्यय	**1894.78**	**1776.82**	**66.83**	**62.23**	**312.19**	**220.73**

(₹ करोड़ में)

VIII. तुलन पत्र में पहचानी गयी देयताओं में परिवर्तन	पेंशन निधि		उपदान निधि		छुट्टी की भुनाई	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
निवल देयता का आरंभिक शेष	-357.87	-76.98	49.04	60.57	-977.42	-826.09
उपर्युक्तानुसार व्यय	-1894.78	-1776.82	-66.83	-62.23	-312.19	-220.73
प्रदत्त अंशदान	1599.55	1495.93	36.86	50.7	284.86	69.4
निवल देयता का अंत शेष	**-653.10**	**-357.87**	**19.07**	**49.04**	**-1004.75**	**977.42**

(₹ करोड़ में)

IX. योजना आस्तियों/देयताओं पर अनुभव समायोजन (i) पिछले वर्ष 2017–22 छुट्टी भुनाई	को समाप्त वर्ष					
	31-03-2017	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2022
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	5925.15	6245.89	6520.32	6801.96	15319.48	16546.73
योजना आस्तियां	5841.36	6146.80	6418.93	6697.41	14961.61	15893.63
अधिशेष (घाटा)	-83.79	-99.09	-101.39	-104.55	357.87	-653.10
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ	-626.82	-704.39	-335.65	-449.25	1542.88	-1741.31
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ	**27.73**	**10.93**	**.8.58**	**13.32**	**193.89**	**12.57**

(₹ करोड़ में)

IX. योजना आस्तियों/देयताओं पर अनुभव समायोजन (ii) पिछले वर्ष 2017–22 – उपदान	को समाप्त वर्ष					
	31-03-2017	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2022
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	900.9	964.99	923.85	928.98	1848.22	1783.68
योजना आस्तियां	876.81	932.55	910.66	896.4	1897.26	1802.75
अधिशेष (घाटा)	-24.09	-32.44	-13.19	-32.58	49.04	19.07
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ	.87.34	-36.2	-2.11	-61.22	23.06	107.08
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ	**-1.36**	**22.12**	**-0.38**	**2.71**	**14.15**	**6.41**

(₹ करोड़ में)

IX. योजना आस्तियों / देयताओं पर अनुभव समायोजन (iii) पिछले वर्ष 2017–22 छुट्टी की भुनाई	को समाप्त वर्ष					
	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2022
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	171.21	179.51	188.21	210.29	977.42	1004.75
योजना आस्तियां	0	0	0	0	0	0.00
अधिशेष (घाटा)	-171.21	-179.51	-188.21	-210.29	977.42	-1004.75
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि) / लाभ	-3.01	10.18	7.58	17.71	7.62	-77.35
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन (हानि) / लाभ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X. योजना आस्तियों के मुख्य संवर्ग (कुल योजना आस्तियों के प्रतिशत में)	2021-2022		2020-2021	
	पेंशन निधि	उपदान निधि	पेंशन निधि	उपदान निधि
भारत सरकार और राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	32.38%	23.42%	36.76%	28.00%
उच्च गुणवत्तावाले कार्पोरेट बांड / पीएसयू बॉण्ड	13.42%	12.21%	15.64%	12.98%
विशेष जमा योजना	0.06%	0.04%	0.06%	0.00%
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधियाँ	53.98%	64.11%	47.21%	58.60%
निजी क्षेत्र के बॉण्ड	0.16%	0.22%	0.33%	0.42%
मनी मार्केट			-	-
कुल	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**

(₹ करोड़ में)

XI. अगले वर्ष के दौरान अंशदान**	पेंशन निधि	उपदान राशि	अर्जित छुट्टी
अगले वर्ष के दौरान उद्यम के योगदान का सर्वोत्तम अनुमान	1300	50	300

9.1.3 अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ

बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों के लिए ₹48.43 करोड़ की राशि (गत वर्ष ₹ 50.12 करोड़) का प्रावधान किया गया है तथा इसे लाभ एवं हानि लेखा में "कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान" शीर्ष के तहत शामिल किया गया है।

वर्ष के दौरान विभिन्न दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों हेतु बनाए गए प्रावधान / (अवलिखित) अतिरिक्त प्रावधानों का विवरण:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ	2021-22	2020-21
1.	बीमारी छुट्टी	1.84	15.28
2.	आकस्मिक छुट्टी	0.09	0.16
3.	छुट्टी यात्रा रियायत	46.50	34.68
	कुल	**48.43**	**50.12**

क्र.सं.	दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ	01.04.2021 को प्रारंभिक शेष	2021.22 का व्यय	2021.22 में वृद्धि	31.03.2022 को अंतिम शेष
1	बीमारी छुट्टी	22.66	3.04	4.87	24.49
2	आकस्मिक छुट्टी	0.87	0.38	0.48	0.97
3	छुट्टी यात्रा रियायत	69.92	32.75	46.50	83.67
	कुल	**93.45**	**36.17**	**51.85**	**109.13**

नोट : शामिल प्रकटीकरण, बीमांकक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की सीमा तक सीमित है।

9.2 अनुषंगी कंपनियां

9.2.1 इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड

परिभाषित अंशदान योजना

परिभाषित अंशदान योजना हेतु अंशदान जिसे वर्ष के लिए व्यय माना गया, निम्न प्रकार प्रस्तुत है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	2021.22	2020.21	2019.20
भविष्य निधि को नियोक्ता का अंशदान	4763140	4503279	3956245

परिभाषित लाभ योजना

I) परिभाषित लाभ बाध्यता के प्रारंभिक शेष और अंतिम शेष का लेखा समाधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान (निधिक)		विवरण (गैर–निधिक)	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
वर्ष के आरंभ में परिभाषित लाभ बाध्यता	15294514	14477169	9559705	9175621
वर्तमान सेवा लागत	1336060	1245412	453039	418454
ब्याज लागत	1014041	915972	632013	588067
बीमांकिक (लाभ)/ हानि	1476701	(104445)	2433748	(64441)
प्रदत्त लाभ	(895281)	(1239594)	(612432)	(557996)
निपटान लागत	-	-	-	-
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ बाध्यता	18226005	15294514	12466073	9559705

II) योजना आस्तियों के अथशेष व इतिशेष के उचितमूल्य का लेखा समाधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान (निधिक)	
	2021-22	2020-21
वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचितमूल्य	15598048	11607030
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	(1139501)	867210
अंशदान	3066712	4264874
बीमांकिक (लाभ)/ हानि	(23,223)	98528
प्रदत्त लाभ	(895281)	(1239594)
निपटान लागत	-	-
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	16606755	15598048
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	1499924	(202973)

III) आस्तियों व बाध्यताओं के उचित मूल्य का लेखा समाधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान (निधिक)		छुट्टी की भुनाई (गैर–निधिक)	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
योजना आस्तियों का उचितमूल्य	18226005	15598048	-	-
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	16606755	15294514	12466073	9559705
तुलन–पत्र में अभिज्ञात राशि	(1619250)	303534	(12466073)	(9559705)

IV) वर्ष के दौरान अभिज्ञात व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान (निधिक)		छुट्टी की भुनाई (गैर–निधिक)	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
वर्तमान सेवा लागत	1336030	1245412	453039	418454
ब्याज लागत	1014041	915972	632013	588067
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	1139501	867210	-	-
बीमांकक (लाभ) /हानि	1499924	(202973)	2433748	(64441)
निवल लागत	2710494	1091201	12466073	9559705

V) बीमांकक अनुमान

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान (निधिक)		छुट्टी की भुनाई (गैर–निधिक)	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
मृत्यु संख्या सारणी (एलआईसी)	2012-14 (अंतिम)	2012-14 (अंतिम)	2012-14 (अंतिम)	2012-14 (अंतिम)
बट्टादर (प्रतिवर्ष)	6.99%	6.83%	6.99%	6.83%
प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर (प्रतिवर्ष)	6.99%	6.61%	-	-
वेतनवृद्धि दर (प्रतिवर्ष)	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%
सेवात्याग दर	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%

मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति एवं नियोजन बाजार में आपूर्ति और माँग सहित अन्य संबंधित घटकों को ध्यान में रखते हुए बीमांकक मूल्यांकन के वेतन में वृद्धि की दर का अनुमान लगाया गया है। प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर कतिपय लागू घटकों, मुख्यतः धारित योजना आस्तियों का सम्मिश्रण, निर्धारित जोखिमों, योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ के ऐतिहासिक परिणाम और योजना आस्तियों हेतु कंपनी की नीति को ध्यान में रखकर निर्धारित की गई है। इंडियन बैंक से प्रतिनियुक्त स्टाफ के संबंध में सेवानिवृत्ति लाभ देयता का वहन इंडियन बैंक द्वारा किया जाएगा।

कंपनी ने वर्ष 2021–22 में उपदान देयता की ओर ₹ 29.54 लाख (पिछले वर्ष 23.53 लाख) का अंशदान दिया है।

9.2.2 इंडबैंक हाउसिंग लि.

उपदान निधि की ओर कंपनी की बाध्यता एवं बीमांकक मूल्यांकन के ब्यौरे:

(₹ करोड़ में)

1	कुल विगत सेवा उपदान	**शून्य**
2	विगत सेवा उपदान बीमांकक मूल्य	**शून्य**
3	जीवन बीमा निगम के साथ उपदान निधि	**शून्य**
4	जीवन बीमा निगम को देय अंशदान	**शून्य**
5	वर्ष के दौरान प्रदत्त अंशदान	**शून्य**
6	शेष देय	**शून्य**
7	प्रदत्त जोखिम प्रीमियम एवं सेवाकर	**शून्य**
8	अनुमान बट्टा दर वेतन में वृद्धि का पूर्वानुमान	**अप्रयोज्य**

10. सेगमेंट रिपोर्टिंग (समेकित) (एएस 17)

10.1. सेगमेंट की पहचान

प्राथमिक (कारोबार खंड)

बैंक के प्राथमिक खंड निम्नलिखित हैं :–

- राजकोष
- कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग
- खुदरा बैंकिंग
- अन्य बैंकिंग व्यवसाय

बैंक की वर्तमान लेखा और सूचना प्रणाली उपरोक्त खंडों के संबंध में अलग–अलग से डेटा प्राप्त करने और निकालने का समर्थन नहीं करती है। हालाँकि, वर्तमान आंतरिक, संगठनात्मक और प्रबंधन रिपोर्टिंग संरचना और उनके जोखिम और विवरणियों की प्रकृति के आधार पर, प्राथमिक खंडों के डेटा की गणना निम्नानुसार की गई है:

I राजकोष –

राजकोष खंड में संपूर्ण संविभाग निवेश और विदेशी मुद्रा संविदाओं और व्युत्पन्न संविदाओं में व्यापार शामिल है। राजकोष खंड के राजस्व में मुख्यतः संविभाग निवेश पर व्यापार संचालन और ब्याज आय से शुल्क और लाभ या हानि शामिल होती है।

ii कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग

कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग खंड में कॉर्पोरेट खाता समूह, वाणिज्यिक ग्राहक समूह और दबावग्रस्त आस्तियां संकल्प समूह की उधार गतिविधियां शामिल हैं। इसमें कॉर्पोरेट और संस्थागत ग्राहकों को ऋण और लेनदेन सेवाएं प्रदान करना शामिल है और इसके अलावा विदेशी कार्यालयों के गैर–कोषागार संचालन शामिल हैं।

iii खुदरा बैंकिंग

खुदरा बैंकिंग खंड में खुदरा शाखाएँ, जिसमें मुख्य रुप से बैंकिंग संबंध रखने वाले कॉर्पोरेट ग्राहकों के साथ उधार गतिविधियों सहित व्यक्तिगत बैंकिंग गतिविधियाँ, शामिल हैं। इस खंड में एजेंसी व्यवसाय और एटीएम भी शामिल हैं।

iv अन्य बैंकिंग व्यवसाय

उपरोक्त (i) से (iii) के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किए गए खंडों को इस प्राथमिक खंड के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

II द्वितीयक (भौगोलिक खण्ड)

I देशी परिचालन – भारत में संचालन करने वाली शाखाएँ / कार्यालय

ii विदेशी परिचालन – भारत के बाहर संचालन करने वाली शाखाएं/कार्यालय और भारत में संचालन करने वाली ऑफशोर बैंकिंग इकाइयां

III व्यय, आस्ति और देयताओं का आबंटन

कॉर्पोरेट केंद्र के प्रतिष्ठानों पर किए गए व्यय सीधे कॉर्पोरेट / थोक और खुदरा बैंकिंग संचालन या राजकोष संचालन खंड के लिए स्त्रोतजन्य हैं, तदनुसार आबंटित किए जाते हैं। व्यय, सीधे तौर पर स्त्रोतजन्य नहीं है, उन्हें प्रत्येक खंड में खंड आस्ति के अनुपात के आधार पर या सीधे तौर पर स्त्रोतजन्य व्यय में आबंटित किया जाता है। बैंक के पास कुछ सामान्य आस्तियां और देयताएं हैं, जिन्हें किसी भी खंड के लिए स्त्रोतजनक नहीं ठहराया जा सकता है, और उन्हें असंबद्ध माना जाता है।

10.2 समेकित खंड सूचना

(₹ करोड़ में)

भाग ए व्यापार खण्ड	राजकोष		कार्पोरेट/थोक बैंकिंग		खुदरा बैंकिंग		अन्य बैंकिंग परिचालन		कुल	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
राजस्व	13 767.26	13 573.27	16 082.40	17 708.42	15 415.12	13 021.62	1 003.37	916.17	46 268.15	45 219.48
परिणाम	6 355.67	5 775.50	3 079.29	2 843.03	2 938.78	2 084.26	411.62	288.61	12 785.36	10 991.40
अनाबंटित व्यय									9 522.49	8 066.06
परिचालनगत लाभ									3 262.87	2 925.34
अल्पसंख्यक हित									2.38	1.43
अन्य अनाबंटनीय आय									150.30	134.86
आय कर									(731.02)	(90.38)
अपवाद स्वरूप मदें									0.00	0.00
निवल लाभ									4141.81	3149.15
अन्य जानकारी										
खण्डीय आस्तियां	2 40 001.83	2 09 281.25	215 377.81	2 33 418.56	2 06 008.16	171 257.10	2 382.36	2 071.68	6 63 770.16	6 16 028.59
अनाबंटित आस्तियां									10 326.27	9 506.58
कुल आस्तियां									6 74 096.43	6 25 535.17
खण्डीय देयताएं	2 24 383.64	1 96 386.55	201362.03	2 19 036.66	1 92 602.11	160 705.23	1 185.25	1 059.97	6 19 533.03	5 77 188.41
अनाबंटित देयताएं									9 611.47	8 888.69
आरक्षित पूंजी व अधिशेष									44 951.93	39 458.07
कुल देयताएं									6 74 096.43	6 25 535.17

भाग बी–भौगोलिक खण्ड						
	देशी		अंतर्राष्ट्रीय		कुल	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
राजस्व	45 960.46	44 892.23	307.69	327.25	46 268.15	45 219.48
आस्तियां	6 52 421.69	6 11 117.34	21 674.74	14 417.83	6 74 096.43	6 25 535.17

जहां प्रत्यक्ष आबंटन संभव नहीं है, खण्डीय राजस्व और व्ययों को खण्डीय आस्तियों के आधार पर प्रभाजित किया गया है।

जहाँ भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आँकडों को पुनःसमूहित किया गया है।

11. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (एएस 18)

11.1 मूलसंस्था

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक :

नाम	पदनाम	नियुक्ति की तारीख	समाप्ति की तारीख
सुश्री पद्मजा चुन्डूरू	भूतपूर्व प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी	21.09.2018	01.09.2021
श्री शांति लाल जैन	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी	01.09.2021	
श्री शेणॉय विश्वनाथन वी.	कार्यपालक निदेशक	01.12.2018	01.04.2022
श्री के. रामचंद्रन	भूतपूर्व कार्यपालक निदेशक	01.04.2020	01.07.2021
श्री इमरान अमीन सिद्दीकी	कार्यपालक निदेशक	10.03.2021	
श्री अश्वनी कुमार	कार्यपालक निदेशक	21.10.2021	

गैर–कार्यकारी निदेशकों की शेयरधारिता :

क्र.सं.	गैर–कार्यकारी निदेशक का नाम	पदनाम	धारित शेयर की संख्या
1	डॉ. भरत कृष्ण शंकर	शेयरधारक निदेशक	300
2	सुश्री पापिया सेनगुप्ता	शेयरधारक निदेशक	200

संबंधित पार्टी लेनदेन निम्नानुसार हैं :

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को वर्ष के दौरान रुपये 172.37 लाख पारिश्रमिक के रूप में भुगतान किए गए हैं (गत वर्ष रुपए 102.52 लाख)

विवरण	2021-2022	2020-2021
सुश्री पद्मजा चुन्डूरू, भूतपूर्व एमडी एवं सीईओ प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक (01.04.2021 से 31.08.2021)	₹ 40.30 लाख	₹ 30.46 लाख
श्री शांति लाल जैन, एमडी एवं सीईओ प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक (01.09.2021 से 31.03.2022)	₹ 20.27 लाख	..
श्री एम के भट्टाचार्य, भूतपूर्व कार्यपालक निदेशक प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक	..	₹ 18.16 लाख
श्री शेणॉय विश्वनाथ वी, कार्यपालक निदेशक प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक (01.04.2021 से 31.03.2022)	₹ 32.76 लाख	₹ 26.22 लाख
श्री के रामचन्द्रन, भूतपूर्व कार्यपालक निदेशक प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक (01.04.2021 से 30.06.2021)	₹ 30.19 लाख	₹ 2.21 लाख
श्री इमरान अमीन सिद्दीकी, कार्यपालक निदेशक प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक (01.04.2021 से 31.03.2022)	₹ 30.00 लाख	₹1.47 लाख
श्री अश्वनी कुमार, कार्यपालक निदेशक प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक (01.10.2021 से 31.03.2022)	₹ 18.85 लाख *	..

* ₹. 5.11 लाख आवास भत्ता सहित

सम्बद्ध पार्टी से संबंधित अन्य प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं:

(₹ लाख में)

मद / सम्बद्ध पार्टी	मूलसंस्था (स्वामित्व या नियंत्रण के अनुसार)	सहयोगी / संयुक्त उद्यम	कुल
सेवाओं का प्रतिपादन	1528.82*	26.16	1528.82*
सेवाओं की प्राप्ति	26.16	1528.82*	26.16

इंडियन बैंक की बीमा पॉलिसियों से संबंधित बैंक के संयुक्त उद्यम, यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से 1384.52 लाख रुपये की कमीशन आय शामिल है।

लेखा मानक (एएस) 18 के अनुच्छेद 9 के अनुसार संबंधित पक्षों जो "सरकार–नियंत्रित उद्यम" हैं के संबंध में कोई प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है । एएस 18 के अनुच्छेद 5 के अनुसार, बैंकर–ग्राहक संबंध के तहत लेनदेन का प्रकटीकरण नहीं किया गया है जिसमें मुख्य प्रबंधन कर्मियों और उनके रिश्तेदार शामिल हैं।

11.2 अनुषंगी कंपनीः

11.2.1 इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लि.

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक :

प्रबंधकीय पारिश्रमिक : (₹ लाख में)

नाम	पदनाम		2021-22	2020-21
श्री शेषासाई पी एल वी के	अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक निदेशक (27.06.2020 तक)	वेतन	-	3.96
		भविष्य निधि को अंशदान	-	0.20
श्री वी हरीबाबू	अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक/सीएफ़ओ निदेशक (28.02.2022 से 03.09.2021 तक)	वेतन	12.74	-
		भविष्य निधि को अंशदान	0.73	-
श्री ए राजारामन	अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक निदेशक (30.11.2021 तक)	वेतन	13.70	10.60
		भविष्य निधि को अंशदान	0.86	0.73
श्री यू राजकुमार	उपाध्यक्ष एवं सीएफओ (02.09.2021 तक)	वेतन	4.65	10.40
		भविष्य निधि को अंशदान	0.35	0.79
सुश्री चित्रा एम ए	कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी (29.01.2022 से)	वेतन	2.20	-
		भविष्य निधि को अंशदान	0.24	-
श्री वी बालामुरुगन	कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी (28.01.2022 तक)	वेतन	6.88	6.62
		भविष्य निधि को अंशदान	0.72	0.81
गैर–पूर्णकालिक स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान किया गया बैठक शुल्क			4.68	2.74

कंपनी के अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक निदेशक इंडियन बैंक से प्रतिनियुक्ति पर है तथा उन्हें उपर्युक्त बैंक के सेवानियम के अनुसार व कंपनी के शेयरधारकों द्वारा ''पूर्णकालिक निदेशक'' के रूप में नियुक्ति की शर्तों के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाता है।

कंपनी के उपाध्यक्ष और सीएफओ इंडियन बैंक से प्रतिनियुक्ति पर हैं और उन्हें उपर्युक्त बैंक के सेवानियमों के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाता है।

कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी को सीधे कंपनी द्वारा भर्ती किया गया है और उन्हें कंपनी द्वारा दिए गए रोजगार की पेशकश की शर्तों के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाता है।

11.2.2 इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड

कंपनी के प्रबंध निदेशक इंडियन बैंक से प्रतिनियुक्ति पर है तथा वह अपना पारिश्रमिक उस कंपनी के अध्यक्ष के रूप में इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विस लिमिटेड से प्राप्त करते हैं। अतः इस कंपनी द्वारा पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है।

अन्य संबंधित पार्टियाँ सरकार नियंत्रित उद्यम हैं और इस कारण एएस–18 के पैराग्राफ 9 के अनुसार कोई प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है। एएस–18 के पैराग्राफ 5 के अनुसार बैंकर–ग्राहक संबंध के लेनदेनों को प्रकट करना अपेक्षित नहीं है।

12. पट्टा(एएस 19)

12.1 मूल संस्था

ए. पट्टे / किराए आधार पर ली गई परिसंपत्तियों के संबंध में, बैंक के विकल्प के अनुसार उन्हें नवीकृत / रद्द किया जा सकता है।

बी. बैंक द्वारा किए गए पट्टे करार, आपस में सहमत अवधि के लिए हैं जिसमें लिखित रूप से सहमत कैलण्डर महीनों की नोटिस देने के जरिए पट्टे की अवधि के दौरान भी उसे समाप्त किया जा सकता है।

सी. परिचालनगत पट्टों के लिए प्रदत्त पट्टा किराए को, जिस वर्ष से संबन्धित है, उसी वर्ष में लाभ एवं हानि लेखे में व्यय के रूप में पहचाना जाता है। वर्तमान वर्ष के दौरान पहचाना गया पट्टा किराया ₹ 417.00 करोड़ है। (विगत वर्ष – 440.41 करोड़ ₹)।

डी. वित्त पट्टा

वित्त पट्टे पर प्राप्त आस्ति में भूमि और भवन शामिल हैं। पट्टों की एक प्राथमिक अवधि होती है, जो निश्चित और गैर–रद्द होती है। बैंक के पास द्वितीयक अवधि के लिए पट्टे को नवीनीकृत करने का विकल्प है।

वित्त पट्टा के तहत आवश्यक आस्तियों के संबंध में न्यूनतम पट्टे के किराये और न्यूनतम पट्टे के भुगतान का वर्तमान मूल्य निम्नानुसार हैं:

विवरण	न्यूनतम पट्टे का भुगतान		न्यूनतम पट्टा भुगतान का वर्तमान मूल्य	
	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
1 वर्ष के पूर्व देय	0	0	0	0
1 वर्ष के बाद एवं 5 वर्षों के पूर्व देय	0	0	0	0
5 वर्षों के बाद देय	0	0	0	0
कुल	0	0	0	0
घटाएं : भविष्य के वित्तीय प्रभार				
न्यूनतम पट्टा भुगतान का वर्तमान मूल्य	0	0	0	0

12.2 सहायक कंपनियां

12.2.1 इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड

पट्टे पर ली गई संपत्ति के मामले में

कंपनी के पास मूल संस्था के विभिन्न स्थानों पर कार्यालय परिसर सहित परिचालन पट्टे हैं। वर्ष के अंत में गैर–रद्द करने योग्य परिचालन पट्टों के तहत भविष्य के लिए आवश्यक न्यूनतम भुगतान निम्नानुसार हैं :

विवरण	31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
वर्ष के लिए लीज भुगतान	21.71	24.59
न्यूनतम लीज भुगतानः 1 वर्ष के पूर्व देय	0.00	0.00
1 वर्ष के बाद एवं 5 वर्षों के पूर्व देय	0.00	0.00
5 वर्षों के बाद देय	0.00	0.00

13. प्रति शेयर अर्जन (एएस 20)

(₹ लाख में)

विवरण	2021-22	2020-21
ईक्विटी शेयरधारकों हेतु उपलब्ध कर के पश्चात निवल लाभ (रुपए करोड़ में)	4141.81	3149.15
ईक्विटी शेयरों की संख्या	1245441139	1129366570
ईक्विटी शेयरों की भारित संख्या	1218410075	1129366570
प्रति शेयर मूल अर्जन (₹ में)	33.99	27.88
कम की गई आय प्रति शेयर आय (₹ में)	33.99	27.88
प्रति ईक्विटी शेयर अंकित मूल्य (₹ में)	10.00	10.00

14. समेकित वित्तीय विवरण (एएस 21)

समेकित वित्तीय विवरण लेखा मानक (एएस 21) को भारतीय सनदी लेखाकार संस्था (आईसीएआई) द्वारा जारी समेकित वित्तीय विवरणों और ''समेकित वित्तीय विवरण'' को तैयार करने पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के समनुरूप तैयार किए गए हैं।

समेकित वित्तीय विवरण, इंडियन बैंक (मूलसंस्था) के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और उनकी अनुषंगियों जैसे (1) इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड और (2) इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लि. के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण पर आधारित है।

31.03.2022 को समेकित आंकड़ों में दो सहयोगियों यथा मेसर्स सप्तगिरी ग्रामीण बैंक और पुदुवै भारतियार ग्रामबैंक के 74.95 करोड़ रुपये का लेखापरीक्षित लाभ शामिल है और ₹ 75.36 करोड रुपय मेसर्स तमिलनाडु ग्राम बैंक का अलेखापरीक्षित लाभ है, ₹ 43.80करोड़ दो संयुक्त उद्यमों अर्थात 1) यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और 2) एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड के अलेखा परीक्षित लाभ में हिस्सा है।

15. आय पर करों के लिए लेखांकन (एएस 22)

15.1 मूल संस्था

15.1.1 वर्तमान कर –

चालू वर्ष के दौरान, पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक के संचित घाटे को देखते हुए, बैंक ने देशी परिचालन के लिए आयकर का प्रावधान नहीं किया है। चालू वर्ष के दौरान विदेशी शाखाओं में रुपये 12.85 करोड़ के आयकर का प्रावधान किया गया है। चालू वर्ष में किए गए पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित विदेशी शाखाओं पर कर का प्रावधान ₹ 275 करोड़ है । देशी परिचालन के लिए वर्तमान कर की गणना आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार की गई है।

15.1.2 स्थगित कर –

बैंक के पास ₹3872.91 करोड़ का निवल स्थगित कर आस्ति है (विगत वर्ष ₹2844.49 करोड़ का निवल स्थगित कर आस्ति), जिसमें 'अन्य देयताओं और प्रावधानों' के तहत शामिल ₹977.15 करोड़ की स्थगित कर देयताएं (डीटीएल) (विगत वर्ष ₹949.89 करोड़) शामिल हैं और स्थगित कर आस्तियां (डीटीए) ₹4850.06 करोड़ (विगत वर्ष ₹3794.38 करोड़) के तहत शामिल है।

स्थगित कर आस्तियों (डीटीए) / स्थगित कर देयताओं (डीटीएल) के प्रमुख घटक निम्न हैं: (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2022	31.03.2021
	स्थगित कर आस्तियां		
1	भुगतान/क्रिस्टलाइजेशन पर अनुमेय देयताओं का प्रावधान	219.35	208.53
2	विदेशी मुद्रा लेनदेन रिजर्व (एफ़सीटीआर)	99.08	105.29
3	उपदान के लिए प्रावधान	0.06	0.09
4	अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान	3856.25	3076.11
5	पुनर्रचित आस्तियों, एक्युआर, एस4ए, दबावग्रस्त आस्तियों के लिए प्रावधान	588.06	328.67
6	स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास	87.26	75.69
	कुल–डीटीए	**4850.06**	**3794.38**
क्र. सं.	**स्थगित कर देयताए**		
1	स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास	44.40	44.41
2	बट्टे खाते लिखे गये खातों हेतु प्रावधान	363.15	363.15
3	स्टाफ कल्याण प्रतिपूर्ति	4.11	4.11
4	धारा 36(i)(viii) के अंतर्गत विशेष रिजर्व	565.49	538.22
	कुल – डीटीएल	**977.15**	**949.89**
	निवल डीटीए /(डीटीएल)	**3872.91**	**2844.49**

15.2 अनुषंगी कंपनियां :

15.2.1 इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विस लि.

स्थगित कर आस्ति/देयता के मुख्य घटक निम्न हैं। (₹)

	स्थगित कर			
	31.03.2022 को		31.03.2021 को	
	आस्ति	देयताएं	आस्ति	देयताएं
i) मूल्यह्रास–योग्य आस्तियों में समय का अंतर		9355398		14848304
ii) अशोध्य ऋणों व एनपीए के लिए प्रावधान	36142094		44029302	
iii) अन्य	3661463		2444273	
कुल	**39803557**	**9355398**	**46473575**	**14848304**
निवल डीटीए / (डीटीएल)		**30448159**		**31625271**

16.एएस 24 के अन्तर्गत प्रकटीकरण अपेक्षाएं– परिचालन बंद

16.1. अनुषंगी कंपनियां:

16.1.1 इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विस लि.

संसाधन आबंटन के प्रयोजनों और सेगमेंट निष्पादन के आकलन हेतु मुख्य संचालन निर्णय निर्माता (सीओडीएम –निदेशक मंडल) को रिपोर्ट की गई सूचना पूरी तरह से कंपनी पर केंद्रित है। इसलिए, प्रबंधन ने निष्कर्ष निकाला है कि कंपनी के पास केवल एक सेगमेंट है।

कंपनी ने दिसंबर 1997 से लागू हुए सेबी विनियमन के फलस्वरूप निधि आधारित क्रियाकलापों को बंद किया था और केवल शुल्क आधारित क्रियाकलापों को लेने का निर्णय लिया था। दिसंबर 1997 तक विद्यमान निधि आधारित एकस्पोज़र उनकी संविदाकृत अवधि समाप्त होने तक जारी रखे गए हैं। स्थायी जमाओं की पुनः अदायगी और दावा न की गई सावधि जमाओं का आईईपीएफ को अंतरण करने के बाद कंपनी ने भारतीय रिज़र्व बैंक से एनबीएफसी के रूप में अपना पंजीकरण रद्द किये जाने की अनुमति प्राप्त की है।

17. अनुषंगी कंपनियां:

17.1 इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विस लि.

इंडियन बैंक, मूल संस्था, ने ₹ 897.48 लाख की राशि की चुकौती के लिए 3 साल की अधिस्थगन अवधि सितंबर 2013 से सितंबर 2016 तक को मुआविज़ा का अधिकार खंड के तहत 31.03.2017 को समाप्त होने वाले वर्ष से शुरू होने वाली प्रति छमाही ₹ 75 लाख की चुकौती को अधिस्थगन/चुकौती अवधि के लिए बिना किसी ब्याज प्रभार के अनुमोदित किया था। तदनुसार मूलसंस्था बैंक द्वारा अनुमोदित शर्तों के अनुसार 31.03.2021 का समाप्त अर्धवर्ष हेतु कंपनी ने इंडियन बैंक को ₹ 750 लाख चुकौती की है।

18. बैंकएश्यूरेन्स कारोबार

मूल संस्था

बैंक द्वारा विभिन्न बैंकएश्युरेंस/म्युच्युअल फंड उत्पादों की बिक्री/विपणन पर पिछले वर्ष प्राप्त ₹63.98 करोड़ की आय के सापेक्ष वर्तमान वर्ष में ₹85.01 करोड़ के कमीशन इत्यादि का अर्जन किया है।

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	आय की प्रकृति	2021-22	2020-21
1.	जीवन बीमा पालिसी की बिक्री के लिए	56.22	38.44
2.	गैर जीवन बीमा पालिसी की बिक्री के लिए	26.42	24.56
3	अन्य – म्यूचुअल फंड उत्पादों की बिक्री के लिए	2.37	0.98
	कुल	**85.01**	**63.98**

19. अतिरिक्त प्रकटीकरण

मूल संस्था

ए) समूह संस्थाओं के बीच अंतर–बैंक/कंपनी की शेष राशि का समाधान निरंतर आधार पर किया जा रहा है। इस तरह के समाधान का चालू वर्ष के लाभ और हानि खाते पर कोई भौतिक प्रभाव अपेक्षित नहीं है।

बी) वर्तमान आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार, समेकित वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में आईसीएआई द्वारा जारी सामान्य स्पष्टीकरण पर विचार किया गया है। तदनुसार, मूल संस्था और उसकी सहायक कंपनियों की अलग–अलग वित्तीय विवरणियों में प्रकट की गई अतिरिक्त वैधानिक जानकारी का समेकित वित्तीय विवरणों के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण पर कोई असर नहीं पड़ता है और साथ ही आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक व्याख्या के मद्देनजर समेकित वित्तीय विवरणियों में उन मदों से संबंधित जानकारी का प्रकटीकरण नहीं किया गया है जो महत्वपूर्ण नहीं हैं।

सी) बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, बैंक द्वारा पहचानी गई एमएसएमई इकाइयों को बैंक द्वारा कोई बकाया देय नहीं है, जो एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत निर्धारित समय सीमा से अधिक लंबित है तथा वर्ष के दौरान ऐसी पार्टियों के लिए मूल राशि या उस पर ब्याज के विलंबित भुगतान के संबंध में स्वीकृत देयता का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।

20. जहां भी आवश्यक हो, चालू वर्ष के आंकडों के अनुरूप बनाने के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः वर्गीकृत किया गया है।

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,

इंडियन बैंक के सदस्यगण

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट।

अभिमत

1. हमने **इंडियन बैंक ("मूल संस्था / बैंक" के रूप में संदर्भित)** एवं 31 मार्च, 2022 के समेकित तुलन–पत्र में समाहित इसके सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों के अर्जन की हिस्सेदारी सहित इसकी अनुषंगियों, इसी वर्ष की समाप्ति पर समेकित लाभ और हानि लेखों के विवरण व समेकित नकदी प्रवाह विवरण एवं मुख्य लेखांकन नीतियों के सार सहित समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखों एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना जिसमें निम्नलिखित शामिल है :

 ए) हमारे द्वारा समीक्षा किए गए बैंक के लेखापरीक्षित विवरण ;

 बी) अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 2 अनुषंगियों और 2 सहयोगियों के लेखापरीक्षित विवरण ; एवं

 सी) 2 संयुक्त उद्यमों और 1 सहयोगी के अलेखापरीक्षित विवरण ;

उपरोक्त ए), बी) व सी) संस्थाओं को एक साथ समूह के रूप में संदर्भित किया जाता है

 का लेखा–जोखा किया है।

हमारी राय में एवं हमारी श्रेष्ठतम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और अनुषंगियों के अलग–अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और संयुक्त उद्यम और सहयोगियों की अलेखापरीक्षित अलग वित्तीय विवरणों और अन्य वित्तीय जानकारी पर हमारे विचार के आधार पर जैसा कि प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किया गया है, पूर्वोक्त समेकित वित्तीय विवरण :

 क) समेकित बैलेंस शीट के मामले में 31 मार्च, 2022 तक समूह के मामलों की स्थिति के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दर्शाते है।

 ख) उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि विवरण के मामले में लाभ का सही शेष और

 ग) समेकित नकदी प्रवाह संबंधी विवरण उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दर्शाते है।

अभिमत का आधार

2. हमने अपनी लेखा परीक्षा आईसीएआई द्वारा जारी ऑडिटिंग पर मानकों (एसए) के अनुसार संचालित की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियों अनुभाग में आगे वर्णित किया गया है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता व साथ ही नैतिक अपेक्षाएं जो समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक हैं के अनुसार हम बैंक से स्वतंत्र हैं और हमने अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मामले का महत्व

हम निम्नलिखित पर ध्यान आकर्षित करते हैं

3. समेकित वित्तीय विवरण की अनुसूची 18 की नोट संख्या 6 जो भविष्य के व्यापार और वित्तीय परिणामों पर कोविड–19 की वजह से उत्पन्न अनिश्चितताओं के प्रभाव तथा मौजूदा स्थिति में उसके प्रबंधन के मूल्यांकन, मौजूदा अनिश्चितताओं से उत्पन्न चुनौतियों के संदर्भ में प्रबंधन इन अनिश्चितताओं के प्रभाव का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में है।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

प्रमुख लेखापरीक्षा तथ्य

4. प्रमुख लेखापरीक्षा तथ्य वे तथ्य हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन तथ्यों पर समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर अपनी राय बनाने में समग्र रूप से चर्चा की गई थी, इसलिए इन तथ्यों पर हम अलग से राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने नीचे वर्णित तथ्यों को अपनी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जानेवाले प्रमुख लेखापरीक्षा तथ्य के रूप में निर्धारित किया है:

क्र. सं.	प्रमुख लेखापरीक्षा तथ्य	लेखापरीक्षा में मुख्य लेखापरीक्षा तथ्य को किस रूप में स्वीकार किया गया था
	बैंक के संबंध में	
1.	**अग्रिमों का वर्गीकरण, आय की पहचान, अनर्जक अग्रिमों की पहचान और प्रावधान** समूह एवं इसके एसोसिएट्स का निवल अग्रिम कुल संपत्ति का 57.73% है, जो समेकित वित्तीय विवरणों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आय की पहचान और आस्ति वर्गीकरण ("आईआरएसी") संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक के ("आरबीआई") दिशानिर्देशों में अनर्जक आस्तियों ("एनपीए") की पहचान और वर्गीकरण के लिए विवेकपूर्ण मानदंड और ऐसी आस्तियों के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रावधान निर्धारित किए जाते हैं। अर्जक और अनर्जक अग्रिमों की पहचान में उचित पद्धतियां शामिल है। बैंक के अग्रिमों से संबंधित सभी लेनदेन का ब्यौरा उसकी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों (आईटी सिस्टम) में है जो अग्रिम के अर्जक या अनर्जक होने की स्थिति को चिह्नित, उसके एनपीए वर्गीकरण और प्रावधान की गणना भी करता है। इन अग्रिमों का वहन मूल्य (प्रावधानों का निवल) भौतिक रूप से गलत बताया जा सकता है, यदि व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, आईआरएसी मानदंडों का ठीक से पालन नहीं किया जाता है। लेन–देन की प्रकृति, विनियामक अपेक्षाएँ, मौजूदा कारोबारी माहौल, प्रतिभूतियों के मूल्यांकन में शामिल अनुमान/निर्णय को ध्यान में रखते हुए, यह समेकित वित्तीय विवरणों के इच्छित उपयोगकर्ताओं के लिए उच्च महत्व का मामला है इसलिए हमने एनपीए की पहचान और प्रावधान को एक प्रमुख लेखापरीक्षा तथ्य के रूप में सुनिश्चित किया है।	**नियंत्रण के परीक्षण** ऋणों की स्वीकृति, अभिलेख और निगरानी, अतिदेय ऋणों की निगरानी प्रक्रिया, प्रावधानों की गणना, एनपीए खातों की पहचान और प्रत्यावर्तन आय से संबंधित प्रमुख आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और संचालन प्रभावशीलता का आकलन, तथा प्रबंधन सूचना (अतिदेय रिपोर्ट सहित) की विश्वसनीयता का आकलन। **वस्तुपरक परीक्षण** ऋण खातों का नमूना जिसमें बड़े/दबावग्रस्त अग्रिम शामिल थे और हमें आबंटित शीर्ष शाखाओं में नमूना आधार पर कुछ अन्य अग्रिम लिए गए थे, तथा ऐसे नमूनों में हमने निम्नलिखित जांच की: • आय की पहचान के लिए सिस्टम में डेटा इनपुट की सटीकता और अर्जक या अनर्जक अग्रिम के रूप में पहचान। • चयनित अर्जक अग्रिमों का वर्गीकरण सही ढंग से किया गया था या नहीं यह जानने के लिए स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन किया गया। • इन पार्टियों के बारे में उपलब्ध समेकित वित्तीय विवरणों, संपार्श्विक मूल्यांकन और अन्य गुणात्मक जानकारी की समीक्षा की गई। • आईआरएसी मानदंडों के अनुरूप एनपीए प्रावधानों और आय के प्रत्यावर्तन की गणना के विवरण का परीक्षण। • आरबीआई के दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा निर्धारित उधारकर्तावार एनपीए पहचान की जाँच की गई। • आरबीआई के मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के ऋणों के लिए मानक अग्रिमों के प्रावधानों की जाँच की गई। • एनपीए की निगरानी और समय पर रिपोर्टिंग में आंतरिक लेखापरीक्षा, समवर्ती लेखापरीक्षा, सिस्टम लेखापरीक्षा आदि जैसे निगरानी तंत्र की मौजूदगी और प्रभावशीलता। • अन्य सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर भी भरोसा किया जाता है, जिनकी हमने जांच की है और प्रासंगिक टिप्पणियों पर विचार किया है।
2.	**निवेशों का वर्गीकरण और मूल्यांकन, अनर्जक निवेशों की पहचान और प्रावधान** • निवेश में बैंक द्वारा विभिन्न सरकारी प्रतिभूतियों, बांडों, डिबेंचर, शेयरों, प्रतिभूति रसीदों तथा परिपक्वता तक धारित, बिक्री के लिए उपलब्ध और व्यापार के लिए धारित श्रेणियों के तहत वर्गीकृत अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां शामिल हैं। • निवेश बैंक की कुल संपत्ति का 26.18 प्रतिशत है। ये भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के परिपत्रों और निर्देशों द्वारा शासित होते हैं। आरबीआई के इन निर्देशों में अन्य बातों के साथ–साथ निवेश का मूल्यांकन, निवेश का वर्गीकरण, अनर्जक निवेश की पहचान, आय की संबंधित गैर–मान्यता और उसके सापेक्ष प्रावधान शामिल हैं।	आरबीआई के परिपत्रों/निर्देशों के संदर्भ में निवेश के प्रति हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन, परिचालन प्रभावशीलता तथा अनर्जक निवेशों के मूल्यांकन, वर्गीकरण, पहचान और निवेशों से संबंधित प्रावधान/मूल्यह्रास के संबंध में स्वतंत्र लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की समीक्षा और परीक्षण शामिल थे। विशेष रूप से, 1) हमने अनर्जक निवेशों के मूल्यांकन, वर्गीकरण और पहचान, निवेश से संबंधित प्रावधान/मूल्यह्रास के संबंध में आरबीआई के दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया और समझा। 2) हमने इन निवेशों के उचित मूल्य के निर्धारण हेतू विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्र करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया। 3) निवेश के चयनित नमूने के लिए, हमने प्रतिभूति की प्रत्येक श्रेणी का पुनर्मूल्यांकन कर आरबीआई मास्टर परिपत्रों और निर्देशों की सटीकता एवं अनुपालन का परीक्षण किया। नमूनों का चयन यह सुनिश्चित करने के बाद किया गया था कि निवेश की सभी श्रेणियों (प्रतिभूति की प्रकृति के आधार पर) के नमूने में शामिल हैं।

क्र. सं.	प्रमुख लेखापरीक्षा तथ्य	लेखापरीक्षा में मुख्य लेखापरीक्षा तथ्य को किस रूप में स्वीकार किया गया था
	• पूर्वोक्त प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन आरबीआई द्वारा जारी परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित पद्धति के अनुसार किया जाना है जिसमें विभिन्न स्रोतों से डेटा/सूचना का संग्रह शामिल है जैसे कि एफआईएमएमडीए दरें, बीएसई/एनएसई पर उद्धृत दरें, गैर–सूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण आदि। मूल्यांकन, लेन–देन की मात्रा, निवेश और नियामक फोकस की मात्रा में शामिल निर्णय की जटिलताओं और सीमा को ध्यान में रखते हुए, इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया गया है। तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा निवेशों के मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों की पहचान और निवेश से संबंधित प्रावधानीकरण पर केंद्रित थी।	4) हमने एनपीआई की पहचान की प्रक्रिया व आय के संबंधित प्रत्यावर्तन एवं और प्रावधान के निर्माणों का निर्धारण और मूल्यांकन किया; 5) हमने भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों और निदेशों के अनुसार अनुरक्षित प्रावधान और प्रदान किए जाने वाले मूल्यह्रास को स्वतंत्र रूप से पुनर्गणना करने के लिए वास्तविक लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं कीं । तदनुसार, हमने प्रत्येक श्रेणी के निवेश से नमूनों का चयन किया और आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीआई के लिए परीक्षण किया और एनपीआई के उन चयनित नमूनों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक परिपत्र के अनुसार अनुरक्षित प्रावधान की पुनर्गणना की; 6) उक्त भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र / निदेशों के अनुसार प्रस्तुतिकरण और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, हमने निवेश एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर और वित्तीय विवरण तैयार करने वाले सॉफ़्टवेयर के बीच निवेश की मैपिंग का परीक्षण किया।

समेकित वित्तीय विवरणों एवं लेखापरीक्षक की रिपोर्ट से इतर अन्य सूचना

5. अन्य सूचना के लिए बैंक का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य सूचना में कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट शामिल होती है जिसे हमने इस रिपोर्ट के साथ जारी किया है (किंतु इसमें समेकित वित्तीय विवरण एवं हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट शामिल नहीं होते)। वार्षिक रिपोर्ट में संलग्न अनुबंधों सहित, यदि कोई हो, निदेशकों की रिपोर्ट को हमें इस लेखापरीक्षक रिपोर्ट की दिनांक के पश्चात् उपलब्ध करवाया जाना अपेक्षित है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य सूचना एवं बेसल III के तहत पिल्लर 3 के प्रकटीकरणों को कवर नहीं करती है तथा उस पर हमारे द्वारा किसी भी प्रकार का आश्वासन व्यक्त नहीं किया जाता और ना ही ऐसा किया जाएगा।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचना को पढ़ना एवं ऐसा करते हुए यह विचार करना है कि क्या अन्य सूचना समेकित वित्तीय विवरणों या लेखापरीक्षा के दौरान निर्मित हुई हमारी समझ से भौतिक तौर पर असंगत है या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

जब हम बैंक के निदेशकों की रिपोर्ट को वार्षिक रिपोर्ट में संलग्न अनुबंधों के साथ, यदि कोई हो, पढ़ते हैं, यदि हम यह निर्णय देते हैं कि उक्त में भौतिक असंगतता है, तो हमारे द्वारा यह तथ्य अभिशासन प्रभारी को बताया जाना अपेक्षित है

समेकित वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन व अभिशासन प्रभारी का उत्तरदायित्व :

6. बैंक के निदेशक मंडल, भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक में निर्धारित मान्यता और माप सिद्धांतों, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान सहित भारत में आमतौर पर स्वीकृत अन्य लेखा सिद्धांतों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर जारी किए गए परिपत्र व दिशानिर्देशों के अनुसार इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं जो समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्य–निष्पादन और सामूहिक संस्थाओं व सहयोगियों के समेकित नकदी प्रवाह को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं। इस उत्तरदायित्व में, अधिनियम के प्रावधान के अनुपालन में बैंक की आस्तियों को सुरक्षित रखने तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाने एवं रोकने; उचित लेखांकन नीतियों का चयन एवं उन्हें लागू करने; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय एवं आंकलन के लिए पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड को बनाए रखने और लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता व संपूर्णता को सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी तौर पर परिचालित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को निर्मित करना, लागू करना एवं बनाए रखना शामिल है जोकि समेकित वित्तीय विवरणों के निर्माण, प्रस्तुतीकरण हेतु प्रासंगिक है जो सत्य और निष्पक्षता दर्शाते हैं और किसी प्रकार के महत्वपूर्ण मिथ्याकथन, चाहे वह कपट अथवा त्रुटिवश हो, से मुक्त हैं, शामिल हैं।

समेकित वित्तीय विवरण को तैयार करने में सामूहिक संस्थाओं व सहयोगियों से संबंधित निदेशक मंडल का यह दायित्व होता है कि वह संबंधित संस्था के कार्यशील संस्था के रूप में कार्य जारी करने की योग्यता का मूल्यांकन करें, कार्यशील संस्था से संबन्धित मामलों में यथाप्रयोज्य प्रकटन करें, लेखांकन का कार्यशील संस्था आधार पर प्रयोग करें जब तक कि प्रबंधन का इरादा सामूहिक संस्था के परिसमापन अथवा परिचालनों को बंद करने का न हो या ऐसा करने का कोई व्यावहारिक विकल्प न हो।

सामूहिक संस्थाओं व सहयोगियों से संबंधित निदेशक मंडल सामूहिक संस्था की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए भी उत्तरदायी हैं।

समेकित वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

7. हमारा लक्ष्य उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि वार्षिक समेकित वित्तीय विवरण भौतिक त्रुटियों से पूर्णतः मुक्त हो चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण ही हों तथा हमारी राय सहित लेखापरीक्षक की रिपोर्ट प्रदान करना है। उचित आश्वासन उच्चकोटि का आश्वासन है लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुपालन में की गई लेखापरीक्षा त्रुटि उत्पन्न होने पर हमेशा ही इन्हें पहचान सकेगी। धोखाधड़ी या गलतियों से मिथ्याकथन आ सकते हैं तथा एकल या सकल रूप में उपयोगकर्ताओं द्वारा इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं।

एसए के अनुपालन में हम पेशेगत निर्णय देते हैं तथा लेखापरीक्षा करते समय पेशेगत संशयात्मकता बनाए रखते हैं। हम यह भी :

- समेकित वित्तीय विवरण की भौतिक त्रुटियों, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या किसी भूलवश, के जोखिम का आकलन तथा पहचान करना और संरचना एवं इन जोखिमों के उत्तरदायित्व के लिए लेखापरीक्षण करना तथा हमारी राय प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित लेखासाक्ष्य प्राप्त करना। भौतिक त्रुटियों में धोखाधड़ी के

कारण हुई गलती की पहचान न हो पाना, भूलवश हुई त्रुटि से बड़ा जोखिम है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, साभिप्राय चूक, मिथ्या निरूपण या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकता है।

- परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों के औचित्य एवं लेखांकन अनुमानों व प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।
- लेखा एवं प्राप्त लेखा साक्ष्यों के आधार पर प्रबंधन, कार्यशील संस्था के उपयोग के औचित्य पर निष्कर्ष निकालना कि क्या घटनाओं या स्थितियों में भौतिक अनिश्चितता है जो सामूहिक संस्था तथा इसके सहयोगियों को कार्यशील संस्था बने रहने में संदेह उत्पन्न करती हैं। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अनिश्चितता है, तो यह हमारे लिए आवश्यक है कि समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण के संबंध में अपनी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करें अथवा यदि प्रकटीकरण अपर्याप्त हो तो अपनी राय में परिवर्तन करें। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखा साक्ष्यों के आधार पर होते हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाएँ एवं स्थितियाँ सामूहिक संस्था तथा इसके सहयोगियों को कार्यशील संस्था बने रहने से रोक सकती हैं।
- प्रकटीकरण सहित समेकित वित्तीय विवरणों की संरचना, सामग्री तथा सम्पूर्ण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना और इसका भी जायजा लेना कि क्या समेकित वित्तीय विवरणों में अंतर्निहित लेन–देन एवं घटनाएँ उचित प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत करती है।
- समूह और सहयोगियों के भीतर ऐसी संस्थाओं या व्यावसायिक गतिविधियों की वित्तीय जानकारी के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करना एवं समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी संस्थाओं की वित्तीय जानकारी की लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं, जिनके लिए हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थाओं के लिए, जिनकी अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा–परीक्षा की गई है, ऐसे अन्य लेखापरीक्षक उनके द्वारा की गई लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा राय के लिए पूरी तरह उत्तरदायी हैं।

भौतिकता समेकित वित्तीय विवरणों में गलत बयानों का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों के उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखा परीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने काम के परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए; और (ii) समेकित वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक तथ्यों पर विचार करते हैं।

हमने बैंक अभिशासकों को तथा समेकित वित्तीय विवरणों में समाहित उन संस्थाओं को जिनके लिए हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं, अन्य मामलों के मध्य, लेखापरीक्षा का योजनाबद्ध ढांचा व समय एवं लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में हमारे द्वारा पाई गई किसी महत्वपूर्ण कमी सहित लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों का विवरण प्रदान किया है।

हमने अभिशासकों को ऐसा विवरण भी प्रदान किया है कि हमने स्वतंत्रता संबंधी नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है तथा हम उन्हें ऐसे संबंध एवं अन्य मामले भी सूचित करते हैं, जो हमारी स्वतंत्रता से संबन्धित होते हैं और सुरक्षा के संबंध में लागू होते हैं।

अभिशासकों को संप्रेषित किए गए मामलों में से हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए वे प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपनी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से होने वाले प्रतिकूल परिणामों से इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित के लाभों से अधिक होने की उम्मीद की जाएगी।

अन्य मामले

8. हमने उन दो (2) अनुषंगियों के वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी 31 मार्च, 2022 को ₹ 62.44 करोड़ की कुल संपत्ति एवं इस दिनांक को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ₹ 17.95 करोड़ का कुल राजस्व, जोकि समेकित वित्तीय विवरण में माना गया है, दर्शाते हैं। 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए उन दो अनुषंगियों, जिनके वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हमारे द्वारा नहीं की गई है, से संबंधित समूह के ₹ 74.95 करोड़ के निवल लाभ, जोकि समेकित वित्तीय विवरण में माना गया है, की हिस्सेदारी को भी समेकित वित्तीय विवरणों में जोड़ा गया है। इन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत की गई है, और जहां तक इन अनुषंगियों से संबंधित राशि और प्रकटीकरण की बात है तो समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय एवं उक्त अनुशंगियों के संबंध में हमारी रिपोर्ट पूरी तरह से अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

9. हमने उन दो (2) संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2022 को ₹ 1570.24 करोड़ की कुल संपत्ति, रु. 478.76 करोड़ का कुल राजस्व एवं इस दिनांक को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ₹ 43.80 करोड़ के निवल लाभ में समूह की हिस्सेदारी, जोकि समेकित वित्तीय विवरण में माना गया है, दर्शाते हैं। 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए उन एक अनुषंगियों, जिनके वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हमारे द्वारा नहीं की गई है, से संबंधित समूह के ₹ 75.36 करोड़ के निवल लाभ, जोकि समेकित वित्तीय विवरण में माना गया है, की हिस्सेदारी को भी समेकित वित्तीय विवरणों में जोड़ा गया है। ये वित्तीय विवरण अलेखापरीक्षित हैं और प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किए गए हैं, जहां तक इन संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरण की बात है, वहाँ समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय पूरी तरह से उक्त अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित है। हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ये वित्तीय विवरण समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं।

 उपरोक्त मामलों, किए गए कार्य व अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों की विश्वसनीयता एवं प्रबंधन द्वारा प्रमाणित अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

10. 31 मार्च, 2021 को समाप्त पिछले वर्ष के लिए बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा संयुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा की गई, जिनमें से दो पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा फर्म हैं और उन्होंने ऐसे समेकित वित्तीय परिणामों पर अपरिवर्तित राय व्यक्त की थी।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

11. समेकित तुलन–पत्र और समेकित लाभ एवं हानि लेखा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार बनाए गए हैं।

12. उपरोक्त 7 से 9 तक पैराग्राफों में संकेतित लेखापरीक्षा सीमाओं के अध्यधीन और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की अपेक्षानुसार और उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अध्यधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि

ए) हमने सभी जानकारी व स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जोकि हमारी श्रेष्ठतम जानकारी व विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया।

बी) बैंक के लेन–देन जोकि हमारे समक्ष आए हैं बैंक के अधिकारों के भीतर ही हैं और

सी) कार्यालयों एवं शाखाओं तथा बैंक के कार्यालयों से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ पर्याप्त पाए गए हैं।

13. आरबीआई के पत्र सं. डीओएस.एआरजी.सं.6270/08.91.001/2019–20 दिनांक 17 मार्च, 2020 (यथा संशोधित), की अपेक्षानुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि

(ए) निदेशकों की अयोग्यता से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 बैंकों पर लागू नहीं होती है। अनुषंगियों हेतु सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, 31 मार्च, 2022 तक किसी भी अनुषंगी के निदेशकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप–धारा (2) के संदर्भ में अनुषंगियों के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

(बी) वित्तीय लेनदेन या मामलों पर कोई अवलोकन या टिप्पणी नहीं है जिसका बैंक के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(सी) खातों के रखरखाव और उससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित कोई प्रतिबन्ध, छिपाव या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

(डी) आईसीएआई द्वारा जारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मामले में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर तकनीकी गाइड के अनुच्छेद 1.14 के अनुसार, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में आरबीआई द्वारा बताई गई रिपोर्टिंग आवश्यकता सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के केवल स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर ही लागू होगी एवं पीएसबी के समेकित वित्तीय विवरणों पर यह लागू नहीं होती। तदनुसार, 31 मार्च, 2022 को समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर समूह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्टिंग नहीं की जाती है।

14. हम आगे रिपोर्ट करना चाहते है कि,

(ए) हमारी राय में, विधि द्वारा अपेक्षित खाते की उचित बही बैंक द्वारा रखी गई हैं जहां तक यह उन बहियों की हमारी जांच से प्रकट होता है और हमारे लेखा परीक्षा के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त विवरणियाँ हमारे द्वारा दौरा न कि गई शाखाओं से प्राप्त की गई हैं।

(बी) इस रिपोर्ट में प्रदर्शित समेकित तुलन पत्र तथा समेकित लाभ एवं हानि लेखे और समेकित नकदी प्रवाह के विवरण बही खातों और शाखाओं द्वारा प्राप्त विवरणियाँ जहां हमने दौरा नहीं किया है, के अनुसार हैं।

(सी) बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 के अधीन शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा शाखा कार्यालयों के खातों की रिपोर्ट जो लेखा परीक्षित किये हैं, हमें भेजी गई हैं और हमने इस रिपोर्ट को तैयार करते समय इनकी उचित रूप से जाँच की है ; और

(डी) हमारी राय में समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ व हानि लेखा तथा समेकित नकदी प्रवाह विवरण प्रयोज्य लेखाकरण मानकों का अनुपालन इस हद तक करते हैं कि वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।

कृते श्रीराममूर्ति एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 003032S

साझेदार एम प्रत्युषा
(एम.नं. 254141)
यूडीआईएन : 22254141AJEAEL7018

कृते रवि रंजन एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 009073N/N500320

साझेदार सुमित कुमार
(एम.नं. 512555)
यूडीआईएन : 22512555AIUPZD9911

मेसर्स पी.के. एफ. श्रीधर एंड संथानम एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 003990S / S200018

साझेदार पी देवी
(एम.नं. 231549)
यूडीआईएन : 22223137AJQJNC8037

मेसर्स जी. नटेसन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 002424S

साझेदार वरलक्ष्मी मुरली
(एम.नं. 028863)
यूडीआईएन : 22028863AIUPWI6171

मेसर्स एसएआरसी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 006085N

साझेदार चेतन ठक्कर
(एम.नं. 114196)
यूडीआईएन : 22114196AIUQFB9538

हस्ताक्षर का स्थान : चेन्नै
रिपोर्ट की तिथि : 11 मई, 2022

बेसल III- पिल्लर III प्रकटीकरण

मार्च 31, 2022

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए अनुसार बेसल अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए अतिरिक्त प्रकटीकरण

सारणी डी एफ – 1

अनुप्रयोग का क्षेत्राधिकार

बैंकिंग ग्रूप के प्रमुख का नाम, जिसपर यह फ्रेमवर्क लागू होता है : इंडियन बैंक

(I) गुणात्मक प्रकटीकरण :

ए. समेकन के लिए विचार किए गए संस्थाओं की सूची

उपक्रम का नाम / पंजीकरण जिस देश में किया गया है	क्या उपक्रम को लेखाकरण के समेकन के क्षेत्राधिकार में शामिल किया गया है? (हाँ/नहीं)	समेकन के तरीके को स्पष्ट करें	क्या संस्था को समेकन के विनियामक क्षेत्राधिकार में शामिल किया गया है? (हाँ/नहीं)	समेकन के तरीके को स्पष्ट करें	समेकन के तरीकों में अंतर के कारणों को स्पष्ट करें	यदि क्षेत्राधिकारों की पहुंच में से किसी एक के अधीन ही समेकन किया गया है तो उसके कारणों को स्पष्ट करें
इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लि. (अनुषंगी)	हाँ	लेखाकरण मानक 21 – समेकित वित्तीय विवरण के अनुरूप समेकित	हाँ	लेखाकरण मानक 21 – समेकित वित्तीय विवरण के अनुरूप समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
इंडबैंक हाउसिंग लि. (अनुषंगी)	हाँ	लेखाकरण मानक 21 – समेकित वित्तीय विवरण के अनुरूप समेकित	हाँ	लेखाकरण मानक 21 – समेकित वित्तीय विवरण के अनुरूप समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
एएसआरईसी (इंडिया) लि. (संयुक्त उद्यम)	हाँ	लेखाकरण मानक 27 – संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग	हाँ	लेखाकरण मानक 23–समेकित वित्तीय विवरण में एसोसिट्स में किए गए निवेश हेतु लेखांकन के अनुरूप आनुपातिक समेकन विधि के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. (संयुक्त उद्यम)	हाँ	लेखाकरण मानक 27 – संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	विनियामक दिशानिर्देश
तमिलनाडु ग्रामा बैंक (एसोसिएट्स)	हाँ	लेखाकरण मानक 23–समेकित वित्तीय विवरण में एसोसिएट्स में किए गए निवेश हेतु लेखांकन ईक्विटी पद्धति के अंतर्गत समेकित	नहीं	लागू नहीं	एसोसिएट्स माना गया है	पूँजी पर्याप्तता के प्रयोजनों के लिए जोखिम भारित
सप्तगिरि ग्रामीण बैंक (एसोसिएट्स)	हाँ	लेखाकरण मानक 23–समेकित वित्तीय विवरण में एसोसिएट्स में किए गए निवेश हेतु लेखांकन ईक्विटी पद्धति के अंतर्गत समेकित	नहीं	लागू नहीं	एसोसिएट्स माना गया है	पूँजी पर्याप्तता के प्रयोजनों के लिए जोखिम भारित
पुदुवै भारतियार ग्राम बैंक (एसोसिएट्स)	हाँ	लेखाकरण मानक 23–समेकित वित्तीय विवरण में एसोसिएट्स में किए गए निवेश हेतु लेखांकन ईक्विटी पद्धति के अंतर्गत समेकित	नहीं	लागू नहीं	एसोसिएट्स माना गया है	पूँजी पर्याप्तता के प्रयोजनों के लिए जोखिम भारित

बी. ग्रूप संस्थाओं की सूची जिन पर दोनों लेखाकरण और विनियामक मानक के क्षेत्राधिकर के अधीन समेकन के लिए विचार नहीं किया गया है :

उपक्रम का नाम / पंजीकरण जिस देश में किया गया है	उपक्रम का मुख्य कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक उपक्रम के लेखाकरण तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार)	कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का %	उपक्रम की पूँजीगत लिखतों में बैंक के निवेशों का विनियामक व्यवहार	कुल तुलन पत्र की आस्तियां (विधिक उपक्रम के लेखाकरण तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार)
शून्य					

(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण :

सी) समेकन के लिए विचार किए गए संस्थाओं की सूची

(मिलियन में)

उपक्रम का नाम / पंजीकरण जिस देश में किया गया है (ऊपर (i) ए में दिखाए अनुसार)	उपक्रम के मुख्य कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक उपक्रम के लेखाकरण तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार)	कुल तुलन पत्र की आस्तियां (विधिक उपक्रम के लेखाकरण तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार)
इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज़ लि. (भारत)	मर्चेंट बैंकिंग सेवाएं	443.78	947.66
इंडबैंक हाउसिंग लि. (भारत)	आवास वित्त	100.00	102.85
एएसआरईसी (इंडिया) लि. (भारत)	आस्ति वसूली कंपनी	980.00	2519.94
यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. (भारत)	सामान्य बीमा कंपनी	3681.81	51833.99

डी). सभी अनुषंगियों में पूँजीगत कमियों की कुल राशि, जिन्हें समेकन के विनियामक दायरे में नहीं लाया गया है, अर्थात, जिनकी कटौती की गई है :

उपक्रमों का नाम / पंजीकरण जिस देश में किया गया है	उपक्रम का मुख्य कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक उपक्रम के लेखाकरण तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार)	कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का प्रतिशत	पूँजी कमियाँ
शून्य				

ई. बीमा उपक्रमों में बैंक के कुल हितों की समग्र राशि (चालू बही मूल्य), जो जोखिम भारित हैं :

बीमा संस्थाओं का नाम / पंजीकरण जिस देश में किया गया है	उपक्रम का मुख्य कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक उपक्रम के लेखाकरण तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार)	कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का % / मतदान अधिकार का अनुपात	पूर्ण कटौती पद्धति की तुलना में जोखिम भारित पद्धति के प्रयोग से विनियामक पूंजी पर मात्रात्मक प्रभाव
शून्य				

एफ. बैंकिंग समूह के अंदर ही निधि या विनियामक पूंजी के अंतरण पर कोई प्रतिबंध या बाधाएं :

बैंकिंग समूह के अंदर निधि या विनियामक पूंजी के अंतरण पर कोई प्रतिबंध या बाधाएं नहीं हैं।

सारणी डीएफ – 2 : पूँजी पर्याप्तता

पूँजी पर्याप्तता का निर्धारण :

(ए) बैंक अप्रत्याशित हानियों के लिए पूंजी रखती है ताकि जमाकर्ताओं के हित, सामान्य ऋणदाताओं तथा अन्य पण्यधारकों को किसी भी अप्रत्याशित हानि से बचाया जा सके।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों को 8.00 प्रतिशत (जिसमें 2.50 प्रतिशत की पूंजी संरक्षण बफर शामिल है) न्यूनतम सामान्य ईक्विटी टियर– 1 (सीईटी 1) तथा न्यूनतम 11.50 प्रतिशत (जिसमें 2.50 प्रतिशत की पूंजी संरक्षण बफर शामिल है) सीआरएआर रखना है जो 1 अक्टूबर 2021 से प्रभावी है। बैंक 12.53 प्रतिशत (स्टैंडअलोन), 12.84 प्रतिशत (समेकित) सामान्य ईक्विटी टियर 1 (सीईटी 1) और 16.53 प्रतिशत (स्टैंडअलोन), 16.84 प्रतिशत (समेकित) सीआरएआर रख रहा है।

(बी) भारतीय रिज़र्व बैंकक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने पूँजी पर्याप्तता का निर्धारण करने हेतु निम्नलिखित जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण को अपनाया है।

- ऋण जोखिम : माननीकृत दृष्टिकोण
- बाज़ार जोखिम : माननीकृत अवधि दृष्टिकोण
- परिचालन जोखिम : आधारभूत सूचक दृष्टिकोण

(सी) बैंक, व्यापार प्रक्षेपणों, नीतिगत दिशानिर्देशों, मैक्रो अर्थशास्त्र परिदृश्य तथा जोखिम प्रोफाइल के आधार पर अगले पाँच वित्तीय वर्षों के लिए पूँजी का पूर्वानुमान लगाता है।

(डी) पिल्लर II के अधीन बैंक पूँजी का मूल्यांकन / योजना बनाते समय निम्नलिखित जोखिम पर विचार करता है :

- ऋण केन्द्रीकरण जेाखिम
- बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम
- तरलता जोखिम
- निपटान जोखिम
- अनुपालन जोखिम
- साख जोखिम
- मॉडल जोखिम
- देश विशेष जोखिम
- मुआवजा जोखिम
- विधिक जोखिम
- समूह जोखिम
- आचरण जोखिम
- प्रतिभूतिकरण का जोखिम
- दबाव ऋण जोखिम
- मानकीकरण दृष्टिकोण के अधीन ऋण जोखिम का कम मूल्यांकन
- पेंशन बाध्यता जोखिम
- तुलन पत्र से बाहर एक्सपोजर जोखिम
- प्रौद्योगिकी जोखिम
- आउटसोर्सिंग जोखिम
- मानव संसाधन जोखिम
- अवशिष्ट जोखिम
- रणनीतिगत जोखिम
- अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर जोखिम
- मौसम संबंधी जोखिम
- साइबर जोखिम

(ई) बैंक अपनी लाभप्रदता तथा पूँजी पर्याप्तता पर आस्ति गुणवत्ता, तरलता, ब्याज दर, डेरीवेटिव तथा फॉरेक्स की तनावग्रस्त स्थिति या तनावग्रस्त परिस्थितियों में विभिन्न जोखिम क्षेत्रों का तनाव परीक्षण आवधिक तौर पर करता है।

व्यापक तनाव परीक्षण फ्रेमवर्क बनाकर रखा गया है। बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित स्थितियों के आधार पर तथा बैंक की विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर त्रैमासिक अवधि तनाव परीक्षण में करता हैं। महामारी के दौरान बैंक के तुलन पत्र पर संभावित नुकसान का आकलन करने के लिए बैंक ने महामारी के तहत भी तनाव परीक्षण किया है। उसका परिणाम ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) / जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) / बोर्ड को प्रस्तुत किया जाता है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण (बेसल III दिशानिर्देशों के अनुसार)

(ए) ऋण जोखिम हेतु पूँजी आवश्यकताएं : (₹ मिलियन में)

विवरण	स्टैंडअलोन	समेकित
मानकीकृत दृष्टिकोण के अध्यधीन संविभाग	3,00,199.13	3,00,302.63
प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	--	--

बी) बाज़ार जोखिम हेतु पूँजी आवश्यकताएं

मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण : (₹ मिलियन में)

विवरण	स्टैंडअलोन	समेकित
ब्याज दर जोखिम	11,942.07	11,942.07
विदेशी विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित)	129.38	129.38
ईक्विटी जोखिम	4,613.51	4,770.35
कुल	16,684.96	16,841.80

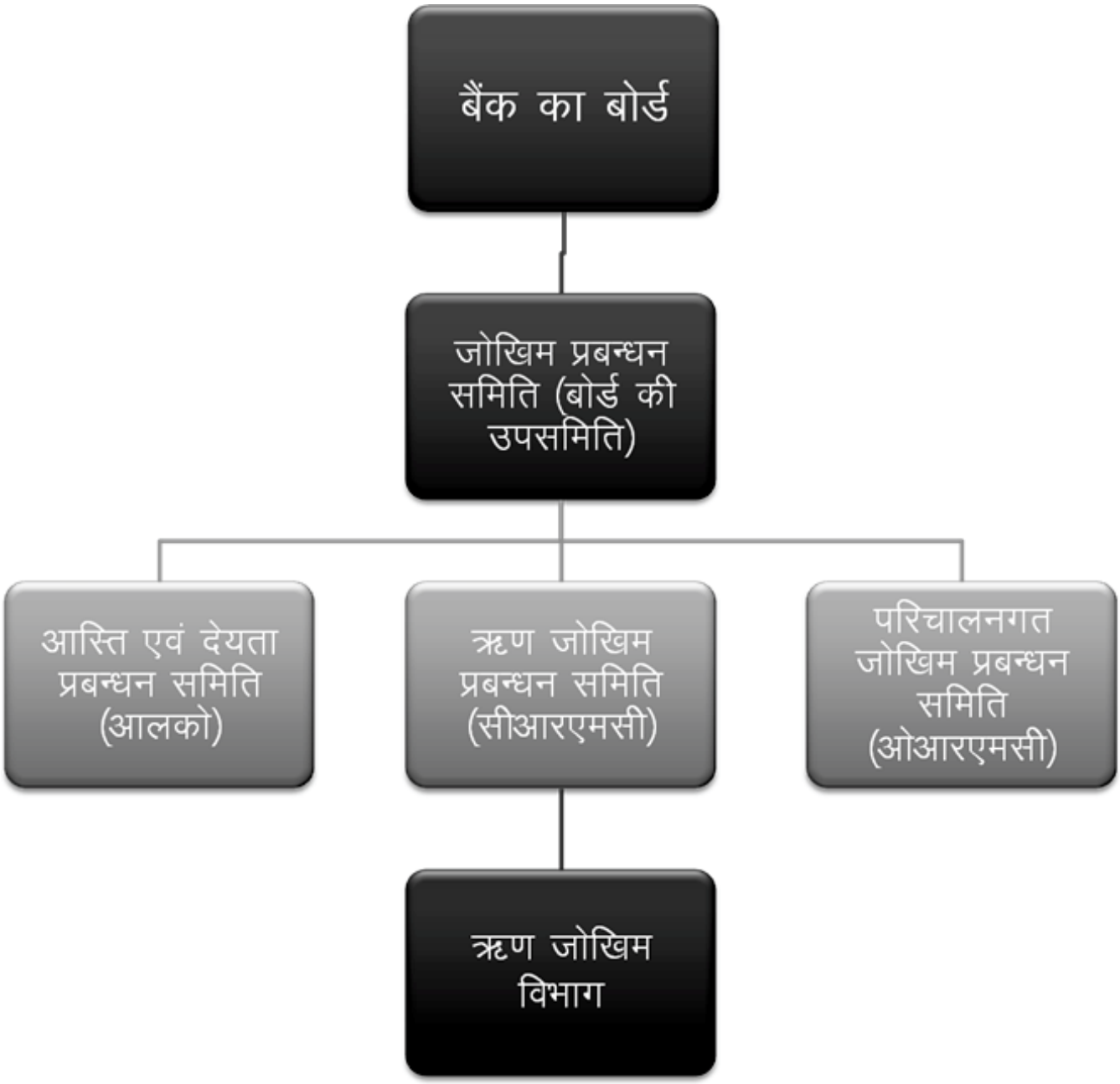
(सी) परिचालनगत जोखिम हेतु पूंजीगत आवश्यकताएं (₹ मिलियन में)

विवरण	स्टैंडअलोन	समेकित
मूल संकेतक दृष्टिकोण	38,394.16	38,747.88

(डी) सामान्य ईक्विटी टियर 1 (सीईटी 1), टियर 1 तथा कुल पूंजी अनुपात बेसल III दिशानिर्देशों के अनुसार :

विवरण	स्टैंडअलोन	समेकित
सामान्य ईक्विटी टियर 1 (सीईटी 1)	12.53%	12.84%
टियर 1 पूंजी पर्याप्तता अनुपात	13.17%	13.48%
कुल पूँजी पर्याप्तता अनुपात	16.53%	16.84%

संगठन की संरचना :


बैंक का बोर्ड
जोखिम प्रबन्धन समिति (बोर्ड की उपसमिति)
आस्ति एवं देयता प्रबन्धन समिति (आलको)
ऋण जोखिम प्रबन्धन समिति (सीआरएमसी)
परिचालनगत जोखिम प्रबन्धन समिति (ओआरएमसी)
ऋण जोखिम विभाग

जोखिम प्रबंधन संरचना :

जोखिम बैंकिंग कारोबार का एक अभिन्न अंग है और बैंक का लक्ष्य जोखिम और प्रतिलाभ के बीच एक उपयुक्त समझौताकारी समन्वयन प्राप्त करना है। सतत और निरंतर विकास सुनिश्चित करने के लिए, बैंक ने एक मजबूत जोखिम प्रबंधन ढांचा विकसित किया है। बैंक परिभाषित जोखिम उठाने की सीमा और बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के भीतर व्यावसायिक गतिविधियाँ करता है। बोर्ड ने एक जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) भी गठित की है जो विभिन्न प्रकार के जोखिमों की देखरेख करती है।

बैंक ने जोखिमों के प्रबंधन के लिए विभिन्न नीतियां बनाई हैं, जैसे एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीति, ऋण जोखिम प्रबंधन नीति, आस्ति देयता प्रबंधन नीति, बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति, आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) नीति। बोर्ड द्वारा सभी नीतियों की न्यूनतम वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाती है।

विभिन्न जोखिमों पर ध्यान केंद्रित करने की सुविधा के लिए निम्नलिखित विशिष्ट समितियों का गठन किया गया है:

i) आस्ति देयता समिति (आलको)

ii) ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी)

iii) परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी)

ये समितियां बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों और समग्र दिशानिर्देशों के अंतर्गत काम करती हैं।

ऋण जोखिम :

ऋण जोखिम से तात्पर्य उधारकर्ता की ऋण गुणवत्ता में गिरावट से है जो बैंक के वित्तीय निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। क्रेडिट लेनदेन में बैंक द्वारा किए गए नुकसान बैंक को वित्तीय प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने में उधारकर्ता की अक्षमता या इरादतन चूककर्ता के कारण हो सकते हैं।

बैंक ने, अन्य सुधारात्मक उपाय करने के अलावा, जोखिम प्रबंधन प्रणाली को प्रारंभिक चरण में जोखिमों की पहचान करने और विवेकपूर्ण सीमा निर्धारित और निगरानी करके उनका प्रबंधन करने के लिए स्थापित किया है।

सीमा फ्रेमवर्क :

ऋण जोखिम तथा संकीर्ण जोखिम की मात्रा को कम करने की दृष्टि से निम्नलिखित प्रकार के एक्सपोज़र के लिए सीमा ढाँचा रखा गया है :

- एकल और ग्रूप ऋणकर्ता एक्सपोज़र
- संवेदनशील क्षेत्र एक्सपोज़र
- अप्रतिभूत एक्सपोज़र
- देश–वार एक्सपोज़र
- आंतरिक रेटिंग–वार एक्सपोज़र
- मियादी ऋण एक्सपोज़र
- उद्योग–वार एक्सपोजर
- अंतर बैंक एक्सपोज़र

इन एक्सपोज़र सीमाओं को नियमित तौर पर मानिटर किया जाता है और बोर्ड की विभिन्न शीर्षस्थ स्तरीय समितियों को प्रस्तुत किया जाता है।

ऋण समीक्षा फ्रेमवर्क :

बैंक ने ऋण समीक्षा ढांचा अपनाया है, जिसमें व्यक्तिपरक जोखिम मापदंडों के साथ जोखिम कारकों का विश्लेषण करने पर मात्रात्मक जोखिम स्कोरिंग मैट्रिक्स के आधार पर कम जोखिम / मध्यम जोखिम / उच्च जोखिम / नो–गो में ऋण प्रस्तावों का ऋण जोखिम मूल्यांकन और जोखिम वर्गीकरण शामिल है। जोखिम स्कोर और जोखिम वर्गीकरण के आधार पर, विभिन्न ऋण समितियों में जोखिम आधारित / सूचित ऋण निर्णय लेने के लिए जोखिम सलाह जारी की जाती है।

रेटिंग और स्कोरिंग मॉडल: ऋण संबंधी निर्णयों के समर्थन और ऋण संविभाग प्रबंधन, मूल्य निर्धारण व जोखिम आधारित पूंजी मापन हेतु जोखिम प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सभी ऋण प्रस्तावों पर तीव्र ऋण जोखिम रेटिंग/स्कोरिंग प्रक्रिया लागू की जाती है। रेटिंग मॉडल की मजबूती सुनिश्चित करने के लिए, रेटिंग मॉडल को किसी बाहरी एजेंसी द्वारा मान्यता के अधीन किया गया है। बैंक के पास संरचित ऋण उत्पादों और अन्य ऋणों के तहत आने वाले सभी नए प्रतिबंधों के लिए प्रवेश स्तर के स्कोरिंग मॉडल हैं जो रेटिंग मॉडल के अधीन नहीं हैं।

ऋण समीक्षा तंत्र: ऋण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए साफ़्टवेयर आधारित रेटिंग तंत्र (मेकानिज़्म) स्थापित किया गया है। रेटिंग मॉडल के परिणाम का प्रयोग, निर्णय करने, अर्थात् ऋण संविभाग में मंजूरी प्रदान करने, मूल्य निर्धारण और अनुप्रवर्तन में किया जाता है। रेटिंग मॉडल के खरेपन की जाँच के लिए यह बाहरी अभिकरण द्वारा प्रदत्त वैधता के अधीन हैं।

आस्ति देयता प्रबंधन:

आस्ति देयता प्रबंधन ढांचा, बैंक को अपने तुलनपत्र में तरलता जोखिम तथा ब्याज दर जोखिम के माप, मानिटर और नियंत्रण हेतु सुविधा प्रदान करता है। यह आस्ति देयता प्रबंधन हेतु उपयुक्त रणनीतियाँ उपलब्ध करवाता है। आस्ति देयता प्रबंधन फ्रेमवर्क में निम्नलिखित प्रमुख घटक हैं :

- तरलता जोखिम प्रबंधन
- ब्याज दर जोखिम प्रबंधन
- तुलनपत्र तथा बेसल III तरलता अुनपात
- तनाव परीक्षण तथा स्थिति विश्लेषण
- आकस्मिकता निधि योजना

नीचे सूचीबद्ध दो मुख्य उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए बैंक ने एएलएम नीति निर्धारित की है:–

अल्पावधि उद्देश्य:–

- बैंक के निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) को अनुकूलतम बनाना
- पर्याप्त चलनिधि प्रदान करना
- पुनः मूल्य निर्धारण जोखिम का प्रबंधन करना

दीर्घावधि उद्देश्य:

- शेयरधारकों की संपत्ति बढ़ाना

आस्ति देयता प्रबंधन का कार्य आस्ति देयता समिति (आलको) संभालती है। यह बोर्ड और/ या एएलएम तथा जोखिम प्रबंधन पर बोर्ड की उप–समिति के दिशानिर्देश तथा पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करती है। यह ब्याज दर स्थिति, एमसीएलआर टीबीएलआर, ईबीएलआर (रेपो), आधार दर की समीक्षा, चलनिधि स्थिति, जमाओं और अग्रिमों दोनों के उत्पाद क्रय, आस्ति तथा देयताओं की परिवक्ता प्रोफाइलों, बैंक निधियों की माँग, बैंक के नकदी प्रवाह तथा संपूर्ण तुलनपत्र प्रबंधन की समीक्षा करने हेतु नियमित तौर पर बैठक का आयोजन करती है।

चलनिधि जोखिम दो दृष्टिकोण यथा फ्लो दृष्टिकोण तथा स्टॉक दृष्टिकोण के ज़रिए मापकर मानिटर किया जाता है। फ्लो दृष्टिकोण में नकद प्रवाह की विसंगतियों की संपूर्ण जाँच होती है तथा यह दैनंदिन आधार पर संरचित तरलता विवरणी की तैयारी से की जाती है। विभिन्न समय अंतरालों में विसंगतियों के लिए उपर्युक्त सहनशक्ति स्तर /प्रुडेंशियल सीमा का निर्धारण किया गया है। स्टॉक दृष्टिकोण के अधीन उपर्युक्त सीमाओं के साथ विभिन्न तुलनपत्र अनुपात निर्धारित किये गये हैं। निर्धारित सीमाओं में अनुपातों का अनुपालन यह सुनिश्चित करता है कि बैंक ने विविधिकरण के माध्यम से अपनी तरलता का प्रबंधन किया है जोकि

धारणीय सीमाओं के अंतर्गत है।

ब्याज दर जोखिम को मुद्रावार मापने तथा मानिटर करने हेतु पारंपरिक गैप दृष्टिकोण तथा गौण दृष्टिकोण दोनों का प्रयोग किया जाता है। एनआईएम पर ब्याज दर परिवर्तन के अल्प–कालीन असर का आकलन ''जोखिम पर अर्जन'' दृष्टिकोण के ज़रिए किया जाता है जिसमें प्रतिलाभ वक्र जोखिम, आधार जोखिम तथा एंबेडेड विकल्प जोखिम को ध्यान में लिया जाता है। ईक्विटी के बाज़ार मूल्य पर ब्याज दर परिवर्तन के दीर्घ–कालीन का असर आकलन अवधि गौण दृष्टिकोण के जरिए किया जाता है। आलको द्वारा मासिक ब्याज दर संवेदनशीलता विवरणी की संवीक्षा की जाती है तथा आरएमसी द्वारा त्रैमासिक ब्याज दर संवेदनशीलता की संवीक्षा की जाती है ।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा परिभाषित तथा आंतरिक रूप से परिभाषित स्ट्रेस परिदृष्यों के अनुसार चलनिधि जोखिम और ब्याज दर जोखिम के लिए नियमित अंतरालों पर स्ट्रेस परीक्षण किया जाता है। आंतरिक चलनिधि स्ट्रेस परीक्षण से प्राप्त परिणामों का प्रयोग आकस्मिकता आयोजन निधि योजना का सृजन, विभिन्न चलनिधि स्ट्रेस परिदृष्यों में करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है।

बैंक नवीनतम विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार चलनिधि कवरेज अनुपात का दैनिक आधार पर परिकलन कर रहा है तथा चलनिधि जोखिम का आकलन करने के लिए इसका उपयोग कर रहा है। मासिक आधार पर आलको द्वारा एलसीआर विवरण की पुनरीक्षा की जाती है। इसके अलावा, आरबीआई के दिशा–निर्देशों के अनुरूप, बैंक तिमाही आधार पर (अर्थात दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही से) एनएसएफआर की गणना भी कर रहा है।

बाजार जोखिम प्रबंधन :–

बाजार में प्रतिकूल गतिविधियों से होनेवाली हानि की संभावना, को बाजार जोखिम कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) की परिभाषा के अनुसार ''बाजार जोखिम वह जोखिम है जहाँ ईक्विटी और ब्याज दरों पर बाजार, मुद्रा विनिमय दरें और पण्य के मूल्य में उतार–चढ़ाव से ''ऑन'' या ''ऑफ'' तुलन पत्र स्थिति के मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अतः बाजार जोखिम, बैंक की कमाई और पूंजी को होनेवाला जोखिम है जोकि ब्याज दरों के बाजार स्तर या प्रतिभूतियों के मूल्यों , विदेषी विनिमय और ईक्विटी की कीमत में परिवर्तन तथा ऐसे परिवर्तनों में अस्थिरता से हो सकता है। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य, व्यापारिक इकाइयों को जोखिम एक्सपोज़र, एवं तुलनीय बेंचमार्क की तुलना में बाजार जोखिम एक्सपोजर, संविभाग निष्पादन के संबंध में विश्लेषिकी से चालित निविष्टियां प्रदान करते हुए जोखिम–समायोजित प्रतिफल की दरों को अधिक से अधिक बनाने में सहायता देना होता है। बाजार जाखिम के अन्तर्गत निम्नलिखित जोखिमों का प्रबंधन किया जाता है:–

- ब्याज दर जोखिम
- विनिमय दर जोखिम
- ईक्विटी कीमत जोखिम

बाज़ार जोखिम, वस्तु की कीमत तथा उतार–चढ़ाव में होनेवाले परिवर्तनों के कारण हो सकती है। तथापि, बैंक को पण्य संबंधित बाज़ार में कोई एक्सपोज़र नहीं है।

बैंक का बाजार जोखिम प्रबंधन (एमआरएम) फ्रेमवर्क निम्नानुसार है:–

ए) जोखिम की पहचान : बाजार जोखिम का पता लगाने, मूल्यांकन एवं प्रबंधन करने के लिए एक तंत्र बनाया गया है ताकि प्रत्येक कारोबार क्रियाकलाप में जोखिम पहचान व मान्यता के विभिन्न पहलुओं पर स्पष्टता मिल सके।

बी) जोखिम मापन और परिसीमाएं : बैंक इस बात को स्पष्टतया मानता है कि बाजार जोखिम के सभी पहलुओं को कोई एक जोखिम – सांख्यिकी प्रतिबिंबित नहीं कर सकती। अतः बाजार जोखिम में जोखिम मापन की सुदृढता को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न सांख्यिकीय एवं गैर–सांख्यिकीय जोखिम उपायों का प्रयोग किया जाता है । क्योंकि इनका अवलोकन एक साथ करने पर जोखिम के ये कदम, किसी एकल कदम की तुलना में बाजार जोखिम एक्सपोजर की सम्यक दृष्टि प्रदान करता है। बाजार जोखिम का प्रबंधन, विभिन्न मापने के साधनों, यथा, जोखिम पर रहे मूल्य (वीएआर), जोखिम पर रहे अर्जन (ईएआर), आशोधित अवधि (एमडी), पीवी 01 सीमाएं, निवल ओवरनाइट खुली स्थिति सीमाएं (एनओओपीएल), वैयक्तिक गैप सीमा (आईजीएल) तथा संकलित गैप सीमा (एजीएल) के जरिए मुद्रा–वार और सूक्ष्मग्रहिता विश्लेषण के जरिये भी किया जाता है। अतितीव्र, परन्तु मुमकिन आघातों की परिस्थितियों में बैंक की असुरक्षा की स्थिति को मानिटर करने के लिए नियमित आधार पर तनाव परीक्षण भी किया जाता है।

सी) जोखिम मानिटरिंग : ट्रेडिंग बही के लिए विभिन्न आंतरिक और विनियामक जोखिम सीमाओं के प्रयोग से, जोकि आर्थिक परिदृश्य, व्यापार रणनीति, प्रबंधन का अनुभव और बैंक की जोखिम ग्राह्यता पर आधारित हैं, बैंक अपने जोखिम को मानिटर एवं नियंत्रित करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि रेट स्कैन, लेनदेन मौजूदा बाजार दरों पर किया जा रहा है।

डी) जोखिम रिपोर्टिंग : मिड–ऑफिस द्वारा दैनंदिन तौर पर ट्रेज़री परिचालनों का मानीटर किया जाता है। मुख्य जोखिम अधिकारी को दैनंदिन रिपोर्ट व साप्ताहिक सार नोट और आल्को को मासिक आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। तनाव परीक्षण नीति में निर्धारित धारणाओं का अनुपालन करते हुए बाजार जोखिम के निर्धारण के लिए तनाव परीक्षण किया जाता है और तिमाही आधार पर आलको को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।

बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यापक बाजार जोखिम प्रबंधन नीति और तनाव परीक्षण नीति द्वारा बाजार जोखिम प्रबंधन अनुशासित है ताकि यह सुनिष्चित किया जा सके कि बाजार जोखिम से युक्त विभिन्न कार्यकलापों में फैला हुआ जोखिम, बैंक की जोखिम ग्राह्यता के अन्दर ही है। उद्योग में व्याप्त उत्तम व्यवहार और भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमनों से सारी नीतियां बेंचमार्क की गई हैं। बैंक के जोखिम रिपोर्टिंग तंत्र में प्रकटीकरण और विभिन्न शीर्ष स्तर समितियों को रिपोर्ट करना शामिल है।

परिचालनगत जोखिम:–

परिचालन जोखिम (ओआर) अपर्याप्त या विफल आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों या प्रणालियों, या बाहरी घटनाओं से होने वाले नुकसान का जोखिम है। प्रभावोत्पादक अभिशासन, जोखिम कैप्चर और मूल्यांकन और परिचालनगत जोखिम के मात्रात्मक निर्धारण को सुनिश्चित करने के लिए बैंक ने परिचालनगत जोखिम प्रबंधन ढाँचा (ओआरएमएफ) और परिचालनगत जोखिम प्रबंधन तंत्र (ओआरएमएस) बनाया है। दैनंदिन की प्रबन्धन प्रक्रियाओं में उपयुक्त गुणात्मक एवं मात्रात्मक प्रणालियों और विभिन्न जोखिम शमन नीतियों तथा सुस्थापित आंतरिक नियंत्रण तंत्रों का प्रयोग करते हुए और विभिन्न जोखिम शमन नीतियों को अपनाते हुए परिचालनगत जोखिम का प्रबंधन सुगम रूप से किया जाता है। विभिन्न उत्पादों/प्रक्रियाओं में जोखिम बोध का समीक्षात्मक विश्लेषण किया जाता है और यथावश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं।

बैंक ने अपने परिचालनगत जोखिम को कैप्चर करने, मापने, मॉनीटर करने और व्यवस्थित करने के लिए वेब–आधारित परिचालनगत जोखिम प्रबंधन प्रणाली कार्यान्वित की है। बैंक ने जोखिम नियंत्रण स्व–मूल्यांकन (आरसीएसए) और प्रमुख जोखिम संकेतक (केआरआई) के लिए रूपरेखा तैयार की है। जोखिम और नियंत्रण स्व–मूल्यांकन का उपयोग प्रमुख परिचालन जोखिम की पहचान करने और आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावशीलता की डिग्री का आकलन करने के लिए किया जाता है।

बैंक परिचालन जोखिम के प्रबंधन के लिए कवरेज क्षेत्र की समीक्षा और सुधार करके आरसीएसए और केआरआई को मजबूत करने के लिए कदम उठा रहा है।

सारणी डीएफ –3
ऋण जोखिम : सभी बैंकों हेतु सामान्य प्रकटीकरण

गुणवत्ता प्रकटीकरण :

(ए) ऋण जोखिम प्रबंधन :

ऋण जोखिम को यों परिभाषित किया गया है कि ऋणकर्ताओं या प्रतिपक्षकारों की ऋण गुणता में कमी के कारण होनेवाली हानि की संभाव्यता।

संरचना :

विभिन्न दिशानिर्देशों तथा प्रमुख उद्योग प्रथाओं के अनुपालन में, बैंक ने ऋण जोखिम प्रबंधन के लिए एक सुव्यवस्थत अभिशासन संरचना बनाई है ताकि पर्याप्त निरीक्षण, मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग हो सके। बैंक ने जोखिम प्रबंधन प्रणाली पर भारतीय रिज़र्व बैंकक के दिशानिर्देश नोट के अनुसार बोर्ड स्तरीय उप–समिति की स्थापना की है जिसे ''जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी)'' कहा जाता है।

जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) :

आरएमसी, बैंक द्वारा सामना किये जानेवाले संपूर्ण जोखिम का मूल्यांकन करती है तथा यह जोखिम को पहचानने, मापने तथा नियंत्रित कर जोखिम को कम करने में सहायक प्रभावी प्रणाली की स्थापना के लिए जिम्मेवार है।

बोर्ड ने ऋण जोखिम के संबंध में जिम्मेदारी लेने के लिए आरएमसी को अधिकार प्रत्यायोजित किया है। समिति, ऋण जोखिम प्रबंधन का पर्यवेक्षण करती है तथा यह सुनिश्चित करती है कि बैंक द्वारा सामना किये जानेवाले प्रमुख ऋण जोखिम को उचित रूप से पहचाना जाता है तथा उसका उचित रूप से प्रबंधन हो। समिति, संपूर्ण जोखिम वहन क्षमता तथा ऋण जोखिम प्रबंधन रणनीति का अनुमोदन करती है एवं इसकी आवधिक समीक्षा करती है। समिति, जोखिम प्रबंधन नीतियों, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित जोखिम प्रबंधन दिशानिर्देशों से संबंधित बैंक के अनुपालन की समीक्षा करती है।

जोखिम समिति, ऋण जोखिम प्रोफाइल तथा अन्य प्रमुख विकास यथा आंतरिक तथा बाह्य और संविभाग तथा बैंक पर समग्र रूप उनके असर की समीक्षा करती है।

ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी)

आरएमसी, ऋण नीति तथा प्रक्रियाओं के संबंध में मुद्दों तथा बैंकव्यापी आधार पर ऋण जोखिम का विश्लेषण, प्रबंधन तथा नियंत्रण करती है।

ऋण समीक्षा प्रबंधन समिति (एलआरएमसी)

ऋण जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के रूप में, कॉर्पोरेट कार्यालय में ऋण समीक्षा प्रबंधन समिति (एलआरएमसी) का गठन किया गया है ताकि विभिन्न समितियों द्वारा मंजूर किये गये ऋण खातों की समीक्षा की जा सकें।

अतिदेय तथा क्षतिग्रस्त की परिभाषा (लेखांकन प्रयोग हेतु)

बैंक ने आय पहचान तथा आस्ति वर्गीकरण मानदंडों हेतु आरबीआई द्वारा परिभाषित किये अनुसार अतिदेय तथा क्षतिग्रस्त के लिए परिभाषाओं को अपनाया है। इसके अलावा, आरबीआई के दिशा–निर्देशों के अनुरूप, अधिस्थगन अवधि, जहां भी दी गई है, आस्ति वर्गीकरण हेतु शामिल की गई है।

बैंक की ऋण आस्तियों को वर्गीकृत करने के लिए बैंक की नीति निम्नप्रकार है :

गैर–निष्पादित आस्ति (एनपीए) : गैर–निष्पादित आस्ति (एनपीए), एक ऋण या अग्रिम है जहाँ

- मियादी ऋण के संदर्भ में मूलधन पर ब्याज और /या किस्त 90 दिन से अधिक समय तक बकाया रहता है,
- जब खाता ''ओवर ड्राफ़्ट / नकद ऋण (ओडी / सीसी) के संबंध में ''नियमित नहीं है''
- जब बिल, क्रय किये गये बिल तथा भुनाये गये बिल के मामले में 90 दिन से अधिक समय के लिए अतिदेय है
- मूलधन या ब्याज की किस्त अल्प अवधि फसलों के लिए दो फसल मौसम के लिए अतिदेय रहती है
- मूलधन या ब्याज की किस्त दीर्घकालिन फसलों के लिए एक फसल मौसम के लिए अतिदेय रहता है

एक ओडी / सीसी खाते को तब **''अनियमित''** माना जाता है जब अतिदेय राशि मंजूरीकृत सीमा / आहरित सीमा से 90 दिन से अधिक समय के लिए लगातार आधिक्य रहता है। जब मूल परिचालन खाते में अतिदेय राशि मंजूरीकृत सीमा / आहरित सीमा से कम है, परंतु तुलन पत्र की तारीख पर लगातार 90 दिनों के दौरान कोई जमा नहीं है या उसी अवधि में नामे डाले गये ब्याज को कवर करने के लिए जमा पर्याप्त पहीं है तो इन खातों को **''अनियमित''** माने जाएँगे।

बैंक की गैर–निष्पादित आस्तियों को आगे तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है :

- **अवमानक आस्तियाँ :**

 अवमानक आस्ति वह है जोकि 12 महीने की समान अवधि या उससे कम अवधि के लिए एनपीए के रूप में रही हो।

- **संदिग्ध आस्तियाँ**

 आस्ति को संदिग्ध आस्ति के रूप में वर्गीकृत तब किया जाएगा जब आस्ति 12 महीनों के लिए अवमनाक वर्ग में रहती है।

- **घाटे की आस्तियां**

 हानिकार आस्ति वह है जब बैंक द्वारा या आंतरिक या बाह्य लेखाकारों या भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण के समय पर हानि को पहचाना जाता है।

ऋण जोखिम प्रबंधन नीति :

बैंक ने ऋण जोखिम प्रबंधन नीति (ऋण नीति का भाग) बनायी है और इसे बैंक के इंट्रानेट पर पोर्ट किया गया है। नीति का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परिचालन प्रबंधन की प्रत्याशा के अनुरूप हैं तथा उच्च प्रबंधन की रणनीतियों को परिचालन स्तर पर सार्थक निदेशों के रूप में पहुँचाया गया है। यह नीति बृहत ऋण एक्सपोज़र, ऋण संपार्श्विक हेतु मानक, पोर्टफोलियो प्रबंधन, ऋण समीक्षा तंत्र, जोखिम सकेंद्रीकरण, जोखिम निगरानी तथा मूल्यांकन, प्रावधानीकरण तथा विनियामक / विधिक अनुपालन पर विवेकपूर्ण सीमाओं को निर्धारित करती है।

बैंक उन जोखिमों की पहचान करता है जो उनको प्रभावित करते हैं तथा इन जोखिमों के माप, निगरानी तथा नियंत्रण के लिए उचित तकनीकी का प्रयोग करता है।

जबकि बोर्ड / बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति नीति तैयार करती है तथा विभिन्न ऋण जोखिमों को निर्धारित करती है, ऋण जोखिम प्रबंधन समिति बोर्ड / आरएमसी द्वारा अनुमोदित इन नीतियों एवं रणनीतियों को कार्यान्वित करती है, समिति ऋण जोखिम की निगरानी बैंक व्यापक आधार पर करती है तथा जोखिम सीमाओं का अनुपालन सुनिश्चित करती है।

बैंक किसी भी उधारकर्ता से संबंधित ऋण जोखिम का माप करने के लिए उधार खाते की रेटिंग को एक महत्वपूर्ण उपकरण मानता है और तदनुसार साफ्टवेयर चालित रेटिंग / स्कोरिंग मॉडल कार्यान्वित किए गए है।

(बी) कुल सकल ऋण जोखिम, निधि आधारित एवं गैर–निधि आधारित अलग अलग से :

(₹ मिलियन में)

विवरण	स्टैंडअलोन	समेकित
सकल ऋण जोखिम एक्सपोज़र		
निधि आधारित		
ऋण एवं अग्रिम	41,56,247.54	41,56,247.54
निवेश	13,71,114.32	13,71,126.56
अन्य आस्तियां	10,79,234.04	10,80,019.88
कुल निधि आधारित	66,06,595.89	66,07,393.97
गैर निधि आधारित जिसमें आकस्मिक क्रेडिट, संविदाएं तथा व्युत्पन्न शामिल हैं'	45,88,185.79	45,88,433.09
कुल ऋण जोखिम एक्सपोज़र	1,11,94,781.69	1,11,95,827.07

* इसमें व्युत्पन्न एक्सपोज़र की अनुमानित मूल राशि, गैर लाभित निधि सीमा, एलसी, स्वीकृतियां, गारंटी शामिल है।

(सी) निधि आधारित एवं गैर–निधि आधारित (स्टैंडअलोन) ऋण जोखिम एक्सपोज़र, का पृथक भौगोलिक वितरण :

(₹ मिलियन में)

भौगोलिक क्षेत्र	निधि आधारित	आकस्मिक ऋण, संविदाएं तथा व्युत्पन्न सहित गैर–निधि आधारित	कुल
ओवरसीज़	2,08,394.67	53,894.39	2,62,289.06
देशी	63,98,201.23	45,34,291.40	1,09,32,492.63
कुल	66,06,595.90	45,88,185.79	1,11,94,781.69

(डी) 31 03 2022 तक एक्सपोज़र का उद्योगवार वितरण (स्टैंडअलोन)

(₹ मिलियन में)

क्र.सं	प्रमुख उद्योग/क्षेत्र	बकाया		वैश्विक प्रतिबद्ध एक्सपोज़र
		निधि आधारित शेष	निधि आधारित शेष	
1	**रसायन एवं रसायन उत्पाद**			
1.1	औषधि एवं औषधीय	10712.37	3227.75	13940.13
1.2	उर्वरक	11861.55	668.84	12530.39
1.3	अन्य रसायन एवं रसायन उत्पाद	17979.19	4580.97	22560.16
2	**इंजीनियरिंग**			
2.1	सामान्य इंजीनियरिंग मशीनरी और माल	43721.32	57390.49	101111.81
2.2	इलेक्ट्रिकल मशीनरी और माल	10912.54	11519.89	22432.43
2.3	इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, माल और सॉफ्टवेयर	15308.89	8760.09	24068.98
3	**खाद्य पदार्थ निर्माण एवं संसाधन**			
3.1	खाद्य तेल एवं वनस्पति	9154.03	19440.54	28594.57
3.2	राइस मिल्स, आटा मिल्स और दाल मिल्स	29339.23	4457.59	33796.82
3.3	चीनी	16999.94	81.61	17081.55
3.4	चाय एवं काफी	4115.07	19.93	4135.01
3.5	अन्य खाद्य पदार्थ निर्माण एवं संसाधन	61226.69	14834.99	76061.68
4	**आधारिक संरचना**			
4.1	बिजली			
4.1.1	विद्युत उत्पादन	156848.02	31623.37	188471.39
4.1.2	विद्युत प्रसारण एवं वितरण	93359.20	7082.18	100441.38
4.1.3	नवीकरणीय ऊर्जा	3569.40	2011.78	5581.18
4.2	परिवहन			
4.2.1	पोर्ट एवं सडक	112698.77	5805.05	118503.82
4.2.2	शिपिंग	10047.64	14320.28	24367.92
4.2.3	लाजिस्टीक्स	15618.13	5067.37	20685.50
4.3	दूरसंचार	4749.03	54191.03	58940.06
4.4	शैक्षिक संस्था	44405.48	3567.41	47972.89
4.5	अस्पताल	23909.92	2203.59	26113.51
4.6	होटल (तीन स्टार एवं उससे अधिक)	12535.17	335.04	12870.21
4.7	अन्य आधारिक संरचना	298332.61	7787.52	306120.13
5	**वस्त्र**			
5.1	सूती वस्त्र	35805.26	3742.61	39547.87
5.2	प्राकृतिक फाइबर वस्त्र	1849.63	10.00	1859.63
5.3	हथकरघा वस्त्र और खादी	4220.33	93.79	4314.12
5.4	अन्य वस्त्र	61814.27	8248.55	70062.82
6	**एनबीएफसी / एचएफसी /एमएफआई**			
6.1	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)	337823.08	574.62	338397.69
6.2	सूक्ष्म वित्त संस्थान (एमएफ़आई)	31836.93	0.00	31836.93
6.3	हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां (एचएफसी)	243538.02	0.00	243538.02
7	**धातु और धातु उत्पाद**			
7.1	लोहा और इस्पात	98019.66	42840.55	140860.21
7.2	अन्य धातु और धातु उत्पाद	27400.55	12659.37	40059.92

(₹ मिलियन में)

क्र.सं	प्रमुख उद्योग/क्षेत्र	बकाया		वैश्विक प्रतिबद्ध एक्सपोज़र
		निधि आधारित शेष	निधि आधारित शेष	
8	**व्यापार**			
8.1	थोक व्यापार	317195.23	21260.37	338455.60
8.2	खुदरा व्यापार	178522.38	7365.56	185887.94
9	ऑटोमोबाइल	22398.80	3688.07	26086.87
10	विमानन	0.00	1630.99	1630.99
11	पेय पदार्थ एवं तम्बाकू	8162.96	158.57	8321.53
12	सीमेंट और सीमेंट उत्पाद	24233.46	7943.46	32176.92
13	कैपिटल मार्केट एक्सपोजर (सीएमई)	24066.23	2515.00	26581.23
14	वाणिज्यिक रियल एस्टेट (सीआरई)	82746.95	770.08	83517.03
15	कंस्ट्रक्शन कान्ट्राक्टर्स	107211.56	135062.78	242274.35
16	रत्न और जेवर	6277.69	725.22	7002.91
17	ग्लास और ग्लास वेयर	894.57	2948.38	3842.95
18	चमड़ा और चमड़ा उत्पाद	3454.39	864.25	4318.64
19	मीडिया और मनोरंजन	4775.10	4238.17	9013.27
20	खनन और उत्खनन	25786.39	5015.03	30801.42
21	कागज और कागज उत्पाद	17790.06	2633.13	20423.19
22	पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद	141191.35	51162.01	192353.36
23	मुद्रण और प्रकाशन	7227.31	1601.67	8828.99
24	रबर, प्लास्टिक और उनके उत्पाद	30910.29	13324.45	44234.74
25	लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद	6707.92	1844.38	8552.29
26	अन्य उद्योग	295174.39	12176.64	307351.03

31 मार्च 2022 को निम्नलिखित उद्योगों में बैंक का एक्सपोज़र के कुल सकल ऋण एक्सपोज़र के 5 प्रतिशत से अधिक था।

क्र.सं	उद्योग का वर्गीकरण	कुल सकल ऋण एक्सपोजर का प्रतिशत
1	आधारिक संरचना	15.66%
2	एनबीएफसी / एचएफसी /एमएफआई	10.56%

(ई) अग्रिमों एवं निवेशों के अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता के अलग अलग आंकड़े (₹ मिलियन में)

	निवेश *	अग्रिम
1 दिन	263980.60	46422.02
2–7 दिन	135030.40	50757.12
8–14 दिन	102081.60	61692.17
15–30 दिन	113825.20	86845.13
31 दिन –2 माह	27436.70	168897.09
2 माह से अधिक 3 माह तक	24730.20	145246.65
3 माह से अधिक 6 माह तक	57399.90	218514.54
6 माह से अधिक 1 वर्ष तक	83256.70	398968.59
1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक	163086.10	1491501.75
3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक	109045.00	631297.60
5 वर्ष से अधिक	661334.49	591717.97
कुल	1741206.89	3891860.63

* इसमें रु 4378.98 मिलियन की सूचीबद्ध इक्विटियों का 50 प्रतिशत शामिल नहीं है

(₹ मिलियन में)

(एफ)	एनपीए की राशि (सकल) – (स्टैंडअलोन)	
	➢ अवमानक	52028.80
	➢ संदिग्ध 1	74242.58
	➢ संदिग्ध 2	107713.51
	➢ संदिग्ध 3	68674.36
	➢ हानि	49483.30
	सकल एनपीए (स्टैंडअलोन)	352142.54
(जी)	निवल एनपीए	88486.48
(एच)	एनपीए अनुपात	
	➢ सकल अग्रिम के प्रति सकल एनपीए	8.47%
	➢ निवल अग्रिम के प्रति निवल एनपीए	2.27%
(आई)	एनपीए का आवागमन (सकल)	
	➢ प्रारंभिक शेष (01.04.2021)	384553.46
	➢ जोड	101646.68
	➢ घटाव	134057.60
	➢ अंतशेष (31.03.2022)	352142.54
(जे)	एनपीए के प्रावधान का आवागमन	
	➢ प्रारंभिक शेष (01.04.2021)	258933.60
	➢ वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	20303.06
	➢ बट्टेखाते डाली गई राशि अधिक प्रावधानों का प्रतिलेख	21772.35
	➢ अंतशेष (31.03.2022)	257464.31
(के)	गैर निष्पादक निवेशों की राशि	18820.17
(एल)	गैर निष्पादक निवेश हेतु धारित प्रावधान राशि	8096.94
(एम)	निवेशों पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधानों का आवागमन	
	➢ प्रारंभिक शेष (01.04.2021)	26401.30
	➢ वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	4853.88
	➢ बट्टेखाते डाली गई राशि	0.00
	➢ अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन	2786.67
	➢ अंतशेष (31.03.2022)	28468.51

सीधे आय विवरण में प्रविष्ट बट्टाकृत राशियाँ और वसूलियाँ: (₹ मिलियन में)

उगाही के अधीन रहे खातों में वसूलियां	16106.28
ब्याज ज्ञापन विधिक प्रभार / बट्टाकृत खातों में वसूलियां	4549.02

प्रमुख उद्योग के प्रकार–वार एनपीए राशि (₹ मिलियन में)

उद्योग	सकल एनपीए	प्रावधान	निवल एनपीए
मूल धातु तथा धातु उत्पाद	16864.77	12212.39	4652.38
बिजली को सम्मिलित कर मूलभूत संरचना	42464.05	32519.07	9944.98
वस्त्र	15909.52	10917.53	4991.99
सभी इंजीनियरिंग	9439.43	7345.34	2094.09
पेट्रोलियम और अन्य खनिज	609.10	333.72	275.38

31.03.2022 को समाप्त तिमाही के दौरान तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाली गई राशि – स्टैंडअलोन : रुपए 16934.17 मिलियन

भौगोलिक फैलाव–वार एनपीए

(₹ मिलियन में)

	देशी	विदेशी	वैश्विक
एनपीए की राशि (सकल)			
➢ अव–मानक	50262.90	1765.90	52028.80
➢ संदिग्ध 1	71760.37	2482.21	74242.57
➢ संदिग्ध 2	107678.20	35.31	107713.51
➢ संदिग्ध 3	68521.50	152.86	68674.36
➢ हानि	49412.30	71.00	49483.30
कुल	**347635.27**	**4507.28**	**352142.54**

पिछले देय ऋणों की परिपक्वता का विश्लेषण

(₹ मिलियन में)

विवरण	सकल एनपीए
1 वर्ष से कम (अवमानक)	52028.80
1 से 2 वर्ष (डी 1)	74242.58
2 से 3 वर्ष (डी 2 प्रथम वर्ष)	51558.90
3 से 4 वर्ष (डी 2 दूसरे वर्ष)	56154.61
4 वर्ष से अधिक	118157.66

सारणी डीएफ –4

ऋण जोखिम : मानकीकृत दृष्टिकोण के अध्यधीन संविभागों हेतु प्रकटीकरण

गुणवत्ता प्रकटीकरण:

(ए) बेसल III ढांचे के अनुसार अर्ह एक्सपोज़रों के लिए बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित सात दर निर्धारण अभिकरणों यथा ए) क्रिसिल बी) इक्रा सी) केयर और डी) इंडिया रेटिंग्स ई) ब्रिकवर्क्स एफ) एक्यूट एवं जी) इन्फोमेरिक्स द्वारा निर्दिष्ट रेटिंग का प्रयोग करता है। ओवरसीज़ ऋण एक्सपोज़र के लिए, बैंक स्टैण्डर्ड एण्ड पुअर, फिच – मूडीज़ की रेटिंग को स्वीकार करता है।

सभी पात्र एक्सपोज़र, तुलन पत्र और तुलन पत्र से बाहर दोनों ही, चाहे वह अल्पावधि हो या दीर्घावधि, के लिए बैंक उपरोक्त अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा निर्दिष्ट केवल सार्वजनिक रूप से उपलब्ध अनुरोधित रेटिंग का उपयोग करता है, जैसा कि बेसल III पूंजी विनियमों पर आरबीआई के दिशानिर्देशों में अनुमत है।

बैंक के संविभाग में आनेवाली आस्तियों, जिनकी संविदागत परिपक्वता एक वर्ष से कम है, को चयनित ऋण रेटिंग अभिकरणों द्वारा दी गई लघु कालीन रेटिंग प्रासंगिक मानी जाती है। बैंक के संविभाग में आनेवाली आस्तियों, जिनकी संविदागत परिपक्वता एक वर्ष से अधिक है, को चयनित ऋण रेटिंग अभिकरणों द्वारा दी गई दीर्घकालीन रेटिंग प्रासंगिक मानी जाती है।

चयनित देशी ऋण अभिकरणों द्वारा जारी दीर्घ कालीन/अल्प कालीन रेटिंग बेसल III पूँजी विनियमनों के अधीन मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार प्रयोज्य उचित जोखिम भारिता के साथ मैप की गई है।

बहुल रेटिंग मूल्यांकन का प्रयोग:

➢ अगर चयनित ऋण रेटिंग अभिकरणों द्वारा दो रेटिंग उपलब्ध की जाती हैं जिससे विभिन्न जोखिम भार का मैपिंग होता है तो उच्च जोखिम भार को लिया जाता है।

➢ अगर चयनित ऋण रेटिंग अभिकरणों द्वारा विभिन्न जोखिम भारिता के साथ तीन या अधिक रेटिंग दी जाती हैं तो दो निम्न जोखिम भार के संबंध में रेटिंग को संदर्भित करना चाहिए तथा इनमें से अधिक वाले दो जोखिम भार को लागू किया जाना चाहिए यथा दूसरा निम्नतम जोखिम भार।

मात्रात्मक प्रकटीकरण:

बी) मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत ऋण जोखिम निवारण के बाद विभाजित कुल ऋण जोखिम एक्सपोज़र **(स्टैंडअलोन)** निम्नानुसार है :

(₹ मिलियन में)

स्टैंडअलोन	बही मूल्य	जोखिम भारित कीमत / मूल्य
100% से कम जोखिम भार	93,84,130.62	11,08,282.89
100% जोखिम भार	7,42,627.48	5,48,685.60
100% से अधिक जोखिम भार	10,68,023.59	9,53,458.74
कुल	**1,11,94,781.69**	**26,10,427.23**

मानकीकृत अभिगम के तहत ऋण जोखिम निवारण के बाद विभाजित कुल ऋण जोखिम एक्स्पोसर(समेकित) निम्नानुसार है : (₹ मिलियन में)

स्मेकित	बही मूल्य	जोखिम भारित कीमत / मूल्य
100% से कम जोखिम भार	93,84,449.97	11,08,346.76
100% जोखिम भार	7,43,280.13	5,49,338.24
100% से अधिक जोखिम भार	10,68,096.97	9,53,642.22
कुल	1,11,95,827.07	26,11,327.22

सारणी डीएफ–5: ऋण जोखिम निवारण–मानकीकृत दृष्टिकोणों हेतु प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने (क) ऋण जोखिम निवारण तथा बेसेल III / भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों की भावना को ध्यान मे रखते हुए उचित संपार्श्विक की पहचान पर जागरुकता बढ़ाने तथा (ख) बेसेल III / भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों में निर्धारित दृष्टिकोण के अनुसार पूँजी प्रभार के परिकलन में ऋण जोखिम निवारण लाभ को इष्टतम बनाने के उद्देश्य से ऋण जोखिम निवारण तथा संपार्श्विक प्रबंधन नीति (ऋण नीति का भाग) लागू की है।

बैंक साधारणतः ऋण सहभागिता, एक्सपोज़र की उच्चतम सीमा, एस्क्रो तंत्र, वायदा कवर, उच्चतर मार्जिन, ऋण प्रसंविदाओं, संपार्श्विक तथा बीमा कवर जैसे ऋण निवारण तकनीकों पर भरोसा करता है।

ऋण जोखिम प्रबंधन नीति (ऋण नीति का भाग) में मूल्यांकन पद्धतियों को विस्तृत रूप से बताया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, पूँजी प्रभार के अभिकलन हेतु पात्र संपार्श्विक जिसके लिए सीआरएम लाभ लिया गया है :

पूँजी प्रभार के अभिकलन के लिए सीआरएम लाभ की उपलब्धता हेतु निम्नलिखित संपार्श्विकों को पहचाना जाता है:

i) बैंक के साथ जमाओं पर नकदी (जमा प्रमाणपत्रों अथवा तुलनात्मक लिखतों के साथ साथ ऋणदाता बैंक द्वारा जारी की गई सावधि जमा की रसीदों को मिलाकर) जिन पर काऊँटर पार्टी एक्पोसर को प्रदान कर रहा है।

ii) सोना: सोना, सोना–चाँदी तथा जेवर को सम्मिलत करेगा। यद्यपि संपार्श्विक जेवर की कीमत 99.99 शुद्धता के लिए बेंचमार्क होनी चाहिए।

iii) केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा ज़ारी प्रतिभूतियाँ।

iv) किसान विकास पत्र और राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र जिनमें कोई अवरुद्धता अवधि क्रियाशील नहीं है और उन्हें धारण अवधि के अंदर भुनाया जा सकता है।

v) एक बीमा कंपनी जो कि बीमा क्षेत्र नियामक द्वारा विनियमित की जाती है, की घोषित सरेंडर कीमत के साथ बीमा पॉलिसियाँ।

vi) कम से कम बीबीबी (–) / पीआर3 / पी3 / एफ़3 / ए3 रेटिंग वाली कर्ज प्रतिभूतियां

vii) म्यूचुअल फंड की इकाइयां

गारंटर काऊंटर पार्टी के मुख्य प्रकार और उनकी उधार पात्रता

प्रत्यक्ष, सुस्पष्ट, अचल और अप्रतिबंधित / शर्त रहित गारंटियों के संबंध में बैंक ऋण सुरक्षा पर विचार करता है। पूँजी आवश्यकता के अभिकलन के दौरान बैंक इन सभी ऋण सुरक्षाओं को ध्यान में रखता है।

काऊंटरपार्टी की तुलना में निम्नतम जोखिम भार के सहित उपक्रमों द्वारा जारी गारंटियां ही पूँजी प्रभार को कम करने में मुख्य भूमिका निभायेगीं। क्योंकि काऊंटरपार्टी एक्सपोज़रका सरुक्षित हिस्सा गारंटर के जोखिम भार को निर्दिष्ट करता है, जबकि अरक्षित हिस्सा उसमें षामिल काऊँटर पार्टी के ऋण भार को बनाये रखता है।

निम्नलिखित उपक्रमों द्वारा दी गई ऋण सुरक्षा काऊंटरपार्टी के रूप में पहचानी जाती है :

(i) शासन (केन्द्र और राज्य सरकार)

(ii) सरकारी उपक्रम (ईसीजीसी, एनसीजीटीसी और सीजीटीएमएसई सहित)

(iii) काउंटरपार्टी की तुलना में निम्नतम ऋण भारित बैंक

निवारण योग्य सभी प्रकार की प्रतिभूतियां आसानी से वसूली योग्य वित्तीय प्रतिभूतियां हैं। इस कारण से, बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त ऋण जोखिम निवारकों में ऋण संकेंद्रीकरण को हटाने के लिए वर्तमान में कोई सीमा / उच्चतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

पूँजी मूल्यांकन में बैंक व्यापक दृष्टिकोण का प्रयोग करता है। व्यापक दृष्टिकोण में संपार्श्विक को लेते समय, बैंक पूँजी पर्याप्तता प्रयोग के लिए संपार्श्विक के असर को समयोजित करते हुए काउंटर पार्टी को समयोजित एक्सपोज़र की गणना करता है। बैंक कोई भी संपार्श्विक के मूल्य को समायोजन करने के लिए संभाव्य भावी उतार–चढ़ाव को ध्यान में रखकर बाज़ार में होनेवाले परिवर्तन में प्रतिभूति के मूल्य को कवर करता है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

प्रत्येक प्रकटित अलग ऋण जोखिम संविभाग हेतु, (स्टैंडअलोन/ समेकित) कुल ऋण (यथा लागू तुलन–पत्र में या उसके बाहर नेटिंग के बाद) जो कि मार्जिन लागू करने के बाद योग्य वित्तीय संपार्श्विक द्वारा कवर किया जाता है :

(₹ मिलियन में)

ऋण (एक्सपोज़र) का प्रकार	अर्ह वित्तीय संपार्श्विक	गारंटियां
सकल ऋण जोखिम एक्सपोज़र		
निधि आधारित		
ऋण और अग्रिम	5,97,237.07	5,05,716.68
निवेश	0.00	184.00
अन्य आस्तियां	0.00	0.00
कुल निधि आधारित	5,97,237.07	5,05,900.68
गैर निधि आधारित जिसमें आकस्मिक क्रेडिट, संविदाएं और व्युत्पन्न शामिल हैं	47,126.64	0.00
कुल	6,44,363.71	5,05,900.68

सारणी डीएफ–6
प्रतिभूतिकरण : मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटीकरण

गुणवत्ता प्रकटीकरण	:	बैंक ने कोई प्रतिभूतिकरण क्रियाकलाप नहीं किया है।
मात्रात्मक प्रकटीकरण	:	शून्य

सारणी डीएफ –7
व्यापार बही (ट्रेडिंग बुक) में बाज़ार जोखिम

बाज़ार जोखिम :

बाजार के परिवर्ती तथ्यों में परिवर्तन के कारण होनेवाली हानि की संभावना बाजार जोखिम है। अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) की परिभाषा के अनुसार बाजार जोखिम ''वह जोखिम है जिससे ईक्विटी और ब्याज दर बाजारों, मुद्रा विनिमय दरों और पण्यों के मूल्यों में उतार–चढ़ाव के कारण ''ऑन'' और ''ऑफ'' तुलन पत्र की स्थिति प्रतिकूल ढंग से प्रभावित हो जाती है। ''अतः ब्याज दरों का बाजार स्तर या प्रतिभूतियों के मूल्य, विदेशी विनिमय और ईक्विटी में परिवर्तन तथा साथ ही इन परिवर्तनों की अस्थिरता के कारण बैंक की पूंजी और अर्जन को होनेवाला जोखिम, बाज़ार जोखिम होता है। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य है, व्यापारिक इकाइयों को बाजार जोखिम एक्सपोजर के संबंध में विश्लेषकों से चालित निविष्टियां प्रदान करना, जोखिम एक्सपोज़र की तुलना में संविभाग निष्पादन और तुलनीय बेंचमार्क देने के जरिये जोखिम समायोजित प्रतिफल की दर को अधिक से अधिक करने में उनको सहायता प्रदान करना। बाजार जोखिम के अंतर्गत निम्नलिखित जोखिमों का प्रबंधन किया जाता है :

- ब्याज दर जोखिम
- विनिमय दर जोखिम
- ईक्विटी कीमत जोखिम

पण्यों के मूल्यों में परिवर्तन एवं उतार चढ़ाव से भी बाजार जोखिम हो सकती है, यद्यपि बैंक के पण्य सम्बन्धी बाजारों में कोई निवेश नहीं है।

बैंक के बाजार जोखिम प्रबंधन (एमआरएम) का फ्रेमवर्क निम्नानुसार है:

ए) जोखिम की पहचान:– बाजार जोखिम का पता लगाने, मूल्यांकन एवं प्रबंधन करने के लिए एक तंत्र बनाया गया है ताकि प्रत्येक कारोबार क्रियाकलाप में जोखिम पहचान व मान्यता के विभिन्न पहलुओं पर स्पष्टता मिल सके।

बी) जोखिम मापन और परिसीमाएं:– बैंक इस बात को स्पष्टतया मानता है कि बाजार जोखिम के सभी पहलुओं को कोई एक जोखिम – सांख्यिकी प्रतिबिंबित नहीं कर सकती। अतः बाजार जोखिम में जोखिम मापन की सुदृढता को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न सांख्यिकीय एवं गैर–सांख्यिकीय जोखिम उपायों का प्रयोग किया जाता है। बाजार जोखिम का प्रबंधन, विभिन्न मापने के साधनों, यथा, जोखिम पर रहे मूल्य

(वीएआर), जोखिम पर रहे अर्जन, आशोधित अवधि, पीवी 01 सीमाएं, निवल ओवरनाइट खुली स्थिति सीमाएं (एनओओपीएल), वैयक्तिक गैप सीमा (आईजीएल तथा संकलित गैप सीमा (एजीएल) के जरिए मुद्रा–वार और सूक्ष्मग्रहिता विश्लेषण के जरिये भी किया जाता है। अतितीव्र, परन्तु मुमकिन आघातों की परिस्थितियों में बैंक की असुरक्षा की स्थिति को मानिटर करने के लिए नियमित आधार पर तनाव परीक्षण भी किया जाता है।

सी) जोखिम मानिटरिंगः– ट्रेडिंग बही के लिए विभिन्न आंतरिक और विनियामक जोखिम सीमाओं के प्रयोग से, जोकि आर्थिक परिदृष्य, व्यापार रणनीति, प्रबंधन का अनुभव और बैंक की जोखिम ग्राह्यता पर आधारित हैं, बैंक अपने जाखिम को मानिटर एवं नियंत्रित करता है। रेट स्कैन, यह सुनिष्चित करने के लिए किया जाता है कि लेनदेनों का निष्पादन एवं पूनर्मूल्यन, मौजूदा बाजार दरों पर हो ।

डी) जोखिम रिपोर्टिंग : मिड–ऑफिस द्वारा ट्रेज़री परिचालनों को मानीटर किया जाता है और मुख्य जोखिम अधिकारी को दैनिक आधार पर रिपोर्ट और साप्ताहिक सार रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। बाजार जोखिम के कारण उत्पन्न पूंजी प्रभार को परिकलित कर, उसकी रिपोर्ट मासिक आधार पर आल्को को और तिमाही आधार पर बोर्ड को प्रस्तुत की जाती है। तनाव परीक्षण नीति में निर्धारित धारणाओं का अनुपालन करते हुए बाजार जोखिम के निर्धारण के लिए तनाव परीक्षण किया जाता है और तिमाही आधार पर आलको को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।

बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यापक बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, निवेश नीति, तनाव परीक्षण और व्युत्पन्न नीति द्वारा बाजार जोखिम प्रबंधन अनुशासित है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि बाजार जोखिम से युक्त विभिन्न कार्यकलापों में फैला हुआ जोखिम, बैंक की जोखिम ग्राह्यता के अन्दर ही है। उद्योग में व्याप्त उत्तम व्यवहार और भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमनों से सारी नीतियां बेंचमार्क की गई हैं। बैंक के जाखिम रिपोर्टिंग तंत्र में प्रकटीकरण और विभिन्न शीर्ष स्तर की समितियों को रिपोर्ट करना शामिल है।

मात्रात्मक प्रकटीकरणः

निम्न हेतु पूंजी आवश्यकताएं (स्टैंडअलोन सार्वभौमिक / समेकित) :

(₹ मिलियन में)

विवरण	स्टैंडअलोन	समेकित
ब्याज दर जोखिम	11,942.07	11,942.07
विदेशी विनिमय जोखिम	129.38	129.38
ईक्विटी स्थिति जोखिम	4,613.51	4,770.35
कुल	**16,684.96**	**16,841.80**

सारणी डीएफ – 8
परिचालनात्मक जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

परिचालनगत जोखिम को यों परिभाषित किया गया है कि अपर्याप्त या असफल आतंरिक प्रक्रिया, व्यक्ति और प्रणाली या बाह्य घटनाओं से होनेवाली हानि के कारण बननेवाली जोखिम। इस परिभाषा में विधिक जोखिम शामिल है परन्तु रणनीतिक तथा प्रतिष्ठा जोखिम शामिल नहीं है।

वर्तमान में उद्योग के प्रतिभागियों, विनियामकों और अन्य स्टेक धारकों के बीच परिचालनगत जोखिम तीव्र अभिरुचि का विषय रहा है। बैंक ने प्रभावोत्पादक अभिशासन, जोखिम कैप्चर और परिचालनगत जोखिम एक्सपोज़र की मात्रा को नापने के लिए परिचालनगत जोखिम प्रबंधन ढांचा (ओआरएमएफ) और परिचालनगत जोखिम प्रबंधन तंत्र (ओआरएमएस) निर्धारित किया है। उपयुक्त गुणात्मक एवं मात्रात्मक तरीकों का प्रयोग तथा दैनंदिन की प्रबंध प्रक्रियाओं में सुस्थापित आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों का प्रयोग तथा दैनंदिन की प्रबंध प्रक्रियाओं में सुस्थापित आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों का प्रयोग और विभिन्न जोखिम शमन नीतियों को अपनाने से परिचालनगत जोखिम का सुगम प्रबंधन किया जाता है। विभिन्न उत्पादों / प्रक्रियाओं में निहित जोखिम बोध का समीक्षात्मक विश्लेषण किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

बैंक ने अपने परिचालनगत जोखिम एक्सपोज़र को कैप्चर करने, मॉनिटर करने, मापने और प्रबंध करने के लिए परिष्कृत वेब–आधारित परिचालनगत जोखिम प्रणाली कार्यान्वित की है। बैंक ने 10 वर्ष से अधिक अवधि के लिए आंतरिक हानि डाटा बेस निर्मित किया है।

परिचालनगत हानि के लिए पूंजी प्रभार, मूल सूचक दृष्टिकोण के अनुसार किया गया।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

पूंजी प्रभार के परिकलन के लिए नई पूंजी पर्याप्तता ढांचे पर दिशानिर्देश में परिभाषित रूप से पिछले तीन वर्षों की औसत सकल आय को लिया गया है। आवश्यक पूंजी रुपए 38747.88 मिलियन (समेकित) है।

सारणी डीएफ – 9

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

गुणात्मक प्रकटीकरण

आईआरआरबीबी इसे सूचित करता है जोकि ब्याज दरों में होनेवाले परिवर्तन से बैंक की बैंकिंग बही में संभाव्य वित्तीय असर को दर्शाता है।

ब्याज दर जोखिम को दो दृष्टिकोण के जरिए मापकर मानिटर किया जाता है:

i) जोखिम पर अर्जन (पारंपरिक गैप विश्लेषण)

इस दृष्टिकोण के अधीन बैंक के निवल ब्याज आय पर होनेवाली ब्याज दरों में परिवर्तन के तत्काल असर को विश्लेषण किया जाता है।

ii) ईक्विटी का आर्थिक मूल्य (अवधि गैप दृष्टिकोण)

आस्ति तथा देयताओं की आशोधित अवधि, ईक्विटी की आशोधित अवधि को अंतिम रूप से परिकलन करने के लिए पृथक तौर पर अभिकलन किया जाता है। इस दृष्टिकोण में प्रतिलाभ में होनेवाले निश्चित परिवर्तन के लिए प्रतिलाभ वक्र समानंतर महत्व मानकर इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव का आकलन करता है। **ईक्विटी के आर्थिक मूल्य पर असर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 200 बीपीएस शाक के अनुसार किया जाता है।** आशोधित अवधि के परिकलन में बाजार से जुडे प्रतिफल का प्रयोग किया जाता है ।

बाज़ार ब्याज दरों में होनेवाले परिवर्तन से बैंक की बही पुस्तक में अर्जन तथा आर्थिक मूल्य में असर पड़ेगा। अतः इस प्रकार जटिलता तथा तुलन पत्र के उत्पाद की सीमा के कारण दोनों अर्जन तथा आर्थिक मूल्य में ब्याज दर के परिणाम को मूल्यांकित करने के लिए आई आर आर माप प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए अनुपालन किए जानेवाले तकनीक चालु तूलन पत्र से परे स्थिति के आधार पर साधारण परिपक्वता (स्थिर दर) तथा पुनर्मूल्यांकन (फ्लोटिंग दर) गैप तथा अवधि गैप के प्रयोग से लेकर और उच्च स्तर तकनीक का प्रयोग किया जाता है जिसमें आस्ति देयताओं तथा तुलन पत्र से परे मदों पर अनुमानों को शामिल किया जाता है और ये बेसिस जोखिम, अन्तर्निहित विकल्प जोखिम, प्रतिलाश वक्र जोखिम इत्यादि के एक्सपोज़र की पूर्ण सीमा तक कैप्चर कर सकता है।

बैंकिंग बही बुक (आईआरआरबीबी) में बैंक ब्याज दर जोखिम का विश्लेषण, वैश्विक स्थिति के लिए किया जाता है। इसे मासिक आधार पर विश्लेषण नोट आलको को प्रस्तुत किया जाता है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

ब्याज आधार पर रेट शाक्स हेतु, अर्जन और आर्थिक मूल्य पर प्रभाव नीचे दिए गए हैं।

i) एक वर्ष की समय परिधि के लिए ब्याज दर में 25 बीपीएस की वृद्धि हेतु अर्जन पर जोखिम रुपए (–) 3078.33 मिलियन हैं।

ii) इक्विटी के बाज़ार मूल्य में 200 बीपीएस के परिवर्तन से बैंकिंग बुक के ब्याज दर पर असर रुपए 72905.14 मिलियन (आईआरआरबीबी) हैं ।

डीएफ 10 : प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम से संबन्धित एक्सपोज़रों के लिए सामान्य प्रकटीकरण

प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम वह है जो लेनदेन की नकद प्रवाह के अंतिम निपटान के पहले व्युत्पन्न लेनदेन के प्रतिपक्षकार द्वारा की जानेवाली चूक है । बैंक ब्युत्पन्नों को मिलाकर दोनों निधि और गैर निधि आधारित सुविधाओं हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियत एक्सपोज़र के मानदण्डों के अनुसार सीमायें निर्धारित करता है। सीमायें पूँजी निधियों के प्रतिशत के रूप में निर्धारित की जाती हैं और नियमित आधार पर निगरानी की जाती है । कार्पोरेटों के लिए व्युत्पन्नों का मूल्यांकन किया जाता है तथा नियमित मूल्यांकन के एक अंश के रूप में नियमित ऋण सीमा के साथ मंजूरी की जाती है ।के अपने प्रतिपक्ष ऋण एक्सपोज़र हेतु आर्थिक पूंजी को निर्धारित नहीं करता है।

प्रतिपक्षी के साथ किये गये सभी व्युत्पन्न लेन–देन बैंक की बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्युत्पन्न पॉलिसी के माध्यम से मूल्यांकित किये जाते हैं।

व्युत्पन्न एक्सपोज़र की वर्तमान एक्सपोज़र पद्धति (सीईएम) का प्रयोग करते हुए गणना की जाती है और 31.03.2022 को बकाया शेष निम्नांकित है।

(₹ मिलियन में)

व्युत्पन्न	आनुमानिक सिद्धांत	वर्तमान ऋण एक्सपोजर (सकारात्मक एमटीएम)	वर्तमान ऋण
वायदा संविदाएं	30,61,977.11	9,421.52	65,287.98
ब्याज दर अदला बदली	0.00	0.00	0.00

	डी एफ–11: पूंजी की संरचना		(रु. मिलियन में)
			संदर्भ संख्या। (डीएफ–12 के संबंध में, चरण 2)
	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी : लिखत और आरक्षित निधियां		
1.	सीधे जारी की गई अर्हता प्राप्त सामान्य शेयर पूंजी और संबंधित स्टॉक अधिशेष (शेयर प्रीमियम)	36,369.86	ए1+ बी 1
2.	प्रतिधारित आय	9,027.31	बी 6
3.	संचित अन्य व्यापक आय तथा (अन्य आरक्षितियाँ)	3,54,617.29	बी 2+बी 3+बी 4+ बी 5+ बी 7+बी 8(i)+बी 10(i)+ बी11
4.	सीईटी 1 से धीरे–धीरे समाप्त होने के अधीन सीधे जारी की गई पूंजी (केवल गैर–संयुक्त स्टॉक कंपनियों के लिए लागू)	0.00	
	सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी डालने को 1 जनवरी 2018 तक पुराने नियम के अनुसार मान्य करना	0.00	
5.	सहायक इकाइयों द्वारा जारी की गई और तीसरे पक्ष (सीईटी 1 समूह में अनुमत राशि) द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी	0.00	
6.	**विनियामक समायोजनों से पहले सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी**	4,00,014.46	
सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन			
7.	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	0.00	
8.	गुडविल (सम्बंधित कर देयता का निवल)	0.00	
9.	मॉर्टगेज–सर्विसिंग अधिकार के अलावा अमूर्त आस्तियां (सम्बंधित कर देयता का निवल)	0.00	
10.	आस्थिगत कर संपत्ति	0.00	
11.	नकदी–प्रवाह बचाव रिजर्व	0.00	
12.	अपेक्षित हानि के लिए प्रावधानों की कमी	0.00	
13.	विक्रय पर प्रतिभूतिकरण लाभ	0.00	
14.	उचित मूल्य देयताओं पर निजी ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण लाभ और हानि	0.00	
15.	परिभाषित–लाभ पेंशन कोष निवल संपत्ति	0.00	
16.	निजी शेयर में निवेश (रिपोर्ट किए गए तुलनपत्र में यदि पहले से ही प्रदत्त पूंजी का समायोजन न किया गया हो)	0.00	
17.	सामान्य इक्विटी में परस्पर क्रॉस–होल्डिंग	1,302.84	
18.	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं, जो विनियामक समेकन पात्र शॉर्ट पोजिशन निवल के दायरे से बाहर हैं, की पूंजी में निवेश, जहां बैंक की जारी शेयर पूंजी 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है (10 प्रतिशत की प्रारंभिक सीमा से अधिक की राशि)	0.00	
19.	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं, जो विनियामक समेकन पात्र शॉर्ट पोजिशन निवल के दायरे से बाहर हैं, के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश, जहां बैंक की जारी शेयर पूंजी 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है (10 प्रतिशत की प्रारंभिक सीमा से अधिक की राशि)	1,050.00	
20.	मोर्टगेज सर्विसिंग अधिकार (10 प्रतिशत की प्रारंभिक सीमा से अधिक की राशि)	0.00	
21.	अस्थायी भिन्नता से उत्पन्न आस्थिगत कर आस्ति (10 प्रतिशत की प्रारंभिक सीमा से अधिक की राशि, सम्बंधित कर देयता का निवल)	0.00	
22.	15 प्रतिशत की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि	0.00	
23.	जिनमें से : वित्तीय संस्थाओं के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश	0.00	
24.	जिनमें से : मॉर्टगेज सर्विसिंग अधिकार	0.00	
25.	जिनमें से : अस्थायी भिन्नता से उत्पन्न होने वाली आस्थिगत कर आस्तियां	0.00	
26.	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (26क + 26ख + 26ग + 26घ)	0.00	

	डी एफ–11: पूंजी की संरचना		(रु. मिलियन में)
			संदर्भ संख्या। (डीएफ–12 के संबंध में, चरण 2)
26क	जिसमें से : असमेकित बीमा अनुषंगियों की ईक्विटी पूंजी में निवेश	0.00	
26ख	जिसमें से : असमेकित गैर–वित्तीय अनुषंगियों की ईक्विटी पूंजी में निवेश	0.00	
26ग	जिसमें से : बैंक के साथ असमेकित प्रमुख निजी वित्तीय संस्थाओं की ईक्विटी पूंजी में कमी	0.00	
26घ	जिसमें से : अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय	0.00	
	बेसल III पूर्व पद्धति के ट्रीटमेंट के अधीन राशि के सम्बंध में सामान्य ईक्विटी टियर 1 पर लागू विनियामक समायोजन	0.00	
	जिनमें से : अन्य वित्तीय कंपनियों में कुल इक्विटी निवेश	0.00	
27.	अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 1 और टियर 2 कटौती को कवर करने के लिए सामान्य ईक्विटी टियर 1 पर लागू विनियामक समायोजन	0.00	
28.	**सामान्य ईक्विटी टियर 1 में कुल विनियामक समायोजन**	2,352.84	
29.	**सामान्य ईक्विटी टियर 1 में पूंजी (सीईटी 1)**	**3,97,661.62**	
अतिरिक्त टियर 1 पूंजी : लिखत			
30.	सीधे जारी किए गए पात्र अतिरिक्त टियर 1 लिखत और सम्बंधित स्टॉक अधिशेष (31 + 32)	20,000.00	
31.	जिसमें से :लागू लेखांकन मानकों के अंतर्गत देयता के रूप में वर्गीकृत (सतत गैर–संचयी अधिमानी शेयर)	0.00	
32.	जिसमें से : लागू लेखांकन मानकों के अंतर्गत देयता के रूप में वर्गीकृत (सतत ऋण लिखत)	20,000.00	डी 8
33.	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी से चरणबद्ध रूप से बाहर (फेज आउट) होने के अधीन सीधे जारी किए गए पूंजी लिखत	0.00	
34.	अनुषंगियों द्वारा जारी तथा तीसरे पक्ष द्वारा (एटी 1 समूह में अनुमत राशि तक) धारित अतिरिक्त टियर 1 लिखत (और 5वीं पंक्ति में शामिल नहीं किए गए सीईटी 1 लिखत)	0.00	
35.	जिसमें से : चरणबद्ध रूप से बाहर (फेज आउट) होने के अधीन अनुषंगियों द्वारा जारी किए गए लिखत	0.00	
36.	विनियामक समायोजन करने से पूर्व अतिरिक्त टियर पूंजी 1	20,000.00	
	अतिरिक्त टियर पूंजी 1 : विनियामक समायोजन		
37.	निजी अतिरिक्त टियर 1 लिखत में निवेश	0.00	
38.	अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में पारस्परिक क्रॉस–होल्डिंग्स	200.00	
39.	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं, जो विनियामक समेकन पात्र शॉर्ट पोजिशन निवल के दायरे से बाहर हैं, की पूंजी में निवेश, जहां बैंक की जारी शेयर पूंजी 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है (10 प्रतिशत की प्रारंभिक सीमा से अधिक की राशि)	0.00	
40.	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, की पूंजी में महत्वपूर्ण निवेश, (पात्र शॉर्ट पोजिशन का निवल)	0.00	
41.	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (41 क + 41 ख)	0.00	
41क	गैर–समेकित बीमा अनुषंगियों की अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में निवेश	0.00	
41ख	बहुमत के स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं जिनको बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है, की अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में कमी ।	0.00	
	बेसल III पूर्व पद्धति के ट्रीटमेंट के अधीन राशियों के सम्बंध में अतिरिक्त टियर 1 पर लागू किए गए विनियामक समायोजन	0.00	
	जिसमें से : एटीआई से फेस आउट किये गये	0.00	
	जिसमें से : विद्यमान समायोजन, जिनकी टियर 1 में से 50 प्रतिशत पर कटौती की गई है	0.00	
	जिसमें से : डीटीए	0.00	
42.	अपर्याप्त टियर 2 के कारण कटौती को कवर करने के लिए अतिरिक्त टियर 1 पर लागू विनियामक समायोजन	0.00	

	डी एफ–11: पूंजी की संरचना		(रु. मिलियन में)
			संदर्भ संख्या। (डीएफ–12 के संबंध में, चरण 2)
43.	**अतिरिक्त टियर 1 में कुल विनियामक समायोजन**	**2,00.00**	
44.	**अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी 1)**	**19,800.00**	
44क	**पूंजी पर्याप्तता की गणना में प्रयुक्त अतिरिक्त टियर 1 पूंजी**	**19,800.00**	
45.	**टियर 1 पूंजी (टी 1 = सीईटी 1 + एटी 1) (29 + 44 क)**	**4,17,461.62**	
	टियर 2 पूंजी : लिखत एवं प्रावधान		
46.	सीधे जारी किए गए पात्र टियर 2 लिखत और सम्बंधित स्टॉक अधिशेष	61,000.00	डी 7
47.	टियर 2 से चरणबद्ध रूप से बाहर (फेज आउट) होने के अधीन सीधे जारी किए गए पूंजी लिखत	0.00	डी 5 + डी 6
48.	अनुषंगियों द्वारा जारी किए गए एवं तृतीय पक्षों द्वारा धारित (राशि समूह टियर 2 में अनुमत) टियर 2 लिखत (तथा पंक्तियों 5 और 34 में शामिल नहीं किये गये सीईटी 1 और एटी 1 लिखत)	0.00	
49.	जिनमें से : चरणबद्ध रूप से बाहर (फेज आउट) होने के अधीन सहायक कंपनियों द्वारा जारी किए गए लिखत	0.00	
50.	प्रावधान (आईएफआर सहित)	42,960.59	पात्र प्रावधान + बी 9
51.	**विनियामक समायोजनों से पूर्व टियर 2 पूंजी**	**1,03,960.59**	
	टियर 2 पूंजी : विनियामक समायोजन		
52.	निजी टियर 2 लिखत में निवेश	0.000.00	
53.	टियर 2 लिखतों में पारस्परिक क्रॉस–होल्डिंग्स	0.00	
54.	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं, जो विनियामक समेकन पात्र शॉर्ट पोजिशन निवल के दायरे से बाहर हैं, की पूंजी में निवेश, जहां बैंक की जारी शेयर पूंजी 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है (10 प्रतिशत की प्रारंभिक सीमा से अधिक की राशि)	0.00	
55.	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, की पूंजी में महत्वपूर्ण निवेश, (पात्र शॉर्ट पोजिशन का निवल)	0.00	
56.	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (56 क + 56 ख)	0.00	
56क	जिसमें से : गैर–समेकित अनुषंगियों की टियर 2 पूंजी में निवेश	0.00	
56ख	जिसमें से : बहुमत के स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं जिनको बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया, की टियर 2 पूंजी में कमी	0.00	
	बेसल III पूर्व पद्धति के ट्रीटमेंट के अधीन राशि के सम्बंध में टियर 2 पर लागू विनियामक समायोजन	0.00	
	जिसमें से : टियर 2 बॉण्ड से हटाए गए	0.00	
57.	**टियर 2 पूंजी में कुल विनियामक समायोजन**	**0.00**	
58.	**टियर 2 पूंजी (टी – 2)**	**1,03,960.59**	
58क	**पूंजी पर्याप्तता की गणना में प्रयुक्त टियर 2 पूंजी**	**1,03,960.59**	
58ख	**टियर 2 पूंजी के रूप में मान्य एक्सेस अतिरिक्त टियर 1 पूंजी**	**0.00**	
58ग	**पूंजी पर्याप्तता के लिए स्वीकार्य कुल टियर 2 पूंजी (58क +58ख)**	**1,03,960.59**	
59.	**कुल पूंजी (टीसी = टी1+टी2) (45+58ग)**	**5,21,422.21**	
60.	**कुल जोखिम भारित आस्तियां (60क+60ख+60ग)**	**30,94,715.75**	
60क	जिसमें से : कुल ऋण जोखिम भारित आस्तियां	26,11,327.23	
60ख	जिसमें से : कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियां	1,46,450.43	
60ग	जिसमें से : कुल परिचालनगत जोखिम भारित आस्तियां	3,36,938.10	
	पूंजी अनुपात		
61.	सामान्य ईक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	12.84%	

	डी एफ–11: पूंजी की संरचना		(रु. मिलियन में)
			संदर्भ संख्या। (डीएफ–12 के संबंध में, चरण 2)
62.	टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	13.48%	
63.	कुल पूंजी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	16.84%	
64.	संस्था विशिष्ट बफर आवश्यकता (न्यूनतम सीईटी 1 आवश्यकता व पूंजी संरक्षण और प्रतिचक्रीय बफर आवश्यकताएं, जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त)	8.00%	
65.	जिसमें से: पूंजी संरक्षण बफर आवश्यकता	2.50%	
66.	जिसमें से: बैंक विशिष्ट प्रतिचक्रीय बफ़र आवश्यकता	0.00%	
67.	जिसमें से जी–एसआईबी बफ़र आवश्यकता	0.00%	
68.	बफर्स को पूरा करने के लिए उपलब्ध सामान्य ईक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	7.34%	
69	राष्ट्रीय सामान्य ईक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III न्यूनतम से अलग है)	8.00%	
70	राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III के न्यूनतम से अलग है) सीसीबी सहित	9.50%	
71	कुल राष्ट्रीय पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III के न्यूनतम से अलग है)	11.50%	
	सीमा से कम मात्रा में कटौती के लिए राशियाँ (जोखिम भार से पहले)		
72	अन्य वित्तीय संस्थाओं की पूंजी में गैर महत्वपूर्ण निवेश	0.00	
73	वित्तीय संस्थाओं के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश	273.79	
74	बंधक सर्विसिंग अधिकार (संबंधित कर देयता का निवल)	0.00	
75	अस्थायी अन्तर से उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर आस्तियां (संबंधित कर देयता का निवल)	48,589.05	
	टियर 2 में प्रावधानों को शामिल किए जाने पर लागू कैप्स		
76	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन प्रदत्त ऋणों के संबंध में टियर 2 में शामिल किए जाने के लिए पात्र प्रावधान (कैप को लागू करने के पहले)	48,321.20	ई 1
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत टियर 2 में प्रावधानों के समावेश (ऋण जोखिम आरडबल्यूए के 1.25%) पर कैप	32,641.59	
78	आंतरिक मूल्यांकन आधारित दृष्टिकोण के अधीन जोखिम के संबंध में टियर 2 में शामिल किए जाने के लिए पात्र प्रावधान (कैप को लागू करने के पहले)	लागू नहीं	
79	आंतरिक मूल्यांकन आधारित दृष्टिकोण के तहत टियर 2 में प्रावधानों को शामिल किए जाने के लिए कैप	लागू नहीं	
	फेस–आउट व्यवस्था के अधीन पूंजी लिखतें		
80	फेस–आउट व्यवस्था के तहत सीईटी 1 लिखतों पर वर्तमान कैप	0.00	
81	कैप की वजह से के सीईटी 1 से अपवर्जित राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद कैप पर अतिरिक्त)	0.00	
82	फेस–आउट व्यवस्था के तहत एटी 1 लिखतों पर वर्तमान कैप	0.00	
83	कैप के कारण एटी 1 से अपवर्जित राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद कैप पर अतिरिक्त)	0.00	
84	फेस–आउट व्यवस्था के तहत टी 2 लिखतों पर वर्तमान कैप	0.00	
85	कैप की वजह से टी 2 से अपवर्जित राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद कैप पर अतिरिक्त)	00.00	

टेम्पलेट के लिए नोट		
टेम्पलेट की पंक्ति संख्या	विवरण	(₹ मिलियन में)
10	संचित हानियों के साथ जुड़ी हुई आस्थगित कर आस्तियाँ	0.00
	आस्थगित कर आस्तियाँ (उनको छोड़ कर जो संचित हानियों से जुड़ी हुई हैं) आस्थगित कर देयताओं का निवल	3,88,025.00
	पंक्ति 10 में वर्णित के अनुसार कुल योग	0.00
19	अगर अनुषंगियों में निवेश पूंजी से पूर्णतः नहीं काटा जाता है और उसके एवज में कटौती हेतु 10 प्रतिशत न्यूनतम सीमा के अंतर्गत लिहाज में लिया जाता है, तो परिणाम स्वरूप बैंक की पूंजी में वृद्धि	0.00
	जिसमें सेः सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी में वृद्धि	0.00
	जिसमें सेः अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में वृद्धि	0.00
	जिसमें सेः टियर 2 पूंजी में वृद्धि	0.00
26 बी	गैर समेकित गैर वित्तीय अनुषंगियों की ईक्विटी पूंजी में निवेश नहीं काटा जाता है और परिणामतः जोखिम भारित किया जाता है, तो	0.00
	(1) सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी में वृद्धि	0.00
	(2) जोखिम भारित आस्तियों में वृद्धि	0.00
44 ए	अन्य अतिरिक्त टियर 1 पूंजी, जिसका परिकलन पूंजी पर्याप्तता के लिए नहीं किया गया है (पंक्ति 44 में रिपोर्टित अतिरिक्त टियर 1 पूंजी और पंक्ति 44ए में रिपोर्टित अतिरिक्त अनुमेय टियर 1 पूंजी कें बीच का अंतर)	0.00
	जिसमें सेः अतिरिक्त अन्य टियर 1 पूंजी जिसे पंक्ति 58बी के तहत अब टियर 2 पूंजी माना गया है	0.00
50	टियर 2 पूंजी में शामिल पात्र प्रावधान (आईएफआर सहित)	42,960.59
	टियर 2 पूंजी में शामिल पात्र पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षितियां	0.00
	पंक्ति 50 का कुल योग	42,960.59

	डीएफ 12 : पूंजी की संरचना . मिलान आवश्यकताएं – चरण 1		(₹ मिलियन में)
		वित्तीय विवरणों के अनुसार (समेकित) तुलन पत्र	समेकन के विनियामक दायरे के तहत तुलन पत्र
		31.03.2022 को	31.03.2022 को
ए	**पूंजी और देयताएं**		
i	प्रदत्त पूंजी	12,454.41	12,454.41
	आरक्षितियां एवं अधिशेष	4,37,064.88	4,34,896.54
	कुल पूंजी	**4,49,519.29**	**4,47,350.95**
	अल्पसंख्यक के हित	**249.82**	**249.82**
ii	जमाराशियां	59,35,708.75	59,35,753.69
	जिसमें से: बैंकों से जमा	61,934.68	61,934.68
	जिसमें से: ग्राहकों की जमा राशि	58,73,774.08	58,73,819.02
	जिसमें से: अन्य जमा (कृपया दर्शाएँ)	0.00	0.00
iii	**उधार राशियां**	**1,71,528.50**	**1,71,528.50**
	भारतीय रिजर्व बैंक से	0.00	0.00
	बैंकों से	70.66	70.66
	भारत के बाहर से उधार	18,592.47	18,592.47
	अन्य संस्थाओं एवं अभिकरणों से	1,52,865.37	1,52,865.37
	जिसमें से: पूंजी लिखतें	81,000.00	81,000.00
iv	**अन्य देयताएँ एवं प्रावधान**	**1,83,957.80**	**1,72,393.14**
	कुल देयताएँ	**67,40,964.17**	**67,27,276.11**
बी	**आस्तियां**		
i	भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी और शेष	2,40,544.63	2,40,544.11
	बैंकों में शेष और मांग और अल्पावधि पर प्रतिदेय धनराशि	5,59,137.58	5,58,935.76
ii	**निवेश :**	**17,65,016.11**	**17,55,395.59**
	जिसमें से: सरकारी प्रतिभूतियों में	14,25,565.92	14,20,890.07
	जिसमें से: अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	72.47	0.00
	जिसमें से: शेयरों में	12,151.33	12,002.06
	जिसमें से: ऋणपत्र और बांड में	3,07,397.21	3,04,423.52
	जिसमें से: अनुषंगी / संयुक्त उपक्रम / सहयोगियों में	10,118.52	11,168.58
	जिसमें से: अन्य (वाणिज्यिक पत्रों, म्यूचुअल फंडों आदि) में	9,710.66	6,911.37
iii	**ऋण और अग्रिम**	**38,91,860.63**	**38,91,860.63**
	जिसमें से: बैंकों को ऋण और अग्रिम	1,11,056.35	1,11,056.35
	जिसमें से: ग्राहकों को ऋण और अग्रिम	37,80,804.29	37,80,804.29
iv	**अचल आस्तियाँ**	**76,989.11**	**76,914.95**
v	**अन्य आस्तियां**	**2,07,416.11**	**2,03,625.07**
	जिसमें से: गुडविल और अमूर्त आस्तियां	0.00	0.00
	जिसमें से: आस्थगित कर आस्तियाँ	38,856.87	38,802.50
vi	समेकन पर गुडविल	0.00	0.00
vii	लाभ और हानि खाते में नामे शेष	0.00	0.00
	कुल आस्तियां	**67,40,964.17**	**67,27,276.11**

डीएफ – 12 पूंजी की संरचना – मिलान आवश्यकताएं –चरण 2			(₹ मिलियन में)
	वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र (समेकित)	समेकन के विनियामक दायरें के अंतर्गत तुलनपत्र	संदर्भ संख्या
	31.03.2022 को	**31.03.2022 को**	
प्रदत्त पूँजी	**12,454.41**	**12,454.41**	**ए**
जिनमें से : सीईटी 1 के लिए पात्र राशि	12,454.41	12,454.41	ए1
आरक्षित निधि तथा अधिशेष (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	**4,37,064.88**	**4,34,896.54**	**बी**
जिनमें से			
1. शेयर प्रिमियम	23,915.44	23,915.44	बी 1
2.सांविधिक आरक्षितियां	96,359.65	96,359.65	बी 2
3.आरक्षित पूंजी	11,106.94	10,628.89	बी 3
4.विशेष आरक्षितियां	23,479.02	23,479.02	बी 4
जिनमें से कर का निवल विशेष आरक्षितियां	582.00	582.00	बी 4 (i)
5.राजस्व आरक्षितियां	1,53,132.62	1,53,132.62	बी 5
6.लाभ एवं हानि खाता	10,717.61	9,027.31	बी 6
7.समामेलन आरक्षित	40,069.16	40,069.16	बी 7
8.पुनर्मूल्यन आरक्षित	62,110.23	62,110.23	बी 8
पुनर्मूल्यन आरक्षित (सीईटी 1 पूंजी के अंश पर 55% छूट)	27,949.60	27,949.60	बी 8(i)
9.आरक्षित निवेश	10,319.00	10,319.00	बी 9
10. फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिज़र्व (एफसीटीआर)	3,972.38	3,972.38	बी 10
जिनमें से पूंजी निधि के लिए (25% की छूट) लिया गया	2,979.28	2,979.28	बी 10 (i)
11. आईआरएस आरक्षित	19.06	19.06	बी 11
12. निवेश आरक्षित	1,863.78	1,863.78	
12. अल्प संख्यक के हित	**249.82**	**249.82**	**बी 12**
जिनमें से पूंजी निधि के लिए लिया गया	0.00	0.00	बी 12(i)
कुल पूंजी	**4,49,769.12**	**4,47,600.77**	
जमा राशियां	**59,35,708.75**	**59,35,753.69**	**सी**
जिनमें से : बैंकों की जमा राशियां	61,934.68	61,934.68	सी(i)
जिनमें से : ग्राहक जमाएं	58,73,774.08	58,73,819.02	सी(ii)
जिनमें से : अन्य जमाएं	0.00	0.00	सी(iii)
उधार	**1,71,528.50**	**1,71,528.50**	**डी**
भारतीय रिज़र्व बैंक से	0.00	0.00	डी1
बैंकों से	70.66	70.66	डी2
भारत के बाहर से उधार	18,592.47	18,592.47	डी3
अन्य संस्थाओं और एजेंसियों से	1,52,865.37	1,52,865.37	डी4
जिनमें से : पूंजी लिखत	81,000.00	81,000.00	डी4 (i)
अपर टियर II लिखत (गैर बेसल III अनुपालक)	0.00	0.00	डी5
लोवर टियर II लिखत (गैर बेसल III अनुपालक)	0.00	0.00	डी6
टियर II लिखत (बेसल III अनुपालक)	61,000.00	61,000.00	डी7
एटी1 के लिए अर्ह स्थायी ऋण लिखत	20,000.00	20,000.00	डी 8
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	**1,83,957.80**	**1,72,393.14**	**ई**
सामान्य प्रावधान	48,321.20	48,321.20	ई 1
कुल	**67,40,964.17**	**67,27,276.11**	

डीएफ – 12 पूंजी की संरचना – मिलान आवश्यकताएं–चरण 2			(₹ मिलियन में)
	वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र (समेकित)	समेकन के विनियामक दायरें के अंतर्गत तुलनपत्र	संदर्भ संख्या
	31.03.2022 को	**31.03.2022 को**	
आस्तियां			
भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ नकद एवं शेष	**2,40,544.63**	**2,40,544.11**	
बैंकों के पास शेष और मांग अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	**5,59,137.58**	**5,58,935.76**	
निवेश	**17,65,016.11**	**17,55,395.59**	
जिनमें से : सरकारी प्रतिभूतियां	14,25,565.92	14,20,890.07	
जिनमें से : अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	72.47	0.00	
जिनमें से : शेयर	12,151.33	12,002.06	
जिनमें से : डिबेंचर एवं बांड	3,07,397.21	3,04,423.52	
जिनमें से : अनुषंगी / संयुक्त उद्यम / सहयोगी संस्थाएं	10,118.52	11,168.58	
जिनमें से : अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युचुअल फंड इत्यादि)	9,710.66	6,911.37	
ऋण एवं अग्रिम	**38,91,860.63**	**38,91,860.63**	
जिनमें से : बैंकों को ऋण और अग्रिम	1,11,056.35	1,11,056.35	
जिनमें से : ग्राहकों को ऋण और अग्रिम	37,80,804.29	37,80,804.29	
अचल आस्तियां	**76,989.11**	**76,914.95**	
अन्य आस्तियां	**2,07,416.11**	**2,03,625.07**	
जिनमें से : गुडविल और अमूर्त आस्तियां	0.00	0.00	
जिनमें से			
गुडविल	0	0	
अन्य अमूर्त तत्व	0	0	
आस्थगित कर देयताएं (निवल)	38,856.87	38,802.50	
समेकन पर गुडविल	0.00	0.00	
लाभ तथा हानि खाते में नामे शेष	0.00	0.00	
कुल आस्तियां	**67,40,964.17**	**67,27,276.11**	

बेसल III सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट का उद्धरण – तालिका डीएफ़ – 11 चरण 3
सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी: लिखत और आरक्षित

		बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई नियामक पूंजी का घटक	चरण 2 से समेकन के नियामक दायरे के तहत तुलन प्त्र के संदर्भ संख्या/पत्रों के आधार पर स्रोत
1	सीधे जारी अर्हक सामान्य शेयर (और गैर–संयुक्त स्टॉक कंपनियों के लिए समतुल्य) पूंजी और संबंधित स्टॉक अधिशेष	36369.86	ए1 + बी 1
2	प्रतिधारित उपार्जन	9027.31	बी 6
3	संचित अन्य व्यापक आय (और अन्य आरक्षित)	354617.29	बी2 +बी3 +बी4 +बी5 +बी7 +बी8(i) +बी10(i)
4	सीईटी 1 से चरणबद्ध रूप से सीधे जारी पूंजी (केवल गैर–संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर लागू)	0.00	
5	सहायक कंपनियों द्वारा जारी और तृतीय पक्ष द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी (समूह सीईटी 1 में अनुमत राशि)	0.00	
6	नियामक समायोजन से पहले सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी	400014.46	
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	0.00	
8	गुडविल(संबंधित कर देयता का निवल)	0.00	

सारणी डीएफ – 13 विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएँ
विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताओं हेतु प्रकटीकरण टेम्प्लेट

1	जारीकर्ता	इंडियन बैंक
2	विशिष्ट पहचानकर्ता (उदा : सीयूएसआईपी, आईएसआईएन अथवा निजी स्थानन के लिए ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई562ए01011
3	लिखतों का नियंत्रण करनेवाले नियम	लागू भारतीय कानून और विनियामक आवश्यकताएं पर
	विनियामक ट्रीट्मेंट	
4	संक्रमणकालिक बेसल III नियम	सामान्य ईक्विटी टियर 1
5	उत्तर संक्रमणकालिक बेसल III नियम	पात्र
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल पर पात्र	समूह एवं एकल
7	लिखत प्रकार	कामन शेयर
8	विनियामक पूंजी में शामिल की गई राशि (रुपए मिलियन में)	12454.41
9	लिखत का सममूल्य	लागू नहीं
10	लेखांकन वर्गीकरण	षेयर धारक का ईक्विटी
11	जारी करने की मूल तिथि	भिन्न तिथि
12	सतत अथवा दिनांकित	बेमियादी
13	मूल परिपक्वता तिथि	लागू नहीं
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता काल	लागू नहीं
15	वैकल्पिक कॉल दिनांक, आकस्मिक कॉल दिनांक एवं मोचन राशि (रुपए मिलियन में)	लागू नहीं
16	अनुवर्ती काल दिनांक यदि लागू हो	लागू नहीं
	कूपन/ लाभांश	लाभांश
17	स्थिर अथवा अस्थिर लाभांश / कूपन	लाभांश
18	कूपन दर अथवा कोई अन्य संबंधित सूचकांक	लागू नहीं
19	लाभांश रोधक का अस्तित्व	लागू नहीं
20	पूर्ण विवेकाधिकार, अर्ध विवेकाधिकार अथवा अनिवार्य	पूर्ण विवेकाधीन
21	भुनाने के लिए स्टेप अप अथवा अन्य प्रोत्साहन राशि का अस्तित्व	नहीं
22	गैर संचयी अथवा संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय अथवा अपरिवर्तनीय	लागू नहीं
24	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो, पूर्णतः अथवा अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो, अनिवार्य अथवा वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनीय लिखत के प्रकार को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनीय लिखत जारीकर्ता को विनिर्दिष्ट करें।	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	नहीं
31	यदि अवलिखित है तो, उसके ट्रिगर	लागू नहीं
32	यदि अवलिखित है तो, पूर्णतः अथवा अंशतः	लागू नहीं
33	यदि अवलिखित है तो, स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी अवलेखन है तो, राइट– अप प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनता स्थान में पदक्रम (लिखत के निकटतम वरिष्ठ लिखत प्रकार उल्लेख करें)	लागू नहीं
36	गैर कार्यान्वित संक्रमण विशेषताएं	नहीं
37	यदि हाँ, गैर कार्यान्वित विशेषताओं को विनिर्दिष्ट करना	लागू नहीं

सारणी डीएफ – 13 विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएँ
विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताओं हेतु प्रकटीकरण टेम्प्लेट

1	जारीकर्ता	इंडियन बैंक
2	विशिष्ट पहचानकर्ता (उदा : सीयूएसआईपी, आईएसआईएन अथवा निजी स्थानन के लिए ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई562ए08057
3	लिखतों का नियंत्रण करनेवाले नियम	भारतीय कानून
	विनियामक ट्रीट्मेंट	
4	संक्रमणकालिक बेसल III नियम	अतिरिक्त टियर 1 बाण्ड
5	उत्तर संक्रमणकालिक बेसल III नियम	अतिरिक्त टियर 1 बाण्ड
6	एकल / समूह / समूह एवं एकल पर पात्र	एकल एवं समूह
7	लिखत प्रकार	बेसल III अनुपालक अतिरिक्त टियर 1 (एटी 1) बेमियादी बाण्ड
8	विनियामक पूंजी में शामिल की गई राशि (रुपए मिलियन में)	10480
9	लिखत का सममूल्य (रुपए मिलियन में)	10480
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधार
11	जारी करने की मूल तिथि	18 / 12 / 2020
12	सतत अथवा दिनांकित	बेमियादी
13	मूल परिपक्वता तिथि	बेमियादी
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता काल	हाँ
15	वैकल्पिक कॉल दिनांक, आकस्मिक कॉल दिनांक एवं मोचन राशि (रुपए मिलियन में)	वैकल्पिक कालॅ दिनांकः 08 / 12 / 2025 मोचन राशिः सममूल्य पर
16	अनुवर्ती काल दिनांक यदि लागू हो	पहली कॉल देय तिथि के बाद कोई भी कूपन भुगतान तिथि
	कूपन / लाभांश	कूपन
17	स्थिर अथवा अस्थिर लाभांश / कूपन	स्थायी
18	कूपन दर अथवा कोई अन्य संबंधित सूचकांक	8.44 प्रतिशत प्रतिवर्ष
19	लाभांश रोधक का अस्तित्व	हाँ
20	पूर्ण विवेकाधिकार, अर्ध विवेकाधिकार अथवा अनिवार्य	अर्ध विवेकाधीन
21	भुनाने के लिए स्टेप अप अथवा अन्य प्रोत्साहन राशि का अस्तित्व	नहीं
22	गैर संचयी अथवा संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय अथवा अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो, पूर्णतः अथवा अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो, अनिवार्य अथवा वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनीय लिखत के प्रकार को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनीय लिखत जारीकर्ता को विनिर्दिष्ट करें।	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	हाँ
31	यदि अवलिखित है तो, उसके ट्रिगर	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए अनुसार गैर–व्यवहार्यता के बिंदु पर (पीओएनवी)
32	यदि अवलिखित है ता, पूर्णतः अथवा अंशतः	भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकाधीन पूर्णतः या अंशतः
33	यदि अवलिखित है तो, स्थायी या अस्थायी	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पीओएनवी नामक ट्रिगर घटना के घटित होने पर स्थायी बट्टे खाते के अधीन
34	यदि अस्थायी अवलेखन है तो, राइट– अप प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनता स्थान में पदक्रम (लिखत के निकटतम वरिष्ठ लिखत प्रकार उल्लेख करें)	बॉण्ड धारकों के दावे होंगेः (i) जारीकर्ता के इक्विटी शेयरों और शाश्वत गैर–संचयी अधिमान शेयरों, यदि कोई हो, में निवेशकों के दावों से बेहतर (ii) सभी जमाकर्ताओं और सामान्य लेनदारों के दावों के अधीन और अतिरिक्त टियर 1 पूंजी के रूप में अर्हक अधीनस्थ ऋण के अलावा जारीकर्ता के अधीनस्थ ऋण के अधीन (iii) आपस में गैर– अधिमान समगति और अतिरिक्त टियर 1 पूंजी के रूप में वर्गीकृत अन्य अधीनस्थ ऋण (iv) जारीकर्ता की या संबंधित इकाई की या अन्य व्यवस्था की गारंटी द्वारा न तो सुरक्षित और न ही कवर किया गया जो कानूनी या आर्थिक रूप से बैंक लेनदारों के संबंध में दावे की वरिष्ठता को बढ़ाती है।
36	गैर कार्यान्वित संक्रमण विशेषताएं	लागू नहीं
37	यदि हाँ, गैर कार्यान्वित विशेषताओं को विनिर्दिष्ट करना	लागू नहीं

सारणी डीएफ – 13 विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएँ
विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताओं हेतु प्रकटीकरण टेम्प्लेट

1	जारीकर्ता	इंडियन बैंक
2	विशिष्ट पहचानकर्ता (उदा : सीयूएसआईपी, आईएसआईएन अथवा निजी स्थानन के लिए ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई562ए08065
3	लिखतों का नियंत्रण करनेवाले नियम	भारतीय कानून
	विनियामक ट्रीट्मेंट	
4	संक्रमणकालिक बेसल III नियम	अतिरिक्त टियर 1 बाण्ड
5	उत्तर संक्रमणकालिक बेसल III नियम	अतिरिक्त टियर 1 बाण्ड
6	एकल / समूह / समूह एवं एकल पर पात्र	एकल एवं समूह
7	लिखत प्रकार	बेसल III अनुपालक अतिरिक्त टियर 1 (एटी 1) बेमियादी बाण्ड
8	विनियामक पूंजी में शामिल की गई राशि (रुपए मिलियन में)	5600
9	लिखत का सममूल्य (रुपए मिलियन में)	5600
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधार
11	जारी करने की मूल तिथि	14 / 12 / 2020
12	सतत अथवा दिनांकित	बेमियादी
13	मूल परिपक्वता तिथि	बेमियादी
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता काल	हाँ
15	वैकल्पिक कालॅ दिनांक, आकस्मिक कॉल दिनांक एवं मोचन राशि (रुपए मिलियन में)	वैकल्पिक कॉल दिनांकः 14 / 12 / 2025 मोचन राशिः सममूल्य पर
16	अनुवर्ती काल दिनांक यदि लागू हो	पहली कॉल देय तिथि के बाद कोई भी कूपन भुगतान तिथि
	कूपन / लाभांश	कूपन
17	स्थिर अथवा अस्थिर लाभांश / कूपन	स्थायी
18	कूपन दर अथवा कोई अन्य संबंधित सूचकांक	8.44 प्रतिशत प्रतिवर्ष
19	लाभांश रोधक का अस्तित्व	हाँ
20	पूर्ण विवेकाधिकार, अर्ध विवेकाधिकार अथवा अनिवार्य	अर्ध विवेकाधीन
21	भुनाने के लिए स्टेप अप अथवा अन्य प्रोत्साहन राशि का अस्तित्व	नहीं
22	गैर संचयी अथवा संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय अथवा अपरिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो, पूर्णतः अथवा अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो, अनिवार्य अथवा वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनीय लिखत के प्रकार को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनीय लिखत जारीकर्ता को विनिर्दिष्ट करें।	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	हां
31	यदि अवलिखित है तो, उसके ट्रिगर	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए अनुसार गैर–व्यवहार्यता के बिंदु पर (पीओएनवी)
32	यदि अवलिखित है तो, पूर्णतः अथवा अंशतः	भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकाधीन पूर्णतः या अंशतः
33	यदि अवलिखित है तो, स्थायी या अस्थायी	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पीओएनवी नामक ट्रिगर घटना के घटित होने पर स्थायी बट्टे खाते के अधीन
34	यदि अस्थायी अवलेखन है तो, राइट– अप प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनता स्थान में पदक्रम (लिखत के निकटतम वरिष्ठ लिखत प्रकार उल्लेख करें)	बॉण्डधारकों के दावे होंगे: (i) जारीकर्ता के इक्विटी शेयरों और शाश्वत गैर–संचयी अधिमान शेयरों, यदि कोई हो, में निवेशकों के दावों से ऊपर (ii) सभी जमाकर्ताओं और सामान्य लेनदारों के दावों के अधीन और जारीकर्ता के अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (जैसा कि बेसल ण्ण् दिशानिर्देशों में परिभाषित किया गया है) के रूप में अर्हता प्राप्त अधीनस्थ ऋण के अलावा जारीकर्ता का अधीनस्थ ऋण (iii) आपस में गैर– अधिमान समगति और अन्य अधीनस्थ ऋण बेसल III दिशानिर्देशों के अनुसार अतिरिक्त टियर 1 पूंजी के रूप में वर्गीकृत (iv) न तो बैंक या संबंधित इकाई या अन्य व्यवस्था की गारंटी, जो कानूनी या आर्थिक रूप से बैंक के लेनदारों की तुलना में दावे की वरिष्ठता को बढ़ाती हो, द्वारा सुरक्षित और कवर किया गया है।
36	गैर कार्यान्वित संक्रमण विशेषताएं	लागू नहीं
37	यदि हाँ, गैर कार्यान्वित विशेषताओं को विनिर्दिष्ट करना	लागू नहीं

सारणी डीएफ – 13 विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएँ
विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताओं हेतु प्रकटीकरण टेम्प्लेट

1	जारीकर्ता	इंडियन बैंक
2	विशिष्ट पहचानकर्ता (उदा : सीयूएसआईपी, आईएसआईएन अथवा निजी स्थानन के लिए ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई562ए08073
3	लिखतों का नियंत्रण करनेवाले नियम	भारतीय कानून
	विनियामक ट्रीट्मेंट	
4	संक्रमणकालिक बेसल III नियम	अतिरिक्त टियर 1 बाण्ड
5	उत्तर संक्रमणकालिक बेसल III नियम	अतिरिक्त टियर 1 बाण्ड
6	एकल / समूह / समूह एवं एकल पर पात्र	एकल एवं समूह
7	लिखत प्रकार	बेसल III अनुपालक अतिरिक्त टियर 1 (एटी 1) बेमियादी बाण्ड
8	विनियामक पूंजी में शामिल की गई राशि (रुपए मिलियन में)	3920
9	लिखत का सममूल्य (रुपए मिलियन में)	3920
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधार
11	जारी करने की मूल तिथि	30 / 12 / 2020
12	सतत अथवा दिनांकित	बेमियादी
13	मूल परिपक्वता तिथि	बेमियादी
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता काल	हाँ
15	वैकल्पिक कालॅ दिनांक, आकस्मिक कॉल दिनांक एवं मोचन राशि (रुपए मिलियन में)	वैकल्पिक कॉल दिनांकः 30 / 12 / 2025 मोचन राशिः सममूल्य पर
16	अनुवर्ती काल दिनांक यदि लागू हो	पहली कॉल देय तिथि के बाद कोई भी कूपन भुगतान तिथि
	कूपन / लाभांश	कूपन
17	स्थिर अथवा अस्थिर लाभांश / कूपन	स्थायी
18	कूपन दर अथवा कोई अन्य संबंधित सूचकांक	8.44 प्रतिशत प्रतिवर्ष
19	लाभांश रोधक का अस्तित्व	हाँ
20	पूर्ण विवेकाधिकार, अर्ध विवेकाधिकार अथवा अनिवार्य	अर्ध विवेकाधीन
21	भुनाने के लिए स्टेप अप अथवा अन्य प्रोत्साहन राशि का अस्तित्व	नहीं
22	गैर संचयी अथवा संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय अथवा अपरिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो, पूर्णतः अथवा अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो, अनिवार्य अथवा वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनीय लिखत के प्रकार को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनीय लिखत जारीकर्ता को विनिर्दिष्ट करें।	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	हां
31	यदि अवलिखित है तो, उसके ट्रिगर	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए अनुसार गैर–व्यवहार्यता के बिंदु पर (पीओएनवी)
32	यदि अवलिखित है तो, पूर्णतः अथवा अंशतः	भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकाधीन पूर्णतः या अंशतः
33	यदि अवलिखित है तो, स्थायी या अस्थायी	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पीओएनवी नामक ट्रिगर घटना के घटित होने पर स्थायी बट्टे खाते के अधीन
34	यदि अस्थायी अवलेखन है तो, राइट– अप प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनता स्थान में पदक्रम (लिखत के निकटतम वरिष्ठ लिखत प्रकार उल्लेख करें)	बॉण्डधारकों के दावे होंगे: (i) जारीकर्ता के इक्विटी शेयरों और शाश्वत गैर–संचयी अधिमान शेयरों, यदि कोई हो, में निवेशकों के दावों से ऊपर (ii) सभी जमाकर्ताओं और सामान्य लेनदारों के दावों के अधीन और जारीकर्ता के अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (जैसा कि बेसल ण्ण् दिशानिर्देशों में परिभाषित किया गया है) के रूप में अर्हता प्राप्त अधीनस्थ ऋण के अलावा जारीकर्ता का अधीनस्थ ऋण (iii) आपस में गैर– अधिमान समगति और अन्य अधीनस्थ ऋण बेसल III दिशानिर्देशों के अनुसार अतिरिक्त टियर 1 पूंजी के रूप में वर्गीकृत (iv) न तो बैंक या संबंधित इकाई या अन्य व्यवस्था की गारंटी, जो कानूनी या आर्थिक रूप से बैंक के लेनदारों की तुलना में दावे की वरिष्ठता को बढ़ाती हो, द्वारा सुरक्षित और कवर किया गया है।
36	गैर कार्यान्वित संक्रमण विशेषताएं	लागू नहीं
37	यदि हाँ, गैर कार्यान्वित विशेषताओं को विनिर्दिष्ट करना	लागू नहीं

सारणी डीएफ – 13 विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएँ
विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताओं हेतु प्रकटीकरण टेम्प्लेट

1	जारीकर्ता	इंडियन बैंक
2	विशिष्ट पहचानकर्ता (उदा.सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी स्थानन के लिए ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई562ए08024
3	लिखतों को नियंत्रण करने वाले नियम	भारतीय कानून
	विनियामक ट्रीटमेंट	
4	संक्रमणकालीन बेसल III नियम	टीयर–2 बॉन्ड
5	उत्तर–संक्रमणकालीन बेसल III के नियम	टीयर–2 बॉन्ड
6	एकल / समूह / समूह और एकल स्तर पर पात्र	एकल एवं समूह
7	लिखत का प्रकार	बेसल III कार्यान्वित टियर II बॉन्ड
8	विनियामक पूंजी में शामिल की गई राशि (रुपए मिलियन में)	2900
9	लिखत का सम मूल्य (रुपए मिलियन में)	2900
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधार
11	जारी करने की मूल तिथि	30 / 10 / 2018
12	सतत अथवा दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता तारीख	30 / 10 / 2028
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता कॉल	हाँ
15	वैकल्पिक कॉल दिनांक, आकस्मिक कॉल दिनांक और मोचन राशि (रुपये मिलियन में)	वैकल्पिक कॉल दिनांक : 30 / 10 / 2023 मोचन राशि : सममूल्य पर
16	अनुवर्ती कॉल दिनांक, यदि लागू हो	पहली कॉल देय तिथि के बाद कोई भी कूपन भुगतान तिथि
	कूपन / लाभांश	कूपन
17	स्थिर अथवा अस्थिर लाभांश / कूपन	स्थायी
18	कूपन दर और कोई अन्य संबंधित सूचकांक	8.90 प्रतिशत प्रतिवर्ष
19	लाभांश रोधक का अस्तित्व	नहीं
20	पूर्ण विवेकाधिकार, अर्धविवेकाधिकार अथवा अनिवार्य	पूर्ण विवेकाधिकार
21	भुनाने के लिए स्टेप अप अथवा अन्य प्रोत्साहन राशि का अस्तित्व	नहीं
22	गैर संचयी अथवा संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय अथवा अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो, पूर्णतः अथवा अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो, अनिवार्य अथवा वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनीय लिखत के प्रकार को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनीय लिखत के जारीकर्ता को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएँ	हाँ
31	यदि अवलिखित है तो, अवलेखन ट्रिगर	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए अनुसार गैर–व्यवहार्यता के बिंदु पर (पीओएनवी)
32	यदि अवलिखित है तो, पूर्णतः अथवा अंशतः	भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकाधीन पूर्णतः या अंशतः
33	यदि अवलिखित है तो, स्थायी या अस्थायी	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पीओएनवी नामक ट्रिगर घटना के घटित होने पर स्थायी बट्टे खाते के अधीन
34	यदि अस्थायी अवलेखन है तो, राइट– अप प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनता स्थान में पदक्रम (लिखत के निकटतम वरिष्ठ लिखत प्रकार उल्लेख करें)	बॉण्डधारकों के दावे होंगे: (i) बैंक की टियर 1 पूंजी में शामिल किए जाने के लिए पात्र लिखतों में निवेशकों के दावों से वरिष्ठ; (ii) बैंक के सभी जमाकर्ताओं और सामान्य लेनदारों के दावों के अधीनस्थ (iii) न तो बैंक या संबंधित इकाई या अन्य व्यवस्था की गारंटी, जो कानूनी या आर्थिक रूप से बैंक के लेनदारों की तुलना में दावे की वरिष्ठता को बढ़ाती हो, द्वारा सुरक्षित और कवर किया गया है। (iv) जब तक बैंक द्वारा बांड / डिबेंचर जारी करने की शर्तें निर्दिष्ट नहीं की जाती हैं कि ऐसे बाद के बांड धारकों के दावे वरिष्ठ हैं या इस सूचना ज्ञापन के तहत जारी बांडों के अधीनस्थ या जब तक कि आरबीआई अपने दिशानिर्देशों में अन्यथा निर्दिष्ट नहीं करता है, बांड धारकों के दावे ऐसे बाद के डिबेंचर / बांड जारी करने वाले धारकों के दावों के समान रहेंगे; और बैंक द्वारा जारी अन्य टियर 2 लिखतों के धारकों के साथ समान रैंकिंग पर होगा।
36	गैर कार्यान्वित संक्रमण विशेषताएं	लागू नहीं
37	यदि हाँ, गैर कार्यान्वित विशेषताओं को विनिर्दिष्ट करना	लागू नहीं

सारणी डीएफ – 13 विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएँ
विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताओं हेतु प्रकटीकरण टेम्प्लेट

1	जारीकर्ता	इंडियन बैंक
2	विशिष्ट पहचानकर्ता (उदा.सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी स्थानन के लिए ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई562ए08032
3	लिखतों को नियंत्रण करने वाले नियम	भारतीय कानून
	विनियामक ट्रीटमेंट	
4	संक्रमणकालीन बेसल III नियम	टीयर–2 बॉन्ड
5	उत्तर–संक्रमणकालीन बेसल III के नियम	टीयर–2 बॉन्ड
6	एकल / समूह / समूह और एकल स्तर पर पात्र	एकल एवं समूह
7	लिखत का प्रकार	बेसल III कार्यान्वित टियर II बॉन्ड
8	विनियामक पूंजी में शामिल की गई राशि (रुपए मिलियन में)	1100
9	लिखत का सम मूल्य (रुपए मिलियन में)	1100
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधार
11	जारी करने की मूल तिथि	06 / 11 / 2018
12	सतत अथवा दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता तारीख	06 / 11 / 2028
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता कॉल	हाँ
15	वैकल्पिक कॉल दिनांक, आकस्मिक कॉल दिनांक और मोचन राशि (रुपये मिलियन में)	प्रथम वैकल्पिक कॉल दिनांकः 06 / 11 / 2023 मोचन राशिः सममूल्य पर
16	अनुवर्ती कॉल दिनांक, यदि लागू हो	पहली कॉल देय तिथि के बाद कोई भी कूपन भुगतान तिथि
	कूपन / लाभांश	कूपन
17	स्थिर अथवा अस्थिर लाभांश / कूपन	स्थायी
18	कूपन दर और कोई अन्य संबंधित सूचकांक	8.85 प्रतिशत प्रति वर्ष
19	लाभांश रोधक का अस्तित्व	नहीं
20	पूर्ण विवेकाधिकार, अर्धविवेकाधिकार अथवा अनिवार्य	पूर्ण विवेकाधिकार
21	भुनाने के लिए स्टेप अप अथवा अन्य प्रोत्साहन राशि का अस्तित्व	नहीं
22	गैर संचयी अथवा संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय अथवा अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो, पूर्णतः अथवा अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो, अनिवार्य अथवा वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनीय लिखत के प्रकार को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनीय लिखत के जारीकर्ता को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएँ	हाँ
31	यदि अवलिखित है तो, अवलेखन ट्रिगर	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए अनुसार गैर–व्यवहार्यता के बिंदु पर (पीओएनवी)
32	यदि अवलिखित है तो, पूर्णतः अथवा अंशतः	भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकाधीन पूर्णतः या अंशतः
33	यदि अवलिखित है तो, स्थायी या अस्थायी	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पीओएनवी नामक ट्रिगर के घटित होने पर स्थायी बट्टे खाते के अधीन
34	यदि अस्थायी अवलेखन है तो, राइट– अप प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनता स्थान में पदक्रम (लिखत के निकटतम वरिष्ठ लिखत प्रकार उल्लेख करें)	बॉण्डधारकों के दावे होंगे: (i) बैंक की टियर 1 पूंजी में शामिल किए जाने के लिए पात्र लिखतों में निवेशकों के दावों से वरिष्ठ; (ii) बैंक के सभी जमाकर्ताओं और सामान्य लेनदारों के दावों के अधीनस्थ (iii) न तो बैंक या संबंधित इकाई या अन्य व्यवस्था की गारंटी, जो कानूनी या आर्थिक रूप से बैंक के लेनदारों की तुलना में दावे की वरिष्ठता को बढ़ाती हो, द्वारा सुरक्षित और कवर किया गया है। (iv) जब तक बैंक द्वारा बांड / डिबेंचर जारी करने की शर्तें निर्दिष्ट नहीं की जाती हैं कि ऐसे बाद के बांड धारकों के दावे वरिष्ठ हैं या इस सूचना ज्ञापन के तहत जारी बांडों के अधीनस्थ या जब तक कि आरबीआई अपने दिशानिर्देशों में अन्यथा निर्दिष्ट नहीं करता है, बांड धारकों के दावे ऐसे बाद के डिबेंचर / बांड जारी करने वाले धारकों के दावों के समान रहेंगे; और बैंक द्वारा जारी अन्य टियर 2 लिखतों के धारकों के साथ समान रैंकिंग पर होगा।
36	गैर कार्यान्वित संक्रमण विशेषताएं	लागू नहीं
37	यदि हाँ, गैर कार्यान्वित विशेषताओं को विनिर्दिष्ट करना	लागू नहीं

सारणी डीएफ – 13 विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएँ
विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताओं हेतु प्रकटीकरण टेम्प्लेट

1	जारीकर्ता	इंडियन बैंक
2	विशिष्ट पहचानकर्ता (उदा.सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी स्थानन के लिए ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई562ए08040
3	लिखतों को नियंत्रण करने वाले नियम	भारतीय कानून
	विनियामक ट्रीटमेंट	
4	संक्रमणकालीन बेसल III नियम	टीयर–2 बॉन्ड
5	उत्तर–संक्रमणकालीन बेसल III के नियम	टीयर–2 बॉन्ड
6	एकल / समूह / समूह और एकल स्तर पर पात्र	एकल एवं समूह
7	लिखत का प्रकार	बेसल III कार्यान्वित टियर II बॉन्ड
8	विनियामक पूंजी में शामिल की गई राशि (रुपए मिलियन में)	6000
9	लिखत का सम मूल्य (रुपए मिलियन में)	6000
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधार
11	जारी करने की मूल तिथि	22/01/2019
12	सतत अथवा दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता तारीख	22/01/2029
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता कॉल	हाँ
15	वैकल्पिक कॉल दिनांक, आकस्मिक कॉल दिनांक और मोचन राशि (रुपये मिलियन में)	वैकल्पिक कॉल दिनांकः 22/01/2024 मोचन राशिः सममूल्य पर
16	अनुवर्ती कॉल दिनांक, यदि लागू हो	पहली कॉल देय तिथि के बाद कोई भी कूपन भुगतान तिथि
	कूपन/लाभांश	कूपन
17	स्थिर अथवा अस्थिर लाभांश / कूपन	स्थायी
18	कूपन दर और कोई अन्य संबंधित सूचकांक	8.53 प्रतिशत प्रति वर्ष
19	लाभांश रोधक का अस्तित्व	नहीं
20	पूर्ण विवेकाधिकार, अर्धविवेकाधिकार अथवा अनिवार्य	पूर्ण विवेकाधिकार
21	भुनाने के लिए स्टेप अप अथवा अन्य प्रोत्साहन राशि का अस्तित्व	नहीं
22	गैर संचयी अथवा संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय अथवा अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो, पूर्णतः अथवा अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो, अनिवार्य अथवा वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनीय लिखत के प्रकार को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनीय लिखत के जारीकर्ता को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएँ	हाँ
31	यदि अवलिखित है तो, अवलेखन ट्रिगर	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए अनुसार गैर–व्यवहार्यता के बिंदु पर (पीओएनवी)
32	यदि अवलिखित है तो, पूर्णतः अथवा अंशतः	भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकाधीन पूर्णतः या अंशतः
33	यदि अवलिखित है तो, स्थायी या अस्थायी	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पीओएनवी नामक ट्रिगर के घटित होने पर स्थायी बट्टे खाते के अधीन
34	यदि अस्थायी अवलेखन है तो, राइट– अप प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनता स्थान में पदक्रम (लिखत के निकटतम वरिष्ठ लिखत प्रकार उल्लेख करें)	बॉण्डधारकों के दावे होंगे: (i) बैंक की टियर 1 पूंजी में शामिल किए जाने के लिए पात्र लिखतों में निवेशकों के दावों से वरिष्ठ; (ii) बैंक के सभी जमाकर्ताओं और सामान्य लेनदारों के दावों के अधीनस्थ (iii) न तो बैंक या संबंधित इकाई या अन्य व्यवस्था की गारंटी, जो कानूनी या आर्थिक रूप से बैंक के लेनदारों की तुलना में दावे की वरिष्ठता को बढ़ाती हो, द्वारा सुरक्षित और कवर किया गया है। (iv) जब तक बैंक द्वारा बांड/डिबेंचर जारी करने की शर्तें निर्दिष्ट नहीं की जाती हैं कि ऐसे बाद के बांड धारकों के दावे वरिष्ठ हैं या इस सूचना ज्ञापन के तहत जारी बांडों के अधीनस्थ या जब तक कि आरबीआई अपने दिशानिर्देशों में अन्यथा निर्दिष्ट नहीं करता है, बांड धारकों के दावे ऐसे बाद के डिबेंचर / बांड जारी करने वाले धारकों के दावों के समान रहेंगे; और बैंक द्वारा जारी अन्य टियर 2 लिखतों के धारकों के साथ समान रैंकिंग पर होगा।
36	गैर कार्यान्वित संक्रमण विशेषताएं	लागू नहीं
37	यदि हाँ, गैर कार्यान्वित विशेषताओं को विनिर्दिष्ट करना	लागू नहीं

सारणी डीएफ – 13 विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएँ
विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताओं हेतु प्रकटीकरण टेम्प्लेट

1	जारीकर्ता	इंडियन बैंक
2	विशिष्ट पहचानकर्ता (उदा.सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी स्थानन के लिए ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई428ए08028
3	लिखतों को नियंत्रण करने वाले नियम	भारतीय कानून
	विनियामक ट्रीटमेंट	
4	संक्रमणकालीन बेसल III नियम	टीयर–2 बॉन्ड
5	उत्तर–संक्रमणकालीन बेसल III के नियम	टीयर–2 बॉन्ड
6	एकल / समूह / समूह और एकल स्तर पर पात्र	एकल एवं समूह
7	लिखत का प्रकार	बेसल III कार्यान्वित टियर II बॉन्ड
8	विनियामक पूंजी में शामिल की गई राशि (रुपए मिलियन में)	5000
9	लिखत का सम मूल्य (रुपए मिलियन में)	5000
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधार
11	जारी करने की मूल तिथि	20/01/2015
12	सतत अथवा दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता तारीख	20/01/2025
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता कॉल	उपलब्ध नहीं
15	वैकल्पिक कॉल दिनांक, आकस्मिक कॉल दिनांक और मोचन राशि (रुपये मिलियन में)	लागू नहीं
16	अनुवर्ती कॉल दिनांक, यदि लागू हो	लागू नहीं
	कूपन/लाभांश	कूपन
17	स्थिर अथवा अस्थिर लाभांश / कूपन	स्थायी
18	कूपन दर और कोई अन्य संबंधित सूचकांक	8.78 प्रतिशत प्रति वर्ष
19	लाभांश रोधक का अस्तित्व	नहीं
20	पूर्ण विवेकाधिकार, अर्धविवेकाधिकार अथवा अनिवार्य	पूर्ण विवेकाधिकार
21	भुनाने के लिए स्टेप अप अथवा अन्य प्रोत्साहन राशि का अस्तित्व	नहीं
22	गैर संचयी अथवा संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय अथवा अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो, पूर्णतः अथवा अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो, अनिवार्य अथवा वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनीय लिखत के प्रकार को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनीय लिखत के जारीकर्ता को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएँ	हाँ
31	यदि अवलिखित है तो, अवलेखन ट्रिगर	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए अनुसार गैर–व्यवहार्यता के बिंदु पर (पीओएनवी)
32	यदि अवलिखित है तो, पूर्णतः अथवा अंशतः	भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकाधीन पूर्णतः या अंशतः
33	यदि अवलिखित है तो, स्थायी या अस्थायी	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पीओएनवी नामक ट्रिगर के घटित होने पर स्थायी बट्टे खाते के अधीन
34	यदि अस्थायी अवलेखन है तो, राइट– अप प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनता स्थान में पदक्रम (लिखत के निकटतम वरिष्ठ लिखत प्रकार उल्लेख करें)	बॉण्डधारकों के दावे होंगे: (i) बैंक की टियर 1 पूंजी में शामिल किए जाने के लिए पात्र लिखतों में निवेशकों के दावों से वरिष्ठ; (ii) बैंक के सभी जमाकर्ताओं और सामान्य लेनदारों के दावों के अधीनस्थ (iii) न तो बैंक या संबंधित इकाई या अन्य व्यवस्था की गारंटी, जो कानूनी या आर्थिक रूप से बैंक के लेनदारों की तुलना में दावे की वरिष्ठता को बढ़ाती हो, द्वारा सुरक्षित और कवर किया गया है।
36	गैर कार्यान्वित संक्रमण विशेषताएं	लागू नहीं
37	यदि हाँ, गैर कार्यान्वित विशेषताओं को विनिर्दिष्ट करना	लागू नहीं

सारणी डीएफ – 13 विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएँ
विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताओं हेतु प्रकटीकरण टेम्प्लेट

1	जारीकर्ता	इंडियन बैंक
2	विशिष्ट पहचानकर्ता (उदा.सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी स्थानन के लिए ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई428ए08044
3	लिखतों को नियंत्रण करने वाले नियम	भारतीय कानून
	विनियामक ट्रीटमेंट	
4	संक्रमणकालीन बेसल III नियम	टीयर–2 बॉन्ड
5	उत्तर–संक्रमणकालीन बेसल III के नियम	टीयर–2 बॉन्ड
6	एकल / समूह / समूह और एकल स्तर पर पात्र	एकल एवं समूह
7	लिखत का प्रकार	बेसल III कार्यान्वित टियर II बॉन्ड
8	विनियामक पूंजी में शामिल की गई राशि (रुपए मिलियन में)	10000
9	लिखत का सम मूल्य (रुपए मिलियन में)	10000
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधार
11	जारी करने की मूल तिथि	21 / 12 / 2015
12	सतत अथवा दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता तारीख	20 / 12 / 2025
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता कॉल	उपलब्ध नहीं
15	वैकल्पिक कॉल दिनांक, आकस्मिक कॉल दिनांक और मोचन राशि (रुपये मिलियन में)	लागू नहीं
16	अनुवर्ती कॉल दिनांक, यदि लागू हो	लागू नहीं
	कूपन / लाभांश	कूपन
17	स्थिर अथवा अस्थिर लाभांश / कूपन	स्थायी
18	कूपन दर और कोई अन्य संबंधित सूचकांक	8.64 प्रतिशत प्रति वर्ष
19	लाभांश रोधक का अस्तित्व	नहीं
20	पूर्ण विवेकाधिकार, अर्धविवेकाधिकार अथवा अनिवार्य	पूर्ण विवेकाधिकार
21	भुनाने के लिए स्टेप अप अथवा अन्य प्रोत्साहन राशि का अस्तित्व	नहीं
22	गैर संचयी अथवा संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय अथवा अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो, पूर्णतः अथवा अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो, अनिवार्य अथवा वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनीय लिखत के प्रकार को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनीय लिखत के जारीकर्ता को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएँ	हाँ
31	यदि अवलिखित है तो, अवलेखन ट्रिगर	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए अनुसार गैर–व्यवहार्यता के बिंदु पर (पीओएनवी)
32	यदि अवलिखित है तो, पूर्णतः अथवा अंशतः	भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकाधीन पूर्णतः या अंशतः
33	यदि अवलिखित है तो, स्थायी या अस्थायी	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पीओएनवी नामक ट्रिगर के घटित होने पर स्थायी बट्टे खाते के अधीन
34	यदि अस्थायी अवलेखन है तो, राइट– अप प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनता स्थान में पदक्रम (लिखत के निकटतम वरिष्ठ लिखत प्रकार उल्लेख करें)	बॉण्डधारकों के दावे होंगे: (i) बैंक की टियर 1 पूंजी में शामिल किए जाने के लिए पात्र लिखतों में निवेशकों के दावों से वरिष्ठ; (ii) बैंक के सभी जमाकर्ताओं और सामान्य लेनदारों के दावों के अधीनस्थ (iii) न तो बैंक या संबंधित इकाई या अन्य व्यवस्था की गारंटी, जो कानूनी या आर्थिक रूप से बैंक के लेनदारों की तुलना में दावे की वरिष्ठता को बढ़ाती हो, द्वारा सुरक्षित और कवर किया गया है।
36	गैर कार्यान्वित संक्रमण विशेषताएं	लागू नहीं
37	यदि हाँ, गैर कार्यान्वित विशेषताओं को विनिर्दिष्ट करना	लागू नहीं

सारणी डीएफ – 13 विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएँ
विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताओं हेतु प्रकटीकरण टेम्प्लेट

1	जारीकर्ता	इंडियन बैंक
2	विशिष्ट पहचानकर्ता (उदा.सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी स्थानन के लिए ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई428ए08051
3	लिखतों को नियंत्रण करने वाले नियम	भारतीय कानून
	विनियामक ट्रीटमेंट	
4	संक्रमणकालीन बेसल III नियम	टीयर–2 बॉन्ड
5	उत्तर–संक्रमणकालीन बेसल III के नियम	टीयर–2 बॉन्ड
6	एकल / समूह / समूह और एकल स्तर पर पात्र	एकल एवं समूह
7	लिखत का प्रकार	बेसल III कार्यान्वित टियर II बॉन्ड
8	विनियामक पूंजी में शामिल की गई राशि (रुपए मिलियन में)	10000
9	लिखत का सम मूल्य (रुपए मिलियन में)	10000
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधार
11	जारी करने की मूल तिथि	25 / 01 / 2017
12	सतत अथवा दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता तारीख	25 / 01 / 2027
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता कॉल	उपलब्ध नहीं
15	वैकल्पिक कॉल दिनांक, आकस्मिक कॉल दिनांक और मोचन राशि (रुपये मिलियन में)	लागू नहीं
16	अनुवर्ती कॉल दिनांक, यदि लागू हो	लागू नहीं
	कूपन / लाभांश	कूपन
17	स्थिर अथवा अस्थिर लाभांश / कूपन	स्थायी
18	कूपन दर और कोई अन्य संबंधित सूचकांक	8.15 प्रतिशत प्रति वर्ष
19	लाभांश रोधक का अस्तित्व	नहीं
20	पूर्ण विवेकाधिकार, अर्धविवेकाधिकार अथवा अनिवार्य	पूर्ण विवेकाधिकार
21	भुनाने के लिए स्टेप अप अथवा अन्य प्रोत्साहन राशि का अस्तित्व	नहीं
22	गैर संचयी अथवा संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय अथवा अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो, पूर्णतः अथवा अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो, अनिवार्य अथवा वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनीय लिखत के प्रकार को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनीय लिखत के जारीकर्ता को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएँ	हाँ
31	यदि अवलिखित है तो, अवलेखन ट्रिगर	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए अनुसार गैर–व्यवहार्यता के बिंदु पर (पीओएनवी)
32	यदि अवलिखित है तो, पूर्णतः अथवा अंशतः	भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकाधीन पूर्णतः या अंशतः
33	यदि अवलिखित है तो, स्थायी या अस्थायी	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पीओएनवी नामक ट्रिगर के घटित होने पर स्थायी बट्टे खाते के अधीन
34	यदि अस्थायी अवलेखन है तो, राइट– अप प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनता स्थान में पदक्रम (लिखत के निकटतम वरिष्ठ लिखत प्रकार उल्लेख करें)	बॉण्डधारकों के दावे होंगे: (i) बैंक की टियर 1 पूंजी में शामिल किए जाने के लिए पात्र लिखतों में निवेशकों के दावों से वरिष्ठ; (ii) बैंक के सभी जमाकर्ताओं और सामान्य लेनदारों के दावों के अधीनस्थ (iii) न तो बैंक या संबंधित इकाई या अन्य व्यवस्था की गारंटी, जो कानूनी या आर्थिक रूप से बैंक के लेनदारों की तुलना में दावे की वरिष्ठता को बढ़ाती हो, द्वारा सुरक्षित और कवर किया गया है।
36	गैर कार्यान्वित संक्रमण विशेषताएं	लागू नहीं
37	यदि हाँ, गैर कार्यान्वित विशेषताओं को विनिर्दिष्ट करना	लागू नहीं

सारणी डीएफ – 13 विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएँ
विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताओं हेतु प्रकटीकरण टेम्प्लेट

1	जारीकर्ता	इंडियन बैंक
2	विशिष्ट पहचानकर्ता (उदा.सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी स्थानन के लिए ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई428ए08101
3	लिखतों को नियंत्रण करने वाले नियम	भारतीय कानून
	विनियामक ट्रीटमेंट	
4	संक्रमणकालीन बेसल III नियम	टीयर–2 बॉन्ड
5	उत्तर–संक्रमणकालीन बेसल III के नियम	टीयर–2 बॉन्ड
6	एकल / समूह / समूह और एकल स्तर पर पात्र	एकल एवं समूह
7	लिखत का प्रकार	बेसल III कार्यान्वित टियर II बॉन्ड
8	विनियामक पूंजी में शामिल की गई राशि (रुपए मिलियन में)	15000
9	लिखत का सम मूल्य (रुपए मिलियन में)	15000
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधार
11	जारी करने की मूल तिथि	27 / 12 / 2019
12	सतत अथवा दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता तारीख	27 / 12 / 2029
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता कॉल	हाँ
15	वैकल्पिक कॉल दिनांक, आकस्मिक कॉल दिनांक और मोचन राशि (रुपये मिलियन में)	वैकल्पिक कॉल दिनांकः 27 / 12 / 2024 मोचन राशिः सम मूल्य पर
16	अनुवर्ती कॉल दिनांक, यदि लागू हो	पहली कॉल की देय तिथि के बाद की कोई भी कूपन भुगतान तिथि
	कूपन / लाभांश	कूपन
17	स्थिर अथवा अस्थिर लाभांश / कूपन	स्थायी
18	कूपन दर और कोई अन्य संबंधित सूचकांक	9.53 प्रतिशत प्रति वर्ष
19	लाभांश रोधक का अस्तित्व	नहीं
20	पूर्ण विवेकाधिकार, अर्धविवेकाधिकार अथवा अनिवार्य	पूर्ण विवेकाधिकार
21	भुनाने के लिए स्टेप अप अथवा अन्य प्रोत्साहन राशि का अस्तित्व	नहीं
22	गैर संचयी अथवा संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय अथवा अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो, पूर्णतः अथवा अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो, अनिवार्य अथवा वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनीय लिखत के प्रकार को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनीय लिखत के जारीकर्ता को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएँ	हाँ
31	यदि अवलिखित है तो, अवलेखन ट्रिगर	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए अनुसार गैर–व्यवहार्यता के बिंदु पर (पीओएनवी)
32	यदि अवलिखित है तो, पूर्णतः अथवा अंशतः	भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकाधीन पूर्णतः या अंशतः
33	यदि अवलिखित है तो, स्थायी या अस्थायी	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पीओएनवी नामक ट्रिगर के घटित होने पर स्थायी बट्टे खाते के अधीन
34	यदि अस्थायी अवलेखन है तो, राइट– अप प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनता स्थान में पदक्रम (लिखत के निकटतम वरिष्ठ लिखत प्रकार उल्लेख करें)	बॉण्डधारकों के दावे होंगेः (i) बैंक की टियर 1 पूंजी में शामिल किए जाने के लिए पात्र लिखतों में निवेशकों के दावों से वरिष्ठ; (ii) बैंक के सभी जमाकर्ताओं और सामान्य लेनदारों के दावों के अधीनस्थ (iii) न तो बैंक या संबंधित इकाई या अन्य व्यवस्था की गारंटी, जो कानूनी या आर्थिक रूप से बैंक के लेनदारों की तुलना में दावे की वरिष्ठता को बढ़ाती हो, द्वारा सुरक्षित और कवर किया गया है।
36	गैर कार्यान्वित संक्रमण विशेषताएं	लागू नहीं
37	यदि हाँ, गैर कार्यान्वित विशेषताओं को विनिर्दिष्ट करना	लागू नहीं

सारणी डीएफ – 13 विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएँ
विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताओं हेतु प्रकटीकरण टेम्प्लेट

क्रं.सं.	विवरण	टियर 2 बॉन्ड – सीरीज ट
1	जारीकर्ता	इंडियन बैंक
2	विशिष्ट पहचानकर्ता (उदा.सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी स्थानन के लिए ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई562ए08081
3	लिखतों को नियंत्रण करने वाले नियम	भारतीय कानून
	विनियामक ट्रीटमेंट	
4	संक्रमणकालीन बेसल III नियम	टियर 2 बॉन्ड
5	उत्तर–संक्रमणकालीन बेसल III के नियम	टियर 2 बॉन्ड
6	एकल / समूह / समूह और एकल स्तर पर पात्र	एकल एवं समूह
7	लिखत का प्रकार	बेसल III अनुपालित टियर II बॉन्ड
8	विनियामक पूंजी में शामिल की गई राशि (रुपए मिलियन में)	20000
9	लिखत का सम मूल्य (रुपए मिलियन में)	20000
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधार
11	जारी करने की मूल तिथि	13/01/2021
12	सतत अथवा दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता तारीख	13/01/2031
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता कॉल	हाँ
15	वैकल्पिक कॉल दिनांक, आकस्मिक कॉल दिनांक और मोचन राशि (रुपये मिलियन में)	वैकल्पिक कॉल दिनांकः 13/01/2026 मोचन राशि : सममूल्य पर
16	अनुवर्ती कॉल दिनांक, यदि लागू हो	पहली कॉल देय तिथि के पश्चात कोई भी अन्य कूपन भुगतान तिथि
	कूपन/लाभांश	कूपन
17	स्थिर अथवा अस्थिर लाभांश / कूपन	स्थायी
18	कूपन दर और कोई अन्य संबंधित सूचकांक	6.18% प्रति वर्ष
19	लाभांश रोधक का अस्तित्व	नहीं
20	पूर्ण विवेकाधिकार, अर्धविवेकाधिकार अथवा अनिवार्य	पूरी तरह से विवेकाधीन
21	भुनाने के लिए स्टेप अप अथवा अन्य प्रोत्साहन राशि का अस्तित्व	नहीं
22	गैर संचयी अथवा संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय अथवा अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो, पूर्णतः अथवा अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो, अनिवार्य अथवा वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनीय लिखत के प्रकार को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनीय लिखत के जारीकर्ता को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएँ	हाँ
31	यदि अवलिखित है तो, अवलेखन ट्रिगर	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए अनुसार गैर–व्यवहार्यता के बिंदु पर (पीओएनवी)
32	यदि अवलिखित है तो, पूर्णतः अथवा अंशतः	भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकाधीन पूर्णतः या अंशतः
33	यदि अवलिखित है तो, स्थायी या अस्थायी	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पीओएनवी नामक ट्रिगर घटना के घटित होने पर स्थायी बट्टे खाते के अधीन
34	यदि अस्थायी अवलेखन है तो, राइट– अप प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनता स्थान में पदक्रम (लिखत के निकटतम वरिष्ठ लिखत प्रकार उल्लेख करें)	बॉन्डधारकों के दावे – (i) बैंक की टियर 1 पूंजी में शामिल किए जाने के लिए पात्र लिखतों में निवेशकों के दावों से वरिष्ठ; (ii) बैंक के सभी जमाकर्ताओं और सामान्य लेनदारों के दावों के अधीनस्थ (iii) न तो बैंक या संबंधित इकाई या अन्य व्यवस्था की गारंटी, जो कानूनी या आर्थिक रूप से बैंक के लेनदारों की तुलना में दावे की वरिष्ठता को बढ़ाती हो, द्वारा सुरक्षित और कवर किया गया है। (iv) जब तक बैंक द्वारा बॉन्ड/डिबेंचर जारी करने की शर्तें,कि ऐसे बाद के बॉन्ड धारकों के दावे इस प्रकटीकरण दस्तावेज के तहत जारी बॉन्डों के अधिक या कम हैं या जब तक कि आरबीआई अपने दिशानिर्देशों में अन्यथा निर्दिष्ट नहीं करता है, निर्दिष्ट नहीं की जाती हैं तब तक बॉन्डधारकों के ऐसे दावे, बाद के धारकों के दावों के समान होंगे बैंक के डिबेंचर/बॉन्ड को जारी करना; और (v) उनके बीच वरीयता के बिना समान रैंक
36	गैर कार्यान्वित संक्रमण विशेषताएं	लागू नहीं
37	यदि हाँ, गैर कार्यान्वित विशेषताओं को विनिर्दिष्ट करना	लागू नहीं

सारणी डीएफ – 14: विनियामक पूंजी लिखतों के पूर्ण नियम और शर्तें

बेसल III अनुपालित बॉन्ड के लिए नियम और शर्तें

क्र.सं.	विवरण	अतिरिक्त टियर 1 बॉन्ड – सीरीज II
1	प्रतिभूति का विवरण	8.44% सूचीबद्ध, असुरक्षित, अधीनस्थ, गैर–परिवर्तनीय, पूर्णतः प्रदत्त, कर योग्य, स्थायी, बेसल III अनुपालित अतिरिक्त टियर 1 बॉन्ड (एटी 1) रु. 10 लाख के डिबेंचर की प्रकृति में प्रत्येक का कुल रु. 1048 करोड़
2	प्रतिभूति प्रदान करने का माध्यम	निजी स्थानन
3	कर की स्थिति	कर योग्य
4	निर्गम खुलने की तिथि	07 / 12 / 2020
5	निर्गम बंद होने की तिथि	07 / 12 / 2020
6	सीरीज	सीरीज II
7	आईएसआईएन कोड	आईएनई562ए08057
8	प्रति लिखत अंकित मूल्य	रु. 10,00,000
9	प्रति लिखत प्रदत्त मूल्य	रु. 10,00,000
10	निर्गम का मूल्य	रु. 1048 करोड़
11	आवंटन की तिथि	08 / 12 / 2020
12	परिपक्वता की तारीख	शाश्वत लिखतें
13	कॉल ऑप्शन	(i) जारीकर्ता कॉलः आरबीआई के पूर्व अनुमोदन से जारीकर्ता अपने विवेकाधिकार पर ट्रस्टी को ऐसे जारीकर्ता कॉल के प्रयोग की तारीख से कम से कम 21 कैलेंडर दिन (जिसे नोटिस में जारीकर्ता कॉल के प्रयोग के लिए निर्धारित तिथि या "जारीकर्ता कॉल तिथि" के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा) पहले सूचित कर शेष बॉन्डों के लिए कॉल विकल्प का प्रयोग कर सकता है। जारीकर्ता कॉल, जो विवेकाधीन है, आवंटन की डीम्ड तिथि यानी पांचवीं कूपन भुगतान तिथि या उसके बाद किसी कूपन भुगतान तिथि से पांचवीं वर्षगांठ पर प्रयोग किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है। (ii) टैक्स कॉलः यदि कोई टैक्स इवेंट (जैसा कि नीचे वर्णित है) हुआ है और जारी है तो जारीकर्ता, ऐसे टैक्स कॉल या वेरिएशन (जिसे नोटिस में टैक्स कॉल के प्रयोग के लिए निर्धारित तिथि या "टैक्स कॉल तिथि" के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा) के प्रयोग की तारीख से कम से कम 21 कैलेंडर दिन पहले ट्रस्टी को सूचित कर बॉन्ड के लिए कॉल का प्रयोग कर सकता है या बॉन्ड को प्रतिस्थापित कर सकता है या बॉन्ड की शर्तों को बदल सकता है ताकि बॉन्ड का बेहतर वर्गीकरण किया जा सके। यदि भारत में कराधान या विनियमों या नियमों को प्रभावित करने वाले कानूनों में किसी भी परिवर्तन या संशोधन अथवा ऐसे कानूनों, विनियमों या नियमों के आधिकारिक प्रयोग में कोई बदलाव के परिणामस्वरूप कोई टैक्स इवेंट हुआ है तो जारीकर्ता बॉन्ड पर कूपन के संबंध में अपनी कराधान देनदारियों की गणना के संबंध में कटौती का दावा करने का हकदार नहीं होगा। जारीकर्ता द्वारा टैक्स कॉल का प्रयोग आरबीआई द्वारा लागू दिशानिर्देशों (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है) में निर्धारित अपेक्षाओं के अधीन है। आरबीआई जारीकर्ता को टैक्स कॉल का प्रयोग करने की अनुमति तभी देगा जब आरबीआई आश्वस्त हो जाएगा कि जारीकर्ता बॉन्ड जारी करने के समय टैक्स इवेंट का अनुमान लगाने की स्थिति में नहीं था। (iii) विनियामक कॉलः यदि कोई विनियामक इवेंट (जैसा कि नीचे वर्णित है) हुआ है और जारी है तो जारीकर्ता, ऐसे विनियामक कॉल या वेरिएशन (जिसे नोटिस में विनियामक कॉल के प्रयोग के लिए निर्धारित तिथि या "विनियामक कॉल तिथि" के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा) के प्रयोग की तारीख से कम से कम 21 कैलेंडर दिन पहले ट्रस्टी को सूचित कर बॉन्ड के लिए कॉल का प्रयोग कर सकता है और बेहतर विनियामक वर्गीकरण वाले लिखत के साथ प्रतिस्थापित कर सकता है या आरबीआई के पूर्व अनुमोदन से समान विनियामक वर्गीकरण के साथ कूपन को कम या प्रतिस्थापित कर सकता है या बॉन्ड की शर्तों को बदल सकता है ताकि बॉन्ड का बेहतर वर्गीकरण किया जा सके। यदि विनियामक वर्गीकरण में बॉन्ड डाउनग्रेड होता है तो यह माना जाएगा कि विनियामक घटना हुई है, उदाहरण स्वरूप जारीकर्ता की विनियामक टियर 1 पूंजी से बॉन्ड को हटा देना। जारीकर्ता द्वारा विनियामक कॉल का प्रयोग आरबीआई द्वारा लागू दिशानिर्देशों (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है) में निर्धारित अपेक्षाओं के अधीन है। आरबीआई जारीकर्ता को विनियामक कॉल का प्रयोग करने की अनुमति केवल तभी देगा जब आरबीआई आश्वस्त हो जाएगा कि जारीकर्ता बॉन्ड जारी करने के समय विनियामक इवेंट का अनुमान लगाने की स्थिति में नहीं था।
14	परिपक्व होने वाली राशि	लागू नहीं
15	कूपन दर (स्थायी)	8.44% प्रति वर्ष
16	ब्याज की आवृत्ति	वार्षिक और गैर संचयी
17	ब्याज देय की तिथियां	अवकाश की शर्तों को ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष 08 दिसंबर तक मोचन / कॉल ऑप्शन का प्रयोग
18	पहली ब्याज के भुगतान की तिथि	08 / 12 / 2021

बेसल III अनुपालित बॉन्ड के लिए नियम और शर्तें

क्र.सं.	विवरण	अतिरिक्त टियर 1 बॉन्ड – सीरीज III
1	प्रतिभूति का विवरण	8.44% सूचीबद्ध, असुरक्षित, अधीनस्थ, गैर–परिवर्तनीय, पूर्णतः प्रदत, कर योग्य, स्थायी, बेसल III अनुपालित अतिरिक्त टियर 1 बॉन्ड (एटी 1) रु. 10 लाख के डिबेंचर की प्रकृति में प्रत्येक का कुल रु. 560 करोड़
2	प्रतिभूति प्रदान करने का माध्यम	निजी स्थानन
3	कर की स्थिति	कर योग्य
4	निर्गम खुलने की तिथि	11 / 12 / 2020
5	निर्गम बंद होने की तिथि	11 / 12 / 2020
6	सीरीज	सैरीज III
7	आईएसआईएन कोड	आईएनई562ए08065
8	प्रति लिखत अंकित मूल्य	रु.10,00,000
9	प्रति लिखत प्रदत्त मूल्य	रु.10,00,000
10	निर्गम का मूल्य	रु. 560 करोड़
11	आवंटन की तिथि	14 / 12 / 2020
12	परिपक्वता की तारीख	शाश्वत लिखतें
13	कॉल ऑप्शन	(i) जारीकर्ता कॉलः आरबीआई के पूर्व अनुमोदन से जारीकर्ता अपने विवेकाधिकार पर ट्रस्टी को ऐसे जारीकर्ता कॉल के प्रयोग की तारीख से कम से कम 21 कैलेंडर दिन (जिसे नोटिस में जारीकर्ता कॉल के प्रयोग के लिए निर्धारित तिथि या "जारीकर्ता कॉल तिथि" के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा) पहले सूचित कर शेष बॉन्डों के लिए कॉल विकल्प का प्रयोग कर सकता है। जारीकर्ता कॉल, जो विवेकाधीन है, आवंटन की डीम्ड तिथि यानी पांचवीं कूपन भुगतान तिथि या उसके बाद किसी कूपन भुगतान तिथि से पांचवीं वर्षगांठ पर प्रयोग किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है। (ii) टैक्स कॉलः यदि कोई टैक्स इवेंट (जैसा कि नीचे वर्णित है) हुआ है और जारी है तो जारीकर्ता, ऐसे टैक्स कॉल या वेरिएशन (जिसे नोटिस में टैक्स कॉल के प्रयोग के लिए निर्धारित तिथि या "टैक्स कॉल तिथि" के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा) के प्रयोग की तारीख से कम से कम 21 कैलेंडर दिन पहले ट्रस्टी को सूचित कर बॉन्ड के लिए कॉल का प्रयोग कर सकता है या बॉन्ड को प्रतिस्थापित कर सकता है या बॉन्ड की शर्तों को बदल सकता है ताकि बॉन्ड का बेहतर वर्गीकरण किया जा सके। यदि भारत में कराधान या विनियमों या नियमों को प्रभावित करने वाले कानूनों में किसी भी परिवर्तन या संशोधन अथवा ऐसे कानूनों, विनियमों या नियमों के आधिकारिक प्रयोग में कोई बदलाव के परिणामस्वरूप कोई टैक्स इवेंट हुआ है तो जारीकर्ता बॉन्ड पर कूपन के संबंध में अपनी कराधान देनदारियों की गणना के संबंध में कटौती का दावा करने का हकदार नहीं होगा। जारीकर्ता द्वारा टैक्स कॉल का प्रयोग आरबीआई द्वारा लागू दिशानिर्देशों (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है) में निर्धारित अपेक्षाओं के अधीन है। आरबीआई जारीकर्ता को टैक्स कॉल का प्रयोग करने की अनुमति तभी देगा जब आरबीआई आश्वस्त हो जाएगा कि जारीकर्ता बॉन्ड जारी करने के समय टैक्स इवेंट का अनुमान लगाने की स्थिति में नहीं था। (iii) विनियामक कॉलः यदि कोई विनियामक इवेंट (जैसा कि नीचे वर्णित है) हुआ है और जारी है तो जारीकर्ता, ऐसे विनियामक कॉल या वेरिएशन (जिसे नोटिस में विनियामक कॉल के प्रयोग के लिए निर्धारित तिथि या "विनियामक कॉल तिथि" के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा) के प्रयोग की तारीख से कम से कम 21 कैलेंडर दिन पहले ट्रस्टी को सूचित कर बॉन्ड के लिए कॉल का प्रयोग कर सकता है और बेहतर विनियामक वर्गीकरण वाले लिखत के साथ प्रतिस्थापित कर सकता है या आरबीआई के पूर्व अनुमोदन से समान विनियामक वर्गीकरण के साथ कूपन को कम या प्रतिस्थापित कर सकता है या बॉन्ड की शर्तों को बदल सकता है ताकि बॉन्ड का बेहतर वर्गीकरण किया जा सके। यदि विनियामक वर्गीकरण में बॉन्ड डाउनग्रेड होता है तो यह माना जाएगा कि विनियामक घटना हुई है, उदाहरण स्वरूप जारीकर्ता की विनियामक टियर 1 पूंजी से बॉन्ड को हटा देना। जारीकर्ता द्वारा विनियामक कॉल का प्रयोग आरबीआई द्वारा लागू दिशानिर्देशों (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है) में निर्धारित अपेक्षाओं के अधीन है। आरबीआई जारीकर्ता को विनियामक कॉल का प्रयोग करने की अनुमति केवल तभी देगा जब आरबीआई आश्वस्त हो जाएगा कि जारीकर्ता बॉन्ड जारी करने के समय विनियामक इवेंट का अनुमान लगाने की स्थिति में नहीं था।
14	परिपक्व होने वाली राशि	लागू नहीं
15	कूपन दर (स्थायी)	8.44 %
16	ब्याज की आवृत्ति	वार्षिक और गैर संचयी
17	ब्याज देय की तिथियां	अवकाश की शर्तों को ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष 14 दिसंबर तक मोचन / कॉल ऑप्शन का प्रयोग
18	पहले ब्याज के भुगतान की तिथि	14 / 12 / 2021

बेसल III अनुपालित बॉन्ड के लिए नियम और शर्तें

क्र.सं.	विवरण	अतिरिक्त टियर 1 बॉन्ड – सीरीज IV
1	प्रतिभूति का विवरण	8.44% सूचीबद्ध, असुरक्षित, अधीनस्थ, गैर–परिवर्तनीय, पूर्णतः प्रदत, कर योग्य, स्थायी, बेसल III अनुपालित अतिरिक्त टियर 1 बॉन्ड (एटी 1) रु. 10 लाख के डिबेंचर की प्रकृति में प्रत्येक का कुल रु. 392 करोड़
2	प्रतिभूति प्रदान करने का माध्यम	निजी स्थानन
3	कर की स्थिति	कर योग्य
4	निर्गम खुलने की तिथि	29 / 12 / 2020
5	निर्गम बंद होने की तिथि	29 / 12 / 2020
6	सीरीज	सैरीज IV
7	आईएसआईएन कोड	आईएनई562ए08073
8	प्रति लिखत अंकित मूल्य	रु.10,00,000
9	प्रति लिखत प्रदत्त मूल्य	रु.10,00,000
10	निर्गम का मूल्य	रु. 392 करोड़
11	आवंटन की तिथि	30 / 12 / 2020
12	परिपक्वता की तारीख	शाश्वत लिखतें
13	कॉल ऑप्शन	(i) जारीकर्ता कॉलः आरबीआई के पूर्व अनुमोदन से जारीकर्ता अपने विवेकाधिकार पर ट्रस्टी को ऐसे जारीकर्ता कॉल के प्रयोग की तारीख से कम से कम 21 कैलेंडर दिन (जिसे नोटिस में जारीकर्ता कॉल के प्रयोग के लिए निर्धारित तिथि या "जारीकर्ता कॉल तिथि" के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा) पहले सूचित कर शेष बॉन्डों के लिए कॉल विकल्प का प्रयोग कर सकता है। जारीकर्ता कॉल, जो विवेकाधीन है, आवंटन की डीम्ड तिथि यानी पांचवीं कूपन भुगतान तिथि या उसके बाद किसी कूपन भुगतान तिथि से पांचवीं वर्षगांठ पर प्रयोग किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है। (ii) टैक्स कॉलः यदि कोई टैक्स इवेंट (जैसा कि नीचे वर्णित है) हुआ है और जारी है तो जारीकर्ता, ऐसे टैक्स कॉल या वेरिएशन (जिसे नोटिस में टैक्स कॉल के प्रयोग के लिए निर्धारित तिथि या "टैक्स कॉल तिथि" के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा) के प्रयोग की तारीख से कम से कम 21 कैलेंडर दिन पहले ट्रस्टी को सूचित कर बॉन्ड के लिए कॉल का प्रयोग कर सकता है या बॉन्ड को प्रतिस्थापित कर सकता है या बॉन्ड की शर्तों को बदल सकता है ताकि बॉन्ड का बेहतर वर्गीकरण किया जा सके। यदि भारत में कराधान या विनियमों या नियमों को प्रभावित करने वाले कानूनों में किसी भी परिवर्तन या संशोधन अथवा ऐसे कानूनों, विनियमों या नियमों के आधिकारिक प्रयोग में कोई बदलाव के परिणामस्वरूप कोई टैक्स इवेंट हुआ है तो जारीकर्ता बॉन्ड पर कूपन के संबंध में अपनी कराधान देनदारियों की गणना के संबंध में कटौती का दावा करने का हकदार नहीं होगा। जारीकर्ता द्वारा टैक्स कॉल का प्रयोग आरबीआई द्वारा लागू दिशानिर्देशों (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है) में निर्धारित अपेक्षाओं के अधीन है। आरबीआई जारीकर्ता को टैक्स कॉल का प्रयोग करने की अनुमति तभी देगा जब आरबीआई आश्वस्त हो जाएगा कि जारीकर्ता बॉन्ड जारी करने के समय टैक्स इवेंट का अनुमान लगाने की स्थिति में नहीं था। (iii) विनियामक कॉलः यदि कोई विनियामक इवेंट (जैसा कि नीचे वर्णित है) हुआ है और जारी है तो जारीकर्ता, ऐसे विनियामक कॉल या वेरिएशन (जिसे नोटिस में विनियामक कॉल के प्रयोग के लिए निर्धारित तिथि या "विनियामक कॉल तिथि" के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा) के प्रयोग की तारीख से कम से कम 21 कैलेंडर दिन पहले ट्रस्टी को सूचित कर बॉन्ड के लिए कॉल का प्रयोग कर सकता है और बेहतर विनियामक वर्गीकरण वाले लिखत के साथ प्रतिस्थापित कर सकता है या आरबीआई के पूर्व अनुमोदन से समान विनियामक वर्गीकरण के साथ कूपन को कम या प्रतिस्थापित कर सकता है या बॉन्ड की शर्तों को बदल सकता है ताकि बॉन्ड का बेहतर वर्गीकरण किया जा सके। यदि विनियामक वर्गीकरण में बॉन्ड डाउनग्रेड होता है तो यह माना जाएगा कि विनियामक घटना हुई है, उदाहरण स्वरूप जारीकर्ता की विनियामक टियर 1 पूंजी से बॉन्ड को हटा देना। जारीकर्ता द्वारा विनियामक कॉल का प्रयोग आरबीआई द्वारा लागू दिशानिर्देशों (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है) में निर्धारित अपेक्षाओं के अधीन है। आरबीआई जारीकर्ता को विनियामक कॉल का प्रयोग करने की अनुमति केवल तभी देगा जब आरबीआई आश्वस्त हो जाएगा कि जारीकर्ता बॉन्ड जारी करने के समय विनियामक इवेंट का अनुमान लगाने की स्थिति में नहीं था।
14	परिपक्व होने वाली राशि	लागू नहीं
15	कूपन दर (स्थायी)	8.44%
16	ब्याज की आवृत्ति	वार्षिक और गैर संचयी
17	ब्याज देय की तिथियां	अवकाश की शर्तों को ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष 30 दिसंबर तक मोचन / कॉल ऑप्शन का प्रयोग
18	पहले ब्याज के भुगतान की तिथि	30 / 12 / 2021

बेसल III अनुपालित बॉन्ड के लिए नियम और शर्तें

क्र.सं.	विवरण	टियर 2 बॉन्ड – ट्रेंच ए
1	प्रतिभूति का विवरण	8.90% असुरक्षित, पूर्णतः प्रदत, गैर–परिवर्तनीय, मोचनीयए अधीनस्थ, बेसल III अनुपालित टियर 2 बॉन्ड रु. 10 लाख के डिबेंचर की प्रकृति में प्रत्येक का कुल रु. 290 करोड़
2	प्रतिभूति प्रदान करने का माध्यम	निजी स्थानन
3	कर की स्थिति	कर योग्य
4	निर्गम खुलने की तिथि	26 / 10 / 2018
5	निर्गम बंद होने की तिथि	26 / 10 / 2018
6	सीरीज	ट्रेंच ए
7	आईएसआईएन कोड	आईएनई562ए08024
8	प्रति लिखत अंकित मूल्य	रु. 10,00,000
9	प्रति लिखत प्रदत्त मूल्य	रु. 10,00,000
10	निर्गम का मूल्य	रु. 290 करोड़
11	आवंटन की तिथि	30 / 10 / 2018
12	परिपक्वता की तारीख	30 / 10 / 2028
13	कॉल ऑप्शन	(i) जारीकर्ता कॉलः आरबीआई के पूर्व अनुमोदन से जारीकर्ता अपने विवेकाधिकार पर ट्रस्टी को ऐसे जारीकर्ता कॉल के प्रयोग की तारीख से कम से कम 21 कैलेंडर दिन (जिसे नोटिस में जारीकर्ता कॉल के प्रयोग के लिए निर्धारित तिथि या "जारीकर्ता कॉल तिथि" के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा) पहले सूचित कर शेष बॉन्डों के लिए कॉल विकल्प का प्रयोग कर सकता है। जारीकर्ता कॉल, जो विवेकाधीन है, आवंटन की डीम्ड तिथि यानी पांचवीं कूपन भुगतान तिथि या उसके बाद किसी कूपन भुगतान तिथि से पांचवीं वर्षगांठ पर प्रयोग किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है। (ii) टैक्स कॉलः यदि कोई टैक्स इवेंट (जैसा कि नीचे वर्णित है) हुआ है और जारी है तो जारीकर्ता, ऐसे टैक्स कॉल या वेरिएशन (जिसे नोटिस में टैक्स कॉल के प्रयोग के लिए निर्धारित तिथि या "टैक्स कॉल तिथि" के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा) के प्रयोग की तारीख से कम से कम 21 कैलेंडर दिन पहले ट्रस्टी को सूचित कर बॉन्ड के लिए कॉल का प्रयोग कर सकता है या बॉन्ड को प्रतिस्थापित कर सकता है या बॉन्ड की शर्तों को बदल सकता है ताकि बॉन्ड का बेहतर वर्गीकरण किया जा सके। यदि भारत में कराधान या विनियमों या नियमों को प्रभावित करने वाले कानूनों में किसी भी परिवर्तन या संशोधन अथवा ऐसे कानूनों, विनियमों या नियमों के आधिकारिक प्रयोग में कोई बदलाव के परिणामस्वरूप कोई टैक्स इवेंट हुआ है तो जारीकर्ता बॉन्ड पर कूपन के संबंध में अपनी कराधान देनदारियों की गणना के संबंध में कटौती का दावा करने का हकदार नहीं होगा। जारीकर्ता द्वारा टैक्स कॉल का प्रयोग आरबीआई द्वारा लागू दिशानिर्देशों (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है) में निर्धारित अपेक्षाओं के अधीन है। आरबीआई जारीकर्ता को टैक्स कॉल का प्रयोग करने की अनुमति तभी देगा जब आरबीआई आश्वस्त हो जाएगा कि जारीकर्ता बॉन्ड जारी करने के समय टैक्स इवेंट का अनुमान लगाने की स्थिति में नहीं था। (iii) विनियामक कॉलः यदि कोई विनियामक इवेंट (जैसा कि नीचे वर्णित है) हुआ है और जारी है तो जारीकर्ता, ऐसे विनियामक कॉल या वेरिएशन (जिसे नोटिस में विनियामक कॉल के प्रयोग के लिए निर्धारित तिथि या "विनियामक कॉल तिथि" के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा) के प्रयोग की तारीख से कम से कम 21 कैलेंडर दिन पहले ट्रस्टी को सूचित कर बॉन्ड के लिए कॉल का प्रयोग कर सकता है और बेहतर विनियामक वर्गीकरण वाले लिखत के साथ प्रतिस्थापित कर सकता है या आरबीआई के पूर्व अनुमोदन से समान विनियामक वर्गीकरण के साथ कूपन को कम या प्रतिस्थापित कर सकता है या बॉन्ड की शर्तों को बदल सकता है ताकि बॉन्ड का बेहतर वर्गीकरण किया जा सके। यदि विनियामक वर्गीकरण में बॉन्ड डाउनग्रेड होता है तो यह माना जाएगा कि विनियामक घटना हुई है, उदाहरण स्वरूप जारीकर्ता की विनियामक टियर 1 पूंजी से बॉन्ड को हटा देना। जारीकर्ता द्वारा विनियामक कॉल का प्रयोग आरबीआई द्वारा लागू दिशानिर्देशों (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है) में निर्धारित अपेक्षाओं के अधीन है। आरबीआई जारीकर्ता को विनियामक कॉल का प्रयोग करने की अनुमति केवल तभी देगा जब आरबीआई आश्वस्त हो जाएगा कि जारीकर्ता बॉन्ड जारी करने के समय विनियामक इवेंट का अनुमान लगाने की स्थिति में नहीं था।
14	परिपक्व होने वाली राशि	रु. 290 करोड़
15	कूपन दर (स्थायी)	8.90%
16	ब्याज की आवृत्ति	वार्षिक और गैर संचयी
17	ब्याज देय की तिथियां	अवकाश की शर्तों को ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष 30 अक्टूबर तक मोचन / कॉल ऑप्शन का प्रयोग
18	पहले ब्याज के भुगतान की तिथि	30 / 10 / 2019

बेसल III अनुपालित बॉन्ड के लिए नियम और शर्तें

क्र.सं.	विवरण	टियर 2 बॉन्ड – ट्रेंच बी
1	प्रतिभूति का विवरण	8.85% असुरक्षित, पूर्णतः प्रदत, गैर–परिवर्तनीय, मोचनीयए अधीनस्थ, बेसल III अनुपालित टियर 2 बॉन्ड रु. 10 लाख के डिबेंचर की प्रकृति में प्रत्येक का कुल रु. 110 करोड़
2	प्रतिभूति प्रदान करने का माध्यम	निजी स्थानन
3	कर की स्थिति	कर योग्य
4	निर्गम खुलने की तिथि	02.11.2018
5	निर्गम बंद होने की तिथि	02.11.2018
6	सीरीज	ट्रेंच बी
7	आईएसआईएन कोड	आईएनई562ए08032
8	प्रति लिखत अंकित मूल्य	रु. 10,00,000
9	प्रति लिखत प्रदत्त मूल्य	रु. 10,00,000
10	निर्गम का मूल्य	रु. 110 करोड़
11	आवंटन की तिथि	06 / 11 / 2018
12	परिपक्वता की तारीख	06 / 11 / 2028
13	कॉल ऑप्शन	(i) जारीकर्ता कॉलः आरबीआई के पूर्व अनुमोदन से जारीकर्ता अपने विवेकाधिकार पर ट्रस्टी को ऐसे जारीकर्ता कॉल के प्रयोग की तारीख से कम से कम 21 कैलेंडर दिन (जिसे नोटिस में जारीकर्ता कॉल के प्रयोग के लिए निर्धारित तिथि या "जारीकर्ता कॉल तिथि" के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा) पहले सूचित कर शेष बॉन्डों के लिए कॉल विकल्प का प्रयोग कर सकता है। जारीकर्ता कॉल, जो विवेकाधीन है, आवंटन की डीम्ड तिथि यानी पांचवीं कूपन भुगतान तिथि या उसके बाद किसी कूपन भुगतान तिथि से पांचवीं वर्षगांठ पर प्रयोग किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है। (ii) टैक्स कॉलः यदि कोई टैक्स इवेंट (जैसा कि नीचे वर्णित है) हुआ है और जारी है तो जारीकर्ता, ऐसे टैक्स कॉल या वेरिएशन (जिसे नोटिस में टैक्स कॉल के प्रयोग के लिए निर्धारित तिथि या "टैक्स कॉल तिथि" के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा) के प्रयोग की तारीख से कम से कम 21 कैलेंडर दिन पहले ट्रस्टी को सूचित कर बॉन्ड के लिए कॉल का प्रयोग कर सकता है या बॉन्ड को प्रतिस्थापित कर सकता है या बॉन्ड की शर्तों को बदल सकता है ताकि बॉन्ड का बेहतर वर्गीकरण किया जा सके। यदि भारत में कराधान या विनियमों या नियमों को प्रभावित करने वाले कानूनों में किसी भी परिवर्तन या संशोधन अथवा ऐसे कानूनों, विनियमों या नियमों के आधिकारिक प्रयोग में कोई बदलाव के परिणामस्वरूप कोई टैक्स इवेंट हुआ है तो जारीकर्ता बॉन्ड पर कूपन के संबंध में अपनी कराधान देनदारियों की गणना के संबंध में कटौती का दावा करने का हकदार नहीं होगा। जारीकर्ता द्वारा टैक्स कॉल का प्रयोग आरबीआई द्वारा लागू दिशानिर्देशों (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है) में निर्धारित अपेक्षाओं के अधीन है। आरबीआई जारीकर्ता को टैक्स कॉल का प्रयोग करने की अनुमति तभी देगा जब आरबीआई आश्वस्त हो जाएगा कि जारीकर्ता बॉन्ड जारी करने के समय टैक्स इवेंट का अनुमान लगाने की स्थिति में नहीं था। (iii) विनियामक कॉलः यदि कोई विनियामक इवेंट (जैसा कि नीचे वर्णित है) हुआ है और जारी है तो जारीकर्ता, ऐसे विनियामक कॉल या वेरिएशन (जिसे नोटिस में विनियामक कॉल के प्रयोग के लिए निर्धारित तिथि या "विनियामक कॉल तिथि" के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा) के प्रयोग की तारीख से कम से कम 21 कैलेंडर दिन पहले ट्रस्टी को सूचित कर बॉन्ड के लिए कॉल का प्रयोग कर सकता है और बेहतर विनियामक वर्गीकरण वाले लिखत के साथ प्रतिस्थापित कर सकता है या आरबीआई के पूर्व अनुमोदन से समान विनियामक वर्गीकरण के साथ कूपन को कम या प्रतिस्थापित कर सकता है या बॉन्ड की शर्तों को बदल सकता है ताकि बॉन्ड का बेहतर वर्गीकरण किया जा सके। यदि विनियामक वर्गीकरण में बॉन्ड डाउनग्रेड होता है तो यह माना जाएगा कि विनियामक घटना हुई है, उदाहरण स्वरूप जारीकर्ता की विनियामक टियर 1 पूंजी से बॉन्ड को हटा देना। जारीकर्ता द्वारा विनियामक कॉल का प्रयोग आरबीआई द्वारा लागू दिशानिर्देशों (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है) में निर्धारित अपेक्षाओं के अधीन है। आरबीआई जारीकर्ता को विनियामक कॉल का प्रयोग करने की अनुमति केवल तभी देगा जब आरबीआई आश्वस्त हो जाएगा कि जारीकर्ता बॉन्ड जारी करने के समय विनियामक इवेंट का अनुमान लगाने की स्थिति में नहीं था।
14	परिपक्व होने वाली राशि	रु.110 करोड़
15	कूपन दर (स्थायी)	8.85 %
16	ब्याज की आवृत्ति	वार्षिक और गैर संचयी
17	ब्याज देय की तिथियां	अवकाश की शर्तों को ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष 6 नवम्बर तक मोचन / कॉल ऑप्शन का प्रयोग
18	पहले ब्याज के भुगतान की तिथि	06 / 11 / 2019

बेसल III अनुपालित बॉन्ड के लिए नियम और शर्तें

क्र.सं.	विवरण	टियर 2 बॉन्ड – ट्रैन्च सी
1	प्रतिभूति का विवरण	8.53% असुरक्षित, पूर्णतः प्रदत, गैर–परिवर्तनीय, मोचनीयए अधीनस्थ, बेसल III अनुपालित टियर 2 बॉन्ड रु. 10 लाख के डिबेंचर की प्रकृति में प्रत्येक का कुल रु. 600 करोड़
2	प्रतिभूति प्रदान करने का माध्यम	निजी स्थानन
3	कर की स्थिति	कर योग्य
4	निर्गम खुलने की तिथि	18 / 01 / 2019
5	निर्गम बंद होने की तिथि	18 / 01 / 2019
6	सीरीज	ट्रैन्च सी
7	आईएसआईएन कोड	आईएनई562ए08040
8	प्रति लिखत अंकित मूल्य	रु.10,00,000
9	प्रति लिखत प्रदत्त मूल्य	रु.10,00,000
10	निर्गम का मूल्य	रु. 600 करोड़
11	आवंटन की तिथि	22 / 01 / 2019
12	परिपक्वता की तारीख	22 / 01 / 2029
13	कॉल ऑप्शन	(i) जारीकर्ता कॉलः आरबीआई के पूर्व अनुमोदन से जारीकर्ता अपने विवेकाधिकार पर ट्रस्टी को ऐसे जारीकर्ता कॉल के प्रयोग की तारीख से कम से कम 21 कैलेंडर दिन (जिसे नोटिस में जारीकर्ता कॉल के प्रयोग के लिए निर्धारित तिथि या "जारीकर्ता कॉल तिथि" के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा) पहले सूचित कर शेष बॉन्डों के लिए कॉल विकल्प का प्रयोग कर सकता है। जारीकर्ता कॉल, जो विवेकाधीन है, आवंटन की डीम्ड तिथि यानी पांचवीं कूपन भुगतान तिथि या उसके बाद किसी कूपन भुगतान तिथि से पांचवीं वर्षगांठ पर प्रयोग किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है। (ii) टैक्स कॉलः यदि कोई टैक्स इवेंट (जैसा कि नीचे वर्णित है) हुआ है और जारी है तो जारीकर्ता, ऐसे टैक्स कॉल या वेरिएशन (जिसे नोटिस में टैक्स कॉल के प्रयोग के लिए निर्धारित तिथि या "टैक्स कॉल तिथि" के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा) के प्रयोग की तारीख से कम से कम 21 कैलेंडर दिन पहले ट्रस्टी को सूचित कर बॉन्ड के लिए कॉल का प्रयोग कर सकता है या बॉन्ड को प्रतिस्थापित कर सकता है या बॉन्ड की शर्तों को बदल सकता है ताकि बॉन्ड का बेहतर वर्गीकरण किया जा सके। यदि भारत में कराधान या विनियमों या नियमों को प्रभावित करने वाले कानूनों में किसी भी परिवर्तन या संशोधन अथवा ऐसे कानूनों, विनियमों या नियमों के आधिकारिक प्रयोग में कोई बदलाव के परिणामस्वरूप कोई टैक्स इवेंट हुआ है तो जारीकर्ता बॉन्ड पर कूपन के संबंध में अपनी कराधान देनदारियों की गणना के संबंध में कटौती का दावा करने का हकदार नहीं होगा। जारीकर्ता द्वारा टैक्स कॉल का प्रयोग आरबीआई द्वारा लागू दिशानिर्देशों (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है) में निर्धारित अपेक्षाओं के अधीन है। आरबीआई जारीकर्ता को टैक्स कॉल का प्रयोग करने की अनुमति तभी देगा जब आरबीआई आश्वस्त हो जाएगा कि जारीकर्ता बॉन्ड जारी करने के समय टैक्स इवेंट का अनुमान लगाने की स्थिति में नहीं था। (iii) विनियामक कॉलः यदि कोई विनियामक इवेंट (जैसा कि नीचे वर्णित है) हुआ है और जारी है तो जारीकर्ता, ऐसे विनियामक कॉल या वेरिएशन (जिसे नोटिस में विनियामक कॉल के प्रयोग के लिए निर्धारित तिथि या "विनियामक कॉल तिथि" के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा) के प्रयोग की तारीख से कम से कम 21 कैलेंडर दिन पहले ट्रस्टी को सूचित कर बॉन्ड के लिए कॉल का प्रयोग कर सकता है और बेहतर विनियामक वर्गीकरण वाले लिखत के साथ प्रतिस्थापित कर सकता है या आरबीआई के पूर्व अनुमोदन से समान विनियामक वर्गीकरण के साथ कूपन को कम या प्रतिस्थापित कर सकता है या बॉन्ड की शर्तों को बदल सकता है ताकि बॉन्ड का बेहतर वर्गीकरण किया जा सके। यदि विनियामक वर्गीकरण में बॉन्ड डाउनग्रेड होता है तो यह माना जाएगा कि विनियामक घटना हुई है, उदाहरण स्वरूप जारीकर्ता की विनियामक टियर 1 पूंजी से बॉन्ड को हटा देना। जारीकर्ता द्वारा विनियामक कॉल का प्रयोग आरबीआई द्वारा लागू दिशानिर्देशों (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है) में निर्धारित अपेक्षाओं के अधीन है। आरबीआई जारीकर्ता को विनियामक कॉल का प्रयोग करने की अनुमति केवल तभी देगा जब आरबीआई आश्वस्त हो जाएगा कि जारीकर्ता बॉन्ड जारी करने के समय विनियामक इवेंट का अनुमान लगाने की स्थिति में नहीं था।
14	परिपक्व होने वाली राशि	रु. 600 करोड़
15	कूपन दर (स्थायी)	8.53 %
16	ब्याज की आवृत्ति	वार्षिक और गैर संचयी
17	ब्याज देय की तिथियां	अवकाश की शर्तों को ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष 22 जनवरी तक मोचन / कॉल ऑप्शन का प्रयोग
18	पहली ब्याज के भुगतान की तिथि	22 / 01 / 2020

बेसल III अनुपालित बॉन्ड के लिए नियम और शर्तें

क्र.सं.	विवरण	अतिरिक्त टियर 1 बॉन्ड – सीरीज I
1	प्रतिभूति का विवरण	8.78% असुरक्षित, पूर्णतः प्रदत, गैर–परिवर्तनीय, मोचनीयए अधीनस्थ, बेसल III अनुपालित टियर 2 बॉन्ड रु. 10 लाख के डिबेंचर की प्रकृति में प्रत्येक का कुल रु. 500 करोड़
2	प्रतिभूति प्रदान करने का माध्यम	निजी स्थानन
3	कर की स्थिति	कर योग्य
4	निर्गम खुलने की तिथि	14 / 01 / 2015
5	निर्गम बंद होने की तिथि	16 / 01 / 2015
6	सीरीज	सीरीज–I
7	आईएसआईएन कोड	आईएनई428ए08028
8	प्रति लिखत अंकित मूल्य	रु.10,00,000
9	प्रति लिखत प्रदत्त मूल्य	रु.10,00,000
10	निर्गम का मूल्य	रु. 500 करोड़
11	आवंटन की तिथि	20 / 01 / 2015
12	परिपक्वता की तारीख	20 / 01 / 2025
13	कॉल ऑप्शन	अनुपलब्ध
14	परिपक्व होने वाली राशि	रु. 500 करोड़
15	कूपन दर (स्थायी)	8.78%
16	ब्याज की आवृत्ति	वार्षिक और गैर संचयी
17	ब्याज देय की तिथियां	अवकाश की शर्तों को ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष 20 जनवरी
18	पहली ब्याज के भुगतान की तिथि	20 / 01 / 2016

बेसल III अनुपालित बॉन्ड के लिए नियम और शर्तें

क्र.सं.	विवरण	टियर 2 बॉन्ड – सीरीज– II
1	प्रतिभूति का विवरण	8.64% असुरक्षित, पूर्णतः प्रदत, गैर–परिवर्तनीय, मोचनीयए अधीनस्थ, बेसल III अनुपालित टियर 2 बॉन्ड रु. 10 लाख के डिबेंचर की प्रकृति में प्रत्येक का कुल रु. 1000 करोड़
2	प्रतिभूति प्रदान करने का माध्यम	निजी स्थानन
3	कर की स्थिति	कर योग्य
4	निर्गम खुलने की तिथि	18 / 12 / 2015
5	निर्गम बंद होने की तिथि	18 / 01 / 2015
6	सीरीज	सीरीज–II
7	आईएसआईएन कोड	आईएनई428ए08044
8	प्रति लिखत अंकित मूल्य	रु.10,00,000
9	प्रति लिखत प्रदत्त मूल्य	रु.10,00,000
10	निर्गम का मूल्य	रु. 1000 करोड
11	आवंटन की तिथि	21 / 12 / 2015
12	परिपक्वता की तारीख	20 / 12 / 2025
13	कॉल ऑप्शन	अनुपलब्ध
14	परिपक्व होने वाली राशि	रु. 1000 करोड
15	कूपन दर (स्थायी)	8.64%
16	ब्याज की आवृत्ति	वार्षिक और गैर संचयी
17	ब्याज देय की तिथियां	अवकाश की शर्तों को ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष 21 दिसंबर
18	पहले ब्याज के भुगतान की तिथि	21 / 12 / 2016

बेसल III अनुपालित बॉन्ड के लिए नियम और शर्तें

क्र.सं.	विवरण	टियर 2 बॉन्ड – सीरीज–III
1	प्रतिभूति का विवरण	8.15% असुरक्षित, पूर्णतः प्रदत, गैर–परिवर्तनीय, मोचनीयए अधीनस्थ, बेसल III अनुपालित टियर 2 बॉन्ड रु. 10 लाख के डिबेंचर की प्रकृति में प्रत्येक का कुल रु. 1000 करोड़
2	प्रतिभूति प्रदान करने का माध्यम	निजी स्थानन
3	कर की स्थिति	कर योग्य
4	निर्गम खुलने की तिथि	25/01/2017
5	निर्गम बंद होने की तिथि	25/01/2017
6	सीरीज	सीरीज–III
7	आईएसआईएन कोड	आईएनई428ए08051
8	प्रति लिखत अंकित मूल्य	रु.10,00,000
9	प्रति लिखत प्रदत्त मूल्य	रु.10,00,000
10	निर्गम का मूल्य	रु. 1000 करोड
11	आवंटन की तिथि	25/01/2017
12	परिपक्वता की तारीख	25/01/2027
13	कॉल ऑप्शन	अनुपलब्ध
14	परिपक्व होने वाली राशि	रु. 1000 करोड़
15	कूपन दर (स्थायी)	8.15%
16	ब्याज की आवृत्ति	वार्षिक और गैर संचयी
17	ब्याज देय की तिथियां	अवकाश की शर्तों को ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष 25 जनवरी
18	पहली ब्याज के भुगतान की तिथि	25/01/2018

बेसल III अनुपालित बॉन्ड के लिए नियम और शर्तें

क्र.सं.	विवरण	टियर 2 बॉन्ड – सीरीज– IV
1	प्रतिभूति का विवरण	9.53% असुरक्षित, पूर्णतः प्रदत, गैर–परिवर्तनीय, मोचनीयए अधीनस्थ, बेसल III अनुपालित टियर 2 बॉन्ड रु. 10 लाख के डिबेंचर की प्रकृति में प्रत्येक का कुल रु. 1500 करोड़
2	प्रतिभूति प्रदान करने का माध्यम	निजी स्थानन
3	कर की स्थिति	कर योग्य
4	निर्गम खुलने की तिथि	26 / 12 / 2019
5	निर्गम बंद होने की तिथि	26 / 12 / 2019
6	सीरीज	सीरीज–IV
7	आईएसआईएन कोड	आईएनई428ए08101
8	प्रति लिखत अंकित मूल्य	रु.10,00,000
9	प्रति लिखत प्रदत्त मूल्य	रु.10,00,000
10	निर्गम का मूल्य	रु. 1500 करोड
11	आवंटन की तिथि	27 / 12 / 2019
12	परिपक्वता की तारीख	27 / 12 / 2029
13	कॉल ऑप्शन	(i) जारीकर्ता कॉलः आरबीआई के पूर्व अनुमोदन से जारीकर्ता अपने विवेकाधिकार पर ट्रस्टी को ऐसे जारीकर्ता कॉल के प्रयोग की तारीख से कम से कम 21 कैलेंडर दिन (जिसे नोटिस में जारीकर्ता कॉल के प्रयोग के लिए निर्धारित तिथि या "जारीकर्ता कॉल तिथि" के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा) पहले सूचित कर शेष बॉन्डों के लिए कॉल विकल्प का प्रयोग कर सकता है। जारीकर्ता कॉल, जो विवेकाधीन है, आवंटन की डीम्ड तिथि यानी पांचवीं कूपन भुगतान तिथि या उसके बाद किसी कूपन भुगतान तिथि से पांचवीं वर्षगांठ पर प्रयोग किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है। (ii) टैक्स कॉलः यदि कोई टैक्स इवेंट (जैसा कि नीचे वर्णित है) हुआ है और जारी है तो जारीकर्ता, ऐसे टैक्स कॉल या वेरिएशन (जिसे नोटिस में टैक्स कॉल के प्रयोग के लिए निर्धारित तिथि या "टैक्स कॉल तिथि" के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा) के प्रयोग की तारीख से कम से कम 21 कैलेंडर दिन पहले ट्रस्टी को सूचित कर बॉन्ड के लिए कॉल का प्रयोग कर सकता है या बॉन्ड को प्रतिस्थापित कर सकता है या बॉन्ड की शर्तों को बदल सकता है ताकि बॉन्ड का बेहतर वर्गीकरण किया जा सके। यदि भारत में कराधान या विनियमों या नियमों को प्रभावित करने वाले कानूनों में किसी भी परिवर्तन या संशोधन अथवा ऐसे कानूनों, विनियमों या नियमों के आधिकारिक प्रयोग में कोई बदलाव के परिणामस्वरूप कोई टैक्स इवेंट हुआ है तो जारीकर्ता बॉन्ड पर कूपन के संबंध में अपनी कराधान देनदारियों की गणना के संबंध में कटौती का दावा करने का हकदार नहीं होगा। जारीकर्ता द्वारा टैक्स कॉल का प्रयोग आरबीआई द्वारा लागू दिशानिर्देशों (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है) में निर्धारित अपेक्षाओं के अधीन है। आरबीआई जारीकर्ता को टैक्स कॉल का प्रयोग करने की अनुमति तभी देगा जब आरबीआई आश्वस्त हो जाएगा कि जारीकर्ता बॉन्ड जारी करने के समय टैक्स इवेंट का अनुमान लगाने की स्थिति में नहीं था। (iii) विनियामक कॉलः यदि कोई विनियामक इवेंट (जैसा कि नीचे वर्णित है) हुआ है और जारी है तो जारीकर्ता, ऐसे विनियामक कॉल या वेरिएशन (जिसे नोटिस में विनियामक कॉल के प्रयोग के लिए निर्धारित तिथि या "विनियामक कॉल तिथि" के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा) के प्रयोग की तारीख से कम से कम 21 कैलेंडर दिन पहले ट्रस्टी को सूचित कर बॉन्ड के लिए कॉल का प्रयोग कर सकता है और बेहतर विनियामक वर्गीकरण वाले लिखत के साथ प्रतिस्थापित कर सकता है या आरबीआई के पूर्व अनुमोदन से समान विनियामक वर्गीकरण के साथ कूपन को कम या प्रतिस्थापित कर सकता है या बॉन्ड की शर्तों को बदल सकता है ताकि बॉन्ड का बेहतर वर्गीकरण किया जा सके। यदि विनियामक वर्गीकरण में बॉन्ड डाउनग्रेड होता है तो यह माना जाएगा कि विनियामक घटना हुई है, उदाहरण स्वरूप जारीकर्ता की विनियामक टियर 1 पूंजी से बॉन्ड को हटा देना। जारीकर्ता द्वारा विनियामक कॉल का प्रयोग आरबीआई द्वारा लागू दिशानिर्देशों (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है) में निर्धारित अपेक्षाओं के अधीन है। आरबीआई जारीकर्ता को विनियामक कॉल का प्रयोग करने की अनुमति केवल तभी देगा जब आरबीआई आश्वस्त हो जाएगा कि जारीकर्ता बॉन्ड जारी करने के समय विनियामक इवेंट का अनुमान लगाने की स्थिति में नहीं था।
14	परिपक्व होने वाली राशि	रु. 1500 करोड
15	कूपन दर (स्थायी)	9.53%
16	ब्याज की आवृत्ति	वार्षिक और गैर संचयी
17	ब्याज देय की तिथियां	अवकाश की शर्तों को ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष 27 दिसंबर तक मोचन / कॉल ऑप्शन का प्रयोग
18	पहले ब्याज के भुगतान की तिथि	27 / 12 / 2020

बेसल III अनुपालित बॉन्ड के लिए नियम और शर्तें

क्र.सं.	विवरण	टियर 2 बॉन्ड – सीरीज–V
1	प्रतिभूति का विवरण	6.18% असुरक्षित, पूर्णतः प्रदत, गैर–परिवर्तनीय, मोचनीयए अधीनस्थ, बेसल III अनुपालित टियर 2 बॉन्ड रु. 10 लाख के डिबेंचर की प्रकृति में प्रत्येक का कुल रु. 2000 करोड़
2	प्रतिभूति प्रदान करने का माध्यम	निजी स्थानन
3	कर की स्थिति	कर योग्य
4	निर्गम खुलने की तिथि	12 / 01 / 2021
5	निर्गम बंद होने की तिथि	12 / 01 / 2021
6	सीरीज	सीरीज–V
7	आईएसआईएन कोड	आईएनई562ए08081
8	प्रति लिखत अंकित मूल्य	रु.10,00,000
9	प्रति लिखत प्रदत्त मूल्य	रु.10,00,000
10	निर्गम का मूल्य	रु. 2000 करोड
11	आवंटन की तिथि	13 / 01 / 2021
12	परिपक्वता की तारीख	13 / 01 / 2031
13	कॉल ऑप्शन	(i) जारीकर्ता कॉलः आरबीआई के पूर्व अनुमोदन से जारीकर्ता अपने विवेकाधिकार पर ट्रस्टी को ऐसे जारीकर्ता कॉल के प्रयोग की तारीख से कम से कम 21 कैलेंडर दिन (जिसे नोटिस में जारीकर्ता कॉल के प्रयोग के लिए निर्धारित तिथि या "जारीकर्ता कॉल तिथि" के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा) पहले सूचित कर शेष बॉन्डों के लिए कॉल विकल्प का प्रयोग कर सकता है। जारीकर्ता कॉल, जो विवेकाधीन है, आवंटन की डीम्ड तिथि यानी पांचवीं कूपन भुगतान तिथि या उसके बाद किसी कूपन भुगतान तिथि से पांचवीं वर्षगांठ पर प्रयोग किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है। (ii) टैक्स कॉलः यदि कोई टैक्स इवेंट (जैसा कि नीचे वर्णित है) हुआ है और जारी है तो जारीकर्ता, ऐसे टैक्स कॉल या वेरिएशन (जिसे नोटिस में टैक्स कॉल के प्रयोग के लिए निर्धारित तिथि या "टैक्स कॉल तिथि" के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा) के प्रयोग की तारीख से कम से कम 21 कैलेंडर दिन पहले ट्रस्टी को सूचित कर बॉन्ड के लिए कॉल का प्रयोग कर सकता है या बॉन्ड को प्रतिस्थापित कर सकता है या बॉन्ड की शर्तों को बदल सकता है ताकि बॉन्ड का बेहतर वर्गीकरण किया जा सके। यदि भारत में कराधान या विनियमों या नियमों को प्रभावित करने वाले कानूनों में किसी भी परिवर्तन या संशोधन अथवा ऐसे कानूनों, विनियमों या नियमों के आधिकारिक प्रयोग में कोई बदलाव के परिणामस्वरूप कोई टैक्स इवेंट हुआ है तो जारीकर्ता बॉन्ड पर कूपन के संबंध में अपनी कराधान देनदारियों की गणना के संबंध में कटौती का दावा करने का हकदार नहीं होगा। जारीकर्ता द्वारा टैक्स कॉल का प्रयोग आरबीआई द्वारा लागू दिशानिर्देशों (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है) में निर्धारित अपेक्षाओं के अधीन है। आरबीआई जारीकर्ता को टैक्स कॉल का प्रयोग करने की अनुमति तभी देगा जब आरबीआई आश्वस्त हो जाएगा कि जारीकर्ता बॉन्ड जारी करने के समय टैक्स इवेंट का अनुमान लगाने की स्थिति में नहीं था। (iii) विनियामक कॉलः यदि कोई विनियामक इवेंट (जैसा कि नीचे वर्णित है) हुआ है और जारी है तो जारीकर्ता, ऐसे विनियामक कॉल या वेरिएशन (जिसे नोटिस में विनियामक कॉल के प्रयोग के लिए निर्धारित तिथि या "विनियामक कॉल तिथि" के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा) के प्रयोग की तारीख से कम से कम 21 कैलेंडर दिन पहले ट्रस्टी को सूचित कर बॉन्ड के लिए कॉल का प्रयोग कर सकता है और बेहतर विनियामक वर्गीकरण वाले लिखत के साथ प्रतिस्थापित कर सकता है या आरबीआई के पूर्व अनुमोदन से समान विनियामक वर्गीकरण के साथ कूपन को कम या प्रतिस्थापित कर सकता है या बॉन्ड की शर्तों को बदल सकता है ताकि बॉन्ड का बेहतर वर्गीकरण किया जा सके। यदि विनियामक वर्गीकरण में बॉन्ड डाउनग्रेड होता है तो यह माना जाएगा कि विनियामक घटना हुई है, उदाहरण स्वरूप जारीकर्ता की विनियामक टियर 1 पूंजी से बॉन्ड को हटा देना। जारीकर्ता द्वारा विनियामक कॉल का प्रयोग आरबीआई द्वारा लागू दिशानिर्देशों (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है) में निर्धारित अपेक्षाओं के अधीन है। आरबीआई जारीकर्ता को विनियामक कॉल का प्रयोग करने की अनुमति केवल तभी देगा जब आरबीआई आश्वस्त हो जाएगा कि जारीकर्ता बॉन्ड जारी करने के समय विनियामक इवेंट का अनुमान लगाने की स्थिति में नहीं था।
14	परिपक्व होने वाली राशि	रु. 2000 करोड़
15	कूपन दर (स्थायी)	6.18 %
16	ब्याज की आवृत्ति	वार्षिक और गैर संचयी
17	ब्याज देय की तिथियां	अवकाश की शर्तों को ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष 13 जनवरी तक मोचन / कॉल ऑप्शन का प्रयोग
18	पहले ब्याज के भुगतान की तिथि	13 / 01 / 2022

सारणी डीएफ –15: पारिश्रमिक के लिए प्रकटीकरण आवश्यकयताएं

.....लागू नहीं

बेसल III पर भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र के अनुसार यह सारणी भारत में कार्यरत सभी निजी एवं विदेशी बैंकों के लिए ही लागू है ।

सारणी डीएफ –16 : ईक्विटी – बैंकिंग बुक स्थितियों के लिए प्रकटीकरण

बैंकों द्वारा निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन हेतु विवेकपूर्ण मानदण्डों पर भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्र के अनुपालन में खरीद के समय में ही निवेशों को व्यापार के लिए धारित (एचएफटी), बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) ओर परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। छोटी अवधि में ही मूल रूप से बिक्री के लिए धारित निवेशों को एचएफटी प्रतिभूति के रूप में वर्गीकृत किया जाता हैं। जिन प्रतिभूतियों को बैंक परिपक्वता तक धारित करने का इरादा रखता है, उन्हें एचटीएम संवर्ग में वर्गीकृत किया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों की ईक्विटी में निवेश को एएफएस प्रतिभूति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी निवेशों को एएफएस प्रतिभूति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

एचटीएम सवंर्ग में धारित ईक्विटी निवेशों को अर्जन लागत पर रखा जाता है। बैंकिंग बही के अंतर्गत ईक्विटी निवेश, अनुषंगियों और सहयोगी संस्थाओं में बैंक के निवेश है। 31.03.2022 तक बैंकिंग बही के अंतर्गत ईक्विटी शेयरों में बही मूल्य रुपए 2521.02 मिलियन हैं।

सारणी डीएफ 17 – लेखांकित आस्तियों की तुलना में लिवरेज अनुपात एक्स्पोजर कदमों की तुलना का सारांश(रुपए मिलियन में)

(₹ मिलियन में)

	मद	
1	प्रकाशित वित्तीय विवरण के अनुसार कुल समेकित आस्तियां	67,27,651.11
2	बैंकिंग, वित्तीय, बीमा या वाणिज्यिक उपक्रमों में निवेश के लिए समायोजन जिन्हें लेखांकन के प्रयोजनों के लिए समेकित किया गया है परंतु विनियामक समेकन के दायरे के बाहर है।	(1,050.00)
3	परिचालनगत लेखांकन ढांचे के अनुरूप तुलन–पत्र में पहचानी गयी प्रत्ययी आस्तियों के लिए समायोजन परंतु जो लिवरेज अनुपात एक्स्पोज़र कदम के दायरे से बाहर है।	0.00
4	व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों के लिए समायोजन।	65,287.98
5	प्रतिभूतियों के वित्तीयन लेनदेनों के लिए समायोजन (अर्थात् रेपो और इसी प्रकार के रक्षित ऋण)	10,878.07
6	तुलन–पत्र से बाहर की मदों के लिए समायोजन (अर्थात् तुलन–पत्र के बाहर की एक्सपोज़र राशियों का ऋण–समतुल्य राशियों में परिवर्तन।	4,30,453.72
7	अन्य समायोजन	(1,502.84)
8	**लिवरेज अनुपात एक्सपोज़र**	**72,31,718.04**

डीएफ 18 – लिवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण टेम्प्लेट

रुपए मिलियन में

	मद	
	तुलन–पत्र में आनेवाले एक्सपोज़र	**समेकित**
1	तुलन–पत्र में आनेवाली मदें (व्युत्पन्न और एसएफटी को छोड़कर परंतु संपार्श्विक को शामिल करते हुए)	63,82,649.11
2	(बेसल III टियर I पूंजी के निर्धारण में घटायी गयी आस्ति राशियां।	(2,552.84)
3	कुल तुलन–पत्र में आनेवाली मदें (व्युत्पन्न और एसएफटी को छोड़कर) (ऊपर 1 और 2 का योग)	63,80,096.27
	व्युत्पन्न एक्सपोज़र	
4	सभी व्युत्पन्न लेनदेनों से संबंधित पुनः स्थापन लागत (अर्थात् पात्र नकदी विभिन्नता मार्जिन को घटाने के बाद)	9,421.52
5	सभी व्युत्पन्न लेनदेनों से संबंधित पीएफई के लिए एड–ऑन राशियां	55,866.45
6	परिचालनगत लेखांकन ढांचे के अनुपालन में तुलन–पत्र की आस्तियों से जहां कटौती की गई है, प्रावधान किए गए व्युत्पन्न संपार्श्विक की सकल राशि।	0.00
7	(व्युत्पन्न लेनदेनों में प्रावधान किए गए नकदी विभिन्नता मार्जिन के लिए प्राप्य आस्तियों की कटौती)	0.00
8	(ग्राहक द्वारा क्लियर किए गए व्यापार एक्सपोज़र में छूट प्राप्त सीसीपी लेग)	0.00
9	लिखित ऋण व्युत्पन्न के लिए समायोजित प्रभावी नाम मात्र राशि।	0.00
10	(लिखित ऋण व्युत्पन्न के लिए समायोजित प्रभावी नाम मात्र ऑफसेट और एड–ऑन कटौतियां)	0.00
11	कुल व्युत्पन्न एक्सपोज़र (ऊपर 4 से 10 का योग)	65,287.98

	प्रतिभूतियों के वित्तीयन संबंधित लेनदेन एक्सपोज़र	
12	सकल एसएफटी आस्तियां (नेटिंग की पहचान रहित), बिक्री लेखांकन लेनदेनों के समायोजन के बाद)	3,45,002.01
13	(सकल एसएफटी आस्तियों में देय नकदी और प्राप्य नकदी की निवल राशियां)	0.00
14	एसएफटी आस्तियों के लिए सीसीआर एक्सपोज़र	10,878.07
15	एजेंट लेनदेन एक्सपोज़र	0.00
16	कुल प्रतिभूति वित्तीयन लेनदेन एक्सपोज़र (ऊपर 12 से 15 का योग)	3,55,880.07
	अन्य तुलन–पत्र से बाहर के एक्सपोज़र	
17	सकल नाममात्र राशि पर तुलन पत्र से बाहर के एक्सपोज़र	13,97,002.98
18	(ऋण समतुल्य राशियों में परिवर्तन हेतु समायोजन)	(9,66,549.26)
19	तुलन–पत्र से बाहर की मदें (ऊपर 17 और 18 का योग)	4,30,453.72
	पूंजी और कुल एक्स्पोज़र	
20	टियर । पूंजी	4,17,461.62
21	कुल एक्सपोज़र (पंक्ति 3, 11, 16 और 19 का योग)	72,31,718.04
	लिवरेज अनुपात	
22	बेसल ।।। लिवरेज अनुपात	5.77%

Left intentionally blank

DIRECTORS' REPORT 2021-22

To

The Members,

Your Directors have immense pleasure in presenting the Bank's Annual Report along with the Audited Statement of Accounts and the Cash Flow statement for the year ended 31st March 2022.

FINANCIAL HIGHLIGHTS

The major highlights of your Bank's performance during FY22 are as follows:

A. Resource mobilization & Advances: (₹ in Cr)

Particulars	31.03.21	31.03.22	YoY (%)
Domestic Deposits	529264	584661	10.47
Of which Current	31861	35969	12.89
Savings	195166	211120	8.17
CASA	227027	247089	8.84
CASA Mix (%)	42.89	42.26	-63 bps
Overseas Deposits	8807	8957	1.70
Global Deposits	538071	593618	10.32
Domestic Advances (Gross)	379537	395698	4.26
Overseas Advances (Gross)	10780	19927	84.85
Total Advances (Gross)	390317	415625	6.48
Total Business	928388	1009242	8.71
Total Assets	626005	671668	7.29

1. Global Deposits grew by 10.32% YoY and stood at ₹ 5,93,618 Cr in March 2022.
2. Domestic CASA increased to ₹ 2,47,089 Cr registering a growth of 8.84% YoY. In order to augment the CASA portfolio, Bank has mobilised 40,87,902 new CASA accounts during FY22.
3. Bank's Domestic Term Deposits posted a growth of 11.69% in FY22 as against 6.92% in FY21.
4. Gross Advances of the Bank increased by 6.48% on a YoY basis to ₹ 4,15,625 Cr as on March 31, 2022 from ₹ 3,90,317 Cr as on March 31, 2021.
5. Priority Sector Advances were at ₹ 1,48,806 Cr as on March 31, 2022. Priority sector as a percentage to Adjusted Net Bank Credit (ANBC) for FY22 stood at 45.47% as against the mandatory target of 40.00%.
6. Agriculture Credit (Priority Sector) was at ₹ 68,936 Cr and the percentage to quarterly ANBC stood at 21% as against the mandatory target of 18.00%.
7. All mandatory targets stipulated by RBI have been surpassed during FY22.
8. Gross NPA and Net NPA reduced to ₹ 35,214 Cr (8.47%) and ₹ 8,849 Cr (2.27%) respectively as on March 31, 2022 as against ₹ 38,455 Cr (9.85%) and ₹ 12,271 Cr (3.37%) respectively in March 31, 2021.
9. Total recovery of NPAs (including recovery in AUC accounts) during FY22 amounted to ₹ 5,087 Cr as against ₹ 4,477 Cr in the previous year.
10. Recovery in AUC accounts amounted to ₹ 1,612 Cr during FY 22 as against ₹ 618 Cr in during FY 21.
11. Provision Coverage Ratio (PCR) of the Bank improved by 526 bps to 87.38% in FY 22 as against 82.12% in FY21.
12. Bank has a network of 5,732 domestic branches as on March 31, 2022 and 3 overseas branches, taking the total branch network to 5,735.
13. Total number of Bank's ATMs and BNAs stood at 4,925 which include 624 offsite ATMs/BNAs and 3 mobile ATMs.
14. 1969 Passbook Kiosks have been installed by the Bank as on 31st March 2022.

B. INCOME AND EXPENDITURE (₹ in Cr)

Particulars		31.03.21	31.03.22	YoY (%)
Interest Earned		39106	38856	-0.64
Interest Expended		23440	22128	-5.60
Net Interest Income (NII)		15666	16728	6.78
Other Income		5650	6915	22.39
Of which –	Fee Income	2368	2555	7.90
	Profit on sale of Investments	2124	1626	-23.45
	Recovery of bad debts	618	1612	160.84
Operating Revenue (NII + Other income)		21316	23643	10.92
Operating Expenses		10349	10926	5.58
Of which	Employee Expenses	6378	6695	4.97
	Other operating Expenses	3971	4231	6.55
Operating Profit		10967	12717	15.96
Provisions		7962	8772	10.17
Of which	Provisions for NPA (inclusive of NPI)	7318	8557	16.93
	Provision for Standard advances	469	962	105.12
	Provision for Tax	(99)	(741)	-
Net profit		3005	3945	31.28

As on March 31, 2022,

1. Total income of the Bank increased by 2% and stood at ₹ 45,771 Cr, with Interest Income at ₹ 38,856 Cr and other Income at ₹ 6,915 Cr.
2. Bank's Total Expenditure contracted by 2.17% and stood at ₹ 33,054 Cr with Interest Expenditure at ₹ 22,128 Cr and Operating expenses at ₹ 10,926 Cr
3. Bank's Operating Profit and Net Profit witnessed an increase of 16% and 31% respectively and stood at ₹ 12,717 Cr and ₹ 3,945 Cr respectively. (For FY21 the same was at ₹ 10,967 Cr and ₹ 3,005 Cr respectively).

C. Key Ratios for Mar'22 are as under: (in %)

Parameters	Mar'21	Mar'22
Yield on Advances	7.45	7.21
Cost of Deposits	4.44	3.97
Return on Assets	0.50	0.63
Return on Equity	10.63	12.13
Net Interest Margin	2.81	2.93
Cost Income ratio	48.55	46.21
Average Business per employee (₹ in lakh)	2077	2252
Profit per employee (₹ in lakh)	7.22	9.91

D. NETWORTH AND CRAR

1. Networth of the Bank stood at ₹ 33,625 Cr as on March 31, 2022 as against ₹ 29,812 Cr in March 31, 2021.
2. As per Basel III norms, the Capital to Risk weighted Assets Ratio (CRAR) was at 16.53% as on March 31, 2022, compared to 15.71% in March 31,2021 and as against the regulatory requirement of 11.50%. The CET- I ratio was at 12.53% as against 11.27% in March 31, 2021 and the minimum requirement of 8.00%. The CRAR of Tier I capital was at 13.17% as of March 31, 2022.
3. During the year, Bank raised Equity capital of ₹ 1,650 Cr through Qualified Institutional Placement (QIP). Government holding has come down from 88.06% as on March 31, 2021 to 79.86% as on March 31, 2022.

(in %)

BASEL III	As on	
	Mar'21	Mar'22
CET- I	11.27	12.53
Tier- I Capital	11.93	13.17
Tier-II Capital	3.78	3.36
TOTAL	**15.71**	**16.53**

E. RECRUITMENT /TRAINING

As per Government guidelines, pre-recruitment and pre-promotion trainings were offered to SC/ST employees during the process of direct recruitment and internal promotions.

F. CHANGES IN THE BOARD DURING THE YEAR:

All the Directors have been appointed/nominated by the Govt. of India (GOI) except Shareholder Directors.

1. Shri Shanti Lal Jain assumed charge as Managing Director and Chief Executive Officer of the Bank from 01.09.2021 vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, notification dated 26.08.2021.
2. Shri Ashwani Kumar assumed charge as Executive Director of the Bank from 21.10.2021 vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, Notification dated 21.10.2021.
3. Ms.Papia Sengupta was elected as shareholder Director of the Bank for a period of three years from 29.10.2021.
4. Shri.Balmukund Sahay was nominated as Part-time Non official Director of the Bank for a period of three years vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, notification dated 21.12.2021.
5. Shri Vishvesh Kumar Goel was nominated as Part-time Non official Director of the Bank for a period of three years vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, notification dated 21.12.2021.
6. Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, notification dated 08.03.2022 nominated Dr. Aditya Gaiha as RBI Nominee Director in the place of Shri S K Panigrahy. Shri S. K. Panigrahy was RBI Nominee Director upto 07.03.2022.
7. Shri K Ramachandran was Executive Director of the Bank till 30.06.2021
8. The three-year term of Ms. Padmaja Chunduru as Managing Director and Chief Executive Officer of the Bank ended on 31.08.2021.
9. The term of Shri V V Shenoy as Executive Director of the Bank ended on 31.03.2022 on his superannuation.

G. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended

March 31, 2022: –

1. The applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any;

2. The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India, were consistently applied;

3. Reasonable and prudent judgment and estimates were made so as to give a true and fair view on the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and profit of the Bank for the year ended March 31, 2022.

4. Proper and sufficient care were taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India; and

5. The accounts have been prepared on a going concern basis.

H. ACKNOWLEDGEMENT

The Board expresses its deep sense of gratitude to the Government of India, State Governments, Reserve Bank of India and Securities & Exchange Board of India for the valuable guidance and support received from them. The Board also thanks the financial institutions and correspondent Banks for their co-operation and support. The Board acknowledges the unstinted support of its customers and shareholders.

The Board places on record its appreciation for the valuable contribution made by Ms. Padmaja Chunduru, Shri K Ramachandran, Shri S. K. Panigrahy, and Shri V V Shenoy who ceased to be members during the year.

The Board places on record its appreciation for the dedicated services and contribution made by members of staff for the overall performance of the Bank.

For and on behalf of Board of Directors

SHANTI LAL JAIN
MANAGING DIRECTOR & CHIEF EXECUTIVE OFFICER

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

1. GLOBAL ECONOMY

Global economy has grown by 6.1% in the year 2021. As per advance estimates given by the International Monetary Funds (IMF) it is likely to grow by 3.6% in the year 2022.

Global economy witnessed a gradual revival from the devastating impact of the Covid-19 pandemic during the first three quarters of FY22 despite the challenges posed by the second wave of the pandemic.

The massive vaccination drives by the Government helped in countering the impact of the pandemic. However, Global economic prospects have deteriorated significantly for this year on account of short-lived impact of the Omicron variant, face-off between Russia and Ukraine, lockdowns imposed in China disrupting the global supply chains.

With persistent & broad-based inflation, major advanced economies (AEs) called off/ tightened their ultra-accommodative monetary policies. Overall risks to economic prospects have risen sharply and policy trade-offs have become ever more challenging.

Considering the developments, IMF in its "World Economic Outlook" released in Apr'22 has projected the global growth at 3.6% for both 2022 and 2023, which was 0.8% and 0.2% points lower respectively than the Jan'22 forecast.

2. INDIAN ECONOMY

Indian economy has grown by 8.9% in FY21 and estimated to grow by 8.2% in FY22 as per latest world economic outlook by IMF.

The Reserve Bank of India maintained status quo on policy rates throughout FY22 to sustain growth on a durable basis and continue to mitigate the impact of COVID-19 on the economy, while ensuring that inflation remains within the target going forward.

Geo-political tensions resulted in sharp jump in commodity prices, crude oil prices, etc. which has inter-alia resulted in increase in Consumer Price Index (CPI) inflation to 6.07% in Feb 22 and a seventeen month high of 6.95% in Mar 22, crossing the upper tolerance band of RBI

In the interest of customer convenience, and to take advantage of the availability of RTGS on all days of the year, RBI proposed to make available NACH on all days of the week throughout the year, effective from 1st Aug'21.

Bank lending to registered NBFCs (other than MFIs) for on-lending to Agriculture, MSME and Housing was permitted to be classified as Priority Sector Lending (PSL). The facility was extended till 31st Mar'22 from earlier validity period of 30th Sep'21.

Higher commodity prices including crude-oil prices may impact growth and inflation, RBI projected CPI inflation to average at 5.7% in FY23 and GDP growth of 7.2% in FY23.

The RBI enhanced the investment limit for foreign portfolio investors (FPIs) under (Voluntary Retention Route (VRR) by ₹1,00,000 Cr to ₹2,50,000 Cr with effect from 1st Apr'22.

On the basis of an assessment of evolving macroeconomic situation across the world, RBI increased the policy repo rate by 40 basis points to 4.40%, on 4th May 2022.

RBI introduced Standing Deposit Facility (SDF) as the floor for the Liquid Adjustment Facility (LAF) corridor. Considering the continuous rise in inflation RBI has re-activated SDF as an additional tool for sucking excess liquidity from the market.

RBI decided to enhance the exposure threshold from ₹25 Cr to ₹50 Cr to MSMEs as well as non-MSME small businesses and loans to individual for business purposes under Resolution Framework 2.0.

In consonance with the stance of gradual withdrawal of liquidity, RBI also decided to increase the cash reserve ratio (CRR) by 50 basis points to 4.5% of net demand and time liabilities (NDTL), effective from the fortnight beginning May 21, 2022.

RBI proposed to increase the cap on amount for e-RUPI vouchers issued by Governments to ₹1,00,000 per voucher and allow use of the e-RUPI voucher multiple times (until the amount of the voucher is completely redeemed).

RBI took decision to continue with the risk weights for all new housing loans sanctioned up to March'23.

The Reserve Bank of India has decided to enhance the limit for inclusion of SLR eligible securities in the

HTM category to 23% of NDTL and allow the banks to include securities acquired between April 1, 2022 and March 31, 2023 under the enhanced limit of 23%.

Reserve Bank of India also maintained ample surplus liquidity in the system with an objective to nurture and support the nascent growth by ensuring adequate flow of credit to the productive sectors of the economy.

RBI continued with rebalancing of liquidity from the passive fixed rate overnight reverse repo window towards longer tenors through VRRR auctions in a gradual, calibrated and non-disruptive manner.

RBI launched Retail Direct Scheme and the Integrated Ombudsman Scheme, which aims on further deepening of financial inclusion and undertaking people centric initiatives.

The central bank allowed investors to bid in primary auctions as well as the central bank's trading platform for government securities called Negotiated Dealing System-Order Matching Segment or NDS-OM.

RBI has proposed to launch a UPI-based payment product also for feature phone users to deepen financial penetration.

Union Budget FY23

The fiscal deficit as per GoI's Revised Estimates (RE) for FY22 is mildly wider at ₹1.59 lakh Cr (6.9% of GDP), compared to the budgeted target of ₹1.51 lakh Cr (6.8% of GDP).

The outstanding debt of central government is estimated to increase by 12% in FY23 at ₹152 lakh Cr. It would be around 59% of GDP, 2.1% lower than FY21 and 0.5% higher than FY22.

Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS) extended up to Mar'23 and guarantee cover expanded by ₹50,000 Cr to total cover of ₹5 lakh Cr, with the additional amount being earmarked exclusively for the hospitality and related enterprises.

Raising and Accelerating MSME Performance (RAMP) programme with outlay of ₹6,000 Cr over 5 years was announced to be rolled out aiming to increase the productivity and competitiveness of MSMEs thereby revitalising the MSME sector.

Announcement was made to increase capital expenditure outlay by 35.4% to ₹7.50 lakh Cr which may increase demand for capital equipment and construction machinery. Additional allocation of ₹19,500 Cr for PLI for manufacture of high efficiency modules, with priority to fully integrated manufacturing units, aims to promote domestic manufacturing of solar modules and reduce dependency on imports.

Launch of Central Bank Digital Currency (CBDC) in FY23

SCBs to set up 75 Digital Banking Units in 75 districts to promote digitisation initiatives.

3. BANKING SECTOR:

The banking system has liquidity surplus since Jun'19 due to higher growth in bank deposits versus the credit growth. Deposits stood at ₹170.16 lakh Cr in Mar'22, registering a growth of 10.21 % YoY.

Credit offtake picked up during FY22 after the slowdown of COVID-19 driven by all the major economic sectors. Credit growth for scheduled commercial banks (SCBs) increased by 10.82% YoY in Mar'22 from 5.61% a year ago.

4. DETAILED BUSINESS OVERVIEW

Total Business recorded a YoY growth of 9% reaching a level of ₹1009242 Cr in Mar'22 as against ₹928388 Cr in Mar'21. Domestic Business recorded a growth of 8% and reached ₹980358 Cr as against ₹908801 Cr in March 2021.

Total Deposits grew by 10% YoY to ₹593618 Cr in Mar'22 as compared to ₹538071 Cr in the previous year.

CASA Deposits reached ₹247926 Cr as against ₹227595 Cr as on March 2021 and registered a growth of 9%.

Advances grew by 6% to ₹415625 Cr in Mar'22 over ₹390317 Cr a year ago. Domestic Credit reached ₹395698 Cr. (₹379537 Cr as on March 31, 2021)

Global Credit-Deposit Ratio stood at 70.02%.

(a) DEPOSITS:

Performance under Domestic Deposits in FY 22:

₹ in Cr

Deposits	Mar'21	Mar'22	YoY (%)
Current Account	31861	35969	12.89
Savings Bank	195166	211120	8.17
CASA	227027	247089	8.84
CASA% to Total Deposits	42.89	42.26	-63 bps
Term Deposit	302237	337571	11.69
Domestic Deposits	**529264**	**584661**	**10.47**

Savings Bank Deposits exhibited growing trend and reached at ₹211120 Cr as on Mar'2022 against ₹195166 Cr in Mar'2021 with YoY Growth of 8%.

Current deposits have grown by 12.89% (YoY) with outstanding of ₹35969 Cr as on Mar'2022 against ₹31861 Cr in Mar'2021.

Term Deposit grew by 11.69% (YoY) to ₹337571 Cr as on Mar'2022 as against ₹302237 Cr in Mar' 2021.

During FY22, Bank has opened 39.95 lakhs new Saving Bank Accounts and 0.93 lakhs new Current Accounts.

Overseas Deposit grew by 2% (YoY) to ₹8957 Cr as on Mar'2022 as against ₹8807 Cr in Mar' 2021.

Non Resident Indian (NRI) Deposits reached a level of ₹12,270 Cr as on 31.03.22 against ₹12,086 Cr as on 31.03.21.

Bank launched a special scheme for women on International Women's Day on 8th Mar'22 namely "IND Mahila Shakti-555 Days" with special rate of interest at 5.15 %.

(b) RETAIL CREDIT:

Retail credit of the Bank grew at 15 % YoY from ₹69987 Cr to ₹80433 Cr as on March 31, 2022, as detailed below:

(₹ in Cr)

Parameters	Mar'21	Mar'22	Growth YoY
Home Loan Incl. Mortgage Loan	47682	53852	13%
Vehicle Loan	3649	4198	15%
Salary Loan	2944	4422	50%
Pension Loan	801	884	10%
Education Loan	4684	4626	-1%
JL NP including Pool	3832	4787	25%
LAD/ Others	6395	7665	20%
Total Retail Credit	**69987**	**80433**	**15%**

During FY 21-22, a total of ₹31062 Cr has been sanctioned in 467974 accounts.

The number of Direct Selling Agents (DSA) increased to 8137 as on 31.03.2022.

During the year, various products viz. Ind Kavach (personal loan scheme for meeting Covid-19 related expenses), Housing Loan Premium, Used Cars & Two Wheelers Loan were launched.

Bank has 79 Retail Asset Processing Centres (RAPCs) to exclusively process retail loans.

Co Lending Mechanism (CLM)

Bank has entered into MoU with India Bull HFL, India Bulls CCL, IIFL Housing Finance Limited, AVANSE Financial Services, Edelweiss HFL, ECL Finance Limited, IIFL Finance, SK Fin-Corp Limited. An aggregate amount of ₹500 Cr has been sanctioned under the mechanism.

(c) AGRICULTURE

Agriculture credit of the Bank grew at 12% YoY from ₹78775 Cr to ₹88100 Cr as on March 31, 2022, as detailed below:

(₹ in Cr)

Agriculture	31.03.2021	31.03.2022	YoY(%)
Crop Loans	64898	69051	6%
Investment credit	6327	9241	46%
Agri allied	1702	3192	88%
Infrastructure & Ancillary	5848	6616	13%
Total Agriculture	**78775**	**88100**	**12%**

Bank has sold PSLC of ₹34830 Cr and earned income of ₹571 Cr in FY22

Agricultural Disbursement:

Under Ground Level Credit Flow to Agriculture (GLC), Bank disbursed farm loans to the tune of ₹58120 Cr during the FY 2021-22 as against an annual target of ₹45000 Cr.

During the FY 2021-22, Bank disbursed a sum of ₹36309 Cr to 28.39 lakh Small/Marginal Farmers.

Performance under RBI mandatory target under Priority Sector Advances in FY22

Priority Sector Advances was at ₹148806 Cr as on 31.03.2022. Priority sector as a percentage to quarterly average Adjusted Net Bank Credit (ANBC) for 2021-22 stood at 43.83% as against the mandatory target of 40.00%.

Agriculture Credit under priority sector was at ₹68936 Cr as on 31.03.2022 and the percentage to quarterly average ANBC for 2021-22 stood at 20.10% as against the mandatory target of 18.00%.

Lending to SF/MF stood at ₹34255 Cr as on 31.03.2022 and constituted 9.94% of Adjusted Net Bank Credit

(ANBC) on quarterly average basis for the year 2021-22 as against the mandatory target of 9.00%.

Lending to Weaker Sections stood at ₹41458 Cr as on 31.03.2022 and constituted 12.82% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) on quarterly average basis for the year 2021-22 as against the mandatory target of 11%.

Lending to MSE-Micro Enterprises stood at ₹30599 Cr as on 31.03.2022 and constituted 8.87% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) on quarterly average basis for the year 2021-22 as against the mandatory target of 7.50%.

Lending to Non-Corporate Farmers stood at ₹66776 Cr as on 31.03.2022 and constituted 19.08% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) on quarterly average basis for the year 2021-22 as against the mandatory target of 12.73%.

CREDIT FLOW TO SELF HELP GROUPS:

Self Help Groups (SHGs) have become the vehicle of change in the rural areas, transforming the lives of the marginalized community & expanding the horizons of livelihood opportunities for women predominantly in rural & semi urban areas. With a vision to support these groups in achieving the planned target of faster, more inclusive and sustainable growth, Bank has actively promoted SHG Bank Linkages.

The outstanding credit to SHGs stood at ₹9524 Cr covering 3.30 lakh SHGs as on March 2022. During the current financial year, the Bank had disbursed ₹7035 Cr to 1.87 Lakh SHGs.

Bank has surpassed the Target set by National Rural Livelihood Mission under both Disbursement (₹7035 Cr) and Outstanding (₹9524 Cr) for FY 2021-22 as against targets of ₹6748 Cr and ₹8588 Cr respectively.

Microsate Branches: Special attention is being given for SHGs in urban locations with 44 Exclusive SHG Financing Branches serving as 'One Stop Shop' - providing credit as well as credit plus services like training, maintaining accounts/books etc. During the financial year 2021-22, credit amounting to ₹1416 Cr has been extended to 26652 SHGs through the Microsate branches. The total outstanding advances of these Microsate Branches stood at ₹1738 Cr covering 43422 SHGs as on March 2022.

Joint Liability Groups: Bank is encouraging financing through Joint Liability Groups, with a view to render credit support to those category of farmers who do not possess proper land records/not having own lands. The outstanding credit to JLGs stood at ₹287 Cr covering 15210 JLGs as on 31.03.2022.

WEAKER SECTION ADVANCES:

Bank has been continuously surpassing the mandatory advance target set for the weaker sections which includes Small and Marginal Farmers, Artisans, Village and Cottage Industries, Scheduled Castes and Scheduled Tribes, Self Help Groups, etc.

Credit outstanding to Weaker Sections stood at ₹41458 Cr as at the end of March 2022, which works out to 12.82% of Quarterly Average ANBC as against stipulated norm of 11%.

Outstanding credit to SC/ST beneficiaries stood at ₹5634 Cr as on 31.03.2022.

Observance of SC/ST and Minority Credit Campaigns

Special campaigns were conducted for extending credit to Minorities and SC/STs. Outstanding position of advances to Minorities stood at ₹22650 Cr as on March 2022 which works out to 15.22% of total Priority Sector Advances position of the Bank as on March 2022.

(d) MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (MSME)

MSME credit of the Bank grew at 6 % YoY from ₹70180 Cr to ₹74167 Cr as on March 31, 2022

Bank has surpassed the sub target of lending to Micro enterprises at 11.22% against target of 10%.

Bank is actively participating in all the three platforms of TReDS viz. RXIL, Invoicemart and M1xchange. During FY 22, 18,886 bills for ₹1904 Cr were discounted.

Bank is having 79 MSME processing centres which have helped in improving Turn Around Time (TAT) and ensuring quality lending.

Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS)

Under ECLGS, the Bank has extended support to 2,73,756 borrowers amounting to ₹10596 Cr. Bank has launched IND Sanjeevini, IND Arogyam, Loan Guarantee Scheme for Covid Affected Sector (LGSCAS) and Loan Guarantee Scheme for Covid Affected Tourism Service Sector (LGSCATSS) under ECLGS 4.0

Resolution Framework

To ease the stress faced by MSME borrowers in serving the loan interest/ instalment, Restructuring has been allowed to 77014 MSME units amounting to ₹8897 Cr under RP 1.0 and RP 2.0.

PMSVANIDHI Scheme – Loans to Street Vendors

Under the PMSVANIDHI scheme, Bank has sanctioned 212050 applications amounting to ₹218 Cr.

MSME CLUSTERS:

Bank has approved 59 MSME clusters for financing under attractive terms. As on 31.03.2022, ₹4871 Cr have been financed under these clusters. Bank is in the process of identifying more clusters.

MUDRA SCHEME

Bank has surpassed the target of ₹4550 Cr of Mudra loans by sanctioning ₹4575 Cr in FY22.

All 3 RRBs of the Bank cumulatively sanctioned ₹2274 Cr as such, against the cumulative targets of ₹6800 Cr for Bank & RRBs, the Bank & RRBs collectively sanctioned ₹6849 Cr.

MSME PRERANA

Bank is providing financial literacy program to MSME entrepreneurs with special focus on Women / SC/ST. During the year, 1191 entrepreneurs were trained which include 342 women entrepreneurs.

(e) CORPORATE& MID CORPORATE CREDIT

Corporate credit of the Bank stood at ₹152998 Cr (Mar'22) constituting 39% of the overall credit of the Bank. During FY22, the Bank added several new clients to its fold.

9 LCBs are functional to cater to the needs of corporate clients and are directly reporting to Corporate Office.

Mid Corporate Credit Vertical was formed during FY21 to deal with borrowers having individual exposure of ₹25 Cr to less than ₹150 Cr. The vertical started with 17 identified branches named as Mid Corporate Branches (MCBs) located at centers with high business potential.

(f) OVERSEAS CREDIT

Bank has three foreign branches located at Singapore, Colombo, Jaffna and IFSC Banking Unit (IBU) at Gandhi Nagar, Gujarat. Total outstanding Advances (gross) of the foreign branches (including IBU) as on March 31 2022 was ₹19927 Cr as against ₹10780 Cr a year ago with a YoY growth of 85%.

(g) FOREX BUSINESS

Turnover in Foreign Exchange business of the Bank increased to ₹60,667 Cr in FY 22 as against ₹40,980 Cr in FY 21.

During FY 22, the total turnover in the interbank forex market amounted to ₹26,02,961 Cr against ₹18,23,026 Cr in FY 21.

Bank has identified 208 Branches covering all the Major places /Business centers of the country for catering the FX needs of the customers. These Branches are directly connected with one of the two FXCPC located in Chennai and Mumbai. FXCPCs are the centralized processing center of the Bank for processing all types of Foreign Exchange Transaction. The Bank has Correspondent Arrangements across the globe.

Remittances

Enterprise Remittances Scheme from Singapore offers instant credit to customer accounts in India with rupee equivalent of the foreign remittances. The facility is available on all days of the week.

Other inward remittance facilities offered by the Bank include Western Union Money Transfer and Ria Money Transfer under the MTSS scheme of RBI, besides normal SWIFT based Money Transfer across the globe.

Electronic Funds Transfer arrangement is in place with Exchange Houses viz., UAE Exchange Centre WLL–Kuwait, Al Zaman Exchange WLL – Qatar, GCC Exchange – Dubai, Al Dar For Exchange – Qatar and with M/s Al Rajhi Bank, Saudi Arabia is in place under the Rupee Drawing Arrangement Scheme of RBI

(h) FINANCIAL INCLUSION

PRADHAN MANTRI JAN-DHAN YOJANA (PMJDY):

As on 31st Mar'22, Bank is having 185 lakhs PMJDY accounts.

The balance in PMJDY accounts was at ₹7609 Cr as on Mar 31, 2022 as against ₹6779 Cr a year ago having a growth of 12%.

RuPay cards have been issued to 109.76 lakh (60%) account holders under PMJDY. Bank has sanctioned overdraft to 7.05 lakhs eligible PMJDY account holders

Social Security Schemes:under.

No. of Enrolments in lakhs	March'21	March'22	YOY Growth
APY	19.31	24.96	29.26%
PMJJBY	26.59	30.24	13.73%
PMSBY	72.97	80.14	9.83%

Under PMJJBY, 16672 claims and PMSBY 3947 claims were settled. The Settlement ratios are 94.80% and 97.90% of PMJJBY and PMSBY respectively.

(i) BANCASSURANCE & MUTUAL FUND

Bank has earned income of ₹85 Cr through Bancassurance business in FY22 as against ₹64 Cr in FY 21.

Bank under Corporate Agency Arrangement has partnered with 7 Insurance partners, 3 under Life, 3 under Non-life and 1 under Health detailed as under.

Vertical	Partner
Life Insurance	LIC of India
	SBI Life Insurance Co. Ltd.
	Aditya Birla Sun Life Insurance Co. Ltd.
Non-Life Insurance	United India Insurance Co. Ltd. (UIIC)
	Cholamandalam MS General Insurance Co. Ltd.
	Universal Sompo General Insurance Co. Ltd.
Health Insurance*	Niva Bupa Health Insurance Co. Ltd.

(*Apart from Niva Bupa, bank also distributes Health Insurance products of all General Insurance partners)

Bank is also offering Credit Life Insurance & Loan Cover through following partners:

Partner	For Portfolio
Kotak Mahindra Life	Home Loan & Education Loan
TATA AIA (Since Discontd.) Only claim settlement for previous loans	Home Loan
PNB Metlife	Education Loan
Aditya Birla Sun Life	Home loan & Clean loan
LIC Griha Jeevan & Jeeva Vidhya (Since Discontinued) Only claim settlement for previous coverage.	Home Loan & Education Loan

Mutual Fund Distribution

Independent tie-up arrangement with 9 Asset Management Companies (AMCs)

M/s. UTI AMC Co Ltd	Reliance Nippon AMC	SBI Mutual Fund
DSP Mutual Fund	Tata Mutual Fund	Principal PNB AMC
Kotak Mahindra AMC	Franklin Templeton AMC	Essel Finance AMC

Bank has a tie up with M/s FISDOM for distribution of Mutual Fund through digital platforms.

5. BRANCH NETWORK AND EXPANSION

Branch network of the Bank stood at 5732 branches as on 31.03.2022, comprising of 1938 Rural, 1498 Semi Urban, 1159 Urban and 1137 Metropolitan branches. Apart from the above, the Bank has 3 overseas branches viz., at Singapore, Colombo, Jaffna and an IFSC Banking Unit (IBU) at Gift City, Gandhi Nagar, Ahmedabad.

During FY 22, the Bank had expanded its branch network by opening 21 branches including 6 branches opened in Unbanked Rural Centres (URCs),1 in Left Wing Extremist (LWE) district and 1 in North-Eastern (NE) State of Manipur. Further, towards consolidation of banking outlets, 88 branches were rationalized during FY 22, taking this number to 291 post amalgamation.

As at the end of the year 2021-22, the Bank has 555 branches in the List of 90 Left Wing Extremist (LWE) districts identified by Reserve Bank of India.

6. TRANSFORMATION

DIGITALISATION INITIATIVES

Bank upholds digital transformation as the biggest enabler for quality customer service and with a mission to bring the best of innovation & technology in its offerings and be responsive to the unique needs of every customer through all channels of choice

Bank has embarked on a Digital Transformation journey named Project WAVE (World of Advanced Virtual Experience) on 10.01.2022 covering a gamut of transformation enablers. Bank has on-boarded M/s Boston Consulting Group as knowledge partner in this transformation journey.

Bank has launched its maiden end to end digital Pre-approved Personal Loan (PAPL) product in April 2022, offering the facility to avail loan through digital channels to its existing customers. Bank is also in the process of providing more such seamless digital journeys (automated and straight through process) for underwriting aimed at customer convenience.





First Digital Lending journey of Pre-approved Personal Loan launched on 28.04.2022 with instant disbursement in 3 Clicks. The product has received immense response and adulation from customers.

7. CREDIT MONITORING

Credit Monitoring commences from scrutiny of sanctions covering the entire loan lifecycle. It starts immediately after disbursal and SMS post disbursal and Pre-Default is sent as a gentle reminder to the customer(s). Call Centre follow-up and implementation of SI/NACH Mandate is undertaken. The daily Early Warning Signals, Monthly CRM (Credit Relationship Manager) Reports and follow-up of SMA accounts starting from SMA-0 stage keeps the asset quality healthy. Nearly 12000 to 15000 EWS alerts generated are analysed and immediate rectification measures undertaken.

Collection efficiency has improved from 88% last year (March-21) to 95% as on March-22.

8. ASSET QUALITY MANAGEMENT

Asset quality of Bank has improved as reflected through GNPA of 8.47% as on Mar' 22 against 9.85% as on Mar'21 and Net NPA ratio of 2.27% as in Mar'22 improved from 3.37% as of Mar'21

The Provision Coverage Ratio of the Bank as of Mar 22 was 87.38% which has improved from 82.12% as of 31st Mar'21

Bank has made recovery of ₹1087 crore during FY22 from NCLT admitted accounts

Under the SARFAESI Act, during the year, 601 properties were sold with sale price of ₹492 Cr.

Bank actively participated in all National Lok Adalat and also organized various Lok Adalats at Mandal Level. 33891 accounts were settled with settlement amount of ₹547 Cr

From Bad Debts Written off accounts, an amount of ₹1611 Cr was recovered during the year.

9. RISK MANAGEMENT

Credit Risk:

Risk Management Systems are in place to identify and measure the risks at the early stage and manage them by setting and monitoring prudential limits besides taking other corrective measures. This is done through credit risk management framework that allows credit risk to be tracked, managed and overseen in a timely and efficient manner.Credit risk framework includes the Credit Risk Management policy and Credit policy.

Credit Review Framework

Bank has adopted the Credit Review Framework, which involves credit risk assessment and risk categorisation of the credit proposals into Low, Medium, High risk and No-Go based upon quantified risk scoring matrices embedded in seven broad parameters namely Borrower, Promoter and Group entities, Activity/Industry, Security Coverage, Conduct of facilities, Ratings and Compliance position along with subjective risk parameters.

Asset Liability Management:

Asset Liability Management allows the Bank to measure and monitor risk exposures which may arise both from liquidity and interest rate risk on its balance sheet.

Asset Liability committee (ALCO) of the Bank periodically takes a review of the assets and liabilities of the Bank.

Market Risk Management:

Market risk is the possibility of loss on account of changes in the market variables. The objective of market risk management is to assist the business units in maximizing the risk adjusted rate of return by providing analytics driven inputs regarding market risk exposures, portfolio performance vis-à-vis risk exposures and comparable benchmarks.

Operational Risk:

Operational risk is the focus of intense interest among industry participants, regulators and other stake holders. Bank has put in place Operational Risk Management Framework (ORMF) and Operational Risk Management Systems (ORMS) to ensure effective governance, risk capture, assessment and quantification of operational risk exposure. Operational risk is well managed by using appropriate qualitative and

quantitative methods and established internal control systems in day to day management processes and adopting various risk mitigating strategies. The risk perceptions in various products/processes are critically analysed and corrective actions, if required, are initiated.

Bank has put in place frameworks for Risk Control Self Assessment (RCSA) and Key Risk Indicators (KRIs). Risk and control self-assessment is used to identify key operational risk and assess the degree of effectiveness of the internal controls.

Risk officers have been designated in each zone and Field General Manager's Office to act as a Nodal officer for coordinating with Risk Management Department to support and manage various types of risk emanating from business units.

Basel III Capital Regulations:

The Basel III Capital Regulations became effective in India since 1st April, 2013 and fully implemented since 1st October, 2021. Common Equity Tier 1 Capital of the Bank is 12.53 %, Additional Tier 1 at 0.64% and Total Capital Adequacy Ratio stand at 16.53%

Bank has adequate headroom to raise capital in all forms in case of need.

The Basel III capital rules also require an enhanced set of disclosures on the components of Capital Adequacy Ratio (CAR) which are published on quarterly basis on Bank's website. Bank is also disclosing leverage ratio, Liquidity Coverage Ratio (LCR) and Net Stable Funding Ratio (NSFR).

A holistic capital conservation module is developed by the Bank for monitoring and taking corrective action towards capital conservation.

10. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

Manpower Position

The position of manpower in the Bank as on 31.03.2022 is as follows:

Category	Total	OBC	SC	ST	Male	Female
Officers	24246	6693	4731	1994	17565	6681
Clerks	12577	3724	2746	650	8093	4484
Sub Staff	2616	537	1286	144	2249	367
Full Time Sweepers*	295	33	223	15	225	70
Total*	**39734**	**10987**	**8986**	**2803**	**28132**	**11602**

(* Domestic excluding Part Time Sweeper)

Recruitment Drive

Bank has recruited 308 employes during the FY 2021-22

Welfare measures for SC/ST/OBC/PWD employees

As per Government of India's guidelines, reservations are provided to Scheduled Castes (SCs), Scheduled Tribes (STs), Other Backward Classes (OBCs) and Persons with Disability (PWD) candidates in Direct Recruitment. Reservations for SC/STs in promotions are provided as per Government guidelines.

The SC/ST Welfare Cell/Reservation Cell at CO/HRM ensures prompt disposal of grievances/ representations (if any) of SC/ST employees. General Manager level officer is functioning as Chief Liaison Officer (CLO) to look after the interest of employees belonging to SC/ST and another GM is functioning as CLO for OBC employees.

HR Initiatives during the year:

New HRMS portal, Phase I launched in Dec-21 with 18 modules, Phase II will be launched shortly. Phase I consists of the major modules like CORE HR, Attendance, Payroll, PF, Pension and settlement etc

New Age Performance Management System (PMS) introduced with an aim to periodical assessment of performance with interactive dashboard and robust Individual development plan

Health Care tie up with M/s. Practo for free online Doctor consultation for serving and retired staff members : 41108 enrolled

11. HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

Details of internal trainings conducted during the period April 2021 to March 2022:

Sl. No.	Type of training	No. of Programs	No. of Participants
1	Training imparted through Self learning portal 'e-Pathshala'	54	7136
2	Online training from home	398	18188
3	Online training from workplace	414	11605
4	Class Room / Physical Training	76	2069
5	Capsule Programs / Webinars	713	20835

During the period FY 22, 1443 Executives/Officers have participated in training / webinar conducted by external institutes like CAB, IDRBT, CAFRAL, NIBM, FEDAI, ISACA, IIM and SBIL.

Eight Executives have undergone the Leadership Development programme through Banks Board Bureau (BBB)/ IIM Bangalore during FY 22.

Leadership Development Program was conducted for the top performing Executives through SBIL, Kolkata for 173 AGMs & 83 DGMs.

Competency Assessment by Behavioural Competency Mapping was conducted through M/s Deloitte for the 123 Executives in the rank of DGMs and AGMs and Individual Development Plan (IDP) was shared with all the Executives.

Focused program on ASBA Operations were conducted covering 5272 Officers

Program on Communicative Tamil was conducted in collaboration with Madras University for 160 Senior Executives / Officials in order to make the employees (posted in TN) be familiarised in the local language. In house programs were conducted for executives/ Officials of Corporate Office/ Branches.

Eight Officers underwent the immersion programme consisting of 275 hours spread over 10 Months. The programme was conducted by **IIBF in collaboration with Indian Institute of Management (IIM), Calcutta.**

12. CUSTOMER SERVICE

Bank is launching various products & services from time to time to meet the customer needs and to improve the level of customer satisfaction.

Modes of Grievance Redressal

Integrated Call centre available 24X7 with Toll free number **180042500000.**

Customers can lodge complaint through e-mail to mail ID viz: **Customercomplaints@indianbank.co.in**

All the complaints received through Branches/Zones/ CO, if not resolved within 24 hours are registered in the Customer Grievance Redress System (CGRS).

Appointment of Internal Ombudsman

An Internal Ombudsman has been appointed to strengthen the Internal Grievance Redressal Mechanism

All complaints where the resolution is either negative or partial are internally escalated to the Internal Ombudsman of the Bank for necessary action.

Customer service initiatives

E Lounges opened at various centres to provide 24x7 Customer Service

Special counters for senior citizens are opened where the number of pensioners is more.

Bank has prepared short duration videos on the products offered by the Bank and uploaded on the social media for the benefit of customers.

A dedicated session on customer service included in all the training programs / workshops held at Bank's training centres for improving the customer service and handling the customer complaints. A new Soft skill program has been devised for front line staff members to handle the customers in a polite manner.

RIGHT TO INFORMATION (RTI) Act 2005

RTI Cell under Customer Service Department at Corporate Office is handling the applications, first appeals & second appeals. Central Information Commission (CIC) link for filing of RTI applications is made available in the Banks' website. All the Applications are disposed within the stipulated time period

13. DIGITAL JOURNEY

Bank has a network of 3180 ATMs, 1745 BNAs, 1969 Passbook Kiosks across the country as on 31.03.22.

Transactions through Digital channels have increased by 17% YoY.

Digital Offerings

Bank has implemented full-fledged Data Analytics solution for lead generation, cross selling of Retail & MSME loan products.

Lead received through various channels like ATM, website, MB, Chatbot, social media are integrated with Lead Management System (LMS) for effective monitoring and conversion of same into business.

Integrated with National Portal for credit linked Govt. Schemes for processing of loan applications received online.

TAB Banking and Video KYC launched for ease of instant account opening and customer acquisition.

Video Life Certificate for pensioner through Video KYC.

Internet Banking

Bank has integrated BBPS in Internet Banking Channel where Customer can pay bills without going for registration of Biller.

The feature of Hotlisting of Debit cards and request for reissuance of card has been enabled in Internet banking

Legal Entity Identifier (LEI) in NEFT /RTGS transaction is implemented in Internet Banking to improve the quality and accuracy of financial data reporting systems and for better risk management.

New E-filing website (ITR E-filing 2.0) of Income tax department has been integrated through Net Banking.

Account Home branch change facility enabled.

IMPS facility for Corporate Customer introduced.

Mobile Banking

Transfer of home branch change for SB account, ATM card Hot listing, Change/ Update Email ID introduced in IndOASIS

Positive Pay System in IndOASIS has been introduced to confirm the cheque details so that the high value cheques can be processed when it is presented to bank as mandated by RBI. This has been introduced to stop the fraudulent activities through cheques.

Generation of MPIN through Branch is enabled to facilitate the customer to onboard into Mobile Platform instantly.

DigiLocker services

E-Passbook front page with Branch details, Personal details & QR code can be generated and issued in Customer's DigiLocker Account.

Interest Certificate can be generated through DigiLocker for Term Deposit Accounts.

Account Statement can be generated through DigiLocker for Savings & Loan Accounts.

ATMs& BNAs

Implemented Interoperability Cash Deposit facility in BNA.

Bank has customized ATM switch to detect “Man in the Middle” attack in the ATMs to minimize the risk associated with it.

Cash and Denomination availability is displayed in ATM screen before transaction is enabled in Bank's ATM/Cash Recyclers.

Debit/Credit Card

Introduced EMI facility in Credit Cards to reduce the financial strain to the customers and to reduce the number of delinquent account.

Introduction of V-collect in credit card due payments for speeding up the payment settlement process.

New Health Card product "IB-Suraksha” launched.

Issuance of Contactless (NFC) VISA credit cards to the customers.

EFRM Integration for Debit Card transaction implemented.

Card on File Tokenisation has been made live for NPCI and MasterCard.

Merchant Acquisition

UPI Prepaid Voucher Redemption Module Mobile App (e-Rupi) launched

Introduction of SoftPOS - mobile application-based solution enables merchants to accept cash, card, QR and UPI transaction on their own mobile phone

Introduction of PoS payment Kiosk solution- allows customers to experience totally a contactless payment service.

Introduction of Android PoSIn app billing Solution.

Bank has integrated the treasury collection under Integrated Financial Management System (IFMS) Odisha Treasury and IFHRMS of Tamil Nadu.

FASTag

FASTag recharge Mobile App launched for retail customers.

FASTag for Corporate Customers launched.

PFMS

Under PFMS module, onboarded the following;

TN Agri DBT Transfer - Developed Portal for Direct Benefit transfer of relief funds via NPCI for TN Agriculture Department

PFMS EPA (Electronic Payment Advice) – Payment through Corporate Net Banking enabled

New Software has been implemented for managing Centrally Sponsored Schemes - Single Nodal Account (CSS-SNA)

Intra Fund Transfer facility enabled in CPMS (Non PFMS Bulk payment system).

RRBs

Green PIN facility has been implemented for Debit card of RRBs.

Introduction of POS to RRBs

14. INFORMATION SYSTEM SECURITY

Bank's Information System & Security processes have been certified with ISO 27001:2013 standard.

Bank has already put in place a Cyber Security Operation Centre (C-SOC) which consists of various leading security solutions and the C-SOC is monitored 24*7.

Bank has a dedicated team under Chief Information Security Officer (CISO) to monitor the security operations 24/7.

A dedicated team is also formed under IT Dept which look after the implementation of various cyber security solutions. The solutions are designed to protect the data, network and servers in a proactive way.

Employees are also provided with training on Cyber Security to make them aware of the recent cyber attack strategies and mitigating such incidents.

Customer awareness has been strengthened by sending SMS's to customers on latest cyber threats. Awareness messages are published on Social Media too.

Bank has also empaneled “Forensic experts”, to conduct forensic investigation, if any, is triggered due to any cyber security incidents.

Bank is giving high priority for the guidelines/advisories issued by RBI and adhering compliance on the observations made on regulatory audits conducted by RBI.

15. PREMISES

As the part of the green initiatives, majority of payments to vendors, suppliers etc. are made through electronic channel, viz., direct credit / NEFT / RTGS.

Corporate Office of the Bank at Chennai is under Green Building (Gold Rating Status).

Bank has implemented 93 KWP Solar Power Plant for IMAGE Auditorium, 106 KWP Solar Power Plant for Head Office/ Krest Building / Corporate Office and 115 KWP Solar Power Plant for 11 branches across Chennai city.

LED lamps have been installed in newly opened branches. In existing branches, lamps are being replaced with LED in a phased manner.

Energy Audit is being conducted periodically for branches and offices.

16. INTERNAL CONTROLS

INSPECTION

Risk Based Internal Audit encompasses all branches and business units.

969 branches have been covered under concurrent audit covering 70.09% of domestic advances, in addition to all Specialised Verticals and select Departments of Corporate Office.

Revenue Audit was carried out in all branches on a half yearly basis to identify leakage of income.

Management Audit was conducted in 78 Zonal Offices, 14 FGMOs, 34 CO: Departments & 14 Inspection Centres and 2 RICs during FY 22.

Information System Audit, Vulnerability Assessment and Penetration Testing of post amalgamation IT infrastructure were carried out by an external audit firm during the period of review.

Offsite monitoring software has been implemented to raise 30 types of alerts to branches.

Regular training programmes are conducted for Inspectors for upskilling.

FRAUD RISK MANAGEMENT:

Enterprise Fraud Risk Management Solution (EFRMS) has been implemented to prevent transaction related frauds.

E-Training program on Fraud Risk Management has been uploaded on e- Pathshala portal for creating awareness on Fraud Risk Management.

Implementation of Know Your Customer (KYC)/ Anti-Money Laundering (AML) guidelines:

Bank has put in place a well-defined KYC-AML-CFT (Combating the Financing of Terrorism) Policy, which is the foundation on which the Bank's "implementation of KYC norms, AML standards, CFT measures and obligation of the Bank under Prevention of Money Laundering Act (PMLA) 2002".

For effective Customer Name Screening against major Watch Lists, Bank has integrated World Compliance Data feed provided by M/S Lexis Nexis with its AML application.

Bank has incorporated the alert scenarios prescribed by FIU-IND in the AML application along with optimized and rationalized threshold values.

Customer risk categorization process has been shifted to a dynamic & more efficient model integrated with CBS.

17. COMPLIANCE

Bank's Compliance Policy has been duly approved by the Board. In accordance with the Reserve Bank of India guidelines, an independent Compliance Department headed by General Manager& Chief Compliance Officer has been set up in the Bank. The Department monitors adherence to various statutory and regulatory guidelines governing the Bank's functioning

18. VIGILANCE

Vigilance department is responsible for the vigilance administration in the Bank. The department is the single point of contact for consultations with CVC on vigilance matters. Vigilance department is headed by Chief Vigilance Officer (CVO). CVO is the Nodal Officer to liaise with CVC, GOI, RBI, external investigating Agencies like CBI, in respect of vigilance related matters of the Bank.

The Vigilance department in the Bank is functioning in a proactive manner, with main focus on-

Preventive vigilance initiatives,

Suggesting systemic improvements to the Bank's administration,

Close monitoring to ensure conduct and completion of vigilance-related disciplinary cases by the respective Disciplinary Authorities in line with the CVC guidelines

Conduct of Vigilance Inspection of branches identified for the Financial Year and

Conduct of investigation of complaints having vigilance overtone and frauds, through Field Vigilance Units / Zonal Offices.

Preventive Vigilance initiatives during the year:

Campaigns undertaken

Special Campaign for Scrutiny of Vehicle Loan Portfolio was conducted in the month of October 2021.

Special Campaign for Scrutiny of Jewel Loan Portfolio and Mudra loans was conducted between 31.01.2022 and 05.02.2022

The findings of these campaigns were shared with all the branches for awareness and improvement.

Important Developments:

Field Vigilance Units (FVUs) have been established at 14 locations where Inspection Centres are functional. These FVUs will directly report to Chief Vigilance Officer (CVO) of the Bank. The key responsibilities of FVUs include investigation into complaints having vigilance angle and instances of fraud, restudy in large value accounts, conducting surprise vigilance inspection at branches, liaise with CBI / local Police etc.

Vigilance Awareness Week 2021:

Vigilance Awareness Week (VAW 2021) was observed from 26/10/2021 to 01/11/2021 with the CVC prescribed theme **"'Independent India @ 75, Self-reliance with Integrity" –"**स्वतंत्रभारत@ 75: सत्यनिष्ठासेआत्मनिर्भरता**"(*Swatantra Bhaarat @ 75, Satyanishtha Se Athmanirbharata*)**.

19. SECURITY

All the branches are equipped with state-of-the-art Electronic Burglar and Fire Alarm systems, High Definition DVR / NVR based CCTV solutions.

Vital installations like Server Rooms, DR Sites are provided with Automatic (Modular) Clean Agent based Fire Extinguishers / Gas based Fire Suppression Systems and Branches / ATMs are equipped with sufficient Fire Extinguishers to mitigate fire hazards.

GPS based Tracking devices are installed in Cash Vans.

24 x 7 Electronic Surveillance (E-Surveillance) with centralized monitoring is implemented in Banks owned ATMs across the country.

20. MARKETING:

Brand Building Activities on Social Media

Bank's Official Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn channels were managed and product promotion and information dissemination was done on Social media channels. Specific content was developed, promoted on social media channels related to field activities, commemorative days, occasions and Bank's achievements. Interactive GIFs and Video Posts were created for Instagram, Facebook story post and Festival wishes.

Digital Signage

Bank has procured Digital Signage Solutions to provide information to customers on Bank's Products and offer an electronic display in select branches. The units display content on bank's products, offers available, safety tips, launches, etc, which are both customer-oriented as well as staff-oriented. The advantage of the digital signage is its ability to relay updated information on a near real-time basis. At present, 943 signages have been installed across PAN India in select branches / offices.

AI-Chatbot

ADYA is a web based chatbot that is integrated in the Bank website as an additional mobile-friendly customer interface for answering customer queries on content available on the Bank's website. The chatbot is built on advanced Natural Language Processing algorithms, to understand banking queries in normal conversational language (currently English) by the customer.

Event Management / Campaigns:

Felicitation of Tokyo Paralympic 2020 Winners:

Bank had signed a MoU with Paralympic Committee of India to become one of the Banking Partners ahead of the Paralympic Games, Tokyo 2020. Post the Games, Bank organized a felicitation ceremony for the winners on 23.10.2021 at IMAGE, Chennai.

21. Corporate Social Responsibility (CSR):

CSR initiatives of the Bank extended beyond banking and lead it to honor ethical values and respect people, communities and the natural environment.

As a strong responsible Corporate, Bank is taking up various initiatives for the benefit of the society with the commitment to serve the people of India and worked to reach out to the needy and marginalized population through its pillars of CSR as follows:

Gender Equality and Women Empowerment

Inclusive Growth

Green Initiative and Environmental sustainability

Financial Literacy & Enhancing vocational skills

Specific needs of the Senior Citizens

CSR Highlights:

Several CSR activities were carried out during FY22 including support to hospitals in various parts of India in responding better to the current COVID challenge and future requirements



Shri S L Jain, MD&CEO handed over the keys of the ambulance to Dr Manoj Kumar H V Dean & Director, Shri Atal Bihari Vajpayee Medical College and Research Institute, Bengaluru.



Shri S L Jain, MD & CEO handing over the ambulance to The Gujarat Medical Education Research Society



Blood Donation camp conducted at Corporate Office associated with VHS, Chennai as part of Azadi Ka Amrit Mahotsav Anchor month.



Sponsoring of table & chairs, note books and stationery items to Chennai Public Higher Secondary School, Alwarpet, Chennai.



Distribution of essential items to Hope Psychiatric Rehabilitation Shelter for Women at Egmore, Chennai.



Bank has planted saplings at the garden of Chennai Public Higher Secondary School, Alwarpet, Chennai. This garden is being maintained by the Bank.



Ambulance to Indira Gandhi Institute of Medical Science, Patna flagged off by Shri.Imran Amin Siddiqui, Executive Director.



Hon'ble Chief Minister of Uttar Pradesh Shri Yogi Adityanath flagged off three ambulances donated by Bank under CSR



Shri Sujay Mallik, FGM, Meerut handed over ambulance keys to St. Luke's Hospital, Saket, Meerut.



Sponsorship of TABS to meritorious students of Z P School, Nashik District under CSR activity



Ms Padmaja Chunduru, the then MD & CEO of Bank handed over a cheque to Shri M K Stalin, Hon'ble Chief Minister, Govt of Tamil Nadu for Covid-19 Relief Measures to the Chief Minister's Public Relief Fund



Shri. H.S. Ahluwalia, FGM, Kolkata handed over a cheque to Chief Secretary, Govt of West Bengal for Covid-19 Relief Measures to the Chief Minister's Public Relief Fund



Zonal Office Puducherry executives handed over a cheque to Hon'ble Chief Minister of Puducherry Mr. Rangasamy, in presence of Health Secretary Dr. Arun IAS



Zonal Office Guwahati executives handed over a cheque to Hon'ble Chief Minister of Assam Dr.Himanta Biswa Sarma at CMO, Assam Secretariat on 29.06.2021



Visakhapatnam Zone planted the Saplings at Zilla Parishad EM Govt. School, Gajuwaka



Ernakulam Zone planted the saplings at Government Higher Secondary School for Girls, Ernakulam



Shri. Mahesh Kumar Bajaj, General Manager, and Shri. Ashok Patnaik, FGM Chandigarh handed over Keys of Tata Winger Scholl 18 Seater SCV to Tapan Rehabilitation Society, Nilokheri, Karnal



Patna Zone distributed the medical equipment to Indira Gandhi Institute of Medical Science, Patna



Guwahati Zone distributed the essential items to patients of Sacred Heart Palliative care centre, Guwahati



Udaipur Zone sponsored fans to Janjati Vibhag, Udaipur

22. SPORTS

Para shooting:





Ms. Pooja Agarwal (Senior Manager) participated in the 2nd National Para shooting Championship held at Delhi 2022.

Hockey:





Banks hockey team won the State level tournament held at Tirunagar, Madurai from **7-12 February 2022** – and finished **Runner-up**

Badminton & Cricket:



Inauguration of new synthetic badminton court at IMAGE, Chennai on 06.03.2022 by MD & CEO Shri S L Jain



Winners - Bank's Cricket team won the All-India T-20 Cricket Tournament held at Kadapa from 17-21 February 2022 for the CM T-20 Cup at YSRR-ACA Cricket stadium, Kadapa



Indian Bank Executive Cricket Tournament held at M A Chidambaram Stadium, Chepauk, Chennai on 23.10.2021



Indian Bank Executive Cricket Tournament -Winners

23. OFFICIAL LANGUAGE CELL

Bank is taking all-out efforts for the smooth and effective implementation of Official Language. Bank has shown good performance in the area of Official Language Implementation.

24. AWARDS & ACCOLADES

a) SHGs

Tamil Nadu State level NABARD Award	State level NABARD Award in SHG Credit Linkage	Best Performing Bank under SHG-Bank Linkage Program
		
Best Financial Performance and Developmental Initiatives in the State of Tamil Nadu - received during July'21	Best Bank under NABARD's "SHG Bank Linkage Program" for FY 21 received on 14.12.21	MORD, GoI awarded Indian Bank , 'Best Performing Bank-SHG Bank Linkage for FY 21 on 08.03.22 at New Delhi

(b) Financial Inclusion:

- In APY, Bank bagged 2nd position in PFRDA in terms of annual APY performance with 96 Average Accounts Per Branch (AAPB) and awarded "Annual APY Award for Excellence" for FY 2021-22 having achieved 137% of target.
- In APY Leadership campaign for MD & CEOs of the Banks from 03/01/2022 to 17/02/2022, Bank achieved 271% of target and qualified for "Exemplary Diamond Award" and "NUMERO UNO Award" by PFRDA.

- Bank ranked No.1 and was awarded "Par Excellence" for Amazing Achievers of APY 2.0 campaign of PFRDA for FY 2021-22. Amongst all PSB branches, the first three positions in the Industry was won by our Bank branches i.e. Gola Gokarn Nath, Baberu and Mankapur.

(c) Official Language:

- During the year Bank's in – house Hindi magazine **"Ind – Chhavi"** and erstwhile Allahabad Bank have been conferred with the **'Rajbhasha Kirti'** Puraskar by the Government of India taking the tally of Rajbhasha Kirti Puraskar to 2.





Executive Director receiving "Rajbhasha Kirti" award for "Ind Chhavi", Hindi home magazine of Indian Bank

25. REGIONAL RURAL BANKS:

- The Bank has three sponsored Regional Rural Banks viz, Tamil Nadu Grama Bank (TNGB) headquartered at Salem (Tamil Nadu), Saptagiri Grameena Bank headquartered at Chittoor (Andhra Pradesh), and Puduvai Bharathiar Grama Bank headquartered at Puducherry (Union Territory of Puducherry).
- In respect of three RRBs, the branch network has increased by 8 from 909 (March 2021) to 917 Branches (March 2022). The total business of the three RRBs was ₹54121Cr as of March 2022 as compared to ₹47744 Cr as of March 2021 (YoY growth of 13.36%).

- **All the three are profit making RRBs.**

(₹ in Cr)

31.03.2022	No. of Branches	Deposits	Advances	Business	Net Profit	Net NPA %	CRAR %
Tamil Nadu Grama Bank (unaudited)	644	17093	17618	34711	232	0.11	12.74
Saptagiri Grameena Bank	229	9107	8346	17453	201	0	15.19
Puduvai Bharathiar Grama Bank	44	1024	933	1957	10	0	10.57
Total	**917**	**27224**	**26897**	**54121**	**443**	**–**	**–**

- RRBs are actively participating in PMJDY, PMJJBY, PMSBY and APY programmes of Govt. of India. The three RRBs are covering 1210 SSA villages under PMJDY and have opened 10.05 lakh accounts under the scheme. The RRBs have also covered 9.63 lakh beneficiaries under PMSBY, 4.93 lakh beneficiaries under PMJJBY and 1.59 lakhs under APY Scheme

Business Responsibility Report – 2021-22

Reg 34 of SEBI (LODR) Regulations, 2015

Section A : General Information about the Company

1. Corporate Identity Number: (CIN) of the Company	Not Applicable
2. Name of the Company	Indian Bank
3. Registered Address	66, Rajaji Salai, Chennai 600 001
4. Website	www.indianbank.in
5. Email	ibinvestorrelations@indianbank.co.in, investors@indianbank.co.in
6. Financial Year Reported	2021-22
7. Sectors that the Company is engaged in (industrial activity code-wise)	Banking & Financial Services
8. List of 3 key products/services that the manufacturers provides (as in Balance Sheet)	Deposit Products, Loan Products and Remittances etc.
9. Total number of locations where business activity is undertaken by the Company **No of Locations** I. National II. International	5732 Domestic Branches; 3 Overseas Branches in Singapore, Colombo & Jaffna and an IFSC Banking Unit (IBU) at Gift City, Gandhi Nagar, Ahmedabad as on 31.03.2022.
10. Markets served by the Company-Local/State/National/ International	The Bank has branches in 29 states and 6 UTs and International presence in Singapore and Sri Lanka

Section B: Financial Details of the Company

1) Paid up Capital (INR)	**₹1245.44 Crore**
2) Total Turn Over (INR)/Revenue	**₹45,771.67 Crore**
3) Total profit After Tax(INR)	**₹3944.82 Crore**
4) Total Spending on Corporate Social Responsibility (CSR) as percentage of Profit after Tax (%)	CSR spending is not mandatory for PSBs. However, Bank has spent **₹493.54 Lakh**

5) List of the activities in which expenditure on 4 above has been incurred

Sl. No.	CSR activity	Amount (₹ in Lakh)
1.	Inclusive Growth	117.28
2.	Financial Literacy & Enhancing Vocational Skills	66.86
3.	Green Initiatives and Environmental Sustainability	21.03
4.	Gender Equality and Women Empowerment	1.73
5.	Health and Wellness, Specific needs of the senior citizens	286.64
	Total	**493.54**

Note: The Amount spent by INDSETI / RSETI by FI / RBD not included in this report.

Section C: Other Details

1. Does the Company have any Subsidiary Company / Companies	Yes. 1) Indbank Merchant Banking Services Ltd. 2) Ind Bank Housing Ltd.
2. Do the subsidiaries implement : BR initiatives of the parent company, if Yes, then indicate the number of such subsidiaries	No, Both the subsidiaries of the Bank are listed entities.
3. Do any other entity / entities (e.g., suppliers, distributors etc.) that the Company does business with, participate in the BR initiatives of the Company? If yes, then indicate the percentage of such entity / entities? (Less than 30%, 30%-60%, more than 60%)	No

Section D: BR Information

1. Details of Director/ Directors responsible to BR

I. Details of the Director/ Directors responsible for implementation of the BR policy/policies

DIN Number	**Not Applicable**
Name	**Shri Ashwani Kumar**
Designation	**Executive Director**

II. **Details of the BR head – as below**

Sl. No	Particulars	Details
1	DIN No (if applicable)	**Not Applicable**
2	Name	**Shri Sujit Kumar Dey**
3	Designation	**General Manager - RMD / CRO**
4	Telephone No.	**044 - 28134566**
5	e-mail-id	**deysujitkumar@indianbank.co.in**

2. Principle-wise (as per NVGs) BR Policy / Policies: (Reply in Y / N)

(a) Details of compliance (Reply in Y / N):

Sl No.	Questions	Business Ethics	Product Responsibility	Well being of Employees	Stakeholder Engagement	Human Rights	Environment	Public Policy	Inclusive growth	Customer relations
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
1	Do you have a policy/policies for	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
2	Has the policy been formulated in consultation with the relevant stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
3	Does the policy confirm to any national / international standards? If yes, specify? (50 words)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
4	Has the policy been approved by the Board? If yes, has it been signed by MD / Owner / CEO / appropriate Board Director	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
5	Does the company have a specified committee of the Board / Director / Official to oversee the implementation of the policy?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
6	Indicate the link for the policy to be viewed online?	**www.indianbank.in**								
7	Has the policy been formally communicated to all relevant internal and external stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
8	Does the company have in-house structure to implement the policy / policies?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
9	Does the company have grievance redressal mechanism related address stakeholders' grievances related to the policy / policies?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
10	Has the company carried out independent audit / evaluation of the working of this policy by internal or external agencies?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y

(b) If the answer to S. No. 1 against any principle is 'No', please explain why: (Tick up to 2 options)

Sl No.	Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
1	The company has not understood the Principles									
2	The company is not at a stage where it finds itself in a position to formulate and implement the policies on specified principles									
3	The company does not have financial or manpower resources available for the task					NA				
4	It is planned to be done within next 6 months									
5	It is planned to be done within next 1 year									
6	Any other reason (Please specify)									

3. Governance related to BR

▪ Indicate the frequency with which the Board of Directors, Committee of the Board or CEO to assess the BR performance of the company.	▪ As the Business Responsibility encompasses a whole spectrum of Banking, Department relevant Policies are framed/ renewed individually and approval of Board obtained.
▪ Does the company publish a BR or a Sustainability Report? What is the hyperlink for viewing this report? How frequently it is published?	▪ Business Responsibility Report forms part of Annual Report and made available on Bank's website, www.indianbank.in. ▪ It is published Annually as part of Annual Report.

Section E: Principle-wise-performance

Principle 1: Business should conduct and govern themselves with Ethics, Transparency and Accountability

1. Does the policy relating to ethics, bribery and corruption cover only the company? Does it extend to the group/ Joint Venture/ Suppliers/ Contractors/ NGOs/ Others?	● "Citizens' Charter of Indian Bank" provides key information on various facilities/services provided to customers in the branches of the Bank ● Citizens' Charter together with the code is ensuring high standards of accountability, responsibility, and transparency in the Bank's dealings with customers. ● In February 2006, Reserve Bank of India set up the Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) as an independent autonomous watchdog to ensure that customers get fair treatment in their dealings with Banks. ● The BCSBI has published the "Code of Banks' Commitments to Customers-January 2018" and "Code of Commitment to Micro and Small Enterprises – August 2015" which set out minimum standards of banking practice and benchmarks in customer service for banks to follow.

<table>
<tr><td></td><td>

Bank is a member of BCSBI and has therefore, voluntarily adopted the above Codes as its Fair Practice Code in dealing with its customers.
Code of commitment to customers has been placed to the Customer Service Committee of the Board for adoption.

Complete copy of the Code is available at www.indianbank.in
</td></tr>
<tr><td>2. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percentage was satisfactorily resolved by the management?

If so, provide details thereof, in about 50 words or so.</td><td>

CO: Customer Service Cell deals with Customer grievance redressal.
Bank has an In-House portal - Centralized Grievance Redressal System (CGRS). Customers can lodge their complaint online through the portal. All the complaints received through other modes and pending unresolved for more than 24 hours are entered in CGRS for resolution.
As per the Policy on Customer Grievances Redressal and compensation to customers for deficiency in services, Bank has adopted a maximum timeframe of 21 days for redressing customer grievances.

However, most of the grievances are redressed within an average time of 5-7 days.

Details of Complaints are as under:
<table>
<tr><th>Particulars</th><th>Customers</th><th>Shareholders</th></tr>
<tr><td>No. of complaints pending at the beginning of the year</td><td>11834</td><td>0</td></tr>
<tr><td>No. of complaints received during the year</td><td>254183</td><td>77</td></tr>
<tr><td>No. of complaints redressed during the year</td><td>264429</td><td>76</td></tr>
<tr><td>No. of complaints pending during the year</td><td>1588</td><td>1</td></tr>
<tr><td>% age of complaints resolved</td><td>99.40%</td><td>98.70 %</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Principle 2 : : Business should provide goods and services that are safe and contribute to sustainability throughout their life cycle

1. List up to 3 of your products or services whose design has incorporated social or environmental concerns, risks and/ or opportunities.	Indian Bank offers the following financial services which has incorporated social concerns and opportunities ➢ Self Help Groups (SHGs) ➢ Financial Literacy Centres (FLCs) ➢ Indian Bank Self Employment Training Institutes (INDSETIs) The Bank believes that a sustainable growth incorporates environment protection. In this direction, the Bank has always laid emphasis on initiatives that contribute to betterment of environment such as: i. Provision of energy efficient LED fixtures. ii. Provision of Roof top solar panels in Bank's own buildings. iii. Sewage Treatment Plant at Corporate Office.
2. For each such product, provide in respect of resource use (energy, water, raw material etc.) per unit of product (optional): i) Reduction during sourcing/ production/ distribution achieved since the previous year throughout the value chain? ii) Reduction during usage by consumers (energy, water) has been achieved since previous year?	• Harnessing of Solar power to Corporate Office, this is already under Green Building (Gold Rating Status). By adopting alternatives sources of energy, as a public Sector Bank the Bank has joined hands with other entity to form Green India. • Expanding the Solar Power Plant installation network in Bank's own building, wherever technically feasible, to reduce the annual overall expenditure on Energy consumption by about 4 to 5 percent. • Adopting new technological products in the illumination systems by using LED lamps in the interior lighting systems • New branches illuminated with LED lighting only. • Lighting in existing branches being replaced in a phased manner. Presently 4975 branches and 202 administrative Offices are provided with LED lighting. • Through STP, the sewage water was circulated and about 17,000 liters of water per day is recycled, thereby a saving of ₹5.60 lakh p. a. towards water charges.
3. Does the company have proceedings in place for sustainable sourcing (including transportation)? i) If yes, What percentage of your inputs was sourced sustainability? Also provide details thereof in about 50 words or so	NA NA All are financial products aiming to reach the entire operational area.
4. Has the company taken any steps to procure goods and services from local & small producers, including communities surrounding their place of work? If yes, what steps have been taken to improve their capacity and capability of local and small vendors?	Yes Preferably, the materials are sourced from nearby vendors to reduce the transportation cost and time lag.
5. Does the company have a mechanism to recycle products and waste? If yes what is the percentage of recycling of products and waste (separately as <5%, 5%-10%). Also, provide details thereof, in about 50 words or so.	Yes, at Corporate Office, Royapettah <5% ● Sewage Treatment Plant is provided at Corporate Office, Royapettah with an output of 17,000 liters / day.

Principle 3 : Business should promote the well-being of all employees.

1. Please indicate the Total number of employees.	39734*
2. Please indicate the Total number of employees hired on temporary/ contractual/ casual basis.	01 (Internal Ombudsman)
3. Please indicate the number of permanent women employees .	11602*
4. Please indicate the permanent number of employees with permanent disabilities.	1029
5. Do you have an employee association that is recognized by the management?	All India Indian Bank Officers' Association Federation of Indian Bank Employees Union
6. What is the percentage of your employees members of this recognized employees association?	Officers: 78 % Award Staff: 73 %
7. Please indicate the Number of complaints relating to child labor, forced labor, involuntary labor, sexual harassment in the last financial year and pending, as on the end of the financial year.	

Complaints	Child labour	Forced labour	Involuntary labour	Sexual harassment
Number received	Nil	Nil	Nil	Nil
Number Pending	Nil	Nil	Nil	Nil

8. What percentage of your under mentioned employees were given safety & skill up-gradation training in the last year?

SL No	Type of training	No. of participants
1.	Training imparted through e-Pathshala	7136
2.	Online training from home	18188
3.	Online training from workplace	11605
4.	Webinar	20835
5.	Training from external Institute	1443
	Total	**59207**

* - Domestic excluding Part-time Sweepers.

Principle 4: Business should respect the interests of and be responsive towards all stakeholders, especially those who are disadvantaged, vulnerable and marginalized.

1. Has the company mapped its internal and external stakeholders? Yes/ No	Yes, the Bank has identified its key stakeholders, both internal and external. Shareholders are further classified into different categories viz. Government, Foreign Institutional Investors, Financial Institutions, Insurance Companies, Mutual Funds, Banks, Individuals etc.
2. Out of the above, has the company identified the disadvantaged, vulnerable & marginalized stakeholders?	Yes, The Government and the RBI have prescribed certain guidelines and targets in lending for Financial Inclusion, Priority Sector and marginalized sections of the society. Indian Bank has identified the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders, which include Small and Marginal Farmers, Tenant and Leased Farmers, landless Labourers and Rural Women. They are provided with special credit facilities like Kisan Credit Card, Agri. Jewel Loan, Self Help Groups loans, Joint Liability Group loans, Mudra loans etc.

3. Are there any special initiative taken by the company to engage with the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders? If so, provide details thereof, in about 50 words or so.	• Indian Bank extends banking facilities to the financially excluded people with saving bank account under PMJDY. They are provided with RuPay cards with insurance in-built coverage, free of cost for the PMJDY programme at the time of account opening. Further, eligible customers are covered under PMJJBY (Life insurance) & PMSBY (Accidental Insurance) and APY Pension facility, under the scheme. • Bank is imparting self - employment training to the unemployed youth in Below Poverty Line (BPL) category through Ind-SETIs (Indian Bank Self Employment Training Institutes). Financial Literacy & Counselling through FLCs (Financial Literacy Centres) & CFLs (Centre for Financial Literacy) are also imparted. The activities are pursued under the aegis of "Indian Bank Trust for Rural Development" (IBTRD). • Bank is also extending 15 basic banking services at the doorsteps of customers through PSB Alliance Doorstep Banking (DSB) under the aegis of Indian Bank Association (IBA).

Principle 5 : Businesses should respect and promote human rights

1. Does the policy of the company on human rights cover only the company or extend to the Group/Joint Ventures/ suppliers/ Contractors/ NGOs/Others?	Yes • Bank does not have a separate Human Rights Policy. However, these aspects are covered under Human Resources Policies and Practices of the Bank.		
2. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percent was satisfactorily resolved by the management?	**Particulars**	**Customers**	**Shareholders**
	No. of complaints pending at the beginning of the year	11834	0
	No. of complaints received during the year	254183	77
	No. of complaints redressed during the year	264429	76
	No. of complaints pending during the year	1588	1
	% age of complaints resolved	99.4%	98.70%

Principle 6 : Business should respect, protect and make efforts to restore the environment.

1. Does the policy related to Principle 6 cover only the company or extends to the Group/ Joint Ventures/ Suppliers/ Contractors/ NGOs/ others?	Yes
2. Does the Company have strategies/ initiatives to address global environmental issues such as climate change, global warming, etc? Y/N. if yes, please give hyperlink for webpage etc	• Gardens / green spots are maintained at prime locations. • Bank has planted tree saplings pan India to address the issue of greenery & global warming.
3. Does the company identify and assess potential environmental risks? Y/N	Yes
4. Does the company have any project related to Clean Development Mechanism? If so, provide details thereof, in about 50words or so. Also, if Yes, whether any environmental compliance is filed?	Given the nature of business, Bank does not have a Clean Development Mechanism.

5. Has the company undertaken any other initiative on – clean technology, energy efficiency, renewable energy, etc. Y/N. If yes, please give hyperlink for web page etc	**YES** **PREMISES: Introduction of Solar Power and LED lights at Bank owned premises** • As the part of the green initiatives, all payments to vendors, suppliers etc are made through electronic channels, viz., direct credit / NEFT / RTGS (only under exceptional circumstances, payment by way of cheque is made) • Bank owns 250 properties in India and 2 properties in Singapore. • Bank has put in place uniform policies for Premises Expenditure , Purchases Contracts, Printing and Stationery, Air-Conditioning, Auto mobiles, Telephone / Cell Phone and has adopted the same at all branches / Zones **Green Initiatives:** **A. Solar Power and LED lighting** • Harnessing of Solar power to Corporate Office, this is already under Green Building (Gold Rating Status). By adopting alternatives sources of energy, as a public Sector Bank the Bank has joined hands with other entity to form Green India. • Expanding the Solar Power Plant installation network in Bank's own building, wherever technically feasible, to reduce the annual overall expenditure on Energy consumption by about 4 to 5 percent. • Adopting new technological products in the illumination systems by using LED lamps in the interior lighting systems • New branches illuminated with LED lighting only. • Lighting in existing branches being replaced in a phased manner. Presently 4975 branches and 202 administrative Offices are provided with LED lighting. **B. Other Green Initiatives :** • Conduct of Energy Audits periodically for branches and offices. • Provision of timers for auto cut off of Air Conditioners installed at branches and Offices, installations of harmonic filters and usage of Star rated electrical appliances have considerably reduced the consumption of electricity.
6. Are the Emissions/Waste generated by the company within the permissible limits given by CPCB/SPCB for the financial year being reported?	NA
7. Number of show cause/legal notices received from CPCB/SPCB which are pending(i.e. not resolved to satisfaction) as on end of Financial Year	NIL

Principle 7 : Businesses, when engaged in influencing public and regulatory policy, should do so in a responsible manner

1. Is your company a member of any trade and chamber or association? If Yes, Name only those major ones that your business deals with:	YES IBA, NIBM, IIBF, IBPS
2. Have you advocated /lobbied through above associations for the advancement or improvement of public good? Yes/No; if yes specify the broad areas (drop box: Governance and Administration. Economic Reforms, Inclusive Development Policies, Energy security, Water, Food Security, Sustainable Business Principles, Others).	The Bank from time to time has advocated the policies to policymakers and policy-making associations, for sustainable development of the banking industry.

Principle 8 : Businesses should support inclusive growth and equitable development

1. Does the company have specified programmes/initiatives/projects in pursuit of the policy related to Principle? If yes details thereof	• There are 1.85 crore PMJDY account holders in the Bank as on 31.03.2022. Their SB deposits amounts to ₹7,608.65 crores with an average balance of ₹4,111/- per account. Out of total PMJDY accounts, 56% of Total PMJDY Beneficiaries are Women. • Overdraft facilities to the extent of ₹28.83 crore have also been extended to 2.72 lakh PMJDY account holders. • Bank has deployed 9,657 BC-led Banking outlets as on 31.03.2022. • Under Micro-Insurance Schemes, 30.24 lakh & 80.14 lakh customers have been enrolled under PMJJBY & PMSBY respectively. 24.96 lakh customers have been enrolled under Micro-pension scheme viz. APY for their Pension facilities. • 37 Ind-SETIs spread across India have imparted self- employment training to 2,20,312 individuals through 7,911 batches up to March 2022, cumulatively since inception. During 2021-22, 721 training Programmes have been conducted to benefit 19,331 individuals. • Indian Bank has FLCs at 42 Centres pan India, out of which Urban Financial Literacy Centres have been established in Chennai, Delhi region and Mumbai for the benefit of migratory workers and slum dwellers as part of Bank's initiatives under financial inclusion. A total of 10.77 lakh individuals have been provided financial counselling through these 42 FLCs. During FY 2021-22, 2,074 literacy camps were organized which were attended by 92,280 participants.
2. Are the programmes/projects undertaken through in-house team/own foundation/external NGO/government structures/any other organization?	The Bank has finalized implementation of a FI pilot initiative, viz. SAMPOORNA project in association with M/s WWB (Women's World Banking), an NGO to inculcate and activate savings of PMJDY account holders with a focus on women and to extend other PMJDY related services like SB Overdraft and SSS (Social Security Schemes.) to them. The project is implemented from April' 22.
3. Have you done any impact assessment of your initiative?	Impact and effectiveness of INDSETIs are monitored based on the Annual Grading Exercise undertaken by the Monitoring Cell for RSETIs under the aegis of MORD (Ministry of Rural Development) for assessing the impact and initiate steps for further strengthening of INDSETIs. In the past, i.e. during the year 2020-21, out of 33 RSETIs for which grading was done, all the 33 institutes have obtained AA grades which are the highest grades. The grading for 2021-22 is about to be initiated in the near future.
4. What is your company's direct contribution to community development projects-Amount in INR 'and the details of the projects undertaken	The Bank is contributing to the Trust (IBTRD) towards self-employment and Community Development activities through INDSETIs and FLCs.
5. Have you taken steps to ensure that this community development initiative is successfully adopted by the community? Please explain in 50 words, or so.	Imparting self-employment training to individuals coupled with Bank Finance to those who are willing to take up bank loan from their neighboring bank branches is helping building community development. Trade, Service and small-scale industrial ventures are generated through these efforts and to enable the trained individuals self-reliant. The settlement rate of candidates trained at INDSETIs as on 31.03.2022 is 69.70%, of which 47.60% have been credit-linked.
6. Are there any special initiative taken by the company to engage with the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders. If so, provide details thereof in about 50 words or so.	• Bank deploys BC Channel for extending banking services at the doorsteps of customers daily. • The BC Channel was instrumental to extend customers service at their doorsteps during crisis situations like COVID 19 Pandemic, flood situation etc. across various areas. • BCs were also given free cost insurance coverage under life and accidental schemes of PMJBY, PMSBY by the Bank. They have also been provided with sanitization material, face masks and reimbursement cost by the Bank for COVID Vaccination. • The Bank is disbursing Old Age Pension (OAP) amount to the beneficiaries through BC network in the State of Tamil Nadu. • DBT Benefits such as PM Kisan (₹6000/- per annum) are disbursed to farmers in 3 occasions of ₹2000/-each through BCs. An ex-gratia payment of ₹500/- each was granted by Central Govt. to individual SHG member, having PMJDY account during COVID 19 pandemic Situation as a one-time measure. This amount was disbursed to them through BCs.

Subsidiaries:

- The Bank has two subsidiaries viz., Indbank Merchant Banking Services Ltd. and Ind Bank Housing Ltd.

Regional Rural Banks:

- The Bank has three sponsored Regional Rural Banks viz. Saptagiri Grameena Bank, headquartered at Chittoor (Andhra Pradesh); Tamil Nadu Grama Bank, headquartered at Salem (Tamil Nadu); and Puduvai Bharathiar Grama Bank headquartered at Puducherry (UT of Puducherry).
- The bank network of the three RRBs increased by 8 Branches during the FY 2021-22 from 909 to 917 Branches as of March, 2022.
- The total business of the three RRBs was 54120.95 crores as of March 2022 as compared to Rs. 47743.78 Cr as of March 2021
- Saptagiri Grameena Bank has 229 Branches with Total Business of ₹17453.22 Crores. (Deposits ₹9106.53 crore and Advances ₹8346.69 crore).
- Tamil Nadu Grama Bank has 644 Branches with Total Business of ₹34711.11 Crores. (Deposits ₹17093.28 crore and Advances – ₹17617.83 crore).
- Puduvai Bharathiar Grama Bank has 44 Branches with Total Business of ₹1956.62 Crores. (Deposits ₹1023.60 crore and Advances ₹933.02 crore).
- TNGB is having CRAR of 12.74%, SGB is having CRAR of 15.18% and PBGB is having CRAR of 10.57%.
- All the three RRBs are profit making.
- RRBs are actively participating in PMJDY, PMJJBY, PMSBY and APY programmes of Govt. of India. The three RRBs are covering 1210 SSA villages under PMJDY and have opened 10.05 lakh accounts under the scheme. The RRBs have also covered 9.63 lakh beneficiaries under PMSBY, 4.93 lakh beneficiaries under PMJJBY and 1.59 lakhs under APY Scheme.

Principle 9: Businesses should engage with and provide value to their customers and consumers in a responsible manner

1. What percentage of customer complaints/consumer cases are pending as on the end of financial year	0.60%
2. Does the company display product information on the product label, over and above what is mandated as per local laws? Yes/No./N.A/ Remarks (additional information)	Yes
3. Is there any case filed by any stakeholder against the company regarding unfair trade practices, irresponsible advertising and/or anti-competitive behaviour during the last five years and pending as on end of financial year. If so, provide details thereof, in about words or so	No
4. Did your company carry out any consumer survey/consumer satisfaction trends?	Yes. Bank has conducted a customer satisfaction survey during the year. In the survey, 79.84% of customers have expressed satisfaction over the services provided by the Bank. 84.77% of customers have informed that Bank is fulfilling their expectations.

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

1. Corporate Governance Philosophy:

Corporate Governance is by itself a process by which the entities are controlled and guided to enhance their wealth generating capacity in an ethical manner. It acts as a catalyst between Management, Board, shareholders and other stakeholders to achieve the set goals of the organization while abiding the law of the land in conducting its day to day business in a most efficient, transparent and ethical way with an ultimate objective of maximizing shareholders' wealth on a sustainable basis besides monitoring the performance. It is the evolution of a system by which the values, principles, policies and procedures are ingrained and manifested in the system in the most effective way.

In the pursuit of excellence, the Bank endeavors highest standard of Corporate Governance and committed to its responsibilities which is based on total commitment to ethical practices in the conduct of business while striving hard to enhance all stakeholders' value by mutual dialogue, respect, clear goals and decisive leadership. The Bank considers itself as a trustee of all the stakeholders and acknowledges its responsibility towards them by creating and safeguarding their wealth, attained through sound corporate strategies, proactive business plans, policies and procedures to satisfy the ethical and legal responsibilities. Bank's corporate governance principles are firmly rooted for generating profitable growth with high level degree of disclosure policies adhering to the governance standards.

2. Board of Directors:

2.1 The constitution of Board of Directors is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. The Directors bring in wide range of expertise and experience to the Board, facilitating proficient and unbiased direction to the Bank.

The Managing Director & CEO and Executive Directors are the Whole Time Directors appointed by the Government of India. The Board of Directors is constituted as per the provisions under section 9 (3) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. In terms of section 9(3) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Directors other than Shareholder Director (in our case two) are nominated /appointed by the Govt. of India.

2.2 Committees of Board:

The Board has constituted various committees as mentioned hereunder for specific and focused approach towards governance of some of the important functional areas of the Bank, for providing proper direction, effective monitoring and controlling the affairs of the Bank:

- Management Committee of the Board (MCB)
- Audit Committee of the Board (ACB)
- Risk Management Committee (RMC)
- IT Strategy Committee (IT Com)
- Customer Service Committee (CSC)
- Committee of Directors (Vigilance) (COD Vig)
- Special Committee (Monitoring of Large Value Frauds) (SCMLVF)
- Share Transfer Committee (STC)
- Stakeholders Relationship Committee (SRC)
- H R Committee (HR com)
- Committee for monitoring of Recovery (CMR)
- Board Level Appellate Committee for Disciplinary Cases (BACDC)
- Review Committee for Willful Defaulters (RCWD)
- Review Committee for Non Co-operative Borrowers (RCNCB)
- Credit Approval Committee (CAC)
- Nomination and Remuneration Committee (NRC)
- Board Committee for Performance Evaluation (BCPE)

2.3 The responsibilities of the Board include formulation of policies, corporate strategy and planning, new initiatives, performance review and control and sanction of cases falling beyond the powers delegated to various functionaries of the Bank. The Board has constituted various committees and delegated powers for different functional areas.

2.4 The Board and its committees meet at frequent intervals and guide the Bank to achieve its objectives in a prudent and efficient manner and to ensure high standards of performance through ethical practices and professional management.

2.5 The composition of the Board of Directors as on 31.03.2022 was as under:

Sl. No.	Name	Designation	Date of Appointment/ Nomination	Membership of Bank's Board level Committees	Directorship held in Companies / Entities other than the Bank	No. of Shares held
1	Shri S. L. Jain	MD & CEO	01.09.2021	1. Management Committee 2. Customer Service Committee 3. Risk Management Committee 4. Committee of Directors (Vigilance) 5. Special Committee (Monitoring of Large Value Frauds) 6. IT Strategy Committee 7. HR Committee 8. Committee for Monitoring of Recovery 9. Review Committee for Wilful Defaulters 10. Review Committee for Non-Cooperative Borrowers 11. Credit Approval Committee	Universal Sompo General Insurance Company Limited	695
2	Shri V V Shenoy	Executive Director	01.12.2018	1. Management Committee 2. Customer Service Committee 3. Committee of Directors (Vigilance) 4. Special Committee (Monitoring of Large Value Frauds) 5. IT Strategy Committee 6. Stakeholders Relationship Committee 7. Share Transfer Committee (Chairman) 8. HR Committee 9. Committee for Monitoring of Recovery 10. Credit Approval Committee	Universal Sompo General Insurance Company Limited	5000

Sl. No.	Name	Designation	Date of Appointment/ Nomination	Membership of Bank's Board level Committees	Directorship held in Companies / Entities other than the Bank	No. of Shares held
3	Shri Imran Amin Siddiqui	Executive Director	10.03.2021	1. Management Committee 2. Customer Service Committee 3. Committee of Directors (Vigilance) 4. Special Committee (Monitoring of Large Value Frauds) 5. IT Strategy Committee 6. Stakeholders Relationship Committee 7. Share Transfer Committee 8. HR Committee 9. Committee for Monitoring of Recovery 10. Credit Approval Committee	1. Ind Bank Housing Ltd. 2. Indbank Merchant Banking Services Ltd. 3. National Payments Corporation of India	695
4	Shri Ashwani Kumar	Executive Director	21.10.2021	1. Management Committee 2. Customer Service Committee 3. Risk Management Committee 4. Committee of Directors (Vigilance) 5. Special Committee (Monitoring of Large Value Frauds) 6. IT Strategy Committee 7. Stakeholders Relationship Committee 8. Share Transfer Committee 9. HR Committee 10. Committee for Monitoring of Recovery 11. Credit Approval Committee	-	NIL
5	Shri Sanjeev Kaushik	Govt. Nominee Director	24.01.2020	1. Risk Management Committee 2. Committee of Directors (Vigilance) 3. Special Committee (Monitoring of Large Value Frauds)	-	NIL

Sl. No.	Name	Designation	Date of Appointment/ Nomination	Membership of Bank's Board level Committees	Directorship held in Companies / Entities other than the Bank	No. of Shares held
				4. IT Strategy Committee. 5. HR Committee 6. Committee for Monitoring of Recovery 7. Board Committee for Performance Evaluation		
6	Dr. Aditya Gaiha	RBI Nominee Director	08.03.2022	1. Management Committee 2. Audit Committee of the Board 3. Committee of Directors (Vigilance)	-	NIL
7	Shri Balmukund Sahay	Part-time Non-Official Director	21.12.2021	1. Customer Service Committee 2. Risk Management Committee 3. Special Committee (Monitoring of Large Value Frauds) 4. Stakeholders Relationship Committee (Chairman) 5. Share Transfer Committee 6. HR Committee 7. Board Level Appellate Committee for Disciplinary Cases (Chairman) 8. Audit Committee of the Board	-	NIL
8	Shri Vishvesh Kumar Goel	Part-time Non Official Director	21.12.2021	1. Audit Committee of the Board 2. Risk Management Committee 3. IT Strategy Committee (Chairman) 4. Committee for Monitoring of Recovery 5. Board Level Appellate Committee for Disciplinary Cases 6. Review Committee for Non-Cooperative Borrowers 7. Nomination and Remuneration Committee (Chairman)	V G Corporate Management Pvt. Ltd.	NIL

Sl. No.	Name	Designation	Date of Appointment/ Nomination	Membership of Bank's Board level Committees	Directorship held in Companies / Entities other than the Bank	No. of Shares held
9	Dr. Bharath Krishna Sankar	Shareholder Director	07.02.2021	1. Audit Committee of the Board (Chairman) 2. HR Committee 3. IT Strategy Committee 4. Share Transfer Committee 5. Board Level Appellate Committee for Disciplinary Cases 6. Board Committee for Performance Evaluation (Chairman) 7. Nomination and Remuneration Committee 8. Special Committee (Monitoring of Large Value Frauds) 9. Review Committee for Wilful Defaulters	1. Aparajitha Corporate Services Private Limited 2. Dinram Holdings Pvt. Ltd. 3. Dasa Consulting Pvt. Ltd. 4. Aparajitha Dynamic Synergies Pvt. Ltd. 5. Aparajitha Property Shelters Pvt. Ltd. 6. Aparajitha Partnering Progrez Pvt. Ltd. 7. Aparajitha Total Solutions Pvt. Ltd. 8. Aparajitha Software Services Pvt. Ltd. 9. Edsix Brainlab Pvt. Ltd.	300
10	Ms. Papia Sengupta	Shareholder Director	29.10.2021	1. Management Committee 2. Risk Management Committee (Chairperson) 3. IT Strategy Committee 4. Committee for Monitoring of Recovery 5. Board Level Appellate Committee for Disciplinary Cases 6. Review Committee for Willful Defaulters 7. Review Committee for Non-Cooperative Borrowers 8. Nomination and Remuneration Committee 9. Board Committee for Performance Evaluation	The Investment Trust of India Ltd.	200

Note:

(i) None of the directors on the Board is member in more than 10 committees namely Audit Committee and Stakeholders' Relationship Committee or act as Chairman of more than 5 Committees namely Audit Committee and Stakeholders' Relationship Committee across all companies in which he/she is a director.

(ii) There is no inter-se relationship between Directors.

(iii) The Board of Directors has been responsible for the business and overall affairs of the Bank in the FY 2021-22 and that the reporting structures of the listed entity, formal and informal are consistent with the same.

(iv) In the opinion of the Board, the independent directors fulfill the conditions specified in SEBI (LODR) regulations, 2015 and are independent of the management.

(v) During FY 2021-22, there has been no instance of resignation by any of the Independent Directors.

2.6 The profiles of the Managing Director (assumed office on 01.09.2021) and the directors who were appointed / nominated on the Board of the Bank and assumed office during the financial year 2021-22 are furnished hereunder:

2.6.1 Shri S. L. Jain, Managing Director & Chief Executive Officer:

Shri S. L. Jain assumed charge as Managing Director and Chief Executive Officer of Indian Bank on 1st September 2021. Prior to this, he served as Executive Director of Bank of Baroda since September 2018.

As Executive Director in Bank of Baroda (BoB), he played a pivotal role in the amalgamation process of Vijaya Bank and Dena Bank with Bank of Baroda. He was overseeing Large Corporate Credit, Stressed Assets and International Banking in BoB. He was also serving as Nominee Director / Chairman in the subsidiaries of BoB in Uganda, Tanzania, Baroda Global Shared Services (BGSS) etc.

A Post graduate in Commerce, with Professional Qualification of Chartered Accountant, Company Secretary and CAIIB, he joined Allahabad Bank in 1993 in Middle Management cadre and rose up to the level of General Manager of the Bank.

As a General Manager, he has served as Chief Financial Officer, Chief Risk Officer and headed IT department of the Bank. He has also headed Agra Zone as Zonal Manager and as Field General Manager (West) Mumbai. Earlier to this, he has served in branches and administrative offices of the Bank. Prior to joining Allahabad Bank, he has worked in various Industries. He has banking experience of about 28 years and industrial experience of about 6 years.

Shri Jain is a member on the Managing Committee of Indian Banks Association and he is also heading the IBA Standing Committee on Corporate Credit. He is a member in the Governing Body of IBPS, IIBM Guwahati and NIBM, Pune. He is also a member of the Insurance Advisory Committee of IRDAI.

2.6.2 Shri Ashwani Kumar, Executive Director:

Shri Ashwani Kumar is Chartered Accountant, Post Graduate in Commerce and also a Certified member of Indian Institute of Bankers. He has rich banking experience of more than two decades. Prior to joining as Executive Director of Indian Bank, he was serving as Chief General Manager of Mumbai Zone of Punjab National Bank.

Shri Ashwani Kumar rose through ranks serving various offices of four Public Sector Banks viz. Bank of Baroda, e-Corporation Bank, e-Oriental Bank of Commerce and Punjab National Bank. His work experience includes working in Wholesale Banking division and as Head of several Branches (including Industrial Finance Branches and LCBs). As General Manager, he was heading Mid Corporate and Large Corporate verticals and was also CFO.

As a vivid learner, he has attended various training programs in premier institutes in India and abroad including IIM and CAFRAL. He has also completed Leadership Development Programme of IIM Bangalore, curated by the Banks Board Bureau in consultation with IBA and Egon Zehnder International Pvt. Ltd.

2.6.3 Dr. Aditya Gaiha, RBI Nominee Director:

Dr. Aditya Gaiha is an Electrical and Electronics Engineer and a Physics graduate from BITS, Pilani. He also has degrees in Law (LLB from Osmania University, Hyderabad) and Finance [M.Sc. (Investment Management) from Cass Business School, London].

He has completed his PhD in Economics from IIT Bombay. He is a Certified Associate of the IIBF. He has been working in the Reserve Bank of India since 1996 and has more than 25 years of work experience in the areas of Payment Systems and Information Technology, Banking and Non-Banking Supervision, Public Debt, Exchange Controls and Reserve

Management. He has also worked with the SAARC Development Fund (Thimphu) as Director (Finance) and the IMF (HQ, Washington DC) as a Senior Financial Sector Expert. Presently he is heading the Department of External Investments and Operations (DEIO) in the Central office of the Reserve Bank of India, in Mumbai.

2.6.4 Ms. Papia Sengupta, Shareholder Director:

Ms. Papia Sengupta is a Science Graduate, with additional qualification of CFA and CAIIB. She joined SBBJ in 1983 as Probationary Officer and has handled responsibilities in several offices of SBBJ, SBI and SBP. Ms. Papia Sengupta retired as Executive Director, Bank of Baroda on 30.09.2019. Prior to joining Bank of Baroda, she held the position of Chief General Manager (Retail Banking) since April 2016 and Chief General Manager (Stressed Assets Management Group) since June 2015 at State Bank of Patiala (SBP). She also served as General Manager of Delhi network at State Bank of Bikaner and Jaipur (SBBJ).

2.6.5 Shri Balmukund Sahay, Part time Non-Official Director:

Shri Balmukund Sahay is a post graduate in Commerce from Ranchi University. He was an active member of Jharkhand State Transport Authority from 2001 to 2004 and member of Jharkhand State Level 20 Points Programme Committee from 2016 to 2019. As a member of Jharkhand State Transport Authority, he had a role to promote rural economy and improve transportation sector. He is a social activist and as a member of Jharkhand State Level 20 Points Programme Committee, he was focusing on encouraging Agriculture, Rural Economy, Small Scale Industries & Information Technology and alternative dispute resolution. Poverty alleviation, facilitating Government schemes to beneficiaries were also his subject of interest.

2.6.6 Shri Vishvesh Kumar Goel, Part-time Non-Official Director:

Shri Vishvesh Kumar Goel is a member of the Institute of Chartered Accountants of India and holds bachelor degree in commerce from Meerut University. He has experience of more than 30 years in direct taxation, international transaction advisory, Legal opinions, Expatriate Taxation etc. He also has extensive experience in Assurance Services, serving listed Indian and Multinational clients in various industries. He has worked under various GAAPs (including USGAAP, IFRS, Ind AS, etc.). He is founder trustee of Eminent Educational Institute. He is an active participant in public seminars on direct taxation, training, and other motivational programs.

2.7 The details of cessation of directorship during FY 2021-22 are as under:

Sl. No.	Name	Category	Date of cessation	Reason
1.	Shri K. Ramachandran	Executive Director	01.07.2021	Superannuation
2.	Ms. Padmaja Chunduru	MD & CEO	01.09.2021	Superannuation
3.	Shri S. K. Panigrahy	RBI Director	08.03.2022	GOI Notification No. eF.No.6.3.2011-B0.1-Part(1) dated 08.03.2022
4.	Shri V V Shenoy	Executive Director	01.04.2022	Superannuation

3) Credentials of members of Board of Directors:

Sl. No.	Name	Designation	Category of Director	Educational/ Professional Qualification	Skill. Expertise
1.	Shri S. L. Jain	MD & CEO	Executive	M. Com., CA, CS and CAIIB	Chartered Accountant, Banking
2.	Shri V V Shenoy	Executive Director	Executive	B.Com, CAIIB	Banking
3.	Shri Imran Amin Siddiqui	Executive Director	Executive	B.Sc, B. Tech, CAIIB	Banking
4.	Shri Ashwani Kumar	Executive Director	Executive	M.Com, CA	Chartered Accountant, Banking

Sl. No.	Name	Designation	Category of Director	Educational/ Professional Qualification	Skill. Expertise
5.	Shri Sanjeev Kaushik	Govt. Nominee Director	Non Executive-GoI Nominee Director	MBA from London Business School, Mechanical Engineering from BITS Pilani.	Public Administration
6.	Dr. Aditya Gaiha	RBI Nominee Director	Non Executive-RBI Nominee Director	BE, M.Sc. (Physics), LLB, M Sc (Investment Management), CAIIB, PhD (Economics)	Economics, Banking Regulation and Supervision
7.	Dr. Bharath Krishna Sankar	Shareholder Director	Non Executive-Independent Director	B.com, M.com, Ph.D in commerce, FCA, ACMA	Business Management, Chartered Accountant, Finance, HR & Training
8.	Ms. Papia Sengupta	Shareholder Director	Non Executive-Independent Director	B Sc, CAIIB, CFA	CFA, Banking
9.	Shri Vishvesh Kumar Goel	Part-time Non Official Director	Non Executive-Independent Director	B.Com, FCA	Chartered Accountant, Assurance, Taxation and Finance
10.	Shri Balmukund Sahay	Part-time Non Official Director	Non Executive-Independent Director	M. Com.	Agriculture, Rural Economy, Small Scale Industries

3.1 Details of the Board / Committee meeting held during financial year 2021-22:

Details of the meetings attended by Present and Past Directors (from 01.04.2021-31.03.2022):

Sl. No.	Name of Director	BOARD	MCB	ACB	RMC	COD (Vig)	SRC	ITCom.	SCMLVF	CSC	H R Com	STC	CAC	CFMR	BACDC	RCNCB	NRC	RCWD	BC PE
1	Ms Padmaja Chunduru*	5	9	--	2	2	--	3	--	1	1	--	9	1	--	--	--	1	–
2	Shri S. L. Jain	11	19	--	4	2	--	4	2	3	3	--	24	2	--	1	--	4	–
3	Shri V V Shenoy	16	28	13	6	4	3	7	2	4	4	1	33	3	--	--	--	–	–
4	Shri K. Ramachandran**	2	5	3	1	1	1	1	--	1	--	--	5	1	--	--	--	--	–
5	Shri Imran Amin Siddiqui	15	27	13	5	4	3	7	2	4	4	1	31	3	--	--	--	–	–
6	Shri Ashwani Kumar	9	15	6	3	1	1	4	1	2	3	1	18	2	--	--	--	–	–
7	Shri Sanjeev Kaushik	11	--	9	--	2	--	1	--	--	2	--	--	1	--	--	--	1	2
8	Shri S K Panigrahy***	12	22	9	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	–
9	Dr. Aditya Gaiha	1	1	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	–	–
10	Dr. Bharath Krishna Sankar	16	--	13	2	--	2	6	2	3	4	1	--	--	--	--	--	5	2
11	Ms. Papia Sengupta	9	14	--	4	--	--	4	--	--	--	--	--	2	--	1	--	4	2
12	Shri Vishvesh Kumar Goel	8	--	5	3	--	--	3	-	--	--	--	--	1	--	1	--	–	–
13	Shri Balmukund Sahay	8	--	3	3	--	1	--	1	1	2	1	--	--	--	--	--	--	–

* MD & CEO upto 31.08.2021 ** Executive Director upto 30.06.2021 *** RBI nominee Director upto 07.03.2022

During the financial year 2021-22, fifteen (15) Board Meetings were held as detailed below as against requirement of minimum six meetings under clause 12 of Nationalized Bank (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970:

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on Board	Number of Directors Attended the meeting
1.	28.05.2021	7	7
2.	29.06.2021	7	7
3.	19.07.2021	6	6
4.	11.08.2021	6	5
5.	27.08.2021	6	6
6.	29.09.2021	6	5
7.	28.10.2021	7	7
8.	25.11.2021	8	7
9.	27.12.2021	10	10
10.	07.02.2022	10	10
11.	08.02.2022	10	10
12.	24.02.2022	10	8
13.	14.03.2022	10	8
14.	21.03.2022	10	8
15.	30.03.2022	10	9

4. Committees of the Board:

4.1 Management Committee of the Board:

The Management Committee was constituted on September 8, 1990 and exercises such powers of the Board, as may be delegated to it by the Board with the approval of the Central Government after consultation with Reserve Bank of India. The committee is re-constituted from time to time. The Management Committee may exercise all the powers vested in the Board in respect of:

- Sanctioning of credit proposals (funded and non-funded);
- Loans compromise, write-off proposals;
- Proposals for approval of capital and revenue expenditure;
- Proposals relating to acquisition and hiring of premises including deviation from norms for acquisition and hiring of premises;
- Investments in Government and other approved securities, shares and debentures of companies including underwriting;
- Donations and
- Any other matter referred to the Management Committee by the Board

4.1.1 Composition of the Management Committee of the Board:

The members of the Management Committee of the Board as on 31.03.2022 were as under:

1.	Shri S. L. Jain	Chairman
2.	Shri V V Shenoy, Executive Director	Member
3.	Shri Imran Amin Siddiqui, Executive Director	Member
4.	Shri Ashwani Kumar, Executive Director	Member
5.	Dr. Aditya Gaiha, RBI Nominee Director	Member
6.	Ms. Papia Sengupta, Shareholder Director	Member

4.1.2 Details of meetings:

The Committee met twenty eight (28) times during the period from 01.04.2021 to 31.03.2022 as detailed below:

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on the Management Committee of Board	Number of Directors Attended the meeting
1.	16.04.2021	5	5
2.	04.05.2021	5	5
3.	25.05.2021	5	5
4.	07.06.2021	5	5
5.	24.06.2021	5	5
6.	14.07.2021	4	4
7.	03.08.2021	4	4
8.	13.08.2021	4	4
9.	18.08.2021	4	4
10.	17.09.2021	4	4
11.	27.09.2021	4	4
12.	18.10.2021	4	4
13.	27.10.2021	5	5
14.	12.11.2021	6	6
15.	20.11.2021	6	6
16.	30.11.2021	6	4
17.	09.12.2021	6	6
18.	23.12.2021	6	6
19.	29.12.2021	6	5
20.	10.01.2022	6	6
21.	25.01.2022	6	6
22.	14.02.2022	6	6
23.	21.02.2022	6	5
24.	05.03.2022	6	6
25.	07.03.2022	6	5
26.	14.03.2022	6	5
27.	23.03.2022	6	5
28.	28.03.2022	6	5

4.2 Audit Committee of the Board (ACB):

The Audit Committee was constituted on October 13, 1995 and the same is re-constituted from time to time. Its terms of reference include the following:

- Provide direction as also oversee the total audit function of the Bank which impact the organization, operationalization and quality control of internal audit and inspection in the Bank and follow-up on the statutory external audit of the Bank and inspections of the Reserve Bank of India.
- Review the internal inspection/audit function in the Bank, with specific focus on the follow-up on inter-branch adjustment accounts, un-reconciled long outstanding entries in Inter-Bank accounts and nostro accounts, arrears in balancing of books at various branches, frauds and house-keeping.
- Review quarterly reports from the Compliance officers appointed in the Bank and

- Follow-up on all the issues raised in the Long Form Audit Report and interact with the external auditors before the finalization of the annual, semi-annual financial accounts and reports and all the issues concerns raised in the inspection reports of RBI.
- Regular review of accounts, accounting policies, disclosures.
- Review of the major accounting entries based on exercise of judgment by management and review of significant adjustments arising out of audit.
- Qualifications in the draft audit report.
- Establishing and reviewing the scope of the independent audit including the observations of the auditors and review of the quarterly, half-yearly and annual financial statements before submission to the Board.
- Post audit discussions with the auditors to ascertain any area of concern.
- Establishing the scope and frequency of internal audit, reviewing the findings of the internal auditors and ensuring the adequacy of internal control systems.
- Compliance with Accounting Standards and Accounting Policies of the Bank.
- Compliance with stock exchange requirements concerning financial statements, to the extent applicable.
- Oversee related party transactions i.e., transactions of the Bank of material nature, with promoters or management, their subsidiaries or relatives etc., that may have potential conflict with the interests of the Bank at large and
- Such other matters as may from time to time be required by any statutory, contractual or other regulatory requirements.

4.2.1 Composition of the Audit Committee of the Board:

The members of Audit Committee of the Board as on 31.03.2022 were as under:

1.	Dr. Bharath Krishna Sankar, Shareholder Director	Chairman
2.	Dr. Aditya Gaiha, RBI Nominee Director	Member
3.	Shri Vishvesh Kumar Goel, Part-time Non Official Director	Member
4.	Shri Balmukund Sahay, Part-time Non Official Director	Member

Invitees:

1. Shri V V Shenoy, Executive Director
2. Shri Imran Amin Siddiqui, Executive Director
3. Shri Ashwani Kumar, Executive Director

4.2.2 Details of meetings:

During the period from 01.04.2021 to 31.03.2022, thirteen (13) meetings of the Audit committee of the Board were held as detailed below:

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on the Audit Committee of Board	Number of Directors Attended the meeting
1.	28.04.2021	4	3
2.	28.05.2021	4	4
3.	28.06.2021	4	4
4.	19.07.2021	4	4
5.	26.08.2021	4	4
6.	29.09.2021	4	3
7.	28.10.2021	3	3
8.	22.12.2021	3	3
9.	07.02.2022	4	4
10.	16.02.2022	4	4
11.	11.03.2022	4	4
12.	25.03.2022	4	3
13.	30.03.2022	4	4

4.3 Risk Management Committee of the Board:

Risk Management Committee was constituted on January 18, 2003 and the committee was re-constituted from time to time. The functions and responsibilities of the Risk Management Committee include the following:

- To devise the policy and strategy for integrated risk management containing various risk exposures of the Bank including the Credit Risk.
- To co-ordinate between the Credit Risk Management Committee (CRMC), the Asset Liability Management Committee (ALMC) and Operational Risk Management Committee (ORMC) and other risk committees of the Bank.
- Setting policies and guidelines for market risk measurement, management, and reporting.
- Ensuring that market risk management processes (including people, systems, operations, limits, and controls) satisfy Bank's policy.
- Reviewing and approving market risk limits, including triggers or stop-losses for traded and accrual portfolios.
- Appointment of qualified and competent staff, ensuring posting of qualified and competent staff and of independent market risk managers etc.

4.3.1 Composition of the Risk Management Committee of the Board:

The members of Risk Management Committee of the Board as on 31.03.2022 were as under:

1.	Ms. Papia Sengupta, Shareholder Director	Chairperson
2.	Shri Ashwani Kumar, Executive Director	Member
3.	Shri Sanjeev Kaushik, GoI Nominee Director	Member
4.	Shri Balmukund Sahay, Part-time Non Official Director	Member
5.	Shri Vishvesh Kumar Goel, Part-time Non Official Director	Member

Invitees:

1. Shri V V Shenoy, Executive Director
2. Shri Imran Amin Siddiqui, Executive Director
3. Shri Rajesh Mahajan, Domain Expert (Special Invitee)

4.3.2 Details of meetings:

The Committee met 6 times during the period from 01.04.2021 to 31.03.2022 as detailed below:

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on the Risk Management Committee of Board	Number of Directors Attended the meeting
1.	28.06.2021	5	5
2.	26.08.2021	4	4
3.	24.11.2021	4	3
4.	10.03.2022	6	5
5.	23.03.2022	6	5
6.	30.03.2022	6	4

4.4 Committee of Directors (COD) on Vigilance:

The Vigilance Committee was constituted on January 12, 1991. The Vigilance Committee meets once in a quarter to review any outstanding disciplinary cases and departmental enquiries. The Committee is re-constituted from time to time.

4.4.1 Composition of the Committee of Directors (COD) on Vigilance:

The members of Committee of Directors (COD) on Vigilance as on 31.03.2022 were as under:

1.	Shri S. L. Jain, MD & CEO	Chairman
2.	Shri V V Shenoy, Executive Director	Member
3.	Shri Imran Amin Siddiqui, Executive Director	Member
4.	Shri Ashwani Kumar, Executive Director	Member
5.	Shri Sanjeev Kaushik, GOI Nominee Director	Member
6.	Dr. Aditya Gaiha, RBI Nominee Director	Member

4.4.2 Details of meetings:

The Committee held four (4) meetings during the period from 01.04.2021 to 31.03.2022 as detailed below:

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on the Committee of Directors (COD Vig)	Number of Directors Attended the meeting
1	29.06.2021	6	5
2	27.08.2021	5	5
3	24.11.2021	6	5
4	30.03.2022	6	3

4.5 Stakeholders' Relationship Committee of the Board:

The Committee was constituted with effect from November 23, 2006 to carry out such functions that are required for the redressal of Shareholders' and investors' complaints, including but not limited to transfer of shares, non-receipt of dividends, Annual Report and any other grievance that a shareholder or investor of the Bank may have against the Bank. The Committee was reconstituted from time to time.

4.5.1 Composition of the Stakeholders' Relationship Committee of the Board:

The members of Stakeholders' Relationship Committee of the Board as on 31.03.2022 were as under:

1.	Shri Balmukund Sahay, Part-time Non Official Director	Chairman
2.	Shri V V Shenoy, Executive Director	Member
3.	Shri Imran Amin Siddiqui, Executive Director	Member
4.	Shri Ashwani Kumar, Executive Director	Member

4.5.2 Function of Stakeholders' Relationship Committee of the Board:

The role of the committee, inter-alia, include the following:

- Resolving the grievances of the security holders of the Bank including complaints related to transfer, transmission of shares, non-receipt of Annual Report, non-receipt of declared dividends, issue of new, duplicate certificates, general meetings etc.
- Review of measures taken for effective exercise of voting rights by shareholders.
- Review of adherence to the service standards adopted by the Bank in respect of various services being rendered by the Registrar & Share Transfer Agent.
- Review of the various measures and initiatives taken by the Bank for reducing the quantum of unclaimed dividends and ensuring timely receipt of Dividend Warrants, Annual Reports, Statutory Notices by the shareholders of the Bank.

4.5.3 Details of meetings

The Committee held three (3) meetings during the period from 01.04.2021 to 31.03.2022 as detailed below:

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on the Stakeholders' Relationship Committee	Number of Directors Attended the meeting
1	08.06.2021	4	4
2	29.09.2021	3	3
3	25.03.2022	4	4

4.6 IT Strategy Committee:

IT Strategy Committee was set up to look into the technological upgradation requirements of the Bank and recommend a strategic plan with clearly defined milestones. The committee is re-constituted from time to time.

4.6.1 Composition of the IT Strategy Committee (IT Com.):

The members of the IT Strategy Committee (IT Com.) as on 31.03.2022 were as under:

1.	Shri Vishvesh Kumar Goel, Part-time Non Official Director	Chairman
2.	Shri S. L. Jain, MD & CEO	Member
3.	Shri V V Shenoy, Executive Director	Member
4.	Shri Imran Amin Siddiqui, Executive Director	Member
5.	Shri Ashwani Kumar, Executive Director	Member
6.	Shri Sanjeev Kaushik, GOI Nominee Director	Member
7.	Dr. Bharath Krishna Sankar Shareholder Director	Member
8.	Ms. Papia Sengupta, Shareholder Director	Member

Representative of IDRBT, domain expert is Special Invitee to Committee meetings.

4.6.2 Details of meetings:

This Committee held seven (7) meetings during the period from 01.04.2021 to 31.03.2022, as detailed below:

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on the IT Strategy Committee of Board	Number of Directors Attended the meeting
1.	08.06.2021	6	5
2.	15.07.2021	5	5
3.	11.08.2021	5	4
4.	24.11.2021	7	6
5.	16.02.2022	8	7
6.	10.03.2022	8	6
7.	23.03.2022	8	7

4.7 Special Committee (Monitoring of Large Value Frauds):

The Committee was constituted on January 31, 2004 for monitoring frauds of Rs.1 (one) crore and above. The Committee was reconstituted from time to time.

4.7.1 Composition of Special Committee (Monitoring of Large Value Frauds):

The members of the Special Committee (Monitoring of Large Value Frauds) as on 31.03.2022 were as under:

1.	Shri S. L. Jain, MD & CEO	Chairman
2.	Shri V V Shenoy, Executive Director	Member
3.	Shri Imran Amin Siddiqui, Executive Director	Member
4.	Shri Ashwani Kumar, Executive Director	Member
5.	Shri Sanjeev Kaushik, GoI Nominee Director	Member
6.	Dr. Bharath Krishna Sankar, Shareholder Director	Member
7.	Shri Balmukund Sahay, Part-time Non Official Director	Member

4.7.2 Details of meetings:

The Special Committee (Monitoring of Large Value Frauds) held two (2) meetings during the period from 01.04.2021 to 31.03.2022 as detailed below:

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on the Special Committee (Monitoring of Large Value Frauds)	Number of Directors Attended the meeting
1	29.09.2021	5	4
2	16.02.2022	7	6

4.8 Customer Service Committee of the Board:

The Customer Service Committee was constituted on August 24, 2004 and is re-constituted from time to time. The functions of the Customer Service Committee include the following:

- To look into the simplification of procedures and practices with a view to safeguarding the interest of common persons
- To review the systems in place for providing service to the customers and
- To review the regulations and procedures prescribed by Reserve Bank of India that impinge on customer service of banks.

4.8.1 Composition of Customer Service Committee of the Board:

The members of Customer Service Committee of the Board as on 31.03.2022 were as under:

1.	Shri S. L. Jain, MD & CEO	Chairman
2.	Shri V V Shenoy, Executive Director	Member
3.	Shri Imran Amin Siddiqui, Executive Director	Member
4.	Shri Ashwani Kumar, Executive Director	Member
5.	Shri Balmukund Sahay, Part-time Non Official Director	Member

4.8.2 Details of meetings:

The Committee held four (4) meetings during the period 01.04.2021 to 31.03.2022 as detailed below:

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on the Customer Service Committee	Number of Directors Attended the meeting
1.	08.06.2021	5	5
2.	29.09.2021	4	4
3.	27.12.2021	5	5
4.	23.02.2022	5	5

4.9 Nomination and Remuneration Committee of the Board:

Nomination and Remuneration Committee was constituted in the Bank on 27.11.2019 based on RBI / DFS guidelines for determining the 'Fit and Proper' status of persons to be elected as Shareholder Director on the Board. The Committee is re-constituted from time to time.

4.9.1 Composition of Nomination and Remuneration Committee of the Board:

The members of the Remuneration Committee of the Board as on 31.03.2022 were as under:

1.	Shri Vishvesh Kumar Goel, Part-time Non Official Director	Chairman
2.	Dr. Bharath Krishna Sankar, Shareholder Director	Member
3.	Ms. Papia Sengupta, Shareholder Director	Member

4.9.2 Details of meetings:

No meeting of the Committee was held during the period 01.04.2021 to 31.03.2022.

4.10 Board Committee for Performance Evaluation:

The committee was constituted on 27.11.2019 for approval of KRAs of GMs and EDs and to set up KRAs of MD & CEO for recommending to Board. The Committee is re-constituted from time to time.

4.10.1 Composition of Board Committee for Performance Evaluation:

The members of the Board Committee for Performance Evaluation as on 31.03.2022 were as under:

1.	Shri Sanjeev Kaushik, GoI Nominee Director	Chairman
2.	Dr. Bharath Krishna Sankar, Shareholder Director	Member
3.	Ms. Papia Sengupta, Shareholder Director	Member

4.10.2 Details of meetings:

The Committee held two (2) meetings during the period 01.04.2021 to 31.03.2022 as detailed below:

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on the Committee for Performance Evaluation	Number of Directors Attended the meeting
1	25.11.2021	3	3
2	21.03.2022	3	3

4.11 Share Transfer Committee:

Pursuant to Regulation 2A of the Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999, the Share Transfer Committee of the Bank was constituted on March 13, 2007. The Committee is re-constituted from time to time.

4.11.1 Composition of Share Transfer Committee:

The members of the Share Transfer Committee of the Board as on 31.03.2022 were as under:

1.	Shri V V Shenoy, Executive Director	Chairman
2.	Shri Imran Amin Siddiqui, Executive Director	Member
3.	Shri Ashwani Kumar, Executive Director	Member
4.	Dr. Bharath Krishna Sankar, Shareholder Director	Member
5.	Shri Balmukund Sahay, Part-time Non Official Director	Member

4.11.2 Details of meetings:

The Committee held one (1) meeting during the period from 01.04.2021 to 31.03.2022 as detailed below:

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on the Share Transfer Committee	Number of Directors Attended the meeting
1	23.02.2022	5	5

4.12 Credit Approval Committee of the Board:

The Credit Approval Committee was constituted on 04.04.2012 by the Bank as per the Government of India Notification No. S.O.2736 (E) dated 05.12.2011 to be a sanctioning body below MCB to exercise such powers delegated to it by Board with regard to credit proposals / compromise proposals / write off proposals within the framework spelt out by Government of India. The Committee was reconstituted from time to time.

4.12.1 Composition of the Credit Approval Committee of the Board:

The Credit Approval Committee of the Board consists of the following:-

- Managing Director & Chief Executive Officer
- Executive Directors
- General Manager (Corporate Credit)

- General Manager (Mid Corp. / MSME)
- General Manager (Finance / Accounts)
- General Manager (submitting the Credit & Expenditure proposals)
- General Manager (CRO) and CCO are attendees.

As different General Managers / Department Heads deals with Credit & Expenditure Proposals, the General Manager / Department Head concerned become member of the Committee for the respective proposal.

4.12.2 Details of meetings:

The Credit Approval Committee held thirty three (33) meetings during the period from 01.04.2021 to 31.03.2022, as detailed below:

Sl. No.	Date of meeting	Number of members on the Credit approval Committee of Board	Number of Directors Attended the meeting
1.	30.04.2021	4	4
2.	21.05.2021	4	4
3.	28.05.2021	4	4
4.	15.06.2021	4	4
5.	30.06.2021	4	4
6.	09.07.2021	3	3
7.	23.07.2021	3	3
8.	06.08.2021	3	3
9.	19.08.2021	3	3
10.	07.09.2021	3	3
11.	22.09.2021	3	3
12.	29.09.2021	3	3
13.	01.10.2021	3	3
14.	30.10.2021	4	4
15.	03.11.2021	4	4
16.	16.11.2021	4	4
17.	23.11.2021	4	3
18.	29.11.2021	4	4
19.	07.12.2021	4	4
20.	16.12.2021	4	4
21.	28.12.2021	4	4
22.	30.12.2021	4	4
23.	11.01.2022	4	4
24.	20.01.2022	4	4
25.	09.02.2022	4	4
26.	23.02.2022	4	4
27.	02.03.2022	4	3
28.	09.03.2022	4	4
29.	15.03.2022	4	4
30.	24.03.2022	4	4
31.	28.03.2022	4	3
32.	30.03.2022	4	3
33.	31.03.2022	4	4

4.13 Review Committee for Non Co-operative Borrowers :

The Review Committee for Non Cooperative Borrowers was constituted on 23.01.2015 to review / confirm the orders of the Screening Committee for Non Cooperative Borrowers classifying the borrower as Non-Cooperative Borrower as per RBI guidelines and is re-constituted from time to time.

4.13.1 Composition of the Review Committee for Non Cooperative Borrowers:

The members of the Review Committee for Non Cooperative Borrowers (RCNCB) as on 31.03.2022 were as under:

1.	Shri S. L. Jain, MD & CEO	Chairman
2.	Ms. Papia Sengupta, Shareholder Director	Member
3	Shri Vishvesh Kumar Goel, Part-time Non Official Director	Member

4.13.2 Details of meetings:

The Committee held one (1) meeting during the period from 01.04.2021 to 31.03.2022 as detailed below:

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on the RCNCB	Number of Directors Attended the meeting
1.	02.02.2022	3	3

4.14 Board Level Appellate Committee for Disciplinary Cases:

The Board Level Appellate Committee for Disciplinary Cases was constituted on 15.12.2014 one level above the authority of Chairman & Managing Director of the Bank whose decision is appealed against. The Committee is re-constituted from time to time.

4.14.1 Composition of Board Level Appellate Committee for Disciplinary Cases:

The members of the Board Level Appellate Committee of the Board as on 31.03.2022 were as under:

1.	Shri Balmukund Sahay, Part-time Non Official Director	Chairman
2.	Dr. Bharath Krishna Sankar, Shareholder Director	Member
3.	Ms. Papia Sengupta, Shareholder Director	Member
4.	Shri Vishvesh Kumar Goel, Part-time Non Official Director	Member

4.14.2 Details of meetings:

No meeting of the committee was held during the period 01.04.2021 to 31.03.2022.

4.15 HR Committee:

The HR Committee of the Board was constituted on June 29, 2012 to discuss and decide upon critical issues in HR every quarter. The committee is re-constituted from time to time.

4.15.1 Composition of the HR Committee:

The members of the HR Committee of the Board as on 31.03.2022 were as under:

1.	Shri S. L. Jain, MD & CEO	Chairman
2.	Shri V V Shenoy, Executive Director	Member
3.	Shri Imran Amin Siddiqui, Executive Director	Member
4.	Shri Ashwani Kumar, Executive Director	Member
5.	Shri Sanjeev Kaushik, GOI Nominee Director	Member
6.	Dr. Bharath Krishna Sankar, Shareholder Director	Member
7.	Shri Balmukund Sahay, Part-time Non Official Director	Member

Special Invitees: 1. Shri Kamlesh R. Patel (HR Expert) 2. Prof. Vasanthi Srinivasan (HR Expert)

4.15.2 Details of meetings:

The Committee met four (4) times during the period from 01.04.2021 to 31.03.2022 as detailed below:

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on HR Committee	Number of Directors Attended the meeting
1.	15.07.2021	5	5
2.	24.11.2021	6	5
3.	02.02.2022	7	7
4.	21.03.2022	7	6

4.16 Review Committee for Willful Defaulters:

Review Committee for Willful Defaulters was constituted on 30.03.2015. The committee will review the orders of the Screening Committee identifying borrowers as wilful defaulters. The Committee is re-constituted from time to time.

4.16.1 Composition of the Review Committee of Willful Defaulters:

The members of the Review Committee of Willful Defaulters as on 31.03.2022 were as under:

1.	Shri S. L. Jain, MD & CEO	Chairman
2.	Dr. Bharath Krishna Sankar, Shareholder Director	Member
3.	Ms. Papia Sengupta, Shareholder Director	Member

4.16.2 Details of meetings:

The Committee met five (5) times during the period from 01.04.2021 to 31.03.2022 as detailed below:

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on Review Committee of Willful Defaulters	Number of Directors Attended the meeting
1.	26.08.2021	3	3
2.	02.02.2022	3	3
3.	16.02.2022	3	3
4.	14.03.2022	3	3
5.	30.03.2022	3	3

4.17 Committee for Monitoring of Recovery:

The Committee for Monitoring of Recovery was constituted on 18.12.2012 by the Bank for the purpose of monitoring the progress made by the Bank in NPA recovery and to review the functioning of various Committees such as SAC, Sale of Assets Committee and other field level functionaries in the Bank. The Committee is re-constituted from time to time.

4.17.1 Composition of the Committee for Monitoring of Recovery:

The members of Committee for Monitoring of Recovery as on 31.03.2022 were as under:

1.	Shri S. L. Jain, MD & CEO	Chairman
2.	Shri V V Shenoy, Executive Director	Member
3.	Shri Imran Amin Siddiqui ,Executive Director	Member
4.	Shri Ashwani Kumar ,Executive Director	Member
5.	Shri Sanjeev Kaushik, GOI Nominee Director	Member
6.	Ms. Papia Sengupta, Shareholder Director	Member
7.	Shri Vishvesh Kumar Goel, Part-time Non Official Director	Member

4.17.2 Details of meetings:

The Committee held three (3) meetings during the period from 01.04.2021 to 31.03.2022 as detailed below:

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on the Committee for Monitoring of Recovery	Number of Directors Attended the meeting
1.	29.06.2021	5	5
2.	24.11.2021	6	5
3.	24.02.2022	7	6

5. Remuneration to Directors :

The remuneration including travelling and halting expenses to non-Executive Directors are paid as stipulated by the Central Government in consultation with Reserve Bank of India from time to time in terms of Clause 17 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (as amended).

The Managing Director & CEO and Executive Directors (whole time directors) are paid remuneration by way of salary as per rules framed by the Government of India. The details of remuneration paid to the Managing Director & CEO and Executive Director/s are as under:

Sl. No.	Name	Basic Pay (₹)	Dearness Allowance (₹)	Arrear (₹)	PF (₹)	Incentives/ Other allowances (₹)	1 day Leave Encashment to PM Relief Fund (₹)	PL Encashment on Retirement (₹)	Total (₹)
1.	Shri. S.L. Jain, MD & CEO	1437800.00	433394.00	12324.00	143780.00	-	-	-	2027298.00
2.	Ms. Padmaja Chunduru, Ex- MD & CEO	1102500.00	236793.00	13464.00	110250.00	127471.50	-	2439059.55	4029538.05
3.	Shri V V Shenoy, Executive Director	2301600.00	611520.00	23184.00	230160.00	109746.00	-	-	3276210.00
4.	Shri K.Ramachandran, Ex- Executive Director	562800.00	95676.00	-	56280.00	109746.00	-	2194920.00	3019422.00
5.	Shri Imran Amin Siddiqui, Executive Director	2121600.00	562224.00	21216.00	212160.00	82714.66	-	-	2999914.66
6.	Shri Ashwani Kumar, Executive Director	946735.48	291605.94	11569.16	94673.00	540004.23	-	-	1884588.36

At present, the Bank does not have Stock Option Plan for its directors.

The Salary and incentives paid to the Whole Time Directors are as per Government of India guidelines.

As per Government of India guidelines, the Non-Executive Directors are being paid a sitting fee of ₹40,000/- for attending Board Meetings and ₹20,000/- for Committee Meetings, ₹10,000/- extra for chairing Board Meetings and ₹5,000/- for chairing Committee Meetings with effect from 18.01.2019 (Subject to ₹15 lakh per annum). Sitting fees are, however, not paid to the Managing Director & CEO, Executive Directors of the Bank, Government Nominee Director and Government nominated RBI Nominee Director appointed / nominated under Section 9(3)(b) & 9(3)(c) of the Banking Companies (Acquisition and transfer of Undertakings) Act, 1970 respectively.

6. Familiarization Programmes:

Details of familiarization programmes imparted to independent Directors are available on Bank's website, www.indianbank.in.

7. General Body Meetings:

7.1 Particulars of past three Annual General Meetings of the Bank:

Nature of Meeting	Date and Time	Venue	Purpose
Thirteenth Annual General Meeting	Thursday, 27th June, 2019 at 10.30 a.m.	IMAGE, MRC Nagar, Raja Annamalaipuram, Chennai- 600 028	To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at March 31, 2019, the Profit and Loss account for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.
Fourteenth Annual General Meeting	Friday, 07th August, 2020 at 11.00 a.m	Through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM)	To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at March 31, 2020, the Profit and Loss account for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.
Fifteenth Annual General Meeting	Friday, the 16th July, 2021 at 11.00 a.m.	Through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM)	1.To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at March 31, 2021, the Profit and Loss account for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts. 2.To declare dividend on Equity Shares.

7.2 No special resolution was passed in aforementioned three Annual General Meetings.

7.3 The following Directors were present in the last Annual General Meeting of the Bank held on 16.07.2021:

Ms. Padmaja Chunduru	Ex - MD & CEO
Shri V V Shenoy	Executive Director
Shri Imran Amin Siddiqui	Executive Director
Shri S K Panigrahy	Ex - RBI Nominee Director
Dr. Bharath Krishna Sankar	Shareholder Director

No Special Resolution was passed by postal ballot during the financial year 2021-22.

8. Whistle Blower Policy/Vigil Mechanism:

The Bank is committed to the highest standards of ethics, integrity and professionalism in all the activities and operations that it conducts and has defined systems and procedures in place to root out corruption, malpractices and abuse of authority by the employees / officers in the Bank. The Bank encourages an open and transparent system of working and dealings between the members of staff / officers, customers and members of general public coming into contact with the Bank.

The Bank comes within the purview of Central Vigilance Commission. As such, the Bank has framed a Whistle Blower Policy in line with the Govt. of India guidelines in this regard. The policy namely 'Whistle Blower Policy' aims at quickly spotting aberrations and dealing with it in the shortest possible time. It has been disseminated among the employees and officers of the Bank ensuring them full confidentiality against disclosure of names and protection to the Whistle Blower against any personal vindictive actions such as humiliation, harassment or any other form of unfair treatment or subjecting to any kind of loss on account of his public interest disclosures. The content of the policy is made available on Bank's website, www.indianbank.in

No personnel of the Bank have been denied access to the Audit Committee.

9. Disclosures:

(a) Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transactions with its Promoter / Directors, Management, their relatives etc. that may have potential conflict with the interest of the Bank at large.

(b) The Bank has complied with the requirements regarding capital market and no penalty or stricture whatsoever has been imposed by the Stock Exchanges or SEBI.

(c) The Bank being one of the Nationalized Banks, has complied with the requirement of SEBI (Listing Obligations and disclosure Requirements) Regulations, 2015 to the extent applicable/compliable.

(d) The Bank has formulated a 'Policy for determining Material Subsidiary' and the same is available on Bank's website, www.indianbank.in.

(e) The Bank is having two listed subsidiaries namely, Indbank Merchant Banking Services Limited and Ind Bank Housing Limited. None of them are 'material subsidiary of the Bank. Besides the two subsidiaries, the Bank also has two joint ventures namely, Universal Sompo General Insurance Company Ltd. and Asrec (India) Ltd.

(f) In line with the Sexual Harassment of Women at work place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 and Rules made thereunder, the Bank has formulated a policy for prevention of Sexual Harassment of Women at workplace. During the financial year 2021-22, no such complaint was received.

(g) A Certificate from a Company Secretary in practice certifying that none of the Directors on the Board of the Bank have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of the Bank by SEBI/Ministry of Corporate Affairs or any such Statutory/Regulatory Authority is attached and form part of the report.

(h) The certificate issued by the Statutory Central Auditors of the Bank, regarding compliance of conditions of Corporate Governance in terms of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 is annexed to this report.

(I) Total Professional Fee and other expenses paid to Statutory Central Auditors for the Financial Year 2020-21 is ₹304.85 lakh.

(j) A Compliance Certificate from the Managing Director & CEO of the Bank and Chief Financial Officer as stipulated in Regulation 33(2) read with Regulation 17(8) of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations,2015 has been placed before the Board and is annexed to the Annual Report.

(k) commodity price risks and commodity hedging activities - Not Applicable.

(l) Discretionary requirements:

The details regarding adoption of discretionary requirements specified in Part E of Schedule II of SEBI (LODR) Regulations, 2015, as amended, is as under:

Requirement	Compliance
A. Board: A non-executive Chairperson may be entitled to maintain a chairperson's office at the listed entity's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties.	Not applicable
B. Shareholder rights: A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six-months, may be sent to each household of shareholders.	The half-yearly results had been published in the newspapers, uploaded in on Bank's website and is are available on the websites of Stock Exchanges, NSE & BSE.
C. Modified Opinion(s) in audit report: The listed entity may move towards a regime of financial statements with unmodified audit opinion.	The audit report on the financial statements of the Bank for FY 2021-22 has unmodified opinion.
D. Separate posts of Chairperson and Chief Executive Officer: The listed entity may appoint separate persons to the post of chairperson and the Managing Director or Chief Executive Officer	Appointment of Chairman is to be made by Government of India
E. Reporting of internal auditor: The internal auditor may report directly to the audit committee	The concurrent auditors / inspectors of branches reports are consolidated and placed before the Audit Committee of the Bank periodically.

10. Means of Communication:

The Bank appreciates the benefit accruing to the society with the advent and advancement of technology and means of communications and further recognizes the need of keeping its stakeholders informed of the events of their interest. The quarterly / half yearly / annual financial results of the Bank are submitted to the Stock Exchanges namely, NSE and BSE, where the equity shares of the Bank are listed. The Financial Results are published in one national newspaper (English), one national newspaper (Hindi) and one regional language newspaper based at Chennai as per statutory requirement. During the financial year 2021-22, the quarterly / half yearly financial results were published in leading newspapers namely "Financial Express (English), Business Standard (English), Jansatta (Hindi), Business Standard (Hindi), Dinamani (Tamil) etc. The results are also displayed on the website of the Bank www.indianbank.in.

The presentation made to the analysts / institutional investors if any, is also hosted on the Bank's website, www.indianbank.in .

11. General Shareholders Information:

11.1 Particulars of 16th Annual General Meeting:

Day and Date	Wednesday, the 22nd June 2022
Time	11.00 a.m.
Venue	AGM will be held through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM), as such the Bank's Corporate Office at 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai-600014 will be the deemed venue for AGM.

11.2 Financial Year and Calendar for Publication of Financial Results (Tentative):

The Financial Year of the Bank is April to March.

Approval of quarterly results for the period ending

June 30, 2022 - July - August, 2022

September 30, 2022 - October - November, 2022

December 31, 2022 - January - February, 2023

March 31, 2023 - Audited Annual Accounts: April - May, 2023

11.3 Record Date for Dividend Payment and Dividend Payment Date :

Record Date - Wednesday, the 15th June, 2022, Dividend Payment Date - 15th July, 2022

11.4 Date of Annual Book Closure for the purpose of AGM and Dividend Payment:

Book Closure - Thursday, the 16th June, 2022 to Wednesday, the 22nd June, 2022 (Both days inclusive).

11.5 Dividend:

The Board of directors of the Bank has recommended a dividend of ₹6.50 per equity share i.e. 65% of paid up equity capital of the Bank for Financial Year 2021-22.

11.6 Listing:

The equity shares of the Bank are listed with National Stock Exchange of India Ltd. (NSE) and BSE Ltd. (BSE). The other details are as under :

Stock Exchange	Stock Code	Date of Listing
National Stock Exchange of India Ltd. (NSE), Exchange Plaza, Plot No. C.1, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-400051	INDIANB	01.03.2007
BSE Ltd. (BSE), P. J. Towers, Dalal Street, Mumbai- 400001	INDIANB / 532814	01.03.2007

The advance Annual Listing fee for the financial year 2022-23 has already been remitted to the above Stock Exchanges.

11.7 Compliance Officer

Shri Dina Nath Kumar, Asst. General Manager & Company Secretary has been designated as Compliance Officer of the Bank.

11.8 Market Price Data:

The monthly high and low quotations and the volume of shares traded on National Stock Exchange of India Ltd.(NSE) and BSE Ltd. (BSE) during the financial year 2021 -22 were as under:

Month	N S E			B S E			Total Volume (Nos. in lacs)
	High (₹)	Low (₹)	Volume (Nos. in lacs)	High (₹)	Low (₹)	Volume (Nos. in lacs)	
Apr-21	122.65	96.05	528.30	122.50	96.20	37.07	565.37
May-21	149.00	107.05	1263.11	148.85	107.00	81.33	1344.44
Jun-21	155.50	133.35	1068.53	155.45	133.30	67.18	1135.71
Jul-21	145.80	134.25	607.75	146.05	137.35	40.77	648.52
Aug-21	143.50	115.10	487.77	143.50	119.40	25.32	513.09
Sep-21	144.30	121.15	616.39	144.20	125.00	39.32	655.72
Oct-21	194.95	137.05	1909.22	194.80	141.15	142.89	2052.11
Nov-21	184.60	141.00	809.18	184.60	147.15	66.99	876.16
Dec-21	165.90	133.25	587.59	165.55	137.55	44.52	632.11
Jan-22	160.70	130.90	606.51	160.35	136.40	44.91	651.42
Feb-22	178.70	135.00	1032.98	178.70	143.90	67.41	1100.39
Mar-22	157.20	131.50	482.84	157.50	139.10	29.56	512.41

11.9 Performance of Bank's share in comparison with the movement of INDEX (Nifty- 50 & S&P BSE Sensex) is shown hereunder:

Date	Closing Share Price of Bank at NSE (₹)	Nifty-50 (Closing)	S&P BSE Sensex (Closing)
Apr-21	110.00	14631.10	48782.36
May-21	139.95	15582.80	51937.44
Jun-21	144.70	15721.50	52482.71
Jul-21	139.00	15763.05	52586.84
Aug-21	125.00	17132.20	57552.39
Sep-21	140.35	17618.15	59126.36
Oct-21	172.10	17671.65	59306.93
Nov-21	142.80	16983.20	57064.87
Dec-21	139.60	17354.05	58253.82
Jan-22	156.70	17339.85	58014.17
Feb-22	143.15	16793.90	56247.28
Mar-22	153.90	17464.75	58568.51

11.10 Registrar and Share Transfer Agent:

Cameo Corporate Services Limited, Subramanian Building 1, Club House Road, Chennai - 600 002 is the Bank's Registrar and Share Transfer Agent for equity shares of the Bank.

11.11 Share Transfer System:

(i) In terms of Regulation 40(1) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, as amended, requests for effecting transfer, transmission or transposition of Shares/Securities shall not be processed by the Bank's RTA / Bank unless the Shares/Securities are held in dematerialized form.

(ii) Shareholders who are holding shares in physical form and desirous of transferring the same can do so only after the shares are dematerialized.

11.12 Distribution of shareholding as on 31.03.2022:

Shareholding	Number of shareholders	Percentage of Total shareholders (%)	Number of Shares	Percentage of Total Shares (%)
1 - 500	331848	93.00	26109330	2.10
501 - 1000	13757	3.86	10714705	0.86
1001 - 2000	6607	1.85	9749280	0.78
2001 - 3000	1706	0.48	4318368	0.35
3001 - 4000	731	0.20	2606189	0.21
4001 - 5000	667	0.19	3150932	0.25
5001 - 10000	807	0.23	5797986	0.46
10001 & above	694	0.19	1182994349	94.99
Total	**356817**	**100.00**	**1245441139**	**100.00**

11.13 Dematerialization of shares:

The Bank's shares are compulsorily traded in demat form. The ISIN code of Bank's Equity Shares is INE562A01011.

As on 31.03.2022, 1243955102 equity shares constituting 99.88% of the equity shares are in dematerialized form.

Particulars of shares in Demat and Physical form held by the shareholders as on 31.03.2022 are as under:

Shares held in		Number of shareholders	% of shareholders	Number of shares	% of shareholding
Physical form		42701	11.97	1486037	0.12
Dematerialized form	NSDL	178875	50.13	212532201	17.06
	CDSL	135241	37.90	1031422901	82.82
Total		**356817**	**100.00**	**1245441139**	**100.00**

The Equity holding of Govt. of India as on 31.03.2022 is 994549600 equity shares of Rs.10/- each, which constitutes 79.86% of the paid up capital of the Bank.

11.14 There are no outstanding GDRs / ADRs / Warrants or any Convertible instruments as on date.

11.15 Foreign Exchange Risk and Hedging Activities:

Being in banking business with overseas presence, the Bank is exposed to Foreign Exchange Risk. However, exposure of the Bank to foreign currencies is not significant and currency gaps are within its internal prudential limits. Foreign exchange spot and forward contracts outstanding as at the balance sheet date and held for trading are revalued at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and at interpolated rates for contracts of interim maturities.

With regard to unhedged Foreign Currency Exposure, the Bank has estimated its liability on the basis of declaration from borrowers and the same has been provided for as per RBI guidelines. Based on the available data, available financial statements and the declaration from borrowers wherever received, the Bank has estimated the liability of Rs. 3.88 crore up to 31st March, 2022 (previous year ₹9.48 crore) on Unhedged Foreign Currency Exposure to their constituents in terms of RBI circular DBOD. No.BP.BC.85/21.06.200/2013- 14 dated 15th January 2014 and subsequent clarification vide circular no. DBOD.No.BP.BC.116/21.06.200/2013-14 dated 3rd June, 2014. The entire estimated amount has been fully provided for.

11.16 Dividend Distribution Policy:

Dividend Distribution Policy of the Bank is available on the Bank's website, www.indianbank.in.

11.17 Utilization of Fund raised by the Bank through Qualified Institutions Placement (QIP):

During FY 2021-22, the Bank raised equity capital aggregating to ₹1650/- crore including premium through issue and allotment of 11,60,74,569 new Equity Shares of face value of ₹10.00 each to eligible Qualified Institutional Buyers (QIB) in June, 2021 at an issue price of ₹142.15 per share including a premium of ₹132.15 per Equity share.

The Issue Proceeds of said QIP has been utilized by the Bank to augment Tier 1 capital requirement under Basel III norms of RBI to support growth and for general corporate requirements of the Bank.

12. Share Transfer and Redressal of Investors' Grievance:

The Bank has appointed Cameo Corporate Services Limited as the Registrar and Share Transfer Agent for recording the shareholders' requests, resolution of investors' grievances, amongst other activities connected with the change of address, transfer / transmission of shares, change of mandate etc. For the convenience of the investors, grievance / complaints from them are also accepted at the Bank's Corporate Office in Chennai. Pursuant to extant SEBI guidelines, transfer requests for shares held in physical form are not being processed with effect from 01.04.2019.

Shareholders should contact their Depository Participant (DP) directly for updating the records in case of any change in address and / or Bank mandate (Name of Bank, Address, Account No, MICR Code etc.) for shares held in Dematerialized form.

The shareholders may lodge their requests / complaints either with the Bank's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) or with the Bank at the following address :

Cameo Corporate Services Limited (Unit: Indian Bank) Subramanian Building 1, Club House Road Chennai - 600 002. Telephone : (91 44) 28460718 Fax : (91 44) 28460129 Email: investor@cameoindia.com	The Company Secretary Investor Services Cell Indian Bank, Corporate Office , 254-260, Avvai Shanmugam Salai Royapettah, Chennai - 600 014. Tele: 044 28134076 Fax: 044-28134075 Email: investors@indianbank.co.in

12.1 Number of Investor complaints received, resolved and pending:

The shareholders' complaints received by the Bank are forwarded to Bank's RTA for redressal. The details of requests / complaints received and resolved during the financial year 2021-22 and pending as on 31.03.2022 are as follows:-

	Pending as on 01.04.2021	Received during FY 2021-22	Resolved during FY 2021-22	Pending as on 31.03.2022
Number of Complaints / requests	Nil	77	76	01

13. Disclosure with respect to Demat Suspense Account / Unclaimed Suspense Account:

The details of unclaimed shares lying in the Demat Suspense Account are as under:

Aggregate number of shareholders and the outstanding shares in the suspense account lying at the beginning of the year i.e. on 01.04.2021	Shareholders - 33 Shares - 3862
Number of shareholders who approached listed entity for transfer of shares from suspense account during the year	Nil
Number of shareholders to whom shares were transferred from suspense account during the year	Nil
Aggregate number of shareholders and the outstanding shares in the Suspense Account lying at the end of the year i.e. 31.03.2022	Shareholders - 33 Shares - 3862

The voting rights in respect of the unclaimed / outstanding shares will remain frozen till the claim by the rightful owner. On the receipt of valid claim from the rightful owner, the shares lying in the Demat Suspense account are credited in the demat account of claimant.

14. Shareholding Pattern (as on 31.03.2022):

Shareholder Category	No. of Shareholders	No. of Shares held	% of Shareholding
Government of India (President of India) - Promoter	1	994549600	79.86
Mutual Funds*	18	87307716	7.01
Foreign Portfolio Investor(FPI) and Foreign Institutional Investor (FII)*	66	21469378	1.72
Alternate Investment Funds	2	5226605	0.42
Insurance Companies*	10	45936600	3.69
Financial Institutions / Banks	2	248	0.00
Resident Individual	309933	63666916	5.11
Body Corporate	962	7545454	0.61
Directors and their relatives	6	7890	0.00
Employees	31855	14033535	1.13
Clearing Members	128	845458	0.07
Hindu Undivided Family(HUF)	3645	2579378	0.21
NRI	3039	2162179	0.17
Trust	17	102299	0.01
Central Government / State Government(s) / President of India- Non Promoter	1	4021	0.00
Unclaimed Shares Demat Suspense Account	2	3862	0.00
Total	**349687**	**1245441139**	**100.00**

* Consolidated on common PAN basis

15. Payment of Dividend through National Automated Clearing House (NACH):

National Automated Clearing House (NACH) is a centralized system implemented by National Payment Corporation of India which facilitates direct credit of the dividend amount to the investors into his / her Bank Account. The Bank is offering the services to the shareholders with an option to avail the facility for direct credit of the dividend in their Bank account. However, the Bank account of the shareholders should be in Core Banking Solution (CBS) Branch of Bank/s.

16. Unclaimed Dividend, If Any:

As per section 10B of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, any money which is transferred to unpaid dividend account and remains unpaid/unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer shall be transferred to "Investor Education and Protection Fund" established under section 205C /125 of the Companies Act, 1956/2013.

Pursuant to the directives / guidelines of the Government of India, Ministry of Finance vide their letter No.F.No.7/93/2013-BOA dated 21.05.2014, the unpaid and unclaimed dividend amounts of the Bank upto the Financial Year 2013-14 have been transferred to "Investor Education and Protection Fund" of the Central Government.

The shareholders who have not encashed their dividend warrants, if any declared by the Bank for Financial Year 2014-15 and onwards are requested to lodge their valid claim(s) with Registrar and Share Transfer Agent, Cameo Corporate Services Limited, Subramanian Building, No.1, Club House Road, Chennai - 600 002, along with his/her Bank details for remittance of proceeds of the unpaid dividend warrant/s to him/her through NEFT/Direct Credit.

The details of the Unpaid Dividend Warrants have been made available on Bank's website www.indianbank.in.

17. Related Party Transactions:

The Bank has not entered into any material related party transaction as defined under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 during FY 2021-22. The policy on dealing with Related Party Transactions is available on Bank's website, www.indianbank.in.

18. Details of Bonds / Debt Instruments issued by the Bank and outstanding as on 31.03.2022:

Details of Bonds issued by the Bank and outstanding as on 31.03.2022 are as under:

Particulars	ISIN	Amt. (Rs. in crore)	Outstanding Rating as on 31.03.2022	Name of Credit Rating Agency (ies)	Name & Address of Bond Trustee
Basel III Compliant AT 1 Bonds Series II	INE562A08057	1048	CARE AA+/ Stable CRISIL AA+/ Stable	CARE Ratings Ltd. & CRISIL Rating Ltd.	**Axis Trustee** Services Ltd., The Ruby, 2nd Floor, SW 29, Senapati Bapat Marg, Dadar West, Mumbai - 400 028
Basel III Compliant AT 1 Bonds Series III	INE562A08065	560			
Basel III Compliant A 1 Bonds Series IV	INE562A08073	392			
Basel III Compliant Tier 2 Bonds Tranche A	INE562A08024	290	CARE AAA / Stable CRISIL AAA / Stable		
Basel III Compliant Tier 2 Bonds Tranche B	INE562A08032	110			
Basel III Compliant Tier 2 Bonds Tranche C	INE562A08040	600			
Basel III Compliant Tier 2 Bonds Series I	INE428A08028	500	CRISIL AAA / Stable BWR AAA / Stable	CRISIL Ratings Ltd. & Brickwork Ratings India Pvt. Ltd.	**IDBI Trusteeship Services Limited**, Asian Building, Ground Floor, 17, R. Kamani Marg, Ballard Estate, Mumbai - 400 001.
Basel III Compliant Tier 2 Bonds Series II	INE428A08044	1000	CRISIL AAA / Stable BWR AAA / Stable	CRISIL Ratings Ltd. & Brickwork Ratings India Pvt. Ltd.	**Axis Trustee Services Ltd.,** The Ruby, 2nd Floor, SW 29, Senapati Bapat Marg, Dadar West, Mumbai - 400 028
Basel III Compliant Tier 2 Bonds Series III	INE428A08051	1000	CARE AAA / Stable INDR AA+ / Stable	India Ratings and Research Pvt. Ltd. & CARE Ratings Ltd.	
Basel III Compliant Tier 2 Bonds Series IV	INE428A08101	1500	CRISIL AAA / Stable INDR AA+ / Stable	India Ratings and Research Pvt. Ltd. & CRISIL Ratings Ltd.	
Basel III Compliant Tier 2 Bonds Series V	INE562A08081	2000	CARE AAA / Stable CRISIL AAA / Stable	CARE Ratings Ltd. & CRISIL Rating Ltd.	
Total		**9000**			

Other Credit Ratings:

In addition to the above, the Bank has also obtained Credit Rating for its Certificate of Deposits programme and rating from S&P Global Ratings. The details are as under:

Sl. No.	Name of Credit Rating Agency (ies)	Type of Instrument / Type of Rating	Amt. (₹ in crore)	Outstanding Rating as on 31.03.2022
1.	CRISIL Ratings Ltd.	Certificate of Deposits	25,000	CRISIL A1+
2.	S & P Global Ratings	Issuer Credit Rating	-	BBB - / Stable / A-3

19. Code of Conduct:

The Bank has framed the "Code of Conduct" applicable to the Board of Directors and Senior Management Personnel and the same has been adopted by the Board and the same is available on the Bank's website viz. www.indianbank.in.

The Board members and senior management have affirmed compliance with the code on annual basis and a declaration to this effect from the Managing director & CEO of the Bank, forms part of this report.

20. Certificate of compliance of conditions of Corporate Governance:

The certificate issued by the Statutory Central Auditors of the Bank, regarding compliance of conditions of Corporate Governance in terms of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 is annexed.

For and on behalf of the Board of Directors

Date : 11.05.2022
Place : Chennai

(S. L. Jain)
Managing Director & CEO

DECLARATION PURSUANT TO PARA- D OF SCHEDULE V OF THE SEBI (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2015

It is hereby declared that the Board Members and Senior Management Personnel of the Bank (i.e. General Managers) have affirmed their compliance with the Code of Conduct for the Financial Year ended on 31st March, 2022 in terms of Regulation 26 (3) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The said Code of Conduct is available on the Bank's website, www.indianbank.co.in.

Date : 11.05.2022
Place : Chennai

(S. L. Jain)
Managing Director & CEO

AUDITORS' CERTIFICATE ON COMPLIANCE OF CONDITIONS OF CORPORATE GOVERNANCE

To

The Members of Indian Bank

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by INDIAN BANK for the Financial year ended on March 31st, 2022, as stipulated in Regulation 17 to Regulation 27 and Regulation 46(2) (b to i) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The Compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

On the basis of the records and documents maintained by the Bank and the information and explanations given to us:

(a) We certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

(b) We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month against the Bank, as per the records maintained by the Stakeholders Relationship Committee and as certified by the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank.

We further state that such compliance is neither an assurance as to future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of Bank

For M/s Sriramamurthy & Co.
Chartered Accountants
FRN: 003032S

M. Pratyusha
Partner
(M. No. 254141)
UDIN : 22254141AJHCTC2623

For M/s Ravi Rajan & Co. LLP
Chartered Accountants
FRN: 009073N/N500320

Sumit Kumar
Partner
(M. No. 512555)
UDIN : 22512555AIUWVX3042

For M/s PKF Sridhar & Santhanam LLP
Chartered Accountants
FRN: 003990S/S200018

P. Devi
Partner
(M. No. 223137)
UDIN : 22223137AJGUHF1901

For M/s G. Natesan & Co.
Chartered Accountants
FRN: 002424S

Varalakshmi Murali
Partner
(M. No. 028863)
UDIN : 22028863AJAUJV8461

For M/s SARC & Associates
Chartered Accountants
FRN: 006085N

Chetan Thakkar
Partner
(M. No. 114196)
UDIN : 22114196AIUWNW5244

Date : 11.05.2022
Place: Chennai

COMPLIANCE CERTIFICATE BY CEO AND CFO

{Pursuant to Regulation 33 (2) read with Regulation 17 (8) of
SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015}

To

The Board of Directors
Indian Bank

This is to certify that:

(a) We have reviewed financial statements and the cash flow statement of Indian Bank for the year 2021-22 and that to the best of our knowledge and belief:

(i) these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;

(ii) these statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations

(b) There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's Code of Conduct.

(c) We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies

(d) We have indicated to the Auditors and the Audit Committee:

(i) significant changes in internal control over financial reporting during the year;

(ii) significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and

(iii) Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

(Sunil Jain)
Chief Financial Officer

(S.L. Jain)
Managing Director & CEO

Place : Chennai
Date : 11.05.2022

SECRETARIAL AUDIT REPORT
For the Financial Year 2021-22

To,

The Members,
INDIAN BANK
Chennai.

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by Indian Bank (hereinafter called the Bank). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the Indian Bank books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank and also the information provided by the Bank, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, the explanations and clarifications given to us and considering the relaxations granted by the Ministry of Corporate Affairs and Securities and Exchange Board of India warranted due to the spread of the COVID-19 pandemic, We hereby report that in our opinion, the Bank has, during the audit period covering the financial year ended 31st March 2022, complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by Indian Bank ("the Bank") for the financial year ended on 31st March 2022 according to the provisions of:

(i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder; (to the extent applicable);

(ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder;

(iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;

(iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings; (Not applicable to the Bank during the audit period);

(v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):-

(a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;

(b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;

(c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 as amended in 2018;

(d) The Securities and Exchange Board of India (Employee Stock Option Scheme and Employee Stock Purchase Scheme) Guidelines, 1999 and The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014; (Not applicable to the Bank during the audit period);

(e) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021 (Not applicable to the Bank during the audit period);

(f) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client; (Not applicable);

(g) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009; (Not applicable to the Bank during the audit period);

(h) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998; (Not applicable to the Bank during the audit period).

Other Laws specifically applicable to this Bank is as follows:

(vi) The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970;

(vii) The Banking Regulations Act, 1949.

I have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

(i) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India. (Not Applicable)

(ii) Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The Bank is constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and not incorporated under Companies Act.

The constitution of the Bank's Board, Audit Committee and other Committees of the Board and remuneration to the Directors, Board / Committee procedures / Related Party Transactions etc., are governed under the provisions of the

Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Banking Regulations Act, 1949, Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999, as amended and guidelines issued by Reserve Bank of India and Government of India from time to time.

During the period under review the listed entity has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above subject to the following Observation:

With respect to the composition of Board, vacancies exist under section 9(3)(e) (f) & (g) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. The Composition of Board of Directors as on 31st March, 2022 is not in line with the provisions of SEBI (LODR) Regulations, 2015.

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent in advance and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

We further report that there are adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the audit report:

During the Financial year 2021-22, the Bank has raised equity capital of Rs.1650 crore through Qualified Institutions Placement at an issue price of Rs.142.15 per equity share including a premium of Rs.132.15 per equity share. Post allotment of 11,60,74,569 new equity shares of face value of Rs.10 each under QIP, the total paid up shares of the Bank increased from 112,93,66,570 to 124,54,41,139.

For V Suresh Associates
Practising Company Secretaries

Place : Chennai
Date : 10.05.2022

V Suresh
Senior Partner
FCS No. 2969
C.P.No. 6032
Peer Review Cert. No. :667/2020
UDIN: F002969D000295712

ANNEXURE TO SECRETARIAL AUDIT REPORT

To,

The Members
Indian Bank
Chennai – 600014

Our report of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of secretarial records is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.

2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices we followed provide a reasonable basis for our opinion.

3. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Bank.

4. Where ever required, we have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.

5. The compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis.

6. The Secretarial Audit report is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For V Suresh Associates
Practising Company Secretaries

Place : Chennai
Date : 10.05.2022

V Suresh
Senior Partner
FCS No. 2969
C.P.No. 6032
Peer Review Cert. No. :667/2020
UDIN: F002969D000295712

CERTIFICATE OF NON-DISQUALIFICATION OF DIRECTORS

(Pursuant to Regulation 34(3) and Schedule V Para C clause (10)(i) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015)

To

The Members of
INDIAN BANK
66, Rajaji Salai,
Chennai 600 001

We have examined the relevant registers, records, forms, returns and disclosures received from the Directors of INDIAN BANK having registered office at 66, Rajaji Salai, Chennai 600 001 (hereinafter referred to as 'the Bank'), produced before us by the Bank for the purpose of issuing this Certificate, in accordance with Regulation 34(3) read with Schedule V Para-C Sub clause 10(i) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations,2015.

In our opinion and to the best of our information and according to the verifications (including Directors Identification Number (DIN) status at the portal www.mca.gov.in) as considered necessary and explanations furnished to us by the Bank & its officers, We hereby certify that none of the Directors on the Board of the Bank as stated below for the Financial Year ended on 31st March, 2022 have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of the Bank by the Securities and Exchange Board of India, Ministry of Corporate Affairs, or any such other Statutory Authority.

Sl. No.	Name of Director	DIN Number	Date of appointment in Bank
1	Mr. S.L.Jain	07692739	01.09.2021
2	Mr. Shenoy Vishwanath V	07561455	01.12.2018
3	Mr. Imran Amin Siddiqui	09153707	10.03.2021
4	Mr. Ashwani Kumar	NA	21.10.2021
5	Mr. Sanjeev Kaushik	02842527	24.01.2020
6	Dr. Aditya Gaiha	NA	08.03.2022
7	Dr. Bharath Krishna Sankar	00473636	07.02.2021
8	Ms. Papia Sengupta	07701564	29.10.2021
9	Mr. Balmukund Sahay	NA	21.12.2021
10	Mr. Vishvesh Kumar Goel	NA	21.12.2021

The Bank, being a Nationalised bank, constituted under the provisions of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings Act, 1970), the requirement of DIN may not be applicable for Directors of the Bank.

Ensuring the eligibility for the appointment / continuity of every Director on the Board is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these, based on our verification. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For V Suresh Associates
Practising Company Secretaries

Place : Chennai
Date : 10.05.2022

V Suresh
Senior Partner
FCS No. 2969
C.P.No. 6032
Peer Review Cert. No. :667/2020
UDIN: F002969D000295965

STANDALONE BALANCE SHEET, PROFIT AND LOSS ACCOUNT AND SCHEDULES

STANDALONE BALANCE SHEET AS ON MARCH 31, 2022

(` in Thousands)

PARTICULARS	Schedule No.	As on 31.03.2022 (Audited)	As on 31.03.2021 (Audited)
CAPITAL & LIABILITIES			
Capital	1	1245 44 11	1129 36 66
Reserves and Surplus	2	42463 36 31	37282 57 83
Deposits	3	593617 81 37	538071 11 49
Borrowings	4	17144 30 85	24734 33 12
Other Liabilities & Provisions	5	17197 12 87	22209 27 48
TOTAL		**671668 05 51**	**623426 66 58**
ASSETS			
Cash & Balances with R B I	6	24054 40 91	27545 08 17
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	55861 64 25	23919 39 05
Investments	8	174558 58 80	176536 96 62
Advances	9	389186 06 32	362669 07 96
Fixed Assets	10	7683 71 16	7376 31 14
Other Assets	11	20323 64 07	25379 83 64
TOTAL		**671668 05 51**	**623426 66 58**
Contingent Liabilities	12	353514 04 83	293533 46 10
Bills for Collection	-	14144 89 14	12620 72 77

S L JAIN
MANAGING DIRECTOR & CEO

ASHWANI KUMAR
EXECUTIVE DIRECTOR

IMRAN AMIN SIDDIQUI
EXECUTIVE DIRECTOR

DIRECTORS

SANJEEV KAUSHIK
GOVERNMENT NOMINEE DIRECTOR

ADITYA GAIHA
RBI NOMINEE DIRECTOR

BHARATH KRISHNA SANKAR
SHAREHOLDER DIRECTOR

PAPIA SENGUPTA
SHAREHOLDER DIRECTOR

BALMUKUND SAHAY
PART TIME NON-OFFICIAL DIRECTOR

VISHVESH KUMAR GOEL
PART TIME NON-OFFICIAL DIRECTOR

STATUTORY CENTRAL AUDITORS

For M/s. SRIRAMAMURTHY & CO
Chartered Accountants
FR No. 003032S

M. PRATYUSHA
Partner
(M.No.254141)

For M/s. RAVI RAJAN & CO LLP
Chartered Accountants
FR No. 009073N / N500320

SUMIT KUMAR
Partner
(M.No.512555)

For M/s. P K F SRIDHAR & SANTHANAM LLP
Chartered Accountants
FR No. 003990S / S200018

P DEVI
Partner
(M.No.223137)

For M/s. G NATESAN & CO
Chartered Accountants
FR No. 002424S

VARALAKSHMI MURALI
Partner
(M. No. 028863)

For M/s. S A R C & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FR No. 006085N

CHETAN THAKKAR
Partner
(M. No. 114196)

Place : Chennai
Date : 11.05.2022

STANDALONE PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2022

(` in Thousands)

PARTICULARS	Schedule No.	Y.E. 31.03.2022 (Audited)	Y.E. 31.03.2021 (Audited)
I. INCOME			
Interest earned	13	38856 22 07	39105 78 65
Other Income	14	6915 44 97	5650 18 96
TOTAL		**45771 67 04**	**44755 97 61**
II. EXPENDITURE			
Interest expended	15	22128 27 05	23439 83 90
Operating expenses	16	10926 50 28	10349 55 28
Provisions & Contingencies	-	8772 07 65	7961 90 66
TOTAL		**41826 84 98**	**41751 29 84**
III. PROFIT/LOSS			
Net Profit/Loss(-) for the year		3944 82 06	3004 67 77
Profit/Loss(-) Brought forward		100 16 28	99 16 27
Less: Set off against Share Premium / Other Adjustments		-23 21 49	-101 67 04
TOTAL		**4021 76 85**	**3002 17 00**
IV. APPROPRIATIONS			
Transfer to :			
Statutory Reserves		986 21 00	751 17 00
Capital Reserves		147 90 00	47 71 00
Special Reserves u/s 36(1)(viii)		108 35 00	0
Revenue Reserves		1800 00 00	1387 34 39
Staff Welfare Fund		40 00 00	25 00 00
Investment Fluctuation Reserve		0	464 91 00
Equity Dividend		809 53 67	225 87 33
Bal. carried over to Balance Sheet		129 77 18	100 16 28
TOTAL		**4021 76 85**	**3002 17 00**
Earnings Per Share in Rs. (basic & diluted)		32.38	26.61

S L JAIN
MANAGING DIRECTOR & CEO

ASHWANI KUMAR
EXECUTIVE DIRECTOR

IMRAN AMIN SIDDIQUI
EXECUTIVE DIRECTOR

DIRECTORS

SANJEEV KAUSHIK
GOVERNMENT NOMINEE DIRECTOR

ADITYA GAIHA
RBI NOMINEE DIRECTOR

BHARATH KRISHNA SANKAR
SHAREHOLDER DIRECTOR

PAPIA SENGUPTA
SHAREHOLDER DIRECTOR

BALMUKUND SAHAY
PART TIME NON-OFFICIAL DIRECTOR

VISHVESH KUMAR GOEL
PART TIME NON-OFFICIAL DIRECTOR

STATUTORY CENTRAL AUDITORS

For M/s. SRIRAMAMURTHY & CO
Chartered Accountants
FR No. 003032S

M. PRATYUSHA
Partner
(M.No.254141)

For M/s. RAVI RAJAN & CO LLP
Chartered Accountants
FR No. 009073N / N500320

SUMIT KUMAR
Partner
(M.No.512555)

For M/s. P K F SRIDHAR & SANTHANAM LLP
Chartered Accountants
FR No. 003990S / S200018

P DEVI
Partner
(M.No.223137)

For M/s. G NATESAN & CO
Chartered Accountants
FR No. 002424S

VARALAKSHMI MURALI
Partner
(M. No. 028863)

For M/s. S A R C & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FR No. 006085N

CHETAN THAKKAR
Partner
(M. No. 114196)

Place : Chennai
Date : 11.05.2022

(` in Thousands)

SCHEDULE 1 - CAPITAL

PARTICULARS	As on 31.03.2022	As on 31.03.2021
I. Authorised Capital		
300,00,00,000 Equity Shares of Rs.10/- each	3000 00 00	3000 00 00
II. Issued, Subscribed and Paid up:		
Equity Shares:		
a. 99,45,49,600 Equity shares of Rs.10/- each held by Government of India (P.Y. 99,45,49,600 Equity shares of Rs.10/- each)	994 54 96	994 54 96
b. 25,08,91,539 Equity shares of Rs.10/- each held by Public (P.Y. 13,48,16,970 Equity shares of Rs.10/- each)	250 89 15	134 81 70
Total	**1245 44 11**	**1129 36 66**

SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS

(` in Thousands)

	PARTICULARS	As on 31.03.2022	As on 31.03.2021
I.	**STATUTORY RESERVES**		
	a. Opening Balance	8649 75 51	4694 19 81
	b. Additions during the year (*)	986 21 00	3955 55 70
	c. Deductions during the year	0	0
	TOTAL I	**9635 96 51**	**8649 75 51**
II.	**CAPITAL RESERVES**		
A	**Revaluation Reserve**		
	a. Opening Balance	5754 96 63	2987 84 42
	b. Additions during the year (*)	599 48 14	2909 98 72
	c. Deductions during the year	143 42 51	142 86 51
	TOTAL (A)	**6211 02 26**	**5754 96 63**
B	**Others**		
	a. Opening Balance	913 00 74	388 55 24
	b. Additions during the year (*)	147 90 00	524 45 50
	c. Deductions during the year	0	0
	TOTAL (B)	**1060 90 74**	**913 00 74**
	TOTAL II (A + B)	**7271 93 00**	**6667 97 37**
III.	**SHARE PREMIUM**		
	a. Opening Balance	857 61 90	4026 65 23
	b. Additions during the year (*)	1533 92 54	15806 49 62
	c. Deductions during the year	0	18975 52 95
	TOTAL III	**2391 54 44**	**857 61 90**
IV.	**REVENUE AND OTHER RESERVES**		
	A) Revenue Reserve :		
	a. Opening Balance	13124 31 94	7448 29 29
	b. Additions during the year (*)	1800 00 00	5533 16 14
	c. Tfrd from revaluation reserve	143 42 51	142 86 51
	d. Deductions during the year	0	0
	TOTAL (A)	**15067 74 45**	**13124 31 94**
	B) Special Reserve u/s 36(1)(viii) of IT Act		
	a. Opening Balance	2175 52 00	725 52 00
	b. Additions during the year (*)	108 35 00	1450 00 00
	c. Deductions during the year	0	0
	TOTAL (B)	**2283 87 00**	**2175 52 00**
	C) Special Reserve u/s 36(1)(viii a) of IT Act		
	a. Opening Balance	58 20 00	58 20 00
	b. Additions during the year	0	0
	c. Deductions during the year	0	0
	TOTAL (C)	**58 20 00**	**58 20 00**
	D) Investment Fluctuation Reserve		
	a. Opening Balance	1031 90 00	566 99 00
	b. Additions during the year	0	464 91 00
	c. Deductions during the year	0	0
	TOTAL (D)	**1031 90 00**	**1031 90 00**
	E) Investment Reserve		
	a. Opening Balance	186 37 77	47 79 22
	b. Additions during the year (*)	0	138 58 55
	c. Deductions during the year	0	0
	TOTAL (E)	**186 37 77**	**186 37 77**
	F) Foreign Currency Translation Reserve		
	a. Opening Balance	421 92 88	437 26 31
	b. Additions during the year	0	0
	c. Deductions during the year	24 69 10	15 33 43
	TOTAL (F)	**397 23 78**	**421 92 88**

	G) IRS reserve		
	a. Opening Balance	1 90 63	0
	b. Additions during the year (*)	0	1 90 63
	c. Deductions during the year	0	0
	TOTAL (G)	**1 90 63**	**1 90 63**
	TOTAL IV (A + B + C + D + E + F + G)	**19027 23 63**	**17000 15 22**
V.	**AMALGAMATION RESERVE**		
	a. Opening Balance	4006 91 55	0
	b. Additions during the year	0	4006 91 55
	c. Deductions during the year	0	0
	TOTAL V	**4006 91 55**	**4006 91 55**
VI.	**PROFIT & LOSS ACCOUNT**		
	Opening Balance	100 16 28	99 16 27
	Additions during the year	3944 82 06	102 67 05
	Deductions during the year (*)	3915 21 16	19077 19 99
	Adjustments from Share Premium	0	18975 52 95
	TOTAL VI	**129 77 18**	**100 16 28**
	TOTAL (I+II+III+IV+V+VI)	**42463 36 31**	**37282 57 83**

(*) Additions / deductions during FY 2020-21 include e-AB reserves

SCHEDULE 3 - DEPOSITS

(` in Thousands)

PARTICULARS	As on 31.03.2022	As on 31.03.2021
A. I. DEMAND DEPOSITS		
i) From Banks	125 59 56	289 29 18
ii) From Others	36594 73 39	32055 27 51
TOTAL	**36720 32 95**	**32344 56 69**
II. SAVINGS BANK DEPOSITS	**211205 86 14**	**195250 29 37**
III. TERM DEPOSITS		
i) From Banks	6067 87 21	5323 09 87
ii) From Others	339623 75 07	305153 15 56
TOTAL	**345691 62 28**	**310476 25 43**
TOTAL (I+II+III)	**593617 81 37**	**538071 11 49**
B. I) Deposits of branches in India	584660 65 57	529264 23 30
II) Deposits of branches outside India	8957 15 80	8806 88 19
TOTAL (I + II)	**593617 81 37**	**538071 11 49**

SCHEDULE 4 - BORROWINGS

(` in Thousands)

PARTICULARS	As on 31.03.2022	As on 31.03.2021
I. BORROWINGS IN INDIA		
i) Reserve Bank of India	0	5032 04 04
ii) Other Banks	5 12	13 72
iii) Other Institutions and Agencies *	15285 01 00	14935 73 74
TOTAL	**15285 06 12**	**19967 91 50**
II. BORROWINGS OUTSIDE INDIA **	1859 24 73	4766 41 62
TOTAL (I+II)	**17144 30 85**	**24734 33 12**
Secured Borrowings included above	0	5032 04 04

*** includes AT-1 Capital -Perpetual Debt Instrument of ` 2000 00 00 (P.Y. ` 2000 00 00) and Tier II Capital - Subordinated debt of ` 7000 00 00 (P.Y. ` 7600 00 00).**

**** Includes pipeline and un-adjusted items in Nostro Mirror Balances**

SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(` in Thousands)

PARTICULARS	As on 31.03.2022	As on 31.03.2021
I. Bills Payable	1585 16 73	1443 91 42
II. Inter Office Adjustments(Net)	0	5073 01 52
III. Interest Accrued	994 13 29	1041 86 06
IV. Others(including Provisions) *	14617 82 85	14650 48 48
TOTAL (I + II + III + IV)	**17197 12 87**	**22209 27 48**
* includes Contingent Provisions against Standard Assets of ` 378 88 304 (P.Y - ` 282 68 255)		

SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(` in Thousands)

PARTICULARS	As on 31.03.2022	As on 31.03.2021
I. Cash in hand (including foreign currency notes)	1962 39 75	1658 27 76
II. Balances with Reserve Bank of India in Current Account	22092 01 16	25886 80 41
TOTAL (I+II)	**24054 40 91**	**27545 08 17**

SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

(` in Thousands)

PARTICULARS	As on 31.03.2022	As on 31.03.2021
I. IN INDIA		
i) Balances with Banks		
a) in Current Account	6 17 63	95 08 44
b) in Other Deposit Accounts	1386 15 22	2046 43 44
TOTAL (i)	**1392 32 85**	**2141 51 88**
ii) Money at Call and Short Notice (with Banks)	34500 20 06	8900 00 01
TOTAL (ii)	**34500 20 06**	**8900 00 01**
TOTAL (i + ii)	**35892 52 91**	**11041 51 89**
II. OUTSIDE INDIA		
i) in Current Accounts	503 97 97	1577 67 70
ii) in other Deposit Accounts	19453 09 25	11270 82 04
iii) Money at Call and Short Notice	12 04 12	29 37 42
TOTAL (i + ii + iii)	**19969 11 34**	**12877 87 16**
GRAND TOTAL (I +II)	**55861 64 25**	**23919 39 05**

SCHEDULE 8 - INVESTMENTS

(` in Thousands)

PARTICULARS	As on 31.03.2022	As on 31.03.2021
I. INVESTMENTS IN INDIA		
Gross Investments	178434 87 83	179570 44 81
Less : Provision for Depreciation & NPI	3656 54 63	3437 58 50
Less : Provision on Security Receipts	1922 31 20	1922 31 20
Net Investments	**172856 02 00**	**174210 55 11**
i) Government Securities	140386 99 79	157550 39 28
ii) Other approved Securities	0	5 22 76
iii) Shares	1198 42 29	986 58 19
iv) Debentures and bonds	30442 35 19	13359 15 13
v) Subsidiaries and/or joint ventures (including Associates)	216 16 81	216 16 81
vi) Others	612 07 92	2093 02 94
TOTAL	**172856 02 00**	**174210 55 11**

PARTICULARS	As on 31.03.2022	As on 31.03.2021
II. INVESTMENT OUTSIDE INDIA		
Gross Investments	1800 52 30	2420 89 82
Less: Provision for Depreciation & NPI	97 95 50	94 48 31
Net Investments	**1702 56 80**	**2326 41 51**
i) Government Securities (including local authorities)	1702 00 91	2325 81 80
ii) Other investments		
(a) Shares	55 89	59 71
TOTAL	**1702 56 80**	**2326 41 51**
NET GRAND TOTAL (I+II)	**174558 58 80**	**176536 96 62**

SCHEDULE 9 - ADVANCES

(` in Thousands)

PARTICULARS	As on 31.03.2022	As on 31.03.2021
i) Bills purchased and discounted	3430 05 82	2131 34 96
ii) Cash Credit, Overdrafts and loans repayable on demand	245298 43 89	220090 98 14
iii) Term Loans	140457 56 61	140446 74 86
TOTAL	**389186 06 32**	**362669 07 96**
i) Secured by tangible assets (includes advance against book debts)*	322961 60 18	320789 57 49
ii) Covered by Bank / Government Guarantee	39614 40 28	22887 65 72
iii) Unsecured	26610 05 86	18991 84 75
TOTAL	**389186 06 32**	**362669 07 96**
I. ADVANCES IN INDIA		
i) Priority Sector #	163407 15 71	156301 47 15
ii) Public Sector	67147 92 02	64398 77 88
iii) Banks	0	169 24 06
iv) Others	139011 84 53	131526 73 67
TOTAL	**369566 92 26**	**352396 22 76**
II. ADVANCES OUTSIDE INDIA		
i) Dues from Banks	11105 63 45	4475 58 45
ii) Dues from others		
a) Bills Purchased and discounted	2541 53 44	771 16 66
b) Syndicated loans	4650 75 16	3515 42 23
c) Others	1321 22 01	1510 67 86
TOTAL	**19619 14 06**	**10272 85 20**
GRAND TOTAL (I+II)	**389186 06 32**	**362669 07 96**

* includes advances against Book Debt: ` 67000 84 07, (Previous Year: ` 63247 10 63)

RIDF is not included

SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS

(` in Thousands)

	PARTICULARS	As on 31.03.2022	As on 31.03.2021
I.	**PREMISES (Incl. Revalued Premises)**		
	At cost/revaluation as per the last Balance Sheet	6857 35 52	6853 35 76
	Additions/Adjustments during the year	601 20 96	3 99 76
	Sub Total	7458 56 48	6857 35 52
	Deductions during the year	4 68 50	0
	Sub Total	7453 87 98	6857 35 52
	Depreciation to date	1412 80 63	1243 94 40
	TOTAL	**6041 07 35**	**5613 41 12**
II.	**LEASED ASSETS**		
	At cost/revaluation as per the last Balance Sheet	530 52 79	530 52 79
	Additions/Adjustments during the year	0	0
	Sub Total	530 52 79	530 52 79
	Deductions during the year	0	0
	Sub Total	530 52 79	530 52 79
	Depreciation to date	22 17 67	42 92 70
	TOTAL	**508 35 12**	**487 60 09**
III.	**BUILDINGS UNDER CONSTRUCTION**	**96 80**	**1 06 54**
IV.	**OTHER FIXED ASSETS (including Furniture and Fixtures)**		
	At cost as per last Balance Sheet	4628 15 73	4121 12 83
	Additions/Adjustments during the year	316 77 75	554 37 72
	Sub Total	4944 93 48	4675 50 55
	Deductions during the year	76 67 23	47 34 82
	Sub Total	4868 26 25	4628 15 73
	Depreciation to date	3734 94 36	3353 92 34
	TOTAL	**1133 31 89**	**1274 23 39**
	TOTAL (I+II+III+IV)	**7683 71 16**	**7376 31 14**

SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS

(` in Thousands)

PARTICULARS	As on 31.03.2022	As on 31.03.2021
I. Inter Office Adjustment (net)	270 52 77	0
II. Interest Accrued	2968 68 66	4107 97 96
III. Tax paid in advance/tax deducted at source (net)	6407 56 89	6625 26 70
IV. Stationery and Stamps	27 06 55	46 37 53
V. Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	51 38 26	51 38 26
VI. Others*	10598 40 94	14548 83 19
TOTAL	**20323 64 07**	**25379 83 64**
* includes RIDF/SIDBI/RHDF/NHB Deposits held under HTM Category	1062 15 12	1304 51 23

SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES

(` in Thousands)

PARTICULARS	As on 31.03.2022	As on 31.03.2021
I. Claims against the bank not acknowledged as debts	2159 16 36	953 36 91
II. Liability for partly paid investments	462 77 26	373 81 66
III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts	306197 71 07	254856 84 39
IV. Guarantee given on behalf of constituents*		
a) In India	21969 83 62	17792 78 38
b) Outside India	300 68 26	379 99 49
V. Acceptance, Endorsements and other obligations*	10837 91 70	9394 28 29
VI. Other items for which the bank is contingently liable	11585 96 56	9782 36 98
TOTAL	**353514 04 83**	**293533 46 10**

* Contingent Liability has been considered net of margin

SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED

(` in Thousands)

PARTICULARS	Y E 31.03.2022 (Audited)	Y E 31.03.2021 (Audited)
I. Interest/Discount on Advances/Bills	26927 56 15	27363 52 81
II. Income on Investments	10964 82 37	11166 89 38
III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other Inter Bank funds	851 34 00	425 45 97
IV. Others	112 49 55	149 90 49
TOTAL	**38856 22 07**	**39105 78 65**

SCHEDULE 14 - OTHER INCOME

(` in Thousands)

PARTICULARS	Y E 31.03.2022	Y E 31.03.2021
I. Commission, Exchange and Brokerage	806 11 09	766 96 37
II. Profit on Sale of Investments	1748 06 22	2259 91 38
Less: Loss on Sale of Investments	122 30 84	135 67 19
Net	1625 75 38	2124 24 19
III. Profit on revaluation of Investments	89	2 42
Less: Loss on revaluation of Investments	343 24 98	429 08 84
Net	-343 24 09	-429 06 42
IV. Profit on sale of land, buildings and other assets *	7 40 31	2 83 09
Less: Loss on Sale of Land, Bldgs. & Other Assets *	2 18 28	3 22 28
Net	5 22 03	- 39 19
V. Profit on exchange transactions (Net)	689 98 73	405 92 51
VI. Income earned by way of dividends, etc., from Subsidiaries/Companies and/or Joint ventures abroad/in India	28 15 18	12 45 06
VII. Miscellaneous Income	4103 46 65	2770 06 44
TOTAL	**6915 44 97**	**5650 18 96**

* Amount relates to Safe, Furniture, Vehicle & Machinery

SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED

(` in Thousands)

PARTICULARS	Y E 31.03.2022	Y E 31.03.2021
I. Interest on deposits	20935 55 65	22220 79 49
II. Interest on Reserve Bank of India/Inter Bank borrowings	248 46 35	400 89 55
III.Others	944 25 05	818 14 86
TOTAL	**22128 27 05**	**23439 83 90**

SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES

(` in Thousands)

PARTICULARS	Y E 31.03.2022	Y E 31.03.2021
I. Payments to and provisions for employees	6695 70 68	6378 23 81
II. Rent, Taxes and Lighting	613 74 14	602 83 47
III. Printing and Stationery	84 60 78	57 65 50
IV. Advertisement and Publicity	21 71 34	13 55 22
V. Depreciation on Bank's property	597 49 99	632 87 20
VI. Directors' fees allowance and expenses	44 31	39 60
VII. Auditors' fees and expenses(including branch auditors)	47 37 52	63 01 86
VIII Law Charges	17 38 61	20 19 41
IX. Postage, Telegrams and Telephones	109 86 46	117 18 86
X. Repairs and Maintenance	243 87 09	197 09 98
XI. Insurance	742 35 00	682 46 34
XII. Other Expenditure	1751 94 36	1584 04 03
TOTAL	**10926 50 28**	**10349 55 28**

SCHEDULE 17 – SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (STANDALONE)

1. ACCOUNTING CONVENTION

The financial statements are prepared by following the going concern concept on historical cost convention unless otherwise stated. They conform to generally accepted accounting principles in India, which comprises statutory provisions, regulatory / Reserve Bank of India guidelines, accounting standards / guidance notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the practices prevalent in the Banking Industry in India. In respect of foreign branches as per statutory provisions and practices prevailing in the respective countries.

2. USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions for considering the reported assets and liabilities (including contingent liabilities) as on the date of financial statements and the income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable.

3. TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE

Foreign Currency transactions of Indian operations and non-integral foreign operations are accounted for as per Accounting Standard - 11 (AS-11) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

3.1 Translation in respect of Indian operations

- Foreign exchange transactions are recorded at the Weekly Average Rate (WAR) notified by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI).
- Foreign currency assets and liabilities are translated at the closing rates notified by FEDAI at the year end.
- Acceptances, endorsements and other obligations and guarantees in foreign currency are carried at the closing rates notified by FEDAI at the year end.
- Exchange differences arising on settlement and translation of foreign currency assets and liabilities at the end of the financial year are recognized as income or expenses in the period in which they arise.
- Outstanding forward exchange contracts are disclosed at the Contracted rates, and revalued at FEDAI closing rates, and the resultant effect is recognized in the Profit and Loss account.

3.2 Translation in respect of Non-Integral Foreign Operations.

Foreign branches are classified as non-integral foreign operations and the financial statements are translated as follows:

- Assets and liabilities including contingent liabilities are translated at the closing rates notified by FEDAI at the year end.
- Income and expenses are translated at the Quarterly Average Closing rate notified by FEDAI at the end of the respective quarter.
- All resulting exchange differences are accumulated in a separate account "Foreign Currency Translation Reserve" (FCTR) till the disposal of the net investments.

4. INVESTMENTS

4.1 The entire investment portfolio of the Bank is classified in accordance with the RBI guidelines into three categories viz.

- ➢ Held To Maturity (HTM)
- ➢ Available For Sale (AFS)
- ➢ Held For Trading (HFT)

The securities acquired with the intention to be held till maturity are classified under "HTM" category. The securities acquired with the intention to trade by taking advantage of short-term price / interest movements are classified as "HFT". All other securities which do not fall under any of the two categories are classified under "AFS" Category.

An investment is classified as Held to Maturity, Available for Sale or Held for Trading at the time of its purchase / acquisition and subsequent shifting is done in conformity with the Regulatory guidelines. Transfer of scrips, if any, from one category to another is done at the lowest of acquisition cost / book value / market value on the date of transfer and depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

Investment in Subsidiaries, Joint Ventures and Associates are classified as Held to Maturity.

4.2 Profit on sale of securities under HTM category is first taken to Profit and Loss account and thereafter appropriated to Capital Reserve account (net of taxes and amount required to be transferred to statutory reserves) and loss, if any, charged to Profit & Loss account.

4.3 Investments in India are valued in accordance with RBI guidelines, as under:

a) Securities in HTM category are valued at acquisition cost except where the acquisition cost is higher than the face value, in which case, such excess of acquisition cost over the face value is amortised over the remaining period of maturity. Any diminution, other than temporary, in value of investments in subsidiaries / joint ventures / Associates which are included under HTM category is recognized and provided. Such diminution is being determined and provided for each investment individually. Investment in units of Venture Capital Funds (VCF) / Alternate Investment Fund (AIF) made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of 3 years and valued at cost.

b) Investment in Subsidiaries, Joint Ventures and Associates are valued at historical cost. Investment in sponsored Regional Rural Banks (RRB) are valued at carrying cost (i.e. Book value).

c) Investments in AFS category are marked to market, scrip-wise and classification wise, at quarterly intervals. Net depreciation, if any, is provided for in the Profit and Loss account while net appreciation, if any, is ignored. The book value of the individual securities does not undergo any change after marking to market.

d) The individual scrips in the HFT category are marked to market at daily intervals. Net depreciation, if any, is provided for in the Profit and Loss account while net appreciation, if any, is ignored. The Book Value of the individual securities in this category does not undergo any change.

e) Securities in AFS and HFT categories are valued as under:

i. Central Government Securities and State Govt. Securities are valued at prices / YTM rates as announced by Primary Dealers Association of India (PDAI) jointly with Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA) / Financial Benchmark India Private Ltd., (FBIL).

ii. Other approved securities are valued applying the YTM method by marking up 25 basis points above the yields of the Central Government Securities of equivalent maturity put out by PDAI / FIMMDA/ FBIL periodically.

iii. Equity shares are valued at market price, if quoted. Unquoted equity shares are valued at break-up value (without considering revaluation reserves if any) as per the company's latest balance sheet (not more than one year prior to the date of valuation). Otherwise, the shares are valued at Re. 1 per company.

iv. Preference shares are valued at market price, if quoted; otherwise at lower of the value determined based on the appropriate YTM rates or redemption value.

v. All debentures / bonds, other than those which are in the nature of advances, are valued on the YTM basis.

vi. Treasury bills, Certificate of deposits and Commercial papers are valued at carrying cost.

vii. Units of Mutual Funds are valued at market price, if quoted; otherwise at lower of repurchase price or Net Asset Value (NAV). In case of funds with a lock-in period, where repurchase price / market quote is not available, units are valued at NAV, else valued at cost till the end of the lock-in period.

viii. Investment in units of Venture Capital Funds (VCF) / Alternate Investment Fund (AIF) made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of 3 years and valued at cost. After period of 3 years from the date of disbursement, it will be shifted to AFS and marked-to-market as per RBI guidelines.

ix. In respect of investment at Overseas branches, RBI guidelines or those of the host countries whichever are more stringent are followed. In case of those branches situated in countries where no guidelines are specified, the guidelines of RBI are followed.

4.4 Non-performing investment (NPI) are identified as stated below, as per guidelines issued by RBI.

- Securities / Non-cumulative Preference shares where Interest / Fixed Dividend / Instalment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 Days.
- If any credit facility availed by the issuer from the Bank is a Non-performing advance in the books of the bank, investment in any of the securities including preference shares issued by the same issuer is also treated as NPI and vice versa. However, if only the preference shares are classified as NPI, the investments in any of the other performing securities issued by the same issuer may not be classified as NPI and any performing credit facilities granted to that borrower need not be treated as NPA.
- Investments backed by guarantee of the Central Government though overdue are treated as Non-Performing Asset (NPA) only when the Government repudiates its guarantee when invoked.
- Investment in State Government guaranteed securities, including those in the nature of 'deemed advances', are subjected to asset classification and provisioning as per prudential norms if interest / installment of principal (including maturity proceeds) or any other amount due to the Bank remains unpaid for more than 90 days.

- Equity investment classified as NPI should be valued at market value, if quoted, and in case where equity is not quoted, it should be valued at Re.1

4.5 Brokerages / Commission / incentive received on subscriptions are deducted from the cost of securities. Brokerage / Commission / Stamp duty paid in connection with acquisition of securities are treated as revenue expenses.

4.6 Interest Rate Swap transactions for trading is marked to market at quarterly intervals. The fair value of the total swaps is computed on the basis of the amount that would be received/ receivable or paid/ payable on termination of the swap agreements as on the balance sheet date. Losses arising there from, if any, are fully provided for, while the profit, if any, is ignored.

4.7 Exchange traded FX Derivatives i.e. Currency Futures, are valued at the Exchange determined prices and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss account.

4.8 Premium / interest arising at the inception of forward exchange swap facility of RBI for FCNR (B) dollar deposits is amortized as expense over the period of the swap contract.

4.9 Cost of investments is determined based on the Weighted Average Cost method in each category. Investments classified under HTM are carried at acquisition cost as arrived under Weighted Average Cost method and in case the weighted average cost is more than the face value, the premium is amortised over the remaining period of maturity.

- **Accounting for Repo / Reverse Repo transactions:**

All types of Repo / Reverse Repo Transactions with RBI including LAF, variable rate term operations, Long term Repo operations (LTRO), MSF and also Market Repo transactions are accounted as per RBI guidelines.

The securities sold and purchased under Repo / Reverse Repo are accounted as Triparty Repo wherein securities are transferred as in the case of normal outright sale / purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo / Reverse Repo Accounts and Contra entries. The above entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted as interest expenditure / income, as the case may be. Balance in Repo Account is classified under Schedule 4 (Borrowings) and balance in Reverse Repo Account is classified under Schedule 7 (Balance with Banks and Money at Call & Short Notice).

5. FINANCIAL ASSETS SOLD TO RECONSTRUCTION COMPANIES (RC)

5.1 Security Receipts (SR) issued by SCs / RCs in respect of financial assets sold to them is recognized at lower of redemption value of SRs and Net Book Value of financial assets. SRs are valued at:

(a) SRs issued by SCs / RCs prior to 01.04.2017 at Net Asset Value declared by SCs / RCs on the Balance Sheet date and depreciation, if any, is provided for and appreciation is ignored.

(b) As per amended guidelines issued by RBI with effect from April, 01 2017, provisioning requirement on SRs will be higher of

(I) provisioning rate in terms of Net Asset Value declared by the SCs / RCs

(ii) provisioning rate as applicable to the underlying loans, assuming that the loans notionally continued in the books of the bank

5.2 In case of financial assets sold to RC, the valuation and, income recognition is being done as per RBI guidelines. If the sale is for value lower than the Net Book Value (NBV) (i.e, book value less provisions held), the shortfall is debited to the Profit and Loss account or met out of utilisation of Floating provision held, as per extant RBI guidelines

If the cash received (by way of initial consideration and / or redemption of security receipts) is higher than the Net Book value of the Non-Performing Asset (NPA) sold to RC, then excess provision is reversed to the profit and Loss account. The quantum of excess provision reversed to profit and loss account is limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the NPA sold.

6 ADVANCES

6.1 In accordance with the prudential norms issued by RBI, advances in India are classified into Standard, Sub-Standard, Doubtful and Loss assets borrower-wise.

6.2 Provisions are made for non-performing advances as under:

a) Sub Standard:

I) A general provision of 15% on the total outstanding

ii) Additional provision of 10% for exposure which are unsecured ab-initio (ie., where realizable value of securities is not more than 10% ab-initio)

b) Doubtful Category - 1

i) 25% for Secured portion.

ii) 100% for Unsecured portion.

c) Doubtful Category - 2

i) 40% for Secured portion.

ii) 100% for Unsecured portion.

d) Doubtful Category - 3 and Loss advances - 100 %.

- Provision is made for standard advances including Restructured / Rescheduled standard advances as per RBI directives.

- In respect of foreign branches, income recognition, asset classification and provisioning for loan losses are made as per local requirement or as per RBI prudential norms, whichever is more stringent.

 Further, if an asset in the overseas books of the Bank requires to be classified as NPA at any point of time in terms of regulations issued by Reserve Bank of India, then all the facilities granted by the bank to the borrower and investment in all the securities issued by the borrower will be classified as NPAs / NPIs.

 However, accounts classified as Non-performing / Impaired assets (NPAs) by host regulators for reasons other than record of recovery, would be classified as NPAs at the time of consolidating financial statements in India and provided for, as required; whereas asset classification of other credit exposures to the same counter parties in other jurisdictions (including India) will continue to be governed by the extant guidelines in the respective jurisdictions.

- Advances disclosed are net of provisions made for non-performing assets, DICGC / ECGC / CGTMSE claims received and held pending adjustment, repayments received and kept in sundries account, participation certificates, usance bills rediscounted and provision in lieu of diminution in the fair value of restructured accounts classified as standard assets.

7. FIXED ASSETS / DEPRECIATION

7.1. Fixed assets are carried at cost / revalued amount less accumulated depreciation / amortization.

7.2. Cost includes cost of purchase and all expenditure such as site preparation, installation costs and professional fees incurred on the asset before it is put to use. Subsequent expenditure(s) incurred on the assets put to use are capitalized only when it increases the future economic benefits from such assets on their functioning capacity.

7.3. Depreciation on buildings (including cost of land wherever inseparable / not segregated) and other fixed assets in India will be provided for on the straight-line method at the rates / useful life, as specified below:

Sl. No.	Description of fixed assets	Depreciation Rate / Useful Life
1.	Computers	33.33% every year
2.	Computer Software forming an integral part of the Computer hardware	33.33% every year
3.	Computer Software which does not form an integral part of Computer hardware and cost of Software Development	33.33% every year
4.	Automated Teller Machine / Cash Deposit Machine / Coin Vending Machine	20.00% every year
5.	Servers	33.33% every year
6.	Network Equipment	20.00% every year
7.	Other Fixed Assets	Estimated useful life of major group of assets are as under: Premises : 60 years Safes/Locker/Doors (Steel): 20 years Vehicles : 5 years Furniture and Fixtures : 10 years Cell phones : 1 year

7.4. In respect of assets sold / acquired during the year, depreciation will be charged on proportionate basis for the number of days the assets have been put to use / from the date of capitalization during the year.

7.5. Assets costing upto ` 5,000/- will be fully depreciated in the year of purchase.

7.6. The revalued asset will be depreciated over the balance useful life of the asset as assessed at the time of revaluation.

The increase in Net Book Value of the asset due to revaluation will be credited to the Revaluation Reserve Account without routing through the Profit and Loss Account. Depreciation relatable to revalued component will be charged against revenue expenditure and an equivalent amount will be charged straight away against revaluation reserve and credited to the revenue reserve, as per revised AS 10 issued by ICAI.

7.7 In respect of Assets where subsidy is received from Government, the same will be credited to the respective asset account and depreciation will be charged accordingly.

7.8 Premium on leasehold land will be capitalized in the year of acquisition and amortized over the period of lease.

7.9 Depreciation in respect of fixed assets at foreign branches will be provided as per the practice prevailing in the respective countries.

7.10 In respect of Non-Banking Assets, no depreciation will be charged.

8. REVENUE RECOGNITION

8.1 Income and expenditure are generally accounted for on accrual basis, unless otherwise stated.

8.2 Income from non-performing assets, Central Government guaranteed assets (where it is overdue beyond 90 days), dividend income, insurance claims, commission on letters of credit / guarantees issued (other than those relating to project finance), income from wealth management, additional interest / overdue charges on bills purchased, finance charges on credit cards, income on Bank's right to recompense, AMC charges on debit cards are accounted for on realisation basis and locker rent received, income from Bancassurance products are accounted on accrual basis.

8.3 In case of overdue foreign bills, interest and other charges are recognised till the date of crystallisation as per FEDAI guidelines.

9. CREDIT CARD REWARD POINTS

Reward points earned by card members on use of Card facility is recognized as expenditure on such use.

10. NET PROFIT / LOSS

The result disclosed in the Profit and Loss Account is after considering

- Provision for Non-Performing Advances and / or Investments.
- General provision on Standard Advances
- Provision for Restructured Advances
- Provision for Depreciation on Fixed Assets
- Provision for Depreciation on Investments
- Transfer to / from Contingency Fund
- Provision for Direct taxes
- Provision for Unhedged Foreign Currency Exposure
- Usual or / and other necessary provisions

11. STAFF RETIREMENT BENEFITS

i) **PROVIDENT FUND**

Provident fund is a statutory obligation and in the case of Contributory Provident Fund Optees, the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates. The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss Account. The fund is managed by Indian Bank Staff Provident Fund Trust.

ii) **GRATUITY**

Gratuity liability is a statutory obligation as per Indian Bank Employees' Gratuity Fund Rules and Regulations and is provided for on the basis of an actuarial valuation made at the end of the financial year. The gratuity liability is funded by the Bank and is managed by Indian Bank Employees Gratuity Fund Trust.

iii) **PENSION**

- Pension liability is a defined benefit obligation under Indian Bank (Employees) Pension Regulations 1995 and is provided for on the basis of actuarial valuation, for the employees who have joined Bank up to 31.03.2010 and opted for pension.
- New Pension Scheme (NPS) which is applicable to employees who joined bank on or after 01.04.2010 and it is a defined contribution scheme. Under NPS the Bank pays fixed contribution at pre-determined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account.

iv) **COMPENSATED ABSENCES**

Accumulating compensated absences such as Privilege Leave and Sick Leave are provided for based on actuarial valuation.

v) **OTHER EMPLOYEE BENEFITS**

Other Employee benefits such as Leave Fare Concession and Additional Retirement Benefit on Retirement are provided for based on actuarial valuation. In respect of overseas branches and offices, the benefits in respect of employees other than those on deputation are valued and accounted for as per laws prevailing in the respective territories.

12. ACCOUNTING FOR LEASES

Lease payments including cost escalation for assets taken on operating lease are recognized in the Profit and Loss Account over the lease term or life whichever is lower.

13. CONTINGENT LIABILITIES AND PROVISIONS

13.1 Contingent liability: Past events leading to, possible or present obligations are recognized as contingent liability in the following instances where:

(a) The existence of such obligations has not been confirmed

(b) no outflow of resources are required to settle such obligations

(c) a reliable estimate of the amount of the obligations cannot be made

(d) such amounts are not material

13.2 (a) Provision is recognized in case of present obligations where a reliable estimate can be made and / or where there are probable outflow of resources embodying foregoing of economic benefits to settle the obligations, excluding frivolous claims.

(b) Provision for Market Risk, Country Risk, etc., are made in terms of extant instructions of RBI.

(c) Floating provision as identified by the Bank Management is provided for.

Floating provision may be utilized as per extant RBI guidelines, for -

(i) Making specific provisions for non-performing assets;

(ii) Meeting any shortfall in sale of non-performing assets.

14. IMPAIRMENT OF ASSETS

Impairment losses, if any, on Fixed Assets (including revalued assets) are recognised and charged to Profit and Loss Account in accordance with the Accounting Standard 28 “Impairment of Assets”. However, an impairment loss on a revalued asset is recognised directly against any revaluation surplus for the asset to the extent that the impairment loss does not exceed the amount held in the revaluation surplus for that same asset.

15. TAXES ON INCOME

15.1 Provision for tax is made for both Current Tax and Deferred Tax.

15.2 Current tax is measured at the amount expected to be paid to the taxation authorities, using the applicable tax rates, tax laws and favourable judicial pronouncements / legal opinion.

15.3 Deferred Tax Assets and Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognized using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted till the date of the Balance Sheet. Deferred Tax Assets are not recognized unless there is “virtual certainty” that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realized.

SCHEDULE 18 - NOTES ON ACCOUNTS TO STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS (2021-22)

1. Regulatory Capital

a. Composition of Regulatory Capital

(Amount ` in crore)

Sl.No.	Particulars	2021-22	2020-21
i)	Common Equity Tier 1 capital (CET 1)	38725.15	33608.94
ii)	Additional Tier 1 capital	1980.00	1980.00
iii)	Tier 1 capital (i + ii)	40705.15	35588.94
iv)	Tier 2 capital	10394.93	11255.87
v)	Total capital (Tier 1+Tier 2)	51100.08	46844.81
vi)	Total Risk Weighted Assets (RWAs)	308937.61	298096.60
vii)	CET 1 Ratio (CET 1 as a percentage of RWAs)	12.53%	11.27%
viii)	Tier 1 Ratio (Tier 1 capital as a percentage of RWAs)	13.17%	11.93%
ix)	Tier 2 Ratio (Tier 2 capital as a percentage of RWAs)	3.36%	3.78%
x)	Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs)	16.53%	15.71%
xi)	Leverage Ratio	5.64%	4.71%
xii)	Percentage of the shareholding of Government of India	79.86%	88.06%
xiii)	Amount of paid-up equity capital raised during the year	116.07**	-
xiv)	Amount of non-equity Tier 1 capital raised during the year, of which: Basel III compliant Perpetual debt instruments,	– –	2000.00 2000.00
xv)	Amount of Additional Tier 2 capital raised; of which Basel III Compliant Debt capital instrument:	– –	2000.00 2000.00

Note:- ** During the Financial year 2021-22, the Bank has raised equity capital of Rs 1650 crores through Qualified Institutions Placement at an issue price of Rs 142.15 per equity share including a premium of Rs 132.15 per equity share. Post allotment of 11,60,74,569 new equity shares of face value of Rs 10 each under QIP, the total paid up shares of the Bank increased from 112,93,66,570 to 124,54,41,139.

b. Draw down from Reserves

(Amount ` in crore)

Reserves	Amount drawn		Purpose
	2021-22	2020-21	
Revaluation Reserve	143.42	142.87	Depreciation on revalued portion on Premises

The amount was credited to Revenue Reserve A/c as per the provisions of Accounting Standard 10.

2. Asset liability management

a. Maturity pattern of certain items of assets and liabilities as at 31st March 2022

(Amount ` in crore)

	1 day	2 to 7 days	8 to 14 days	15 to 30 days	31 days to 2 months	Over 2 months and upto 3 months	Over 3 months and upto 6 months	Over 6 months and upto 3 years	Over 1 year and upto 3 years	Over 3 years and upto 5 years	Over 5 years	Total
Deposits	5027.27	16470.30	13487.73	19073.00	23215.33	28660.05	33662.81	42308.15	68964.57	57032.74	285715.86	593617.81
Advances	4642.20	5075.71	6169.22	8684.51	16889.71	14524.67	21851.45	39896.86	149150.18	63129.76	59171.80	389186.06
Investments*	26398.06	13503.04	10208.16	11382.52	2743.67	2473.02	5739.99	8325.67	16308.61	10904.50	66133.45	174120.69
Borrowings	343.45	0.00	322.53	0.00	330.83	322.53	1059.18	2270.40	6495.40	6000.00	0.00	17144.31
Foreign Currency Assets	1148.89	268.65	833.27	2274.80	4967.23	6219.16	2280.30	1138.91	1747.82	1832.35	136.62	22848.00
Foreign Currency Liabilities	93.92	489.51	185.98	1077.07	2035.72	2068.64	703.42	1918.42	2626.06	595.55	474.27	12268.56

** Excludes 50% of listed equities of Rs.437.90 crore*

b. Liquidity Coverage Ratio (LCR)

(Amount ` in crore)

Sl. No.	Parameter	Q1:2021-22		Q2:2021-22		Q3:2021-22		Q4:2021-22	
		Total Un-Weighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total Un-Weighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total Un-Weighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total Un-Weighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)
High Quality Liquid Assets									
1	Total High Quality Liquid Assets (HQLA)		151115.13		158314.12		166095.81		158132.09
Cash Outflows									
2	Retail Deposits and Deposits from Small Business Customers of which:	261631.96	24395.04	261491.42	24468.63	259700.32	24317.89	267083.83	19817.54
(i)	Stable Deposits	35363.07	1768.15	33610.17	1680.51	33042.90	1652.14	137816.80	6890.84
(ii)	Less Stable Deposits	226268.88	22626.89	227881.24	22788.12	226657.43	22665.74	129267.03	12926.70
3	Unsecured Wholesale Funding, of which	166998.38	79476.66	167413.72	77874.98	175592.63	80940.41	177327.36	85519.68
(i)	Operational Deposits (all counterparties)	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	Non-operational Deposits (all counterparties)	166105.86	78584.17	166629.94	77091.20	174712.24	80060.02	176149.35	84341.67
(iii)	Unsecured Debt	892.48	892.48	783.78	783.78	880.39	880.39	1178.01	1178.01
4	Secured Wholesale Funding		0.00		0.00		0.00		0.00
5	Additional requirements of which	65030.23	26984.14	69281.45	25247.90	73874.84	29217.54	66874.64	33508.37
(i)	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	23353.29	23353.29	20941.21	20941.21	24941.11	24941.11	29814.25	29814.25
(ii)	Outflows related to loss of funding on debt products	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	Credit and liquidity facilities	41676.94	3630.85	48340.24	4306.69	48933.72	4276.43	37060.39	3694.12
6	Other contractual funding obligations	1911.55	1911.55	3418.20	3418.20	2938.19	2938.19	3626.74	3626.74
7	Other contingent funding obligations	36846.99	1105.41	36662.27	1099.87	37690.08	1130.70	33176.14	995.28
8	TOTAL CASH OUTFLOWS		133872.80		132109.58		138544.74		143467.62

Sl. No.	Parameter	Q1:2021-22		Q2:2021-22		Q3:2021-22		Q4:2021-22	
		Total Un-Weighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total Un-Weighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total Un-Weighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total Un-Weighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)
Cash Inflows									
9	Secured lending (e.g. reverse repos)	3103.51	0.00	12358.16	0.00	22202.84	0.00	35061.67	0.00
10	Inflows from fully performing exposures	39887.37	21630.17	39837.22	22571.91	37918.61	20029.39	34474.46	18673.44
11	Other cash inflows	30487.92	28197.40	28051.85	25714.99	30908.97	28846.68	42438.47	37813.47
12	Total Cash Inflows	73478.80	49827.57	80247.22	48286.90	91030.42	48876.07	111974.60	56486.91
			Total adjusted value		Total adjusted value		Total adjusted value		Total adjusted value
13	Total HQLA		151115.13		158314.12		166095.81		158132.09
14	Total Net Cash Outflows		84045.23		83822.67		89668.66		86980.71
15	Liquidity Coverage Ratio		179.80%		188.87%		185.23%		181.80%

Note: The average weighted and un-weighted amounts are calculated taking simple average based on daily observations for the respective quarter.

Un-weighted values are calculated as outstanding balances maturing or callable within 30 days (for inflows and outflows) except where otherwise mentioned in the circular and LCR template.

Weighted values are calculated after the application of respective haircuts (for HQLA) or inflow and outflow rates (for inflows and outflows)

Adjusted values calculated after the application of both (i) haircuts and inflow and outflow rates and (ii) any applicable caps (i.e. cap on Level 2B and Level 2 assets for HQLA and cap on inflows).

The LCR is designed to promote short-term resilience of a bank's liquidity risk profile by ensuring that it has sufficient high quality liquid resources to survive an acute stress scenario lasting for 30 days. As per the RBI guidelines minimum requirement of LCR for FY 2021-22 on a daily basis is 100%. The methodology for estimating the LCR is based on RBI guidelines updated on time to time.

The LCR is calculated by dividing the amount of high quality liquid unencumbered assets (HQLA) by the estimated net outflows over a 30 calendar day period. The net cash outflows are calculated by applying RBI prescribed outflow factors to the various categories of liabilities (deposits viz Retail, Small Business customers (deposits upto ` 7.50 crore), unsecured and secured wholesale borrowings) as well as to undrawn commitments and derivatives-related exposures partially offset by inflows from assets maturing within 30 days.

The bank during the quarter ended March 31, 2022 had maintained average HQLA (after haircut) of Rs.158132.09 crore. HQLA primarily includes SLR securities in excess of minimum Statutory Liquidity Ratio (SLR) requirement the extent allowed under the Marginal Standing Facility (MSF) and the Facility to Avail Liquidity for LCR (FALLCR). Additionally, cash balances in excess of cash reserve requirement with RBI and the overseas central banks form part of level 1 HQLA. The Daily average LCR of the Indian bank for the quarter ended March 31, 2022 was 181.80%.

The main drivers of LCR of the bank are sufficient high quality liquid assets (HQLAs) to meet liquidity needs of the bank at all times. The weighted cash outflows are primarily driven by unsecured wholesale funding which contributed 59.61% of the total weighted cash outflows. Retail deposits including deposits from small business customers contributed 13.81% of the total weighted cash outflows. The other contingent funding obligations primarily include bank guarantees (BGs) and letters of credit (LCs) issued on behalf of the Bank's clients.

Bank has one significant counterparty (Deposit / Borrowing) as on 31.03.2022 contributing 1.27% of total deposits. The total contribution of the top 20 largest domestic depositors as on 31.03.2022 is 6.69% of the total deposits. The significant domestic product / instruments includes Savings deposit, Current deposit and Term deposit which are 31.44%, 5.47% and 51.47% of bank's total liability respectively, the funding from which are widely spread and there is no concentration risk for the bank.

b. Net Stable Funding Ratio (NSFR)

(Amount ` in crore)

Sl. No.		31.12.2021					31.03.2022				
		Un-weighted value by residual maturity					Un-weighted value by residual maturity				
		No maturity*	< 6 months	6 months to < 1yr	≥1yr	Weighted Value	No maturity*	< 6 months	6 months to < 1yr	≥1yr	Weighted Value
ASF Item											
1	Capital: (2+3)	39853.48	0.00	0.00	8380.00	48233.48	44062.22	0.00	0.00	8080.00	52142.22
2	Regulatory capital	39853.48	0.00	0.00	8380.00	48233.48	44062.22	0.00	0.00	8080.00	52142.22
3	Other capital instruments	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	179557.90	71882.04	70536.93	52567.02	351300.44	184908.11	73404.57	67261.82	54427.59	356530.25
5	Stable deposits	115906.39	27049.45	36128.90	20703.01	190833.52	119522.60	27985.92	34203.85	21217.20	193843.95
6	Less stable deposits	63651.51	44832.59	34408.03	31864.01	160466.92	65385.52	45418.65	33057.96	33210.39	162686.31
7	Wholesale funding: (8+9)	54988.48	74936.84	44479.07	13584.79	100786.99	63018.08	98323.83	38356.79	13874.59	113723.94
8	Operational deposits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Other wholesale funding	54988.48	74936.84	44479.07	13584.79	100786.99	63018.08	98323.83	38356.79	13874.59	113723.94
10	Other liabilities: (11+12)	4161.97	18552.36	2278.65	22295.63	22814.95	668.61	7446.72	2365.84	16473.03	16735.95
11	NSFR Derivative Liabilities		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
12	All other liabilities and equity not included in the above categories	4161.97	18552.36	2278.65	22295.63	22814.95	668.61	7446.72	2365.84	16473.03	16735.95
13	Total ASF (1+4+7+10)					523135.86					539132.36
RSF Item											
14	Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)					7790.46					7580.13
15	Deposits held at other institutions for operational purposes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)	1569.68	130779.58	54820.40	239833.32	297039.40	1651.26	139580.70	63349.65	235712.38	297275.69
17	Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Performing loans to financial institutions secured by non-Level1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	0.00	29616.25	5328.79	41588.77	48695.60	0.00	35398.28	10686.30	39314.41	49967.30

(Amount ` in crore)

Sl. No.		31.12.2021					31.03.2022				
		Un-weighted value by residual maturity					Un-weighted value by residual maturity				
		No maturity*	< 6 months	6 months to < 1yr	≥1yr	Weighted Value	No maturity*	< 6 months	6 months to < 1yr	≥1yr	Weighted Value
19	Performing loans to non-financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks, and PSEs, of which:	0.00	96829.43	48389.69	143750.35	199106.35	0.00	101554.01	51985.64	140240.58	199005.84
20	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	0.00	6367.72	392.64	9611.78	8186.07	0.00	5587.24	1350.11	10117.08	8527.21
21	Performing residential mortgages, of which:	0.00	31.19	22.62	29860.67	21873.78	0.00	16.62	17.00	31360.88	22843.69
22	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardized Approach for credit risk	0.00	15.49	8.60	20528.21	10276.15	0.00	11.53	7.64	22086.32	11052.75
23	Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities	1569.68	4302.71	1079.31	24633.53	27363.67	1651.26	2611.79	660.71	24796.52	25458.87
24	Other assets: (sum of rows 25 to 29)	7129.41	179.01	23.23	23247.07	30045.39	7687.54	123.60	12.74	22909.62	30357.10
25	Physical traded commodities, including gold	0.00				0.00	0.00				0.00
26	Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs	0.00	0.00	0.00	3555.49	3022.17	0.00	0.00	0.00	2509.39	2132.98
27	NSFR derivative assets	0.00	122.90	0.00	23.98	146.88	0.00	95.60	0.00	45.34	140.94
28	NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted	0.00	56.12	23.23	0.07	79.42	0.00	28.00	12.74	0.07	40.82
29	All other assets not included in the above categories	7129.41	0.00	0.00	19667.52	26796.93	7687.54	0.00	0.00	20354.82	28042.36
30	Off-balance sheet items					1210.57					1256.36
31	Total RSF (14+15+16+24+30)					336085.82					336469.29
32	Net Stable Funding Ratio (%)					155.66%					160.23%

* Items to be reported in the 'no maturity' time bucket do not have a stated maturity. These may include, but are not limited to, items such as capital with perpetual maturity, non-maturity deposits, short positions, open maturity positions, Non-HQLA equities, and physical traded commodities.

The Net Stable Funding Ratio (NSFR) is a significant component of the Basel III reforms. The NSFR promotes resilience over a longer-term time horizon by requiring banks to fund their activities with more stable sources of funding on an ongoing basis. As per the latest RBI Guidelines, NSFR is effective from October 01, 2021.

NSFR is defined as the amount of Available Stable Funding relative to the amount of Required Stable Funding.

$$\frac{\text{Available Stable Funding (ASF)}}{\text{Required Stable Funding (RSF)}} \geq 100\%$$

Available Stable Funding (ASF)

ASF is defined as the portion of capital and liabilities expected to be reliable over the time horizon considered (viz. up to 1 year) by the NSFR. The amount of ASF is measured, based on the broad characteristics of the relative stability of an institution's funding sources, including the contractual maturity of its liabilities and the differences in the propensity of different types of funding providers to withdraw their funding

Required Stable Funding (RSF)

RSF is the amount of stable funding required based on the liquidity characteristics and residual maturities of various assets held by that institution as well as those of its off-balance sheet (OBS) exposures. RSF is computed by multiplying the outstanding amount of the specified component with the prescribed and associated RSF Factor.

The objective of NSFR is to ensure that banks maintain a stable funding profile in relation to the composition of their assets and off-balance sheet activities. The NSFR limits over-reliance on short-term wholesale funding, encourages better assessment of funding risk across all on and off-balance sheet items, and promotes funding stability.

Bank's NSFR stands at 155.66% as on 31.12.2021 and 160.23% as on 31.03.2022. NSFR is above the minimum regulatory requirement of 100%. As on 31.03.2022, the Available Stable Funding (ASF) was Rs. 5,39,132 crore and the Required Stable Funding (RSF) was Rs. 3,36,469 crore.

Bank also computes Liquidity Coverage Ratio and prepares Structural Liquidity Statements on a daily basis to assess the liquidity needs of the Bank.

3. Investments

a. Composition of Investment Portfolio (As at 31.03.2022)

(Amount ` in crore)

	Investments in India							Investments outside India				Total
	Government Securities	Other Approved Securities	Shares	Deben -tures and Bonds	Subsidiaries and / or joint ventures	Others	Total investments in India	Government Securities (including local authorities)	Subsidiaries and / or joint ventures	Others	Investments outside India	
Held to Maturity												
Gross	134412.04	0	0.00	1645.95	252.10	152.72	136462.81	550.59	0.00	0.08	550.67	137013.48
Less: Provision for Depreciation and non-performing investments (NPI)	0.00	0.00	0.00	0.00	35.93	0.00	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00	35.93
Net	134412.04	0.00	0.00	1645.95	216.17	152.72	136426.88	550.59	0.00	0.08	550.67	136977.55
Available for Sale												
Gross	24018.10	0.00	2306.13	11867.77	0.00	3738.79	41930.79	1151.42	0.00	98.44	1249.86	43180.65
Less: Provision for Depreciation and non-performing investments (NPI)	150.63	0.00	1114.50	998.37	0.00	3279.43	5542.93	0.00	0.00	97.96	97.96	5640.89
Net	23867.47	0.00	1191.63	10869.41	0.00	459.36	36387.86	1151.42	0.00	0.48	1151.90	37539.76
Held for Trading												
Gross	34.49	0.00	6.79	0.00	0.00	0.00	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	41.28
Less: Provision for Depreciation and non-performing investments (NPI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net	34.49	0.00	6.79	0.00	0.00	0.00	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investments	158464.63	0.00	2312.92	13513.72	252.10	3891.51	178434.88	1702.01	0.00	98.52	1800.53	180235.41
Less: Provision for non-performing investments (NPI)	0.00	0.00	0.00	0.00	35.93	0.00	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00	35.93
Less: Provision for Depreciation and NPI	150.63	0.00	1114.50	998.37	0.00	3279.43	5542.93	0.00	0.00	97.96	0 .00	5640.89
Net	158314.00	0.00	1198.42	12515.35	216.17	612.08	172856.02	1702.01	0.00	0.56	1702.57	174558.59

As at 31.03.2021

(Amount ` in crore)

	Investments in India							Investments outside India				Total Investments
	Government Securities	Other Approved Securities	Shares	Deben -tures and Bonds	Subsidiaries and / or joint ventures	Others	Total investments in India	Government Securities (including local authorities)	Subsidiaries and / or joint ventures	Others	Total Investments outside India	
Held to Maturity												
Gross	105599.64	0.00	0.00	22058.24	252.10	65.53	127975.51	723.22	0.00	0.11	723.33	128698.84
Less: Provision for Depreciation and non-performing investments (NPI)	0.00	0.00	0.00	0.00	35.93	0.00	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00	35.93
Net	105599.64	0.00	0.00	22058.24	216.17	65.53	127939.57	723.22	0.00	0.11	723.33	128662.90
Available for Sale												
Gross	34047.85	5.23	2221.37	9370.00	0.00	5950.49	51594.95	1602.60	0.00	94.97	1697.57	53292.52
Less: Provision for Depreciation and non-performing investments (NPI)	24.09	0.00	1234.79	2074.31	0.00	1990.77	5323.96	0	0.00	94.48	94.48	5418.44
Net	34023.76	5.23	986.58	7295.69	0.00	3959.72	46270.99	1602.60	0.00	0.49	1603.09	47874.08
Held for Trading												
Gross	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
Less: Provision for Depreciation and non-performing investments (NPI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
Total Investments	139647.49	5.23	2221.37	31428.24	252.10	6016.02	179570.45	2325.82	0.00	95.08	2420.90	181991.35
Less: Provision for non-performing investments	0.00	0.00	0.00	0.00	35.93	0.00	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00	35.93
Less: Provision for Depreciation and NPI	24.09	0.00	1234.79	2074.31	0.00	1990.77	5323.97	0.00	0.00	94.48	94.48	5418.45
Net	139623.40	5.23	986.58	29353.93	216.17	4025.25	174210.56	2325.82	0.00	0.60	2326.42	176536.97

Note:- Value of SRs shown under 'Others' in place of 'Debentures and Bonds' and hived off provision shown under provision for Depreciation and NPI to have congruence with reporting of FY 2021-22.

b. Movement of Provisions for Depreciation and Investment Fluctuation Reserve

(Amount ` in crore)

Particulars	2021-22	2020-21
i) Movement of provisions held towards depreciation on investments		
a) Opening Balance	5359.90	4943.07
b) Add: Provisions made during the year	789.03	1022.00
c) Less: Write off / write back of excess provisions during the year	570.06	605.17
d) Closing Balance	5578.86	5359.90
ii) Movement of Investment Fluctuation reserve		
a) Opening Balance	1031.90	566.99
b) Add: Amount transferred during the year	-	464.91
c) Less: Drawdown	-	-
d) Closing balance	1031.90	1031.90
iii) Closing balance in IFR as a percentage of closing balance of investments* in AFS and HFT / Current Category	2.46%	2.00%

*Carrying value less net depreciation (ignoring net appreciation) i.e. the net amount reflected in the Balance sheet

c. Sale and transfers to/from HTM category

The value of sales and transfers of securities to/from HTM category did not exceed 5 per cent of the book value of investments held in HTM category at the beginning of the year as per RBI guidelines.

- Profit on account of sale of securities from HTM category amounting to Rs 263.51 crores (previous year Rs 85.00 crores) has been taken to Profit and Loss Account and thereafter an amount of Rs.147.90 (previous year Rs.47.71 crores) was transferred to Capital Reserve Account (net of taxes and amount required to be transferred to statutory reserves).
- Shifting of securities:

(i) In the beginning of the year, the Bank shifted:

- SLR securities for Book Value of Rs.24030.56 crores was shifted from HTM to AFS which has resulted in no additional provision & Non-SLR VCF securities for Book Value of Rs.3.18 crores from HTM category to AFS category and
- SLR securities for Book Value of Rs.5623.23 crores from AFS category to HTM category which has resulted in adjustment of provision held against depreciation to reduce the book value to the market value.
- In case of securities classified under HTM category, if acquisition cost is more than the face value, the premium is amortized over the remaining period to maturity. For the Financial Year 2021-22, a sum of Rs 184 crores (previous year Rs 261.43 crores) has been amortized and the same is reflected as a deduction from 'Income on Investments'.

d. Non-SLR investment portfolio

i. Non-performing non-SLR investments

(Amount ` in crore)

Sl.No.	Particulars	2021-22	2020-21
a)	Opening balance	1698.73	1623.51
b)	Additions during the year since 1st April	510.05	93.07
c)	Reductions during the above period	326.77	17.85
d)	Closing balance	1882.02	1698.73
e)	Total provisions held	809.69	797.45

ii) Issuer Composition of Non-SLR Investments

(Amount ` in crore)

Sl. No.	Issuer	Amount		Extent Of Private Placement		Extent Of "below Investment Grade" Securities		Extent of "unrated" Securities		Extent Of "unlisted" Securities	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
	FY	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
a)	PSUs	22460.95	22659.18	20645.70	20507.29	175.00	0.00	0.36	175.36	18068.71	19085.92
b)	FIs	5537.00	7290.60	3110.26	5116.48	149.99	332.19	0.00	0.00	57.03	167.04
c)	Banks	1806.55	907.22	1358.87	307.50	0.00	0.00	0.00	0.00	16.93	191.08
d)	Private Corporates #	5616.19	6633.03	7316.28	6293.16	260.64	1121.39	160.55	3.50	334.02	4337.84
e)	Subsidiaries / Joint Ventures	211.50	211.50	211.50	211.50	0.00	0.00	0.00	0.00	132.63	132.63
f)	Others	342.75	293.90	256.31	213.17	0.00	0.00	0.00	0.00	260.43	213.17
g)	Less: Provision held towards depreciation	3505.91	3413.49	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	Total	32469.03	34581.94	32898.92	32649.10	585.63	1453.58	160.91	178.86	18869.74	24127.68

This figure is net of hived off provision of ` 1922.31 Crore

e. REPO Transactions (in face value terms):

(Amount ` in crore)

	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily average outstanding during the year	Outstanding as on March 31, 2022
i) Securities sold under repo				
a) Government securities	0.00	3328.00	51.09	0.00
b) Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Any other securities	0.00	0.00	0.00	0.00
ii) Securities purchased under reverse repo				
a) Government securities	600.00	50,043.88	18,202.20	34500.00
b) Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Any other securities	0.00	0.00	0.00	0.00

4. Asset quality

a. Classification of advances and provisions held

(Amount ` in crore)

	2021-22						2020-21					
	Standard	Non-Performing				Total	Standard	Non-Performing				Total
	Total Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total Non-Performing Advances (20-21)		Total Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total Non-Performing Advances (21-22)	
Gross Standard Advances and NPAs												
Opening Balance	351861.61	7369.96	24657.89	6427.50	38455.35	390316.96	326665.58	9066.65	24016.29	8914.77	41997.71	368663.29
Add: Additions during the year					10164.66	10164.66					9429.55	9429.55
Less: Reductions during the year					13405.76	13405.76					12971.91	12971.91
Closing Balance	380410.50	5202.88	25063.04	4948.33	35214.25	415624.75	351861.61	7369.96	24657.93	6427.46	38455.35	390316.96
Reductions in Gross NPAs due to:												
I) Upgradation					1574.23	1574.23					686.18	686.18
ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts & incl others as exchange diff)					3484.96	3484.96					3914.38	3914.38
iii) Technical / Prudential Write-offs					7057.06	7057.06					7531.18	7531.18
iv) Write-offs other than those under (iii) above					1289.51	1289.51					840.17	840.17
Provisions (excluding Floating Provisions)												
Opening balance of provisions held	2826.82	1727.63	17644.77	6200.10	25572.50	28399.32	2041.61	1624.01	16575.23	8828.26	27027.50	29069.11
Add: Fresh provisions made during the year					8142.52	8142.52					6663.77	6663.77
Less: Excess provision reversed / Write-off loans					8024.43	8024.43					8118.77	8118.77
Closing balance of provisions held	3788.83	1559.09	19475.94	4655.56	25690.59	29479.42	2826.82	1727.63	17644.77	6200.10	25572.5	28399.32

(Amount ` in crore)

	2021-22						2020-21					
	Standard	Non-Performing				Total	Standard	Non-Performing				Total
	Total Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total Non-Performing Advances (20-21)		Total Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total Non-Performing Advances (21-22)	
Net NPAs												
Opening Balance		5539.85	6731.28	0	12271.13			7339.04	6933.29	0	14272.33	
Add: Fresh additions during the year					2022.14						7196.53	
Less: Reductions during the year					5444.63						9197.73	
Closing Balance		3539.47	5178.62	130.56	8848.64			5539.85	6731.28	0	12271.13	
Floating Provisions												
Opening Balance						70.76						70.76
Add: Additional provisions made during the year						0						0
Less: Amount drawn down during the year						0						0
Closing balance of floating provisions						70.76						70.76
Technical write-offs and the recoveries made thereon												
Opening balance of Technical / Prudential written-off accounts					30170.05						23370.02	
Add: Technical / Prudential write-offs during the year					7061.85						7531.18	
Less: Recoveries made from previously Technical / prudential written-off accounts during the year					2312.22						731.15	
Closing balance					34919.68						30170.05	

Ratios (in per cent)	31.03.2022	31.03.2021
Gross NPA to Gross Advances	8.47	9.85
Net NPA to Net Advances	2.27	3.37
Provision coverage ratio	87.38	82.12

b. Sector-wise Advances and Gross NPAs

(Amount ` in crore)

Sl. No.	Sector	31.03.2022			31.03.2021		
		Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
i)	**Priority Sector**						
a.	Agriculture and allied activities	87065.57	8759.40	10.06%	78529.90	8737.81	11.13%
b.	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	26752.74	4694.10	17.55%	20662.08	3695.90	17.89%
c.	Services	47795.22	5974.44	12.50%	49519.11	5015.84	10.13%
d.	Personal loans	22022.67	1972.32	8.96%	21147.36	1576.37	7.45%
	Sub-Total (I)	**183636.20**	**21400.26**	**11.65%**	**169858.45**	**19025.92**	**11.20%**
ii)	**Non Priority Sector**						
a.	Agriculture and allied activities	1068.53	150.64	14.10%	203.00	1.93	0.95%
b.	Industry	84098.33	7999.90	9.51%	109110.62	12647.19	11.59%
c.	Services	88801.51	4082.68	4.60%	47889.06	5442.63	11.37%
d.	Personal loans	58020.18	1580.77	2.72%	48945.52	1337.67	2.73%
	Sub-Total (ii)	**231988.55**	**13813.99**	**5.95%**	**220458.50**	**19429.42**	**8.81%**
	Total (i+ii)	**415624.75**	**35214.25**	**8.47%**	**390316.96**	**38455.34**	**9.85%**

c. In accordance with Asset Quality Review (AQR) undertaken by RBI, the Bank has made additional provisions during the year, on certain accounts, as advised by RBI : NIL

d. Overseas Assets, NPAs and Revenue

(Amount ` in crore)

Particulars	31.03.2022	31.03.2021
Total Assets	21674.74	14417.83
Total NPAs	1271.24	1240.56
Total Revenue	307.69	327.25

e. Particulars of resolution plan and restructuring

Impact of RBI Circular No RBI/2018-19/2013 DBR No BP.BC.45/21.04.048/2018-19 dated 07.06.2019 on resolution of stressed assets - Revised framework is as follows:

(Amount ` in crore)

Amount of loans impacted by RBI circular (a)	Amount of loans to be classified as NPA (b)	Amount of loans as on 31.03.2022, out of (b) classified as NPA (c)	Addl. provision required for loans covered under RBI circular (d)	Provision out of (d) already made by 31.03.2022 (e)
16129.57	**16015.05**	**16015.05**	**1643.32**	**1643.32***

* including provision of Rs.737.70 Crore on Non Fund outstanding of the NPA account as on 31.03.2022.

Details of Resolution plans implemented during FY 2021-22 in terms of RBI circular No. DBR No BP.BC.45/21.04.048/2018-19 dated 07.06.2019:

Resolution plan in terms of RBI circular No. DBR No BP.BC.45/21.04.048/2018-19 dated 07.06.2019 has been successfully implemented in NPA account, M/s TCI SANMAR CHEMICAS SAE having outstanding balance of Rs.73.49 Crore as on 31.03.2022.

Resolution period extended in any accounts as provided in para 3 & 4 of RBI circular No.DOR.No.BP.BC.62/21.04.048/2019-20 DATED 17.04.2020: NIL

f. Divergence in asset classification and provisioning

(Amount ` in crore)

Sl.No.	Particulars	Amount
1.	Gross NPAs as on March 31, 2021 as reported by the bank	38455.35
2.	Gross NPAs as on March 31, 2021 as assessed by Reserve Bank of India	38659.35
3.	Divergence in Gross NPAs (2-1)	204.00**
4.	Net NPAs as on March 31, 2021 as reported by the bank	12271.13
5.	Net NPAs as on March 31, 2021 as assessed by Reserve Bank of India	12164.13
6.	Divergence in Net NPAs (5-4)	-107.00
7.	Provisions for NPAs as on March 31, 2021 as reported by the bank	26184.22
8.	Provisions for NPAs as on March 31, 2021 as assessed by Reserve Bank of India	26495.22
9.	Divergence in provisioning (8-7)	311.00
10	Reported Profit before Provisions and Contingencies for the year ended March 31, 2021	11395.65
11.	Reported Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2021	3004.68
12.	Adjusted (notional) Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2021 after considering the divergence in provisioning	2693.68

* March 31, 2021 is the close of the reference period in respect of which divergences were assessed.

** Total divergence in Gross NPA is Rs.290.00 crore out of which Rs.86.00 crore is non funded BG of ILFS transport and network limited for which 100% provision was already made.

g. Disclosure of transfer of loan exposures

In accordance with RBI Circular No DOR.STR.REC.51/21.04.048/2021-22 dated September 24, 2021 the details of loans transferred/ acquired during year ended March 31, 2022 are given below:

i. Details of loans not in default acquired:

Particular	RBD	RETAIL	MSME
Mode of Acquisition	Direct Assignment	Direct Assignment	Direct Assignment
Aggregate Principal outstanding of loans acquired (Rs. in Crore)	465.69	2230.60	1566.25
Weighted Average Residual Maturity (in years)	2	11.47	4.50
Weighted Average Holding Period by originator (in years)	0.25	0.51	0.49
Retention of beneficial economic interest by the originator (%)	10%	10%	10%
Tangible Security Coverage (%)	110%	110%	114%
Rating Wise Distribution of loans acquired by value	A Rated Accounts	AA Rs. 399.27 Cr AA- Rs. 1721.30 Cr A+ Rs. 110.03 Cr	AA(+/-): Rs. 1327.10 Cr A(+/-): Rs. 239.15 Cr

ii. Details of loans not in default transferred: NIL

iii. Details of stressed loan transferred:

(Amount ` in Crore except number of accounts)

Details of Stressed loans (NPA Accounts) transferred during the period of 01.04.2021 to 31.03.2022			
Particular	**To ARCs**	**To permitted transferees**	**To other transferees**
No. of Accounts	2	1	NIL
Aggregate principal outstanding loans transferred	309.86	10.09	
Weighted average residual tenor of the loans transferred	40 Months	NIL	
Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	9.33	0.00	
Aggregate Consideration	101.53	2.80	
Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	0.00	0.00	

iv. Details of loans acquired during the year:

(Amount ` in crore)

Particulars	**From SCBs, RRBs, UCBs, StCBs, DCCBs, AIFIs, SFBs and NBFCs including Housing Finance Companies (HFCs)**	**From ARCs**
Aggregate principal outstanding of loans acquired	NIL	
Aggregate consideration paid		
Weighted average residual tenor of loans acquired		

The Bank has reversed the amount of Rs.95 Cr of excess provision to the profit and loss account on account of sale of stressed loans during the FY 2021-22.

v. The distribution of Security Receipts (SRs) held by the Bank across the various categories of Recovery Ratings assigned to such SRs by the Credit Rating Agencies as on 31.03.2022 is given as under:

(Amount ` in crore)

Recovery Rating	**Book Value**
RR1+ (More than 150%)	2.39
RR1 (100%-150%)	777.65
RR2 (75%-100%)	424.23
RR3 (50%-75%)	289.98
RR4 (25%-50%)	636.33
RR5 (0%-25%)	1023.04
SRs - Rating Exempted during planning period	57.36
TOTAL	**3210.98**

The bank is holding 100% provisions, inclusive of hived-off provision.

h. Details of financial assets sold to Asset Reconstruction Companies (ARCs)

(Amount ` IIn Crore except number of accounts)

Particulars	2021-22	2020-21
(I) No. of Accounts	3	709
(ii) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	9.33	11.35
(iii) Aggregate consideration	104.33	48.84
(iv) Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	37.40	1.96
(v) Aggregate gain/ loss over net book value	95.00	39.45

i. Fraud accounts

(Amount ` in Crore)

Particulars	2021-22	2020-21
Number of frauds reported	211	219
Amount involved in fraud (` crore)	2036.71	3759.68
Amount of provision made for such frauds (` crore)	1780.77	3759.60
Amount of Unamortised provision debited from 'other reserves' as at the end of the year. (` crore)	0.00	0.00

* Bank carries the provision of Rs.1780.77 crore against fraud cases after taking into account recoveries made.

j. MSME DISCLOSURE

Based on RBI Circular DBR No.BP.BC 18/21.04.048/2018-19 dated January 1, 2019 and BP.BC.34/21.04.048/2019-20 dated 11.02.2020 the Bank has restructured MSME accounts as detailed below:

Details	No. of accounts	Balance outstanding in these accounts as on 31.03.2022 (Amount ` in Crore)
Accounts restructured O/s	45419	2875
Of which, slipped to NPA	26333	1364
Net Standard advances	19086	1511

k. Disclosure under Resolution Framework for COVID-19-related Stress

Details of resolution plan implemented under the resolution framework for covid-19 related stress as per RBI Circulars dated August 6, 2020 and dated May 5, 2021 are given below

(Amount ` in crore)

Type of borrower	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan- Position 30.09.2021 (A)	Of (A), aggregate debt that slipped into NPA during the half- year ended 31.03.2022	Of (A) amount written off during the half-year ended 31.03.2022	Of (A) amount paid by the borrowers during the half- year ended 31.03.2022	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan - Position as at 31.03.2022
Personal Loans	7999	188	0	266	7831
Corporate persons*	5665	1020	0	860	4680
Of which MSMEs	2587	169	0	220	3068
Others	5557	314	0	316	5911
Total	19221	1523	0	1442	18422

**As defined in section 3(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016*

l. Covid Measures:

The spread of COVID-19 across the globe has resulted in declined economic activity and increased volatility in financial markets. In this situation, though the challenges continue to unfold, the Bank is gearing itself on all fronts to meet the same. The situation continues to be uncertain and the Bank is evaluating the situation on an ongoing basis. The extent to which the COVID-19 pandemic will impact the Bank's results will depend on future developments, which are highly uncertain. Major challenges for the Bank would be from extended working capital cycle and reduced cash flows. The Bank's capital and liquidity position is strong and would continue to be the focus area for the Bank during this period.

5. Exposures

a. Exposure to Real Estate Sector

(Amount ` in crore)

Category	31.03.2022	31.03.2021
i) Direct exposure		
a) Residential Mortgages -		
Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented.	42042.63	39600.06
Out of which individual housing loans eligible for being included under priority sector.	19141.34	17181.98
b) Commercial Real Estate -		
Lending secured by mortgages on commercial real estate (office buildings, retail space, multipurpose commercial premises, multifamily residential buildings, multi tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.). Exposure would also include non-fund based (NFB) limits;	8351.70	7932.84
c) Investments in Mortgage-Backed Securities (MBS) and other securitized exposures -		
I. Residential	NIL	NIL
ii. Commercial Real Estate	NIL	NIL
ii) Indirect Exposure		
Fund based and non-fund-based exposures on National Housing Bank and Housing Finance Companies.	24353.80	23729.22
Total Exposure to Real Estate Sector	**74748.13**	**71262.12**

b. Exposure to Capital Market

(Amount ` in crore)

Particulars	31.03.2022	31.03.2021
I) Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	2140.16	1975.47
ii) Advances against shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs / ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity oriented mutual funds;	29.17	54.93
iii) Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	NIL	15.16
iv) Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares / convertible bonds / convertible debentures / units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	NIL	NIL

(Amount ` in crore)

	Particulars	Current Year	Previous Year
v)	Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	317.75	121.50
vi)	Loans sanctioned to corporates against the security of shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	NIL	NIL
vii)	Bridge loans to companies against expected equity flows / issues;	NIL	NIL
viii)	Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	NIL	NIL
ix)	Financing to stockbrokers for margin trading;	NIL	NIL
x)	All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	171.03	82.23
	Total exposure to capital market	**2658.11**	**2249.29**

c. Risk Category-wise Country Exposure

(Amount ` in crore)

Risk Rating	Risk category**	Exposure (Net) as at 31.03.2022	Provision held as at 31.03.2022	Exposure (Net) as at 31.03.2021	Provision held as at 31.03.2021
A1	Insignificant	16,236.81	7.51	10,888.46	–
A2	Low	7,738.52	--	4,706.67	–
B1	Moderately Low	19.73	--	3,085.07	–
B2	Moderate	117.11	--	--	–
C1	Moderately High	995.18	--	--	–
C2	High	0.63	--	--	–
D	Restricted	--	--	--	–
	Off-credit	--	--	--	–
		25,107.98	**7.51**	**18,680.20**	**--**

** As per the updated country risk classification by the ECGC as of 31.03.2022

COUNTRY RISK MANAGEMENT:

The Bank has analysed its net funded exposure to various countries as on 31.03.2022 and such exposure to countries other than Singapore is well within the stipulation of 1% of the total assets of the Bank.

In respect of Singapore, which is classified under “Insignificant” risk category (A1) by ECGC Ltd, a provision of Rs.7.51 Crores (Previous year Nil for 'Insignificant' risk category) is available.

d. Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL), if any, exceeded by the Bank

(Amount ` in crore)

Borrower Name	Additional Exposure	Total Highest Exposure	Percentage of additional exposure	Percentage of Total Exposure
----------	----------	NIL	----------	----------

e. Letter of comfort issued by the Bank:

During the year ended 31.03.2022 branches in India have not issued any letter of comfort for financing of imports. Outstanding as on 31.03.2022is NIL. Hence no financial impact on outstanding LOC/LOU

During the year ended 31.03.2022, Letter of Comfort issued by our foreign branches (Singapore, Sri Lankan Branches and GIFT City) is NIL and Outstanding as on 31.03.2022 is NIL

In view of the Letter of Responsibility given by the Bank to the Monetary Authority of Singapore, the Bank continues to maintain deposits from FCNR (B) resources to the extent of USD 43.00 Mio (equivalent to INR 325.90 crore) with Singapore Branch to meet the minimum Net Adjusted Capital funds requirement of the Branch.

Bank has issued LOU for Sri Lankan branches favouring Central Bank of Sri Lanka (CBSL) as per the mandatory requirement of CBSL. Bank does not anticipate any financial impact in immediate near future on account of LOU issued.

Bank has issued LOC for our IBU/ FBU in IFSC, SEZ Gift City, Gujarat Favouring International Financial Service Centres Authority (IFSCA) as per the mandatory requirement of IFSCA. Bank does not anticipate any financial impact in immediate near future on Account of LOC issued. This has been issued in the month of February 2022.

f. Unsecured advances (Amount ` in Crore)

Particulars	2021-22	2020-21
Total unsecured advances of the bank	26610.06	18991.85
Out of the above, amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority, etc. have been taken	NIL	NIL
Estimated value of such intangible securities	NIL	NIL

g. Factoring exposures

Factoring exposures: NIL

h. Intra-group exposures (Amount ` in Crore)

Sl.No.	Particulars	2021-22	2020-21
1	Total Amount of intra group exposures	901.85	1030.85
2	Total Amount of top 20 intra group exposures	901.85	1030.85
3	Percentage of intra group exposures to total exposure of the bank on borrowers / customers	0.16%	0.19%
4	Details of breach of limit on intra group exposures and regulatory action thereon, if any	NIL	NIL

i. Unhedged foreign currency exposure

The Bank has in place a policy on managing credit risk arising out of unhedged foreign currency exposures of its borrowers. Where there is no natural hedge, forward cover is suggested to customers in respect of import/export transactions. The forward cover will act as Unhedged risk mitigation on exchange risk. While sanctioning the facilities, bank is ensuring that all the exposures (fund based and non fund based including Letter of Comfort / Letter of Undertaking) in foreign currencies are covered by forward cover. Request for considering waiver of forward cover if any is considered only at corporate office level. While reviewing the borrowal accounts hedged and unhedged exposure are captured and impact is analyzed in credit proposals.

The Bank has provided a provision of ` 3.88 Crore and Capital of ` 16.56 Crore for the year ended 31st March 2022 on Unhedged Foreign Currency Exposure to their constituents in terms of RBI Circular dated January 15, 2014.

6. Concentration of deposits, advances, exposures and NPAs

a) Concentration of Deposits (Amount ` in Crore)

Particulars	2021-22	2020-21
Total Deposits of twenty largest depositors (domestic only)	39721.71	33601.39
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to total Deposits of the Bank	6.80 %	6.34%

b) Concentration of advances (Amount ` in Crore)

Particulars	2021-22	2020-21
Total advances to the twenty largest borrowers	51586.08	52342.04
Percentage of advances to twenty largest borrowers to total advances of the bank	12.41%	13.41%

* Advances shall be computed based on credit exposure i.e Funded and non-funded limit including derivative exposure where applicable. The sanctioned limits or outstanding, whichever are higher, shall be reckoned. However, in the case of fully drawn term loans, where there is no scope for re-drawal of any portion of the sanctioned limit, Bank may reckon the outstanding as the credit exposure.

c) Concentration of exposures (Amount ` in Crore)

Particulars	2021-22	2020-21
Total exposure to the twenty largest borrowers/customers	68900.08	68813.87
Percentage of exposures to the twenty largest borrowers / customers to the total exposure of the bank on borrowers / customers	11.86%	12.51%

d) Concentration of NPAs (Amount ` in Crore)

Particulars	31.03.2022	31.03.2021
Total Exposures to the Top Twenty Accounts	6587.36	7987.90
Percentage of exposures to the Twenty largest NPA exposures to the total Gross NPAs	18.71%	20.77%

7. DERIVATIVES

a) Forward Rate Agreements / Interest Rate Swaps

The Bank has not entered into Derivative contracts of the nature of Forward Rate Agreements / Interest Rate Swaps (IRS) to hedge on balance sheet assets during the financial year 2021-2022. (Amount ` in Crore)

Items	2021-22	2020-21
i) The notional Principal of Swap agreement	0.00	0.00
ii) Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreement.	NIL	NIL
iii) Collateral required by the bank upon entering into swaps	NIL	NIL
iv) Concentration of Credit Risk arising from the swaps	0.00	0.00
v) The fair value of swap book	0.00	0.00

b) Exchange traded interest rate derivatives

The Bank has not contracted any exchange traded interest derivatives during the current year and in the previous year.

(Amount ` in Crore)

Sl.No.	Particulars	2021-22	2020-21
i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise)	NIL	NIL
ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March 2022 (instrument-wise)	NIL	NIL
iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not “highly effective” (instrument-wise)	NIL	NIL
iv)	Mark-to-Market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not “highly effective”: (instrument-wise)	NIL	NIL

c) Disclosures on Risk Exposure in Derivatives

i) Qualitative Disclosures:

Bank's policy permits hedging of asset as well as liability using IRS. The hedging transactions are to be accounted on an accrual basis. Swaps, which hedge interest bearing asset / liability, are accounted for as the asset or liability hedged. Outstanding swap contracts are marked to market.

All swap deals shall be based on the guidelines of International Swaps Dealers' Association. Bank has adequate control systems and also internal approvals prior to concluding transactions. There exists a clear functional segregation between (i) trading (Dealing) (ii) back office (settlement, monitoring and control) and (iii) accounting sections.

In the derivatives segment, the bank's policy permits doing proprietary trading in Overnight Index Swaps (OIS). The activities in this segment are governed by the Derivatives Policy approved by the Bank's Board.

The gain or loss in OIS transactions is booked in the Profit and Loss account on the maturity or unwinding of the deal whichever is earlier. For the purpose of valuation of outstanding OIS deals, the fair value of the total swap is computed on the basis of the amount that would be receivable or payable on termination of the swap as on the balance sheet date. Losses arising there from, if any, are fully provided for while the profits, if any, are ignored.

Exchange traded FX Derivatives i.e. Currency Futures, are valued at the Exchange determined prices and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss account.

ii) Quantitative disclosures

The Bank is active in the following products under derivatives:-

- Currency Futures

Outstanding position in Currency futures as on 31.03.2022 is ` NIL and previous year was ` Nil.

(Amount ` in crore)

Sl. No.	Particulars	31.03.2022		31.03.2021	
		Currency Derivatives	Interest Rate Derivatives	Currency Derivatives	Interest Rate Derivatives
a)	Derivatives (Notional Principal Amount)				
	I) For hedging	0.00	0.00	0.00	0.00
	ii) For trading	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	Marked to Market Positions				
	I) Asset (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
	ii) Liability (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	Credit Exposure	0.00	0.00	0.00	0.00
d)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)				
	I) on hedging derivatives	0.00	0.00	0.00	0.00
	ii) on trading derivatives	0.00	0.00	0.00	0.00
e)	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year				
	I) on hedging	0.00	0.00	0.00	0.00
	ii) on trading	0.00	0.00	0.00	0.00

d) Credit default swaps: NIL

8.Disclosures relating to securitisation (Number / Amount In ` Crore)

Sl.No.	Particulars	2021-22	2020-21
1	No of SPEs holding assets for securitisation transactions originated by the originator (only the SPVs relating to outstanding securitization exposures to be reported here)	NIL	NIL
2	Total amount of securitised assets as per books of the SPEs	NIL	NIL
3	Total amount of exposures retained by the originator to comply with MRR as on the date of balance sheet a) Off-balance sheet exposures ❍ First loss ❍ Others b) On-balance sheet exposures ❍ First loss ❍ Others	NIL NIL NIL	NIL NIL NIL
4	Amount of exposures to securitisation transactions other than MRR a) Off-balance sheet exposures I) Exposure to own securitisations ❍ First loss ❍ Others ii) Exposure to third party securitisations ❍ First loss ❍ Others b) On-balance sheet exposures I) Exposure to own securitisations ❍ First loss ❍ Others ii) Exposure to third party securitisations ❍ First loss ❍ Others	NIL NIL NIL	NIL NIL NIL
5	Sale consideration received for the securitised assets and gain/loss on sale on account of securitisation	NIL	NIL
6	Form and quantum (outstanding value) of services provided by way of, liquidity support, post-securitisation asset servicing, etc.	NIL	NIL
7	Performance of facility provided. Please provide separately for each facility viz. Credit enhancement, liquidity support, servicing agent etc. Mention percent in bracket as of total value of facility provided. (a) Amount paid (b) Repayment received (c) Outstanding amount	 NIL	 NIL
8	Average default rate of portfolios observed in the past. Please provide breakup separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans	NIL	NIL
9	Amount and number of additional/top up loan given on same underlying asset. Please provide breakup separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans, etc.	NIL	NIL
10	Investor complaints (a) Directly/Indirectly received and; (b) Complaints outstanding	 NIL	 NIL

9. Off-balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

Name of the SPV sponsored	
Domestic	**Overseas**
NIL	NIL

10. Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEA Fund)

(Amount ` in crore)

Particulars	2021-22	2020-21
1. Opening balance of amounts transferred to DEAF	1973.27	1386.90
2. Add : Amounts transferred to DEAF during the year	265.92	596.89
3. Less : Amounts reimbursed by DEAF towards claims during the year	17.70	10.52
4. Closing balance of amounts transferred to DEAF (1+2-3)	2221.49	1973.27

11. Disclosure of complaints

a) Summary information on complaints received by the bank from customers and from the Offices of Banking Ombudsman (OBOs)

Sl. No.		Particulars	2021-22	2020-21
Complaints received by the Bank from its Customers				
1		Number of complaints pending at the beginning of the year	11834	16804
2		Number of complaints received during the year	254183	321876
3		Number of complaints disposed during the year	264429	326846
	3.1	of which, number of complaints rejected by the Bank	531	351
4		Number of complaints pending at the end of the year	1588	11834
Maintainable complaints received by the Bank from Office of Ombudsman				
5		Number of maintainable complaints received by the Bank from Office of Ombudsman	7204	4896
	5.1	of 5, Number of complaints resolved in favour of the Bank by Office of Ombudsman	6254	4795
	5.2	of 5, Number of complaints resolved through conciliation / mediation / advisories issued by Office of Ombudsman	460	466
	5.3	of 5, Number of complaints resolved after passing of Awards by Office of Ombudsman against the Bank	3	0
6		Number of Awards unimplemented within the stipulated time (other than those appealed)	0	0

Note:- Maintainable complaints refer to complaints on the grounds specifically mentioned in Integrated Ombudsman Scheme, 2021 (Previously Banking Ombudsman Scheme, 2006) and covered within the ambit of the Scheme.

b) Top five grounds of complaints received by the Bank from customers:

Grounds of which complaints (i.e complaints relating to)	Number of complaints pending at the beginning of the year	Number of complaints received during the year	% increase / decrease in the number of complaints received over the previous year	Number of complaints pending at the end of the year	Of 5, number of complaints pending beyond 30 days
1	2	3	4	5	6
Current year					
ATM Debit card	4815	137138	- 2 %	884	0
Internet / Mobile / Electronic Banking	6150	46991	- 62 %	291	0
Account opening / difficulty in operation of the Account	113	3505	+ 118 %	21	0
Loans and Advances	63	3258	- 20 %	18	0
Pension and facilities for Senior Citizens / differently abled	0	1340	+ 224 %	8	0
Others	693	61951	+ 22 %	366	0
Total	**11834**	**254183**	**- 21 %**	**1588**	**0**
Previous Year					
ATM Debit Card	2341	139288	- 55 %	4815	350
Internet / Mobile / Electronic Banking	13637	124969	+ 26 %	6150	2649
Loans and Advances	1	4084	+ 440 %	113	31
Account opening / difficulty in operation of the Account	12	1605	+ 915 %	63	9
Credit Cards	3	1137	+ 19 %	0	0
Others	810	50793		693	209
Total	**16804**	**321876**		**11834**	**3248**

12. Disclosure of penalties imposed by the Reserve Bank of India

During the year RBI has imposed a penalty of Rs.265.44 lacs (163 entries), of which

- Rs.24.41 lacs (149 entries) related to Currency Chest Operations for shortages, forgeries in soiled notes remittances, delayed / wrong reporting in eKuber / Non adherence to RBI Guidelines;
- Rs.6.98 lacs (1 entry) is due to delay in NEFT credits,
- Rs.0.50 lacs (1 entry) due to breach of peer group average on customer complaints related to digital transactions
- Rs.6.70 lacs (8 entries) due to Non Replenishment of ATM
- Rs.100.00 lacs (1 entry) due to Contravention of RBI directions on Bank Finance to NBFC
- Rs.68.37 lacs (1 entry) imposed by NPCI for delay in NACH returns
- Rs.58.48 lacs (2 entries) imposed by NPCI for delay in completion of reconciliation and updation of TCC/DRC entries in NPCI portal

13. Cash Flow Statement (AS 3):

	` in Thousand	
	Year ended 31.03.2022	**Year ended 31.03.2021**
Net Profit as per Profit and Loss Account :	**39448206**	**30046777**
Provision for NPA	84466008	73184606
Provision for Investment	4537502	4276778
Provision for Standard Assets	9615745	4694004
Provision for Tax	(7405871)	(990977)
Other Provisions and Contingencies	(60210)	2745298
Depreciation on Fixed Assets	5974999	6328720
Interest on Capital Instrument	7495868	6439760
Loss/(profit) on sale of land and buildings	(52203)	3919
Dividend income from Subsidiaries and Joint Venture	(12285)	0
Income taxes paid	0	0
Profit before working Capital Changes	**144007759**	**126728885**
Increase/Decrease in Operating Assets		
(Increase) / Decrease in Investments	15246280	(150563787)
(Increase) / Decrease in advances	(349673681)	(302528578)
(Increase) / Decrease in other assets	50561956	(20832693)
	(283865445)	**(473925058)**
Increase/Decrease in Operating Liabilities		
Increase / (Decrease) in Deposits	555466988	495212542
Increase/ (Decrease) in Borrowings (other than Capital Instruments)	(69900227)	(67892203)
Increase/ (Decrease) in other liabilities	(58387950)	92163643
	427178811	**519483982**
Net cash generated from operations (A)	**287321125**	**172287809**
Cash flow from investing activities		
Dividend income from Subsidiaries and Joint Venture	12285	0
Purchase of fixed assets	(3184083)	(5586490)
Sale of fixed assets	182100	154985
Net cash generated from Investing Activities (B)	**(2989698)**	**(5431505)**
Cash flow from Financing activities		
Payment of dividend	(2490882)	0
Issue of AT-1 Bonds	0	20000000
Issue of Tier - 2 Bonds	0	20000000
Redemption of AT 1 Bonds	0	(5000000)
Redemption of Tier 2 Bonds	(6000000)	(10000000)
Interest on Capital Instrument	(7824750)	(6319416)
Equity Capital Issued during the period (incl. Share premium)	16499999	0
Amount paid to e-AB Shareholder (for fraction part)	0	(25076)
Net cash generated from financing activities (C)	**184367**	**18655508**
Cash & Cash equivalents received on account of amalgamation (D)	0	217503795

Net increase/(Decrease) in cash & cash equivalents (A)+(B)+(C)+(D)	**284515794**	**403015607**
Cash and Cash equivalents at the beginning of the year		
Cash in hand (including foreign currency notes)	16582776	10060885
Balances with Reserve Bank of India - in current Account	258868041	47300358
Balances with Banks		
(a) in current Accounts	950844	53506
(b) in other deposit accounts	20464344	7133657
Money at Call and short notice with Banks	89000001	21000001
Balances with Banks outside India		
(a) in current Accounts	15776770	5309257
(b) in other deposit accounts	112708204	20684919
Money at call and short notice	293742	86532
	514644722	**111629115**
Cash & Cash equivalents at the end of the year		
Cash in hand (including foreign currency notes)	19623975	16582776
Balances with Reserve Bank of India - in current Account	220920116	258868041
Balances with Banks		
(a) in current Accounts	61763	950844
(b) in other deposit accounts	13861522	20464344
Money at Call and short notice with Banks	345002006	89000001
Balances with Banks outside India		
(a) in current Accounts	5039797	15776770
(b) in other deposit accounts	194530925	112708204
Money at call and short notice	120412	293742
	799160516	**514644722**
Difference in opening and closing cash and cash equivalents	284515794	403015607

14. Employee Benefits (AS 15)

i. Defined Contribution Plans:

Provident fund is a statutory obligation and in the case of Contributory Provident Fund Optees, the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates. The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss Account. The fund is managed by Indian Bank Staff Provident Fund Trust. During the financial year 2021-22, the Bank has contributed ` 1.14 crores (previous year ` 1.07 crores).

New Pension Scheme (NPS) is applicable to employees who joined bank on or after 01.04.2010 and it is a defined contribution scheme. Under NPS the Bank pays fixed contribution at pre-determined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account. During the financial year 2021-22, the Bank has contributed ? . 255.18 crores (previous year ` 153.31 crores).

ii. Defined Benefit Plans:

The summarized position of Post-employment benefits and long term employee benefits recognised in the Profit & Loss Account and Balance Sheet as required in accordance with Accounting Standard – 15 (Revised) are as under:

The following table sets out the basis of the Defined Benefit Pension Plan and Gratuity Plan as per the actuarial valuation by the independent Actuary appointed by the Bank

PRINCIPAL ACTUARIAL ASSUMPTIONS [Expressed as weighted averages]	31/03/2022	31/03/2021
Discount Rate -G-Sec Rate	7.27% for Pension and Gratuity - 15 year G-Sec Paper	6.87% for Pension – 15 year G-Sec Paper 6.44% for Gratuity – 10 year G-Sec Paper
Salary escalation rate	6.00% (includes 0.50% for wage revision)	6.00% (includes 0.50% for wage revision)
Attrition rate	1.00% for Pension and 2.00% for Service Employees	1.00% for Pension and 2.00% for Service Employees
Expected rate of return on Plan Assets *	7.62% for Pension and 7.67% for Gratuity	6.89% for Pension and 6.86% for Gratuity
Method used	Projected Unit Credit (PUC) actuarial Method	Projected Unit Credit (PUC) actuarial Method

* Expected Rate of return on Plan Assets not applicable for Leave encashment.

The estimates of future salary increases are considered taking into account inflation, seniority, promotion and other relevant factors, such as supply and demand in the employment market and in tandem with Funding Guidelines for Superannuation Schemes communicated by IBA. Such estimates are very long term and are not based on limited past experience / immediate future. Empirical evidence also suggests that in very long term, consistent high salary growth rates are not possible.

The liabilities of leave encashment are unfunded.

(Amount ` in crore)

II. CHANGES IN THE PRESENT VALUE OF THE OBLIGATION (PVO) - RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:	Pension Fund		Gratuity		Leave Encashment	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
PVO as at t PVO as at the beginning of the year he beginning of the year	15319.48	13995.78	1848.22	1868.46	977.42	826.09
Interest Cost	1047.85	914.67	110.19	120.53	59.12	53.97
Current service cost	250.19	229.80	69.21	105.33	175.72	174.38
Past service cost – recognised / vested benefits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Past service cost – unrecognised / non-vested benefits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Benefits paid	-1812.10	-1363.65	-274.20	-223.04	-284.86	-69.40
Actuarial loss/ (gain) on obligation	1741.31	1542.88	30.26	-23.06	77.35	-7.62
PVO as at the end of the year	**16546.73**	**15319.48**	**1783.68**	**1848.22**	**1004.75**	**977.42**

(Amount ` in crore)

III. CHANGES IN THE FAIR VALUE OF PLAN ASSETS - RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:	Pension Fund		Gratuity Fund		Leave Encashment	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
Fair value of plan assets as at the beginning of the year	14961.61	13918.80	1897.26	1929.03	0.00	0.00
Expected return on plan assets	1132.00	1104.42	136.42	126.42	0.00	0.00
Contributions	1599.55	1495.93	36.86	50.70	284.86	215.94
Benefits paid	-1812.10	-1363.65	-274.20	-223.04	-284.86	-215.94
Actuarial gain/(loss) on plan assets	12.57	-193.89	6.41	14.15	0.00	0.00
Fair value of plan assets as at the end of the year	**15893.63**	**14961.61**	**1802.75**	**1897.26**	**0.00**	**0.00**

(Amount ` in crore)

IV. ACTUAL RETURN ON PLAN ASSETS	Pension Fund		Gratuity		Leave Encashment	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
Expected return on plan assets	1132.00	1104.42	136.42	126.42	0.00	0.00
Actuarial gain / (loss) on plan assets	12.57	-193.89	6.41	14.15	0.00	0.00
Actual return on plan assets	**1144.57**	**910.53**	**142.83**	**140.57**	**0.00**	**0.00**

(Amount ` in crore)

V. ACTUARIAL GAIN / LOSS RECOGNISED	Pension Fund		Gratuity		Leave Encashment	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
Actuarial gain / (loss) for the year - Obligation	-1741.31	-1542.88	-30.26	23.06	-77.35	7.62
Actuarial gain / (loss) for the year – due to financial assumption changes in DBO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actuarial gain / (loss) for the year- Plan Assets	12.57	-193.89	6.41	14.15	0.00	0.00
Total gain / (loss) for the year	-1728.74	-1736.77	-23.85	37.21	-77.35	7.62
Actuarial gain / (loss) recognised in the year	-1728.74	-1736.77	-23.85	37.21	-77.35	7.62
Unrecognised actuarial gain / (loss) at the end of the year	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actuarial gain / (loss) for the year - Obligation	**-1728.74**	**-1736.77**	**-23.85**	**37.21**	**-77.35**	**7.62**

(Amount ` in crore)

VI. AMOUNTS RECOGNISED IN THE BALANCE SHEET AND RELATED ANALYSIS	Pension Fund		Gratuity		Leave Encashment	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
Present value of the obligation	16546.73	15319.48	1783.68	1848.22	1004.75	977.42
Fair value of plan assets	15893.63	14961.61	1802.75	1897.26	0	0
Difference - Net (Liability) / Asset recognized in Balance Sheet	-653.10*	-357.87	19.07	49.04	1004.75	977.42
Unrecognised transitional liability	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Unrecognised past service cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Liability recognised in the balance sheet	**-653.10***	**-357.87**	**19.07**	**49.04**	**1004.75**	**977.42**

**Provision on account of change in family pension rules is included*

(Amount ` in crore)

VII. EXPENSES RECOGNISED IN THE STATEMENT OF PROFIT AND LOSS:	Pension Fund		Gratuity		Leave Encashment	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
Current service cost	250.19	229.79	69.21	105.33	175.72	174.38
Interest Cost	1047.85	914.67	110.19	120.53	59.12	53.97
Expected return on plan assets	-1132.00	-1104.42	-136.42	-126.42	0	0
Net actuarial (gain)/loss recognised in the year	1728.74	1736.77	23.85	-37.21	77.35	-7.62
Transitional Liability recognised in the year	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Past service cost - recognised	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Expenses recognised in the statement of profit and loss	**1894.78**	**1776.82**	**66.83**	**62.23**	**312.19**	**220.73**

(Amount ` in crore)

VIII. MOVEMENTS IN THE LIABILITY RECOGNISED IN THE BALANCE SHEET	Pension Fund		Gratuity		Leave Encashment	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
Opening net liability	-357.87	-76.98	49.04	60.57	-977.42	-826.09
Expense as above	-1894.78	-1776.82	-66.83	-62.23	-312.19	-220.73
Contribution paid	1599.55	1495.93	36.86	50.70	284.86	69.40
Closing net liability	**-653.10**	**-357.87**	**19.07**	**49.04**	**-1004.75**	**-977.42**

(Amount ` in crore)

IX. EXPERIENCE ADJUSTMENTS ON PLAN ASSETS/LIABILITIES (ii) Previous Years 2017-22 - Pension	Year Ended					
	31-03-2017	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2022
Present Value of obligation	5925.15	6245.89	6520.32	6801.96	15319.48	16546.73
Plan Assets	5841.36	6146.80	6418.93	6697.41	14961.61	15893.63
Surplus/ (Deficit)	-83.79	-99.09	-101.39	-104.55	-357.87	-653.10
Experience adjustments on plan liabilities- (loss) / gain	-626.82	-704.39	-335.65	-449.25	-1542.88	-1741.31
Experience adjustments on plan assets- (loss) / gain	**27.73**	**10.93**	**-8.58**	**13.32**	**-193.89**	**12.57**

(Amount ` in crore)

IX. EXPERIENCE ADJUSTMENTS ON PLAN ASSETS/LIABILITIES (iii) Previous Years 2017-22 - Gratuity	Year Ended					
	31-03-2017	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2022
Present Value of obligation	900.90	964.99	923.85	928.98	1848.22	1783.68
Plan Assets	876.81	932.55	910.66	896.40	1897.26	1802.75
Surplus/ (Deficit)	-24.09	-32.44	-13.19	-32.58	49.04	19.07
Experience adjustments on plan liabilities- (loss) / gain	-87.34	-36.20	-2.11	-61.22	23.06	107.08
Experience adjustments on plan assets- (loss) / gain	**-1.36**	**22.12**	**-0.38**	**2.71**	**14.15**	**6.41**

(Amount ` in crore)

IX. EXPERIENCE ADJUSTMENTS ON PLAN ASSETS/LIABILITIES (iii) Previous Years 2017-22 - Leave Encashment	Year Ended					
	31-03-2017	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2022
Present Value of obligation	171.21	179.51	188.21	210.29	977.42	1004.75
Plan Assets	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Surplus/ (Deficit)	-171.21	-179.51	-188.21	-210.29	-977.42	-1004.75
Experience adjustments on plan liabilities- (loss) / gain	-3.01	10.18	7.58	17.71	7.62	-77.35
Experience adjustments on plan assets- (loss) / gain	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

X. MAJOR CATEGORIES OF PLAN ASSETS (AS PERCENTAGE OF TOTAL PLAN ASSETS)	2021-2022		2020-2021	
	Pension Fund	Gratuity Fund	Pension Fund	Gratuity Fund
Government of India Securities and State Government Securities	32.38%	23.42%	36.76%	28.00%
High Quality Corporate Bonds /PSU BONDS	13.42%	12.21%	15.64%	12.98%
Special Deposit Scheme	0.06%	0.04%	0.06%	0.00%
Funds managed by Insurer	53.98%	64.11%	47.21%	58.60%
Private Sector Bonds	0.16%	0.22%	0.33%	0.42%
Money Market			-	-
Total	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**

(Amount ` in crore)

XI. CONTRIBUTION DURING NEXT YEAR	Pension Fund	Gratuity Fund	Earned Leave
Enterprises best estimate of contribution during next year	1300	50	300

iii. Other Long Term Employee Benefits

Amount of ` 48.43 crore (previous year ` 50.12 crore) has been provided towards Long Term Employee Benefits as per the actuarial valuation by the independent Actuary appointed by the Bank and is included under the head "Payments to and Provisions for Employees" in Profit and Loss Account.

Details of additional Provisions made / (written back) for various long Term Employee Benefits during the year.

(Amount ` in crore)

No.	Long Term Employee Benefits	31/03/2022	31/03/2021
1.	Sick Leave	1.84	15.28
2.	Casual Leave	0.09	0.16
3.	Leave Travel Concession	46.50	34.68
	Total	**48.43**	**50.12**

(Amount ` in crore)

No.	Long Term Employee Benefits	Opening Balance 01.04.2021	Expenditure 2021-22	Addition 2021-22	Closing Balance 31.03.2022
1	Sick Leave	22.66	3.04	4.87	24.49
2	Casual Leave	0.87	0.38	0.48	0.97
3	Leave Travel Concession	69.92	32.75	46.50	83.67
Total		**93.45**	**36.17**	**51.85**	**109.13**

Note: Disclosures included are limited to the extent of information provided by the Actuary.

The Bank has provided for the entire additional liability of Rs.464.59 Crore during the year ended 31.03.2022, on account of revision in family pension for employees covered under XI Bi-partite settlement and Joint note dated November 11th 2020. There is no unamortized expenditure in the balance sheet on account of family pension.

15. Property, Plant and Equipment (AS-10)

Fixed Assets

1.1. The premises of the Bank include land and building are stated at revalued amount. The Bank revalued its premises in the financial year 2021-22 as on 28.02.2022 at fair market value determined by the approved external valuers. There is an increase of Rs.599.48 Crore in the amount of revaluation of premises, which has been credited to "Revaluation Reserve Account". For the year 2021-22, depreciation amounting to Rs.147.27 crores (Previous Year Rs.149.63 crore) was charged under expenditure and depreciation on revalued portion amounting to Rs.143.42 Crore (previous year Rs.142.87 crore) is adjusted against the "Revaluation Reserve account.

1.2. Registration formalities are yet to be completed for the following properties: -

Premises include 9 (7+2*) properties Original costing ? .8.38 Crore (Previous year – 9 (7+2*) Properties costing Rs. 8.38 Crore), having original / revalued book value of Rs. 66.74 Crore (Previous year – Rs. 59.74 Crore), net of depreciation at Rs. 1.46 Crore (Previous year – Rs. 1.40 Crore) for which registration formalities are pending.

* Property at Hyderabad costing Rs.1.61 Crore, where clearance is pending before ULC authority and at Chennai Costing Rs.2.32 Crore, where interim stay has been granted by DRAT.

16. Lease (AS 19)

A) The properties taken on lease / rental basis are renewable / cancellable at the option of the Bank.

B) The leases entered into by the Bank are for agreed period with an option to terminate the leases even during the currency of lease period by giving agreed calendar month notice in writing.

C) Lease rent paid for operating leases are recognized as an expense in the Profit & Loss account in the year to which it relates. The lease rent recognized during the year is Rs.417.00 Crore. (Previous year Rs. 440.41 Cr).

D) Finance lease

An asset acquired on finance lease comprises plant and equipment and land. The leases have a primary period, which is fixed and non-cancellable. The bank has an option to renew the lease for a secondary period.

The minimum lease rentals and the present value of minimum lease payments in respect of assets acquired under finance leases are as follows:

Particulars	Minimum lease payments		Present value of minimum lease payments	
	As at 31st March 2022	As at 31st March 2021	As at 31st March 2022	As at 31st March 2021
Payable not later than 1 Year	0	0	0	0
Payable later than 1 year and not later than 5years	0	0	0	0
Payable later than 5 Years	0	0	0	0
Total	0	0	0	0
Less: Future finance charges				
Present value of minimum lease payments	0	0	0	0

17. Indian Bank Trust for Rural Development

Indian Bank Trust for Rural Development (IBTRD) has been set up by the Bank on 22.09.2008 to exclusively focus on rural development and accomplish better results by coordinating with various other players / agencies who are also engaged in the development of rural areas and erstwhile Allahabad Bank has Allahabad Bank Rural Development Trust (ABRDT) for the same purpose.

As per GoI notification, erstwhile Allahabad Bank has been amalgamated with Indian Bank w.e.f. 01.04.2020.

The Trust accounts of both IBTRD and ABRDT are duly audited by qualified Chartered Accountants. The process of amalgamation of Indian Bank Trust for Rural Development (IBTRD) and Allahabad Bank Rural Development Trust (ABRDT) is under progress and all the assets and liabilities of ABTRD will be transferred to IBTRD.

Currently, IBTRD is running a total of 37 Rural Self-Employment Training Institutes (RSETIs), 42 Financial Literacy Centres (FLCs) and 59 Centres for Financial Literacy (CFLs) with pan-India presence.

The books of account of the Trust are being subjected to audit, independently by the Chartered Accountants appointed by the Trust.

PROVISIONAL INCOME AND EXPENDITURE OF IBTRD FOR THE YEAR 2021-2022

(Amount ` in crore)

Details of Receipts	
Contributions received from Bank	5.00
Building Fund received from Bank	0.00
Opening Balance in the Trust account (including ABRDT)	3.17
Bank interest earned	0.11
Training Cost reimbursement received from various agencies	4.91
Credit back of funds lying as balance in FLC accounts due to account closure and transfer back of excess balance	0.00
Total Income	13.19
Details of Expenditure	
Expenditure incurred during the year	10.10
Excess of receipts over payments	3.09
Closing Balance:	
Bank Balance as on 31.03.2022 (including ABRDT)	3.09
Fixed Deposits	11.40
Of which	
Corpus Fund	8.60
Building Fund	2.80

18. Legal

Contingent liabilities include an A/c M/s Nimbus Communication Ltd., Guarantees were issued by Consortium Banks favouring BCCI. BCCI filed suit against Consortium Banks claiming guarantee liability. In the suit, conditional leave to defend was granted on making payment of ` 400 crores, wherein our Bank share is ` 100 crore. Remittance of our Bank's share of ` 100 crore was made with the Prothonotary and Senior Master of the Hon'ble High Court of Bombay. The summary suit is pending adjudication before Hon'ble High Court of Bombay.

For this claim against the Bank by BCCI, Bank is having a sum of ` 32.44 Crore as provision under the head 'Provision for Other Contingencies' and a sum of ` 15.32 Crore as provision under the head 'Contingent Fund – Claim made against the bank', total provision aggregating to `47.76 Crore, after taking into consideration a sum of ` 80.22 crore held as security – margin money as on 31.03.2022.

19. Accounting standard-17 "Segment Reporting"

a. Segment Identification

I. Primary (Business Segment)

The following are the primary segments of the Bank:-

- Treasury
- Corporate / Wholesale Banking
- Retail Banking
- Other Banking Business.

The present accounting and information system of the Bank does not support capturing and extraction of the data in respect of the above segments separately. However, based on the present internal, organisational and management reporting structure and the nature of their risk and returns, the data on the primary segments have been computed as under:

i. Treasury -

The Treasury Segment includes the entire investment portfolio and trading in foreign exchange contracts and derivative contracts. The revenue of the treasury segment primarily consists of fees and gains or losses from trading operations and interest income on the investment portfolio.

ii. Corporate / Wholesale Banking

The Corporate / Wholesale Banking segment comprises the lending activities of Corporate Accounts Group, Commercial Clients Group and Stressed Assets Resolution Group. These include providing loans and transaction services to corporate and institutional clients and further include non-treasury operations of foreign offices.

iii. Retail Banking –

The Retail Banking Segment comprises of retail branches, which primarily includes Personal Banking activities including lending activities to corporate customers having banking relations with these branches. This segment also includes agency business and ATMs.

iv. Other Banking business -

Segments not classified under (i) to (iii) above are classified under this primary segment.

II. Secondary (Geographical Segment)

i. Domestic Operations - Branches/Offices having operations in India

ii. Foreign Operations - Branches/Offices having operations outside India and offshore Banking units having operations in India.

III. Allocation of Expenses, Assets and Liabilities

Expenses incurred at Corporate Centre establishments directly attributable either to Corporate / Wholesale and Retail Banking Operations or to Treasury Operations segment, are allocated accordingly. Expenses not directly attributable are allocated on the basis of the ratio of segment assets in each segment/ratio of directly attributable expenses. The Bank has certain common assets and liabilities, which cannot be attributed to any segment, and the same are treated as unallocated.

b. Segment information

Part-A: Primary (Business Segment)

(Amount ` in crore)

Business Segments	Treasury		Corporate/ Wholesale Banking		Retail Banking		Other Banking operations		Total	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
Revenue	13 767.26	13 573.27	16 082.40	17 708.42	15 415.12	13 021.62	506.89	452.66	45 771.67	44 755.97
Result	6 355.67	5 775.50	3 079.29	2 843.03	2 938.78	2 084.26	343.16	263.79	12 716.90	10 966.58
Unallocated expenses									9 512.67	8 061.00
Operating Profit									3 204.23	2 905.58
Other unallocable income									0.00	0.00
Income Taxes									(740.59)	(99.10)
Exceptional Item									0.00	0.00
Net Profit									3 944.82	3 004.68
Other information										
Segment Assets	2 40 001.83	2 09 281.25	2 15 377.81	2 33 418.56	2 06 008.16	1 71 257.10	0.00	0.00	6 61 387.80	6 13 956.91
Unallocated assets									10 280.25	9 469.75
Total assets									6 71 668.05	6 23 426.66
Segment Liabilities	2 24 383.64	1 96 386.55	2 01 362.03	2 19 036.66	1 92 602.11	1 60 705.23	0.00	0.00	6 18 347.78	5 76 128.44
Unallocated liabilities									9 611.47	8 886.28
Capital, Reserves & Surplus									43 708.80	38 411.94
Total liabilities									6 71 668.05	6 23 426.66

Part B Geographic Segments

	Domestic		International		Total	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
Revenue	45 463.98	44 428.72	307.69	327.25	45 771.67	44 755.97
Assets	6 49 993.31	6 09 008.83	21 674.74	14 417.83	6 71 668.05	6 23 426.66

Previous year figures were re-grouped wherever necessary

20. RELATED PARTY DISCLOSURES (AS 18)

Names of the Related Parties and their relationship with the Bank :

a) Subsidiaries :

i. Ind Bank Housing Ltd.

ii. Indbank Merchant Banking Services Ltd.

b) Associates : (Regional Rural Banks)

i) Tamilnadu Grama Bank

ii) Saptagiri Grameena Bank

iii) Puduvai Bharathiar Grama Bank

c) Joint Ventures:

i) Universal Sampo General Insurance Company Ltd

ii) ASREC (India) Ltd

d) Key Managerial Personnel:

Name	Designation	Date of Appointment	Date of Cessation
Ms. Padmaja Chunduru	Ex. Managing Director & Chief Executive Officer	21.09.2018	01.09.2021
Shri Shanti Lal Jain	Managing Director & Chief Executive Officer	01.09.2021	
Shri Shenoy Vishwanath V.	Executive Director	01.12.2018	01.04.2022
Shri K. Ramachandran	Ex. Executive Director	01.04.2020	01.07.2021
Shri Imran Amin Siddiqui	Executive Director	10.03.2021	
Shri Ashwani Kumar	Executive Director	21.10.2021	

d) Shareholding of non-executive Directors:

Sl.No.	Name	Designation	No. of Shares held
1	Dr. Bharath Krishna Sankar	Shareholder Director	300
2	Ms. Papia Sengupta	Shareholder Director	200

Related Party transactions are as under:

Remuneration paid to key Management personnel during the Year ` 172.37 lakhs (Previous - Year ` 102.52 Lakhs)

Details	2021-2022	2020-2021
Ms. Padmaja Chunduru, Ex-MD & CEO Salary & Emoluments Paid (01.04.2021 to 31.08.2021)	` 40.30 lakhs	` 30.46 lakhs
Shri Shanti Lal Jain MD& CEO Salary & Emoluments Paid (01.09.2021 to 31.03.2022)	` 20.27 lakhs	–
Shri M K Bhattacharaya, Ex. Executive Director Salary & Emoluments Paid (01.04.2020 to 30.11.2020)	-	`18.16 lakhs
Shri Shenoy Vishwanath V., Executive Director Salary & Emoluments Paid (01.04.2021 to 31.03.2022)	` 32.76 lakhs	` 26.22 lakhs
Shri K. Ramachandran, Ex-Executive Director Salary & Emoluments Paid (01.04.2021 to 30.06.2021)	` 30.19 lakhs	` 26.21 lakhs
Shri Imran Amin Siddiqui, Executive Director Salary & Emoluments Paid (01.04.2021 to 31.03.2022)	` 30.00 lakhs	` 1.47 lakhs
Shri Ashwani Kumar, Executive Director Salary & Emoluments Paid (01.10.2021 to 31.03.2022)	` 18.85 lakhs*	--

*Including House Rent Allowance of Rs. 5.11 lakh.

Other disclosures pertaining to related parties are as under

(Amount ` in lakhs)

Items/Related Party	Parent (as per ownership or control)	Joint ventures	Total
Rendering of services	1528.82*	26.16	1528.82*
Receiving of services	26.16	1528.82*	26.16

*Includes commission income of Rs.1384.52 lakhs from Bank's JV, Universal Sompo General Insurance Co.Ltd., pertaining to Insurance policies of Indian Bank.

No disclosure is required in respect of related parties, which are "State-controlled Enterprises" as per paragraph 9 of Accounting Standard (AS) 18. Further, in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions Banker-Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

21. Earnings Per Share (AS 20)

Particulars	2021-22	2020-21
Net Profit after tax available for equity shareholders (` Crore)	3944.82	3004.68
Number of Equity Shares	1245441139	1129366570
Weighted Number of equity shares	1218410075	1129366570
Basic Earnings Per Share (in `)	32.38	26.61
Diluted earnings per share (in `)	32.38	26.61
Nominal value per Equity Share (in `)	10.00	10.00

22. ACCOUNTING FOR TAXES ON INCOME (AS 22)

a) **Current Tax:** During the current year, considering the accumulated losses of erstwhile Allahabad Bank, Bank has not created provision for income tax for domestic operations for the current year. Provision for income tax made in foreign branches amounting to Rs.12.85 Crore during the current year. Provision for tax on foreign branches relating to earlier years made in the current year amounts to Rs.275 Crores. The current tax has been calculated in accordance with the provisions of Income Tax Act 1961.

b) **Deferred Tax:** The Bank has a net DTA of Rs.3872.91 Crore (Previous year net DTA of Rs.2844.49 Crore), which comprises of Deferred Tax Liabilities (DTL) of Rs.977.15 Crore (Previous Year Rs.949.89 Crore) included under 'Other liabilities and Provisions' and Deferred Tax Assets (DTA) of Rs.4850.06 Crore (Previous Year Rs.3794.38 Crore) included under 'other Assets.

The major components of DTA and DTL is given below:

(Amount ` in Crore)

Sl.No.	Particulars	31.03.2022	31.03.2021
	Deferred Tax Assets		
1	Liabilities provision allowable on payment / crystallization	219.35	208.53
2	FCTR (Foreign Currency Transalation Reserve)	99.08	105.29
3	Provision for Gratuity	0.06	0.09
4	Provision for Bad Debts	3856.25	3076.11
5	Provision for restructured Assets, AQR,s4A, stressed Assets	588.06	328.67
6	Depreciation on Fixed Assets	87.26	75.69
	Total DTA	**4850.06**	**3794.38**
	Deferred Tax Liabilities		
1	Depreciation on Fixed Assets	44.40	44.41
2	Provision for written off accounts	363.15	363.15
3	Staff Welfare Retrieval	4.11	4.11
4	Special Reserve u/s 36(1)(viii)	565.49	538.22
	Total DTL	**977.15**	**949.89**
	Net DTA / (DTL)	**3872.91**	**2844.49**

c. Provision for Income Tax for the year

(Amount R in crore)

Particulars	2021-22	2020-21
Provision for Taxation (Income Tax including Deferred Tax)	-740.59	-99.10

The disputed income tax demand paid as at 31.03.2022 was Rs.3953.36 Crore (previous year 3953.36 Crore). The same has also been included under contingent liabilities relating to Income Tax of Rs.9187.03 Crore (previous year 7584.17 Crore) relating to disputed tax matters as at 31.03.2022. No provision is considered necessary for the said disputed demands on account of judicial pronouncements and favorable decisions in Bank's own case except in case of income relating to foreign branches for earlier periods amounting to Rs.275 Crore for which Bank has provided during the current year.

23. Financial Reporting of interests in Joint Ventures (AS-27)

Investments include Rs.142.50 crore (PY Rs.142.50 crore) representing Bank's interest in the following joint controlled entities:

Name of Entity	Country / Residence	Relationship	Ownership interest	Amount of shareholding (` in crore)
Universal Sompo General Insurance company Ltd	India	Joint Venture	28.52%	105.00
ASREC (India) Ltd	India	Joint Venture	38.26%	37.50

As required by AS 27, the aggregate amount of the assets, liabilities, income, expenses, contingent liabilities and commitments related to the Bank's interests in jointly controlled entities are disclosed as under:

(Amount ` in Crore)

Particulars	31.03.2022	31.03.2022
Liabilities		
Capital & Reserves	391.69	349.28
Deposits	0.00	-
Borrowings	8.54	28.44
Other Liabilities & Provisions	1174.50	1032.28
TOTAL	**1574.73**	**1410.00**
Assets		
Cash and Balances with RBI	0.05	0.09
Balances with Banks and money at call and short notice	30.40	22.72
Investments	1146.12	1109.29
Advances	0	-
Fixed Assets	11.37	12.88
Other Assets	386.79	264.99
TOTAL	**1574.73**	**1410.00**
Capital Commitments		-
Other Contingent Liabilities	48.05	48.58
Income		
Interest earned	6.04	3.73
Other Income	478.41	452.68
TOTAL	**484.45**	**456.41**
Expenditure		
Interest expended	2.36	1.36
Operating expenses	420.65	434.74
Provisions & Contingencies	17.63	5.28
TOTAL	**440.64**	**441.38**
Profit	**43.81**	**15.03**

24. Impairment of Assets (AS-28):

In the opinion of the Bank's Management, there is no indication of impairment to the Assets during the year to which Accounting Standard 28–"Impairment of Assets" applies.

25. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (AS-29):

(Amount in ` crore)

Particulars	Opening as on 01.04.2021	Provision made during the year	Provision reversed / adjusted	Closing as on 31.03.2022
Movement of Provisions for claim against bank not acknowledged as debt	206.25	9.66	0	215.91

26. Other Disclosures

a) Business ratios

(Amount ` in Crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
(I) Interest Income as a percentage to Working Funds[1]	6.21	6.56
(ii) Non-interest income as a percentage to Working Funds[3]	1.11	0.95
(iii) Cost of Deposits	3.97	4.44
(iv) Net Interest Margin[2]	2.93	2.81
(v) Operating Profit as a percentage to Working Funds[3]	2.03	1.84
(vi) Return on Assets[3]	0.63	0.50
vii) Business (deposits plus advances) per employee[4] (in ` crore)	25.20	22.17
viii) Profit per employee (in ` crore)	0.10	0.07

[1]Working funds to be reckoned as average of total assets (excluding accumulated losses, if any) as reported to Reserve Bank of India in Form X for Commercial Banks and Form IX for UCBs., during the 12 months of the financial year.

[2]Net Interest Income/ Average Earning Assets. Net Interest Income= Interest Income – Interest Expense

[3]Return on Assets would be with reference to average working funds (i.e., total of assets excluding accumulated losses, if any).

[4]For the purpose of computation of business per employee (deposits plus advances), inter-bank deposits shall be excluded

*average earning assets and average deposits are calculated based on the 52 weekly Friday average.

b) BANCASSURANCE BUSINESS

During the current year, the Bank has earned commission, etc, to the extent of Rs.85.01 Crore on sale/marketing of various Bancassurance products / Mutual Funds (previous year Rs.63.98 Crore).

(Amount ` in crore)

Sl. No.	Nature of Income	2021-22	2020-21
1	For Selling Life Insurance Policies	56.22	38.44
2	For selling Non-life insurance policies	26.42	24.56
3	Others – For selling Mutual Fund Products	2.37	0.98
	Total	**85.01**	**63.98**

c) Marketing and distribution

The Bank does not undertake marketing and/or distribution of any product of other entities (other than products under Bancassurance Business). Therefore, the Bank has not earned any fees/remuneration from the stated activities.

d) Disclosures regarding Priority Sector Lending Certificates (PSLCs)

The amount of PSLCs (category-wise) sold and purchased during the year shall be disclosed.

(Amount ` in crore)

Sl.No.	PSLC Category	Purchase Position		Sale Position	
		No of Units	Amt	No of Units	Amt
1	PSLC AGRICULTURE	0	0.00	19800	4950
2	PSLC SMALL AND MARGINAL FARMER	0	0.00	52720	13180
3	PSLC GENERAL	0	0.00	66800	16700
4	PSLC MICRO	0	0.00	0	0
	Total	**0**	**0**	**139320**	**34830**

e) Provisions and contingencies

(Amount in ` crore)

Provision debited to Profit and Loss Account	2021-22	2020-21
I) Provisions for NPI	110.51	-1.39
ii) Provision towards NPA	8446.60	7318.46
iii) Provision made towards Income tax	-740.59	-99.10
iv) Other Provisions and Contingencies (with details)		
1. Standard Advances	961.57	469.40
2. Restructured Advances	3.78	-1.68
3. Others	-9.79	276.22
TOTAL	**8772.08**	**7961.91**

f) Implementation of IFRS converged Indian Accounting Standards (Ind AS)

I. As per the directions of RBI vide their letter DBR.BP.BC.No.76/21.07.001/2015-16 dated 11.02.2016, Banks shall comply with Ind AS for standalone and consolidated financial statements for accounting periods beginning from April 1, 2018 onwards with comparative figures for the preceding period ending March 31, 2018

II. RBI also advised the Banks to prepare Proforma Financial Statements as per Ind AS for the half year ended 30.09.2016 with transition date as 01.04.2016 and the same was prepared and submitted to RBI. Similarly proforma Ind AS financials for the quarter ended 30.06.2017 was also submitted to RBI.

III. Subsequently, RBI advised that Banks shall submit Ind AS proforma financial statement for every quarter starting from quarter ending 30th June 2018 onwards. The same has been duly complied with.

IV. From F.Y. 2021-22 onwards, RBI advised to reduce the frequency of Ind AS proforma financial statement submission from quarterly to half yearly. The same has been complied with. The Audit Committee of the Board and Board of Directors have been periodically appraised the progress in this regard.

V. As per RBI notification DBR.BP.BC.No.29/21.07.001/2018-19 dated 22nd March 2019, implementation of Ind AS in Banks has been deferred till further notice. However, submission of proforma Ind AS financials to RBI has been continued and the Bank is complying with the same.

g) Payment of DICGC Insurance Premium (Amount ` in Crore)

Sl.No.	Particulars	2021-22	2020-21
i)	Payment of DICGC Insurance Premium	683.68	629.47
ii)	Arrears in payment of DICGC premium	0.00	0.00

h) During year ended Mar 31, 2022, the Bank has raised equity capital of Rs 1650 Crore through Qualified Institutions Placement at an issue price of Rs 142.15 per equity share including a premium of Rs 132.15 per equity share.

Post allotment of 11,60,74,569 new equity shares of face value of Rs 10 each under QIP, the total paid up shares of the Bank increased from 112,93,66,570 to 124,54,41,139. Accordingly, the dividend amount of the Bank for FY 2020-21 increased from Rs 225.87 Crore to Rs 249.09 Crore. The additional amount of Rs.23.22 Crore will be transferred from balance in Profit & Loss Account for FY 2020-21. The Record Date fixed by the Bank for payment of dividend was 09.07.2021.

i) Items included in Miscellaneous income which exceed 1% of total income

Particulars	2021-22	2020-21
Processing Charges	574.42	526.25
Recovery from bad debts	1611.69	617.50
PSLC Income	570.63	410.23

j) Reconciliation and Adjustments

I. Reconciliation of Inter Branch Account is completed up to 31.03.2022. The Bank through various effective steps has achieved reduction in the old outstanding entries in IBGA. Adjustments of the remaining outstanding entries are in progress. As per the Management, 5747 IBGA credit entries aggregating to Rs. 4.86 crores are outstanding pertaining to period before 01.03.2009.

II. In view of the net credit position in respect of un-reconciled entries in the Inter Branch Account outstanding for more than 6 months as on 31.03.2022, no provision is required.

III. Old outstanding entries, in drafts payable, clearing adjustment, sundries receivable, sundry deposit accounts, etc. and in bank reconciliation relating to Reserve Bank of India and other banks are being regularly reviewed for appropriate adjustments.

IV. Balancing of subsidiary/ledgers, registers and reconciliation with general ledgers are in progress at some branches. In the opinion of the management, consequential financial impact of the above on the accounts will not be significant.

V. As per information available with the Bank, there is no outstanding dues payable by the Bank to MSME units identified by the Bank, which is pending beyond the time limit prescribed under MSMED Act, 2006 and there have been no reported cases of accepted liability of delayed payments of principal amount or interest thereon for such parties during the year.

k) A dividend of ` 6.50 per equity share i.e. 65% to the paid up capital is proposed by the Bank for FY 2021-22.

l) Previous year's figures have been regrouped / reclassified, wherever necessary, to conform to current year's figure.

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To

The Members of Indian Bank

Report on Audit of the Standalone Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying Standalone Financial Statements of Indian Bank ('the Bank'), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2022, the Statement of Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows for the year then ended and notes to Standalone Financial Statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information in which are included the returns for the year ended on that date of:

I. The Central Office and its Departments, Treasury Branch and 20 Indian Branches audited by us;

ii. 2102 Indian Branches (incl. GIFT City Branch) audited by respective Statutory Branch Auditors and

iii. 2 Foreign Branches audited by respective local auditors;

The Indian branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India (RBI). Also, incorporated in the Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss Account and Statement of Cash Flows are the returns from 3974 Indian branches and 1 Foreign Branch which have not been subjected to Audit. These unaudited branches account for 19.95% of Advances, 44.98% of Deposits, 11.50% of Interest income and 43.06% of Interest expenses.

2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid Standalone Financial Statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 in the manner so required for bank and are in conformity with accounting principles generally accepted in India and give a:

a. true and fair view in case of the Balance Sheet read with the notes thereon, of the state of affairs of the Bank as at March 31, 2022;

b. true balance of Profit in case of the Statement of Profit and Loss Account read with the notes thereon, for the year ended on that date and

c. true and fair view of the cash flows in case of Cash Flow Statement for the year ended on that date.

Basis for Opinion

3. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("the ICAI"). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the Standalone Financial Statements, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion on the Standalone Financial Statements.

Emphasis of Matter:

We draw attention to:

4. Note No 4(l) of Schedule 18 of the standalone financial statements which describes the impact of ongoing uncertainties caused by COVID 19 pandemic on the future business and financial results and Management's assessment of the same in the prevailing situation. The Management is continuously evaluating the effect of the uncertainties on an ongoing basis with reference to challenges under the prevailing uncertainties.

Our report is not modified in respect of above matters.

Key Audit Matters

5. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the Standalone Financial Statements for the year ended March 31 2022. These matters were addressed in the context of our audit of the Standalone Financial Statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the Key Audit Matters to be communicated in our report:

Sr. No.	Key Audit Matter	How the Key Audit Matter was addressed in our Audit
1.	**Classification of Advances, Income Recognition, Identification of and provisioning for non-performing Advances (Refer Note 4)** The net advances of the Bank constitute 57.94% of the total assets, which is the significant part of the Standalone Financial Statements. The Reserve Bank of India's ("RBI") guidelines on Income recognition and asset classification ("IRAC") prescribe the prudential norms for identification and classification of non-performing assets ("NPA") and the minimum provision required for such assets. Identification of performing and non-performing Advances involves establishment of proper mechanism. The Bank accounts for all the transactions related to Advances in its Information Technology Systems (IT Systems) which also identifies whether the advances are performing or non performing, NPA classification and calculation of provision. The carrying value of these advances (net of provisions) may be materially misstated if, either individually or in aggregate, the IRAC norms are not properly followed. Considering the nature of the transactions, regulatory requirements, existing business environment, estimation/ judgement involved in valuation of securities, it is a matter of high importance for the intended users of the Standalone Financial Statements and hence we have ascertained identification and provisioning for NPAs as a key audit matter.	**Tests of control** Assessing the design, implementation and operating effectiveness of Key internal controls over approval, recording and monitoring of loans, monitoring process of overdue loans, measurement of provisions, identification of NPA accounts and corresponding reversal of income and assessing the reliability of management information (including overdue reports). **Substantive tests.** A sample of loan accounts that included large/stressed advances and some other advances on sample basis was taken in the top branches allocated to us, and in such samples we conducted the following checks: ● The accuracy of the data input in the system for income recognition and identification as performing or non performing advances. ● In the performing advances selected, assessed independently whether the classification was correctly done. ● Reviewed the Financial Statements, collateral valuation and other qualitative information available about these parties. ● Test of details over calculation of NPA provisions and reversal of income in line with IRAC norms. ● Checked the borrower wise NPA identification determined by the bank to ensure compliance with RBI guidelines. ● Checked the provisions on standard advances for various categories of loans, to ensure compliance with RBI norms. ● Existence and effectiveness of monitoring mechanisms such as internal audit, concurrent audit, systems audit etc in monitoring and timely reporting of NPAs. ● Reliance is also placed on audit reports of other Statutory branch auditors, which we have scrutinised and considered relevant observations.
2.	**Classification and Valuation of Investments, Identification of and provisioning for Non-Performing Investments** ● Investments include investments made by the Bank in various Government Securities, Bonds, Debenture, Shares, Security receipts and other approved securities classified under the categories, Held to maturity, Available for sale and Held for Trade. ● Investments constitute 25.99% of the Bank's total assets. These are governed by the circulars and directives of the Reserve Bank of India (RBI). These directions of RBI, inter alia,	Our audit approach towards Investments with reference to the RBI Circulars / directives included the review and testing of the design, operating effectiveness of internal controls and substantive audit procedures in relation to valuation, classification, identification of Non-Performing Investments, Provisioning/ depreciation related to Investments. In particular, 1) We evaluated and understood the Bank's internal control system to comply with relevant RBI guidelines regarding valuation, classification, identification of Non-Performing Investments, Provisioning/depreciation related to investments; 2) We assessed and evaluated the process adopted for collection of information from various sources for determining fair value of these investments;

Sr. No.	Key Audit Matter	How was the Key Audit Matter addressed in the Audit
	cover valuation of investments, classification of investments, identification of non-performing investments, the corresponding non-recognition of income and provision there against. • The valuation of each category (type) of the aforesaid securities is to be done as per the method prescribed in circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data / information from various sources such as FIMMDA rates, rates quoted on BSE / NSE, financial statements of unlisted companies etc. Considering the complexities and extent of judgement involved in the valuation, volume of transactions, investments on hand and degree of regulatory focus, this has been determined as a Key Audit Matter. Accordingly, our audit was focused on valuation of investments, classification, identification of Non-Performing Investments and provisioning related to investments.	3) For the selected sample of investments in hand, we tested accuracy and compliance with the RBI Master Circulars and directions by re-performing valuation for each category of the security. Samples were selected after ensuring that all the categories of investments (based on nature of security) were covered in the sample; 4) We assessed and evaluated the process of identification of NPIs, and corresponding reversal of income and creation of provision; 5) We carried out substantive audit procedures to re-compute independently the provision to be maintained and depreciation to be provided in accordance with the circulars and directives of the RBI. Accordingly, we selected samples from the investments of each category and tested for NPIs as per the RBI guidelines and recomputed the provision to be maintained in accordance with the RBI Circular for those selected sample of NPIs; 6) We tested the mapping of investments between the Investment application software and the financial statement preparation software to ensure compliance with the presentation and disclosure requirements as per the aforesaid RBI Circular/ directions.

Information Other than the Standalone Financial Statements and Auditor's Report thereon

6. The Bank's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the Corporate Governance Report which we have obtained at the time of issue of this report(but does not include the Standalone Financial Statements and our auditors' report thereon). The Directors' Report including annexures in annual report, if any, thereon is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the Standalone Financial Statements does not cover the other information and Pillar 3 disclosure under Basel III and we do not and will not express any form of assurance / conclusion thereon.

In connection with our audit of the Standalone Financial Statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Standalone Financial Statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the Directors' Report of the Bank, including annexures in annual report, if any, thereon, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements

7. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these Standalone Financial Statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Standalone Financial Statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the Standalone Financial Statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors is also responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements

8. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Standalone Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Standalone Financial Statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the Standalone Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the Standalone Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Standalone Financial Statements, including the disclosures, and whether the Standalone Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the Standalone Financial Statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the standalone financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Standalone Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters.

We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matters

9. We did not audit the financial statements / information of 2104 branches included in the standalone financial statements of the Bank whose financial statements / financial information reflect total assets of Rs. 2,84,742.50 crores as at 31st March 2022 and total revenue of Rs.13,762.05 crores for the year ended on that date, as considered in the Standalone Financial Statements. This financial statements / information of these branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such branch auditors.

Our opinion is not modified in respect of above matters

10. The Standalone Financial Statements of the Bank for the previous year ended 31st March, 2021 were audited by the joint auditors, four of whom are predecessor audit firms and they had expressed unmodified opinion on such Standalone Financial Statements.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

11. The standalone Balance Sheet and the standalone Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;

12. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 7 to 9 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

 a) We have sought and obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

 b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and

 c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purpose of our audit.

13. As required by the RBI's letter no. DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 (as amended), we report that:

 a) In our opinion, the aforesaid Standalone Financial Statements comply with the applicable Accounting Standards issued by ICAI, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.

 b) Our audit report on the adequacy and operating effectiveness of the Bank's internal financial controls over financial reporting is given in Annexure A to this report. Our report expresses an unmodified opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting as at 31st March, 2022.

 c) The provisions of Section 164(2) of the Companies Act, 2013 pertaining to disqualification of directors are not applicable to the Bank.

 d) There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the bank.

 e) There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.

14. We further report that:

 a) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us.

 b) the standalone Balance Sheet, the standalone Profit and Loss Account and the standalone Statement of Cash Flows dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches not visited by us.

 c) the reports on the accounts of the 2102 branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been forwarded to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and

 d) In our opinion, the Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

For SRIRAMAMURTHY & CO
Chartered Accountants
FR No. 003032S

Partner M. PRATYUSHA
(M. No. 254141)
UDIN: 22254141AJEANT9965

For RAVI RAJAN & CO LLP
Chartered Accountants
FR No. 009073N / N500320

Partner SUMIT KUMAR
(M. No. 512555)
UDIN: 22512555AIUPTX7923

For P K F SRIDHAR & SANTHANAM LLP
Chartered Accountants
FR No. 003990S / S200018

Partner P DEVI
(M No. 223137)
UDIN: 22223137AJQIZM2479

For G NATESAN & CO
Chartered Accountants
FR No. 002424S

Partner VARALAKSHMI MURALI
(M. No. 028863)
UDIN: 22028863AIUPRK7986

For SARC & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FR No. 006085N

Partner CHETAN THAKKAR
(M. No. 114196)
UDIN: 22114196AIUPWD3724

Place of Signature: Chennai
Date of Report: 11th May, 2022

ANNEXURE "A" TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

(Referred to in paragraph 13(b) under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report of even date)

Report on the Internal Financial Controls Over Financial Reporting as required by the Reserve Bank of India (the "RBI") Letter DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 (as amended) (the "RBI communication")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of Indian Bank as of March 31, 2022 in conjunction with our audit of the Standalone Financial Statements of the Bank for the year ended on that date which includes internal financial controls over financial reporting of the Bank's branches.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Bank's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Bank's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Banking Regulation Act, 1949 and the circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the "ICAI") and the Standards on Auditing (SAs) issued by the ICAI, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal financial controls based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the Standalone Financial Statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained and the audit evidence obtained by the branch auditors, in terms of their reports referred to in the Other Matters paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

A Bank's internal financial controls over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of Standalone Financial Statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Bank's internal financial controls over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Bank; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of Standalone Financial Statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Bank are being made only in accordance with authorisations of management and Board of Directors of the Bank; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the Bank's assets that could have a material effect on the Standalone Financial Statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial controls over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of the reports of the branch auditors referred to in the Other Matters paragraph below, the Bank has, in all material respects, adequate internal financial controls over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2022, based on the criteria for internal control over financial reporting established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

Other Matters

Our aforesaid report in so far as it relates to the operating effectiveness of internal financial controls over financial reporting of 2102 branches is based on the corresponding reports of the respective branch auditors of those branches.

During our testing of the internal financial controls over financial reporting and based on the report of the branch auditors, certain matters were noticed by us. Bank needs to further strengthen the process including alteration of the existing Risk Control Matrix (RCM) and designing a few more RCMs. Our suggestions in this regard have been submitted to the Management to further strengthen the internal financial controls over financial reporting of the Bank.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

For SRIRAMAMURTHY & CO
Chartered Accountants
FR No. 003032S

Partner M. PRATYUSHA
(M. No. 254141)
UDIN: 22254141AJEANT9965

For RAVI RAJAN & CO LLP
Chartered Accountants
FR No. 009073N / N500320

Partner SUMIT KUMAR
(M. No. 512555)
UDIN: 22512555AIUPTX7923

For P K F SRIDHAR & SANTHANAM LLP
Chartered Accountants
FR No. 003990S / S200018

Partner P DEVI
(M No. 223137)
UDIN: 22223137AJQIZM2479

For G NATESAN & CO
Chartered Accountants
FR No. 002424S

Partner VARALAKSHMI MURALI
(M. No. 028863)
UDIN: 22028863AIUPRK7986

For SARC & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FR No. 006085N

Partner CHETAN THAKKAR
(M. No. 114196)
UDIN: 22114196AIUPWD3724

Place of Signature: Chennai
Date of Report: 11th May, 2022

Left intentionally blank

CONSOLIDATED BALANCE SHEET, PROFIT AND LOSS ACCOUNT AND SCHEDULES

(₹ in Crore)

CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON MARCH 31, 2022

PARTICULARS	Schedule No.	As on 31.03.2022 (Audited)	As on 31.03.20201 (Audited)
CAPITAL & LIABILITIES			
Capital	1	1245.44	1129.37
Reserves & Surplus	2	43706.49	38328.70
Minority Interest	2A	24.98	22.60
Deposits	3	593570.88	538029.80
Borrowings	4	17152.85	24762.77
Other Liabilities & Provisions	5	18395.79	23261.93
Total		**674096.43**	**625535.17**
ASSETS			
Cash & Balances with Reserve Bank of India	6	24054.46	27545.18
Balances with Banks and Money at call and short notice	7	55913.76	23958.97
Investments	8	176501.61	178292.44
Advances	9	389186.07	362669.08
Fixed Assets	10	7698.91	7392.56
Other Assets	11	20741.62	25676.94
Total		**674096.43**	**625535.17**
Contingent Liabilities	**12**	**353586.82**	**293606.77**
Bills for Collection		**14144.89**	**12620.73**

S L JAIN
MANAGING DIRECTOR & CEO

ASHWANI KUMAR
EXECUTIVE DIRECTOR

IMRAN AMIN SIDDIQUI
EXECUTIVE DIRECTOR

DIRECTORS

SANJEEV KAUSHIK
GOVERNMENT NOMINEE DIRECTOR

ADITYA GAIHA
RBI NOMINEE DIRECTOR

BHARATH KRISHNA SANKAR
SHAREHOLDER DIRECTOR

PAPIA SENGUPTA
SHAREHOLDER DIRECTOR

BALMUKUND SAHAY
PART TIME NON OFFICIAL DIRECTOR

VISHVESH KUMAR GOEL
PART TIME NON OFFICIAL DIRECTOR

STATUTORY CENTRAL AUDITORS

For M/s. SRIRAMAMURTHY & CO
Chartered Accountants
FR No. 003032S

M. PRATYUSHA
Partner
(M. No. 254141)

For M/s. RAVI RAJAN & CO LLP
Chartered Accountants
FR No. 009073N / N500320

SUMIT KUMAR
Partner
(M. No. 512555)

For M/s. P K F SRIDHAR & SANTHANAM LLP
Chartered Accountants
FR No. 003990S/S200018

P. DEVI
Partner
(M No. 223137)

M/s. G NATESAN & CO
Chartered Accountants
FR No: 002424S

VARALAKSHMI MURALI
Partner
(M No. 028863)

M/s. S A R C & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FR No: 006085N

CHETAN THAKKAR
Partner
(M No. 114196)

Place : Chennai
Date : 11.05.2022

CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2022 (₹ in Crore)

PARTICULARS	Schedule No.	Y.E. 31.03.2022 (Audited)	Y.E. 31.03.2021 (Audited)
I. Income			
Interest earned	13	38861.65	39108.08
Other Income	14	7406.50	6111.40
Total		**46268.15**	**45219.48**
II. Expenditure			
Interest expended	15	22129.25	23438.80
Operating Expenses	16	11353.54	10789.28
Provisions & Contingencies		8791.47	7975.68
Total		**42274.26**	**42203.76**
III. Consolidated Profit / (loss) for the period attributable to group		**3993.89**	**3015.72**
Share of earnings in Associates		150.30	134.86
Consolidated Profit / (loss) for the period before deducting minorities' interest		**4144.19**	**3150.58**
Less: Minority Interest		**2.38**	**1.43**
Consolidated Profit / (loss) for the period attributable to the group		**4141.81**	**3149.15**
Profit / (Loss) brought forward		845.15	556.71
Add: Other Adjustments / Set off against Share Premium		-23.19	41.29
Total		**4963.77**	**3747.15**
IV. Appropriations			
Transfer to			
Statutory Reserves		986.21	751.17
Capital Reserves-Others		147.90	47.71
Spl.Reserve u/s 36(1)(viii) of I T Act		108.35	0.00
Investment Fluctuation Reserve		0.00	464.91
Revenue Reserves		1800.00	1387.34
Staff Welfare Fund		40.00	25.00
Investment Reserve		0.00	0.00
Proposed Equity Dividend		809.54	225.87
Proposed Preference Dividend		0.00	0.00
Dividend Distribution Tax		0.00	0.00
Balance carried to consolidated Balance Sheet		1071.77	845.15
Total Appropriations		**4963.77**	**3747.15**
Earnings per Share in Rs.(Basic & diluted)		**33.99**	**27.88**

S L JAIN
MANAGING DIRECTOR & CEO

ASHWANI KUMAR
EXECUTIVE DIRECTOR

IMRAN AMIN SIDDIQUI
EXECUTIVE DIRECTOR

DIRECTORS

SANJEEV KAUSHIK
GOVERNMENT NOMINEE DIRECTOR

ADITYA GAIHA
RBI NOMINEE DIRECTOR

BHARATH KRISHNA SANKAR
SHAREHOLDER DIRECTOR

PAPIA SENGUPTA
SHAREHOLDER DIRECTOR

BALMUKUND SAHAY
PART TIME NON OFFICIAL DIRECTOR

VISHVESH KUMAR GOEL
PART TIME NON OFFICIAL DIRECTOR

STATUTORY CENTRAL AUDITORS

For M/s. SRIRAMAMURTHY & CO
Chartered Accountants
FR No. 003032S

M. PRATYUSHA
Partner
(M. No. 254141)

For M/s. RAVI RAJAN & CO LLP
Chartered Accountants
FR No. 009073N / N500320

SUMIT KUMAR
Partner
(M. No. 512555)

For M/s. P K F SRIDHAR & SANTHANAM LLP
Chartered Accountants
FR No. 003990S/S200018

P. DEVI
Partner
(M No. 223137)

M/s. G NATESAN & CO
Chartered Accountants
FR No: 002424S

VARALAKSHMI MURALI
Partner
(M No. 028863)

M/s. S A R C & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FR No: 006085N

CHETAN THAKKAR
Partner
(M No. 114196)

Place : Chennai
Date : 11.05.2022

SCHEDULE 1 - CAPITAL

(₹ in Crore)

PARTICULARS	As on 31.03.2022	As on 31.03.2021
I. Authorised Capital		
300,00,00,000 Equity Shares of Rs.10/- each	3000.00	3000.00
II. Issued, Subscribed and Paid up:		
a. 99,45,49,600 Equity shares of Rs.10/- each held by Central Government (P.Y.99,45,49,600 Equity shares of Rs. 10/- each)	994.55	994.55
b. 25,08,91,539 Equity Shares of Rs.10/- each held by Public (P.Y. 13,48,16,970 Equity shares of Rs.10/- each)	250.89	134.82
Total	**1245.44**	**1,129.37**

SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS

(₹ in Crore)

PARTICULARS	As on 31.03.2022	As on 31.03.2021
I. STATUTORY RESERVES		
a) Opening Balance	8649.75	4,694.20
b) Additions during the period*	986.21	3,955.55
c) Deductions during the period	0.00	0.00
TOTAL I	**9635.96**	**8,649.75**
II. CAPITAL RESERVES		
A) Revaluation Reserve		
a) Opening Balance	5754.97	2,987.84
b) Additions during the period*	599.47	2,909.99
c) Deductions during the period	143.42	142.86
TOTAL (A)	**6211.02**	**5,754.97**
B) Others		
a) Opening Balance	962.79	388.55
b) Additions during the period*	147.90	574.24
c) Deductions during the period	0.00	0.00
TOTAL (B)	**1110.69**	**962.79**
TOTAL II (A + B)	**7321.71**	**6,717.76**
III. SHARE PREMIUM		
a) Opening Balance	857.62	4,026.65
b) Additions during the period*	1533.93	15,806.50
c) Deductions during the period	0.00	18,975.53
TOTAL III	**2391.55**	**857.62**
IV. REVENUE AND OTHER RESERVES		
A) Revenue Reserve		
a) Opening Balance	13369.84	7,669.06
b) Additions during the period*	1800.00	5,557.92
c) Tfrd from Revaluation Reserve	143.42	142.86
d) Deductions during the period	0.00	0.00
TOTAL (A)	**15313.26**	**13,369.84**

PARTICULARS	As on 31.03.2022	As on 31.03.2021
B) Special Reserve U/S 36(1)(viii) of IT Act		
a) Opening Balance	2181.35	725.52
b) Additions during the period*	108.35	1,455.83
c) Deductions during the period	0.00	0.00
TOTAL (B)	**2289.70**	**2,181.35**
C) Special Reserve U/S 36(1)(viii a) of IT Act		
a) Opening Balance	58.20	58.20
b) Additions during the period	0.00	0.00
c) Deductions during the period	0.00	0.00
TOTAL (C)	**58.20**	**58.20**
D) Investment Fluctuation Reserve		
a) Opening Balance	1031.90	566.99
b) Additions during the period	0.00	464.91
c) Deductions during the period	0.00	0.00
TOTAL (D)	**1031.90**	**1,031.90**
E) Investment Reserve		
a) Opening Balance	186.38	47.80
b) Additions during the period*	0.00	138.58
c) Deductions during the period	0.00	0.00
TOTAL (E)	**186.38**	**186.38**
F) Foreign Currency Translation Reserve		
a) Opening Balance	421.93	437.26
b) Additions during the period	0.00	0.00
c) Deductions during the period	24.69	15.33
TOTAL (F)	**397.24**	**421.93**
G) IRS Reserve		
a) Opening Balance	1.91	0.00
b) Additions during the period*	0.00	1.91
c) Deductions during the period	0.00	0.00
TOTAL (G)	**1.91**	**1.91**
TOTAL IV (A + B + C + D+ E + F + G)	**19278.59**	**17,251.51**
V. AMALGAMATION RESERVE		
a) Opening Balance	4006.91	0.00
b) Additions during the period	0.00	4,006.91
c) Deductions during the period	0.00	0.00
TOTAL V	**4006.91**	**4,006.91**
VI. PROFIT & LOSS ACCOUNT		
Opening Balance	845.15	556.71
Additions during the period	4141.81	247.14
Deductions during the period*	3915.19	18,934.23
Adjustment from Share Premium	0.00	18,975.53
TOTAL VI	**1071.77**	**845.15**
TOTAL (I+II+III+IV+V+VI)	**43706.49**	**38,328.70**

*Additions/deductions during FY 2020-21 include e - AB reserves.

SCHEDULE 2A - MINORITY INTEREST

(₹ in Crore)

PARTICULARS	As on 31.03.2022	As on 31.03.2021
Minority interest on the date on which the parent-subsidiary relationship came into existence	3.27	3.27
Subsequent increase/ decrease	21.71	19.33
Minority interest on the date of balance sheet	24.98	22.60

SCHEDULE 3 - DEPOSITS

(₹ in Crore)

PARTICULARS	As on 31.03.2022	As on 31.03.2021
A.I. Demand Deposits		
(i) From Banks	125.60	289.29
(ii) From others	36588.93	32,053.15
II. Savings Bank Deposits	211205.86	195,250.29
III.Term Deposits		
(i) From Banks	6067.87	5,323.10
(ii) From others	339582.62	305,113.97
Total A (I,II & III)	**593570.88**	**538,029.80**
B.(I) Deposits of branches in India	584613.72	529,222.92
(II) Deposits of branches outside India	8957.16	8,806.88
Total B (I & II)	**593570.88**	**538,029.80**

SCHEDULE 4 - BORROWINGS

(₹ in Crore)

PARTICULARS	As on 31.03.2022	As on 31.03.2021
I. Borrowings in India		
(i) RBI	0.00	5,032.04
(ii) Other Banks	7.07	4.95
(iii) Other Institutions and Agencies	15286.53	14,948.82
II.Borrowings outside India	1859.25	4,776.96
Total (I & II)	**17152.85**	**24,762.77**

SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(₹ in Crore)

PARTICULARS	As on 31.03.2022	As on 31.03.2021
I. Bills Payable	1585.17	1443.92
II. Inter-Office adjustments (net)	0.00	5073.01
III. Interest Accrued	994.22	1041.93
IV. Others (including provisions)	15816.40	15703.07
Total	**18395.79**	**23261.93**

SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(₹ in Crore)

PARTICULARS	As on 31.03.2022	As on 31.03.2021
I. Cash in hand (including foreign currency notes)	1962.45	1658.38
II.Balances with Reserve Bank of India -		
(i) in Current Account	22092.01	25886.80
(ii) in Other Accounts	0.00	0.00
Total	**24054.46**	**27545.18**

SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

(₹ in Crore)

PARTICULARS	As on 31.03.2022	As on 31.03.2021
I. In India		
(i) Balances with Banks		
(a) in Current Accounts	30.64	116.03
(b) in Other Deposit Accounts	1413.81	2065.07
(ii) Money at call and short notice		
(a) with Banks	34500.20	8900.00
(b) with other institutions	0.00	0.00
Total I (i & ii)	**35944.65**	**11081.10**
II.Outside India		
(i) in Current Account	503.98	1577.68
(ii) in Other Deposit Accounts	19453.09	11270.82
(iii) Money at call and short notice	12.04	29.37
Total II (i, ii & iii)	**19969.11**	**12877.87**
Grand Total (I & II)	**55913.76**	**23958.97**

SCHEDULE 8 - INVESTMENT

(₹ in Crore)

PARTICULARS	As on 31.03.2022	As on 31.03.2021
I. INVESTMENTS IN INDIA		
Gross Investments	180407.76	181348.95
Less : Provision for Depreciation & NPI	5608.72	5382.93
Net Investment	**174799.04**	**175966.02**
(i) Government securities	140854.58	157952.46
(ii) Other approved securities	7.25	9.14
(iii) Shares	1214.57	996.38
(iv) Debentures and Bonds	30739.72	13653.87
(v) Investment in Associates	1011.85	861.55
(vi) Others	971.07	2492.62
Total	**174799.04**	**175966.02**
II. INVESTMENT OUTSIDE INDIA		
Gross Investments	1800.52	2420.90
Less : Provision for Depreciation & NPI	97.95	94.48
Net Investment	**1702.57**	**2326.42**
(i) Government securities (including local authorities)	1702.01	2304.10
(ii) Investments in Associates	0.00	0.00
(iii) Other investments(to be specified)		
(a) Shares	0.56	0.60
(b) Debt Securities	0.00	21.72
Total	**1702.57**	**2326.42**
Grand Total (I&II)	**176501.61**	**178292.44**

SCHEDULE 9 - ADVANCES

(₹ in Crore)

PARTICULARS	As on 31.03.2022	As on 31.03.2021
A. (i) Bills Purchased and discounted	3430.06	2131.35
(ii) Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand	245298.44	220090.98
(iii)Term Loans	140457.57	140446.75
(iv) Others	0.00	0.00
Total (A)	**389186.07**	**362669.08**
B. (i) Secured by tangible assets		
(includes advances against book debts)*	322961.60	320789.57
(ii) Covered by Bank / Government Guarantees	39614.40	22887.66
(iii) Unsecured	26610.07	18991.85
Total (B)	**389186.07**	**362669.08**
C. I. Advances in India		
(i) Priority Sector	163407.16	156301.48
(ii) Public Sector	67147.92	64398.78
(iii) Banks	0.00	169.24
(iv) Others	139011.85	131526.73
Total (C-I)	**369566.93**	**352396.23**
C. II.Advances outside India		
(i) Due from Banks	11105.63	4475.58
(ii) Due from Others		
(a) Bills Purchased & discounted	2541.53	771.17
(b) Syndicated Loans	4650.75	3515.42
(c) Others	1321.23	1510.68
Total (C-II)	**19619.14**	**10272.85**
Total (C-I+C-II)	**389186.07**	**362669.08**

* includes advances against Book Debt: ₹67000.84 crore, (previous year: ₹63247.10 crore)

SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS

(₹ in Crore)

PARTICULARS	As on 31.03.2022	As on 31.03.2021
I. Premises		
At cost/ revaluation as per last Balance Sheet	6866.57	6862.57
Additions/ adjustments during the year	601.26	4.00
Deductions during the year	4.69	0.00
Depreciation to date	1415.80	1246.78
Net Value	**6047.34**	**5619.79**
IA.Premises under Construction	**0.97**	**1.07**
II. Other Fixed Assets (including furniture & fixtures)		
At cost as per last Balance Sheet	4666.96	4158.17
Additions during the year	319.43	556.66
Deductions during the year	89.07	47.87
Depreciation to date	3757.47	3383.29
Net Value	**1139.85**	**1283.67**
IIA.Leased Assets		
At cost as per last Balance Sheet	552.10	552.43
Additions during the year	0.00	0.00
Deductions during the year including provisions	2.53	0.33
Depreciation to date	41.22	64.50
Net Value	**508.35**	**487.60**
III. Capital-work-in-progress (Leased Assets) net of provisions	**2.40**	**0.43**
Total (I, IA, II, IIA & III)	**7698.91**	**7392.56**

SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS

(₹ in Crore)

PARTICULARS	As on 31.03.2022	As on 31.03.2021
I. Inter Office Adjustment (net)	270.53	0.00
II. Interest accrued	2999.69	4142.80
III. Tax paid in advance/ Tax deducted at source (Net)	6440.81	6655.17
IV. Stationery and stamps	27.14	46.44
V. Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	51.38	51.38
VI. Deferred Tax assets (Net)	3885.69	2851.41
VII.Others	7066.38	11929.74
Total	**20741.62**	**25676.94**

SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES

(₹ in Crore)

PARTICULARS	As on 31.03.2022	As on 31.03.2021
I. Claims against the Bank not acknowledged as debts	2159.16	953.37
II. Liability for partly paid Investments	462.77	373.82
III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts	306197.71	254856.84
IV. Guarantees given on behalf of constituents*		
(a) In India	21969.84	17792.78
(b) Outside India	300.68	379.99
V. Acceptances, endorsements and other obligations*	10837.92	9394.29
VI.Other items for which the bank is contingently liable	11658.74	9855.68
Total	**353586.82**	**293606.77**

*Contingent liability has been considered net of margin.

SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED

(₹ in Crore)

PARTICULARS	Y E 31.03.2022	Y E 31.03.2021
I. Interest/ discount on advances/ bills	26927.55	27363.57
II. Income on Investments	10970.83	11170.35
III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	851.52	425.71
IV. Others	111.75	148.45
Total	**38861.65**	**39108.08**

SCHEDULE 14 - OTHER INCOME

(₹ in Crore)

PARTICULARS	Y E 31.03.2022	Y E 31.03.2021
I. Commission, exchange and brokerage	1181.89	1131.77
II. Profit on sale of land, buildings and other assets	7.40	2.84
Less: Loss on sale of land, buildings and other assets	4.35	3.26
Net	3.05	-0.42
III. Profit on exchange transactions	689.99	406.22
Less: Loss on exchange transactions	0.00	0.00
Net	689.99	406.22
IV. Profit on sale of Investments	1757.16	2261.90
Less: Loss on sale of investments	122.36	136.37
Net	1634.80	2125.53
V. Profit on Revaluation of Investments	0.01	0.02
Less: Loss on revaluation of investments	343.25	429.08
Net	-343.24	-429.06
VI. a) Lease finance/ Hire Purchase income	0.02	0.04
b) Income earned by way of dividends etc. from companies and / or joint ventures abroad/ in India	26.79	12.45
VII.Miscellaneous Income	4213.20	2864.87
Total	**7406.50**	**6111.40**

SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED

(₹ in Crore)

PARTICULARS	Y E 31.03.2022	Y E 31.03.2021
I. Interest on deposits	20933.43	22218.39
II. Interest on Reserve Bank of India/ inter-bank borrowings	248.46	400.90
III. Others	947.36	819.51
Total	**22129.25**	**23438.80**

SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES

(₹ in Crore)

PARTICULARS	Y E 31.03.2022	Y E 31.03.2021
I. Payments to and provisions for employees	6738.44	6411.62
II. Rent, taxes and lighting	615.43	611.77
III. Printing and stationery	85.85	58.53
IV. Advertisement and publicity	30.20	14.92
V. (a) Depreciation on Bank's property other than Leased Assets	600.68	633.17
(b) Depreciation on Leased Assets	0.18	3.73
VI. Directors' fees, allowances and expenses	1.17	0.77
VII. Auditors' fees and expenses (including branch auditors' fees and expenses)	47.64	63.29
VIII.Law charges	20.26	23.66
IX. Postage, telegrams, telephones, etc.	111.29	118.93
X. Repairs and maintenance	246.33	201.76
XI. Insurance	742.31	682.42
XII. Other expenditure	2113.76	1964.71
Total	**11353.54**	**10789.28**

SCHEDULE - 17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(CONSOLIDATED)

1. ACCOUNTING CONVENTION:

The financial statements are prepared by following the going concern concept on historical cost convention unless otherwise stated. They conform to generally accepted accounting principles in India, which comprises statutory provisions, regulatory / Reserve Bank of India guidelines, accounting standards / guidance notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the practices prevalent in the Banking Industry in India. In respect of foreign branches as per statutory provisions and practices prevailing in the respective countries.

2. USE OF ESTIMATES :

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions for considering the reported assets and liabilities (including contingent liabilities) as on the date of financial statements and the income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable.

3. CONSOLIDATION PROCEDURE :

a. Consolidated financial statements of the "Bank" (parent and its subsidiaries, its Joint Ventures) have been prepared on the basis of audited financial statements of Indian Bank (parent) and audited financial statements of its subsidiaries viz. (1) Ind Bank Housing Ltd, (2) Indbank Merchant Banking Services Ltd., its Joint Venture viz. (1) Universal Sompo General Insurance Co. Ltd, (2) ASREC (India) Limited after eliminating intra group transactions and unrealized profit/losses and making necessary adjustments except wherever otherwise stated in accordance with Accounting Standard 27 "Financial Reporting of interest in Joint Ventures" issued by the Institute of Chartered Accountants of India. The financial statements of the Subsidiaries and Joint Ventures are drawn up to the same reporting date of the parent.

b. The Subsidiaries, Joint Ventures and Associates follow Accounting Policies as prescribed by the respective regulatory authorities and as per statutory requirements. In view of such diverse accounting policies required to be followed, the consolidated financial statements have been prepared by adopting the respective accounting policies of the mandated / statutory requirements.

c. The difference between the cost to the parent of its investment in subsidiary entity and the parent's portion of its equity in the subsidiary with reference to the date of acquisition is recognized in the consolidated financial statement as Capital Reserve/Goodwill. The parent's share in the post-acquisition profits/losses is adjusted against the Revenue Reserve.

d. The minority interests in the net result of the operation and the asset of the subsidiary, represent that part of profit and the net asset attributable to the minorities.

e. Investments in Associates are accounted for under the Equity Method as per Accounting Standard -23 (AS - 23) - "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements" issued by ICAI based on the audited Financial Statements of the Associates.

4. TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE :

PARENT:

4.1 Foreign Currency transactions of Indian operations and non-integral foreign operations are accounted for as per Accounting Standard-11 (AS-11) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

4.2 Translation in respect of Indian operations:

a) Foreign exchange transactions are recorded at the Weekly Average Rate (WAR) notified by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI).

b) Foreign currency assets and liabilities are translated at the closing rates notified by FEDAI at the year end.

c) Acceptances, endorsements and other obligations and guarantees in foreign currency are carried at the closing rates notified by FEDAI at the year end.

d) Exchange differences arising on settlement and translation of foreign currency assets and liabilities at the end of the financial year are recognized as income or expenses in the period in which they arise.

e) Outstanding forward exchange contracts are disclosed at the Contracted rates, and revalued at FEDAI closing rates, and the resultant effect is recognized in the Profit and Loss account.

4.3 Translation in respect of non-integral foreign operations:

Foreign branches are classified as non-integral foreign operations and the financial statements are translated as follows:

1. Assets and liabilities including contingent liabilities are translated at the closing rates notified by FEDAI at the year end.
2. Income and expenses are translated at the Quarterly Average Closing rate notified by FEDAI at the end of the respective quarter.
3. All resulting exchange differences are accumulated in a separate account "Foreign Currency Translation Reserve" (FCTR) till the disposal of the net investments.

5. INVESTMENTS

PARENT:

5.1.1 The entire investment portfolio of the Bank is classified in accordance with the RBI guidelines into three categories viz.

- Held To Maturity (HTM)
- Available For Sale (AFS)
- Held For Trading (HFT)

The securities acquired with the intention to be held till maturity are classified under "HTM" category. The securities acquired with the intention to trade by taking advantage of short–term price / interest movements are classified as "HFT". All other securities which do not fall under any of the two categories are classified under "AFS" category.

An investment is classified as Held to Maturity, Available for Sale or Held for Trading at the time of its purchase/acquisition and subsequent shifting is done in conformity with the Regulatory guidelines. Transfer of scrips, if any, from one category to another is done at the lowest of acquisition cost/book value/market value on the date of transfer and depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

Investment in Subsidiaries, Joint Ventures and Associates are classified as Held to Maturity.

Profit on sale of securities under HTM category is first taken to Profit and Loss account and thereafter appropriated to Capital Reserve account (net of taxes and amount required to be transferred to statutory reserves) and loss, if any, charged to Profit & Loss account.

5.1.2 Investments in India are valued in accordance with RBI guidelines, as under:

a) Securities in HTM category are valued at acquisition cost except where the acquisition cost is higher than the face value, in which case, such excess of acquisition cost over the face value is amortized over the remaining period of maturity. Any diminution, other than temporary, in value of investments in Subsidiaries / Joint Ventures / Associates which are included under HTM category is recognized and provided. Such diminution is being determined and provided for each investment individually. Investment in units of Venture Capital Funds (VCF) / Alternate Investment Fund (AIF) made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of 3 years and valued at cost.

b) Investment in Subsidiaries, Joint Ventures and Associates are valued at historical cost. Investment in sponsored Regional Rural Banks (RRB) are valued at carrying cost (i.e. Book value).

c) Investments in AFS category are marked to market, scrip-wise and classification wise, at quarterly intervals. Net depreciation, if any, is provided for in the Profit and Loss account while net appreciation, if any, is ignored. The book value of the individual securities does not undergo any change after marking to market.

d) The individual scrips in the HFT category are marked to market at daily intervals. Net depreciation, if any, is provided for in the Profit and Loss account while net appreciation, if any, is ignored. The Book Value of the individual securities in this category does not undergo any change.

Securities in **AFS and HFT** categories are valued as under:

i. Central Government Securities and State Govt. Securities are valued at prices / YTM rates as announced by Primary Dealers Association of India (PDAI) jointly with Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA) / Financial Benchmark India Private Ltd (FBIL).

ii. Other approved securities are valued applying the YTM method by marking up 25 basis points above the yields of the Central Government Securities of equivalent maturity put out by PDAI / FIMMDA/ FBIL periodically.

iii. Equity shares are valued at market price, if quoted. Unquoted equity shares are valued at break-up value (without considering revaluation reserves if any) as per the company's latest balance sheet (not more than one year prior to the date of valuation).

Otherwise, the shares are valued at Re. 1 per company.

iv. Preference shares are valued at market price, if quoted; otherwise at lower of the value determined based on the appropriate YTM rates or redemption value.

v. All debentures/bonds, other than those which are in the nature of advances, are valued on the YTM basis.

vi. Treasury bills, Certificate of deposits and Commercial papers are valued at carrying cost.

vii. Units of Mutual Funds are valued at market price, if quoted; otherwise at lower of repurchase price or Net Asset Value (NAV). In case of funds with a lock-in period, where repurchase price / market quote is not available, units are valued at NAV, else valued at cost till the end of the lock-in period.

viii. Investment in units of Venture Capital funds (VCF) / Alternate Investment Fund (AIF) made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of 3 years and valued at cost. After period of 3 years from the date of disbursement, it will be shifted to AFS and marked-to-market as per RBI guidelines.

5.1.3 In respect of investment at Overseas branches, RBI guidelines or those of the host countries whichever are more stringent are followed. In case of those branches situated in countries where no guidelines are specified, the guidelines of RBI are followed.

5.1.4 Non-performing investment (NPI) are identified as stated below, as per guidelines issued by RBI.

a) Securities/Non-cumulative Preference shares where interest/fixed dividend/installment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days.

b) If any credit facility availed by the issuer from the Bank is a Non-performing advance in the books of the bank, investment in any of the securities including preference shares issued by the same issuer would also be treated as NPI and vice-versa. However, if only the preference shares are classified as NPA, the investments in any of the other performing securities issued by the same issuer may not be classified as NPI and any performing credit facilities granted to that borrower need not be treated as NPA.

c) In case of other equity investments, classified as NPI, shares are valued at market price, if quoted and in case it is not quoted, they are valued at Re.1 per company.

d) Investments backed by guarantee of the Central Government though overdue are treated as Non-Performing Asset (NPA) only when the Government repudiates its guarantee when invoked.

e) Investment in State Government guaranteed securities, including those in the nature of 'deemed advances', are subjected to asset classification and provisioning as per prudential norms if interest/ installment of principal (including maturity proceeds) or any other amount due to the Bank remains unpaid for more than 90 days.

5.1.5 Brokerages / Commission / incentive received on subscriptions are deducted from the cost of securities. Brokerage / Commission / Stamp duty paid in connection with acquisition of securities are treated as revenue expenses.

5.1.6 Interest Rate Swap transactions for trading is marked to market at quarterly intervals. The fair value of the total swaps is computed on the basis of the amount that would be received/ receivable or paid/ payable on termination of the swap agreements as on the balance sheet date. Losses arising there from, if any, are fully provided for, while the profit, if any, is ignored

5.1.7 Exchange traded FX Derivatives i.e. Currency Futures, are valued at the Exchange determined prices and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss account.

5.1.8 Premium/interest arising at the inception of forward exchange swap facility of RBI for FCNR (B) dollar deposits is amortized as expense over the period of the swap contract.

5.1.9 Cost of investments is determined based on the Weighted Average Cost method in each category. Investments classified under HTM are carried at acquisition cost as arrived under Weighted Average Cost method and in case the weighted average cost is more than the face value, the premium is amortised over the remaining period of maturity.

5.1.10 Accounting for Repo/Reverse Repo transactions:

All types of repo/reverse repo transactions with RBI including LAF, variable rate term operations, Long term Repo operations (LTRO),MSF and also Market Repo transactions are accounted as per RBI guidelines.

The securities sold and purchased under Repo/Reverse Repo are accounted as Triparty Repo wherein securities are transferred as in the case of normal outright sale/purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/Reverse Repo Accounts and Contra entries. The above entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted as interest expenditure / income, as the case may be. Balance in Repo Account is classified under Schedule 4 (Borrowings) and balance in Reverse Repo Account is classified under Schedule 7 (Balance with Banks and Money at Call & Short Notice).

SUBSIDIARY COMPANIES:

5.2 Indbank Merchant Banking Services Ltd:

The investments held by the Company are all long term investments. Long term investments are carried at cost less provision for diminution, other than temporary in nature. The Company has reckoned diminution in value of shares /debentures as permanent in nature by relying on market value of quoted shares and book value / fair value whichever is higher in respect of unquoted shares.

5.3 Ind Bank Housing Ltd

Investments are classified into current investments and long term investments. Investments are valued at lower of cost or market value for each investment individually as per NHB guidelines in force.

6. FINANCIAL ASSETS SOLD TO SECURITISATION COMPANIES (SC) / RECONSTRUCTION COMPANIES (RC)

Parent:

6.1 Security Receipts (SR) issued by SCs/RCs in respect of financial assets sold to them is recognized at lower of redemption value of SRs and Net Book Value of financial assets. SRs are valued at:

(a) SRs issued by SCs/RCs prior to 01.04.2017 at Net Asset Value declared by SCs/RCs on the Balance Sheet date and depreciation, if any, is provided for and appreciation is ignored.

(b) As per amended guidelines issued by RBI with effect from April,01,2017, provisioning requirement on SRs will be higher of

(i) provisioning rate in terms of Net Asset Value declared by the SCs/RCs

(ii) provisioning rate as applicable to the underlying loans, assuming that the loans notionally continued in the books of the bank

6.2 In case of financial assets sold to RC, the valuation and, income recognition is being done as per RBI guidelines. If the sale is for value lower than the Net Book Value (NBV) (i.e, book value less provisions held), the shortfall is debited to the Profit and Loss account or met out of utilization of Floating provision held, as per extant RBI guidelines.

6.3 If the cash received (by way of initial consideration and /or redemption of security receipts) is higher than the Net Book value of the Non-Performing Asset (NPA) sold to RC, then excess provision is reversed to the Profit and Loss account. The quantum of excess provision reversed to Profit and Loss account is limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the NPA sold.

7 ADVANCES

Parent:

7.1.1 In accordance with the prudential norms issued by RBI, advances in India are classified into Standard, Sub-Standard, Doubtful and Loss assets borrower-wise.

7.1.2 Provisions are made for non performing advances as under:

a) Sub Standard:

i) A general provision of 15% on the total outstanding

ii) Additional provision of 10% for exposure which are unsecured ab-initio (ie., where realizable value of securities is not more than 10% ab-initio)

b) Doubtful category-1

i) 25 % for Secured portion.

ii) 100% for Unsecured portion.

c) Doubtful Category – 2

i) 40 % for Secured portion.

ii) 100% for Unsecured portion.

e) Doubtful category-3 and Loss advances – 100 %.

7.1.3 Provision is made for standard advances including Restructured / Rescheduled standard advances as per RBI directives.

7.1.4 In respect of foreign branches, income recognition, asset classification and provisioning for loan losses are made as per local requirement or as per RBI prudential norms, whichever is more stringent.

Further, if an asset in the overseas books of the Bank requires to be classified as NPA at any point of time in terms of regulations issued by Reserve Bank of India, then all the facilities granted by the bank to the borrower and investment in all the securities issued by the borrower will be classified as NPAs/NPIs.

However, accounts classified as Non-performing/Impaired assets (NPAs) by host regulators for reasons other than record of recovery, would be classified as NPAs at the time of consolidating financial statements in India and provided for, as required; whereas asset classification of other credit exposures to the same counterparties in other jurisdictions (including India) will continue to be governed by the extant guidelines in the respective jurisdictions.

7.1.5 Advances disclosed are net of provisions made for non-performing assets, DICGC/ ECGC/ CGTMSE claims received and held pending adjustment, repayments received and kept in sundries account, participation certificates, usance bills rediscounted and provision in lieu of diminution in the fair value of restructured accounts classified as standard assets.

8. FIXED ASSETS / DEPRECIATION

8.1 **Parent:**

8.1.1 Fixed assets are carried at cost / revalued amount less accumulated depreciation / amortization

8.1.2 Cost includes cost of purchase and all expenditure such as site preparation, installation costs and professional fees incurred on the asset before it is put to use. Subsequent expenditure(s) incurred on the assets put to use are capitalized only when it increases the future economic benefits from such assets on their functioning capacity.

8.1.3 Depreciation on buildings (including cost of land wherever inseparable / not segregated) and other fixed assets in India will be provided for on the straight-line method at the rates / useful life, as specified below:

S No.	Description of fixed assets	Depreciation Rate / Useful Life
1.	Computers	33.33% every year
2.	Computer Software forming an integral part of the Computer hardware	33.33% every year
3.	Computer Software which does not form an integral part of Computer hardware and cost of Software Development	33.33% every year
4.	Automated Teller Machine/Cash Deposit Machine / Coin Vending Machine	20.00% every year
5.	Servers	33.33% every year
6.	Network equipment	20.00% every year
7.	Other fixed assets	Estimated useful life of major group of assets are as under: Premises : 60 years Safes/Locker/Doors (Steel): 20 years Vehicles : 5 years Furniture and Fixtures : 10 years Cell phones : 1 year

8.1.4 In respect of assets sold / acquired during the year, depreciation will be charged on proportionate basis for the number of days the assets have been put to use / from the date of capitalization during the year.

8.1.5 Assets costing upto Rs 5000/- will be fully depreciated in the year of purchase.

8.1.6 The revalued asset will be depreciated over the balance useful life of the asset as assessed at the time of revaluation.

The increase in Net Book Value of the asset due to revaluation will be credited to the Revaluation Reserve Account without routing through the Profit and Loss Account. Depreciation relatable to revalued component will be charged against revenue expenditure and an equivalent amount will be charged straight away against revaluation reserve and credited to the revenue reserve, as per revised AS 10 issued by ICAI.

8.1.7 In respect of Assets where subsidy is received from Government, the same will be credited to the respective asset account and depreciation will be charged accordingly.

8.1.8 Premium on leasehold land will be capitalized in the year of acquisition and amortized over the period of lease.

8.1.9 Depreciation in respect of fixed assets at foreign branches will be provided as per the practice prevailing in the respective countries.

8.1.10 In respect of Non-Banking Assets, no depreciation will be charged.

Subsidiary Companies :

8.2 Indbank Merchant Banking Services Ltd :

Fixed Assets are stated at historical cost less accumulated depreciation & provision for impairment (if any). Leased assets (Contracted prior to December 1997) are further adjusted for the balance in Lease adjustment account.

DEPRECIATION

a) On Assets other than given on lease:

In respect of assets other than assets given on lease, the company provides depreciation on the assets on the Straight Line Method (SLM) based on the useful life of the asset as prescribed in Schedule II to the Companies Act, 2013, on pro-rata basis. Software costs are amortised on SLM over a period of three years, from the year of acquisition.

b) On Assets given on lease under discontinuing operations:

In respect of Assets given on lease under discontinuing operation, the Company provides depreciation on the assets in the WDV method on pro-rata basis, the month in which the assets are installed taken as full month. The cost of the Assets given on lease are amortised fully during the Lease period. {In accordance with the Guidance note on Accounting for Leases (revised) issued by the ICAI}. The difference between the statutory depreciation and the annual lease charge is adjusted through the Lease Equalisation, which is adjusted with the lease income.

Ind Bank Housing Ltd :

8.3 Fixed Assets are capitalized at cost and or stated at cost less deprecation. Depreciation is calculated on written down value method at the rates prescribed in Schedule II to the Companies Act, 2013.

9. REVENUE RECOGNITION

9.1 Parent :

9.1.1 Income and expenditure are generally accounted for on accrual basis, unless otherwise stated.

9.1.2 Income from non-performing assets, Central Government guaranteed assets (where it is overdue beyond 90 days), dividend income, insurance claims, commission on letters of credit / guarantees issued (other than those relating to project finance), income from wealth management, additional interest / overdue charges on bills purchased, finance charges on credit cards, income on Bank's right to recompense, AMC charges on debit cards are accounted for on realisation basis and locker rent received, income from Bancassurance products are accounted on accrual basis.

9.1.3 In case of overdue foreign bills, interest and other charges are recognised till the date of crystallisation as per FEDAI guidelines.

Subsidiary Companies:

9.2 Indbank Merchant Banking Services Ltd

a. Issue Management Fee and fees for other managerial services - Considered on the completion of assignment.

b. Underwriting Commission and brokerage on distribution of financial products – Considered on receipt of subscription particulars.

c. Brokerages under stock broking operations are accounted on completion of contracts.

d. Interest on overdue lease rentals and hire purchase instalments are accounted for on receipt basis. Since the outstanding amount is fully provided for in the books of accounts, the amounts received are adjusted towards the principal outstanding and balance, if any, towards interest.

e. Dividend income is recognized when the right to receive is established.

f. Annual Maintenance and transaction charges under depository participant operations are considered yearly and on completion of transactions respectively.

9.3 **Ind Bank Housing Ltd:**

a) The Company follows National Housing Bank's Prudential Norms for recognition of Income and Provisioning for Non-Performing Assets.

b) Repayment of housing loans is by way of Equated Monthly Instalments (EMIs) comprising of principal and interest. Interest is calculated every half year on the opening balance at the beginning of the respective half year/ year. EMI commences once the entire loan is disbursed. Pending commencement of EMI, pre-EMI interest payable is recognized every month

10. CREDIT CARD REWARD POINTS

Reward points earned by card members on use of Card facility is recognized as expenditure on such use.

11. NET PROFIT / LOSS

The result disclosed in the Profit and Loss Account is after considering:

- Provision for Non-Performing Advances and / or Investments.
- General provision on Standard Advances
- Provision for Restructured Advances
- Provision for Depreciation on Fixed Assets
- Provision for Depreciation on Investments
- Transfer to/ from Contingency Fund
- Provision for Direct taxes
- Provision for Unhedged Foreign Currency Exposure
- Usual or/and other necessary provisions

12. STAFF RETIREMENT BENEFITS

Parent:

12.1.1 PROVIDENT FUND

Provident fund is a statutory obligation and in the case of Contributory Provident Fund optees, the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates. The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss Account. The fund is managed by Indian Bank Staff Provident Fund Trust.

12.1.2 GRATUITY

Gratuity liability is a statutory obligation as per Indian Bank Employees' Gratuity Fund Rules and Regulations and is provided for on the basis of an actuarial valuation made at the end of the financial year. The gratuity liability is funded by the Bank and is managed by Indian Bank Employees Gratuity Fund Trust.

12.1.3 PENSION

a) Pension liability is a defined benefit obligation under Indian Bank (Employees) Pension Regulations 1995 and is provided for on the basis of actuarial valuation, for the employees who have joined Bank up to 31.03.2010 and opted for pension.

b) New Pension Scheme (NPS) which is applicable to employees who joined bank on or after 01.04.2010 and it is a defined contribution scheme. Under NPS the Bank pays fixed contribution at pre-determined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account.

12.1.4 COMPENSATED ABSENCES

Accumulating compensated absences such as Privilege Leave and Sick Leave are provided for based on actuarial valuation.

12.1.5 OTHER EMPLOYEE BENEFITS

Other Employee benefits such as Leave Fare Concession and Additional Retirement Benefit on Retirement are provided for based on actuarial valuation. In respect of overseas branches and offices, the benefits in respect of employees other than those on deputation are valued and accounted for as per laws prevailing in the respective territories.

Subsidiary Companies:

Indbank Merchant Banking Services Ltd

12.2 Short Term employee benefits / obligations are estimated and provided for.

Gratuity – The Subsidiary has an obligation towards gratuity, a defined benefit retirement plan covering eligible employees. The plan provides for a lumpsum payment to vested employees at retirement, death while in employment or on termination of employment of an amount equivalent to 15 days salary payable for each completed year of service. Vesting occurs upon completion of five years of service. Annual contribution is made to gratuity fund established as a Trust through a Group Gratuity Policy with Life Insurance Corporation of India. The Company's liability towards Gratuity is actuarially determined as at balance sheet date using the Projected Unit Credit (PUC) method. Actuarial gains and losses are recognized in revenue.

Provident Fund – The eligible employees are entitled to receive benefits under Provident Fund, a defined contribution plan in which both employees and the employer make monthly contributions at a specified percentage of the covered employees salary, the contributions as specified under the law are paid to the provident Fund and Pension Fund with Provident Fund Authorities.

Leave encashment – The eligible Leave encashment liability to the employees other than those deputed by Indian Bank has been provided for on the basis of actuarial valuation based on number of days unutilised leave as at each balance sheet date.

The retirement benefit liability to staff on deputation from Parent is borne by the Parent except eligible Provident Fund contribution.

Ind bank Housing Ltd:

12.3 Contribution to Provident Funds is made to the Regional Provident Fund Commissioner.

The Gratuity liability is covered by Trust formed under the Group Gratuity Scheme. The trust has purchased a Group Gratuity policy from LIC and the annual premium is paid through the Trust.

Liability for leave encashment is provided for on actuarial basis.

13. ACCOUNTING FOR LEASES

Lease payments including cost escalation for assets taken on operating lease are recognized in the Profit and Loss Account over the lease term or life whichever is lower.

14. CONTINGENT LIABILITIES AND PROVISIONS

14.1 Contingent liability: Past events leading to, possible or present obligations are recognised as contingent liability in the following instances where:

(a) The existence of such obligations has not been confirmed

(b) no outflow of resources are required to settle such obligations

(c) a reliable estimate of the amount of the obligations cannot be made

(d) such amounts are not material

14.2 (a) Provision is recognized in case of present obligations where a reliable estimate can be made and/or where there are probable outflow of resources embodying foregoing of economic benefits to settle the obligations, excluding frivolous claims.

(b) Provision for Market Risk, Country Risk, etc., are made in terms of extant instructions of RBI.

(c) Floating provision as identified by the Bank Management is provided for.

Floating provision may be utilized as per extant RBI guidelines, for -

(i) Making specific provisions for non-performing assets;

(ii) Meeting any shortfall in sale of non-performing assets.

15. IMPAIRMENT OF ASSETS

Impairment losses, if any, on Fixed Assets (including revalued assets) are recognized and charged to Profit and Loss Account in accordance with the Accounting Standard 28 "Impairment of Assets". However, an impairment loss on a revalued asset is recognized directly against any revaluation surplus for the asset to the extent that the impairment loss does not exceed the amount held in the revaluation surplus for that same asset.

16. TAXES ON INCOME

16.1 Provision for tax is made for both Current Tax and Deferred Tax.

16.2 Current tax is measured at the amount expected to be paid to the taxation authorities, using the applicable tax rates, tax laws and favorable judicial pronouncements / legal opinion.

16.3 Deferred Tax Assets and Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognized using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted till the date of the Balance Sheet. Deferred Tax Assets are not recognized unless there is "virtual certainty" that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realized.

17. Discontinuing Operations

In respect of Indbank Merchant Banking Services Ltd accounting policies adopted for discontinued operations are in line with the accounting policies adopted for continuing operations.

SCHEDULE 18

NOTES ON ACCOUNTS TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (2021-22)

1. SUBSIDIARIES:

Sl.No.	Name of the Subsidiary	Proportion of Ownership
a	Indbank Merchant Banking Services Ltd.	64.84%
b	Ind Bank Housing Ltd	51.00%

2. ASSOCIATES:

Sl.No.	Name of the Associate	Shareholding Pattern
a	Tamilnadu Grama Bank	35%
b	Saptagiri Grameena Bank	35%
c	Puduvai Bharathiar Grama Bank	35%

3. ACCOUNTING FOR INVESTMENT IN JOINT VENTURES (AS 27)

(Amount ₹ in crore)

Name of Entity	Country/ Residence	Relationship	Ownership interest	Amount of shareholding
Universal Sampo General Insurance Company Ltd	India	Joint Venture	28.52%	105.00
ASREC (India) Ltd	India	Joint Venture	38.26%	37.50

4. RECONCILIATION AND ADJUSTMENTS

PARENT:

a) Reconciliation of Inter Branch Account is completed up to 31.03.2022. The Bank through various effective steps has achieved reduction in the old outstanding entries in IBGA. Adjustments of the remaining outstanding entries are in progress. As per the Management, 5747 IBGA credit entries aggregating to Rs. 4.86 crores are outstanding pertaining to period before 01.03.2009.

b) In view of the net credit position in respect of un-reconciled entries in the Inter Branch Account outstanding for more than 6 months as on 31.03.2022, no provision is required.

c) Old outstanding entries, in drafts payable, clearing adjustment, sundries receivable, sundry deposit accounts, etc. and in bank reconciliation relating to Reserve Bank of India and other banks are being regularly reviewed for appropriate adjustments.

d) Balancing of subsidiary/ ledgers, registers and reconciliation with general ledgers are in progress at some branches. In the opinion of the management, consequential financial impact of the above on the accounts will not be significant.

5. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (AS-10)

PARENT

5.1 The premises of the Bank include land and building are stated at revalued amount. The Bank revalued its premises in the financial year 2021-22 as on 28.02.2022 at fair market value determined by the approved external valuers. There is an increase of Rs. 599.48 Crore in the amount of revaluation of premises, which has been credited to "Revaluation Reserve Account".

For the year 2021-22, depreciation amounting to Rs.147.27 crores (Previous Year Rs.149.63 crore) was charged under expenditure and depreciation on revalued portion amounting to Rs.143.42 Crore (previous year Rs.142.87 crore) is adjusted against the "Revaluation Reserve account.

5.2. Registration formalities are yet to be completed for the following properties: -

Premises include 9 (7+2*) properties Original costing ₹.8.38 Crore (Previous year–9 (7+2*) Properties costing Rs. 8.38 Crore), having original / revalued book value of Rs. 66.74 Crore (Previous year – Rs. 59.74 Crore), net of depreciation at Rs. 1.46 Crore (Previous year – Rs. 1.40 Crore) for which registration formalities are pending.

* Property at Hyderabad costing Rs.1.61 Crore, where clearance is pending before ULC authority and at Chennai Costing Rs.2.32 Crore, where interim stay has been granted by DRAT.

5.3 Draw Down from Reserves: (Amount ₹ in crore)

Reserves	Amount drawn		Purpose
FY	2021-22	2020-21	
Revaluation Reserve	Rs. 143.42	Rs.142.87	Depreciation on revalued portion on Premises

The amount was credited to Revenue Reserve A/c as per the provisions of Accounting Standard 10.

6. COVID 19 Measures

The spread of COVID-19 across the globe has resulted in declined economic activity and increased volatility in financial markets. In this situation, though the challenges continue to unfold, the Bank is gearing itself on all fronts to meet the same. The situation continues to be uncertain and the Bank is evaluating the situation on an ongoing basis. The extent to which the COVID-19 pandemic will impact the Bank's results will depend on future developments, which are highly uncertain. Major challenges for the Bank would be from extended working capital cycle and reduced cash flows. The Bank's capital and liquidity position is strong and would continue to be the focus area for the Bank during this period.

7. TAXATION

7.1 PARENT

Provision for Income Tax for the year

(Amount ₹ in crore)

Particulars	2021-22	2020-21
Provision for Taxation (Income Tax including Deferred Tax)	-740.59	-99.10

The disputed income tax demand paid as at 31.03.2022 was ₹3953.36 Crore (previous year ₹ 3953.36 Crore). The same has also been included under contingent liabilities relating to Income Tax of ₹9187.03 Crore (previous year ₹7584.17 Crore) relating to disputed tax matters as at 31.03.2022. No provision is considered necessary for the said disputed demands on account of judicial pronouncements and favorable decisions in Bank's own case except in case of income relating to foreign branches for earlier periods amounting to Rs.275 Crore for which Bank has provided during the current year.

7.2 SUBSIDIARY COMPANIES

7.2.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD

a) Net provision of Rs.143.40 lakhs for tax has been made in the year.

b) No provision is made for the disputed demands of income tax keeping in view the judicial pronouncements and/or legal opinion on the issues.

c) The provision for deferred tax (net) for the year is Rs.11.77 lakhs (Previous year Rs.70.49 lakhs) which has been charged to profit & loss account.

d) Prior period taxes : Nil

7.2.2 INDBANK HOUSING LTD

a. The unabsorbed depreciation and carry forward losses eligible for set-off against future taxable income have not been considered for deferred tax asset on the ground of virtual uncertainty.

b. The Income Tax Department has sent a demand notice for ₹ 4.32 crores for the assessment year 1999-2000 including interest. The demand is raised by considering the income on non-performing assets on accrual basis which, as per the NHB directives, could not be recognized as income. The Company has contested the demand and the matter is pending before the Hon'ble Madras High Court.

8. CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT (AS-3)

(Amount ₹ in Crore)

	Year Ended	
Particular	**31.03.2022**	**31.03.2021**
Net Profit as per Profit and Loss Account	**4144.19**	**3150.58**
Add: Adjustments for :		
Provision for NPA	8446.60	7318.39
Provision for Investment	453.75	427.68
Provision for Standard Assets	961.57	469.40
Provision for Tax	(731.02)	(90.38)
Other Provisions and Contingencies	3.81	279.65
Depreciation on Fixed Assets	600.86	636.90
Interest on Capital Instrument	749.59	643.98
Loss/(profit) on sale of land and buildings	(3.05)	0.42
Income taxes paid	(12.18)	(19.72)
Operating Profit before working Capital Changes	**14614.12**	**12816.90**
Increase/Decrease in Operating Assets		
(Increase) / Decrease in Investments	1337.08	(15380.42)
(Increase) / Decrease in Advances	(34967.37)	(30252.79)
(Increase) / Decrease in Other Assets	4947.50	(2161.93)
	(28682.79)	**(47795.14)**
Increase/Decrease in Operating Liabilities		
Increase/(Decrease) in Deposits	55541.08	49525.72
Increase/(Decrease) in Borrowings (other than Capital Instruments)	(7009.92)	(6778.19)
Increase/(Decrease) in other liabilities	(5712.16)	9461.63
	42819.00	**52209.16**
Net cash generated from operations (A)	**28750.33**	**17230.92**
Cash flow from investing activities		
Purchase of fixed assets	(323.09)	(560.44)
Sale of fixed assets	18.40	15.56
Net cash generated from Investing Activities (B)	**(304.69)**	**(544.88)**

Cash flow from Financing activities		
Payment of dividend	(249.09)	0.00
Payment of distribution tax	0.00	0.00
Issue of AT-1 Bonds	0.00	2000.00
Issue of Tier -2 Bonds	0.00	2000.00
Redemtion of AT-1 Bonds	0.00	(500.00)
Redemtion of Tier-2 Bonds	(600.00)	(1000.00)
Interest on Capital Instrument	(782.48)	(631.94)
Capital Received towards Share	1650.00	0.00
Amount paid to e-AB Shareholder (for fraction part)	0.00	(2.51)
Net cash generated from financing activities (C)	**18.43**	**1865.55**
Cash & Cash equivalents received on account of amalgamation (D)	**0.00**	**21777.86**
Net increase/(Decrease) in Cash & Cash equivalents (A)+(B)+(C)+(D)	**28464.07**	**40329.45**
Cash and Cash equivalents at the beginning of the year		
Cash in hand (including foreign currency notes)	1658.38	1006.09
Balances with Reserve Bank of India - in current Account	25886.80	4730.04
Balances with Banks		
(a) in current Accounts	116.03	8.86
(b) in other deposit accounts	2065.07	721.65
Money at Call and short notice with Banks	8900.00	2100.00
Balances with Banks outside India		
(a) in current Accounts	1577.68	530.93
(b) in other deposit accounts	11270.83	2068.49
Money at call and short notice	29.36	8.64
	51504.15	**11174.70**
Cash & Cash equivalents at the end of the year		
Cash in hand (including foreign currency notes)	1962.45	1658.38
Balances with Reserve Bank of India - in current Account	22092.01	25886.80
Balances with Banks		
(a) in current Accounts	30.64	116.03
(b) in other deposit accounts	1413.81	2065.07
Money at Call and short notice with Banks	34500.20	8900.00
Balances with Banks outside India		
(a) in current Accounts	503.98	1577.68
(b) in other deposit accounts	19453.09	11270.83
Money at call and short notice	12.04	29.36
	79968.22	**51504.15**
Difference in Opening and closing cash and cash equivalents	28464.07	40329.45

9. EMPLOYEE BENEFITS (AS 15)

9.1. PARENT

9.1.1. Defined Contribution Plans:

Provident fund is a statutory obligation and in the case of Contributory Provident Fund Optees, the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates. The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss Account. The fund is managed by Indian Bank Staff Provident Fund Trust. During the financial year 2021-22, the Bank has contributed ₹1.14 crores (previous year Rs.1.07 crores).

New Pension Scheme (NPS) is applicable to employees who joined bank on or after 01.04.2010 and it is a defined contribution scheme. Under NPS the Bank pays fixed contribution at pre-determined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account. During the financial year 2021-22, the Bank has contributed ₹ 255.18 crores (previous year ₹ 153.31 crores).

9.1.2. Defined Benefit Plans:

The summarized position of Post-employment benefits and long term employee benefits recognised in the Profit & Loss Account and Balance Sheet as required in accordance with Accounting Standard – 15 (Revised) are as under:

The following table sets out the basis of the Defined Benefit Pension Plan and Gratuity Plan as per the actuarial valuation by the independent Actuary appointed by the Bank

I. PRINCIPAL ACTUARIAL ASSUMPTIONS [Expressed as weighted averages]	**31/03/2022**	**31/03/2021**
Discount Rate -G-Sec Rate	7.27% for Pension and Gratuity – 15 year G-Sec Paper	6.87% for Pension – 15 year G-Sec Paper 6.44% for Gratuity – 10 year G-Sec Paper
Salary escalation rate	6.00% (includes 0.50% for wage revision)	6.00% (includes 0.50% for wage revision)
Attrition rate	1.00% for Pension and 2.00% for Service Employees	1.00% for Pension and 2.00% for Service Employees
Expected rate of return on Plan Assets *	7.62% for Pension and 7.67% for Gratuity	6.89% for Pension and 6.86% for Gratuity
Method used	Projected Unit Credit (PUC) actuarial Method	Projected Unit Credit (PUC) actuarial Method

Note : *Expected Rate of return on Plan Assets not applicable for Leave encashment.

The estimates of future salary increases are considered taking into account inflation, seniority, promotion and other relevant factors, such as supply and demand in the employment market and in tandem with Funding Guidelines for Superannuation Schemes communicated by IBA. Such estimates are very long term and are not based on limited past experience / immediate future. Empirical evidence also suggests that in very long term, consistent high salary growth rates are not possible.

The liabilities of leave encashment are unfunded.

(Amount ₹ in crore)

II. CHANGES IN THE PRESENT VALUE OF THE OBLIGATION (PVO) - RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:	**Pension Fund**		**Gratuity**		**Leave Encashment**	
	2021-22	**2020-21**	**2021-22**	**2020-21**	**2021-22**	**2020-21**
PVO as at the beginning of the year	**15319.48**	**13995.78**	**1848.22**	**1868.46**	**977.42**	**826.09**
Interest Cost	1047.85	914.67	110.19	120.53	59.12	53.97
Current service cost	250.19	229.80	69.21	105.33	175.72	174.38
Past service cost – recognized / vested benefits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Past service cost – unrecognized / non-vested benefits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Benefits paid	-1812.10	-1363.65	-274.20	-223.04	-284.86	-69.40
Actuarial loss/(gain) on obligation (balancing figure)	1741.31	1542.88	30.26	-23.06	77.35	-7.62
PVO as at the end of the year	**16546.73**	**15319.48**	**1783.68**	**1848.22**	**1004.75**	**977.42**

(Amount ₹ in crore)

III. CHANGES IN THE FAIR VALUE OF PLAN ASSETS -RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:	Pension Fund		Gratuity		Leave Encashment	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
Fair value of plan assets as at the beginning of the year	14961.61	13918.80	1897.26	1929.03	0.00	0.00
Expected return on plan assets	1132.00	1104.42	136.42	126.42	0.00	0.00
Contributions	1599.55	1495.93	36.86	50.70	284.86	215.94
Benefits paid	-1812.10	-1363.65	-274.20	-223.04	-284.86	-215.94
Actuarial gain/(loss) on plan assets	12.57	-193.89	6.41	14.15	0.00	0.00
Fair value of plan assets as at the end of the year	**15893.63**	**14961.61**	**1802.75**	**1897.26**	**0.00**	**0.00**

(Amount ₹ in crore)

IV. ACTUAL RETURN ON PLAN ASSETS	Pension Fund		Gratuity		Leave Encashment	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
Expected return on plan assets	1132.00	1104.42	136.42	126.42	0.00	0.00
Actuarial gain / (loss) on plan assets	12.57	-193.89	6.41	14.15	0.00	0.00
Actual return on plan assets	1144.57	910.53	142.83	140.57	0.00	0.00

(Amount ₹ in crore)

V. ACTUARIAL GAIN / LOSS RECOGNISED	Pension Fund		Gratuity		Leave Encashment	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
Actuarial gain / (loss) for the year - Obligation	-1741.31	-1542.88	-30.26	23.06	-77.35	7.62
Actuarial gain / (loss) for the year – due to financial assumption changes in DBO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actuarial gain / (loss) for the year- Plan Assets	12.57	-193.89	6.41	14.15	0.00	0.00
Total gain / (loss) for the year	-1728.74	-1736.77	-23.85	37.21	-77.35	7.62
Actuarial gain/(loss) recognised in the year	**-1728.74**	**-1736.77**	**-23.85**	**37.21**	**-77.35**	**7.62**
Unrecognised actuarial gain / (loss) at the end of the year	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actuarial gain / (loss) for the year - Obligation	-1728.74	-1736.77	-23.85	37.21	-77.35	7.62

(Amount ₹ in crore)

VI. AMOUNTS RECOGNISED IN THE BALANCE SHEET AND RELATED ANALYSIS	Pension Fund		Gratuity		Leave Encashment	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
Present value of the obligation	16546.73	15319.48	1783.68	1848.22	1004.75	977.42
Fair value of plan assets	15893.63	14961.61	1802.75	1897.26	0	0
Difference - Net (Liability) / Asset recognized in Balance Sheet	-653.10*	-357.87	19.07	49.04	1004.75	977.42
Unrecognised transitional liability	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Unrecognised past service cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Liability recognised in the balance sheet	**-653.10***	**-357.87**	**19.07**	**49.04**	**1004.75**	**977.42**

*Provision on account of change in family pension rules is included

(Amount ₹ in crore)

VII. EXPENSES RECOGNISED IN THE STATEMENT OF PROFIT AND LOSS:	Pension Fund		Gratuity		Leave Encashment	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
Current service cost	250.19	229.79	69.21	105.33	175.72	174.38
Interest Cost	1047.85	914.67	110.19	120.53	59.12	53.97
Expected return on plan assets	-1132.00	-1104.42	-136.42	-126.42	0	0
Net actuarial (gain)/loss recognised in the year	1728.74	1736.77	23.85	-37.21	77.35	-7.62
Transitional Liability recognised in the year	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Past service cost - recognised	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Expenses recognised in the statement of profit and loss	**1894.78**	**1776.82**	**66.83**	**62.23**	**312.19**	**220.73**

(Amount ₹ in crore)

VIII. MOVEMENTS IN THE LIABILITY RECOGNISED IN THE BALANCE SHEET	Pension Fund		Gratuity		Leave Encashment	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
Opening net liability	-357.87	-76.98	49.04	60.57	-977.42	-826.09
Expense as above	-1894.78	-1776.82	-66.83	-62.23	-312.19	-220.73
Contribution paid	1599.55	1495.93	36.86	50.70	284.86	69.40
Closing net liability	**-653.10**	**-357.87**	**19.07**	**49.04**	**-1004.75**	**-977.42**

(Amount ₹ in crore)

IX. EXPERIENCE ADJUSTMENTS ON PLAN ASSETS/LIABILITIES (i) Previous Years 2017-22 - Pension	Year Ended					
	31-03-2017	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2022
Present Value of obligation	5925.15	6245.89	6520.32	6801.96	15319.48	16546.73
Plan Assets	5841.36	6146.80	6418.93	6697.41	14961.61	15893.63
Surplus/ (Deficit)	-83.79	-99.09	-101.39	-104.55	-357.87	-653.10
Experience adjustments on plan liabilities- (loss) / gain	-626.82	-704.39	-335.65	-449.25	-1542.88	-1741.31
Experience adjustments on plan assets- (loss) / gain	**27.73**	**10.93**	**-8.58**	**13.32**	**-193.89**	**12.57**

(Amount ₹ in crore)

IX. EXPERIENCE ADJUSTMENTS ON PLAN ASSETS/LIABILITIES (ii) Previous Years 2017-22 - Gratuity	Year Ended					
	31-03-2017	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2022
Present Value of obligation	900.90	964.99	923.85	928.98	1848.22	1783.68
Plan Assets	876.81	932.55	910.66	896.40	1897.26	1802.75
Surplus/ (Deficit)	-24.09	-32.44	-13.19	-32.58	49.04	19.07
Experience adjustments on plan liabilities- (loss) / gain	-87.34	-36.20	-2.11	-61.22	23.06	107.08
Experience adjustments on plan assets- (loss) / gain	**-1.36**	**22.12**	**-0.38**	**2.71**	**14.15**	**6.41**

(Amount ₹ in crore)

IX. EXPERIENCE ADJUSTMENTS ON PLAN ASSETS/LIABILITIES (iii) Previous Years 2017-22- Leave Encashment	Year Ended					
	31-03-2017	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2022
Present Value of obligation	171.21	179.51	188.21	210.29	977.42	1004.75
Plan Assets	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Surplus/ (Deficit)	-171.21	-179.51	-188.21	-210.29	-977.42	-1004.75
Experience adjustments on plan liabilities- (loss) / gain	-3.01	10.18	7.58	17.71	7.62	-77.35
Experience adjustments on plan assets- (loss) / gain	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

X. MAJOR CATEGORIES OF PLAN ASSETS (AS PERCENTAGE OF TOTAL PLAN ASSETS)	2021-2022		2020-2021	
	Pension Fund	Gratuity Fund	Pension Fund	Gratuity Fund
Government of India Securities and State Government Securities	32.38%	23.42%	36.76%	28.00%
High Quality Corporate Bonds /PSU BONDS	13.42%	12.21%	15.64%	12.98%
Special Deposit Scheme	0.06%	0.04%	0.06%	0.00%
Funds managed by Insurer	53.98%	64.11%	47.21%	58.60%
Private Sector Bonds	0.16%	0.22%	0.33%	0.42%
Money Market			-	-
Total	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**

(Amount ₹ in crore)

XI. CONTRIBUTION DURING NEXT YEAR	Pension Fund	Gratuity Fund	Earned Leave
Enterprise's best estimate of contribution during next year	1300	50	300

9.1.3 Other Long Term Employee Benefits

Amount of ₹ 48.43 crore (previous year ₹ 50.12 crore) has been provided towards Long Term Employee Benefits as per the actuarial valuation by the independent Actuary appointed by the Bank and is included under the head "Payments to and Provisions for Employees" in Profit and Loss Account.

Details of additional Provisions made / (written back) for various long Term Employee Benefits during the year

(Amount of ₹ in crore)

No.	Long Term Employee Benefits	2021-22	2020-21
1	Sick Leave	1.84	15.28
2	Casual Leave	0.09	0.16
3	Leave Travel Concession	46.50	34.68
	Total	**48.43**	**50.12**

No.	Long Term Employee Benefits	Opening balance 01.04.2021	Expenditure 2021-22	Addition 2021-22	Closing Balance 31.03.2022
1	Sick Leave	22.66	3.04	4.87	24.49
2	Casual Leave	0.87	0.38	0.48	0.97
3	Leave Travel Concession	69.92	32.75	46.50	83.67
Total		**93.45**	**36.17**	**51.85**	**109.13**

Note: Disclosures included are limited to the extent of information provided by the Actuary.

9.2 SUBSIDIARY COMPANIES

9.2.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD

Defined Contribution Plan

Contribution to Defined Contribution Plan, recognized as expense for the year are as under:

(Amount in ₹)

Details	2021-22	2020-21	2019-20
Employer's contribution to Provident Fund	4763140	4503279	3956245

Defined Benefit Plan

I) Reconciliation of opening and closing balances of Defined benefit obligation

(Amount in ₹)

Details	Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Unfunded)	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
Defined benefit obligation at the beginning of the year	15294514	14477169	9559705	9175621
Current service cost	1336060	1245412	453039	418454
Interest cost	1014041	915972	632013	588067
Actuarial (gain)/ loss	1476701	(104445)	2433748	(64441)
Benefits paid	(895281)	(1239594)	(612432)	(557996)
Settlement cost	-	-	-	-
Defined benefit obligation at the year end	18226005	15294514	12466073	9559705

II) Reconciliation of opening and closing balances of fair value of plan assets

(Amount in ₹)

Details	Gratuity (Funded)	
	2021-22	2020-21
Fair value of plan assets at the beginning of the year	15598048	11607030
Expected return on plan assets	(1139501)	867210
Contributions	3066712	4264874
Actuarial (gain)/ loss	(23,223)	98528
Benefits paid	(895281)	(1239594)
Settlement cost	-	-
Fair value of plan assets at year end	16606755	15598048
Actual return on plan assets	1499924	(202973)

III) Reconciliation of fair value of assets and obligations

(Amount in ₹)

Details	Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Unfunded)	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
Fair value of plan assets	18226005	15294514	-	-
Present value of obligation	16606755	15598048	12466073	9559705
Amount recognized in Balance Sheet	(1619250)	303534	(12466073)	(9559705)

IV) Expense recognized during the year

(Amount in ₹)

Details	Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Unfunded)	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
Current Service Cost	1336030	1245412	453039	418454
Interest Cost	1014041	915972	632013	588067
Expected return on plan assets	1139501	867210	-	-
Actuarial (gain) / loss	1499924	(202973)	2433748	(64441)
Net Cost	2710494	1091201	12466073	9559705

V) Actuarial assumptions

Details	Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Unfunded)	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
Mortality Table (LIC)	2012-14 (Ultimate)	2012-14 (Ultimate)	2012-14 (Ultimate)	2012-14 (Ultimate)
Discount rate (per annum)	6.99%	6.83%	6.99%	6.83%
Expected rate of return (per annum)	6.99%	6.61%	-	-
Rate of escalation of salary (per annum)	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%
Attrition Rate	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%

The estimates of rate of escalation in salary considered in actuarial valuation, taking into account inflation, seniority, promotion and other relevant factors including supply and demand in the employment market. The expected rate of return is determined considering several applicable factors, mainly the composition of plan assets held, assessed risks, historical results of return on plan assets and the company's policy for plan assets management. The retirement benefit liability in respect of staff on deputation from Indian Bank is borne by Indian Bank.

The company has contributed Rs.29.54 Lakhs (previous year- Rs.23.53 lakhs) towards Gratuity liability in the year 2021-22

9.2.2. INDBANK HOUSING LTD

Company's obligation towards Gratuity Fund and details of actuarial valuation: (Amount in ₹)

1	Total past service gratuity	NIL
2	Actuarial value past service gratuity	NIL
3	Gratuity Fund with LIC	NIL
4	Contribution payable to LIC	NIL
5	Contribution paid during the year	NIL
6	Balance payable	NIL
7	Risk premium and service tax paid	NIL
8	Assumptions Discounting rate Projections of salary increase	NA

10. SEGMENT REPORTING (CONSOLIDATED) (AS 17)

10.1. Segment Identification

I. Primary (Business Segment)

The following are the primary segments of the Bank:-

- Treasury
- Corporate / Wholesale Banking
- Retail Banking
- Other Banking Business.

The present accounting and information system of the Bank does not support capturing and extraction of the data in respect of the above segments separately. However, based on the present internal, organisational and management reporting structure and the nature of their risk and returns, the data on the primary segments have been computed as under:

i. Treasury -

The Treasury Segment includes the entire investment portfolio and trading in foreign exchange contracts and derivative contracts. The revenue of the treasury segment primarily consists of fees and gains or losses from trading operations and interest income on the investment portfolio.

ii. Corporate / Wholesale Banking –

The Corporate / Wholesale Banking segment comprises the lending activities of Corporate Accounts Group, Commercial Clients Group and Stressed Assets Resolution Group. These include providing loans and transaction services to corporate and institutional clients and further include non-treasury operations of foreign offices.

iii. Retail Banking –

The Retail Banking Segment comprises of retail branches, which primarily includes Personal Banking activities including lending activities to corporate customers having banking relations with these branches. This segment also includes agency business and ATMs.

iv. Other Banking business —

Segments not classified under (i) to (iii) above are classified under this primary segment.

II. Secondary (Geographical Segment)

i. Domestic Operations - Branches / Offices having operations in India

ii. Foreign Operations - Branches / Offices having operations outside India and offshore banking units having operations in India

III. Allocation of Expenses, Assets and Liabilities

Expenses incurred at Corporate Centre establishments directly attributable either to Corporate / Wholesale and Retail Banking Operations or to Treasury Operations segment, are allocated accordingly. Expenses not directly attributable are allocated on the basis of the ratio of segment assets in each segment/ratio of directly attributable expenses. The Bank has certain common assets and liabilities, which cannot be attributed to any segment, and the same are treated as unallocated.

10.2. Consolidated Segment Information

(Amount ₹ in crore)

Part A Business Segments

	Treasury		Corporate/ Wholesale Banking		Retail Banking		Other Banking operations		Total	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
Revenue	13767.26	13573.27	16082.40	17708.42	15415.12	13021.62	1003.37	916.17	46268.15	45219.48
Result	6355.67	5775.50	3079.29	2843.03	2938.78	2084.26	411.62	288.61	12785.36	10991.40
Unallocated expenses									9 522.49	8 066.06
Operating profit									3 262.87	2 925.34
Minority interest									2.38	1.43
Other unallocable income									150.30	134.86
Income Taxes									(731.02)	(90.38)
Exceptional Item									0.00	0.00
Net Profit									4141.81	3149.15
Other information										
Segment Assets	2 40 001.83	2 09 281.25	2 15 377.81	2 33 418.56	2 06 008.16	171 257.10	2 382.36	2 071.68	663770.16	616028.59
Unallocated assets									10326.27	9506.58
Total assets									674096.43	625535.17
Segment Liabilities	2 24 383.64	1 96 386.55	2 01 362.03	2 19 036.66	1 92 602.11	160 705.23	1 185.25	1 059.97	619533.03	577188.41
Unallocated liabilities									9611.47	8888.69
Capital reserves & Surplus									44951.93	39458.07
Total liabilities									674 096.43	625 535.17

Part B Geographic Segments

	Domestic		International		Total	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
Revenue	45960.46	44892.23	307.69	327.25	46268.15	45219.48
Assets	652421.69	611117.34	21674.74	14417.83	674096.43	625535.17

Segment Revenue and expenses have been apportioned on the basis of segment assets, wherever direct allocation is not possible.

Previous year figures were re-grouped wherever necessary.

11. RELATED PARTY DISCLOSURES (AS 18)

11.1 PARENT

Key Managerial Personnel:

Name	Designation	Date of Appointment	Date of cessation
Ms. Padmaja Chunduru	Ex. Managing Director & Chief Executive Officer	21.09.2018	01.09.2021
Shri Shanti Lal Jain	Managing Director & Chief Executive Officer	01.09.2021	
Shri Shenoy Vishwanath V	Executive Director	01.12.2018	01.04.2022
Shri . K Ramachandran	Ex. Executive Director	01.04.2020	01.07.2021
Shri Imran Amin Siddiqui	Executive Director	10.03.2021	
Shri Ashwani Kumar	Executive Director	21.10.2021	

Shareholding of non-executive Directors:

Sl. No.	Name	Designation	No. of Shares held
1	Dr. Bharath Krishna Sankar	Shareholder Director	300
2	Ms. Papia Sengupta	Shareholder Director	200

Related Party Transaction are as under:

Remuneration paid to key Management personnel during the Year ₹172.37 lakhs (Previous- Year ₹102.52 lakhs)

Details	2021-2022	2020-2021
Ms. Padmaja Chunduru, Ex-MD & CEO Salary & Emoluments Paid (01.04.2021 to 31.08.2021)	₹ 40.30 lakhs	₹ 30.46 lakhs
Shri Shanti Lal Jain MD& CEO Salary & Emoluments Paid (01.09.2021 to 31.03.2022)	₹ 20.27 lakhs	--
Shri M K Bhattacharaya, Ex-Executive Director Salary & Emoluments Paid (01.04.2020 to 30.11.2020)	--	₹ 18.16 lakhs
Shri Shenoy Vishwanath V., Executive Director Salary & Emoluments Paid (01.04.2021 to 31.03.2022)	₹ 32.76 lakhs	₹ 26.22 lakhs
Shri K. Ramachandran, Ex-Executive Director Salary & Emoluments Paid (01.04.2021 to 30.06.2021)	₹ 30.19 lakhs	₹ 26.21 lakhs
Shri Imran Amin Siddiqui, Executive Director Salary & Emoluments Paid (01.04.2021 to 31.03.2022)	₹ 30.00 lakhs	₹1.47 lakhs
Shri Ashwani Kumar, Executive Director Salary & Emoluments Paid (01.10.2021 to 31.03.2022)	₹ 18.85 lakhs*	--

*Including House Rent Allowance of Rs. 5.11 lakh.

Other disclosures pertaining to related parties are as under

(Amount ₹ in Lakh)

Items / Related	Parent (as per ownership or control)	Joint Ventures	Total
Rendering of services	1528.82*	26.16	1528.82*
Receiving of services	26.16	1528.82*	26.16

*Includes commission income of Rs.1384.52 lakhs from Bank's JV, Universal Sompo General Insurance Co.Ltd., pertaining to insurance policies of Indian Bank.

No disclosure is required in respect of related parties, which are "State-controlled Enterprises" as per paragraph 9 of Accounting Standard (AS) 18. Further, in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions under Banker-Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

11.2 SUBSIDIARY COMPANIES

11.2.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD

Key Managerial Personnel:

Managerial Remuneration:

(Amount ₹ in lakhs)

Name	Designation		2021-22	2020-21
Mr SeshaSai P L V K	President & Whole Time Director (Upto 27.06.2020)	Salary	-	3.96
		Contribution to PF	-	0.20
Mr. V Haribabu	President & Whole Time/CFO Director (From 28.02.2022/03.09.2021)	Salary	12.74	-
		Contribution to PF	0.73	-
Mr. A Rajaraman	President & Whole Time Director (Upto 30.11.2021)	Salary	13.70	10.60
		Contribution to PF	0.86	0.73
Mr. U Rajkumar	Vice President & CFO (Upto 02.09.2021)	Salary	4.65	10.40
		Contribution to PF	0.35	0.79
Mrs. Chitra M A	Company Secretary & Compliance Officer (From 29.01.2022)	Salary	2.20	-
		Contribution to PF	0.24	-
Mr. V Balamurugan	Company Secretary & Compliance Officer (Upto 28.01.2022)	Salary	6.88	6.62
		Contribution to PF	0.72	0.81
Sitting Fees paid to Non Whole Time Independent Directors			4.68	2.74

President and Whole Time Director of the Company is on deputation from Indian Bank and the remuneration is in accordance with the service rules of the said Bank and also in terms of appointment as 'Whole Time Director' by the shareholders of the Company.

Vice President and CFO of the Company is on deputation from Indian Bank and the remuneration is in accordance with the service rules of the said Bank.

Company Secretary & Compliance Officer has been recruited directly by the company and the remuneration is in accordance with the terms of offer of employment given by the company.

11.2.2 IND BANK HOUSING LTD.

Managing Director of the Company is on deputation from Indian Bank and is drawing remuneration from Ind Bank Merchant Banking Services Ltd. as President of that Company. Hence no remuneration is paid by this Company.

Other related parties are State controlled Enterprises and hence no disclosures are required as per paragraph 9 of AS 18. Further, in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of banker-customer relationship are not required to be disclosed.

12. LEASES (AS 19)

12.1 PARENT

a) The properties taken on lease / rental basis are renewable / cancellable at the option of the Bank.

b) The leases entered into by the Bank are for agreed period with an option to terminate the leases even during the currency of lease period by giving agreed calendar month notice in writing.

c) Lease rent paid for operating leases are recognized as an expense in the Profit & Loss account in the year to which it relates. The lease rent recognized during the year is Rs.417.00 Crore. (Previous year Rs.440.41 Cr).

d) Finance Lease

An asset acquired on finance lease comprises plant and equipment and land. The leases have a primary period, which is fixed and non-cancellable. The Bank has an option to renew the lease for a secondary period.

The minimum lease rentals and the present value of minimum lease payments in respect of assets acquired under finance lease are as follows:

Particulars	Minimum lease payments		Present value of minimum lease payments	
	As at 31st March 2022	As at 31st March 2021	As at 31st March 2022	As at 31st March 2021
Payable not later than 1 Year	0	0	0	0
Payable later than 1 year and not later than 5years	0	0	0	0
Payable later than 5 Years	0	0	0	0
Total	0	0	0	0
Less:Future finance charges				
Present value of minimum lease payments	0	0	0	0

12.2 SUBSIDIARY COMPANIES

12.2.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD

In case of assets taken on lease

The company has operating leases for office premises at various locations with the Parent. The future minimum payments required under non-cancellable operating leases at year-end are as follows:

(₹ in lakhs)

Details	As on 31.03.2022	As on 31.03.2021
Lease payments for the year	21.71	24.59
Minimum Lease payments: Not later than one year	0.00	0.00
Later than one year but not later than five years	0.00	0.00
Later than five years	0.00	0.00

13. EARNINGS PER SHARE (AS 20)

Particulars		2021-22	2020-21
Net Profit after tax available for equity shareholders (₹ in crore)		4141.81	3149.15
Number of Equity Shares		1245441139	1129366570
Weighted Number of equity shares		1218410075	1129366570
Basic Earning Per Share	(in ₹)	33.99	27.88
Diluted Earning Per Share	(in ₹)	33.99	27.88
Nominal value per Equity Share	(in ₹)	10.00	10.00

14. CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT (AS 21)

The consolidated financial statements are prepared in accordance with the Accounting Standard (AS 21), "Consolidated Financial Statements" issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the guidelines issued by the Reserve Bank of India on preparation of Consolidated Financial Statements.

The consolidated financial statements are based on the audited financial statements of Indian Bank (parent) and audited financial statements of its subsidiaries, viz., (1) Indbank Housing Ltd. and (2) Indbank Merchant Banking Services Ltd.

Consolidated figures as on 31.03.2022 includes ₹74.95 crores being share of the audited profit of two Associates viz, M/s Puduvai Bharathiar Grama Bank and M/s Sapthagiri Grameena Bank and ₹75.36 Crore being of share unaudited profit of M/s Tamilnadu Grama Bank, ₹43.80 Crores being the share in unaudited profit of two joint ventures viz. 1) Universal Sompo General Insurance Company Ltd. and 2) ASREC (India) Ltd

15. ACCOUNTING FOR TAXES ON INCOME (AS 22)

15.1 PARENT

15.1.1 Current Tax-

Current Tax: During the current year, considering the accumulated losses of erstwhile Allahabad Bank, Bank has not created provision for income tax for domestic operations for the current year. Provision for income tax made in foreign branches amounting to Rs. 12.85 Crore during the current year. Provision for tax on foreign branches relating to earlier years made in the current year amounts to Rs. 275 Crores. The current tax has been calculated in accordance with the provisions of Income Tax Act 1961.

15.1.2 Deferred Tax

The Bank has a net DTA of Rs.3872.91 Crore (Previous year net DTA of Rs. 2844.49 Crore), which comprises of Deferred Tax Liabilities (DTL) of Rs. 977.15 Crore (Previous Year Rs. 949.89 Crore) included under 'Other liabilities and Provisions' and Deferred Tax Assets (DTA) of Rs.4850.06 Crore (Previous Year Rs.3794.38 Crore) included under 'Other Assets.

The major components of Deferred Tax Assets (DTA) / Deferred Tax Liabilities (DTL) are: (₹ in Crore)

Sl.No.	Particulars	31.03.2022	31.03.2021
	Deferred Tax Assets		
1	Liabilities provision allowable on payment /crystallisation	219.35	208.53
2	FCTR (Foreign Currency Translation Reserve)	99.08	105.29
3	Provision for Gratuity	0.06	0.09
4	Provision for Bad Debts	3856.25	3076.11
5	Provision for restructured assts, AQR, S4A, Stressed Assets	588.06	328.67
6	Depreciation on Fixed Assets	87.26	75.69
	Total DTA	**4850.06**	**3794.38**
	Deferred Tax Liabilities		
1	Depreciation on Fixed Assets	44.40	44.41
2	Provision for written off accounts	363.15	363.15
3	Staff welfare retrieval	4.11	4.11
4	Special Reserves u/s 36(1)(viii)	565.49	538.22
	Total DTL	**977.15**	**949.89**
	Net DTA / (DTL)	**3872.91**	**2844.49**

15.2 SUBSIDIARY COMPANIES

15.2.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD :

The major components of deferred tax asset/liability are as below: (Amount in ₹)

	Deferred Tax			
	As on 31.03.2022		As on 31.03.2021	
	Asset	Liability	Asset	Liability
i) Timing difference in depreciable assets		9355398		14848304
ii) Provision for Bad debts and NPAs	36142094		44029302	
iii) Others	3661463		2444273	
Total	**39803557**	**9355398**	**46473575**	**14848304**
NET DTA / (DTL)		**30448159**		**31625271**

16. DISCLOSURE REQUIREMENTS UNDER AS 24–DISCONTINUED OPERATIONS

16.1 SUBSIDIARY COMPANIES

16.1.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD

Information reported to the Chief Operating Decision Maker (CODM - Board of Directors) for the purposes of resource allocation and assessment of segment performance focuses on the Company as a whole. Hence, the management has concluded that the Company has only one segment.

The Company had discontinued fund-based activities consequent to SEBI regulations coming into force with effect from December 1997 and had decided to undertake only fee-based activities. The existing fund based exposures as on December 1997 are continued to run down to their contracted period. The Company had obtained cancellation of registration as NBFC from RBI consequent to repayment of fixed deposits and transfer of unclaimed fixed deposits to IEPF.

17. SUBSIDIARY COMPANIES:

17.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD

Indian Bank, the parent Bank, had approved a moratorium period of 3 years from September 2013 to September 2016 for repayment of the amount of Rs. 897.48 lakhs payable to them under the Right of Recompense clause with repayment of Rs. 75 lakhs per half year to commence from the half year ending 31.03.2017 without any interest charge for the period of moratorium/repayment. Accordingly the company has repaid Rs.750 lakhs to Indian Bank upto the half year ended 31.03.2022 as per the terms approved by the parent bank

18. BANCASSURANCE BUSINESS

PARENT

During the current year, the Bank has earned commission, etc, to the extent of Rs.85.01 Crore on sale/marketing of various Bancassurance products / Mutual Funds (previous year Rs.63.98 Crore). (Amount ₹ in Crore)

Sl No.	Nature of Income	2021-22	2020-21
1	For Selling Life Insurance Policies	56.22	38.44
2	For selling Non-life insurance policies	26.42	24.56
3	Others – For selling Mutual Fund Products	2.37	0.98
	Total	**85.01**	**63.98**

19. ADDITIONAL DISCLOSURES

PARENT :

a) Inter- Bank/Company balances between group entities are being reconciled on an ongoing basis. No material effect is expected on the profit and loss account of the current year of such reconciliation.

b) In accordance with current RBI guidelines, the general clarification issued by ICAI has been considered in the preparation of the consolidated financial statements. Accordingly, additional statutory information disclosed in separate financial statements of the parent and its subsidiaries having no bearing on the true and fair view of the consolidated financial statements and also the information pertaining to the items which are not material have not been disclosed in the consolidated financial statements in view of the Accounting Standard Interpretation issued by ICAI.

c) As per information available with the Bank, there is no outstanding dues payable by the Bank to MSME units identified by the Bank, which is pending beyond the time limit prescribed under MSMED Act, 2006 and there have been no reported cases of accepted liability of delayed payments of principal amount or interest thereon for such parties during the year

20. Previous year's figures have been regrouped / reclassified, wherever necessary, to confirm to current year's classification

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To

The Members of Indian Bank

Report on Audit of the Consolidated Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying Consolidated Financial Statements of Indian Bank (hereinafter referred to as "Parent/Bank") which comprise consolidated Balance Sheet as at March 31, 2022, the consolidated Statement of Profit and Loss, the consolidated Cash Flows Statement for the year then ended, and notes to the Consolidated Financial Statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "the Consolidated Financial Statements") which includes:-

 a) Audited Statements of the Bank which have been audited by us;

 b) Audited Statements of 2 Subsidiaries and 2 Associates audited by other Auditors; and

 c) Un-audited Statements of 2 Joint Ventures and 1 Associate.

 The above entities a), b) & c) together are referred to as the 'Group'.

 In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on our consideration of the reports of other auditors on Separate Financial Statements and other financial information of Subsidiaries and Associates and the unaudited Separate Financial Statements and other financial information of Joint Venture and Associate as furnished by the management, the aforesaid Consolidated Financial Statements are in conformity with accounting principles generally accepted in India and give a:

 a. true and fair view in case of the Consolidated Balance Sheet, read with the notes thereon, of the state of affairs of the Group as at March 31, 2022;

 b. true balance of profit in case of the Consolidated Statement of Profit and Loss for the year ended on that date and

 c. true and fair view in case of Consolidated Cash Flow Statement for the year ended on that date.

Basis for Opinion

2. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by ICAI. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Group in accordance with the code of ethics issued by the ICAI together with ethical requirements that are relevant to our audit of the Consolidated Financial Statements under the provisions of the Act, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of Matter:

We draw attention to:

3. Note No. 6 of the Schedule 18 of Consolidated Financial Statement on the impact of uncertainties caused by COVID 19 on the future business and financial results and Management's assessment of the same in the prevailing situation. The Management is in the process of evaluating the effect of the uncertainties on an ongoing basis with reference to challenges under the prevailing uncertainties.

Our report is not modified in respect of above matters.

Key Audit Matters

4. Key Audit Matters are those matters that in our professional judgment were of most significance in our audit of the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2022. These matters were addressed in the context of our audit of the Consolidated Financial Statements as a whole and in forming our opinion thereon and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the Key Audit Matters to be communicated in our report:

Sr. No.	Key Audit Matter	How was the Key Audit Matter addressed in the Audit
	In respect of Bank	
1	**Classification of Advances, Income Recognition, Identification of and provisioning for non-performing Advances.** The net advances of the Bank constitute 57.73% of the total assets of the Group, which is the significant part of the Consolidated Financial Statements The Reserve Bank of India's ("RBI") guidelines on Income recognition and asset classification ("IRAC") prescribe the prudential norms for identification and classification of non-performing assets ("NPA") and the minimum provision required for such assets. Identification of performing and non-performing Advances involves establishment of proper mechanism. The Bank accounts for all the transactions related to Advances in its Information Technology Systems (IT Systems) which also identifies whether the advances are performing or non performing, NPA classification and calculation of provision. The carrying value of these advances (net of provisions) may be materially misstated if, either individually or in aggregate, the IRAC norms are not properly followed. Considering the nature of the transactions, regulatory requirements, existing business environment, estimation/ judgement involved in valuation of securities, it is a matter of high importance for the intended users of the Consolidated Financial Statements and hence we have ascertained identification and provisioning for NPAs as a key audit matter.	**Tests of control** Assessing the design, implementation and operating effectiveness of Key internal controls over approval, recording and monitoring of loans, monitoring process of overdue loans, measurement of provisions, identification of NPA accounts and corresponding reversal of income, and assessing the reliability of management information (including overdue reports). **Substantive tests.** A sample of loan accounts that included large/stressed advances and some other advances on sample basis was taken in the top branches allocated to us, and in such samples we conducted the following checks: • The accuracy of the data input in the system for income recognition and identification as performing or non performing advances. • In the performing advances selected, assessed independently whether the classification was correctly done • Reviewed the financial statements, collateral valuation and other qualitative information available about these parties. • Test of details over calculation of NPA provisions and reversal of income in line with IRAC norms. • Checked the borrower wise NPA identification determined by the bank to ensure compliance with RBI guidelines. • Checked the provisions on standard advances for various categories of loans, to ensure compliance with RBI norms. • Existence and effectiveness of monitoring mechanisms such as internal audit, concurrent audit, systems audit etc in monitoring and timely reporting of NPA's. • Reliance is also placed on audit reports of other Statutory branch auditors, which we have scrutinised and considered relevant observations.
2.	**Classification and Valuation of Investments, Identification of and provisioning for Non-Performing Investments** • Investments include investments made by the Bank in various Government Securities, Bonds, Debenture, Shares, Security receipts and other approved securities classified under the categories, Held to maturity, Available for sale and Held for Trade.	Our audit approach towards Investments with reference to the RBI Circulars / directives included the review and testing of the design, operating effectiveness of internal controls and substantive audit procedures in relation to valuation, classification, identification of Non - Performing Investments, Provisioning / depreciation related to Investments. In particular, 1) We evaluated and understood the Bank's internal control system to comply with relevant RBI guidelines regarding valuation, classification, identification of Non-Performing Investments, Provisioning/depreciation related to investments;

Sr. No.	Key Audit Matter	How was the Key Audit Matter addressed in the Audit
	• Investments constitute 26.18% of the Group's total assets. These are governed by the circulars and directives of the Reserve Bank of India (RBI). These directions of RBI, inter alia, cover valuation of investments, classification of investments, identification of non-performing investments, the corresponding non-recognition of income and provision there against. • The valuation of each category (type) of the aforesaid securities is to be done as per the method prescribed in circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data/ information from various sources such as FIMMDA rates, rates quoted on BSE / NSE, financial statements of unlisted companies etc. Considering the complexities and extent of judgement involved in the valuation, volume of transactions, investments on hand and degree of regulatory focus, this has been determined as a Key Audit Matter. Accordingly, our audit was focused on valuation of investments, classification, identification of Non-Performing Investments and provisioning related to investments.	2) We assessed and evaluated the process adopted for collection of information from various sources for determining fair value of these investments; 3) For the selected sample of investments in hand, we tested accuracy and compliance with the RBI Master Circulars and directions by re-performing valuation for each category of the security. Samples were selected after ensuring that all the categories of investments (based on nature of security) were covered in the sample; 4) We assessed and evaluated the process of identification of NPIs, and corresponding reversal of income and creation of provision; 5) We carried out substantive audit procedures to re-compute independently the provision to be maintained and depreciation to be provided in accordance with the circulars and directives of the RBI. Accordingly, we selected samples from the investments of each category and tested for NPIs as per the RBI guidelines and recomputed the provision to be maintained in accordance with the RBI Circular for those selected sample of NPIs; 6) We tested the mapping of investments between the Investment application software and the financial statement preparation software to ensure compliance with the presentation and disclosure requirements as per the aforesaid RBI Circular/ directions.

Information Other than the Consolidated Financial Statements and Auditors' Report thereon

5. The Bank's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the Corporate Governance Report which we have obtained at the time of issue of this report (but does not include the Consolidated Financial Statements and our auditors' report thereon). The Directors' Report including annexures in annual report, if any, thereon and Report on Corporate Governance is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

 Our opinion on the Consolidated Financial Statements does not cover the other information and Pillar 3 disclosure under Basel III and we do not and will not express any form of assurance conclusion thereon.

 In connection with our audit of the Consolidated Financial Statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Consolidated Financial Statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

 When we read the Director's Report of the Bank, including annexures in annual report, if any, thereon, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance

Responsibility of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

6. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these Consolidated Financial Statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Group in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Consolidated Financial Statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the Consolidated Financial Statements, respective Board of Directors of the Group Entities is responsible for assessing the respective Entity's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group Entity or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those Board of Directors of the Group Entities are also responsible for overseeing the respective Entity's financial reporting process.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

7. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Consolidated Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Consolidated Financial Statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risk of material misstatement of the Consolidated Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risk, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit of the Bank in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the ability of the Group to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the Consolidated Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Consolidated Financial Statements, including the disclosures, and whether the Consolidated Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of such entities or business activities within the Group and to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the audit of financial information of Bank included in the consolidated financial statements of which we are the independent auditors. For the other entities included in the consolidated financial statements, which have been audited by other auditors, such other auditors remain responsible for the direction, supervision and performance of the audits carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion.

Materiality is the magnitude of misstatements in the Consolidated Financial Statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the consolidated financial statements.

We communicate with those charged with governance of the Bank regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most

significance in the audit of the Consolidated Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters.

We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matters or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matter

8. We did not audit the financial statements / financial information of Two (02) subsidiaries, whose financial statements / financial information reflect group share of total assets of Rs. 62.44 crores as at March 31, 2022, group share of total revenues of Rs. 17.95 crores for the year ended on that date, as considered in the Consolidated Financial Statements. The Consolidated Financial Statements also include the Group's share of net profit of Rs. 74.95 crore for the year ended March 31, 2022, as considered in the Consolidated Financial Statements, in respect of Two (02) Associates. These financial statements have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us by the Management and our opinion on the Consolidated Financial Statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiaries and associates, is based solely on the reports of the other auditors.

9. We did not audit the financial statements of Two (02) Joint Ventures whose financial statements reflect group share of total assets of Rs. 1570.24 crore as at March 31, 2022, group share of total revenues of Rs. 478.76 crore for the year ended on that date and Group's share of Net Profit of Rs. 43.80 crores, as considered in the Consolidated Financial Statements. The Consolidated Financial Statements also include the Group's share of net profit of Rs. 75.36 crore for the year ended March 31, 2022, as considered in the Consolidated Financial Statements, in respect of One (01) Associate whose financial statements are unaudited and have been furnished to us by the Management and our opinion on the Consolidated Financial Statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these Joint Ventures and Associates, is based solely on such unaudited financial statements. In our opinion and according to the information and explanations given to us by the Management, these financial statements are not material to the Group.

 Our opinion on the Consolidated Financial Statements and our report on Other Legal and Regulatory Requirements below, is not modified in respect of the above matters with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors and the unaudited Financial Statements/financial information certified by the Management.

10. The Consolidated Financial Statements of the Bank for the previous year ended 31st March, 2021 were audited by the joint auditors, four of whom are predecessor audit firms and they had expressed unmodified opinion on such Consolidated Financial Statements.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

11. The Consolidated Balance Sheet and the Consolidated Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;

12. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 7 to 9 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

 a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

 b) The transactions, which have come to our notice, have been within the powers of the Group; and

 c) The returns received from the offices and branches of the Group have been found adequate for the purposes of our audit.

13. As required by the RBI's letter no. DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020(as amended), we report that:

 a) The provisions of Section 164(2) of the Companies Act, 2013 pertaining to disqualification of directors are not applicable to the Bank. On the basis of the Reports of the Statutory Auditors of Subsidiaries, none of the directors of the subsidiaries are disqualified as on March 31, 2022 from being appointed as a director of the subsidiaries in terms of sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013.

 b) There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the Bank.

 c) There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.

 d) As per para 1.14 of the Technical Guide on Audit of Internal Financial Controls in Case of Public Sector Banks issued by ICAI, the reporting requirement as introduced by RBI regarding Internal Financial Control over Financial Reporting will apply only to standalone financial statements of Public Sector Banks (PSBs) and not to consolidated Financial Statements of PSBs. Accordingly, reporting is not done on the Group's Internal Financial Control over Financial Reporting with reference to the Consolidated Financial Statements as at March 31, 2022.

14. We further report that:

a) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us.

b) The Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Statement of Cash Flows dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches not visited by us.

c) The reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and

d) In our opinion, the Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Statement of Profit and Loss Account and the Consolidated Statement of Cash Flows comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

For SRIRAMAMURTHY & CO
Chartered Accountants
FR No. 003032S

Partner M. PRATYUSHA
(M. No. 254141)
UDIN: 22254141AJEAEL7018

For RAVI RAJAN & CO LLP
Chartered Accountants
FR No. 009073N / N500320

Partner SUMIT KUMAR
(M. No. 512555)
UDIN: 22512555AIUPZD9911

For P K F SRIDHAR & SANTHANAM LLP
Chartered Accountants
FR No. 003990S / S200018

Partner P DEVI
(M No. 223137)
UDIN: 22223137AJQJNC8037

For G NATESAN & CO
Chartered Accountants
FR No. 002424S

Partner VARALAKSHMI MURALI
(M. No. 028863)
UDIN: 22028863AIUPWI6171

For SARC & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FR No. 006085N

Partner CHETAN THAKKAR
(M. No. 114196)
UDIN: 22114196AIUQFB9538

Place of Signature: Chennai
Date of Report: 11th May 2022

Basel III-Pillar III Disclosures

March 31,2022

ADDITIONAL DISCLOSURES IN TERMS OF COMPLIANCE OF BASEL III REQUIREMENTS AS STIPULATED BY RBI

Table DF – 1

Scope of Application

Name of the head of the banking group to which the framework applies: Indian Bank

(i) Qualitative Disclosures:

a. List of group entities considered for consolidation

Name of the entity / Country of incorporation	Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (yes / no)	Explain the method of consolidation	Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (yes / no)	Explain the method of consolidation	Explain the reasons for difference in the method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
IndBank Merchant Banking Services Ltd. (Subsidiary)	**Yes**	Consolidated in accordance with Accounting Standard 21- Consolidated Financial Statement	**Yes**	Consolidated in accordance with Accounting Standard 21- Consolidated Financial Statement	**Not Applicable**	**Not Applicable**
Ind Bank Housing Ltd. (Subsidiary)	**Yes**	Consolidated in accordance with Accounting Standard 21- Consolidated Financial Statement	**Yes**	Consolidated in accordance with Accounting Standard 21- Consolidated Financial Statement	**Not Applicable**	**Not Applicable**
Asrec (India) Ltd (Joint venture)	**Yes**	Accounting standard 27- Financial reporting of interests in joint ventures	**Yes**	Consolidated in accordance with proportionate consolidation method as per Accounting Standard 27- Financial reporting of interests in joint ventures	**Not Applicable**	**Not Applicable**
Universal Sompo General Insurance company Ltd (Joint venture)	**Yes**	Accounting standard 27- Financial reporting of interests in joint ventures	**No**	Not Applicable	**Not Applicable**	**Regulatory Guidelines**
Tamil Nadu Grama Bank (Associates)	**Yes**	Consolidated under Equity Method in accordance with Accounting Standard 23- Consolidated Financial Statement	**No**	**Not Applicable**	**Treated as associates**	Risk weighted for capital adequacy purposes
Saptagiri Grameena Bank (Associates)	**Yes**	Consolidated under Equity Method in accordance with Accounting Standard 23- Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statement	**No**	**Not Applicable**	**Treated as associates**	Risk weighted for capital adequacy purposes

Puduvai Bharathiar Grama Bank (Associates)	**Yes**	Consolidated under Equity Method in accordance with Accounting Standard 23- Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements	**No**	**Not Applicable**	**Treated as associates**	Risk weighted for capital adequacy purposes

b. List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation:

Name of the entity / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of bank's holding in the total equity	Regulatory treatment of bank's investments in the capital instruments of the entity	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
NIL					

(ii) Quantitative Disclosures:

c. List of group entities considered for consolidation:

(₹ in Million)

Name of the entity / country of incorporation (as indicated in (i)a. above)	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
IndBank Merchant Banking Services Ltd (India)	Merchant Banking services	443.78	947.66
Ind Bank Housing Ltd (India)	Housing Finance	100.00	102.85
Asrec India Ltd (India)	Asset Recovery Company	980.00	2519.94
Universal Sompo General Insurance company Ltd (India)	General insurance Company	3681.81	51833.99

d. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted:

Name of the subsidiaries / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of bank's holding in the total equity	Capital deficiencies
NIL				

e. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted:

Name of the insurance entities / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity *(as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)*	% of bank's holding in the total equity / proportion of voting power	Quantitative impact on regulatory capital of using risk weighting method versus using the full deduction method
NIL				

f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital with in the banking group:

There is no restriction or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group.

Table DF - 2 : Capital Adequacy

Assessment of Capital Adequacy:

(a) Bank maintains capital to protect the interest of depositors, general creditors and stake holders against any unforeseen losses.

As per the RBI guidelines, Banks have to maintain a Minimum Common Equity Tier 1 (CET 1) of 8.00% (including Capital Conservation Buffer of 2.50%) and minimum CRAR of 11.50% (including Capital Conservation Buffer of 2.50%) effective from 1st October 2021. Bank maintains Common Equity Tier 1 (CET 1) of 12.53 % (Standalone), 12.84% (Consolidated) and CRAR of 16.53% (Standalone), 16.84 % (Consolidated).

(b) In line with RBI guidelines, Bank has adopted following risk management approaches for assessing the capital adequacy:

- **Credit Risk:** Standardised Approach
- **Market Risk:** Standardised Duration Approach
- **Operational Risk:** Basic Indicator Approach

(c) Bank projects capital for the next 5 financial years based on business projections, policy guidelines, macro-economic scenarios, risk appetite etc

(d) Under Pillar II, Bank considers following risks while assessing / planning capital:

➢ Credit Concentration Risk	➢ Stress Credit Risk
➢ Interest Rate Risk in the Banking Book	➢ Underestimation of Credit Risk under Standardised Approach
➢ Liquidity Risk	➢ Pension Obligation Risk
➢ Settlement Risk	➢ Off-Balance sheet exposure Risk
➢ Compliance Risk	➢ Technology Risk
➢ Reputational Risk	➢ Outsourcing Risk
➢ Model Risk	➢ Human Resources Risk
➢ Country Risk	➢ Residual Risk
➢ Compensation Risk	➢ Strategic Risk
➢ Legal Risk	➢ Un-hedged Foreign Currency Exposure Risk
➢ Group Risk	➢ Climate Risk
➢ Conduct Risk	➢ Cyber Risk
➢ Risk of Securitisation	

e) Bank also periodically undertakes stress testing in various risk areas to assess the impact of stressed scenario or plausible events on asset quality, liquidity, interest rate, derivatives and forex on its profitability and capital adequacy.

A comprehensive stress testing framework is put in place. Bank conducts stress test on quarterly basis based on scenarios prescribed by RBI as well as bank specific scenarios. The Bank has also conducted stress testing under Covid 19 pandemic to assess the plausible losses on Bank's balance sheet on account of the pandemic. The result of the same is placed to Credit Risk Management Committee (CRMC)/Risk Management Committee (RMC) /Board.

Quantitative disclosures (as per Basel III guidelines)

(a) Capital requirements for credit risk: (₹ in Million)

Particulars	Solo (Global)	Consolidated
Portfolios subject to standardized approach	3,00,199.13	3,00,302.63
Securitization exposures	–	–

(b) Capital requirements for market risk:

Standardized duration approach (₹ in Million)

Particulars	Solo (Global)	Consolidated
Interest Rate Risk	11,942.07	11,942.07
Foreign Exchange Risk (including gold)	129.38	129.38
Equity Risk	4,613.51	4,770.35
Total	**16,684.96**	**16,841.80**

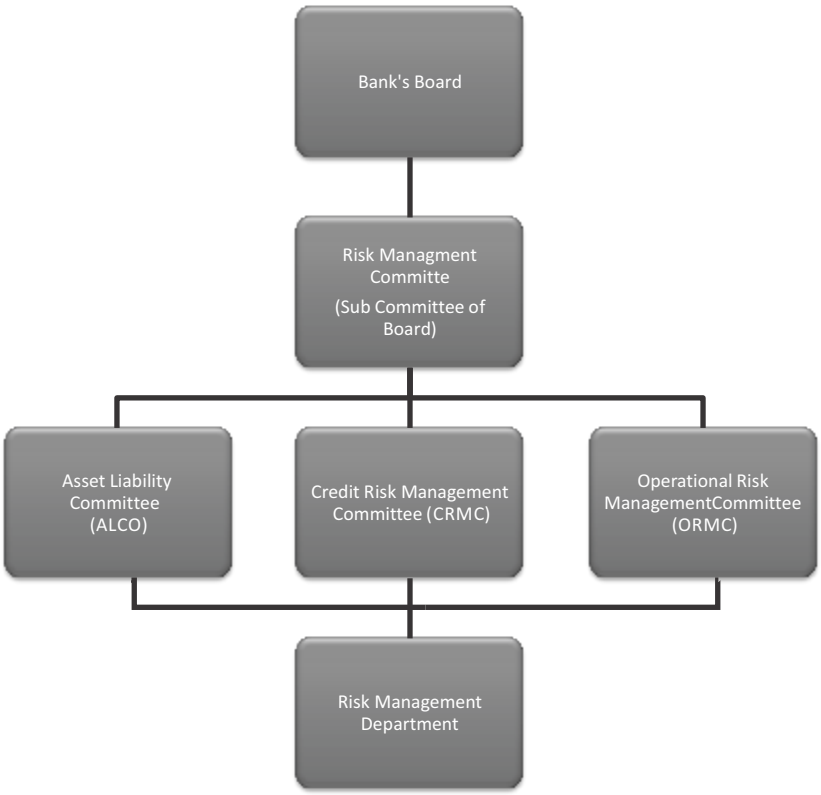
(c) Capital requirements for operational risk: (₹ in Million)

Particulars	Solo (Global)	Consolidated
Basic Indicator Approach	38,394.16	38,747.88

(d)Common Equity Tier 1 (CET 1), Tier 1 and Total capital ratio (as per Basel III guidelines):

Particulars	Solo (Global)	Consolidated
Common Equity Tier 1 (CET 1),	12.53%	12.84%
Tier 1 Capital Adequacy Ratio	13.17%	13.48%
Total Capital Adequacy Ratio	16.53%	16.84%

Organisation Structure:



Risk Management Architecture:

Risk is an integral part of the banking business and the Bank aims to achieve an appropriate trade-off between risk and returns. To ensure sustainable and consistent growth, the Bank has developed a sound risk management framework. The Bank undertakes business activities within the defined risk appetite limits and policies approved by the Board of the Bank. The Board has also constituted a Risk Management Committee (RMC) which oversees the different type of risks.

The Bank has put in place various policies to manage the risks, viz. Integrated Risk Management Policy, Credit Risk Management Policy, Asset Liability Management Policy, Policy on Market Risk Management, Operational Risk Management Policy, Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) Policy. All the policies are reviewed at a minimum on annual basis by Board.

The following specific committees have been constituted to facilitate focussed oversight on various risks.

(I) Asset Liability Committee (ALCO)

(ii) Credit Risk Management Committee (CRMC)

(iii) Operational Risk Management Committee (ORMC)

These committees work within the overall guidelines and policies approved by the Board.

Credit Risk:

Credit risk refers to the deterioration in the credit quality of the borrower adversely impacting the financial performance of the Bank. The losses incurred by the Bank in a credit transaction could be due to inability or wilful default of the borrower in honouring the financial commitments to the Bank.

Bank has put in place Risk Management System to identify the risks at an early stage and manage them by setting and monitoring prudential limits besides taking other corrective measures.

Limit Framework:

In order to manage the concentration risk, limit framework has been laid down for following type of exposures:

- Single and group borrower exposure
- Sensitive sector exposure
- Unsecured exposure
- Country-wise exposure
- Internal rating wise exposure
- Term loan exposure
- Industry-wise exposure
- Interbank exposure

These exposure limits are monitored on regular basis by various apex level committees of the Board.

Credit Review Framework:

Bank has adopted the Credit Review Framework, which involves credit risk assessment and risk categorisation of the credit proposals into Low risk / Medium risk / High risk / No-Go based upon quantified risk scoring matrices on analysing the risk factors along with subjective risk parameters. Based on Risk Score and Risk Categorization, Risk Advisory is issued to take risk based / informed credit decision at various Credit Committees.

Rating and Scoring Model: All credit proposals are subject to credit risk rating / scoring process to support credit decision making as well as to enhance risk management capabilities for portfolio management, pricing and risk based capital measurement. In order to ensure robustness of the rating models, the rating models have been subjected to validation by an external agency. The Bank has entry level scoring models for all the fresh sanctions coming under structured loan products and other loans which are not subjected to Rating Model.

Loan review mechanism: Loan review mechanism and Credit audit system are in place for the periodical review/audit of the large value accounts and bring about qualitative improvements in credit administration of the Bank. In addition, Standard Assets Monitoring Committee reviews the Special Mention Accounts periodically to initiate timely action to prevent slippage of standard assets to non performing assets. As a part of monitoring mechanism, accounts which are downgraded from investment category are identified and monitored closely.

Asset Liability Management:

Asset Liability Management framework facilitates bank to measure, monitor and control liquidity risk and interest rate risk on its balance sheet. This helps in providing suitable strategies for asset liability management. The asset liability management framework consists of the following key components

- Liquidity risk management
- Interest rate risk management
- Balance sheet and Basel III liquidity ratios
- Stress Testing and scenario analysis
- Contingency funding plan

Bank has set in place ALM policy to achieve two primary objectives as listed below:

Short Term Objective:

- To optimize the Net Interest Margin (NIM) of the Bank
- To provide adequate liquidity

- To manage re-pricing risk

Long Term Objective:

- To maximize the shareholder's wealth

Asset Liability Management is the function of Asset Liability Committee (ALCO). It operates under the guidance and supervision of the Board and/or Sub-Committee of Board on Risk Management. It meets at regular intervals to review the interest rate scenario, review of MCLR, TBLR, EBLR (REPO), Base Rate, liquidity position, product pricing for both deposits and advances, maturity profile of the assets and liabilities, demand for Bank funds, cash flows of the Bank and overall Balance Sheet Management.

Liquidity risk is measured and monitored through two approaches-Flow approach and Stock approach. Flow approach involves comprehensive tracking of cash flow mismatches and is done through preparation of Structural liquidity statement on a daily basis. Appropriate tolerance levels/prudential limits have been stipulated for mismatches in different time buckets. Under Stock Approach various balance sheet ratios are prescribed with appropriate limits. The compliance of ratios to the prescribed limits ensures that the Bank has managed its liquidity through appropriate diversification and kept it within the sustainable limit.

For measurement and monitoring of Interest rate risk, currency wise, both Traditional gap approach and Duration gap approaches are followed. The short-term impact of interest rate movements on NIM is worked out through "Earnings at Risk" approach taking into consideration Yield curve risk, Basis risk and Embedded Options Risk. The long-term impact of interest rate movements on Market Value of Equity is also worked out through Duration Gap approach. The monthly interest rate sensitivity statement is reviewed by ALCO and Quarterly interest rate sensitivity is reviewed by RMC.

Stress testing of liquidity risk and interest rate risk is conducted on regular interval as per the RBI defined and internally defined stress scenarios. The results from internal Liquidity stress testing are used to draw contingency funding plan under different liquidity stress scenarios.

Bank is computing Liquidity Coverage Ratio (LCR) on daily as per latest Regulatory guidelines and is using it for assessing Liquidity risk. On a monthly basis LCR statement is reviewed by ALCO. Further, in line with RBI guidelines, Bank is also computing NSFR on quarterly basis (i.e., w.e.f. QE December 2021)

Market Risk Management:

Market risk is the possibility of loss caused by adverse movements in the market variables. The Bank for International Settlements (BIS) defines market risk as "the risk that the value of 'on' or 'off' balance sheet positions will be adversely affected by movements in equity and interest rate markets, currency exchange rates and commodity prices". Thus, Market Risk is the risk to the bank's earnings and capital due to changes in the market level of interest rates or prices of securities, foreign exchange and equities, as well as the volatilities of those changes. The objective of market risk management is to assist the business units in maximizing the risk adjusted return by providing analytics driven inputs regarding market risk exposures, portfolio performance vis-à-vis risk exposures and comparable benchmarks. Following risks are managed under Market Risk.

- Interest Rate Risk
- Exchange Rate Risk
- Equity Price Risk

The market risk may also arise from changes in commodity prices and volatility. However, Bank does not have any exposure to commodity related markets.

Market Risk Management (MRM) Framework

a) **Risk Identification:** Setting a framework for identifying, assessing and managing market risk in order to provide clarity on various dimensions of risk identification and recognition to each of the business functions.

b) **Risk Measurement and Limits:** Bank recognizes that no single risk statistic can reflect all aspects of market risk. Therefore, various statistical and non-statistical risk measures are used to enhance the stability of risk measurement of market risk. Together, these risk measures provide a more comprehensive view of market risk exposure than any single measure. Market risk is managed with various metrics viz. Value at Risk (VaR), Earnings at Risk (EaR), Modified duration (MD), PV01 Limits, Net Overnight Open Position Limits (NOOPL), Individual Gap Limit (IGL) and Aggregate Gap Limit (AGL) currency wise and also through sensitivity analysis. Stress testing is also conducted on a regular basis to monitor the vulnerability of the bank to extreme but plausible unfavourable shocks.

c) **Risk Monitoring:** Bank monitors and controls its risk, using various internal and regulatory risk limits for trading book which are set based on economic scenario, business strategy, management experience and Bank's risk appetite. Rate scan is carried out to ensure that transactions are carried out at prevailing market rates.

d) **Risk Reporting:** Mid Office monitors treasury operations on day to day basis. A daily report and weekly summary note is placed to Chief Risk Officer and on monthly basis to ALCO. Stress testing is done for assessing market risk as per framework prescribed in Stress Test Policy and reported to ALCO on Quarterly basis.

Market risk management is governed by comprehensive board approved Policy on Market Risk Management and

Stress Testing Policy to ensure that the risks spread across different activities carrying an underlying market risk are within the stipulated risk appetite of the bank. All the policies are benchmarked with industry-best practices and RBI regulations. The risk reporting mechanism in the Bank comprises disclosures and reporting to the various apex level committees.

Operational Risk:

Operational Risk (OR) is the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people or systems, or from external events. The bank has put in place Operational Risk Management Frame work (ORMF) and Operational Risk Management systems (ORMS) to ensure effective governance, risk capture and assessment and quantification of operational risk. Operational risk is well managed by using appropriate qualitative & quantitative methods and established internal control systems in day to day management processes and adopting various risk mitigating strategies. The risk perceptions in various products / processes are critically analysed and corrective actions if required, are initiated.

Bank has implemented a web-based Operational Risk Management System to capture, measure, monitor and manage its operational risk. Bank has put in place frameworks for Risk Control Self Assessment (RCSA) and Key Risk Indicators (KRIs). Risk and control self-assessment is used to identify key operational risk and assess the degree of effectiveness of the internal controls.

Bank has been taking steps to strengthen the RCSA and KRI by reviewing and improving the coverage area for management of Operational risk.

Table DF-3

Credit Risk: General disclosures for all banks

Qualitative Disclosures:

(a) Credit Risk Management:

Credit risk is defined as the possibility of losses associated with diminution in the credit quality of borrowers or counterparties.

Architecture:

In adherence with various guidelines and leading industry practices, the Bank has set up a robust governance structure for the management of credit risk, ensuring an adequate oversight, monitoring and reporting. The framework establishes the responsibilities of the board of directors. The Bank has established a Board level sub-committee known as 'Risk Management Committee (RMC)' constituted in terms of RBI guidance note on Risk Management system.

Risk Management Committee (RMC):

The RMC evaluates overall risks faced by the Bank and is responsible for the establishment of an effective system to identify measure, monitor, and control and mitigate the risk.

The Board has delegated authority to the RMC for credit risk related responsibilities. The committee oversees credit risk management and ensures that the principal credit risks facing the Bank have been properly identified and are being appropriately managed. The committee approves and periodically reviews the overall risk appetite and credit risk management strategy. The committee reviews the risk management policies, the Bank's compliance with risk management guidelines stipulated by the RBI.

The risk committee also reviews credit risk profile and any major development, internal and external, and their impact on portfolio of the bank.

Credit Risk Management Committee (CRMC): CRMC deals with the issues relating to credit policy and procedures, and analyzes, manages and controls credit risk on a bank wide basis.

Loan Review Management Committee: (LRMC): As a part of Credit risk management process, Loan Review Management Committee (LRMC), has been constituted to undertake review of borrowal accounts sanctioned by various Committees.

Definitions of past due and impaired (for accounting purpose)

Bank has adopted the definitions of the past due and impaired (for accounting purposes) as defined by RBI for Income Recognition and Asset Classification norms. Further, in line with RBI guidelines, the moratorium period, wherever granted, is factored in for the purpose of asset classification.

The policy of the bank for classifying bank's loan assets is as under:

Non Performing Asset (NPA): A non performing asset (NPA) is a loan or an advance where:

- Interest and/ or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan,
- The account remains 'out of order' in respect of an Overdraft/Cash Credit (OD/CC)
- The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted,
- The installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops
- The installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops

An OD/CC account is treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power for 90 days. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is

less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts are treated as 'out of order'.

Non Performing Assets of the Bank is further classified in to three categories as under:

- **Sub standard Assets**

A sub standard asset is one which has remained NPA for a period less than or equal to 12 months.

- **Doubtful Assets**

An asset would be classified as doubtful if it has remained in the sub standard category for 12 months.

- **Loss Assets**

A loss asset is one where loss has been identified by the bank or by internal or external auditors or the RBI inspection.

Credit Risk Management Policy:

The Bank has put in place the Credit Risk Management Policy (part of Credit Policy) and the same has been ported on Bank's intranet. The main objective of the policy is to ensure that the operations are in line with the expectation of the management and the strategies of the top management are translated into meaningful directions to the operational level. The Policy stipulates prudential limits on large credit exposures, standards for loan collateral, portfolio management, loan review mechanism, risk concentrations, risk monitoring and evaluation, provisioning and regulatory / legal compliance.

The Bank identifies the risks to which it is exposed and applies suitable techniques to measure, monitor and control these risks.

While the Board / Risk Management Committee of the Board devises the policy and fixes various credit risk exposures, Credit Risk Management Committee implements these policies and strategies approved by the Board / RMC, monitors credit risks on a bank wide basis and ensures compliance of risk limits.

Bank considers rating of a borrower as an important tool to measure the credit risk associated with any borrower and accordingly implemented rating software.

Total gross credit risk exposures, Fund Based and Non-fund based separately. (₹ in Million)

Particulars	Standalone	Consolidated
Gross Credit Risk Exposures		
Fund Based		
Loans and Advances	41,56,247.54	41,56,247.54
Investments	13,71,114.32	13,71,126.56
Other Assets	10,79,234.04	10,80,019.88
Total Fund Based	66,06,595.90	66,07,393.98
Non Fund Based including contingent credit, contracts and derivatives*	45,88,185.79	45,88,433.09
Total Credit Risk Exposure	**1,11,94,781.69**	**1,11,95,827.07**

* includes notional principles of derivatives exposures, fund based unavailed limits, LC, acceptances Guarantees

(a) Geographic distribution of credit risk exposures Fund based and Non-fund based (Standalone) separately (₹ in Million)

Geographical Region	Fund Based	Non Fund Based including contingent credit, contracts and derivatives	Total
Overseas	2,08,394.67	53,894.39	2,62,289.06
Domestic	63,98,201.23	45,34,291.40	1,09,32,492.63
Total	**66,06,595.90**	**45,88,185.79**	**1,11,94,781.69**

(b)Industry-wise distribution of exposures (Standalone) as on 31.03.2022

(₹ in Million)

S.No.	MAJOR INDUSTRIES / SECTORS	FB Exposure	NFB Exposure	Commited Exposure
1	**Chemicals & Chemical Products**			
1.1	Drugs and Pharmaceuticals	10712.37	3227.75	13940.13
1.2	Fertilizers	11861.55	668.84	12530.39
1.3	Other Chemicals & Chemical Products	17979.19	4580.97	22560.16
2	**Engineering**			
2.1	General Engineering Machinery and Goods	43721.32	57390.49	101111.81
2.2	Electrical Machinary and Goods	10912.54	11519.89	22432.43
2.3	Electronic Machinery,Goods and Software	15308.89	8760.09	24068.98
3	**Food Manufacturing and Processing**			
3.1	Edible oil and Vanaspati	9154.03	19440.54	28594.57
3.2	Rice Mills, Flour Mills and Dal Mills	29339.23	4457.59	33796.82
3.3	Sugar	16999.94	81.61	17081.55
3.4	Tea and Coffee	4115.07	19.93	4135.01
3.5	Other Food Manufacturing and Processing	61226.69	14834.99	76061.68
4	**Infrastructure**			
4.1	**Power**			
4.1.1	Power Generation	156848.02	31623.37	188471.39
4.1.2	Power Transmission and Distribution	93359.20	7082.18	100441.38
4.1.3	Renewable Energy	3569.40	2011.78	5581.18
4.2	**Transport**			
4.2.1	Ports and Roads	112698.77	5805.05	118503.82
4.2.2	Shipping	10047.64	14320.28	24367.92
4.2.3	Logistics	15618.13	5067.37	20685.50
4.3	Telecommunication	4749.03	54191.03	58940.06
4.4	Educational Institution	44405.48	3567.41	47972.89
4.5	Hospital	23909.92	2203.59	26113.51
4.6	Hotels (Three Star and above)	12535.17	335.04	12870.21
4.7	Other Infrastructure	298332.61	7787.52	306120.13
5	Textiles			
5.1	Cotton Textile	35805.26	3742.61	39547.87
5.2	Natural Fibre Textile	1849.63	10.00	1859.63
5.3	Handloom Textile and Khadi	4220.33	93.79	4314.12
5.4	Other Textile	61814.27	8248.55	70062.82
6	**NBFC/HFC/MFI**			
6.1	Non Banking Financial Companies (NBFC)	337823.08	574.62	338397.69
6.2	Micro Finance Institutions (MFI)	31836.93	0.00	31836.93
6.3	Housing Finance Companies (HFC)	243538.02	0.00	243538.02
7	**Metal and Metal Products**			
7.1	Iron and Steel	98019.66	42840.55	140860.21
7.2	Other Metals and Metal Products	27400.55	12659.37	40059.92
8	**Trade**			
8.1	Wholesale Trade	317195.23	21260.37	338455.60

(₹ in Million)

S.No.	Major Industries / Sectors	FB Exposure	NFB Exposure	Total Exposure
8.2	Retail Trade	178522.38	7365.56	185887.94
9	Automobiles	22398.80	3688.07	26086.87
10	Aviation	0.00	1630.99	1630.99
11	Beverages and Tobacco	8162.96	158.57	8321.53
12	Cement and Cement Products	24233.46	7943.46	32176.92
13	Capital Market Exposure (CME)	24066.23	2515.00	26581.23
14	Commercial Real Estate (CRE)	82746.95	770.08	83517.03
15	Construction Contractors	107211.56	135062.78	242274.35
16	Gems and Jewellery	6277.69	725.22	7002.91
17	Glass and Glass Ware	894.57	2948.38	3842.95
18	Leather and Leather Products	3454.39	864.25	4318.64
19	Media and Entertainment	4775.10	4238.17	9013.27
20	Mining and Quarrying	25786.39	5015.03	30801.42
21	Paper and Paper Products	17790.06	2633.13	20423.19
22	Petroleum and Petroleum Products	141191.35	51162.01	192353.36
23	Printing and Publishing	7227.31	1601.67	8828.99
24	Rubber, Plastic and their Products	30910.29	13324.45	44234.74
25	Wood and Wood Products	6707.92	1844.38	8552.29
26	Other Industries	295174.39	12176.64	307351.03

As on 31.03.2022, the Bank's exposure to the industries stated below was more than 5% of the total exposure

Sl.No	Industry Classification	Percentage of the total gross credit exposure
1	Infrastructure	15.66%
2	NBFC / HFC / MFI	10.56%

(e) Residual contractual maturity break-up of advances and investments

(₹ in Million)

	Investments*	Advances
1 day	263980.60	46422.02
2-7 days	135030.40	50757.12
8 -14 days	102081.60	61692.17
15 to 30 days	113825.20	86845.13
31 days to 2months	27436.70	168897.09
Over 2 months to 3 months	24730.20	145246.65
Over 3 months to 6 months	57399.90	218514.54
Over 6 months to 1 year	83256.70	398968.59
Over 1 year to 3 years	163086.10	1491501.75
Over 3 years to 5 years	109045.00	631297.60
Over 5 years	661334.49	591717.97
Total	1741206.89	3891860.63

* Excludes 50% of listed equities of 4378.98 million.

(₹ in Million)

(f)	Amount of NPAs (Gross) – (Standalone)	
	➢ Substandard	52028.80
	➢ Doubtful 1	74242.58
	➢ Doubtful 2	107713.51
	➢ Doubtful 3	68674.36
	➢ Loss	49483.30
	Gross NPA (Standalone)	352142.54
(g)	Net NPAs	88486.48
(h)	NPA Ratios	
	➢ Gross NPAs to gross advances	8.47%
	➢ Net NPAs to net advances	2.27%
(i)	Movement of NPAs (Gross)	
	➢ Opening Balance (01.04.2021)	384553.46
	➢ Additions	101646.68
	➢ Reductions	134057.60
	➢ Closing Balance (31.03.2022)	352142.54
(j)	Movement of provisions for NPAs	
	➢ Opening Balance (01.04.2021)	258933.60
	➢ Provisions made during the period	20303.06
	➢ Write Off / Write-back of excess provisions	21772.35
	➢ Closing balance (31.03.2022)	257464.31
(k)	Amount of Non-Performing investments	18820.17
(l)	Amount of Provisions held for non-performing investments	8096.94
(m)	Movement of provisions for depreciation on investments	
	➢ Opening balance (01.04.2021)	26401.30
	➢ Provisions made during the period	4853.88
	➢ Write-off	0.00
	➢ Recovery	2786.67
	➢ Write-back of excess provisions	2786.67
	➢ **Closing balance (31.03.2022)**	**28468.51**

Write off and recoveries that have been booked directly to the income statement:

(₹ in Million)

Recovery in Accounts under collection	16106.28
Memorandum of Interest / legal charges / Recovery in written off accounts	4549.02

Amount of NPA by Major Industry type

(₹ in Million)

Industry	Gross NPA	Provision	Net NPA
Basic Metals and metal products	16864.77	12212.39	4652.38
Infrastructure including Power	42464.05	32519.07	9944.98
Textiles	15909.52	10917.53	4991.99
All engineering	9439.43	7345.34	2094.09
Petroleum and other minerals	609.10	333.72	275.38

Technical Write Off during the quarter ended 31.03.2022- Standalone: 16934.17 million

Geography-wise NPA (₹ in Million)

	Domestic	Overseas	Global
Amount of NPAs (Gross)			
➢ Substandard	50262.90	1765.90	52028.80
➢ Doubtful 1	71760.37	2482.21	74242.57
➢Doubtful 2	107678.20	35.31	107713.51
➢Doubtful 3	68521.50	152.86	68674.36
➢Loss	49412.30	71.00	49483.30
Total	**347635.27**	**4507.28**	**352142.54**

Analysis of ageing of past-due loans (₹ in Million)

Details	Gross NPA
Less than 1 year (Sub Standard)	52028.80
1-2 Years (D1)	74242.57
2-3 Years (D2- 1st Year)	51558.90
3-4 Years(D2- 2nd Year)	56154.61
More than 4 years	118157.66

Table DF – 4

Credit Risk: disclosures for portfolios subject to the standardized approach

Qualitative Disclosures:

(a) The Bank uses ratings assigned by the seven Rating Agencies approved by the Reserve Bank of India namely a) CRISIL, b) ICRA, c) CARE, d) India Ratings, e) Brickworks f) Acuite and g) Infomerics for the eligible exposures according to the Basel III framework. For overseas credit exposure, bank accepts rating of Standard &Poor, Fitch, & Moody's.

The Bank uses only publically available solicited ratings assigned by the above approved credit rating agencies for all eligible exposures, both on balance sheet and off balance sheet, whether short term or long term, in the manner permitted in the RBI guidelines on Basel III capital regulations.

For assets in the Bank's portfolio that have contractual maturity up to one year, short term ratings accorded by the chosen credit rating agencies are considered relevant. For other assets, which have a contractual maturity of more than one year, long term ratings accorded by the chosen credit rating agencies are considered relevant.

Long term/short term ratings issued by the chosen domestic credit rating agencies have been mapped to the appropriate risk weights applicable as per the standardised approach under Basel III capital regulations.

Use of multiple rating assessment:

- If there are two ratings accorded by chosen credit rating agencies that map into different risk weights, the higher risk weight are applied
- If there are three or more ratings accorded by chosen credit rating agencies with different risk weights, the ratings corresponding to the two lowest risk weights should be referred to and the higher of those two risk weights should be applied. i.e., the second lowest risk weight

Quantitative Disclosures:

(b)The total credit risk exposure (Standalone) bifurcated after the credit risk mitigation under Standardized Approach is as under:

(₹ in Million)

Standalone	Book Value	Risk Weighted value
Below 100% Risk weight	93,84,130.62	11,08,282.89
100% Risk weight	7,42,627.48	5,48,685.60
Above 100% Risk weight	10,68,023.59	9,53,458.74
Total	**1,11,94,781.69**	**26,10,427.23**

The total credit risk exposure (Consolidated) bifurcated after the credit risk mitigation under Standardized Approach is as under:

(₹ in Million)

Consolidated	Book Value	Risk Weighted value
Below 100% Risk weight	93,84,449.97	11,08,346.76
100% Risk weight	7,43,280.13	5,49,338.24
Above 100% Risk weight	10,68,096.97	9,53,642.22
Total	**1,11,95,827.07**	**26,11,327.22**

Table DF-5 : Credit Risk Mitigation: disclosures for standardized approaches

Qualitative Disclosure

The Bank has put in place Credit Risk Mitigation & Collateral Management Policy (part of Credit Policy) with the primary objective of a) Mitigation of credit risks & enhancing awareness on identification of appropriate collateral taking into account the spirit of Basel III / RBI guidelines and (b) Optimizing the benefit of credit risk mitigation in computation of capital charge as per approaches laid down in Basel III / RBI guidelines.

The Bank generally relies on Risk Mitigation techniques like Loan participation, Ceiling on Exposures, Escrow mechanism, Forward cover, higher margins, loan covenants, Collateral and insurance cover.

Valuation methodologies are detailed in the Credit Risk Management Policy (part of Credit Policy).

Eligible collateral for which CRM benefit taken for Computation of Capital Charge as per RBI guidelines:

The following collaterals are recognized for availing CRM benefit for Computation of Capital Charge:

i) Cash (as well as certificates of deposit or comparable instruments, including fixed deposit receipts, issued by the lending bank) on deposit with the bank, which is incurring the counterparty exposure.

ii) Gold: Gold would include both bullion and jewellery. However, the value of the collateralized jewellery should be benchmarked to 99.99 purity.

iii) Securities issued by Central and State Governments

iv) Kisan Vikas Patra and National Savings Certificates provided no lock-in period is operational and if they can be encashed within the holding period

v) Life insurance policies with a declared surrender value of an insurance company which is regulated by an insurance sector regulator

vi) Debt securities rated at least BBB (-)/PR3/P3/F3/A3

vii) Units of Mutual Funds

Main types of guarantor counterparty and their creditworthiness

The Bank considers credit protection in terms of the guarantees which are direct, explicit, irrevocable and unconditional. The bank takes into account such credit protection in calculating capital requirements

Only guarantees issued by entities with a lower risk weight than the counterparty will lead to reduced capital charges, since the protected portion of the counterparty exposure is assigned the risk weight of the guarantor, whereas the uncovered portion retains the risk weight of the underlying counterparty

Credit protection given by the following entities is recognised as counterparty Guarantor:

(i) Sovereigns (Central and State Governments)

(ii) Sovereign entities (including ECGC, NCGTC and CGTMSE)

(iii) Banks with a lower risk weight than the counterparty

All types of securities eligible for mitigation are easily realizable financial securities. Hence, presently no limit / ceiling has been prescribed to address the concentration risk in credit risk mitigants recognized by the Bank.

The Bank uses the comprehensive approach in capital assessment. In the comprehensive approach, when taking collateral, the Bank calculates the adjusted exposure to a counterparty for capital adequacy purposes by netting off the effects of that collateral. The Bank adjusts the value of any collateral by a haircut to take into account possible future fluctuations in the value of the security occasioned by market movements.

Quantitative Disclosures

For each separately disclosed credit risk portfolio (Standalone/ Consolidated), the total exposure (after, where applicable, on- or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral after the application of haircuts:

(₹ in Million)

Type of Exposure	Eligible financial Collateral	Guarantees
Gross Credit Risk Exposures		
Fund Based		
Loans and Advances	5,97,237.07	5,05,716.68
Investments	0.00	184.00
Other Assets	0.00	0.00
Total Fund Based	5,97,237.07	5,05,900.68
Non Fund Based including contingent credit, contracts and derivatives	47,126.64	0.00
Total	6,44,363.71	5,05,900.68

Table DF – 6

Securitization: disclosure for standardized approach

Qualitative Disclosures: The Bank has not undertaken any securitization activity.	
Quantitative Disclosures:	**NIL**

Table DF – 7

Market risk in trading book

Market Risk :

Market risk is the possibility of loss caused by changes in the market variables. The Bank for International Settlements (BIS) defines market risk as "the risk that the value of 'on' or 'off' balance sheet positions will be adversely affected by movements in equity and interest rate markets, currency exchange rates and commodity prices". Thus, Market Risk is the risk to the bank's earnings and capital due to changes in the market level of interest rates or prices of securities, foreign exchange and equities, as well as the volatilities of those changes. The objective of market risk management is to assist the business units in maximizing the risk adjusted rate of return by providing analytics driven inputs regarding market risk exposures, portfolio performance vis-à-vis risk exposures and comparable benchmarks. Following risks are managed under Market Risk.

- **Interest Rate Risk**
- **Exchange Rate Risk**
- **Equity Price Risk**

The market risk may also arise from changes in commodity prices and volatility. However, Bank does not have any exposure to commodity related markets.

Market Risk Management (MRM) Framework of the bank is as follows:

a) **Risk Identification:** Setting a framework for identifying, assessing and managing market risk in order to provide clarity on various dimensions of risk identification and recognition to each of the business functions.

b) **Risk Measurement and Limits:** Bank recognizes that no single risk statistic can reflect all aspects of market risk. Therefore various statistical and non-statistical risk measures are used to enhance the stability of risk measurement of market risk. Market risk is managed with various metrics viz. Value at Risk (VaR), Earnings at Risk, Modified duration, PV01 Limits, Net Overnight Open Position Limits (NOOPL), Individual Gap Limit (IGL) and Aggregate Gap Limit (AGL) currency wise and also through sensitivity analysis. Stress testing is also conducted on a regular basis to monitor the vulnerability of the bank to extreme but plausible unfavourable shocks.

c) **Risk Monitoring:** Bank monitors and controls its risk, using various internal and regulatory risk limits for trading book which are set based on economic scenario, business strategy, management experience and Bank's risk appetite. Rate scan is carried out to ensure that transactions are executed and revalued at prevailing market rates.

d) **Risk Reporting:** Monitoring of Treasury operations is done by Mid Office and a daily report and weekly summary report is put up to Chief Risk Officer. Capital charge on account of Market Risk is computed and reported to ALCO on monthly and Board on quarterly basis. Stress testing is done for assessing market risk by following assumptions prescribed in Stress Test Policy and reported to ALCO on Quarterly basis.

Market risk management is governed by comprehensive board approved market risk management policy, Integrated Treasury Management Policy, Stress testing and Derivative Policy to ensure that the risks spread across different activities carrying an underlying market risk are within the stipulated risk appetite of the bank. All the policies are benchmarked with industry-best practices and RBI regulations. The risk reporting mechanism in the Bank comprises disclosures and reporting to the various apex level committees.

Quantitative Disclosures:

The capital requirements for:

(₹ in Million)

Particulars	Standalone	Consolidated
Interest rate risk	11,942.07	11,942.07
Foreign exchange risk	129.38	129.38
Equity position risk	4,613.51	4,770.35
Total	16,684.96	16,841.80

Table DF – 8

Operational Risk

Qualitative Disclosures:

Operational risk is defined as the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. This definition includes legal risk, but excludes strategic and reputational risk.

Operational risk is now on the focus of intense interest among industry participants, regulators and other stake holders. The bank has put in place Operational Risk Management Frame work (ORMF) and Operational Risk Management systems (ORMS) to ensure effective governance, risk capture and assessment and quantification of operational risk exposure. Operational risk is well managed by using appropriate qualitative & quantitative methods and established internal control systems in day to day management processes and adopting various risk mitigating strategies. The risk perceptions in various products / processes are critically analysed and corrective actions if required, are initiated.

Bank has implemented a sophisticated web-based Operational Risk Management System to capture, measure, monitor and manage its operational risk exposure. Bank has built up internal loss data base for more than 10 years.

Capital charge for Operational Risk is computed as per the Basic Indicator Approach.

Quantitative Disclosures

The average of the gross income, as defined in the Basel III Capital regulations, for the previous 3 years i.e. is considered for computing the capital charge. The required capital is ₹ 38747.88 Million (Consolidated).

Table DF – 9

Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB)

Qualitative Disclosures:

IRRBB refers to the potential adverse financial impact on the Bank's banking book from changes in interest rates.

The interest rate risk is measured and monitored through two approaches:

(i) Earning at Risk (Traditional Gap Analysis) :

The immediate impact of the changes in the interest rates on net interest income of the bank is analyzed under this approach.

(ii) Economic Value of Equity (Duration Gap Analysis):

Modified duration of assets and liabilities is computed separately to finally arrive at the modified duration of equity. This approach assesses impact on economic value of equity by assuming parallel shift in the yield curve for a given change in the yield. Impact on the Economic Value of Equity is also analyzed for a 200 bps rate shock as required by RBI. Market linked yields are used in the calculation of the Modified Duration.

The changes in market interest rates have earnings and economic value impacts on the bank's banking book. Thus, given the complexity and range of balance sheet products, IRR measurement systems are used that assess the effects of the rate changes on both earnings and economic value. Techniques followed are simple maturity (fixed rate) and repricing (floating rate) gaps and duration gaps based on current on-and-off-balance sheet positions, to a little higher technique that incorporate assumptions on behavioural pattern of assets, liabilities and off-balance sheet items and can easily capture the full range of exposures against basis risk, embedded option risk, yield curve risk, etc.

The analysis of bank's Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) is done for Global position. Analysis note on the same on a monthly basis is placed to ALCO.

Quantitative Disclosures:

The impact on earnings and economic value based on interest rate shocks are given below:-

i) Earnings at Risk for 25 bps interest rate shock as on for one year time horizon is (-) ₹3078.33 Million

ii) Change in Economic Value of Equity for 200 bps interest rate shock in Banking Book is ₹72905.14 Million (IRRBB)

DF-10: General Disclosure for exposures related to Counterparty Credit Risk:

Counterparty Credit Risk is the risk that the counterparty to a derivative transaction can default before the final settlement of the transaction's cash flow. The Bank sets limits as per the norms on exposure stipulated by RBI for both fund and non fund based facilities including derivatives. Limits are set as a percentage of the capital funds and are monitored on regular basis. For corporates the derivatives limits are assessed and sanctioned in conjunction with regular credit limit as part of regular appraisal.

All the Derivative transactions with the Counterparty are evaluated as per Board approved Derivative Policy of the Bank.

The derivative exposure calculated using Current Exposure Method (CEM) and outstanding as on 31.03.2022 is given below:

(₹ in Million)

Derivatives	Notional Principle	Current Credit Exposure (+ve MTM)	Current Exposure
Forward Contracts	30,61,977.11	9,421.52	65,287.98
Interest Rate Swaps	0.00	0.00	0.00

	DF-11: Composition of Capital		(₹ in Million)
			Ref No. (With respect to DF-12; Step 2)
	Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves		
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	36,369.86	A1+B1
2	Retained earnings	9,027.31	B6
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	3,54,617.29	B2+B3+B4+B5+ B7+B8(i)+B10(i)+B11
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	0.00	
	Public sector capital injections grandfathered until January 1, 2018	0.00	
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	0.00	
6	**Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments**	**4,00,014.46**	
	Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments		
7	Prudential valuation adjustments	0.00	
8	Goodwill (net of related tax liability)	0.00	
9	Intangibles other than mortgage-servicing rights (net of related tax liability)	0.00	
10	Deferred tax assets	0.00	
11	Cash-flow hedge reserve	0.00	
12	Shortfall of provisions to expected losses	0.00	
13	Securitisation gain on sale	0.00	
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	0.00	
15	Defined-benefit pension fund net assets	0.00	
16	Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)	0.00	
17	Reciprocal cross-holdings in common equity	1,302.84	
18	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)	0.00	
19	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)	1,050.00	
20	Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)	0.00	
21	Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)	0.00	
22	Amount exceeding the 15% threshold	0.00	

	DF-11: Composition of Capital		(₹ in Million)
			Ref No. (With respect to DF-12; Step 2)
23	of which: significant investments in the common stock of financial entities	0.00	
24	of which: mortgage servicing rights	0.00	
25	of which: deferred tax assets arising from temporary differences	0.00	
26	National specific regulatory adjustments (26a+26b+26c+26d)	0.00	
26a	of which: Investments in the equity capital of the unconsolidated insurance subsidiaries	0.00	
26b	of which: Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries	0.00	
26c	of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0.00	
26d	of which: Unamortised pension funds expenditures	0.00	
	Regulatory Adjustments Applied to Common Equity Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	0.00	
	of which: Total equity investment in other financial subsidiaries	0.00	
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	0.00	
28	**Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1**	**2,352.84**	
29	**Common Equity Tier 1 capital (CET1)**	**3,97,661.62**	
	Additional Tier 1 capital: instruments		
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31+32)	20,000.00	
31	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	0.00	
32	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)	20,000.00	D8
33	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	0.00	
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)	0.00	
35	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0.00	
36	**Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments**	**20,000.00**	
	Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments		
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments	0.00	
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	200.00	
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share		

	DF-11: Composition of Capital		(₹ in Million)
			Ref No. (With respect to DF-12; Step 2)
	capital of the entity (amount above 10% threshold)	0.00	
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0.00	
41	National specific regulatory adjustments (41a+41b)	0.00	
41a	Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries	0.00	
41b	Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0.00	
	Regulatory Adjustments Applied to Additional Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	0.00	
	of which: Phase out form ATI	0.00	
	of which: existing adjustments which are deducted from Tier 1 at 50%	0.00	
	of which:DTA	0.00	
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions	0.00	
43	**Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital**	**2,00.00**	
44	**Additional Tier 1 capital (AT1)**	**19,800.00**	
44a	**Additional Tier 1 capital reckoned for capital adequacy**	**19,800.00**	
45	**Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) (29 + 44a)**	**4,17,461.62**	
	Tier 2 capital: instruments and provisions		
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	61,000.00	D7
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	0.00	
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	0.00	
49	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0.00	
50	Provisions (Including IFR)	42,960.59	Eligible Provisions+B9
51	Tier 2 capital before regulatory adjustments	1,03,960.59	
	Tier 2 capital: regulatory adjustments		
52	Investments in own Tier 2 instruments	0.00	
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	0.00	
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)	0.00	

	DF-11: Composition of Capital		(₹ in Million)
			Ref No. (With respect to DF-12; Step 2)
55	Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0.00	
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)	0.00	
56a	of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries	0.00	
56b	of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0.00	
	Regulatory Adjustments Applied To Tier 2 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	0.00	
	of which: Phase out from Tier 2 Bonds	0.00	
57	**Total regulatory adjustments to Tier 2 capital**	0.00	
58	**Tier 2 capital (T2)**	**1,03,960.59**	
58a	**Tier 2 capital reckoned for capital adequacy**	**1,03,960.59**	
58b	**Excess Additional Tier 1 capital reckoned as Tier 2 capital**	**0.00**	
58c	**Total Tier 2 capital admissible for capital adequacy (58a + 58b)**	**1,03,960.59**	
59	**Total capital (TC = T1 + T2) (45 + 58c)**	**5,21,422.21**	
60	**Total risk weighted assets (60a + 60b + 60c)**	**30,94,715.75**	
60a	of which: total credit risk weighted assets	26,11,327.23	
60b	of which: total market risk weighted assets	1,46,450.43	
60c	of which: total operational risk weighted assets	3,36,938.10	
	Capital ratios		
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	12.84%	
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	13.48%	
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	16.84%	
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	8.00%	
65	of which: capital conservation buffer requirement	2.50%	
66	of which: bank specific countercyclical buffer requirement	0.00%	
67	of which: G-SIB buffer requirement	0.00%	
68	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	7.34%	
	National minima (if different from Basel III)		

	DF-11: Composition of Capital		(₹ in million)
			Ref No. (With respect to DF-12; Step 2)
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	8.00%	
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum) including CCB	9.50%	
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	11.50%	
	Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)		
72	Non-significant investments in the capital of other financial entities	0.00	
73	Significant investments in the common stock of financial entities	273.79	
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	0.00	
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	48,589.05	
	Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2		
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)	48,321.20	E1
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach (1.25% of Credit Risk RWA)	32,641.59	
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	Not Applicable	
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	Not Applicable	
	Capital instruments subject to phase-out arrangements		
80	Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements	0.00	
81	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	0.00	
82	Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements	0.00	
83	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	0.00	
84	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements	0.00	
85	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	0.00	

	Notes to the Template	
Row No. of the template	**Particular**	**(₹ in million)**
10	Deferred tax assets associated with accumulated losses	0.00
	Deferred tax assets (excluding those associated with accumulated losses) net of Deferred tax liability	3,88,025.00
	Total as indicated in row 10	0.00
19	If investments in insurance subsidiaries are not deducted fully from capital and instead considered under 10% threshold for deduction, the resultant increase in the capital of bank	0.00
	of which: Increase in Common Equity Tier 1 capital	0.00
	of which: Increase in Additional Tier 1 capital	0.00
	of which: Increase in Tier 2 capital	0.00
26b	If investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries are not deducted and hence, risk weighted then:	0.00
	(i) Increase in Common Equity Tier 1 capital	0.00
	(ii) Increase in risk weighted assets	0.00
44a	Excess Additional Tier 1 capital not reckoned for capital adequacy (difference between Additional Tier 1 capital as reported in row 44 and admissible Additional Tier 1 capital as reported in 44a)	0.00
	of which: Excess Additional Tier 1 capital which is considered as Tier 2 capital under row 58b	0.00
50	Eligible Provisions included in Tier 2 capital (Including IFR)	42,960.59
	Eligible Revaluation Reserves included in Tier 2 capital	0.00
	Total of row 50	42,960.59

	DF-12: Composition of Capital- Reconciliation Requirements - STEP 1		(₹ in Million)
		Balance sheet as in financial statements (Consolidated)	Balance sheet under regulatory scope of consolidation
		As on 31.03.2022	As on 31.03.2022
A	**Capital & Liabilities**		
i	Paid-up Capital	12,454.41	12,454.41
	Reserves & Surplus	4,37,064.88	4,34,896.54
	Total Capital	**4,49,519.29**	**4,47,350.95**
	Minority Interest	249.82	249.82
ii	**Deposits**	**59,35,708.75**	**59,35,753.69**
	of which: Deposits from banks	61,934.68	61,934.68
	of which: Customer deposits	58,73,774.08	58,73,819.02
	of which: Other deposits (pl. specify)	0.00	0.00
iii	**Borrowings**	**1,71,528.50**	**1,71,528.50**
	From RBI	0.00	0.00
	From banks	70.66	70.66
	borrowings outside India	18,592.47	18,592.47
	From other institutions & agencies	1,52,865.37	1,52,865.37
	of which: Capital instruments	81,000.00	81,000.00
iv	**Other liabilities & provisions**	**1,83,957.80**	**1,72,393.14**
	Total Liabilities	**67,40,964.17**	**67,27,276.11**
B	**Assets**		
i	**Cash and balances with Reserve Bank of India**	**2,40,544.63**	**2,40,544.11**
	Balance with banks and money at call and short notice	**5,59,137.58**	**5,58,935.76**
ii	**Investments:**	**17,65,016.11**	**17,55,395.59**
	of which: Government securities	14,25,565.92	14,20,890.07
	of which: Other approved securities	72.47	0.00
	of which: Shares	12,151.33	12,002.06
	of which: Debentures & Bonds	3,07,397.21	3,04,423.52
	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	10,118.52	11,168.58
	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	9,710.66	6,911.37
iii	**Loans and advances**	**38,91,860.63**	**38,91,860.63**
	of which: Loans and advances to banks	1,11,056.35	1,11,056.35
	of which: Loans and advances to customers	37,80,804.29	37,80,804.29
iv	**Fixed assets**	**76,989.11**	**76,914.95**
v	**Other assets**	**2,07,416.11**	**2,03,625.07**
	of which: Goodwill and intangible assets	0.00	0.00
	of which: Deferred tax assets	38,856.87	38,802.50
vi	Goodwill on consolidation	0.00	0.00
vii	Debit balance in Profit & Loss account	0.00	0.00
	Total Assets	**67,40,964.17**	**67,27,276.11**

DF-12: Composition of Capital- Reconciliation Requirements-STEP 2			(₹ in Million)
	Balance sheet as in financial statements (Consolidated)	Balance sheet under regulatory scope of consolidation	Reference Number
	As on 31.03.2022	As on 31.03.2022	
Paid-up Capital	**12,454.41**	**12,454.41**	**A**
of which: Amount eligible for CET1	12,454.41	12,454.41	A1
Reserves & Surplus (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	**4,37,064.88**	**4,34,896.54**	**B**
of which			
1.Share Premium1.Share Premium	23,915.44	23,915.44	B1
2.Statutory Reserves2.Statutory Reserves	96,359.65	96,359.65	B2
3.Capital Reserves3.Capital Reserves	11,106.94	10,628.89	B3
4.Special Reserves4.Special Reserves	23,479.02	23,479.02	B4
of which special reserve net of Taxof which special reserve net of Tax	582.00	582.00	B4(i)
5.Revenue Reserves5.Revenue Reserves	1,53,132.62	1,53,132.62	B5
6.Profit and Loss account6.Profit and Loss account	10,717.61	9,027.31	B6
7.Amalgamation Reserve7.Amalgamation Reserve	40,069.16	40,069.16	B7
8.Revaluation Reserve8.Revaluation Reserve	62,110.23	62,110.23	B8
Revaluation Reserve (Part of CET 1 capital @ discount of 55%)	27,949.60	27,949.60	B8(i)
9.Investment Fluctuation Reserve9.Investment Reserve	10,319.00	10,319.00	B9
10.Foreign Currency Translation Reserve (FCTR)	3,972.38	3,972.38	B10
of which considered for Capital funds (at 25% discount)	2,979.28	2,979.28	B10(i)
11.IRS Reserve	19.06	19.06	B11
12.Investment Reserve	1,863.78	1,863.78	
Minority Interest	**249.82**	**249.82**	**B12**
Of which considered for Capital funds	0.00	0.00	B12(i)
Total Capital	**4,49,769.12**	**4,47,600.77**	
Deposits	**59,35,708.75**	**59,35,753.69**	**C**
of which: Deposits from banks	61,934.68	61,934.68	C(i)
of which: Customer deposits	58,73,774.08	58,73,819.02	C(ii)
of which: Other deposits	0.00	0.00	C(iii)
Borrowings	**1,71,528.50**	**1,71,528.50**	**D**
From RBI	0.00	0.00	D1
From banks	70.66	70.66	D2
borrowings outside India	18,592.47	18,592.47	D3
From other institutions & agencies	1,52,865.37	1,52,865.37	D4
of which: Capital instruments	81,000.00	81,000.00	D4(i)
Upper Tier II Instruments (Non Basel III Compliant)	0.00	0.00	D5
Lower Tier II Instruments (Non Basel III Compliant)	0.00	0.00	D6
Tier II Instruments (Basel III Complaint)	61,000.00	61,000.00	D7
Perpetual Debt Instruments qualifying for AT 1	20,000.00	20,000.00	D8
Other liabilities & provisions	**1,83,957.80**	**1,72,393.14**	**E**
General Provisions	48,321.20	48,321.20	E1
Total	**67,40,964.17**	**67,27,276.11**	

DF-12: Composition of Capital- Reconciliation Requirements-STEP 2			(₹ in Million)
	Balance sheet as in financial statements (Consolidated)	Balance sheet under regulatory scope of consolidation	Reference No.
	As on 31.03.2022	As on 31.03.2022	
Assets			
Cash and balances with Reserve Bank of India	**2,40,544.63**	**2,40,544.11**	
Balance with banks and money at call and short notice	**5,59,137.58**	**5,58,935.76**	
Investments	**17,65,016.11**	**17,55,395.59**	
of which: Government securities	14,25,565.92	14,20,890.07	
of which: Other approved securities	72.47	0.00	
of which: Shares	12,151.33	12,002.06	
of which: Debentures & Bonds	3,07,397.21	3,04,423.52	
of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	10,118.52	11,168.58	
of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	9,710.66	6,911.37	
Loans and advances	**38,91,860.63**	**38,91,860.63**	
of which: Loans and advances to banks	1,11,056.35	1,11,056.35	
of which: Loans and advances to customers	37,80,804.29	37,80,804.29	
Fixed assets	**76,989.11**	**76,914.95**	
Other assets	**2,07,416.11**	**2,03,625.07**	
of which: Goodwill and intangible assets	0.00	0.00	
Out of which:			
Goodwill	0	0	
Other intangibles	0	0	
Deferred tax assets (net)	38,856.87	38,802.50	
Goodwill on consolidation	0.00	0.00	
Debit balance in Profit & Loss account	0.00	0.00	
Total Assets	**67,40,964.17**	**67,27,276.11**	

Extract of Basel III common disclosure template – Table DF-11 STEP 3
Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves

		Component of regulatory capital reported by bank	Source based on reference numbers/letters of the balance sheet under the regulatory scope of consolidation from step 2
1	Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock companies) capital plus related stock surplus	36369.86	A1+B1
2	Retained earnings	9027.31	
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	354617.29	B2+B3+B4+B5+B7+B8(i)+B10(i)+B11
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	0.00	
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	0.00	
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	400014.46	
7	Prudential valuation adjustments	0.00	
8	Goodwill (net of related tax liability)	0.00	

Table DF-13: Main Features of Regulatory Capital Instruments
Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

1	Issuer	Indian Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE562A01011
3	Governing law(s) of the instrument	Applicable Indian Laws and regulatory requirements
	Regulatory treatment	
4	Transitional Basel III rules	Common Equity Tier 1
5	Post-transitional Basel III rules	Eligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Group & Solo
7	Instrument type	Common Shares
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million)	12454.41
9	Par value of instrument (₹ in Million)	Not Applicable
10	Accounting classification	Share holder's equity
11	Original date of issuance	various dates
12	Perpetual or dated	Perpetual
13	OrigiOriginal maturity date	Not Applicable
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Not Applicable
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (₹ in Million)	Not Applicable
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	Coupons / dividends	Dividend
17	Fixed or floating dividend/coupon	Dividend
18	Coupon rate and any related index	Not Applicable
19	Existence of a dividend stopper	Not Applicable
20	FullyFully discretionary, partially discretionary or mandatory	Fully discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Not Applicable
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Not Applicable
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

Table DF-13: Main Features of Regulatory Capital Instruments
Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

1	Issuer	Indian Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE562A08057
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws
	Regulatory treatment	
4	Transitional Basel III rules	Additional Tier 1 Bonds
5	Post-transitional Basel III rules	Additional Tier 1 Bonds
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group
7	Instrument type	Basel III compliant Additional Tier 1 (AT 1) Perpetual Bonds
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in Million)	10480
9	Par value of instrument (₹ in Million)	10480
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	08/12/2020
12	Perpetual or dated	Perpetual
13	Original maturity date	Perpetual
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (₹ in Million)	Call Option Date:08/12/2025 Redemption amount - At Par
16	Subsequent call dates, if applicable Coupons / dividends	Any coupon payment date after first call due date Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.44% p.a.
19	Existence of a dividend stopper	Yes
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	At Point of Non Viability(PONV) as set by RBI
32	If write-down, full or partial	Fully or Partially as per discretion of RBI
33	If write-down, permanent or temporary	Subject to Permanent write-off upon occurrence of the trigger event called PONV as determined by RBI
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the Bondholders shall be (i). Subordinated to the claims of investors in equity shares and perpetual non-cumulative preference shares, if any, of the Issuer (ii). Subordinated to the claims of all depositors and general creditors and subordinated debt of the Issuer other than subordinated debt qualifying as Additional Tier1 Capital. (iii). Pari passu without preference amongst themselves and other subordinated debt classifying as Additional Tier 1 Capital (iv). Neither secured nor covered by a guarantee of the Issuer nor related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claim vis-à-vis Bank creditors.
36	Non-compliant transitioned features	Not Applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

Table DF-13: Main Features of Regulatory Capital Instruments
Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

1	Issuer	Indian Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE562A08065
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws
	Regulatory treatment	
4	Transitional Basel III rules	Additional Tier 1 Bonds
5	Post-transitional Basel III rules	Additional Tier 1 Bonds
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group
7	Instrument type	Basel III compliant Additional Tier 1 (AT 1) Perpetual Bonds
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in Million)	5600
9	Par value of instrument (₹ in Million)	5600
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	14/12/2020.
12	Perpetual or dated	Perpetual
13	Original maturity date	Perpetual
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (₹ in Million)	Call Option Date:14/12/2025 Redemption amount - At Par
16	Subsequent call dates, if applicable Coupons / dividends	Any coupon payment date after first call due date Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.44% p.a.
19	Existence of a dividend stopper	Yes
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	At Point of Non Viability (PONV) as set by RBI
32	If write-down, full or partial	Fully or Partially as per discretion of RBI
33	If write-down, permanent or temporary	Subject to Permanent write-off upon occurrence of the trigger event called PONV as determined by RBI
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the Bondholders shall be (i) Superior to the claims of investors in equity shares and perpetual non-cumulative preference shares, if any, of the Issuer; (ii) Subordinated to the claims of all depositors and general creditors and subordinated debt of the Issuer other than subordinated debt qualifying as Additional Tier1 Capital (as the term is defined in the Basel III Guidelines) of the Issuer; (iii) Pari passu without preference amongst themselves and other subordinated debt Classifying as Additional Tier 1 Capital in terms of Basel III Guidelines; (iv) Neither secured nor covered by a guarantee of the Issuer nor related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claim vis-à-vis Bank creditors.
36	Non-compliant transitioned features	Not Applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

Table DF-13: Main Features of Regulatory Capital Instruments
Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

1	Issuer	Indian Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE562A08073
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws
	Regulatory treatment	
4	Transitional Basel III rules	Additional Tier 1 Bonds
5	Post-transitional Basel III rules	Additional Tier 1 Bonds
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group
7	Instrument type	Basel III compliant Additional Tier 1 (AT 1) Perpetual Bonds
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in Million)	3920
9	Par value of instrument (₹ in Million)	3920
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	30/12/2020.
12	Perpetual or dated	Perpetual
13	Original maturity date	Perpetual
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (₹ in Million)	Call Option Date:30/12/2025 Redemption amount - At Par
16	Subsequent call dates, if applicable Coupons / dividends	Any coupon payment date after first call due date Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.44% p.a.
19	Existence of a dividend stopper	Yes
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	At Point of Non Viability (PONV) as set by RBI
32	If write-down, full or partial	Fully or Partially as per discretion of RBI
33	If write-down, permanent or temporary	Subject to Permanent write-off upon occurrence of the trigger event called PONV as determined by RBI
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the Bondholders shall be (i) Superior to the claims of investors in equity shares and perpetual non-cumulative preference shares, if any, of the Issuer; (ii) Subordinated to the claims of all depositors and general creditors and subordinated debt of the Issuer other than subordinated debt qualifying as Additional Tier1 Capital (as the term is defined in the Basel III Guidelines) of the Issuer; (iii) Pari passu without preference amongst themselves and other subordinated debt classifying as Additional Tier 1 Capital in terms of Basel III Guidelines; (iv) Neither secured nor covered by a guarantee of the Issuer nor related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claim vis-à-vis Bank creditors.
36	Non-compliant transitioned features	Not Applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

Table DF-13: Main Features of Regulatory Capital Instruments
Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

1	Issuer	Indian Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE562A08024
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws
	Regulatory treatment	
4	Transitional Basel III rules	Tier 2 Bonds
5	Post-transitional Basel III rules	Tier 2 Bonds
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group
7	Instrument type	Basel III compliant Tier 2 Bond
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in Million)	2900
9	Par value of instrument (₹ in Million)	2900
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	30/10/2018
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	30/10/2028
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (₹ in Million)	Call Option Date: 30/10/2023 Redemption amount - At Par
16	Subsequent call dates, if applicable Coupons / dividends	Any coupon payment date after first call due date Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.90% p.a.
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non-convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	At Point of Non Viability (PONV) as set by RBI
32	If write-down, full or partial	Fully or Partially as per discretion of RBI
33	If write-down, permanent or temporary	Subject to Permanent write-off upon occurrence of the trigger event called PONV as determined by RBI
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the Bondholders shall be (i) Senior to the claims of Investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital of the Bank; (ii) Subordinate to the claims of all depositors and general creditors of the Bank; (iii) Neither secured nor covered by a guarantee of the Bank or related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claim vis-à-vis Bank creditors (iv) Unless the terms of any subsequent issuance of bonds/debentures by the Bank specifies that the claims of such subsequent bond holders are senior or subordinate to the Bonds issued under this information Memorandum or unless the RBI specifies otherwise in its guidelines, the claims of the Bond holders shall remain the pari passu with claims of holders of such subsequent debentures/bond issuances; and shall be on pari passu ranking with holders of other Tier 2 instruments issued by the Bank
36	Non-compliant transitioned features	Not Applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

Table DF-13: Main Features of Regulatory Capital Instruments
Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

1	Issuer	Indian Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE562A08032
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws
	Regulatory treatment	
4	Transitional Basel III rules	Tier 2 Bonds
5	Post-transitional Basel III rules	Tier 2 Bonds
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group
7	Instrument type	Basel III compliant Tier 2 Bond
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in Million)	1100
9	Par value of instrument (₹ in Million)	1100
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	06/11/2018
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	06/11/2028
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (₹ in Million)	Call Option Date: 06/11/2023 Redemption amount - At Par
16	Subsequent call dates, if applicable Coupons / dividends	Any coupon payment date after first call due date Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.85% p.a.
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non-convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	At Point of Non Viability (PONV) as set by RBI
32	If write-down, full or partial	Fully or Partially as per discretion of RBI
33	If write-down, permanent or temporary	Subject to Permanent write-off upon occurrence of the trigger event called PONV as determined by RBI
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the Bondholders shall be (i) Senior to the claims of Investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital of the Bank; (ii) Subordinate to the claims of all depositors and general creditors of the Bank; (iii) Neither secured nor covered by a guarantee of the Bank or related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claim vis-à-vis Bank creditors (iv) Unless the terms of any subsequent issuance of bonds/debentures by the Bank specifies that the claims of such subsequent bond holders are senior or subordinate to the Bonds issued under this information Memorandum or unless the RBI specifies otherwise in its guidelines, the claims of the Bond holders shall remain the pari passu with claims of holders of such subsequent debentures/bond issuances; and shall be on pari passu ranking with holders of other Tier 2 instruments issued by the Bank.
36	Non-compliant transitioned features	Not Applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

Table DF-13: Main Features of Regulatory Capital Instruments
Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

1	Issuer	Indian Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE562A08040
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws
	Regulatory treatment	
4	Transitional Basel III rules	Tier 2 Bonds
5	Post-transitional Basel III rules	Tier 2 Bonds
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group
7	Instrument type	Basel III compliant Tier 2 Bond
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in Million)	6000
9	Par value of instrument (₹ in Million)	6000
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	22/01/2019
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	22/01/2029
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (₹ in Million)	Call Option Date: 22/01/2024 Redemption amount - At Par
16	Subsequent call dates, if applicable Coupons / dividends	Any coupon payment date after first call due date Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.53% p.a.
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non-convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	At Point of Non Viability (PONV) as set by RBI
32	If write-down, full or partial	Fully or Partially as per discretion of RBI
33	If write-down, permanent or temporary	Subject to Permanent write-off upon occurrence of the trigger event called PONV as determined by RBI
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the Bondholders shall be (i) Senior to the claims of Investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital of the Bank; (ii) Subordinate to the claims of all depositors and general creditors of the Bank; (iii) Neither secured nor covered by a guarantee of the Bank or related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claim vis-à-vis Bank creditors (iv) Unless the terms of any subsequent issuance of bonds/debentures by the Bank specifies that the claims of such subsequent bond holders are senior or subordinate to the Bonds issued under this information Memorandum or unless the RBI specifies otherwise in its guidelines, the claims of the Bond holders shall remain the pari passu with claims of holders of such subsequent debentures/bond issuances; and shall be on pari passu ranking with holders of other Tier 2 instruments issued by the Bank.
36	Non-compliant transitioned features	Not Applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

Table DF-13: Main Features of Regulatory Capital Instruments
Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

1	Issuer	Indian Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE428A08028
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws
	Regulatory treatment	
4	Transitional Basel III rules	Tier 2 Bonds
5	Post-transitional Basel III rules	Tier 2 Bonds
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group
7	Instrument type	Basel III compliant Tier 2 Bond
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in Million)	5000
9	Par value of instrument (₹ in Million)	5000
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	20/01/2015
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	20/01/2025
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Not Available
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (₹ in Million)	Not Applicable
16	Subsequent call dates, if applicable Coupons / dividends	Not Applicable Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.78% p.a.
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non-convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	At Point of Non Viability (PONV) as set by RBI
32	If write-down, full or partial	Fully or Partially as per discretion of RBI
33	If write-down, permanent or temporary	Subject to Permanent write-off upon occurrence of the trigger event called PONV as determined by RBI
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the Bondholders shall be (i) senior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital of the Bank; (ii) subordinate to the claims of all depositors and general creditors of the Bank; and (iii) neither secured nor covered by a guarantee of the Bank or related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claim vis-à-vis creditors of the Bank
36	Non-compliant transitioned features	Not Applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

Table DF-13: Main Features of Regulatory Capital Instruments
Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

1	Issuer	Indian Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE428A08044
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws
	Regulatory treatment	
4	Transitional Basel III rules	Tier 2 Bonds
5	Post-transitional Basel III rules	Tier 2 Bonds
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group
7	Instrument type	Basel III compliant Tier 2 Bond
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in Million)	10000
9	Par value of instrument (₹ in Million)	10000
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	21/12/2015
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	20/12/2025
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Not Available
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (₹ in Million)	Not Applicable
16	Subsequent call dates, if applicable Coupons / dividends	Not Applicable Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.64% p.a.
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non-convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	At Point of Non Viability (PONV) as set by RBI
32	If write-down, full or partial	Fully or Partially as per discretion of RBI
33	If write-down, permanent or temporary	Subject to Permanent write-off upon occurrence of the trigger event called PONV as determined by RBI
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the Bondholders shall be (i) senior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital of the Bank; (ii) subordinate to the claims of all depositors and general creditors of the Bank; and (iii) neither secured nor covered by a guarantee of the Bank or related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claim vis-à-vis creditors of the Bank
36	Non-compliant transitioned features	Not Applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

Table DF-13: Main Features of Regulatory Capital Instruments
Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

1	Issuer	Indian Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE428A08051
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws
	Regulatory treatment	
4	Transitional Basel III rules	Tier 2 Bonds
5	Post-transitional Basel III rules	Tier 2 Bonds
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group
7	Instrument type	Basel III compliant Tier 2 Bond
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in Million)	10000
9	Par value of instrument (₹ in Million)	10000
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	25/01/2017
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	25/01/2027
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Not Available
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (₹ in Million)	Not Applicable
16	Subsequent call dates, if applicable Coupons / dividends	Not Applicable Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.15% p.a.
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non-convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	At Point of Non Viability (PONV) as set by RBI
32	If write-down, full or partial	Fully or Partially as per discretion of RBI
33	If write-down, permanent or temporary	Subject to Permanent write-off upon occurrence of the trigger event called PONV as determined by RBI
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the Bondholders shall be (i) senior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital of the Bank; (ii) subordinate to the claims of all depositors and general creditors of the Bank; and (iii) Neither secured nor covered by a guarantee of the Bank or related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claim vis-à-vis creditors of the Bank.
36	Non-compliant transitioned features	Not Applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

Table DF-13: Main Features of Regulatory Capital Instruments
Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

1	Issuer	Indian Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE428A08101
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws
	Regulatory treatment	
4	Transitional Basel III rules	Tier 2 Bonds
5	Post-transitional Basel III rules	Tier 2 Bonds
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group
7	Instrument type	Basel III compliant Tier 2 Bond
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in Million)	15000
9	Par value of instrument (₹ in Million)	15000
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	27/12/2019
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	27/12/2029
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (₹ in Million)	Call Option Date:27/12/2024 Redemption amount - At Par
16	Subsequent call dates, if applicable Coupons / dividends	Any coupon payment date after first call due date Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.53% p.a.
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non-convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	At Point of Non Viability (PONV) as set by RBI
32	If write-down, full or partial	Fully or Partially as per discretion of RBI
33	If write-down, permanent or temporary	Subject to Permanent write-off upon occurrence of the trigger event called PONV as determined by RBI
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the Bondholders shall be (i) senior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital of the Bank; (ii) subordinate to the claims of all depositors and general creditors of the Bank; and (iii) Neither secured nor covered by a guarantee of the Bank or related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claim vis-à-vis creditors of the Bank.
36	Non-compliant transitioned features	Not Applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

Table DF-13: Main Features of Regulatory Capital Instruments
Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

S.No	Particulars	Tier 2 Bonds - Series V
1	Issuer	Indian Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE562A08081
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws
	Regulatory treatment	
4	Transitional Basel III rules	Tier 2 Bonds
5	Post-transitional Basel III rules	Tier 2 Bonds
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group
7	Instrument type	Basel III compliant Tier 2 Bond
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in Million as of 30.09.2021)	20000
9	Par value of instrument (₹ in Million)	20000
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	13/01/2021
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	13/01/2031
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (₹ in Million)	Call Option Date:13/01/2026 Redemption amount - At Par
16	Subsequent call dates, if applicable Coupons / dividends	Any coupon payment date after first call due date Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	6.18% p.a.
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non-convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	At Point of Non Viability (PONV) as set by RBI
32	If write-down, full or partial	Fully or Partially as per discretion of RBI
33	If write-down, permanent or temporary	Subject to Permanent write-off upon occurrence of the trigger event called PONV as determined by RBI
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable

Table DF-13: Main Features of Regulatory Capital Instruments
Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the Bondholders shall – (i) be senior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 Capital issued by the Bank; (ii) be subordinated to the claims of all depositors and general creditors of the Bank; (iii) neither be secured nor covered by any guarantee of the Issuer or its related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claim vis -a-vis creditors of the Bank; (iv)unless the terms of any subsequent issuance of bonds/debentures by the Bank specifies that the claims of such subsequent bond holders are senior or subordinate to the Bonds issued under this Disclosure Document or unless the RBI specifies otherwise in its guidelines, the claims of the Bondholders shall be pari passu with claims of holders of such subsequent debentures/bond issuances of the Bank; and (v) rank pari passu without preference amongst themselves
36	Non-compliant transitioned features	Not Applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

Table DF-14: Full Terms and Conditions of Regulatory Capital Instruments

Terms and conditions for Basel III compliant Bonds

S.No	Particulars	Additional Tier 1 Bonds Series II
1	Security Description	8.44% Listed, Unsecured, Subordinated, Non-Convertible, Fully Paid Up, Taxable, Perpetual, Basel III Compliant Additional Tier 1 Bonds (AT 1) in the nature of Debentures of ₹10Lakh each aggregating to ₹ 1048 Crore
2	Security offered through	Private Placement
3	Tax status	Taxable
4	Date of opening of the issue	07/12/2020
5	Date of closing of the issue	07/12/2020
6	Series	Series II
7	ISIN Code	INE562A08057
8	Face Value per instrument	₹ 10,00,000
9	Paid up value per instrument	₹ 10,00,000
10	Issue Size	₹ 1048 Crore
11	Date of allotment	08/12/2020
12	Date of maturity	Perpetual instruments
13	Call Option	(i) Issuer Call: The issuer, with prior approval of RBI may at its sole discretion, having notified the Trustee not less than 21 calendar days prior to the date of exercise of such issuer call (Which notice shall specify the date fixed for exercise of the issuer Call (The "Issuer call date"), may exercise a call option on the outstanding Bonds. The Issuer Call, which is discretionary, may or may not be exercised on the fifth anniversary from the Deemed Date of Allotment i.e. the fifth Coupon Payment Date or on any Coupon Payment Date thereafter. (ii) Tax call: If a Tax Event (As described below) has occurred and continuing, then the issuer may, having notified the Trustee not less than 21 calendar days prior to the date of exercise of such Tax Call or Variation (Which notice shall specify the date fixed for exercise of the Tax Call or Variation "Tax Call Date"), may exercise a call on the Bonds or substitute the Bonds or vary the terms of the Bonds so that the Bonds have better classification. A Tax event has occurred if, as a result of any change in, or amendment to, the laws affecting taxation or regulations or rulings promulgated there under in India or any change in the official application of such laws, regulations or rulings; the Issuer will no longer be entitled to claim a deduction in respect of computing its taxation liabilities with respect to coupon on Bonds. The exercise of Tax Call by the Issuer is subject to requirements set out in the applicable RBI Guidelines (as defined below). RBI will permit the Issuer to exercise the Tax Call only if the RBI is convinced that the issuer was not in a position to anticipate the Tax Event at the time of issuance of the Bonds. (iii) Regulatory Call: If a Regulatory Event (As described below) has occurred and continuing, then the issuer may, having notified the Trustee not less than 21 calendar days prior to the date of exercise of such Regulatory Call or Variation (Which notice shall specify the date fixed for exercise of the Regulatory Call or Variation "Regulatory Call Date"), may exercise a call on the Bonds and replace with the instrument with better regulatory classification or lower coupon with same regulatory classification with prior approval of RBI or substitute the Bonds or vary the terms of the Bonds so that the Bonds have better classification. A Regulatory event is deemed to have occurred if there is a downgrade of the Bonds in regulatory classification e.g. Bonds are excluded from the regulatory Tier 1 Capital of the Issuer. The exercise of Regulatory Call by the Issuer is subject to requirements set out in the applicable RBI Guidelines (as defined below). RBI will permit the Issuer to exercise the Regulatory Call only if the RBI is convinced that the issuer was not in a position to anticipate the Regulatory Event at the time of issuance of the Bonds.
14	Amount to be matured	Not Applicable
15	Coupon rate (fixed)	8.44% p.a .
16	Frequency of Interest	Annual and Non Cumulative
17	Interest due dates	08th December every year till redemption/ Exercise of Call Option subject to holiday convention
18	First Interest Payment date	08/12/2021

Terms and conditions for Basel III compliant Bonds

S.No	Particulars	Additional Tier 1 Bonds Series III
1	Security Description	8.44% Listed, Unsecured, Subordinated, Non-Convertible, Fully Paid Up, Taxable, Perpetual, Basel III Compliant Additional Tier 1 Bonds (AT 1) in the nature of Debentures of ₹10Lakh each aggregating to ₹ 560 Crore
2	Security offered through	Private Placement
3	Tax status	Taxable
4	Date of opening of the issue	11/12/2020
5	Date of closing of the issue	11/12/2020
6	Series	Series III
7	ISIN Code	INE562A08065
8	Face Value per instrument	₹ 10,00,000
9	Paid up value per instrument	₹ 10,00,000
10	Issue Size	₹ 560 Crore
11	Date of allotment	14/12/2020
12	Date of maturity	Perpetual instruments
13	Call Option	(i) Issuer Call: The issuer, with prior approval of RBI may at its sole discretion, having notified the Trustee not less than 21 calendar days prior to the date of exercise of such issuer call (Which notice shall specify the date fixed for exercise of the issuer Call (The "Issuer call date"), may exercise a call option on the outstanding Bonds. The Issuer Call, which is discretionary, may or may not be exercised on the fifth anniversary from the Deemed Date of Allotment i.e. the fifth Coupon Payment Date or on any Coupon Payment Date thereafter. (ii)Tax call: If a Tax Event (As described below) has occurred and continuing, then the issuer may, having notified the Trustee not less than 21 calendar days prior to the date of exercise of such Tax Call or Variation (Which notice shall specify the date fixed for exercise of the Tax Call or Variation "Tax Call Date"), may exercise a call on the Bonds or substitute the Bonds or vary the terms of the Bonds so that the Bonds have better classification. A Tax event has occurred if, as a result of any change in, or amendment to, the laws affecting taxation or regulations or rulings promulgated there under in India or any change in the official application of such laws, regulations or rulings; the Issuer will no longer be entitled to claim a deduction in respect of computing its taxation liabilities with respect to coupon on Bonds. The exercise of Tax Call by the Issuer is subject to requirements set out in the applicable RBI Guidelines (as defined below). RBI will permit the Issuer to exercise the Tax Call only if the RBI is convinced that the issuer was not in a position to anticipate the Tax Event at the time of issuance of the Bonds. (iii) Regulatory Call: If a Regulatory Event (As described below) has occurred and continuing, then the issuer may, having notified the Trustee not less than 21 calendar days prior to the date of exercise of such Regulatory Call or Variation (Which notice shall specify the date fixed for exercise of the Regulatory Call or Variation "Regulatory Call Date"), may exercise a call on the Bonds and replace with the instrument with better regulatory classification or lower coupon with same regulatory classification with prior approval of RBI or substitute the Bonds or vary the terms of the Bonds so that the Bonds have better classification. A Regulatory event is deemed to have occurred if there is a downgrade of the Bonds in regulatory classification e.g. Bonds are excluded from the regulatory Tier 1 Capital of the Issuer. The exercise of Regulatory Call by the Issuer is subject to requirements set out in the applicable RBI Guidelines (as defined below). RBI will permit the Issuer to exercise the Regulatory Call only if the RBI is convinced that the issuer was not in a position to anticipate the Regulatory Event at the time of issuance of the Bonds.
14	Amount to be matured	Not Applicable
15	Coupon rate (fixed)	8.44%
16	Frequency of Interest	Annual and Non Cumulative
17	Interest due dates	14th December every year till redemption/ Exercise of Call Option subject to holiday convention
18	First Interest Payment date	14/12/2021

Terms and conditions for Basel III compliant Bonds

S.No	Particulars	Additional Tier 1 Bonds Series IV
1	Security Description	8.44% Listed, Unsecured, Subordinated, Non-Convertible, Fully Paid Up, Taxable, Perpetual, Basel III Compliant Additional Tier 1 Bonds (AT 1) in the nature of Debentures of ₹ 10Lakh each aggregating to ₹ 392 Crore
2	Security offered through	Private Placement
3	Tax status	Taxable
4	Date of opening of the issue	29/12/2020
5	Date of closing of the issue	29/12/2020
6	Series	Series IV
7	ISIN Code	INE562A08073
8	Face Value per instrument	₹ 10,00,000
9	Paid up value per instrument	₹ 10,00,000
10	Issue Size	₹ 392 Crore
11	Date of allotment	30/12/2020
12	Date of maturity	Perpetual instruments
13	Call Option	(i) Issuer Call: The issuer, with prior approval of RBI may at its sole discretion, having notified the Trustee not less than 21 calendar days prior to the date of exercise of such issuer call (Which notice shall specify the date fixed for exercise of the issuer Call (The "Issuer call date"), may exercise a call option on the outstanding Bonds. The Issuer Call, which is discretionary, may or may not be exercised on the fifth anniversary from the Deemed Date of Allotment i.e. the fifth Coupon Payment Date or on any Coupon Payment Date thereafter. (ii) Tax call: If a Tax Event (As described below) has occurred and continuing, then the issuer may, having notified the Trustee not less than 21 calendar days prior to the date of exercise of such Tax Call or Variation (Which notice shall specify the date fixed for exercise of the Tax Call or Variation "Tax Call Date"), may exercise a call on the Bonds or substitute the Bonds or vary the terms of the Bonds so that the Bonds have better classification. A Tax event has occurred if, as a result of any change in, or amendment to, the laws affecting taxation or regulations or rulings promulgated there under in India or any change in the official application of such laws, regulations or rulings; the Issuer will no longer be entitled to claim a deduction in respect of computing its taxation liabilities with respect to coupon on Bonds. The exercise of Tax Call by the Issuer is subject to requirements set out in the applicable RBI Guidelines (as defined below). RBI will permit the Issuer to exercise the Tax Call only if the RBI is convinced that the issuer was not in a position to anticipate the Tax Event at the time of issuance of the Bonds. (iii) Regulatory Call: If a Regulatory Event (As described below) has occurred and continuing, then the issuer may, having notified the Trustee not less than 21 calendar days prior to the date of exercise of such Regulatory Call or Variation (Which notice shall specify the date fixed for exercise of the Regulatory Call or Variation "Regulatory Call Date"), may exercise a call on the Bonds and replace with the instrument with better regulatory classification or lower coupon with same regulatory classification with prior approval of RBI or substitute the Bonds or vary the terms of the Bonds so that the Bonds have better classification. A Regulatory event is deemed to have occurred if there is a downgrade of the Bonds in regulatory classification e.g. Bonds are excluded from the regulatory Tier 1 Capital of the Issuer. The exercise of Regulatory Call by the Issuer is subject to requirements set out in the applicable RBI Guidelines (as defined below). RBI will permit the Issuer to exercise the Regulatory Call only if the RBI is convinced that the issuer was not in a position to anticipate the Regulatory Event at the time of issuance of the Bonds.
14	Amount to be matured	Not Applicable
15	Coupon rate (fixed)	8.44%
16	Frequency of Interest	Annual and Non Cumulative
17	Interest due dates	30th December every year till redemption/ Exercise of Call Option subject to holiday convention
18	First Interest Payment date	30/12/2021

Terms and conditions for Basel III compliant Bonds

S.No	Particulars	Tier 2 Bonds - Tranche A
1	Security Description	8.90% Unsecured, Fully paid-up, Non-Convertible, Redeemable, Subordinated Basel-III Compliant Tier II Bonds in the nature of Debentures of ₹ 10 Lakh each aggregating to ₹ 290 Crore
2	Security offered through	Private Placement
3	Tax status	Taxable
4	Date of opening of the issue	26/10/2018
5	Date of closing of the issue	26/10/2018
6	Series	Tranche A
7	ISIN Code	INE562A08024
8	Face Value per instrument	₹ 10,00,000
9	Paid up value per instrument	₹ 10,00,000
10	Issue Size	₹ 290 Crore
11	Date of allotment	30/10/2018
12	Date of maturity	30/10/2028
13	Call Option	(i) Issuer Call: The issuer, with prior approval of RBI may at its sole discretion, having notified the Trustee not less than 21 calendar days prior to the date of exercise of such issuer call (Which notice shall specify the date fixed for exercise of the issuer Call (The "Issuer call date"), may exercise a call option on the outstanding Bonds. The Issuer Call, which is discretionary, may or may not be exercised on the fifth anniversary from the Deemed Date of Allotment i.e. the fifth Coupon Payment Date or on any Coupon Payment Date thereafter. (ii)Tax call: If a Tax Event (As described below) has occurred and continuing, then the issuer may, having notified the Trustee not less than 21 calendar days prior to the date of exercise of such Tax Call or Variation (Which notice shall specify the date fixed for exercise of the Tax Call or Variation "Tax Call Date"), may exercise a call on the Bonds or substitute the Bonds or vary the terms of the Bonds so that the Bonds have better classification. A Tax event has occurred if, as a result of any change in, or amendment to, the laws affecting taxation or regulations or rulings promulgated there under in India or any change in the official application of such laws, regulations or rulings; the Issuer will no longer be entitled to claim a deduction in respect of computing its taxation liabilities with respect to coupon on Bonds. The exercise of Tax Call by the Issuer is subject to requirements set out in the applicable RBI Guidelines (as defined below). RBI will permit the Issuer to exercise the Tax Call only if the RBI is convinced that the issuer was not in a position to anticipate the Tax Event at the time of issuance of the Bonds. (iii) Regulatory Call: If a Regulatory Event (As described below) has occurred and continuing, then the issuer may, having notified the Trustee not less than 21 calendar days prior to the date of exercise of such Regulatory Call or Variation (Which notice shall specify the date fixed for exercise of the Regulatory Call or Variation "Regulatory Call Date"), may exercise a call on the Bonds and replace with the instrument with better regulatory classification or lower coupon with same regulatory classification with prior approval of RBI or substitute the Bonds or vary the terms of the Bonds so that the Bonds have better classification. A Regulatory event is deemed to have occurred if there is a downgrade of the Bonds in regulatory classification e.g. Bonds are excluded from the regulatory Tier 1 Capital of the Issuer. The exercise of Regulatory Call by the Issuer is subject to requirements set out in the applicable RBI Guidelines (as defined below). RBI will permit the Issuer to exercise the Regulatory Call only if the RBI is convinced that the issuer was not in a position to anticipate the Regulatory Event at the time of issuance of the Bonds.
14	Amount to be matured	₹ 290 Crore
15	Coupon rate (fixed)	8.90%
16	Frequency of Interest	Annual and Non Cumulative
17	Interest due dates	30th October every year till redemption/ Exercise of Call Option subject to holiday convention
18	First Interest Payment date	30/10/2019

Terms and conditions for Basel III compliant Bonds

S.No	Particulars	Tier 2 Bonds - Tranche B
1	Security Description	8.85% Unsecured, Fully paid-up, Non-Convertible, Redeemable, Subordinated Basel-III Compliant Tier II Bonds in the nature of Debentures of ₹ 10 Lakh each aggregating to ₹ 110 Crore
2	Security offered through	Private Placement
3	Tax status	Taxable
4	Date of opening of the issue	02/11/2018
5	Date of closing of the issue	02/11/2018
6	Series	Tranche B
7	ISIN Code	INE562A08032
8	Face Value per instrument	₹ 10,00,000
9	Paid up value per instrument	₹ 10,00,000
10	Issue Size	₹ 110 Crore
11	Date of allotment	06/11/2018
12	Date of maturity	06/11/2028
13	Call Option	(i) Issuer Call: The issuer, with prior approval of RBI may at its sole discretion, having notified the Trustee not less than 21 calendar days prior to the date of exercise of such issuer call (Which notice shall specify the date fixed for exercise of the issuer Call (The "Issuer call date"), may exercise a call option on the outstanding Bonds. The Issuer Call, which is discretionary, may or may not be exercised on the fifth anniversary from the Deemed Date of Allotment i.e. the fifth Coupon Payment Date or on any Coupon Payment Date thereafter. (ii) Tax call: If a Tax Event (As described below) has occurred and continuing, then the issuer may, having notified the Trustee not less than 21 calendar days prior to the date of exercise of such Tax Call or Variation (Which notice shall specify the date fixed for exercise of the Tax Call or Variation "Tax Call Date"), may exercise a call on the Bonds or substitute the Bonds or vary the terms of the Bonds so that the Bonds have better classification. A Tax event has occurred if, as a result of any change in, or amendment to, the laws affecting taxation or regulations or rulings promulgated there under in India or any change in the official application of such laws, regulations or rulings; the Issuer will no longer be entitled to claim a deduction in respect of computing its taxation liabilities with respect to coupon on Bonds. The exercise of Tax Call by the Issuer is subject to requirements set out in the applicable RBI Guidelines (as defined below). RBI will permit the Issuer to exercise the Tax Call only if the RBI is convinced that the issuer was not in a position to anticipate the Tax Event at the time of issuance of the Bonds. (iii) Regulatory Call: If a Regulatory Event (As described below) has occurred and continuing, then the issuer may, having notified the Trustee not less than 21 calendar days prior to the date of exercise of such Regulatory Call or Variation (Which notice shall specify the date fixed for exercise of the Regulatory Call or Variation "Regulatory Call Date"), may exercise a call on the Bonds and replace with the instrument with better regulatory classification or lower coupon with same regulatory classification with prior approval of RBI or substitute the Bonds or vary the terms of the Bonds so that the Bonds have better classification. A Regulatory event is deemed to have occurred if there is a downgrade of the Bonds in regulatory classification e.g. Bonds are excluded from the regulatory Tier 1 Capital of the Issuer. The exercise of Regulatory Call by the Issuer is subject to requirements set out in the applicable RBI Guidelines (as defined below). RBI will permit the Issuer to exercise the Regulatory Call only if the RBI is convinced that the issuer was not in a position to anticipate the Regulatory Event at the time of issuance of the Bonds.
14	Amount to be matured	₹ 110 Crore
15	Coupon rate (fixed)	8.85%
16	Frequency of Interest	Annual and Non Cumulative
17	Interest due dates	6th November every year till redemption/ Exercise of Call Option subject to holiday convention
18	First Interest Payment date	06/11/2019

Terms and conditions for Basel III compliant Bonds

S.No	Particulars	Tier 2 Bonds - Tranche C
1	Security Description	8.53% Unsecured, Fully paid-up, Non-Convertible, Redeemable, Subordinated Basel-III Compliant ier II Bonds in the nature of Debentures of ₹ 10 Lakh each aggregating to ₹ 600 Crore
2	Security offered through	Private Placement
3	Tax status	Taxable
4	Date of opening of the issue	18/01/2019
5	Date of closing of the issue	18/01/2019
6	Series	Tranche C
7	ISIN Code	INE562A08040
8	Face Value per instrument	₹ 10,00,000
9	Paid up value per instrument	₹ 10,00,000
10	Issue Size	₹ 600 Crore
11	Date of allotment	22/01/2019
12	Date of maturity	22/01/2029
13	Call Option	(i) Issuer Call: The issuer, with prior approval of RBI may at its sole discretion, having notified the Trustee not less than 21 calendar days prior to the date of exercise of such issuer call (Which notice shall specify the date fixed for exercise of the issuer Call (The "Issuer call date"), may exercise a call option on the outstanding Bonds. The Issuer Call, which is discretionary, may or may not be exercised on the fifth anniversary from the Deemed Date of Allotment i.e. the fifth Coupon Payment Date or on any Coupon Payment Date thereafter. (ii) Tax call: If a Tax Event (As described below) has occurred and continuing, then the issuer may, having notified the Trustee not less than 21 calendar days prior to the date of exercise of such Tax Call or Variation (Which notice shall specify the date fixed for exercise of the Tax Call or Variation "Tax Call Date"), may exercise a call on the Bonds or substitute the Bonds or vary the terms of the Bonds so that the Bonds have better classification. A Tax event has occurred if, as a result of any change in, or amendment to, the laws affecting taxation or regulations or rulings promulgated there under in India or any change in the official application of such laws, regulations or rulings; the Issuer will no longer be entitled to claim a deduction in respect of computing its taxation liabilities with respect to coupon on Bonds. The exercise of Tax Call by the Issuer is subject to requirements set out in the applicable RBI Guidelines (as defined below). RBI will permit the Issuer to exercise the Tax Call only if the RBI is convinced that the issuer was not in a position to anticipate the Tax Event at the time of issuance of the Bonds. (iii) Regulatory Call: If a Regulatory Event (As described below) has occurred and continuing, then the issuer may, having notified the Trustee not less than 21 calendar days prior to the date of exercise of such Regulatory Call or Variation (Which notice shall specify the date fixed for exercise of the Regulatory Call or Variation "Regulatory Call Date"), may exercise a call on the Bonds and replace with the instrument with better regulatory classification or lower coupon with same regulatory classification with prior approval of RBI or substitute the Bonds or vary the terms of the Bonds so that the Bonds have better classification. A Regulatory event is deemed to have occurred if there is a downgrade of the Bonds in regulatory classification e.g. Bonds are excluded from the regulatory Tier 1 Capital of the Issuer. The exercise of Regulatory Call by the Issuer is subject to requirements set out in the applicable RBI Guidelines (as defined below). RBI will permit the Issuer to exercise the Regulatory Call only if the RBI is convinced that the issuer was not in a position to anticipate the Regulatory Event at the time of issuance of the Bonds.
14	Amount to be matured	₹ 600 Crore
15	Coupon rate (fixed)	8.53%
16	Frequency of Interest	Annual and Non Cumulative
17	Interest due dates	22nd January every year till redemption/ Exercise of Call Option subject to holiday convention
18	First Interest Payment date	22/01/2020

Terms and conditions for Basel III compliant Bonds

S.No	Particulars	**Tier 2 Bonds - Series I**
1	Security Description	8.78% Unsecured, Fully paid-up, Non-Convertible, Redeemable, Basel III Compliant Tier II Bonds in the nature of Debentures of ₹ 10 Lakh each aggregating to ₹ 500 Crore
2	Security offered through	Private Placement
3	Tax status	Taxable
4	Date of opening of the issue	14/01/2015
5	Date of closing of the issue	16/01/2015
6	Series	Series I
7	ISIN Code	INE428A08028
8	Face Value per instrument	₹10,00,000
9	Paid up value per instrument	₹10,00,000
10	Issue Size	₹500 Crore
11	Date of allotment	20/01/2015
12	Date of maturity	20/01/2025
13	Call Option	Not Available
14	Amount to be matured	₹500 Crore
15	Coupon rate (fixed)	8.78%
16	Frequency of Interest	Annual and Non Cumulative
17	Interest due dates	20th January every year subject to holiday convention
18	First Interest Payment date	20/01/2016

Terms and conditions for Basel III compliant Bonds

S.No	Particulars	Tier 2 Bonds - Series II
1	Security Description	8.64% Unsecured, Non-Convertible, Redeemable, Basel-III Compliant Tier II Bonds in the nature of Debentures of 10 Lakh each aggregating to Rs. 1000 Crore
2	Security offered through	Private Placement
3	Tax status	Taxable
4	Date of opening of the issue	18/12/2015
5	Date of closing of the issue	18/12/2015
6	Series	Series II
7	ISIN Code	INE428A08044
8	Face Value per instrument	₹10,00,000
9	Paid up value per instrument	₹10,00,000
10	Issue Size	₹1000 Crore
11	Date of allotment	21/12/2015
12	Date of maturity	20/12/2025
13	Call Option	Not Available
14	Amount to be matured	₹1000 Crore
15	Coupon rate (fixed)	8.64%
16	Frequency of Interest	Annual and Non Cumulative
17	Interest due dates	21st December every year subject to holiday convention
18	First Interest Payment date	21/12/2016

Terms and conditions for Basel III compliant Bonds

S.No	Particulars	Tier 2 Bond - Series III
1	Security Description	8.15% Unsecured, Non-Convertible, Redeemable, Basel III Compliant Tier II Bonds in the nature of Debentures of ₹ 10 Lakh each aggregating to ₹ 1000 Crore
2	Security offered through	Private Placement
3	Tax status	Taxable
4	Date of opening of the issue	25/01/2017
5	Date of closing of the issue	25/01/2017
6	Series	Series III
7	ISIN Code	INE428A08051
8	Face Value per instrument	₹10,00,000
9	Paid up value per instrument	₹10,00,000
10	Issue Size	₹1000 Crore
11	Date of allotment	25/01/2017
12	Date of maturity	25/01/2027
13	Call Option	Not Available
14	Amount to be matured	₹1000 Crore
15	Coupon rate (fixed)	8.15%
16	Frequency of Interest	Annual and Non Cumulative
17	Interest due dates	25th January every year subject to holiday convention
18	First Interest Payment date	25/01/2018

Terms and conditions for Basel III compliant Bonds

S.No	Particulars	**Tier 2 Bond – Series IV**
1	Security Description	9.53% Unsecured, Non-Convertible, Redeemable, Basel III Compliant Tier II Bonds in the nature of Debentures of ₹ 10 Lakh each aggregating to ₹ 1500 Crore
2	Security offered through	Private Placement
3	Tax status	Taxable
4	Date of opening of the issue	26/12/2019
5	Date of closing of the issue	26/12/2019
6	Series	Series IV
7	ISIN Code	INE428A08101
8	Face Value per instrument	₹10,00,000
9	Paid up value per instrument	₹10,00,000
10	Issue Size	₹1500 Crore
11	Date of allotment	27/12/2019
12	Date of maturity	27/12/2029
13	Call Option	(i) Issuer Call: The issuer, with prior approval of RBI may at its sole discretion, having notified the Trustee not less than 21 calendar days prior to the date of exercise of such issuer call (Which notice shall specify the date fixed for exercise of the issuer Call (The "Issuer call date"), may exercise a call option on the outstanding Bonds. The Issuer Call, which is discretionary, may or may not be exercised on the fifth anniversary from the Deemed Date of Allotment i.e. the fifth Coupon Payment Date or on any Coupon Payment Date thereafter. (ii)Tax call: If a Tax Event (As described below) has occurred and continuing, then the issuer may, having notified the Trustee not less than 21 calendar days prior to the date of exercise of such Tax Call or Variation (Which notice shall specify the date fixed for exercise of the Tax Call or Variation "Tax Call Date"), may exercise a call on the Bonds or substitute the Bonds or vary the terms of the Bonds so that the Bonds have better classification. A Tax event has occurred if, as a result of any change in, or amendment to, the laws affecting taxation or regulations or rulings promulgated there under in India or any change in the official application of such laws, regulations or rulings; the Issuer will no longer be entitled to claim a deduction in respect of computing its taxation liabilities with respect to coupon on Bonds. The exercise of Tax Call by the Issuer is subject to requirements set out in the applicable RBI Guidelines (as defined below). RBI will permit the Issuer to exercise the Tax Call only if the RBI is convinced that the issuer was not in a position to anticipate the Tax Event at the time of issuance of the Bonds. (iii) Regulatory Call: If a Regulatory Event (As described below) has occurred and continuing, then the issuer may, having notified the Trustee not less than 21 calendar days prior to the date of exercise of such Regulatory Call or Variation (Which notice shall specify the date fixed for exercise of the Regulatory Call or Variation "Regulatory Call Date"), may exercise a call on the Bonds and replace with the instrument with better regulatory classification or lower coupon with same regulatory classification with prior approval of RBI or substitute the Bonds or vary the terms of the Bonds so that the Bonds have better classification. A Regulatory event is deemed to have occurred if there is a downgrade of the Bonds in regulatory classification e.g. Bonds are excluded from the regulatory Tier 1 Capital of the Issuer. The exercise of Regulatory Call by the Issuer is subject to requirements set out in the applicable RBI Guidelines (as defined below). RBI will permit the Issuer to exercise the Regulatory Call only if the RBI is convinced that the issuer was not in a position to anticipate the Regulatory Event at the time of issuance of the Bonds.
14	Amount to be matured	₹1500 Crore
15	Coupon rate (fixed)	9.53%
16	Frequency of Interest	Annual and Non Cumulative
17	Interest due dates	27th December every year till redemption/ Exercise of Call Option subject to holiday convention
18	First Interest Payment date	27/12/2020

Terms and conditions for Basel III compliant Bonds

S.No	Particulars	**Tier 2 Bonds - Series V**
1	Security Description	6.18% Listed, Unsecured, Redeemable, Subordinated, Non-Convertible, Fully Paid Up, Taxable, Basel III Compliant Tier II Bonds in the nature of Debentures of ₹ 10 Lakh each aggregating to ₹ 2000 Crore
2	Security offered through	Private Placement
3	Tax status	Taxable
4	Date of opening of the issue	12/01/2021
5	Date of closing of the issue	12/01/2021
6	Series	Series V
7	ISIN Code	INE562A08081
8	Face Value per instrument	₹10,00,000
9	Paid up value per instrument	₹10,00,000
10	Issue Size	₹2000 Crore
11	Date of allotment	13/01/2021
12	Date of maturity	13/01/2031
13	Call Option	(i) Issuer Call: The issuer, with prior approval of RBI may at its sole discretion, having notified the Trustee not less than 21 calendar days prior to the date of exercise of such issuer call (Which notice shall specify the date fixed for exercise of the issuer Call (The "Issuer call date"), may exercise a call option on the outstanding Bonds. The Issuer Call, which is discretionary, may or may not be exercised on the fifth anniversary from the Deemed Date of Allotment i.e. the fifth Coupon Payment Date or on any Coupon Payment Date thereafter. (ii)Tax call: If a Tax Event (As described below) has occurred and continuing, then the issuer may, having notified the Trustee not less than 21 calendar days prior to the date of exercise of such Tax Call or Variation (Which notice shall specify the date fixed for exercise of the Tax Call or Variation "Tax Call Date"), may exercise a call on the Bonds or substitute the Bonds or vary the terms of the Bonds so that the Bonds have better classification. A Tax event has occurred if, as a result of any change in, or amendment to, the laws affecting taxation or regulations or rulings promulgated there under in India or any change in the official application of such laws, regulations or rulings; the Issuer will no longer be entitled to claim a deduction in respect of computing its taxation liabilities with respect to coupon on Bonds. The exercise of Tax Call by the Issuer is subject to requirements set out in the applicable RBI Guidelines (as defined below). RBI will permit the Issuer to exercise the Tax Call only if the RBI is convinced that the issuer was not in a position to anticipate the Tax Event at the time of issuance of the Bonds. (iii) Regulatory Call: If a Regulatory Event (As described below) has occurred and continuing, then the issuer may, having notified the Trustee not less than 21 calendar days prior to the date of exercise of such Regulatory Call or Variation (Which notice shall specify the date fixed for exercise of the Regulatory Call or Variation "Regulatory Call Date"), may exercise a call on the Bonds and replace with the instrument with better regulatory classification or lower coupon with same regulatory classification with prior approval of RBI or substitute the Bonds or vary the terms of the Bonds so that the Bonds have better classification. A Regulatory event is deemed to have occurred if there is a downgrade of the Bonds in regulatory classification e.g. Bonds are excluded from the regulatory Tier 1 Capital of the Issuer. The exercise of Regulatory Call by the Issuer is subject to requirements set out in the applicable RBI Guidelines (as defined below). RBI will permit the Issuer to exercise the Regulatory Call only if the RBI is convinced that the issuer was not in a position to anticipate the Regulatory Event at the time of issuance of the Bonds.
14	Amount to be matured	₹2000 Crore
15	Coupon rate (fixed)	6.18%
16	Frequency of Interest	Annual and Non Cumulative
17	Interest due dates	13th January every year till redemption/ Exercise of Call Option subject to holiday convention
18	First Interest Payment date	13/01/2022

Table DF-15: Disclosure Requirements for Remuneration

----------Not applicable----------

As per RBI Master Circular on Basel III, this table is only applicable to all private sector and foreign banks operating in India.

Table DF-16: Equities-Disclosure for Banking Book Positions

Investments are classified at the time of purchase into Held for trade (HFT), Available for Sale (AFS) and Held to Maturity (HTM) categories in line with the RBI master circular on Prudential Norms for classification, valuation and operation of investments portfolio by Banks. Investments that are held principally for sale within a short period are classified as HFT securities. Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified under the HTM category. Investments in the equity of subsidiaries/joint ventures are categorized as HTM in accordance with the RBI guidelines. All other investments are classified as AFS securities.

Equity investments under the HTM category are carried at acquisition cost. Equity investments under the banking book are the Bank's investments in subsidiaries and associates. As on 31.03.2022, Book value of equity shares under Banking book is ₹ 2521.02 million.

Table DF 17- Summary comparison of accounting assets vs. leverage ratio exposure measure

(₹ in Million)

Item	
Total consolidated assets as per published financial Statement	67,27,651.11
Adjustment for investments in banking, financial, insurance or commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation	(1,050.00)
Adjustment for fiduciary assets recognised on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure	0.00
Adjustments for derivative financial instruments	65,287.98
Adjustment for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending)	10,878.07
Adjustment for off-balance sheet items (i.e. conversion to credit equivalent amounts of off- balance sheet exposures)	4,30,453.72
Other adjustments	(1,502.84)
Leverage ratio exposure	**72,31,718.04**

DF 18 – Leverage ratio common disclosure template

(₹ in Million)

	On-balance sheet exposures	Consolidated
1	On-balance sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral)	63,82,649.11
2	(Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1 capital)	(2,552.84)
3	Total on-balance sheet exposures (excluding derivatives and SFTs) (sum of lines 1 and 2)	63,80,096.27
	Derivative exposures	
4	Replacement cost associated with all derivatives transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)	9,421.52
5	Add-on amounts for PFE associated with all derivatives transactions	55,866.45
6	Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework	0.00
7	(Deductions of receivables assets for cash variation margin provided in derivatives transactions)	0.00
8	(Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures)	0.00
9	Adjusted effective notional amount of written credit derivatives	0.00
10	(Adjusted effective notional offsets and add-on deductions for written credit derivatives)	0.00
11	Total derivative exposures (sum of lines 4 to 10)	65,287.98
	Securities financing transaction exposures	
12	Gross SFT assets (with no recognition of netting), after adjusting for sale accounting transactions	3,45,002.01
13	(Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets)	0.00
14	CCR exposure for SFT assets	10,878.07
15	Agent transaction exposures	0.00
16	Total securities financing transaction exposures (sum of lines 12 to 15)	3,55,880.07
	Other off-balance sheet exposures	
17	Off-balance sheet exposure at gross notional amount	13,97,002.98
18	(Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)	(9,66,549.26)
19	Off-balance sheet items (sum of lines 17 and 18)	4,30,453.72
	Capital and total exposures	
20	Tier 1 capital	4,17,461.62
21	Total exposures (sum of lines 3, 11, 16 and 19)	72,31,718.04
	Leverage ratio	
22	**Basel III leverage ratio**	5.77%

NOTES

NOTES


Tab Banking
IndOASIS App
Wealth Managment
Net Banking
ADYA Chatbot
POS
Digital Banking
Video KYC
WAVE



mygov मेरी सरकार

Digital India Power To Empower

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत PM JAY

NATIONAL HEALTH MISSION राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

इंडियन बैंक Indian Bank

इलाहाबाद ALLAHABAD

आपका अपना बैंक, हर कदम आपके साथ
YOUR OWN BANK, ALWAYS WITH YOU

कॉर्पोरेट कार्यालय / Corporate Office :
254-260, अव्वै षण्मुगम सालै / Avvai Shanmugam Salai,
रायपेट्टा / Royapettah, चेन्नै / Chennai - 600 014

1800 425 00 000 www.indianbank.in Follow us on :